# मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट
# 2006-08

## खंड I

## भारत में बैंकिंग क्षेत्र :
## उभरते मुद्दे और चुनौतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक

''इस रिपोर्ट में व्यक्त परिणाम, विचार तथा निष्कर्ष पूर्णतया आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (आविनीवि) में योगदान देने वाले स्टाफ के हैं और यह जरूरी नहीं कि ये भारतीय रिज़र्व बैंक के अपने विचार हों।''

भारत में - 400 रुपए (सामान्य)
- 425 रुपए (डाक प्रभार सहित)
- 300 रुपए (रियायती)
- 325 रुपए (रियायती, डाक प्रभार सहित)

विदेश में - 40 अमरीकी डॉलर (एयरमेल कुरियर प्रभार सहित)

@ भारतीय रिज़र्व बैंक 2008
सर्वाधिकार सुरक्षित। सामग्री के पुनःप्रयोग की अनुमति है, बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

आइएसएसएन 0972-8759

**रेखा मिश्रा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक-400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा एल्को कॉर्पोरेशन, ए-2/72, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल, लोअर परेल, मुंबई-400 013 में डिज़ाइन की गई और मुद्रित।**

# प्राक्कथन

भारत में डेढ़ दशक से थोड़े अधिक समय से व्यापक आर्थिक सुधार का कार्य चल रहा है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि की पूर्ण संभाव्यता का दोहन करना इन सुधारों का मुख्य उदेश्य है। वित्तीय संसाधनों की बेहतर बिचवई के जरिए अर्थव्यवस्था में समग्र दक्षता प्राप्त करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र द्वारा दक्षतापूर्वक कार्य किया जाना महत्वपूर्ण है। तदनुसार, बैंकिंग क्षेत्र में सतत आधार पर व्यापक सुधार शुरू किए गए हैं, ताकि एक दक्ष, सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी तथा गतिशील बैंकिंग क्षेत्र का निर्माण किया जा सके। उक्त सुधारों में ब्याज दरों को विनियमित करने, बाह्य अवरोध हटाने, विनियमन तथा पर्यवेक्षण में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाने, निजी क्षेत्र के नए बैंकों एवं विदेशी बैंकों के जरिए प्रतिस्पर्धा शुरू करने तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को परिचालनात्मक लचीलापन और कार्यपरक स्वायत्तता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुल मिलाकर, बैंकिंग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है परंतु अब इसके सामने कई नयी चुनौतियां हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि के उच्च पथ पर अग्रसर है तथा वृद्धि की प्रक्रिया बनाए रखने में बैंकिंग क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। बासेल II, जो मार्च 2009 के अंत से पूर्णतः लागू हो जाएगा, न सिर्फ कार्यान्वयन के रूप में अपितु पूंजी जुटाने के रूप में भी कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। भारत क्रमिक रूप से पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर अग्रसर है, जिससे कई विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। बैंकों का परिचालनात्मक माहौल बदल गया है, जिसके फलस्वरूप बैंक अधिकाधिक विशाखीकृत हो रहे हैं। कई वित्तीय संगुटों का भी उदय हुआ है, जिससे उपयुक्त विनियामक व्यवस्थाएं जरूरी हो गई हैं। प्रौद्योगिकी से जटिल वित्तीय उत्पादों का नवोन्मेष हुआ है, जिससे विनियामकों के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। अतः भारत में बैंकिंग परिचालनों के विभिन्न पहलुओं का गंभीर विश्लेषण उपयुक्त होगा ताकि उनकी शक्तियों और कमजोरियों का, बैंकिंग क्षेत्र के सामने मौजूद विभिन्न चुनौतियों का तथा उनसे निपटने के लिए आवश्यक उपायों का आकलन किया जा सके।

केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सामयिक सुसंगतिवाले मुद्दों का विवेचनात्मक विश्लेषण करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक के आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग ने वर्ष 1998-99 से मूल विषय (थीम) आधारित **मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट** शुरू की। अब तक, आठ रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं, जिनमें केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समावेश किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित रिपोर्टों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें 2003-04 की रिपोर्ट में **मौद्रिक नीति के विकास**, 2004-05 की रिपोर्ट में **भारत में केंद्रीय बैंकिंग के विकास** तथा 2005-06 में **वित्तीय बाजारों के विकास तथा केंद्रीय बैंक की भूमिका** का ब्यौरेवार विश्लेषण किया गया है। इन रिपोर्टों के साथ, यह रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के अधिकांश कार्यों को समाविष्ट कर लेती है। इस वर्ष की रिपोर्ट का मूल विषय ''**भारत में बैंकिंग क्षेत्र : उभरते मुद्दे तथा चुनौतियां**'' है। इस रिपोर्ट में बैंकिंग क्षेत्र के सामने मौजूद विभिन्न वर्तमान तथा उभरती चुनौतियों का उल्लेख करने और उनके समाधान के उपाय सुझाने पर जोर दिया गया है। जहां कहीं संभव हुआ, इस रिपोर्ट में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन/की प्रथाओं की तुलना अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से की गई है। इस रिपोर्ट में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, हालांकि बैंकिंग क्षेत्र के अन्य खंडों यथा शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में भी, जहां कहीं उपयुक्त लगा और जहां कहीं सुसंगत आंकड़े उपलब्ध थे, चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट के परिमाण तथा इसकी व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए, मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट का यह संस्करण 2006-08 की अवधि के लिए है तथा इसे दो खंडों अर्थात खंड I (अध्याय I से V) और खंड II (अध्याय VI से XI) में जारी किया जा रहा है।

यह रिपोर्ट परिचालनात्मक विभागों के सक्रिय सहयोग से आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग में तैयार की गई है। डॉ. जनक राज, परामर्शदाता, ने डॉ. जी.एस.भाटी, तत्कालीन प्रधान परामर्शदाता के समग्र पर्यवेक्षण के तहत, इस रिपोर्ट के संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण और समन्वय किया।

इस रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने संबंधी मुख्य दल में आशा पी. कन्नन, निशिता राजे,राजन गोयल, मुनीष कपूर, धृतिद्युति बोस, कुमुदिनी हाजरा, जे.के.खुन्द्रकपम, रेखा मिश्रा, अनुपम प्रकाश, पी.के.पांडा, अनुपम सोनल, ए.करुणागरन, अभिमान दास, भुपाल सिंह, सुनील कुमार, जे.बी.सिंह, पीएसएस विद्यासागर, राजीव जैन, राजमल, जय चंदर, पंकज सेटिया, जी.जेयाकुमार, प्रभात गुप्ता, आर.शुक्ला, जे.बनार्ड, आर.सुदीप, आशीष कुमार वर्मा, कुमारजीत मंडल, दिपांकर मित्रा, स्नेहल हेरवाडकर, विनोद बी.भोई, एस.चिन्नगैहलियन, अरुण विष्णु कुमार, समीर आर बेहरा, ए.एन.यादव, अवधेश शुक्ला, आशीष थॉमस जॉर्ज, राखी पी.बी., थांगजसन सोन्ना, राकेश कुमार, इंद्राणी मन्ना, सुभजित राय तथा अभिलाषा शामिल थे।

उक्त दल को वी.लीलाधर, श्यामला गोपीनाथ, उषा थोरात तथा के.कनगसभापति से प्राप्त उल्लेखनीय सुझावों से लाभ मिला।

परिचालनात्मक विभागों अर्थात बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, मौद्रिक नीति विभाग, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, शहरी बैंक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने अत्यधिक सराहनीय अंशदान किया।

मैं आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के अधिकारियों के व्यावसायिक कौशल और परम निष्ठा की अत्यधिक सराहना करता हूं, जिसके बिना इस रिपोर्ट को प्रकाशित करना संभव नहीं हो पाता।

राकेश मोहन
उप गवर्नर

28 अगस्त 2008

# विषयवस्तु

## खंड I

**प्राक्कथन**


| | | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| **I.** | **मूल विषय** | **1-12** |
| | भारत में बैंकिंग का विकास | 4 |
| | भारत में बैंकिंग की गतिविधि संबंधी मुद्दे | 6 |
| | रिपोर्ट की संरचना | 10 |
| **II.** | **हाल की आर्थिक गतिविधियां** | **13-73** |
| | वास्तविक क्षेत्र | 14 |
| | राजकोषीय स्थिति | 23 |
| | मौद्रिक और ऋण स्थिति | 32 |
| | वित्तीय बाजार | 43 |
| | बैंक और वित्तीय संस्थाएं | 59 |
| | बाह्य क्षेत्र | 62 |
| | समग्र मूल्यांकन | 72 |
| **III.** | **भारत में बैंकिंग का विकास** | **74-141** |
| | भारत में बैंकिंग का प्रारंभिक चरण - 1947 तक | 75 |
| | स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में बैंकिंग - 1947 से 1967 | 84 |
| | बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण - 1967 से 1991 | 96 |
| | वित्तीय क्षेत्र सुधारों का चरण - 1991-92 तथा उसके बाद | 110 |
| | सारांश | 136 |
| | अनुबंध III.1 : भारत में बैंक विफलताएं, उनका परिसमापन और समामेलन : 1913 -2007 | 139 |
| | अनुबंध III.2 : बैंकों की संख्या | 141 |
| **IV.** | **संसाधन संग्रहण का प्रबंधन** | **142-176** |
| | सैद्धांतिक समर्थन | 143 |
| | भारत में बैंकों द्वारा जमा संग्रहण | 145 |
| | विभिन्न देशों के अनुभव | 166 |
| | उभरते मुद्दे तथा भावी दिशा | 172 |
| | सारांश | 176 |
| | प्रदर्श IV.I: घरेलू बचतों को प्रभावित करनेवाले कारक | 145 |
| **V.** | **पूंजी और जोखिम प्रबंधन** | **177-233** |
| | जोखिम और पूँजी | 179 |
| | पूंजी पर्याप्तता संबंधी बासेल मानदंड | 182 |
| | बासेल II के लाभ, सीमाएं, मुद्दे और चुनौतियां | 191 |
| | पूंजी और जोखिम प्रबंधन : भारतीय अनुभव | 199 |
| | भावी दिशा | 226 |
| | सारांश | 230 |
| | अनुबंध V.1: बासेल II का कार्यान्वयन : विभिन्न देशों की स्थिति | 232 |


*(जारी...)*

## खंड II


पृष्ठ सं.

**VI. बैंकों के उधार और निवेश कार्य ..... 235-293**

बैंकों के उधार कार्य - सैद्धांतिक समर्थन ..... 236

भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के उधार कार्य ..... 239

कृषि को उधार ..... 245

उद्योग को ऋण ..... 259

बुनियादी संरचना को उधार ..... 271

खुदरा ऋण ..... 278

बैंकों के निवेश कार्य ..... 282

भावी दिशा ..... 286

सारांश ..... 291

**VII. वित्तीय समावेशन ..... 294-348**

वित्त तक पहुँच : संकल्पनात्मक ढाँचा ..... 295

वित्तीय वंचन का स्वरूप, कारण और परिणाम ..... 299

भारत में वित्तीय समावेशन के लिए पहलें ..... 303

भारत में वित्तीय समावेशन/वंचन का मूल्यांकन ..... 318

वित्तीय समावेशन के लिए परिचालन लागत और प्रौद्योगिकी का उन्नयन ..... 338

भावी दिशा ..... 342

सारांश ..... 345

अनुबंध VII.1 : एनएसएसओ सर्वेक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के व्यय की परिभाषाएँ ..... 348

**VIII. प्रतियोगिता और समेकन ..... 349-392**

समेकन - सैद्धांतिक समर्थन ..... 350

बैंकिंग उद्योग में विलय और अभिग्रहण में विद्यमान हाल की प्रवृत्तियाँ ..... 352

भारत में समेकन और प्रतियोगिता ..... 353

विलय और अभिग्रहण : भारत में प्रतियोगिता और कार्यकुशलता पर प्रभाव ..... 361

भारत में समेकन और प्रतियोगिता में विद्यमान समस्याएँ ..... 369

भावी दिशा ..... 386

सारांश ..... 390

अनुबंध VIII.1 : भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए रूपरेखा ..... 391

अनुबंध VIII.2 : रे माप (रे स्केल) अर्थव्यवस्थाएं ..... 392


*(जारी...)*

| | | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| **IX.** | **बैंकिंग क्षेत्र की कार्य-कुशलता, उत्पादकता और सुदृढ़ता** | **393-446** |
| | उत्पादकता और कार्य-कुशलता की माप : कुछ संकल्पनात्मक मुद्दे | 394 |
| | भारत में बैंकिंग क्षेत्र की उत्पादकता और कार्य-कुशलता का माप - लेखांकन माप | 395 |
| | भारत में बैंकिंग क्षेत्र की कार्य-कुशलता और उत्पादकता की माप- आर्थिक माप | 421 |
| | भारत में बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता | 433 |
| | कार्य-कुशलता और उत्पादकता में सुधार के पीछे निहित कारण | 439 |
| | भावी दिशा | 441 |
| | सारांश | 443 |
| | परिशिष्ट IX.1 कार्य-कुशलता के लेखांकन बनाम आर्थिक माप | 445 |
| **X.** | **बैंकिंग में विनियामक एवं पर्यवेक्षी चुनौतियां** | **447-503** |
| | बैंकिंग विनियमन का सिद्धांत | 448 |
| | विनियामक और पर्यवेक्षी परंपराएं - हाल की घटनाएं | 451 |
| | भारत में वर्तमान विनियामक एवं पर्यवेक्षी ढांचा | 475 |
| | विनियामक एवं पर्यवेक्षी चुनौतियां | 481 |
| | भावी दिशा | 494 |
| | सारांश | 499 |
| | अनुलग्नक X.1 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण पहलकदमियां | 501 |
| **XI.** | **समग्र मूल्यांकन** | **504-515** |
| | भारत में बैंकिंग का विकास | 504 |
| | संसाधन संग्रहण प्रबंधन | 506 |
| | पूंजी और जोखिम का प्रबंधन | 507 |
| | बैंकों के उधार एवं निवेश संबंधी परिचालन | 508 |
| | वित्तीय समावेशन | 509 |
| | प्रतिस्पर्धा एवं समेकन | 511 |
| | भारत में बैंकिंग क्षेत्र की कार्य-कुशलता, उत्पादकता और सुदृढ़ता | 512 |
| | बैंकिंग में विनियामक एवं पर्यवेक्षी चुनौतियां | 513 |
| | कुछ अंतिम अनुचिंतन | 513 |
| | **चुने हुए संदर्भ** | **I से XI** |

# बॉक्स मदों की सूची


| बॉक्स सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| I.1 | बैंकिंग क्षेत्र का रूपांतरण - प्रमुख वाहक | 4 |
| III.1 | लागू किए गए प्रमुख नियंत्रण : 1967 से 1991 | 107 |
| III.2 | ब्याज दरों का अविनियमन | 114 |
| III.3 | बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख सुधार - 1991-92 तथा उसके बाद | 135 |
| IV.1 | भारत में जमा ब्याज दरों का अविनियमन | 152 |
| IV.2 | अल्प बचत दरों का युक्तियुक्तकरण | 158 |
| IV.3 | अनिवासी जमाराशियां | 160 |
| IV.4 | जमाराशि बनाम उधार राशि : कुछ मुद्दे | 164 |
| V.1 | आर्थिक पूंजी बनाम विनियामक पूंजी | 181 |
| V.2 | बासेल II मानदंड: मुख्य तत्व | 186 |
| V.3 | पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया के सिद्धांत | 189 |
| V.4 | जोखिमों का निर्धारण | 190 |
| V.5 | हाल की वित्तीय हलचल का बासेल II पर प्रभाव | 193 |
| V.6 | भारत में रेटिंग प्रथाओं की स्थिति | 203 |
| V.7 | ऋण डेरिवेटिव तथा ऋण जोखिम प्रबंधन | 204 |
| V.8 | भारत में बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार अपनाना | 205 |
| V.9 | परिचालनात्मक जोखिम तथा कारोबार निरंतरता योजना | 206 |
| V.10 | नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे की ओर अंतरण: समानांतर चलने वाली प्रक्रिया | 209 |
| V.11 | पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के पूंजी जुटाने के विकल्पों में वृद्धि | 211 |
| V.12 | उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन | 212 |
| V.13 | बैंकों की जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में आइटी अनुप्रयोग | 214 |
| V.14 | पूंजी अपेक्षाओं के प्रति बैंकों का प्रतिसाद : भारतीय अनुभव | 216 |
| V.15 | विभिन्न एजेंसियों द्वारा बासेल II के तहत भारतीय बैंकों की पूंजी अपेक्षाओं के अनुमान | 221 |
| V.16 | भारत में बैंकों के लिए पूंजी अपेक्षाओं का अनुमान - प्रणाली | 222 |
| VI.1 | बैंकों के उधार कार्य : प्रमुख नीतिगत पहलें | 240 |
| VI.2 | कृषि को उधार से संबद्ध जोखिमें | 246 |
| VI.3 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य : संशोधित मार्गदर्शी निदेश | 247 |
| VI.4 | कृषि ऋण में निहित समस्याएँ - विकासशील देशों का परिदृश्य | 256 |
| VI.5 | कृषि ऋण की प्रथाएँ : विभिन्न देशों के अनुभव | 257 |
| VI.6 | कृषि ऋण - सफल अनुभवों का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य | 258 |


*(जारी...)*

| बॉक्स सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| VI.7 | लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) को ऋण प्रदान करने में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयाँ | 265 |
| VI.8 | लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) को ऋण की उपलब्धता को सुधारने के लिए पहलें | 266 |
| VI.9 | लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) को उधार - भारत में बैंकों द्वारा हाल में की गई पहलें - एक संक्षिप्त सर्वेक्षण | 267 |
| VI.10 | बासेल II और एसएमई क्षेत्र को उधार - बैंकों का व्यवहार | 268 |
| VI.11 | लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) का वित्तपोषण : उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव | 269 |
| VI.12 | बुनियादी संरचना के लिए बैंक उधार : जोखिमें और अवसर | 273 |
| VI.13 | बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना का वित्तपोषण : विभिन्न देशों के अनुभव | 274 |
| VI.14 | बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना के वित्तपोषण पर रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश : मुख्य-मुख्य बातें | 275 |
| VI.15 | खुदरा उधार की जोखिमें | 281 |
| VII.1 | वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित करनेवाले कारक | 301 |
| VII.2 | भारत में वित्तीय समावेशन - प्रमुख तत्व | 304 |
| VII.3 | स्वयं-सहायता समूह - बैंक सहबद्धता कार्यक्रम | 306 |
| VII.4 | वित्तीय समावेशन : वित्तपोषण की नई पद्धति | 309 |
| VII.5 | वित्तीय समावेशन : महिला सशक्तीकरण | 309 |
| VII.6 | बंगला देश का ग्रामीण बैंक | 310 |
| VII.7 | वित्तीय समावेशन का सफल मॉडल : आंध्र प्रदेश का एक वृत्त अध्ययन | 312 |
| VII.8 | व्यावसायिक संपर्कियों के माध्यम से शाखारहित बैंकिंग | 313 |
| VII.9 | शहरी वित्तीय समावेशन - धारावी (मुंबई) मॉडल | 313 |
| VII.10 | आवास और वित्तीय समावेशन | 314 |
| VII.11 | वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की रिपोर्ट | 315 |
| VII.12 | चयनित देशों में वित्तीय समावेशन की कार्यनीति | 316 |
| VII.13 | विभिन्न देशों में वित्तीय समावेशन की पहलें | 317 |
| VII.14 | स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम - एक मूल्यांकन | 331 |
| VII.15 | वित्तीय समावेशन और विकास के संकेतकों के बीच संबंध | 337 |
| VII.16 | प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन | 342 |
| VIII.1 | समेकन एवं वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति के लिए उसके निहितार्थ | 352 |
| VIII.2 | बैंकों के विलय और समामेलन संबंधी मार्गदर्शी निदेश | 356 |
| VIII.3 | बाजार चालित बनाम सरकार द्वारा प्रेरित बैंक समेकन : विभिन्न देशों के अनुभव | 359 |
| VIII.4 | प्रतियोगिता पर समेकन का प्रभाव : विभिन्न देशों के साक्ष्य | 362 |
| VIII.5 | संकेंद्रण सूचकांकों के माप | 363 |


*(जारी...)*

| बॉक्स सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| VIII.6 | पांजार -रोस सांख्यिकी : भारतीय स्थिति | 366 |
| VIII.7 | एमएण्डए से कार्यकुशलता के लाभ : चयनित बैंकों का एक वृत्त अध्ययन | 368 |
| VIII.8 | वाणिज्य बैंकों का निजीकरण : विभिन्न देशों के अनुभव | 374 |
| VIII.9 | विदेशी बैंकों की शाखाएँ बनाम सहायक संस्थाएँ | 378 |
| VIII.10 | उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी बैंकों का बढ़ता हुआ महत्व | 380 |
| VIII.11 | विदेशी बैंकों के प्रवेश की लागत और लाभ | 381 |
| VIII.12 | विदेशी बैंकों के प्रवेश के लाभ और लागतें : विभिन्न देशों के साक्ष्य | 382 |
| IX.I | उत्पादकता और कार्य-कुशलता - सूक्ष्म भेद | 394 |
| IX.2 | उत्पादकता और कार्य-कुशलता : विविध देशों के अनुभवजन्य साक्ष्य | 396 |
| IX.3 | अनुपात विश्लेषण का विश्लेषणात्मक ढांचा | 397 |
| IX.4 | प्रतिफल वक्र और बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन | 408 |
| IX.5 | भारत में निवल ब्याज मार्जिन के निर्धारक | 409 |
| IX.6 | आंकड़ा पर्यावरण विश्लेषण | 422 |
| IX.7 | विभिन्न बैंकों की कार्य-कुशलता में अंतर के कारण क्या हैं? एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य | 428 |
| IX.8 | क्या आकार महत्वपूर्ण होता है ? विभिन्न देशों के अनुभवजन्य साक्ष्य | 430 |
| IX.9 | भारत में बैंकिंग क्षेत्र की कार्य-कुशलता के निर्धारक तत्त्व | 432 |
| IX.10 | मामक्विस्ट उत्पादकता सूचकांक | 433 |
| IX.11 | कार्य-कुशलता का महत्व - एक बैंक का वृत्त अध्ययन | 438 |
| IX.12 | भारत में कार्य-कुशलता और अनर्जक आस्तियों के संबंध | 439 |
| X.1 | बैंकिंग पर्यवेक्षण और केंद्रीय बैंक | 454 |
| X.2 | नॉर्दर्न रॉक चलनिधि संकट | 456 |
| X.3 | अंतिम ऋणदाता | 457 |
| X.4 | वित्तीय संगुट - परिभाषा एवं ढांचा | 459 |
| X.5 | वित्तीय विनियमन के प्रति दृष्टिकोण | 462 |
| X.6 | बाजार अनुशासन के एक साधन के रूप में गौण ऋण | 467 |
| X.7 | निक्षेप बीमा प्रणालियों का विकास | 470 |
| X.8 | निक्षेप बीमा-लाभ और हानियां | 472 |
| X.9 | निक्षेप बीमा की डिज़ाइन | 473 |
| X.10 | वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड और उसकी महत्त्वपूर्ण पहलकदमियां | 479 |
| X.11 | पर्यवेक्षी कार्य-प्रणालियों का एकीकरण | 485 |
| X.12 | बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग समूह की ''इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हेतु जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों'' पर रिपोर्ट | 490 |

# चार्ट की सूची


| चार्ट सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| II.1 | कारक लागत पर वास्तविक जीडीपी की वार्षिक वृद्धि (1999-2000 की कीमतों पर) | 14 |
| II.2 | सकल देशी बचत - क्षेत्रवार | 15 |
| II.3 | सकल देशी निवेश - क्षेत्रवार | 16 |
| II.4 | संचयी वर्षा | 17 |
| II.5 | व्यापक मुद्रा वृद्धि | 36 |
| II.6 | खाद्येतर ऋण | 36 |
| II.7 | उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति | 38 |
| II.8 | अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्य | 39 |
| II.9 | केंद्रीय बैंक नीति दर | 39 |
| II.10 | थोक मूल्य मुद्रास्फीति | 40 |
| II.11 | मांग दर - घट बढ़ | 45 |
| II.12 | प्रमुख बाजार दरों में घट बढ़ | 48 |
| II.13 | खज़ाना बिलों के प्राथमिक प्रतिफल में घट-बढ़ : | 51 |
| II.14 | राज्य सरकार के बाजार उधार की भारित औसत ब्याज दर | 51 |
| II.15 | राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट का उपयोग | 52 |
| II.16 | राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती तथा नीलामी खज़ाना बिलों में निवेश | 53 |
| II.17 | सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार तथा प्रतिफल (मासिक औसत) | 53 |
| II.18 | प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपया घट-बढ़ | 54 |
| II.19 | विदेशी निवेश अंतर्वाह और हस्तक्षेप में मासिक घट-बढ़ | 55 |
| II.20 | वायदा प्रीमियम में घट-बढ़ | 56 |
| II.21 | क्षेत्रवार स्टॉक सूचकांकों की प्रवृत्ति | 58 |
| II.22 | वैश्विक उत्पादन वृद्धि | 62 |
| II.23 | विश्व व्यापार वृद्धि - मात्रा एवं मूल्य | 64 |
| II.24 | अदृश्य मदों के अधिशेष में घट-बढ़ | 68 |
| II.25 | विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल अंतर्वाह / बहिर्वाह | 70 |
| II.26 | एनआरआइ की जमाराशियां - बकाया | 70 |
| II.27 | भारत के बाहरी ऋण की मुद्रा संरचना - मार्च 2008 के अंत की स्थिति | 71 |
| IV.1 | बैंक जमाराशि वृद्धि दर | 148 |
| IV.2 | जनसंख्या समूहवार बैंक जमाराशियां | 149 |


*(जारी...)*

| चार्ट सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| IV.3 | सकल बैंक जमाराशियां | 150 |
| IV.4 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियों में मांग और सावधि जमाराशियों का हिस्सा | 151 |
| IV.5 | मीयादी जमाराशियां और अल्प बचत | 155 |
| IV.6 | बैंकों की कुल जमाराशियों में चालू, बचत एवं मीयादी जमाराशियों के हिस्से की प्रवृत्तियां | 157 |
| IV.7 | जमा प्रमाणपत्र | 159 |
| IV.8 | घरेलू बचत दरें | 162 |
| IV.9 | बैंक जमाराशि वृद्धि और प्रति व्यक्ति जीडीपी : 2006 | 163 |
| V.1 | मानकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग कर ऋण जोखिम की गणना | 187 |
| V.2 | भारतीय बैंकों का पूंजी तथा लीवरेज अनुपात | 199 |
| V.3 | बैंकों का निवल लाभ | 218 |
| V.4 | आरक्षित निधि तथा अधिशेष | 218 |
| V.5 | कुल जोखिम भारित आस्तियां | 219 |
| V.6 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरएआर | 219 |
| VI.1 | खाद्येतर ऋण और बैंक ऋण | 241 |
| VI.2 | सकल और निवल अनर्जक आस्तियां | 242 |
| VI.3 | खातों के प्रकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बकाया ऋण (मार्च के अंत में) | 243 |
| VI.4 | बैंक ऋण में बैंक समूह-वार संवृद्धि दर | 243 |
| VI.5 | भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जीडीपी अनुपात | 243 |
| VI.6 | बैंक समूह-वार ऋण-जमा अनुपात | 244 |
| VI.7 | बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम : क्षेत्र-वार अंश | 245 |
| VI.8 | कृषि को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (खाद्येतर सकल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में) | 248 |
| VI.9 | कृषि क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बकाया ऋण | 249 |
| VI.10 | कृषि जीडीपी और कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि को संस्थागत ऋण (संवितरण) | 249 |
| VI.11 | कृषि को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का बैंक समूह-वार वर्गीकरण | 250 |
| VI.12 | कृषि को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का वर्गीकरण | 250 |
| VI.13 | खातों के प्रकार द्वारा कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त | 250 |
| VI.14 | जोत के आकार के अनुसार किसानों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रत्यक्ष वित्त (संवितरण) : राशि | 251 |


*(जारी...)*

| चार्ट सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| VI.15 | जोत के आकार के अनुसार किसानों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रत्यक्ष वित्त (संवितरण) : खातों की संख्या | 251 |
| VI.16 | छोटे ऋण : कृषि उधार खातों की संख्या | 252 |
| VI.17 | छोटे ऋण : बकाया कृषि ऋण | 252 |
| VI.18 | कृषि उधार खातों में कृषि के छोटे उधार खातों का अंश - मुद्रास्फीति के लिए समायोजित | 253 |
| VI.19 | उद्योग की ऋण - प्रधानता | 260 |
| VI.20 | लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण में विद्यमान प्रवृत्तियाँ | 263 |
| VI.21 | लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण - प्रधानता | 264 |
| VI.22 | उद्योग को ऋण में एसएमई को ऋण का अंश : बैंक समूह-वार | 264 |
| VI.23 | चयनित क्षेत्रों को ऋण पर भारित औसत ब्याज दरें और बीपीएलआर | 266 |
| VI.24 | वैयक्तिक ऋणों में विद्यमान प्रवृत्तियाँ | 278 |
| VI.25 | आवास ऋणों में विद्यमान प्रवृत्ति | 278 |
| VI.26 | कुल बैंक ऋण में वैयक्तिक ऋणों का अंश - बैंक समूह-वार | 280 |
| VI.27 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निवेशों की वृद्धि दर | 282 |
| VI.28 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश | 283 |
| VI.29 | बैंक ऋण में वृद्धि और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश | 283 |
| VI.30 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख आस्तियां | 283 |
| VI.31 | बैंक समूह-वार निवेश-जमा अनुपात | 284 |
| VI.32 | अग्रिमों पर प्रतिलाभ और निवेशों पर प्रतिलाभ | 284 |
| VII.1 | वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ तथा संस्थागत संरचना | 298 |
| VII.2 | पहुँच की समस्याओं के आयाम | 300 |
| VII.3 | डाक घर बचत योजनाएँ - खातों की संख्या में अंश | 334 |
| VII.4 | प्रति 100 व्यक्ति बचत खाते - विभिन्न अनुमान | 336 |
| VIII.1 | भारत में वाणिज्य बैंकों का संकेंद्रण अनुपात | 364 |
| VIII.2 | संकेंद्रण के एचएचआइ और एंट्रोपी सूचकांक माप | 365 |
| VIII.3 | संबंधित बैंक समूह की तुलना में चयनित विलयित बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) | 369 |
| IX.1 | कुल आस्तियों की तुलना में परिचालन लागत 2006-07 | 398 |
| IX.2 | कुल आस्तियों की तुलना में तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र | 398 |
| IX.3 | चुनिंदा देशों में बैंकों की औसत आस्तियों की तुलना में परिचालन लागत अनुपात की भूमिका | 399 |
| IX.4 | आय की तुलना में लागत अनुपात - 2006-07 | 400 |


*(जारी...)*

| चार्ट सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| IX.5 | चुनिंदा देशों में बैंको की आय की तुलना में लागत अनुपात - 2006 | 400 |
| IX.6 | प्रति अर्जक आस्ति श्रम लागत - 2006-07 | 402 |
| IX.7 | चुनिंदा देशों में कुल आस्तियों की तुलना में श्रम लागत का अनुपात - 2006 | 403 |
| IX.8 | प्रति अर्जक आस्ति गैर- श्रम लागत - 2006-07 | 404 |
| IX.9 | चुनिंदा देशों में बैंकों की कुल आस्तियों की तुलना में गैर श्रम लागतों का अनुपात -2006 | 405 |
| IX.10 | मध्यस्थता लागत - 2006-07 | 407 |
| IX.11 | निवल ब्याज मार्जिन - 2006-07 | 408 |
| IX.12 | चुनिंदा देशों में बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन - 2006 | 409 |
| IX.13 | कुल आय की तुलना में अन्य परिचालनगत आय - 2006-07 | 411 |
| IX.14 | चुनिंदा देशों में बैंकों की कुल आय की तुलना में अन्य आय का अनुपात - 2006 | 411 |
| IX.15 | प्रति कर्मचारी कारोबार - 2006-07 | 413 |
| IX.16 | विविध बैंक समूहों का प्रति शाखा कारोबार - 2006-07 | 415 |
| IX.17 | विविध बैंक समूहों की आस्तियों पर प्रतिलाभ - 2006-07 | 416 |
| IX.18 | चुनिंदा देशों में बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ - 2006 | 417 |
| IX.19 | विविध बैंक समूहों की इक्विटी पर प्रतिलाभ - 2006-07 | 418 |
| IX.20 | चुनिंदा देशों के बैंकों की इक्विटी पर प्रतिलाभ - 2006 | 419 |
| IX.21 | कार्य-कुशलता में बैंक समूहवार प्रवृतियां (1992-2007) | 424 |
| IX.22 | कार्य -कुशलता और स्वामित्व | 425 |
| IX.23 | कार्य-कुशलता और आकार | 431 |
| IX.24 | कार्य-कुशलता और अन्य आय | 431 |
| IX.25 | कार्य-कुशलता और अनर्जक आस्तियां | 432 |
| IX.26 | उत्पादकता में बैंक-समूहवार प्रवृत्तियां : 1991-92 - 2006-07 | 434 |
| IX.27 | विविध बैंक समूहों की निवल अनर्जक आस्तियां | 437 |
| X.1 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियां | 482 |
| X.2 | भारत में वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र | 482 |

# सारणियों की सूची


| सारणी सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1.1 | भारत की वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं | 5 |
| 2.1 | वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर | 14 |
| 2.2 | सकल देशी उत्पाद की वार्षिक एवं तिमाही वृद्धि दरें | 15 |
| 2.3 | सकल देशी बचत एवं निवेश की दर | 16 |
| 2.4 | संचयी वर्षा | 17 |
| 2.5 | फसलवार लक्ष्य/उपलब्धियां | 18 |
| 2.6 | मौसमवार कृषि उत्पादन | 18 |
| 2.7 | खाद्य भंडार का प्रबंधन | 19 |
| 2.8 | औद्योगिक उत्पादन सूचकांक - मासिक वृद्धि | 20 |
| 2.9 | विनिर्माण उद्योगों में वृद्धि (2 अंक स्तरीय वर्गीकरण) | 21 |
| 2.10 | क्षेत्रवार वृद्धि एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) वृद्धि में अंशदान | 21 |
| 2.11 | मूलभूत संरचना उद्योगों की वृद्धि दर | 22 |
| 2.12 | सेवा उप क्षेत्रों में तिमाही वृद्धि कार्य-निष्पादन | 22 |
| 2.13 | वर्ष 2008-09 में वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि के लिए एजेंसियों का पूर्वानुमान | 23 |
| 2.14 | केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक | 25 |
| 2.15 | केंद्र की प्राप्तियां | 26 |
| 2.16 | केंद्र के व्यय का पैटर्न | 27 |
| 2.17 | सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का पैटर्न | 28 |
| 2.18 | राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक | 29 |
| 2.19 | राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां | 29 |
| 2.20 | राज्य सरकारों के व्यय का पैटर्न | 30 |
| 2.21 | राज्य सरकारों का सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन और वित्तपोषण का पैटर्न | 30 |
| 2.22 | संयुक्त देयताएं और ऋण जीडीपी अनुपात | 31 |
| 2.23 | आरक्षित मुद्रा - घट-बढ़ | 34 |
| 2.24 | मौद्रिक संकेतक | 35 |
| 2.25 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सर्वेक्षण | 36 |
| 2.26 | प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन | 37 |
| 2.27 | उद्योग के लिए निधियों के चुनिंदा स्रोत | 38 |


*(जारी...)*

| सारणी सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 2.28 | भारत में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) | 41 |
| 2.29 | उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति - मुख्य समूह | 43 |
| 2.30 | देशी वित्तीय बाज़ार - एक नज़र में | 44 |
| 2.31 | राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां | 52 |
| 2.32 | भारतीय रुपये की सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (व्यापार - आधारित भारांक) | 54 |
| 2.33 | रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर की बिक्री / खरीद | 55 |
| 2.34 | प्राथमिक बाज़ार से संसाधन संग्रहण | 56 |
| 2.35 | म्यूचुअल फंडों द्वारा निवल संसाधन संग्रहण | 57 |
| 2.36 | संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल निवेश | 58 |
| 2.37 | शेयर बाजारों की प्रवृत्तियां | 58 |
| 2.38 | राष्ट्रीय शेयर बाजार में नकदी के मुकाबले डेरिवेटिव्स बाज़ार में कारोबार | 59 |
| 2.39 | बैंक समूहों के महत्वपूर्ण प्राचल (पैरामीटर) | 60 |
| 2.40 | शहरी सहकारी बैंक - चुनिंदा वित्तीय संकेतक | 60 |
| 2.41 | वित्तीय संस्थाएं - चुनिंदा निष्पादन संकेतक | 61 |
| 2.42 | एनबीएफसी - डी (आरएनबीसी को छोड़कर) के समेकित तुलनपत्र | 61 |
| 2.43 | अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) की प्रोफाइल | 62 |
| 2.44 | वृद्धि दरें - वैश्विक परिदृश्य | 63 |
| 2.45 | भारत का पण्य व्यापार | 65 |
| 2.46 | वैश्विक पण्य निर्यात में वृद्धि | 65 |
| 2.47 | प्रमुख पण्य निर्यात | 66 |
| 2.48 | भारतीय निर्यात के प्रमुख गंतव्य देश | 66 |
| 2.49 | भारत के प्रमुख आयात | 67 |
| 2.50 | भारत का चालू खाता | 68 |
| 2.51 | पूंजी प्रवाह (निवल) | 69 |
| 2.52 | श्रेणी के अनुसार विदेशी निवेश अंतर्वाह | 69 |
| 2.53 | विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल अंतर्वाह/बहिर्वाह | 70 |
| 2.54 | एनआरआइ जमाराशि योजनाओं के अंतर्गत अंतर्वाह | 70 |
| 2.55 | भारत का बाह्य ऋण | 71 |


*(जारी...)*

| सारणी सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 3.1 | बैंकों की संख्या, पूंजी और जमाराशियां | 76 |
| 3.2 | भारत में बैंकों की विफलता - 1913 से 1921 | 78 |
| 3.3 | सहकारी बैंकों की संख्या | 78 |
| 3.4 | भारत में बैंकों का प्रांतवार वितरण - 1930 | 79 |
| 3.5 | विफल बैंकों की पूंजी और आरक्षित निधियां | 79 |
| 3.6 | भारत में वाणिज्य बैंकों की संख्या तथा उनके पास रखी गई जमाराशियां | 80 |
| 3.7 | सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या तथा उनके पास रखी गई जमाराशियां | 82 |
| 3.8 | बैंक शाखाओं की संख्या : 1940-1945 | 83 |
| 3.9 | बैंकों की विफलता : 1936-1945 | 84 |
| 3.10 | भारतीय बैंकों की संख्या और जमाराशियां - दिसंबर 1947 के अंत में | 85 |
| 3.11 | वाणिज्य बैंकों का वितरण - दिसंबर 1947 के अंत में | 85 |
| 3.12 | विफल बैंकों की संख्या : 1947-1955 | 86 |
| 3.13 | समामेलित वाणिज्य बैंक : 1954-66 | 88 |
| 3.14 | परिसमापनाधीन वाणिज्य बैंक : 1954-66 | 89 |
| 3.15 | भारत में अनुसूचित और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 89 |
| 3.16 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन | 90 |
| 3.17 | अनुसूचित वाणिज्य बैंक - जमा संग्रहण | 92 |
| 3.18 | घरेलू क्षेत्र की बचत | 93 |
| 3.19 | वाणिज्य बैंकों का शाखा विस्तार | 94 |
| 3.20 | विभिन्न क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिम | 94 |
| 3.21 | बैंकों की कुल जमाराशियों और ऋणों में प्रमुख शहरों का हिस्सा : दिसंबर 1969 का अंत | 97 |
| 3.22 | वाणिज्य बैंकों का शाखा नेटवर्क | 98 |
| 3.23 | भारत में बैंक शाखाओं का क्षेत्रवार वितरण | 99 |
| 3.24 | अनुसूचित वाणिज्य बैंक - जमाराशियों की औसत वार्षिक वृद्धि दरें | 99 |
| 3.25 | देशी घरेलू क्षेत्र की बचत राशियां | 100 |
| 3.26 | कृषि के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिम | 101 |
| 3.27 | भारत में ग्रामीण बैंकिंग का विकास - 1969-1990 | 102 |
| 3.28 | विभिन्न क्षेत्रों को बैंक ऋण का वितरण - बकाया | 102 |


*(जारी...)*

| सारणी सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 3.29 | केन्द्र सरकार के चुनिंदा राजकोषीय संकेतक | 105 |
| 3.30 | नकदी आरक्षित निधि अनुपात में परिवर्तन - 1973-1989 | 105 |
| 3.31 | सांविधिक चलनिधि अनुपात में परिवर्तन - 1970-1990 | 105 |
| 3.32 | ब्याज दरों की संरचना - वाणिज्य बैंक | 106 |
| 3.33 | वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ | 107 |
| 3.34 | सीआरएआर की स्थिति - मार्च 1998 के अंत की स्थिति | 112 |
| 3.35 | वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरों में घटबढ़ | 115 |
| 3.36 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता के संकेतक | 115 |
| 3.37 | कृषि के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंक ऋण | 119 |
| 3.38 | विभिन्न सरणियों के माध्यम से एससीबी द्वारा वसूले गए अनर्जक अग्रिम | 122 |
| 3.39 | सकल और निवल अनर्जक आस्तियां | 122 |
| 3.40 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरएआर - 2007 | 123 |
| 3.41 | भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों में अनिवासियों द्वारा धारित बहुसंख्यक इक्विटी | 124 |
| 3.42 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आय में ब्याजेतर आय का हिस्सा | 124 |
| 3.43 | शहरी सहकारी बैंकों की वृद्धि | 132 |
| 3.44 | शहरी सहकारी बैंकों का श्रेणीकरण | 132 |
| 3.45 | सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कंप्यूटरीकरण | 133 |
| 3.46 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम | 133 |
| 3.47 | काग़ज़ आधारित बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन | 134 |
| 4.1 | प्राथमिक और द्वितीयक निर्गम | 146 |
| 4.2 | क्षेत्रों द्वारा वित्तीय प्रवाह | 147 |
| 4.3 | वाणिज्य बैंकों के लिए निधि प्रवाह खाते | 147 |
| 4.4 | बैंक जमाराशियों में वृद्धि | 148 |
| 4.5 | भारत में स्थित बैंक कार्यालयों की संख्या | 148 |
| 4.6 | अनुसूचित-वाणिज्य बैंकों के जमा खातों का जनसंख्या समूह-वार वितरण | 149 |
| 4.7 | घरेलू क्षेत्र की वित्तीय आस्तियां एवं देयताएं : वितरण का स्वरूप | 150 |
| 4.8 | अल्प बचत वसूली | 153 |
| 4.9 | बैंक जमाराशियों तथा अन्य अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की संरचना | 153 |


*(जारी...)*

| सारणी सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 4.10 | मीयादी जमाराशियों का ब्याज दर दायरा-वार वितरण | 154 |
| 4.11 | विभिन्न आय कर वर्गों के लिए अल्प बचत लिखतों पर उपलब्ध प्रभावी प्रतिलाभ दर | 154 |
| 4.12 | कुल जमाराशियों में जनसंख्या समूहों का हिस्सा | 155 |
| 4.13 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में हिस्सा : क्षेत्र-वार | 156 |
| 4.14 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों का विभिन्न प्रकारों में हिस्सा : क्षेत्र-वार | 156 |
| 4.15 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों का परिपक्वता-वार स्वामित्व स्वरूप | 157 |
| 4.16 | अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) जमाराशियां | 159 |
| 4.17 | बैंकों, गैर-बैंकों तथा इक्विटी बाज़ार द्वारा संसाधन संग्रहण (प्रवाह) | 161 |
| 4.18 | सकल देशी बचत दरें | 161 |
| 4.19 | जीडीपी की तुलना में बैंक जमाराशियों का अनुपात (सीपीआइ द्वारा अपस्फीत) : विभिन्न देशों के साक्ष्य | 162 |
| 4.20 | सकल देशी बचत दर : विभिन्न देशों के साक्ष्य | 163 |
| 4.21 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताएं - प्रमुख घटकों का हिस्सा (आरआरबी को छोड़कर) | 165 |
| 4.22 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ | 165 |
| 4.23 | यूनाइटेड स्टेट्स में कुल वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की आस्तियों का सापेक्ष्य हिस्सा | 167 |
| 5.1 | जोखिमों के प्रकार जिनका सामना बैंकों द्वारा किया जाता है | 180 |
| 5.2 | बासेल II के अनुपालन की समय-सूची और दृष्टिकोण - चुनिंदा देश | 198 |
| 5.3 | सरकारी क्षेत्र के बैंक - पुनःपूंजीकरण | 217 |
| 5.4 | सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सार्वजनिक निर्गम | 217 |
| 5.5 | निजी क्षेत्र के बैंकों के सार्वजनिक निर्गम | 217 |
| 5.6 | सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्वामित्व संरचना | 218 |
| 5.7 | अनुसूचित वाणिज्य बैंक - पूंजी निधि तथा जोखिम-भारित आस्तियां | 219 |
| 5.8 | पूंजी पर्याप्तता अनुपात : बैंक समूह-वार | 220 |
| 5.9 | सीआरएआर के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण | 220 |
| 5.10 | जोखिम-भारित आस्तियां तथा पूंजी अपेक्षाएं - परिदृश्य I के अंतर्गत अनुमान (9 प्रतिशत सीआरएआर) | 223 |


*(जारी...)*

| सारणी सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 5.11 | जोखिम-भारित आस्तियों में वृद्धि - पूंजी अपेक्षाएं - परिदृश्य II के अंतर्गत अनुमान (12 प्रतिशत सीआरएआर) | 224 |
| 5.12 | पूंजी का संयोजन - राष्ट्रीयकृत बैंक | 225 |
| 5.13 | सरकारी इक्विटी तथा उपलब्ध गुंजाइश - राष्ट्रीयकृत बैंक | 225 |
| 5.14 | अपेक्षित पूंजी (2007-08 से 2011-12) तथा उपलब्ध गुंजाइश - राष्ट्रीयकृत बैंक | 226 |
| 6.1 | बैंक ऋण की क्षेत्र-वार संवृद्धि दर | 241 |
| 6.2 | बैंकिंग क्षेत्र का ऋण-जीडीपी अनुपात - चयनित देश | 244 |
| 6.3 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का वितरण (कुल ऋण में अंश) | 245 |
| 6.4 | विभिन्न स्रोतों से किसान परिवारों का उधार | 248 |
| 6.5 | कृषि को छोटे उधार खाते (मार्च के अंत में) | 253 |
| 6.6 | कृषि क्षेत्र को वाणिज्य बैंक ऋण : चयनित देशों का सर्वेक्षण | 254 |
| 6.7 | कृषि क्षेत्र की वाणिज्य बैंक ऋण प्रधानता : चयनित देशों का सर्वेक्षण | 254 |
| 6.8 | भारतीय कंपनियों की निधियों के स्रोतों का स्वरूप | 260 |
| 6.9 | बैंकों द्वारा उद्योग को ऋण का प्रकार | 260 |
| 6.10 | कुल ऋण में उद्योग को ऋण का अंश - घटक-वार | 261 |
| 6.11 | उद्योग को वाणिज्य बैंक उधार : विभिन्न देशों का सर्वेक्षण (कुल बैंक ऋण में अंश) | 261 |
| 6.12 | औद्योगिक क्षेत्र की वाणिज्य बैंक ऋण प्रधानता : चयनित देशों का सर्वेक्षण | 262 |
| 6.13 | उद्योग और लघु उद्योग क्षेत्र को बैंक ऋण | 263 |
| 6.14 | लघु उद्योग क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) | 263 |
| 6.15 | कुल ऋण में छोटे और मझौले उद्यमों (एसएमई) को ऋण का अंश (बैंक समूह-वार) | 264 |
| 6.16 | लघु उद्योगों के स्वामित्व की संरचना | 266 |
| 6.17 | वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ (बाधा की 'प्रमुख' अथवा 'मामूली' रेटिंग वाली फर्मों का प्रतिशत) | 270 |
| 6.18 | चयनित देशों में फर्मों के वित्तपोषण का स्वरूप | 271 |
| 6.19 | निजी क्षेत्र की बुनियादी संरचना के लिए वित्तपोषण के स्रोत | 272 |
| 6.20 | बुनियादी संरचना क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण | 275 |
| 6.21 | बुनियादी संरचना को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण : क्षेत्र-वार - बकाया | 276 |


*(जारी...)*

| सारणी सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 6.22 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना क्षेत्र को निवल ऋण की उपलब्धता | 276 |
| 6.23 | बुनियादी संरचना क्षेत्र को विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) द्वारा संवितरित ऋण | 277 |
| 6.24 | बुनियादी संरचना क्षेत्र को वाणिज्य बैंक ऋण : चयनित देशों का सर्वेक्षण | 277 |
| 6.25 | आवास ऋणों की वृद्धि | 278 |
| 6.26 | बैंक ऋण की संरचना : विभिन्न देशों के बीच तुलना | 280 |
| 6.27 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश | 284 |
| 6.28 | कुल आस्तियों में निवेश का अंश : चयनित देश | 285 |
| 7.1 | वित्तीय समावेशन/वंचन के परिभाषात्मक पहलू | 297 |
| 7.2 | मूलभूत/'नो फ्रिल्स' खाते - चयनित देशों में प्रमुख विशेषताएँ | 307 |
| 7.3 | भारत का स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम और बंगला देश का ग्रामीण बैंक मॉडल : प्रमुख विशेषताएँ | 311 |
| 7.4 | ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या | 319 |
| 7.5 | बकाया परिवारों का ऋण | 319 |
| 7.6 | प्रति ऋणग्रस्त परिवार बकाया ऋण | 320 |
| 7.7 | परिवारों की ऋणग्रस्तता - आस्ति धारिता-वार | 320 |
| 7.8 | ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या - संस्थागत बनाम गैर-संस्थागत स्रोत | 321 |
| 7.9 | बकाया परिवारों का ऋण - संस्थागत बनाम गैर-संस्थागत स्रोत | 322 |
| 7.10 | संस्थागत और गैर-संस्थागत ऋण एजेंसियों में ऋणग्रस्त परिवारों का वितरण | 323 |
| 7.11 | आय समूहों द्वारा ऋणों के स्रोत - आइआइएमएस सर्वेक्षण | 324 |
| 7.12 | परिवारों द्वारा लिये गये ऋणों का प्रयोजन - एनएसएसओ सर्वेक्षण | 324 |
| 7.13 | अर्जकों द्वारा लिए गए ऋणों का प्रयोजन - आइआइएमएस सर्वेक्षण 2007 | 325 |
| 7.14 | कृषि में और बैंक ऋण में वार्षिक औसत संवृद्धि दरें | 326 |
| 7.15 | प्रति बैंक शाखा जनसंख्या | 327 |
| 7.16 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास ऋण खाते | 327 |
| 7.17 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास ऋण खाते - क्षेत्र-वार | 328 |
| 7.18 | ऋण खातों की संख्या और ऋण सीमा के आकार के अनुसार बकाया ऋण - सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 328 |


*(जारी...)*

| सारणी सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 7.19 | सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण खातों की संख्या - मुद्रास्फीति समायोजित ऋण सीमा | 329 |
| 7.20 | भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण खाते/राशियाँ | 329 |
| 7.21 | प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस)की प्रगति | 330 |
| 7.22 | स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम | 330 |
| 7.23 | बैंकों के साथ सहबद्ध स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) का क्षेत्रीय स्वरूप | 330 |
| 7.24 | भारत में कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण प्रवाह | 331 |
| 7.25 | संस्थाओं के पास ऋण खातों की संख्या | 332 |
| 7.26 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास बचत खाते | 332 |
| 7.27 | अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बचत खाते | 333 |
| 7.28 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास बचत खाते | 333 |
| 7.29 | भारत में खोले गये नो फ्रिल्स खातों की संख्या | 334 |
| 7.30 | बैंक खाता रखनेवाले अर्जक - 2007 | 334 |
| 7.31 | संस्थाओं के पास बचत खातों की संख्या | 335 |
| 7.32 | बीमा व्यापन अनुपात - चयनित देश - 2005 | 335 |
| 7.33 | एआइडीआइएस और बीएसआर डेटा की तुलना - वाणिज्य बैंकों के प्रति परिवारों की ऋणग्रस्तता | 336 |
| 7.34 | आस्तियों और नो-फ्रिल्स खातों पर प्रतिलाभ - चयनित बैंक | 339 |
| 7.35 | भारत में विभिन्न एजेंसियों से ऋण की लागत | 340 |
| 7.36 | व्यष्टि-वित्त संस्थाओं के प्रभार | 340 |
| 7.37 | विभिन्न प्रौद्योगिकियों के गुण और दोष | 341 |
| 8.1 | विभिन्न देशों के बीच बैंक विलय और अभिग्रहण | 353 |
| 8.2 | वाणिज्य बैंकों की संख्या | 354 |
| 8.3 | भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद समामेलित बैंक | 357 |
| 8.4 | भारत में निजी क्षेत्र के नये बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा बैंक विलय | 360 |
| 8.5 | विश्व के शीर्षस्थ 1000 बैंकों में भारतीय बैंकों का स्थान | 360 |
| 8.6 | चयनित देशों के सबसे बड़े बैंकों की तुलना में भारत के सबसे बड़े बैंक का सापेक्ष आकार | 361 |
| 8.7 | विभिन्न देशों में बैंकिंग संकेंद्रण अनुपात की प्रवृत्ति | 364 |
| 8.8 | हेरफिंडाहल-हिर्शमैन सूचकांक | 365 |


*(जारी...)*

| सारणी सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 8.9 | अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में बैंकिंग प्रणाली का आकार | 371 |
| 8.10 | सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की आस्तियों की मात्रा और बैंकिंग संकट | 377 |
| 8.11 | विकासशील क्षेत्रों में विदेशी और देशी बैंक कार्यनिष्पादन के संकेतक - 1998-2005 (औसत) | 383 |
| 8.12 | भारत में विदेशी बैंक | 384 |
| 9.1 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों की तुलना में परिचालन लागत | 397 |
| 9.2 | चुनिंदा देशों में वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों की तुलना में परिचालन लागत | 399 |
| 9.3 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की आय की तुलना में लागत अनुपात | 400 |
| 9.4 | चुनिंदा देशों में वाणिज्यिक बैंकों की आय की तुलना में लागत अनुपात | 401 |
| 9.5 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की अर्जक आस्तियों की प्रति इकाई श्रम लागत | 402 |
| 9.6 | चुनिंदा देशों में वाणिज्यिक बैंकों की अर्जक आस्तियों की तुलना में कार्मिक व्ययों का अनुपात | 403 |
| 9.7 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की अर्जक आस्तियों की प्रति इकाई गैर-श्रम लागतें | 404 |
| 9.8 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की गैर-श्रम लागत की तुलना में श्रम लागत का अनुपात | 405 |
| 9.9 | चुनिंदा देशों में वाणिज्यिक बैंकों की कुल अर्जक आस्तियों की तुलना में गैर श्रम लागतों का अनुपात | 406 |
| 9.10 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की मध्यस्थता लागतें | 406 |
| 9.11 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों की तुलना में निवल ब्याज मार्जिन का अनुपात | 407 |
| 9.12 | चुनिंदा देशों में वाणिज्यिक बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन | 410 |
| 9.13 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की कुल आय में अन्य आय का अंश | 411 |
| 9.14 | चुनिंदा देशों में वाणिज्यिक बैंकों की कुल आय की तुलना में अन्य परिचालनगत आय का अनुपात | 412 |
| 9.15 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों का प्रति कर्मचारी कारोबार | 413 |
| 9.16 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों का प्रति इकाई श्रम लागत कारोबार | 414 |
| 9.17 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों का प्रति शाखा कारोबार | 415 |
| 9.18 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की प्रति शहरी/महानगरीय शाखा कारोबार | 416 |
| 9.19 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ | 416 |
| 9.20 | चुनिंदा देशों में वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ | 417 |
| 9.21 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों की इक्विटी पर प्रतिलाभ | 418 |
| 9.22 | चुनिंदा देशों में वाणिज्यिक बैंकों के इक्विटी पर प्रतिलाभ | 419 |


*(जारी...)*

| सारणी सं. | शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 9.23 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों के उत्पादकता अनुपात की एक झलक | 420 |
| 9.24 | बैंक समूहवार कार्य-कुशलता के स्तर | 423 |
| 9.25 | कार्य-कुशलता की आवृत्ति का वितरण | 424 |
| 9.26 | बैंकों की कार्य-कुशलता श्रेणी | 426 |
| 9.27 | कुल उपादान उत्पादकता परिवर्तन | 434 |
| 9.28 | भारत में वाणिज्य बैंको का जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात | 435 |
| 9.29 | चुनिंदा देशों में वाणिज्य बैंको की कुल आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात | 436 |
| 9.30 | भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक आस्तियां | 437 |
| 9.31 | चुनिंदा देशों में वाणिज्यिक बैंकों के सकल ऋणों की तुलना में क्षतिग्रस्त ऋणों का अनुपात | 438 |
| 10.1 | सुपर विनियामक ढांचे वाले देश | 463 |
| 10.2 | सिद्धांत आधारित विनियमन के रणनीतिक ध्येय और संकेतक | 468 |
| 10.3 | सुस्पष्ट निक्षेप बीमा प्रणाली के तहत जोखिम आधारित प्रीमियम वाले देश | 475 |

# संक्षेपाक्षर

| | | |
|---|---|---|
| एबीए | - | आस्ट्रेलियाई बैंकर संघ |
| एबीएस | - | आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां (एबीएस) |
| एसीएफ | - | स्व-सहसंबंध कार्य |
| एडीबी | - | एशियाई विकास बैंक |
| एडीआइ | - | जमा लेने वाली प्राधिकृत संस्थाएं |
| एडीआर | - | अमरीकी निक्षेपागार रसीद |
| एई | - | आबंटनात्मक दक्षता |
| एएफआइ | - | वार्षिक वित्तीय निरीक्षण |
| एएफएस | - | बिक्री के लिए उपलब्ध |
| एएचसी | - | आस्ति-धारक कंपनियां |
| एआइडीआइएस | - | अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण |
| एआइएफआइ | - | अखिल भारतीय वित्तीय संस्था |
| एआइजी | - | समझौता कार्यान्वयन दल |
| ए-आइआरबी | - | उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण |
| एआइआरसीएस | - | अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण |
| एआइ | - | प्राधिकृत संस्थाएं |
| एएलसीओ | - | आस्ति देयता प्रबंधन समिति |
| एएलएम | - | आस्ति देयता प्रबंधन |
| एएमए | - | उन्नत माप दृष्टिकोण |
| एएनबीसी | - | समायोजित निवल बैंक ऋण |
| एपीएमएएस | - | आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि समिति |
| एपीआरए | - | आस्ट्रेलियन प्रूडेन्शियल रेगुलेशन अथॉरिटी |
| एआरसी(कृपुनि) | - | कृषि पुनर्वित्त निगम |
| एआरसी | - | आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी |
| एआरडीसी | - | कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम |
| अरिमा | - | स्वप्रतिगामी समन्वित चल औसत |
| एएसए | - | वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण |
| एएस | - | लेखांकन मानक |
| एटीएफ | - | अविएशन टर्बाइन फ्यूएल |
| एटीएम | - | स्वचालित टेलर मशीन |
| बीएएसी | - | कृषि तथा कृषि सहकारिताओं के लिए बैंक |
| बीएएफआइएन | - | जर्मन फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी |
| बीसीबीएस | - | बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति |
| बीसीपी(कानियो) | - | कारोबार निरंतरता योजना |
| बीसीपी | - | बासेल मूल सिद्धांत |
| बीसी | - | व्यवसाय संपर्की |
| बीसीएसबीआइ | - | भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड |
| बअ | - | बजट अनुमान |
| बीईईपीएस | - | कारोबार वातावरण तथा उद्यम कार्यनिष्पादन सर्वेक्षण |
| बीएफ | - | व्यवसाय सुसाध्यकर्ता |
| बीएफएस | - | वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड |
| बीजीएफआरएस | - | फेडरल रिज़र्व प्रणाली के लिए गवर्नरों का बोर्ड |
| बीएचसी | - | बैंक धारक कंपनी |
| बीआइए | - | मूल संकेतक दृष्टिकोण |
| बीआइएस | - | अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक |
| बीओई | - | बैंक ऑफ इंग्लैंड |
| बीओजे | - | बैंक ऑफ जापान |
| बीओपी | - | भुगतान संतुलन |
| बीओटी | - | बैंक ऑफ थाईलैंड |
| बीपीएलआर | - | बैंचमार्क मूल उधार दर |
| बीपीओ | - | बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग |
| बीआर ऐक्ट | - | बैंककारी विनियमन अधिनियम |
| बीआरएसी | - | समुदायों के बीच संसाधन निर्माण |
| बीआरआइ | - | बैंक रकयात इंडोनेशिया |
| बीएसई | - | बम्बई शेयर बाजार |
| बीएसपी | - | बैंग्को सेंट्रल एनजी फिलीपिनास |

| | | |
|---|---|---|
| बीएसआर | - | मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी |
| सीएएलसीएस | - | पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि, अनुपालन और प्रणाली |
| सीएएमइएलएस | - | पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, आय, चलनिधि, प्रणाली और नियंत्रण |
| सीएआर | - | आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात |
| सीएआरइ | - | ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लिमिटेड |
| सीएएस | - | ऋण प्राधिकरण योजना |
| सीबीएफए | - | कमीशन बेनकैरे, फिनान्सियर एट डेस अश्यूरैंसेज |
| सीबीएलओ | - | संपार्श्विकीकृत उधार लेने और ऋण देने का दायित्व |
| सीबीआरए | - | कारोबार विनियामक एजेंसी का व्यवहार |
| सीबीएस | - | कोर बैंकिंग प्रणाली |
| सीबीएसआर | - | बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर समिति |
| सीडीआइसी | - | केनडा जमा बीमा निगम |
| सीडीएमए | - | कोड डिविजन मल्टिपल ऐक्सेस |
| सीडीओ | - | संपर्श्विकीकृत ऋण दायित्व |
| सीडीआर | - | कपनी ऋण पुनर्विन्यास |
| सीडी | - | जमा प्रमाणपत्र |
| सीडीएस | - | ऋण चूक स्वैप |
| सीई | - | लागत दक्षता |
| सीईओ | - | मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| सीईपीएस | - | सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज |
| सीएफईएस | - | केंद्रीकृत निधि जांच प्रणाली |
| सीएफएल | - | कॉम्पैक्ट फ्ल्यूरोसेंट लैंप |
| सीएएफएमएस | - | केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली |
| सीएफएस | - | वित्तीय प्रणाली पर समिति |
| सीएफएस | - | समेकित वित्तीय विवरण |
| सीएफटीएस | - | केंद्रीकृत निधि अंतरण प्रणाली |
| सीजी | - | पूंजीगत माल |
| सिबिल | - | ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड |
| सीएलएन | - | ऋण संबद्ध नोट |
| सीएमडी | - | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| सीओआर | - | पंजीकरण प्रमाणपत्र |
| सीपी | - | वाणिज्यिक पत्र |
| सीपीआइ-एएल | - | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि मज़दूर) |
| सीपीआइ -आइडब्ल्यू | - | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार) |
| सीपीआइ-आरएल | - | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण भूमिका) |
| सीपीआइ-यूएनएमइ | - | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी श्रमेतर कर्मचारी) |
| सीपीएसबी | - | कॉर्प प्रगति सेविंग्ज बैंक |
| सीपीएसएमएस | - | केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली |
| सीआरए | - | समुदाय पुनर्निवेश अधिनियम |
| सीआरएआर | - | जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात |
| सीआरसीएस | - | सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक |
| सीआरडी | - | पूंजी अपेक्षाओं संबंधी निदेश |
| क्रिसिल | - | भारतीय साख-निर्धारण सूचना सेवा लिमि. |
| सीआरएम | - | ऋण जोखिम शमन |
| सीआरआर | - | नकदी आरक्षित अनुपात |
| सीएसओ | - | केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन |
| सिसोसं | - | सिविल सोसाइटी संगठन |
| डीसीसी | - | जिला परामर्शदात्री समिति |
| डीसीसीबी | - | जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक |
| डीईए | - | डेटा एनवलपमेंट दृष्टिकोण |
| डीई | - | पदनामित संस्थाएं |
| डीएफआइ | - | विकास वित्त संस्था |
| डीएफएसए | - | डेनिश फिनान्शियल सुपरवाइजरी ऑथारिटी |
| डीजीसीआइ एण्ड एस | - | वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय |
| डीआइसीजीसी | - | निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम |

| | | |
|---|---|---|
| डीआइएस | - | जमा बीमा प्रणाली |
| डीएमयू | - | निर्णायक यूनिट |
| डीओटी | - | कोषागार विभाग |
| डीआरआइ | - | विभेदक ब्याज दर |
| डीआरटी | - | ऋण वसूली न्यायाधिकरण |
| ईएडी | - | चूक पर एक्सपोजर |
| ईबीजी | - | इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग समूह |
| ईसी | - | आर्थिक पूंजी |
| ईसीए | - | बाह्य क्रेडिट एजेंसी |
| ईसीएए | - | बाह्य क्रेडिट निर्धारण एजेंसी |
| ईसीबी(यूसेंबैं) | - | यूरोपियन सेंट्रल बैंक |
| ईसीबी | - | बाह्य वाणिज्यिक उधार |
| ईईई | - | मुक्त-मुक्त-मुक्त |
| ईईटी | - | मुक्त-मुक्त-करयुक्त |
| ईएफटी | - | इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण |
| ईएल | - | प्रत्याशित हानि |
| ईएमई | - | ऊभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं |
| ईएमआई | - | समीकृत मासिक किस्त |
| ईएमयू | - | यूरोपीय मौद्रिक संघ |
| ईएनएसआर | - | सामाजिक तथा आर्थिक अनुसंधान हेतु यूरोपियन नेटवर्क |
| ईपीओएस | - | बिक्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट |
| ईआरएम | - | उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन |
| ईयू | - | यूरोपीय संघ |
| एग्ज़िम बैंक | - | निर्यात-आयात बैंक |
| एफसीएसी | - | पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता |
| एफसीएसी | - | फाइनान्शियल कस्टमर एजेन्सी ऑफ केनडा |
| एफसीएनआर (ए) | - | विदेशी मुद्रा अनिवासी (खाता) |
| एफसीएनआर (बैंक) | - | विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) |
| एफडीआइ | - | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश |
| एफडीआइसी | - | फेडरल जमा बीमा निगम |
| एफएचसी | - | वित्तीय धारक कंपनी |
| एफआइ | - | वित्तीय संस्थाएं |
| एफआइआइ | - | विदेशी संस्थागत निवेशक |
| एफ-आइआरबीए | - | मूल आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण |
| एफआइ (वि.म.सं.) | - | वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं |
| एफएमसीजी | - | शीघ्र खपत वाले उपभोक्ता माल |
| एफओएफ | - | निधि प्रवाह |
| एफओएमसी | - | फेडरल ओपेन मार्केट कमिटी |
| एफआरए | - | वायदा दर करार |
| एफआरबी | - | फेडरल रिज़र्व बैंक |
| एफआरबीएम | - | राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन |
| एफआर बीएसएफ | - | फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सॅन फ्रान्सिस्को |
| एफआरएल | - | राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान |
| एफआरएल | - | पूर्ण जलाशय स्तर |
| एफएसए | - | वित्तीय सेवा प्राधिकारी |
| एफएसएफ | - | वित्तीय स्थिरता मंच |
| एफएसआइ | - | वित्तीय स्थिरता संस्थान |
| जीएटीएस | - | व्यापार एवं सेवा संबंधी सामान्य करार |
| जीबी | - | ग्रामीण बैंक |
| जीसीसी | - | सामान्य क्रेडिट कार्ड |
| जीडीसीएफ | - | सामान्य देशी पूंजी निर्माण |
| जीडीपी | - | सकल देशी उत्पाद |
| जीडीआर | - | वैश्विक निक्षेपागार रसीद |
| जीडीएस | - | सकल देशी बचत |
| जीएफडी | - | सकल राजकोषीय घाटा |
| जीएलबी अधिनियम | - | ग्राम-लीच-ब्लीले अधिनियम |
| जीएनआइई | - | सरकारी जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं |
| जीओआइ | - | भारत सरकार |

| | | |
|---|---|---|
| जीओएलडी | - | वैश्विक परिचालनात्मक हानि डेटाबेस |
| जीपीआरएस | - | जनरल पैकेट रेडियो सेवा |
| जीवी | - | ग्राम विडियाल |
| एचडीएफसी | - | आवास विकास वित्त निगम |
| एचएफसी | - | आवास वित्त कंपनियां |
| एचएफटी | - | ट्रेडिंग के लिए धारित |
| एचएचआइ | - | हरफिंडाल-हिरश्चमन सूचकांक |
| एचकेएमए | - | हांक-कांग मौद्रिक प्राधिकारी |
| एचएसबीसी | - | हांग-कांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन |
| एचटीएम | - | परिपक्वता तक धारित |
| आइएडीआइ | - | जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ |
| आइएआइएस | - | बीमा पर्यवेक्षकों का अंतरराष्ट्रीय संघ |
| आइएवाइ | - | इंदिरा आवास योजना |
| आइबीए | - | भारतीय बैंक संघ |
| आइबीएल | - | अंतर बैंक देयताएं |
| आइसीएएपी | - | आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया |
| आइसीएआइ | - | भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान |
| आइसीआरए | - | निवेश सूचना तथा साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी |
| आइसीएस | - | निवेश वातावरण सर्वेक्षण |
| आइडीए | - | व्यक्तिगत विकास लेखा |
| आइडीबीआइ | - | भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड |
| आइडीआरबीटी | - | बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान |
| आइएफसीआइ | - | भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड |
| आइएफआर | - | निवेश घट-बढ़ रिजर्व |
| आइआइबीआइ | - | भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड |
| आइआइएमएस | - | भारतीय निवेश बाजार समाधान |
| आइआइपी | - | औद्योगिक उत्पादन सूचकांक |
| आइएमए | - | आंतरिक माप दृष्टिकोण |
| आइएमडी | - | भारतीय मौसम विभाग |
| आइएमडी | - | इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स |
| आइएमएफ | - | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष |
| इंफीनेट | - | भारतीय वित्तीय नेटवर्क |
| आइओएससीओ | - | प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय संगठन |
| आइपीडीआइ | - | नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखतें |
| आइपीओ | - | प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव |
| आइआरबीए | - | आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण |
| आइआरडीए | - | बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण |
| आइआरआर | - | ब्याज दर जोखिम |
| आइआरएस | - | ब्याज दर स्वैप |
| आइएसओ | - | अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन |
| आइटी | - | सूचना प्रौद्योगिकी |
| आइटीबी | - | मध्यवर्ती खजाना बिल |
| आइटीईएस | - | सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं |
| आइटीई | - | अंतः समूह लेनदेन तथा एक्सपोजर |
| जेएनएनयूआरएम | - | जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन |
| केसीसी | - | किसान क्रेडिट कार्ड |
| केयूएमक्यूआरपी | - | कियो यूनिवर्सिटी मार्केट क्वालिटी रिसर्च प्रोजेक्ट |
| केवाइसी | - | अपने ग्राहक को जानिए |
| एलएएफ | - | चलनिधि समायोजन सुविधा |
| एलबीएस | - | अग्रणी बैंक योजना |
| एलडीए | - | हानि वितरण दृष्टिकोण |
| एलडीसी | - | न्यूनतम विकसित देश |
| एलजीडी | - | चूक पर हानि |
| एलआइसी | - | भारतीय जीवन बीमा निगम |
| एलआइएचटीसी | - | कम-आय आवास-कर ऋण |
| एलओएलआर | - | अंतिम उधारदाता |
| एलपीए | - | दीर्घावधि औसत |
| एलपीजी | - | लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस |
| एलटीओ | - | दीर्घावधि परिचालन |

| | | |
|---|---|---|
| एम एण्ड ए | - | विलयन और अधिग्रहण |
| एम3 | - | व्यापक मुद्रा |
| एमएएस | - | मॉनिटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापुर |
| एमबीएस | - | बंधक समर्थित प्रतिभूतियां |
| एम-सीआरआइएल | - | माइक्रो क्रेडिट रेटिंगज इंटरनेशलन लिमिटेड |
| एमएफआइ | - | लघु वित्त संस्थान |
| माइकर | - | चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान |
| एमआइएस | - | प्रबंध सूचना प्रणाली |
| एमएलआर | - | न्यूनतम उधार दर |
| एमयू | - | सहमति ज्ञापन |
| एमपीबीएफ | - | अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त |
| एमपीसी | - | मौद्रिक नीति समिति |
| एमपीआइ | - | मालक्विस्ट उत्पादकता सूचकांक |
| एमएसएमई | - | व्यष्टि ,लघु एवं मझौले उद्यम |
| एमएसएमईडी | - | व्यष्टि ,लघु एवं मझौले उद्यम विकास |
| एमएसएस | - | बाजार स्थिरीकरण योजना |
| नाबार्ड | - | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक |
| नैसकॉम | - | सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का राष्ट्रीय संघ |
| एनबीसी | - | निवल बैंक ऋण |
| एनबीएफसी एनडी-एसआइ | - | प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी |
| एनबीएफसी | - | गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां |
| एनसीएईआर | - | राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद |
| एनसीएएफ | - | नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा |
| एनसीसी | - | राष्ट्रीय ऋण परिषद |
| एनसीडीसी | - | राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम |
| एनसीडी | - | अपरिवर्तनीय डिबेंचर |
| एनडीएस | - | तयशुदा लेनदेन प्रणाली |
| एनडीएस-ओएम | - | तयशुदा लेनदेन प्रणाली - ऑर्डर मैचिंग |
| एनडीटीएल | - | निवल मांग और मीयादी देयताएं |
| एनईईआर | - | सांकेतिक प्रभाव विनिमय दर |
| एनईएफटी | - | राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण |
| एनएफसी | - | नीयर फील्ड कम्युनिकेशन |
| एनजीओ | - | गैर सरकारी संगठन |
| एनएचबी | - | राष्ट्रीय आवास बैंक |
| एनआइएम | - | निवल ब्याज मार्जिन |
| एनएमएफआइ | - | वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय आयोग |
| एनएनपीए | - | निवल अनर्जक आस्तियां |
| एनपीए | - | अनर्जक आस्तियां |
| एनपीएल | - | अनर्जक ऋण |
| एनआर(ई) आरए | - | अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता |
| एनआर | - | अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) |
| (एनआर) आरडी | | रुपया जमा |
| एनआरईजीएस | - | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना |
| एनआरएफ आइपी | - | राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन योजना |
| एनआरआइ | - | अनिवासी भारतीय |
| एनआरओ | - | अनिवासी साधारण |
| एनएससी | - | राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र |
| एनएसई | - | राष्ट्रीय शेयर बाजार |
| एनएसके एफडीसी | - | राष्ट्रीय सफाई कमचारी वित्त एवं विकास निगम |
| एनएसएसएफ | - | राष्ट्रीय अल्प बचत निधि |
| एनएसएसओ | - | राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन |
| एनटीआर | - | करेतर राजस्व |
| ओबीसी | - | ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स |
| ओबीई | - | तुलनपत्र - बाह्य एक्सपोजर |
| ओडी | - | ओवरड्राफ्ट |
| ओईसीडी | - | आर्थिक सहयोग और विकास संगठन |
| ओएफआइ | - | अन्य वित्तीय संस्थाएं |
| ओएफएसए | - | ओरैकल फाइनान्शियल सर्विसेज एप्लीकेशन |

| | | |
|---|---|---|
| ओएमओ | - | खुला बाजार परिचालन |
| ओएमएस | - | खुला बाजार बिक्री |
| ओएनजीसी | - | तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग |
| ओपीईसी | - | पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन |
| ऑसमॉस | - | परोक्ष चौकसी और निगरानी प्रणाली |
| ओएसएस | - | परोक्ष चौकसी प्रणाली |
| ओटीएस | - | एकबारगी निपटान |
| ओडब्ल्यूएस | - | अन्य कल्याणकारी योजनाएं |
| पी/ई | - | अर्जन की तुलना में मूल्य |
| पीए | - | पासपोर्ट खाता |
| पीएसीएफ | - | आंशिक स्व-सहसंबंध कार्य |
| पीएसीएस | - | प्राथमिक कृषि ऋण समिति |
| पीएटी | - | करोत्तर लाभ |
| पीबीसी | - | पीपल्स बैंक ऑफ चाइना |
| पीबीटी | - | कर पूर्व लाभ |
| पीसीए | - | त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई |
| पीसीएफसी/ ईबीआर | - | विदेशी मुद्रा में लदानपूर्व ऋण / निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई |
| पीसीपीएस | - | शाश्वत संचयी अधिमान शेयर |
| पीडी | - | चूक की संभाव्यता |
| पीडी | - | प्राथमिक व्यापारी |
| पीडीसीएफ | - | प्राथमिक व्यापारी ऋण सुविधा |
| पीडीएस | - | सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
| पीएफआरए | - | विवेकसम्मत वित्तीय विनियामक एजेंसी |
| पीएफआरडीए | - | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण |
| पीआइएन | - | व्यक्तिगत पहचान संख्या |
| पीआइओ | - | प्रधान निरीक्षक अधिकारी |
| पीएलआर | - | मूल उधार दर |
| पीएनसीपीएस | - | शाश्वत असंचयी अधिमान शेयर |
| पीओएस | - | बिक्री बिंदु |
| पीपीपी | - | सरकारी निजी सहभागिता |
| पी-आर | - | पेन्ज़र-रोस |
| पीएसबी | - | सरकारी क्षेत्र के बैंक |
| पीएसयू | - | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम |
| क्यूआइएस-5 | - | पांचवां परिणामात्मक प्रभाव अध्ययन |
| आरबीएपी एमएबीएस | - | रूरल बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ दि फिलिपीन्स मैक्रोएन्टरप्राइज ऐक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज |
| आरबीआइ | - | भारतीय रिज़र्व बैंक |
| आरबीएस | - | जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण |
| आरसीपीएस | - | मोचनीय संचयी अधिमान शेयर |
| आरसी | - | पुनर्निर्माण कंपनी |
| आरसीएस | - | सहकारी समिति के रजिस्ट्रार |
| आरडी | - | राजस्व घाटा |
| आरई | - | संशोधित अनुमान |
| आरईईआर | - | वास्तविक प्रभावी विनिमय दर |
| आरएफआइडी | - | रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस |
| आरआइबी | - | रीसर्जेंट इंडिया बांड |
| आरआइडीएफ | - | ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि |
| आरएनबीसी | - | अविशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी |
| आरएनसीपीएस | - | मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर |
| आरओए | - | आस्तियों पर प्रतिलाभ |
| आरओई | - | इक्विटी पर प्रतिलाभ |
| आरपीओ | - | सुधार बिंदु उद्देश्य |
| आरपीटी | - | जोखिम प्रोफाइल टेंप्लेट |
| आरआरबी | - | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
| आरटीसीपी | - | ग्रामीण रूपांतरण केंद्र कार्यक्रम |
| आरटीजीएस | - | तत्काल सकल निपटान |
| आरटीओ | - | सुधार समय उद्देश्य |
| आरटीपी | - | आरक्षित श्रृंखला स्थिति |
| आरडब्ल्यूए | - | जोखिम-भारित आस्तियां |
| एसए | - | मानकीकृत दृष्टिकोण |
| सरफेसी | - | वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनःसंरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन |

| | | |
|---|---|---|
| एसबीआइ | - | भारतीय स्टेट बैंक |
| एसबीआइटीसीए | - | एसबीआई टाइनी कार्ड खाता |
| एसबीपी | - | स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान |
| एससी | - | अनुसूचित जाति |
| एससीबी | - | राज्य सहकारी बैंक |
| एससीबी | - | अनुसूचित वाणिज्य बैंक |
| एससीआइ एलएल | - | स्टैंडर्ड चार्टर्ड इनवेस्टमेंट एंड लोन्स लिमिटेड |
| एससी(प्रकं) | - | प्रतिभूतिकरण कंपनी |
| एसडीए | - | मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण |
| एसडीआर | - | विशेष आहरण अधिकार |
| सेबी | - | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड |
| एसईडीएफ | - | लघु उद्यम विकास निधि |
| एसईयू | - | सोशल एक्सक्लूजन यूनिट |
| एसएफसी | - | सिक्यूरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन |
| एसएचजी | - | स्वयं-सहायता समूह |
| एसएचपीआइ | - | स्वयं-सहायता संवर्धन संस्था |
| सिडबी | - | भारतीय लघु उद्योग विकास संस्था |
| एसआइएफआइ | - | प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं |
| एसआइएम | - | अभिदाता पहचान मोड्यूल |
| एसआइवी | - | विशेष निवेश |
| एसएलबीसी | - | राज्य स्तरीय बैंकर समिति |
| एसएलआर | - | सांविधिक चलनिधि अनुपात |
| एसएमए | - | मौसमी चल औसत |
| एसएमई | - | लघु और मझौले उद्यम |
| एसएमईआरए | - | लघु और मझौले उद्यम दर-निर्धारण एजेंसी |
| एसएमओ | - | विशेष बाजार परिचालन |
| एसएमएस | - | लघु संदेश सेवा |
| एसएनबी | - | स्विस नेशनल बैंक |
| एसएनडी | - | गौण नोट तथा डिबेंचर |
| एसपीवी | - | विशेष प्रयोजन माध्यम |
| एसआरईपी | - | पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया |
| एसआरपी | - | पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया |
| एसएसए | - | सरलीकृत मानकीकृत दृष्टिकोण |
| एसएसआइ | - | लघु उद्योग |
| एसएसपी | - | सामाजिक सुरक्षा पेंशन |
| एसटी | - | अनुसूचित जनजाति |
| एसटीसीसीएस | - | अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना |
| टीएएफ | - | मीयादी नीलामी सुविधा |
| टैफकब | - | शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में कार्यबल |
| टीएपी | - | टेक्स्ट - ए - पेमेंट |
| टीबी | - | थ्रिफ्ट बैंक |
| टीबीए | - | संपूर्ण शाखा स्वचालन |
| टीई | - | तकनीकी कार्यक्षमता |
| टीएफसी | - | बारहवां वित्त आयोग |
| टीएफसीआइ | - | भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड |
| टीएफपी | - | समग्र कारक उत्पादकता |
| टीपीडीएस | - | लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
| टीआरएम | - | ट्रेडिंग जोखिम प्रबंधन |
| टीआरएस | - | कुल प्रतिलाभ स्वैप |
| यूएएसएल | - | एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस |
| यूसीबी | - | शहरी सहकारी बैंक |
| यूसीसी | - | शहरी ऋण सहकारिता |
| यूडी | - | यूनिट देसाई |
| यूआइ | - | यूजर इंटरफेस |
| यूके | - | युनाइटेड किंगडम |
| यूएल | - | अप्रत्याशित हानि |
| यूएसए | - | संयुक्त राज्य अमरीका |
| यूटी | - | संघशासित प्रदेश |
| यूटीआइ | - | भारतीय यूनिट ट्रस्ट |
| वीएआर | - | जोखिम पर मूल्य |

| | | |
|---|---|---|
| वीएटी | - | मूल्यवर्धित कर |
| वीसीएफ | - | जोखिम पूंजी निधी |
| बीआरएस | - | स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना |
| वीएसएटी | - | वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल |
| डब्ल्यूएडीआर | - | भारित औसत बट्टा दर |
| डब्ल्यूबीइएस | - | विश्व कारोबार वातावरण सर्वेक्षण |
| डब्ल्यूसीटीएल | - | कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण |
| डब्ल्यूडीआइ | - | विश्व विकास संकेतक |
| डब्ल्यूएमए | - | अर्थोपाय अग्रिम |
| डब्ल्यूओएस | - | पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था |
| डब्ल्यूपीआइ | - | थोक मूल्य सूचकांक |
| डब्ल्यूटीआइ | - | वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट |
| डब्ल्यूटीओ | - | विश्व व्यापार संगठन |
| वाइओवाइ | - | साल-दर-साल |

**यह रिपोर्ट इंटरनेट के माध्यम से www.rbi.org.in नामक यूआरएल पर भी देखी जा सकती है।**

# I मूल विषय

1.1 एक सुव्यवस्थित वित्तीय प्रणाली बचतकर्ताओं से निवेशकर्ताओं तक संसाधनों का सक्षम आबंटन सुकर बनाकर आर्थिक वृद्धि का संवर्धन करती है। वित्तीय प्रणाली के भीतर, बैंकिंग प्रणाली उत्पादक निवेशों की पहचान और उसके निधीयन के जरिए राष्ट्रीय आय के स्तर और वृद्धि दर के लिए महत्वपूर्ण प्रशाखन है। इससे, बदले में, आशा है कि पूंजी के अधिक सक्षम आबंटन तथा वृद्धि के पोषण को प्रेरणा मिलेगी। एक सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्धांत, जिसने उत्पादकता में सुधार के जरिए आर्थिक वृद्धि में वित्तीय विकास की भूमिका को स्वीकार किया, जोसेफ शुंपीटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था (1911)। तथापि, काफी समय तक इस दृष्टिकोण पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। 1970 के दशक के प्रारंभ तक एक विपरीत दृष्टिकोण भी प्रचलित था, जिसके अनुसार आर्थिक वृद्धि वित्तीय सेवाओं के लिए मांग पैदा करती है तथा वित्तीय प्रणाली इन मांगों के प्रति स्वतः रेस्पांड करती है (राबिन्सन, 1952)। इसका अभिप्राय यह है कि वित्तीय विकास कमोबेश स्वतः वृद्धि का अनुसरण करता है तथा यह आर्थिक विकास का उपोत्पाद है। नीतिनिर्माता तथा विद्वज्जन भी यह मानते हैं कि वित्तीय प्रणाली का 'प्रबंधन' सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे बाजार की शक्तियों के भरोसे छोड़ने के बजाए एक बेहतर साधन है। तथापि, 'वित्तीय दमन' में यथाप्रदर्शित आयोजना प्रक्रिया की सीमाएं मुक्त और सक्षम वित्तीय प्रणाली द्वारा अदा की गई केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती हैं।

1.2 आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में वित्तीय विकास का महत्व 1970 के दशक के प्रारंभ में पुनः बढ़ गया, जब यह स्वीकार किया गया कि वित्तीय विकास का द्विस्तरीय प्रभाव है, अर्थात निवेश की दक्षता बढ़ाना और बचत में वृद्धि करना तथा इस प्रकार निवेश के पैमाने को व्यापक करना।इस चर्चा की अगुवाई मैककिन्नन (1973) तथा शा (1973) ने की, जिनका तर्क था कि सार्वजनिक ऋण के भार को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित निम्न ब्याज दर की नीतियों के कारण वित्तीय दमन की स्थिति आई। उदाहरण के लिए नियंत्रणों के फलस्वरूप कृत्रिम रूप से उत्पन्न कम अथवा ऋणात्मक वास्तविक ब्याज दरों के कारण बचत के लिए प्रोत्साहन कम हो गया जिसके परिणामस्वरूप निवेश और वृद्धि में कमी आई।दमित ऋण बाजारों का उदारीकरण विकास का पोषण कर सकता है क्योंकि ब्याज दरों को 'साम्य' स्तरों तक बढ़ाने से न सिर्फ बचत में वृद्धि होगी अपितु निवेशयोग्य संसाधनों का अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग भी हो सकेगा।

1.3 यद्यपि मैककिन्नन-शा की परिकल्पना को काफी समर्थन मिला, इसकी कुछ आलोचना भी हुई। उदाहरण के लिए राबर्ट लुकास ने 1988 में इस बात पर बल दिया कि अर्थशास्त्री आर्थिक वृद्धि में वित्तीय कारकों की भूमिका पर बुरी तरह अत्यधिक बल देते हैं।तथापि, हाल के वर्षों में देशी वृद्धि के सिद्धांतों से आर्थिक विकास में दक्ष वित्तीय प्रणालियों के महत्व की बेहतर समझ हुई है। अब आम राय यह है कि आर्थिक वृद्धि तथा वित्तीय विकास के बीच एक सकारात्मक दुतरफा हेतुक संबंध है (ग्रीनवुड तथा जोवानोविक, 1990) । वित्तीय मध्यस्थता बचत का उपयोग निवेश के उत्पादक क्षेत्रों में करके आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती है, जबकि यह अलग-अलग व्यक्तियों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं से जुड़ी जोखिम कम करने की अनुमति देती है (बेन्सिवेंगा तथा स्मिथ, 1991)। लेवाइन (1997) के अनुसार, वित्तीय सेवाएं पांच प्रमुख चैनलों अर्थात, बचत संग्रहण, संसाधन आबंटन, जोखिम प्रबंधन, प्रबंधन निगरानी और व्यापार सुकर बनाने के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करती हैं। पांच प्रमुख चैनलों में से प्रत्येक पूंजी संचय तथा प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष की प्रक्रिया दोनों में अंशदान करता है। इनसे, बदले में, सोलोव वृद्धि मॉडल के जरिए प्रत्यक्षतः आर्थिक वृद्धि का पोषण होता है।

1.4 वृद्धि में वित्त की भूमिका को आनुभविक कार्य द्वारा भी वैध ठहराया गया है (गेल्ब,1989; ग्रीन तथा विल्लानेवा, 1991; गेर्टलर तथा रोज़,1991; डी ग्रेगोरिओ तथा गिडोत्ती, 1995; लेवाइन तथा ज़ेरवोस, 1998)। इन अध्ययनों में से अधिकांश सीमा पार के विश्लेषण पर आधारित हैं जिनमें यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋण अथवा बाजार पूंजीकरण जैसे वित्तीय विकास संबंधी उपाय का वृद्धि पर सकारात्मक और उल्लेखनीय असर पड़ता है।इस बात का साक्ष्य है कि वित्तीय रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपने संसाधनों का आबंटन अधिक दक्षतापूर्वक करती हुई प्रतीत होती हैं (कार्लिन तथा मेयर, 1998; बेक आदि, 2001)। जीडीपी की तुलना में देशी स्टॉक तथा ऋण बाजारों के आकार द्वारा प्रतिपत्रित विकसित देशी वित्तीय बाजार पूंजी के बेहतर आबंटन के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं (वर्गलर, 2000)। स्टाक बाजारों की आबंटनात्मक दक्षता (यथा स्टाक की कीमतों की समकालिकता) की माप बाजार के आकार, अस्थिरता, देश के आकार, अर्थव्यवस्थाओं के विशाखीकरण तथा फर्मस्तरीय मूलभूत तत्वों के सहचलन के साथ उतनी ही जुड़ी होती है, जितनी संस्थागत विकास की माप के साथ (मोर्क आदि, 2000)।

1.5 1960-1989 के लिए 80 देशों के आंकड़ों का उपयोग कर किंग तथा लेवाइन (1993) ने बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण सहित वित्तीय विकास के अनेक उपायों और आर्थिक वृद्धि के बीच

उल्लेखनीय सकारात्मक संबंध पाया। उनका यह निष्कर्ष कि 1960 में वित्तीय विकास का आरंभिक स्तर बाद में अगले 29 वर्षों तक वृद्धि की औसत दर का महत्वपूर्ण भविष्यवाचक था, वित्तीय क्षेत्र के विकास और समग्र आर्थिक विकास के बीच हेतुक संबंध सुझाता है। लेवाइन, लोयजा तथा बेक (2000) ने 74 देशों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए यह पाया कि वित्तीय मध्यस्थता का बाह्य घटक सकारात्मक रूप से आर्थिक वृद्धि से जुड़ा हुआ है। साथ ही कारण-कार्य-संबंध के मुद्दे का समाधान करते हुए 41 देशों के उद्योग स्तरीय आंकड़ों का उपयोग कर राजन और जिंगेल्स (1998) का निष्कर्ष था कि बाह्य वित्तपोषण पर अधिक निर्भर रहनेवाले उद्योगों की वृद्धि तीव्रतर होती है। इसी तरह, 40 देशों के फर्मस्तरीय आंकड़ों का उपयोग करते हुए डेमिर्गुक-कुंट तथा मैक्सिमोविक (2002) ने पाया कि वित्तीय रूप से अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश फर्मों की वृद्धि बाह्य वित्त तक पहुंच न रखनेवाले उसी तरह के फर्मों द्वारा प्राप्त वृद्धि की अधिकतम दर से अधिक रही।

1.6 आर्थिक विकास के लिए वित्तीय क्षेत्र के महत्व को सुझाते हुए मैककिन्नन-शा के शोध-प्रबंध तथा आनुभविक साहित्य ने कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को उनके वित्तीय क्षेत्रों में सुधार लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे 1990 के दशक के मध्य में पूर्वी एशियाई संकट द्वारा बल मिला जिसमें यह सुझाया गया कि कमजोर वित्तीय प्रणाली वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हो सकती है। अतः हाल के वर्षों में वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने पर बल बढ़ा दिया गया है।

1.7 जहां वित्त के महत्व को अब व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है, हाल तक यह कम स्पष्ट था कि एक सफल वित्तीय प्रणाली की आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं। यह मुद्दा वित्तीय संस्थाओं की भूमिका के बारे में वादविवाद से संबंधित था यथा बैंक बनाम वित्तीय बाजार, जो बचतकर्ताओं से निवेशकों तक संसाधनों के अंतरण के लिए दो सामान्य संस्थाएं हैं तथा इनमें से प्रत्येक के अपने अलग फायदे/नुकसान हैं।

1.8 वित्तीय संस्थाओं को अच्छे उधारकर्ता और खराब उधारकर्ता के बीच अंतर करने के लिए सूचना एकत्र करने और उसे प्रोसेस करने का स्पष्ट लाभ मिलता है। इस प्रकार, वित्तीय संस्थाएं बाजारों की तुलना में परियोजनाओं की दक्षता और उत्पादकता पर अधिक कारगर तरीके से निगरानी रख सकती हैं। वस्तुतः हाल के वर्षों में बैंकों का अस्तित्व बचत जुटाने एवं उनका निवेश करने की उनकी योग्यता संबंधी संस्थापित स्पष्टीकरण की तुलना में विषम सूचना एवं नैतिक खतरे की समस्याओं की मौजूदगी में से उत्पन्न सूचना एकत्र करने की उनकी क्षमता पर अधिक निर्भर है। बचतकर्ताओं के पास सामान्य तौर पर कंपनियों के कार्यों के बारे में अपूर्ण जानकारी होती है जिसके कारण बाजार से प्रत्यक्ष वित्तपोषण प्राप्त करना बाद वाले के लिए अधिक कठिन हो जाता है। बैंकों द्वारा मध्यस्थता करने से एजेंसी संबंधी ऐसी समस्याएं कम हो जाती हैं। हाल का अनुसंधान यह सुझाता है कि चूंकि वित्तीय संसाधन प्रदान करनेवालों के द्वारा एक कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त किए जाने की लागत अधिक है, अतः कंपनियों का वित्तपोषण अधिक दक्षतापूर्वक किया जा सकता है बशर्ते भावी निवेशक इस तरह की जानकारी प्राप्त करने का कार्य किसी विशेषज्ञ संगठन को प्रत्यायोजित कर दें (डायमंड, 1984)।

1.9 विकासशील देशों की फर्में सामान्यतः ऋण वित्त, बैंक ऋण सहित, पर अधिक निर्भर रहती हैं। इक्विटी के बजाय ऋण पर बल विभिन्न कारणों से दिया जाता है।विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकसित देशों की अपेक्षा जोखिम प्रीमियम अधिक होने के कारण इक्विटी की लागत ऋण की लागत की तुलना में प्रायः अधिक उच्चतर होती है। कृत्रिम रूप से दमित ब्याज दरों की मौजूदगी इस समस्या को और बढ़ा देती है। विकासशील देशों में ऋण पर अधिक निर्भरता के अन्य कारणों में शामिल हैं - इक्विटी बाजारों की दुर्बलता, उपयुक्त लेखांकन प्रथाओं की कमी तथा पर्याप्त कारपोरेट अभिशासन प्रथाओं का अभाव। बैंक ऋण पर अधिक निर्भरता तथा बाह्य वित्त के लिए एवजियों के अभाव को देखते हुए, बैंक और अन्य मध्यस्थ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।विकासशील देशों में वित्तीय मध्यस्थ, विशेष तौर पर, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जहां उद्योग के अलावा कृषि भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है।इसके अलावा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में अनेक छोटे और मध्यम उद्यम भी हैं जो पूंजी बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं तथा जिन्हें अपनी निधीयन अपेक्षाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।

1.10 पूंजी बाजारों का उपयोग उन कार्यकलापों के निधीयन के लिए किया जा सकता है, जिनकी जोखिम अधिक आसानी से मापी जा सके तथा वर्गीकृत की जा सके ताकि तदनुसार उनका निधीयन करने के लिए वित्त जुटाने हेतु मानकीकृत लिखतें जारी की जा सकें। दूसरी ओर, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं उनमें निहित विभिन्न प्रकार की जोखिमों को हिसाब में लेते हुए अधिक जटिल कार्यकलापों का निधीयन कर सकती हैं। इसे भी ऋण देनेवाले और लेनेवाले के बीच परस्पर संबंध द्वारा समर्थ बनाया जाता है, जिसे निरंतर पर्यवेक्षण से बल मिलता है। इस बहस के बावजूद, वस्तुतः दोनों प्रणालियां अधिकांश देशों में साथ-साथ मौजूद होती हैं, हालांकि एक प्रणाली दूसरी की अपेक्षा अधिक प्रमुख हो सकती है। आम तौर पर, बैंक आधारित प्रणालियां उन देशों में सुदृढ़तर होती हैं जहां औद्योगिक विकास में सरकारों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, यथा 19वीं सदी में जर्मनी तथा 20वीं सदी में जापान, पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, चीन और भारत (मोहन, 2004 क)। ऐतिहासिक अनुभव यह सुझाते हैं कि दोनों प्रक्रियाएं अच्छी तरह कार्य करती हैं। जहां यूके और यूएस में

बाजार आधारित प्रणाली ने अच्छी तरह कार्य किया, वहीं जर्मनी और जापान में बैंक आधारित प्रणाली सफल रही। पूर्वी एशिया संकट के बाद जब यह अनुभव हुआ कि वित्तीय प्रणालियों के सुचारु तरीके से कार्य करने के लिए उन्हें अच्छी तरह विशाखीकृत किए जाने की जरूरत है जहां वित्तीय बाजारों और वित्तीय मध्यस्थों दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हों, एक प्रक्रिया की तुलना में दूसरी प्रक्रिया की वरिष्ठता के बारे में वादविवाद समाप्त हो गया।

1.11 जहां बैंक और वित्तीय बाजार दोनों महत्वपूर्ण हैं, कई कारणों से बैंकों का विशेष महत्व है। बैंकिंग सिद्धांतों के अनुसार, बैंकों का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वे कतिपय विशेष कार्य करते हैं, जिनकी नकल वित्तीय सेवा प्रदान करनेवाली अन्य कोई फर्म नहीं कर सकती। कीन्स ने बैंकों के दो प्रमुख कार्यों अर्थात वित्तीय मध्यस्थता और मुद्रा सृजन की पहचान की। वृद्धि का वित्तपोषण करने के अलावा बैंक ऋण में घटबढ़ उन केंद्रीय बैंकों के लिए भी मौद्रिक नीति के संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है जो अपने नीति संबंधी रुख के संप्रेषण के लिए ब्याज दरों पर निर्भर रहते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों का अनुकूलन ऋण बाजार की स्थितियों को प्रभावित करता है जो मौद्रिक संप्रेषण के परंपरागत ब्याज दर माध्यम के प्रभावों को प्रबलित करता है।बैंकों का भी 'विशेष' स्थान है क्योंकि उनके परिचालनों का प्रणालीगत निहितार्थ है। बैंक न सिर्फ बड़ी मात्रा में असंपार्श्विकीकृत सार्वजनिक निधियों को न्यासीय क्षमता में स्वीकार और नियोजित करते हैं, अपितु ऋण सृजन के जरिए ऐसी निधियों के लिए लीवरेज भी करते हैं। बैंकों के स्वामियों अथवा शेयरधारकों का एक छोटा सा हिस्सा ही होता है तथा बैंकों की क्षमता की काफी लीवरेजिंग (एक के प्रति दस से अधिक) उन्हें सार्वजनिक निधियों की बहुत बड़ी मात्रा का नियंत्रण प्रदान कर देती है।इस प्रकार बैंकों को विशेष प्रकार का वित्तीय मध्यस्थ माना जाता है जिनके साथ विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अलग व्यवहार किए जाने की जरूरत है। तथापि, केलोमिरिस और कह्न (1991), फ्लेनरी (1994), तथा डायमंड और राजन (2001) की दलील है कि बैंकों में पूंजीगत संरचना कमजोर है, अतः जमाराशि भगदड़ के प्रति उनकी सुभेद्यता महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य पूरा करती है। जमाराशि के प्रति भगदड़ एक सशक्त अनुशासनात्मक उपाय को दर्शाती है जो जोखिम उठाने और संसाधनों के दुराबंटन के लिए बैंकों के प्रोत्साहनों को सीमित करती है। यह बैंकों के ऋण संविभाग में कुद हद तक गुणवत्ता का आश्वासन प्रदान करता है।

1.12 पूरे विश्व में अविनियमन, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति तथा वैश्वीकरण के प्रभाव के तहत 1980 के दशक के प्रारंभ से बैंकिंग उद्योग में रूपांतरण हुआ है (बाक्स I.1)।

1.13 अविनियमन, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण की शक्तियों ने प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ा दिया है, जिससे (क) पुनर्विन्यास और समेकन की सुदृढ़ शक्तियों के सक्रिय होने से पूरे विश्व में बैंकों की संख्या कम हुई है; तथा (ख) बैंकों को परंपरागत उत्पादों के बाहर राजस्व के नए स्रोत खोजने की प्रेरणा मिली है। इससे, बदले में, विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करनेवालों तथा वित्तीय संगुटों के उदय के बीच अंतर समाप्त हुआ है। यद्यपि इन गतिविधियों ने लेनदेन की लागतों को कम करके संस्थाओं को अधिक सक्षम बनाया है, उन्होंने संस्थाओं पर आधारित परंपरागत विनियामक व्यवस्थाओं को भी चुनौती दी है। साथ ही संस्थाओं के लाभ मार्जिन को कम करके प्रतिस्पर्धात्मक दबावों में वृद्धि के कारण वे अधिक जोखिमपूर्ण नीतियों का अनुसरण कर सकते हैं जिससे चूक की संभावना बढ़ जाती है। वित्तीय अस्थिरता एक विवेकपूर्ण समष्टि आर्थिक नीति का अनुसरण करने की देश की योग्यता को भी प्रभावित कर सकती है। अतः वित्तीय संस्थाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ता नीतिनिर्माण में केंद्रीय स्थान पर आ गई हैं।

1.14 उदारीकरण और वैश्वीकरण की शक्तियों के तहत कई बैंकिंग संस्थाएं अपने गृह देश तथा परंपरागत व्यवसाय से आगे निकल रही हैं और इस प्रकार बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंकों का उदय हुआ है। कई अभिनव प्रॉडक्ट तथा कारोबार करने के नए तरीकों का भी उदय हुआ है, जिनके कारण प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव तथा अन्य वित्तीय प्रॉडक्ट के व्यापक उपयोग से परंपरागत बैंकिंग कार्यों को पूंजी बाजारों के परिचालन के साथ जोड़ा गया है, जबकि इन गतिविधियों के कारण वित्तीय मध्यस्थता में कुछ सीमा तक दक्षता आई है तथा पिछले साल नए मुद्दे उभर कर आए हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इन बड़े बैंकों में से अधिकांश, यदि सब नहीं, वित्तीय संगुट बन गए हैं जो वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न खंडों में कार्य कर रहे हैं। वित्तीय लेनदेनों तथा वित्तीय नवोन्मेषों के तीव्रतर संप्रेषण की ओर अग्रमुख प्रौद्योगिक गतिविधियों तथा सीमा पार पूंजी प्रवाह की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय अवरोधों के कम होने दोनों से उक्त गतिविधि संभव हुई है।

1.15 तथापि, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की हाल की गतिविधियों ने जोखिम के वर्तमान मूल्यन तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में नियोजित प्रबंधन साधनों और तकनीकों के बारे में, विशेषतः 'वितरित करने के लिए उत्पन्न करें' मॉडल पर आधारित व्यावसायिक रणनीतियों, प्रतिभूतिकरण संबंधी मुद्दों, तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों में वृद्धि, नलिकाओं (कांड्यूट्स) के प्रति चलनिधि संबंधी वचनबद्धताओं तथा संरचित ऋण प्रॉडक्टों संबंधी मूल्यनों के बारे में कई चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली तथा रेटिंग के बारे में संस्थागत निवेशकों पर अत्यधिक निर्भरता पर भी सवाल उठाए गए हैं।

**बॉक्स I.1**
**बैंकिंग क्षेत्र का रूपांतरण - प्रमुख वाहक**

बैंकिंग, विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, परंपरागत रूप से अत्यधिक संरक्षित उद्योग रहा है जिसमें जमाराशि तथा उधार के लिए ब्याज दर की संरचना विनियमित रही है और विदेशी और देशी प्रवेश पर प्रतिबंध रहे हैं। तथापि, विनियामकों पर इस बात पर जोर दिया गया कि वे 1990 के दशक में वैश्विक बाजार एवं प्रौद्योगिकीय गतिविधियों, समष्टि आर्थिक दबावों और बैंकिंग संकट के प्रभाव के तहत बैंकिंग क्षेत्र को अविनियमित करें। जमा दरों पर अधिकतम सीमा हटाने तथा चालू खातों पर ब्याज अदायगी की मनाही समाप्त करने जैसे कुछ उपायों ने बैंकों पर प्रतिस्पर्धी दबावों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की और इस प्रकार बैंकिंग उद्योग की संरचना में परिवर्तन किया। अविनियमन के साथ पूंजी पर्याप्तता पर काफी बल दिया गया है जिससे बैंकों को कुछ आस्तियों को प्रतिभूतिकृत करने, अधिक शुल्क आधारित आय अर्जित करने और दक्षता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन मिला है। कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विनियामक पूंजी की उच्चतर अपेक्षा भी खराब कार्यनिष्पादन वाले बैंकों के विलय (अथवा विदेशी बैंकों को बिक्री) के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बन गई।

अविनियमन से बैंकों और गैर बैंकों के बीच, विशेष रूप से बड़ी कंपनियों को उधार देने के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। वित्तीय सेवा उद्योग की संरचना को बदलने में वित्तीय संस्थाओं का गैर विशेषज्ञीकरण एक महत्वपूर्ण शक्ति है। बीमा प्रॉडक्ट, म्यूच्युअल फंड और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हुए बैंक सभी वित्तीय सेवाओं के लिए एकस्थलीय बिक्री केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। प्रतिभूतिकरण ने परंपरागत उधार प्रक्रिया को विभिन्न भागों में खोलने की अनुमति दी है - ऋण शुरू करना, दूसरों को बिक्री करने के लिए उन्हें पैकेज करना, ऋणों की चुकौती तथा ऋणों का निधीयन। इससे, बदले में, बैंकों और गैर बैंकिंग फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हुई।

हाल में प्रौद्योगिकी गतिविधियों ने बैंकिंग व्यवसाय को विभिन्न तरीके से प्रभावित किया है - प्रत्यक्ष तौर पर, जोखिम प्रबंधन एवं वित्तीय प्रॉडक्टों के विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) अनुप्रयोगों के माध्यम से तथा अप्रत्यक्ष तौर पर, कारपोरेट व्यवहार एवं वित्तीय बाजारों के विकास, विशेष तौर पर नए पूंजी निवेशों के वित्तपोषण के क्षेत्र में, पर इसके प्रभाव के माध्यम से। प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों से नई वित्तीय लिखतों का विकास तथा जानकारी एकत्र करने, उसे प्रोसेस करने और प्रेषित करने की लागत में तीव्र कटौती संभव हुई है। इससे नए बाजारों का सृजन हुआ है। वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम, डेबिट कार्ड, टेलीफोन, इंटरनेट तथा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जैसी कई सेवाएं बैंकिंग का अभिन्न अंग बन गई हैं।

सरकारी नीति तथा संचार सुविधाओं में सुधार के समन्वय द्वारा चालित व्यापार और वाणिज्य के अवरोधों में कमी के साथ वित्तीय सेवाओं का बाजार अधिकाधिक वैश्विक होता जा रहा है। सीमा पार गैर वित्तीय कंपनियों की वृद्धि के फलस्वरूप ऐसी संस्थाओं की मांग बढ़ी है जो सीमा पार वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकें। हाल के वर्षों में वित्तीय सेवा उद्योग में प्रतिस्पर्धा में वैश्विक अवरोधों में काफी कमी आई है। पूरे विश्व में अविनियमन से सीमा पार तथा विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के बीच बैंकों के समेकन को प्रोत्साहन मिला है। आइटी की प्रगति ने अलग-अलग स्थलों से व्यापक सूचना प्रवाहों के प्रबंधन की अनुमति संस्थाओं को देकर भौगोलिक पहुंच बढ़ाने को सुकर बनाया है।

**संदर्भ :**

हॉकिन्स, जे.तथा डी. मिहालजेक. 2001. 'उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में बैंकिंग उद्योगः प्रतिस्पर्धा, समेकन और प्रणालीगत स्थिरता : एक विहगावलोकन', बीआइएस पत्र सं.4 ।

## भारत में बैंकिंग का विकास

1.16 कई अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तरह, भारत में वित्तीय प्रणाली में परंपरागत रूप से वित्तीय मध्यस्थों, विशेष तौर पर बैंकिंग संस्थाओं, की प्रधानता रही है। भारत में बैंकिंग का लंबा इतिहास है तथा विभिन्न चरणों से गुजरते हुए कई सालों में इसका विकास हुआ है। आजादी के समय भारतीय बैंकिंग प्रणाली कमजोर थी। समग्र बैंकिंग क्षेत्र निजी क्षेत्र में था तथा कृषि और अन्य जरूरी क्षेत्रों की ऋण संबंधी अपेक्षाओं की अनदेखी की जा रही थी। बैंकिंग प्रणाली को आयोजना और आर्थिक नीति की आवश्यकताओं के साथ बेहतर रूप से संरेखित करने के लिए 1967 में बैंकिंग क्षेत्र पर सामाजिक नियंत्रण की नीति शुरू की गई। 1969 में निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास की प्रमुख उल्लेखनीय घटना है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ (1969 में 14 तथा पुनः 1980 में 6), बैंकिंग क्षेत्र का प्रमुख घटक सरकार के नियंत्रण के तहत आ गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद शाखा नेटवर्क में व्यापक विस्तार के फलस्वरूप बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में जमा संग्रहण किया गया जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र बचत दर बढ़ाने में मदद मिली। तथापि, इस अवधि में बैंकों के संसाधनों का एक बड़ा भाग निदेशित ऋण और निदेशित निवेशों के द्वारा बाजार दर से नीचे की दर पर पूर्वक्रीत कर लिया गया था। अतः बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता प्रभावित हुई। बैंकों के पास बड़ी मात्रा में अनर्जक आस्तियां भी थीं। उनका पूंजी आधार भी कमजोर हुआ।

1.17 वर्षों से प्रणाली के अंतर्गत आ गई कई कमजोरियों को दूर करने तथा एक सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी और स्फूर्त बैंकिंग प्रणाली बनाने की दृष्टि से 1990 के दशक के प्रारंभ में कई उपाय शुरू किए गए। पहला, विवेकपूर्ण मानदंड लागू करके बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाया गया, जिसे बाद में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सख्त किया गया। दूसरा, निजी

क्षेत्र के नए बैंकों के प्रवेश तथा विदेशी बैंकों की मौजूदगी में वृद्धि की अनुमति देकर बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी गई। निजी क्षेत्र के बैंकों में 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भी अनुमति दी गई। तीसरा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजी बाजार में जाने की अनुमति दी गई तथा उन्हें परिचालनगत लचीलापन और कार्यपरक स्वायत्तता भी प्रदान की गई। चौथा, नियंत्रित ब्याज दरों की प्रणाली को करीब-करीब समाप्त कर दिया गया तथा आरक्षित निधि अपेक्षाओं के रूप में पूर्वक्रयों को कम कर दिया गया। पांचवां, सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली तैयार करने में पर्यवेक्षणात्मक प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उसमें सुधार लाया गया। छठा, कंपनी अभिशासन प्रथाओं तथा प्रकटीकरण मानदंडों को मजबूत बनाया गया। सातवां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारिता को भी सुदृढ़ किया गया।

1.18 निरंतर विकास के फलस्वरूप, बैंकिंग क्षेत्र के आकार और उसकी संरचना में उल्लेखनीय बदलाव आया। भारत में वर्तमान बैंकिंग संरचना में वाणिज्य बैंक, शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा ग्रामीण सहकारी बैंक, जिसमें अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (राज्य सहकारी बैंक तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) और दीर्घावधि ऋण संरचना ( राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) शामिल हैं, शामिल हैं । वाणिज्य बैंक भारतीय वित्त प्रणाली का आधारस्तंभ हैं जिनमें मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार सभी वित्तीय संस्थाओं की कुल आस्तियों का लगभग तीन-चौथाई समाहित है (सारणी I.1)। 96 आरआरबी, आकार में छोटा होने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरी और ग्रामीण सहकारिताओं के दो व्यापक खंडों सहित सहकारी बैंकिंग प्रणाली भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक अभिन्न और व्यापक भाग है। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के रूप में संदर्भित प्राथमिक सहकारी बैंक भी देश के शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की बढ़ती हुई ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापक नेटवर्क और व्यापक व्याप्ति सहित ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं गरीबों के बीच तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग की प्रवृत्ति पैदा कर संस्थागत ऋण का दायरा बढ़ाने में महत्वपूर्ण विकासात्मक भूमिका निभाती हैं।

1.19 भारत में बैंकिंग क्षेत्र न सिर्फ जमा संग्रहण कर एवं उसे निवेश कर, अपितु जीडीपी में प्रत्यक्ष अंशदान कर तथा रोजगार उत्पन्न कर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2006-07 में बैंक जमाराशियां घरेलू क्षेत्र की वित्तीय आस्तियों का 56.5 प्रतिशत थीं। घरेलू क्षेत्र की वित्तीय आस्तियां बचत का प्रमुख रूप हैं। घरेलू क्षेत्र की बचत का संग्रहण कर बैंकिंग क्षेत्र निवेश और वृद्धि के संवर्धन में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। मार्च 2007 के अंत में बैंकिंग तथा बीमा का कुल मिलाकर जीडीपी में 6.7 प्रतिशत हिस्सा था। यद्यपि जीडीपी के प्रति बैंकिंग क्षेत्र के अंशदान के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, मार्च 2007 के अंत में बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों की संयुक्त आस्तियों में इसके अंश (83.1 प्रतिशत) से जीडीपी में इसके अंशदान के बारे में एक राय बनायी जा सकती है। मार्च 2005 के अंत में बैंकिंग क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार संगठित क्षेत्र के रोजगार का 3.2 प्रतिशत था।

**सारणी 1.1: भारत की वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं***
(मार्च 2007 के अंत में)

| संस्था का प्रकार | संस्थाओं की संख्या | कुल आस्तियों में हिस्सेदारी (प्रतिशत) |
|---|---|---|
| **क. वाणिज्यिक बैंक** | **182** | **75.2** |
| क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) | 82 | 72.9 |
| i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 28 | 51.4 |
| ii) निजी क्षेत्र के बैंक | 25 | 15.7 |
| iii) विदेशी बैंक | 29 | 5.9 |
| ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 96 | 2.2 |
| ग) स्थानीय क्षेत्र बैंक | 4 | 0.0 |
| **ख. सहकारी बैंक** | **1,09,310** | **12.8** |
| क) शहरी सहकारी बैंक | 1,813 | 3.4 |
| ख) ग्रामीण सहकारी बैंक | 1,07,497 | 9.5 |
| i) अल्पावधि | 1,06,781 | 8.5 |
| • राज्य सहकारी बैंक | 31 | 1.8 |
| • जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक | 369 | 3.3 |
| • प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां | 97,224 | 3.3 |
| ii) दीर्घावधि | 716 | 1.0 |
| • राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक | 20 | 0.5 |
| • प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक | 696 | 0.5 |
| **ग. गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं** | **591** | **12.0** |
| क) वित्तीय संस्थाएं** | 6 | 3.5 |
| ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां# | 577 | 8.2 |
| ग) प्राथमिक व्यापारी | 8 | 0.3 |

* : बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) द्वारा विनियमित बीमा कंपनियां एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंड इसमें शामिल नहीं है।

**: छः वित्तीय संस्थाएं नामतः आइएफसीआइ लि., टीएफसीआइ लि., नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी एवं एक्जिम बैंक से संबंधित आंकड़े। दिनांक 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार आइआइबीआइ लि. स्वेच्छा से समापन के अधीन था।

# : ये आंकड़े अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों, जमा लेनेवाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) एवं जमा न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी - एनडी-एसआइ) से संबंधित हैं।

1.20 1990 के दशक के प्रारंभ से वित्तीय क्षेत्र में सुधार के फलस्वरूप भारत में बैंकिंग प्रणाली में उल्लेखनीय रूपांतरण हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र के

सुधारों में परिचालनात्मक दक्षता बढ़ाने, विवेकपूर्ण और पर्यवेक्षणात्मक मानदंड सुदृढ़ करने, बाह्य अवरोधों को हटाने, प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने तथा प्रौद्योगिकीय एवं संस्थागत बुनियादी सुविधा विकसित करने पर जोर दिया गया है। सुधार संबंधी उपायों का प्रभाव लाभप्रदता में सुधार, वित्तीय स्वास्थ्य, सुदृढ़ता और बैंकिंग क्षेत्र की समग्र दक्षता में प्रदर्शित होता है। जोखिम भारित आस्तियां बढ़ने के बावजूद बैंक अपना पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने अथवा बढ़ाने में समर्थ हुए हैं। बैंकों का ऋण संविभाग, जिसमें 1998-2003 के दौरान अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी के साथ बैंकों के स्तर पर जोखिम से कुछ बचाव के कारण गिरावट आई थी, हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ गया। कृषि और एसएमई क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि एक उल्लेखनीय विशेषता है। बैंकों के खुदरा ऋण संविभाग में भी तेजी से वृद्धि हुई है। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1991-2002 के दौरान घरेलू क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 1981-1991 के दौरान की गति से मोटे तौर पर बढ़ना जारी रहा। तथापि 2002 के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए कई उपायों के फलस्वरूप जमा और ऋण के प्रसार में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

1.21 निजी क्षेत्र के नए बैंकों का प्रवेश होने तथा विदेशी बैंकों की मौजूदगी बढ़ने के साथ भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंक भी बाजार से पूंजी जुटा रहे हैं तथा उन पर बाजार अनुशासन लागू है। बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता, उत्पादकता और सुदृढ़ता में सुधार के बाद के चरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बैंकों ने गैर-परंपरागत कार्यकलापों में अधिकाधिक विशाखीकरण किया है, जिसके फलस्वरूप कई वित्तीय संगुटों का उदय हुआ है। इससे कई विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक चुनौतियां सामने आई हैं। इस प्रकार आय बढ़ाने के लिए इस अविनियमन ने बैंकों के लिए नए क्षेत्र के द्वार खोल दिए हैं, साथ ही इससे अधिक जोखिम भी आई है। बैंकिंग क्षेत्र में नए बैंकों, नई लिखतों, नए गवाक्षों, नए अवसरों का उदय हुआ है और इन्हीं के साथ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं।

## भारत में बैंकिंग की गतिविधि संबंधी मुद्दे

1.22 भारतीय बैंकिंग प्रणाली वर्तमान में निर्णायक दौर से गुजर रही है। यद्यपि बैंकिंग क्षेत्र सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी,गतिशील और लचीला हुआ है, साथ ही इसने देशी और वैश्विक दोनों स्तरों पर समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों के फलस्वरूप अनेक नई चुनौतियों का सामना किया है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दे/चुनौतियां इस प्रकार हैं : (i) वर्तमान आर्थिक वृद्धि की गति को बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने के लिए संसाधन संग्रहण; (ii) विदेश में परिचालनात्मक मौजूदगी वाले भारतीय बैंकों तथा भारत स्थित विदेशी बैंकों द्वारा 31 मार्च 2008 से तथा अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 31 मार्च 2009 तक बासल II मानदंडों का कार्यान्वयन; (iii) भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी बढ़ाने की अनुमति संबंधी मुद्दे क्योंकि विदेशी बैंकों के लिए रोडमैप की समीक्षा अप्रैल 2009 में की जानी है; (iv) पूर्णतर पूंजीखाता परिवर्तनीयता के प्रति क्रमिक रूप से आगे बढ़ना, जिससे बैंकिंग प्रणाली के सामने जोखिम बढ़ेगी तथा जिसके लिए कुछ विनियामक एवं पर्यवेक्षणात्मक पहलुओं सहित बैंकिंग में कतिपय मुद्दों का समाधान किया जाना अपेक्षित होगा; (v) वित्तीय संगुटों का उदय, जिसने उपयुक्त विनियामक संरचना/व्यवस्था का मुद्दा उठाया है; (vi) जटिल वित्तीय प्रॉडक्टों का उदय, जिससे कई पर्यवेक्षणात्मक चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं; तथा (vii) वित्तीय सेवाएं बड़ी संख्या में ऐसे लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता, जो बैंकिंग प्रणाली के बाहर हैं।

### *बैंकिंग और आर्थिक वृद्धि*

1.23 किसी भी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य संसाधन जुटाना तथा उन्हें उत्पादक प्रयोजनों में लगाना है। बैंकिंग प्रणाली जितनी विकसित होगी, वह इस प्रकार की भूमिका उतने ही बेहतर तरीके से निभा सकेगी। पिछले पांच वर्षों (2003-04 से 2007-08) के दौरान 8.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि क्षेत्र में पहुंच गई है। यह निवेश दर के 2001-02 के 22.8 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2006-07 में 35.9 प्रतिशत तक पहुंचने द्वारा सुकर हुआ है। भारत में बचत की दर भी 2001-02 के 23.5 प्रतिशत से सुधरकर 2006-07 में 34.8 प्रतिशत पर पहुंच गई है ताकि उच्च वृद्धि की निवेश आवश्यकताओं का समर्थन किया जा सके। उसी अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों में तीन गुने की वृद्धि हुई। वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए बचत दर बनाए रखने और उसे बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी जो बदले में बचतकर्ताओं एवं निवेशकर्ताओं के बीच दक्ष मध्यस्थता पर अत्यधिक निर्भर होगी। इस संदर्भ में, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह विचार व्यक्त किया गया, ''साध्यता को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख विशिष्टता वित्तीय प्रणाली तथा बचतों को संभाव्य उपयोगकर्ताओं के बीच ले जाने की उसकी योग्यता है। त्वरित वृद्धि में निवेश का विस्तार, वर्तमान उद्यमों का आर्थिक पुनर्विन्यास शामिल होता है क्योंकि वे स्वयं प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होते हैं तथा नए उद्यमियों को अवसरों के अनुकूल कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह सब तभी संभव होगा यदि वित्तीय प्रणालियां हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों का वित्तपोषण कर सकें।''

1.24 बचत और निवेश दरों का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर घरेलू तौर पर संसाधन जुटाने की आवश्यकता होगी।

भारत के पास उचित रूप से ऊंची तथा बढ़ती हुई बचत दर है। तथापि, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की वित्तीय अपेक्षाएं पूरी करने के लिए वित्तीय बचतें महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि, कुछ वर्षों में वित्तीय बचतों में वृद्धि हुई है, भौतिक बचत भी वित्तीय बचतों के अनुरूप बढ़ी है। वित्तीय बचतों के पक्ष में अनुत्पादक भौतिक बचतों की स्थानापन्नता निवेश के लिए बड़े संसाधन उत्पन्न कर सकती है। साथ ही ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में काफी मात्रा में अदोहित बचत संभाव्यता है। तथापि, अनुत्पादक भौतिक बचतों को वित्तीय बचतों में रूपांतरित करने तथा अब तक अदोहित ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों की बचतों का संग्रहण करने के लिए अभिनव और कम खर्चीले उत्पादों की जरूरत होगी। बैंकों की पहुंच तथा उनकी जमाराशियों के विशेष लक्षण, अर्थात सुरक्षा और तरलता, को देखते हुए वे वित्तीय प्रणाली के अन्य घटकों की तुलना में यह भूमिका निभाने की बेहतर स्थिति में हैं।

*बासेल II*

1.25 बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भारत विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना रहा है। 1988 के बासेल समझौते के अनुसरण में, जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर), जिसने तुलनपत्र और तुलनपत्र बाह्य दोनों तरह के कारोबार में शामिल जोखिम के तत्व को हिसाब में लिया, बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता के भलीभांति माने गए और वैश्विक रूप से स्वीकृत उपाय के रूप में उभरा। तदनुसार बैंकिंग क्षेत्र सुधार के अंग के रूप में भारत ने चरणबद्ध तरीके से बासेल मानदंडों को अपनाया। वस्तुतः भारत ने एक कदम आगे बढ़कर 8 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय मानदंड के विरुद्ध 9 प्रतिशत पर सीआरएआर निर्धारित किया। इसके अलावा, भारत ने मोटे तौर पर बासेल मानदंडों में 1996 में हुए संशोधन के अनुरूप जून 2004 में बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार भी निर्धारित किया।

1.26 तथापि, पिछले वर्षों में बासेल I मानदंडों की कई सीमाएं सामने आई हैं। बड़ी और जटिल बैंकिंग संस्थाओं के उदय तथा जोखिम प्रबंधन में संस्थाओं के बढ़ते हुए परिष्करण को देखते हुए बासेल I के तहत जोखिम भारों की स्ट्रेट जैकेट प्रणाली कम सार्थक हो गई। इसके अलावा ऋण जोखिम की माप में हुए सुधारों ने उन महत्वपूर्ण नियमों के अंतरपणन के लिए प्रतिभूतिकरण तथा क्रेडिट डेरिवेटिव के बढ़े हुए उपयोग को सुकर बनाया। अतः बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने नया पूंजीगत ढांचा (बासेल II ढांचा) शुरू किया, जिसमें न सिर्फ ऋण और बाजार जोखिमों के लिए अपितु परिचालनात्मक जोखिम के लिए भी बैंकों के लिए अधिक जोखिम संवेदनशील पूंजीगत अपेक्षा का प्रावधान है। पूंजीगत अपेक्षाओं की अनुपूर्ति पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा और बाजार अनुशासन द्वारा की जाती है। भारत में बासेल II ढांचा मार्च 2009 के अंत से पूर्णतः परिचालित हो जाएगा, जबकि देशी और विदेशी बैंकों का एक भाग पहले ही बासेल II का अनुपालन कर रहा है। बासेल II का कार्यान्वयन बैंकों तथा रिज़र्व बैंक के लिए कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। बैंकों के स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ शाखा अंतर-संबद्धता को अपग्रेड करना अपेक्षित होगा जिसमें खर्चा आएगा तथा सुरक्षा संबंधी कुछ मुद्दे भी उठेंगे। बासेल II का कार्यान्वयन मानव संसाधन कौशल तथा डेटाबेस प्रबंधन के विकास संबंधी कई मुद्दे भी उठाता है। बैंकों को पूंजी जुटाने के विभिन्न विकल्पों की भी खोज करनी होगी। प्रत्येक राष्ट्रीय पर्यवेक्षक से आशा है कि वह समयसारणी तथा कार्यान्वयन के लिए दृष्टिकोण तैयार करते समय अपनी देशी बैंकिंग प्रणाली के संबंध में संशोधित ढांचे के लाभ पर सतर्कतापूर्वक विचार करे। रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए बासेल II ढांचे के कार्यान्वयन के लिए समयसारणी तैयार की है। बासेल II ढांचे में तीन प्रमुख जोखिमों के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं की गणना करने हेतु कई विकल्प उपलब्ध है। जहां वर्तमान में बैंक सरल दृष्टिकोण अपनाएंगे, यह संभव है कि बाद में कुछ बैंक रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण के तहत अग्रिम दृष्टिकोणों की ओर अग्रसर हों। फलस्वरूप परिमाणात्मक तकनीकों से सुसज्जित मानव संसाधन की गुणवत्ता में क्रमिक सुधार की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी। ढांचे के स्तंभ II के तहत, बैंकों द्वारा अधिक परिष्कृत प्रॉडक्ट शुरू करने पर रिज़र्व बैंक द्वारा उसकी पर्यवेक्षणात्मक प्रक्रियाओं की समीक्षा और उसमें संशोधन किया जाना अपेक्षित होगा। वाणिज्यिक बैंकों के अलावा, देश में शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसी कई अन्य प्रकार की बैंकिंग संस्थाएं भी कार्यरत हैं। इस बात की सतर्कतापूर्वक जांच करने की जरूरत है कि पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों के बारे में ऐसी संस्थाओं पर किस प्रकार का विनियामक व्यवहार लागू किए जाने की जरूरत है।

*विदेशी बैंकों की भूमिका*

1.27 अब यह व्यापक तौर पर माना जाने लगा है कि वित्तीय संस्थाओं के दक्षतापूर्ण परिचालन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाए रखना जरूरी है। बैंकिंग में आनुभविक तथा सैद्धांतिक साहित्य भी यह सुझाते हैं कि एक प्रतिस्पर्धी बैंकिंग प्रणाली अधिक दक्ष होती है। अतः सरकार और रिज़र्व बैंक का यह प्रयास है कि निजी क्षेत्र के नए बैंकों के प्रवेश, विदेशी बैंकों की उपस्थिति में वृद्धि तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को परिचालनात्मक लचीलेपन के प्रावधान के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए। स्वामित्व के विशाखीकरण के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुमति दी गई कि वे सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत पर बनाए रखने की शर्त पर पूंजी

बाजारों से निधियां जुटाएं। प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को अवरुद्ध करने वाले विभिन्न अन्य प्रतिबंधों को भी कमोबेश निकाल दिया गया है।

1.28 वित्तीय प्रणाली के अंतरराष्ट्रीय समन्वयन में प्रमुख वाहन के रूप में विदेशी बैंकों के उदय को स्वीकार करते हुए, हाल के वर्षों में विभिन्न देशों में नीतिनिर्माताओं की कार्यसूची में विदेशी बैंकों के प्रवेश के प्रति उदार नीति एक उच्च प्राथमिकता बन गई है। विदेशी वित्तीय संस्थाओं को देशी बाजार में प्रवेश की अनुमति देकर वित्तीय सेवाओं को उदार बनाने से प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा तथा इस प्रकार बेहतर और सस्ती वित्तीय मध्यस्थता संभव होगी। प्रौद्योगिकी तथा कौशल प्रबंधन के मिश्रण के जरिए प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने के अलावा, विदेशी बैंकों के प्रवेश के कुछ अन्य लाभों में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की शुरुआत तथा बड़ा पूंजी आधार शामिल हैं, जो मेजबान देश के व्यवसाय चक्र के प्रति भी कम संवेदनशील है। तथापि, विभिन्न देशों के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि विदेशी बैंकों के लाभ और उनके खर्चे स्पष्ट नहीं हैं तथा वे वित्तीय क्षेत्र के सुधार के क्रम और संबंधित देश में विकास के स्तर पर निर्भर रहते हुए संदर्भाधीन हैं। कई आनुभविक अध्ययन यह सुझाते हैं कि बैंकिंग तनाव की अवधि में विदेशी बैंक एक स्थिरकारी भूमिका निभाते हैं (लेवाइन, 1996; मार्टिनेज पेरिआ आदि,2002; डेट्रागिआचे तथा गुप्ता, 2004; और गोल्डबर्ग आदि, 2000)। इसके अलावा विदेशी बैंकों के प्रवेश की लागत और उसके लाभ काफी सीमा तक विदेशी बैंकों की प्रवेश की विधि द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। वित्तीय सेवा उद्योग का उदारीकरण भी कुछ चिंताओं को जन्म देता है। उदाहरण के लिए विदेशी बैंकों की मौजूदगी बढ़ने की संभाव्यता किसी देश को बाह्य आघातों के प्रति एक्सपोज कर सकती है। देशी वित्तीय प्रणाली को बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए खोलने से भी देशी वित्तीय संस्थाओं का विदेशी बैंकों द्वारा अधिग्रहण किए जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है।

1.29 भारत ने सुधारोत्तर अवधि में विदेशी बैंकों के प्रवेश को भी उदार बनाया। फरवरी 2005 में रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किये गए रोडमैप में, देशी बैंकिंग क्षेत्र को विदेशी बैंकों के लिए खोलने की परिकल्पना दो चरणों में की गई। पहले चरण में यह परिकल्पना की गई कि पहली बार भारत में उपस्थिति दर्ज कराने के इच्छुक विदेशी बैंक या तो शाखा की उपस्थिति के माध्यम से परिचालन करना चुनें अथवा वे एक-विधि उपस्थिति मानदंड का अनुसरण करते हुए 100 प्रतिशत पूर्ण रूप से स्वाधिकृत सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) की स्थापना करें। दूसरे चरण (अप्रैल 2009 के बाद) में, विदेशी बैंकों की नीति की समीक्षा की जानी है। उस चरण में विदेशी बैंकों की बढ़ी हुई मौजूदगी से जुड़े विभिन्न मुद्दों - यथा, देशी बैंकों पर प्रभाव, उनके परिष्कृत परिचालनों तथा जटिल एवं परिष्कृत प्रॉडक्टों में उनकी सहभागिता को देखते हुए पर्यवेक्षणात्मक और विनियात्मक चुनौतियों, वित्तीय समावेशन, कृषि एवं एसएमई को ऋण, ऋण सुपुर्दगी के बारे में सार्वजनिक नीति, लागत एवं आबंटन - का लेखाजोखा करने की जरूरत होगी। गृह तथा मेजबान देशों के विनियामकों के बीच समन्वय संबंधी मुद्दे भी चुनौती उपस्थित करेंगे।

*पूंजी खाता परिवर्तनीयता*

1.30 अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिकाधिक समन्वित होगी, वैसे-वैसे भारतीय बैंकिंग प्रणाली भी शेष विश्व के साथ क्रमिक रूप से समन्वित होती जाएगी। पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर गठित समिति (अध्यक्ष : श्री एस.एस. तारापोर), जिसने जुलाई 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ने अन्य बातों के साथ-साथ पांच वर्ष की अवधि के व्यापक टाइमफ्रेम की संस्तुति की जिसे पूर्णतर पूंजी खाता उदारीकरण के लिए तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, अर्थात 2006-07 (चरण I), 2007-08 और 2008-09 (चरण II) तथा 2009-10 और 2010-11 (चरण III) ।

1.31 पूंजी खाता लेनदेनों के और अधिक उदारीकरण के फलस्वरूप यह आशा है कि देश के अंदर और बाहर पूंजी का दुतरफा व्यापक प्रवाह होगा। पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता के युग में, बैंकों से यह आशा की जाएगी कि वे देश के भीतर और बाहर निधियों के प्रवाह के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हुए अनेक मुद्राओं में लेनदेन करें, जब उन्हें निवासियों एवं अनिवासियों दोनों से जमाराशि स्वीकार करने तथा उधार जुटाने के लिए और देशी एवं विदेशी क्षेत्राधिकारों दोनों में उधार और निवेश के लिए समर्थ बनाया जाए। इसी तरह अनिवासी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से आशा की जाती है कि वे इसी तरह के लेनदेन करें। बैंकिंग प्रणाली के साथ संपर्क रखनेवाली वित्तेतर संस्थाएं भी विदेश में उधार लेने, देने और निवेश करने के समय अनेक मुद्राओं में लेनदेन करेंगी। इस प्रकार की सभी लेनदेन बैंकिंग प्रणाली के जोखिम को बढ़ाते हैं जो कम खुली देशी बैंकिंग प्रणाली में उतनी स्पष्ट नहीं होती है। इस प्रकार मुक्त पूंजी खाता युग में बैंकिंग प्रणाली के सामने मुद्रा जोखिम, काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम, अंतरण जोखिम, विधिक जोखिम, विनियामक अंतरपणन जोखिम, डेरिवेटिव लेनदेन जोखिम और प्रतिष्ठा जोखिम के रूप में जोखिमों में वृद्धि हो जाएगी। यह बैंकिंग प्रणाली में जोखिम प्रबंधन क्षमताओं की जरूरत को रेखांकित करता है। मुक्त पूंजी युग के लिए चलनिधि प्रबंधन तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकटीकरण प्रथाओं में सुधार की भी अपेक्षा होगी क्योंकि उन्हें परिपक्वता बेमेलों के नियंत्रण तथा ऋण-इक्विटी मिश्रण में सुधार लाने के लिए निधीयन के स्रोतों को विशाखीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक उदारीकृत वातावरण में विनिमय जोखिम के प्रति बैंकों के अपने एक्सपोजर, विभिन्न देशों के क्षेत्राधिकारों में फैली

उसी प्रकार की जोखिमों का सामना करनेवाली कंपनियों के प्रति उनके एक्सपोजरों सहित, जोखिमों की बहुलता को बढ़ाएंगे जो कड़ी निगरानी एवं विवेकपूर्ण प्रबंधन के मुद्दों को प्रस्तुत करता है। पूर्णतर पूंजी खाता युग में सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र भी उपयुक्त मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

1.32 इस प्रकार, शेष विश्व के साथ देशी अर्थव्यवस्था का समन्वयन बढ़ाने के लिए यह अपेक्षित है कि बैंकिंग क्षेत्र अलग-अलग और बढ़ी हुई जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त क्षमताएं तैयार करे। विशेष तौर पर विनिमय दर जोखिम और विभिन्न बाजारों में उसके प्रभावों का प्रसार ऐसी विशिष्ट चुनौतियां हैं जिनसे वैश्विक परिदृश्य में निपटा जाना है। इन चुनौतियों का सामना करने की असमर्थता से वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता आ सकती है। मुक्त पूंजी लेनदेन युग में, धनशोधन की मात्रा भी वित्तीय प्रवाहों में समग्र वृद्धि के साथ बढ़ सकती है, जिसके लिए उपयुक्त नीतिगत प्रतिसाद अपेक्षित होंगे।

*वित्तीय संगुट और विनियामक संरचना*

1.33 परंपरागत रूप से पूरे विश्व में वित्तीय मध्यस्थकों का विनियमन संस्थागत तौर पर किया जा रहा है जिसके द्वारा व्यवसाय मिश्रण से निरपेक्ष वित्तीय संस्थाओं के विनियमन पर ध्यान दिया जाता है। हाल के वर्षों में, बैंकों तथा बैंकेतर वित्तीय मध्यस्थों के बीच अंतर अस्पष्ट हो गया है। ऐसे अनेक वित्तीय संगुटों का भी उदय हुआ है जो उसी कारपोरेट संरचना के तहत विभिन्न वित्तीय कार्यकलाप करते हैं। इन्होंने संस्था-आधारित विनियमन को चुनौती दी है क्योंकि यह विनियमन में मौजूद अंतरालों तथा अतिव्याप्ति को हिसाब में लेने में असफल है। इसके अलावा, एक समूह के रूप में वित्तीय संगुटों की जोखिम अनेक कार्यकलापों में कार्यरत उसकी संबद्ध/सहायक संस्थाओं की जोखिमों के कुल जोड़ की तुलना में उच्चतर हो सकती है। अतः कई देशों में संस्थाओं पर आधारित विनियामक संरचना नीति और सार्वजनिक बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गई है।

1.34 वित्तीय संगुटों के परिचालनों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान पाने के लिए कुछ देशों ने बड़े/एकल विनियामक की प्रणाली का अनुसरण किया है, जो वित्तीय प्रणाली के सभी खंडों का पर्यवेक्षण करती है। कुछ अन्य देशों ने उद्देश्य-आधारित विनियमन का अनुसरण किया है जिसके तहत विनियमन उद्देश्य पर आधारित है (विवेकपूर्ण विनियमन अथवा बाजार व्यवहार)। तथापि, प्रत्येक संरचना के अपने फायदे और नुकसान हैं तथा विनियामक इस मुद्दे से भिड़ रहे हैं कि कौन-सी संरचना सर्वाधिक उपयुक्त है। वित्तीय बाजार की हाल की गतिविधियां तथा यू.के. में नॉर्दर्न रॉक, जिसकी केंद्रीय बैंक के बाहर पर्यवेक्षी संरचना थी, की चूक ने इस मुद्दे में और अधिक अनिश्चितता जोड़ दी है।

1.35 भारत में, भी विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करनेवालों के बीच कार्यकलाप के बीच अंतर धुंधला होता जा रहा है। कुछ वित्तीय संगुटों का भी उदय हुआ है। सेबी तथा आइआरडीए जैसे अन्य विनियामकों के सहयोग से वित्तीय संगुटों के लिए निगरानी प्रक्रिया विकसित की गई है। इस संबंध में वित्तीय संगुटों की उपयुक्त संरचना काफी निकट संबद्ध मुद्दा है। भारत में वित्तीय संगुटों का स्वरूप मूल-सहायक संरचना पर आधारित है। यू.एस., जापान तथा कनाडा जैसे कुछ देशों में वित्तीय संगुटों को धारक कंपनी संरचना में संगठित किया गया है। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2007 में 'चर्चा पत्र' जारी किया, जिसमें यह सूचित किया गया कि बैंक धारक/वित्तीय धारक मॉडल अपनाने की संभावना खोजना उपयोगी होगा।

*जटिल प्रॉडक्ट*

1.36 हाल के वर्षों में, विकसित देशों में आस्ति-समर्थित प्रतिभूति, डेरिवेटिव, ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) तथा संपार्श्विकीकृत ऋण दायित्व (सीडीओ) जैसे वित्तीय प्रॉडक्ट आ गए हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच ये प्रॉडक्ट अत्यधिक लोकप्रिय हो गए क्योंकि इन्होंने उन्हें अपनी जोखिम का बचाव करने तथा अपनी विनियामक एवं आर्थिक पूंजी अधिक दक्षतापूर्वक प्रबंधित करने की अनुमति दी।

1.37 यद्यपि विभिन्न संरचित प्रॉडक्टों के कारण जोखिमों का अंतरण संभव हुआ है एवं लिखतों की तरलता बढ़ी है, तथापि, यूएस सबप्राइम बंधक बाजार में हाल के उथल-पुथल तथा जटिल डेरिवेटिव से जुड़ी अन्य गतिविधियों ने इन लिखतों द्वारा प्रस्तुत जोखिमों को सामने ला दिया है। इन लिखतों के कार्यनिष्पादन संबंधी लंबे ऐतिहासिक आंकड़ों के अभाव तथा अन्य आस्तियों एवं लिखतों के साथ उनके सह-संबंधों ने उनके समग्र जोखिम-प्रतिलाभ प्रोफाइल के आकलन को कठिन बना दिया है। इसके अलावा, सबप्राइम रिहाइशी बंधक समर्थित प्रतिभूति बाजार में कई बाजार प्रतिभागी भलीभांति समुचित सावधानी बरते बिना तथा उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं की स्थापना किए बिना आगे बढ़ने के इच्छुक थे। संरचित क्रेडिट जैसी नई लिखतों की अत्यधिक अपारदर्शिता द्वारा आक्रामक जोखिम उठाने को बढ़ावा मिला। जहां अभिनव ऋण लिखतों के प्रयोग में वृद्धि एवं जोखिम विस्तार के जटिल स्तरीकरण की प्रथा ने सूचना लागत को घटा दिया, इसकी मदद से निवेशक अथवा जोखिम उठानेवाले अंतिम उधारकर्ताओं, जहां वास्तविक जोखिम थी, से क्रमिक रूप से दूर हो गए। बंधक दलालों, बंधक कंपनियों और सोसाइटियों जैसे कई मध्यस्थों द्वारा गैर अनुरूपी ऋणों सहित बंधक आस्तियों को पैकेज किए जाने तथा विशेष निवेश वाहनों (एसआइवी) और बचाव निधियों सहित विभिन्न श्रेणी के निवेशकों

को उनकी बिक्री किए जाने के साथ, संपूर्ण शृंखला में जोखिमों की पहचान और उनकी स्थिति अधिकाधिक चुनौतीपूर्ण हो गई।

1.38 भारत में भी बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) जैसे वित्तीय प्रॉडक्ट मौजूद हैं। प्रतिभूतिकृत प्रॉडक्टों के अलावा, भारतीय विदेशी मुद्रा तथा रुपया डेरिवेटिव बाजार भी कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से विकसित हो गए हैं। रुपया सहित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों के मामले में, निवासियों की पहुंच विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप लिखतों तथा मुद्रा ऑप्शन - क्रास करेंसी एवं विदेशी मुद्रा-रुपया दोनों - रूपों में है। जैसाकि वर्ष 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया है, रिज़र्व बैंक ने पात्र एक्सचेंजों में करेंसी फ्यूचर्स लागू करने की घोषणा की जिसके लिए अगस्त 2008 में व्यापक ढांचे की घोषणा की गई। भविष्य में कुछ और अभिनव एवं जटिल प्रॉडक्ट आ सकते हैं। इन प्रॉडक्टों से कई विनियामक एवं पर्यवेक्षणात्मक चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

*वित्तीय समावेशन*

1.39 कुछ वर्षों में बैंकिंग के तीव्र प्रसार के बावजूद प्रमुख तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाली आबादी का एक बड़ा भाग औपचारिक वित्तीय प्रणाली से दूर है।वर्तमान में एक स्पष्ट धारणा है कि बड़ी संख्या में लोग, संभाव्य उद्यमी, छोटे उद्यम और अन्य, जिन्हें वित्तीय क्षेत्र के बाहर रखा गया है, हासिए पर चले गए हैं और उन्हें बढ़ने और संपन्न होने का अवसर नहीं दिया गया है (मोहन, 2006)। अतः संगठित वित्तीय प्रणाली के प्रति आबादी के इस बड़े भाग को पहुंचाना रिज़र्व बैंक की कार्यसूची में काफी ऊपर है। तथापि, मुख्य मुद्दा यह है कि संस्थागत स्रोतों का उपयोग किस प्रकार किया जाए ताकि ऋण प्रदान करने के संबंध में व्यापक लोगों को समाविष्ट किया जा सके। कम आय एवं अल्प बचत वाले बड़ी संख्या में परिवारों को भी जुटाने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में वित्तीय निष्कासन की स्थिति है। वित्तीय निष्कासन की लागत समाज एवं व्यक्ति के लिए काफी अधिक मानी जाती है, विशेष तौर पर वित्तीय बाध्यताओं के कारण पूरी संभाव्यता के दोहन में असमर्थता के रूप में। तथापि, ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनके लिए बैंकों, रिज़र्व बैंक तथा सरकार द्वारा समंजित प्रयास कर आम जनता को वित्तीय सेवाओं की सुविधाजनक एवं कम खर्चीली सुपुर्दगी सुनिश्चित की जानी है। विशेष रूप में वित्तीय समावेशन को एक अर्थक्षम मॉडल बनाने हेतु जोखिम आकलन में नवीन प्रयोग करने, लेनदेन लागत घटाने, नए ऋण सुपुर्दगी चैनल शुरू करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की चुनौती है।

## रिपोर्ट की संरचना

1.40 बैंकिंग क्षेत्र के सामने मौजूद विभिन्न मुद्दों/चुनौतियों की समझ बढ़ाने के लिए तथा सुदृढ़ आधार पर बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु निपटाए जानेवाले महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने के लिए, 2006-08 की रिपोर्ट की विषयवस्तु के लिए ''**भारत में बैंकिंग क्षेत्र - उभरते मुद्दे और चुनौतियां**'' को चुना गया है। इस रिपोर्ट में भारत में बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं यथा संसाधन संग्रहण, पूंजी और जोखिम प्रबंधन; बैंकों के उधार और निवेश परिचालन; वित्तीय समावेशन; दक्षता, लाभप्रदता और सुदृढ़ता; प्रतिस्पर्धा और समेकन; तथा विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक चुनौतियों का गंभीर विश्लेषण किया गया है। इन पहलुओं का विश्लेषण अंतर-कालिक और विभिन्न देशों के आंकड़ों/जानकारियों का उपयोग कर वर्तमान प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए किया गया है। बैंकिंग के उक्त प्रत्येक पहलू के लिए भविष्य में उपलब्ध विकल्प की रूपरेखा प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों की अत्यधिक जांच करने तथा भारत की वृद्धि की वर्तमान गति के समर्थन/त्वरण तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बढ़ाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु भविष्य में किए जानेवाले उपायों पर बल दिया गया है। इस रिपोर्ट में सुझाए गए विभिन्न उपाय सिर्फ वह व्यापक दिशा निर्धारित करते हैं जिसमें भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। विश्वसनीय तौर पर सुचारु तरीके से आगे बढ़ने को ध्यान में रखते हुए किए जानेवाले उपायों की गति और उनके अनुक्रमण पर सोच-विचार किए जाने की जरूरत होगी।

1.41 इस रिपोर्ट की विषयवस्तु पिछले तीन वर्षों की रिपोर्टों की विषयवस्तुओं अर्थात 'भारत में मौद्रिक नीति का विकास और उसकी चुनौतियां' (2003-04), 'भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास' (2004-05) तथा 'वित्तीय बाजारों का विकास तथा केंद्रीय बैंक की भूमिका' (2005-06) का पूरक है। वित्तीय बाजारों के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए, 2005-06 की रिपोर्ट में उन्हें पूर्णतः विकसित करने के लिए निपटाए जानेवाले प्रमुख मुद्दों की पहचान करने हेतु उनके विभिन्न खंडों पर गंभीर विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार वर्तमान रिपोर्ट की विषयवस्तु एक ऐसी वित्तीय प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य के अनुरूप है जो आगे आनेवाली चुनौतियों को कारगर तरीके से पूरा करने के लिए अच्छी तरह विशाखीकृत तथा सुसज्जित हो। कुल मिलाकर इन चार रिपोर्टों में रिज़र्व बैंक के उत्तरदायित्व के प्रमुख क्षेत्रों के लिए चिंतन के विकास और भावी योजना को शामिल किया गया है।

1.42 इस अध्याय सहित इस रिपोर्ट में ग्यारह अध्याय हैं। मूल विषयवस्तु आधारित चर्चा की प्रस्तावना के रूप में 'हाल की आर्थिक

गतिविधियां' नामक रिपोर्ट के दूसरे अध्याय में 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की समष्टि आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषणात्मक लेखा प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा 2008-09 के लिए नवीनतम समष्टि आर्थिक गतिविधियां, जहां भी आंकड़े उपलब्ध हैं, भी शामिल की गई हैं। इस अध्याय में छह बड़े खंड हैं, यथा, वास्तविक क्षेत्र, राजकोषीय स्थिति, मौद्रिक और ऋण स्थिति, वित्तीय बाजार, बैंक और वित्तीय संस्थाएं तथा बाह्य क्षेत्र ।

1.43 'भारत में बैंकिंग का विकास' नामक तीसरे अध्याय में भारत में बैंकिंग क्षेत्र का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि आजादी के बाद के इतिहास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, इसकी शुरुआत आरंभिक वर्षों की बैंकिंग की रूपरेखा प्रस्तुत कर की गई है। इस अध्याय में इतिहास का उद्घाटन करते हुए कहानी का वर्णन किया गया है तथा तीन अवधियों अर्थात 1947 से1967; 1967 से 1991 तथा 1991 के बाद की अवधियों के तहत बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियों पर मोटे तौर पर चर्चा की गई है।

1.44 'संसाधन संग्रहण प्रबंधन' नामक चौथे अध्याय में भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संसाधन संग्रहण की विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई है तथा इसमें संसाधन संग्रहण बनाए रखने में उनके सामने आनेवाली चुनौतियों की पहचान की गई है। बैंकों की मध्यवर्ती भूमिका पर सैद्धांतिक समर्थन देने के अलावा, इस अध्याय में संसाधन जुटाने में वित्तीय मध्यवर्तियों की भूमिका की जांच की गई है जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह में दिखाई देता है। इस अध्याय में जमा संग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया गया है ताकि अंतर्निहित चुनौतियों को समझा जा सके।बैंकों की समग्र देयता संरचना में जमाराशियों के महत्व पर भी चर्चा की गई है। विभिन्न देशों के अनुभवों के आलोक में, इस अध्याय में संसाधन संग्रहण में बैंकों के समक्ष मौजूद उभरते मुद्दों और चुनौतियों की पहचान की गई है तथा उन्हें कारगर तौर पर पूरा करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।

1.45 'पूंजी तथा जोखिम प्रबंधन' नामक पांचवें अध्याय में विशेष तौर पर बासेल II ढांचे के कार्यान्वयन के संदर्भ में भारत में बैंकों के समक्ष जोखिम एवं पूंजी प्रबंधन में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा की गई है। इस अध्याय की शुरुआत पूंजी की माप एवं पूंजी मानकों के अंतरराष्ट्रीय अभिसरण के साथ की गई है तथा इसमें बासेल II ढांचे के कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न मुद्दों, उसके लाभ, उसकी सीमाओं, उसके संभावित प्रभाव तथा प्रमुख देशों में उसके कार्यान्वयन की प्रगति, का वर्णन किया गया है। भारतीय संदर्भ में बासेल II के कार्यान्वयन में की गई प्रगति के साथ पूंजी एवं जोखिम प्रबंधन के क्षेत्रों की नीतिगत गतिविधियों पर ब्यौरेवार चर्चा की गई है।भारतीय संदर्भ में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, आस्ति देयता प्रबंधन तथा कारपोरेट अभिशासन पर भी चर्चा की गई है। सुधारोत्तर अवधि में बैंकों द्वारा पूंजी प्रबंधन का विश्लेषण करने के बाद, इस अध्याय में सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर विशेष ध्यान देते हुए अगले पांच वर्षों (2007-08 से 2011-12) में से प्रत्येक में पूंजी संबंधी जरूरतों का आकलन किया गया है। इस अध्याय में भविष्य की चुनौतियां तथा सुसंगत मुद्दे भी ब्यौरेवार दिए गए हैं।

1.46 'बैंकों के उधार और निवेश परिचालन' नामक छठे अध्याय में भारत में वाणिज्य बैंकों के उधार और निवेश संबंधी विभिन्न परिचालनों पर प्राथमिक तौर पर चर्चा की गई है। बैंक उधार के सैद्धांतिक समर्थन की संक्षिप्त रूपरेखा के बाद, इस अध्याय में 1990 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुई अवधि पर विशेष ध्यान देते हुए बैंकों के उधार परिचालनों की प्रवृत्तियों का ब्यौरेवार विश्लेषण किया गया है। विभिन्न देशों के अनुभवों की पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में कृषि, लघु और मझौले उद्यम तथा मूलभूत संरचना जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा उधार दिए जाने संबंधी मुद्दों और बाध्यताओं की चर्चा की गई है। बैंकों के निवेश परिचालनों के भी ब्यौरे दिए गए हैं। बैंकों द्वारा उधार देने में अपनाए जानेवाले देशी और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के विश्लेषण के आधार पर इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में सुधार लाने हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं।

1.47 'वित्तीय समावेशन' संबंधी सातवें अध्याय में सैद्धांतिक गतिविधियों, देश के अनुभवों तथा आनुभविक विश्लेषण के आधार पर भारत में वित्तीय समावेशन/निष्कासन संबंधी प्रमुख मुद्दों की जांच की गई है। संकल्पनात्मक ढांचे, माप संबंधी मुद्दों तथा स्वरूप, वित्तीय निष्कासन के कारणों एवं परिणामों पर चर्चा करने के बाद, इस अध्याय में भारत में वित्तीय समावेशन के नीतिगत पहलों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में भारत में वित्तीय समावेशन/निष्कासन के स्वरूप और मात्रा के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्तीय समावेशन के परिचालन लागत तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका संबंधी मुद्दों का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय संदर्भ में देश के अनुभवों को तथा आनुभविक विश्लेषण के आधार पर इस अध्याय में भारत में वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए भावी उपाय के तौर पर कई सुझाव दिए गए हैं।

1.48 'प्रतिस्पर्धा और समेकन' नामक आठवें अध्याय में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में समेकन और प्रतिस्पर्धा के विभिन्न पक्षों के साथ समेकन और प्रतिस्पर्धा के बारे में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों और देश के अनुभवों पर चर्चा की गई है। इस अध्याय में समेकन की प्रक्रिया की मात्रा और स्वरूप की जांच तथा बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पर उसके प्रभाव और भारतीय संदर्भ में विलीन संस्थाओं की दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस

अध्याय में बाजार संरचना पर समेकन के प्रभाव की भी जांच की गई है। समेकन प्रक्रिया की भविष्य की कार्रवाई, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका, विदेशी बैंकों की मौजूदगी में वृद्धि तथा बैंकिंग एवं वाणिज्य के संमिश्रण संबंधी मुद्दों का भी विश्लेषण किया गया है। समेकन की प्रक्रिया सुदृढ़ किए जाने की स्थिति में भी भारत में बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस अध्याय में कई सुझाव भी दिए गए हैं।

1.49 'भारत में बैंकिंग क्षेत्र की उत्पादकता, दक्षता और सुदृढ़ता' नामक नौवें अध्याय में दक्षता एवं उत्पादकता की माप संबंधी संकल्पनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के बाद समग्र बैंकिंग क्षेत्र तथा विभिन्न बैंक समूहों की उत्पादकता एवं दक्षता का आकलन लेखांकन उपायों अथवा वित्तीय अनुपातों के आधार पर किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ, अन्य देशों के साथ तुलना भी की गई है। बैंकों की आय के मुख्य स्रोत निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) को प्रभावित करनेवाले कारकों का विश्लेषण किया गया है। इस अध्याय में आर्थिक उपायों के रूप में भारत में बैंकिंग क्षेत्र की उत्पादकता और दक्षता की माप भी की गई है। एक ओर दक्षता का संबंध तथा दूसरी ओर स्वामित्व, आकार और विशाखीकरण का मूल्यांकन भी किया गया है। इस अध्याय में भारत में जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के रूप में बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता के आकलन के पूर्व दक्षता एवं सुदृढ़ता के बीच संबंध भी स्थापित किया गया है। भावी उपाय के रूप में इस अध्याय में बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता, उत्पादकता और सुदृढ़ता में और सुधार लाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।

1.50 'बैंकिंग में विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक चुनौतियां' नामक दसवें अध्याय में बैंकों के विनियमन संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत करने के बाद वैश्विक संदर्भ में बैंकों संबंधी विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक मुद्दों पर हाल में किए जा रहे सोच-विचार की चर्चा की गई है। भारत में वर्तमान विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचे का निर्धारण करने के बाद, इस अध्याय में भारतीय संदर्भ में उत्पन्न विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक मुद्दों/चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वैश्विक और देशी गतिविधियों के संदर्भ में, भारत में विनियमन और पर्यवेक्षण को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से सुझाव दिए गए हैं।

1.51 'समग्र मूल्यांकन' नामक ग्यारहवें अध्याय में रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में निकाले गए प्रमुख निष्कर्षों और सुझावों का जोड़ प्रस्तुत किया गया है तथा उभरती चुनौतियों को कारगर तरीके से पूरा करने के लिए बैंकों तथा रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने की दृष्टि से कुछ अंतिम टिप्पणियां की गई हैं।

# II हाल की आर्थिक गतिविधियां

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2007-08 में सुदृढ़ कार्य-निष्पादन दिखाना जारी रखा, हालांकि 2006-07 से वृद्धि की गति मंद हो गई। मंदी के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था का कार्य-निष्पादन पिछले चार वर्षों की औसत वृद्धि के अनुरूप थी। औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि भी 2006-07 की तुलना में 2007-08 में निम्नतर थी। विनिर्माण क्षेत्र की मंद वृद्धि, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के चार बटे पांच भाग से अधिक है, ने प्राथमिक तौर पर औद्योगिक वृद्धि की मंदी में अंशदान किया। दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र ने दुहरे अंकों की वृद्धि का रिकॉर्ड बनाए रखा, जिसे प्राथमिक तौर पर दूरसंचार, साफ्टवेयर निर्यात और आइटी-समर्थित सेवाओं में हुई उच्च वृद्धि से मदद मिली। 2007 में, दक्षिण-पश्चिम मानसून औसत से अधिक था। इसके तथा जल संग्रहण स्तरों में सुधार के फलस्वरूप 2007-08 में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ।

2.2 थोक मूल्य सूचकांक (थोमूसू) में साल-दर-साल घटबढ़ पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति ने 2007-08 की पहली दो तिमाहियों में निरंतर गिरावट दर्शायी। तथापि, दिसंबर 2007 से प्राथमिक खाद्येतर वस्तुओं एवं खाद्य तेल/ खली और धातुओं जैसे विनिर्मित मदों की कीमतें बढ़ने के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि होने लगी। साल-दर-साल उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में, जिसमें जनवरी 2008 तक नरमी आयी थी, बाद के महीनों में तेजी आ गयी।

2.3 खाद्य और कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि की अगुआई में 2007-08 में वैश्विक पण्य मूल्यों में तेजी आई। वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेज के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई, जो सख्त आपूर्ति-मांग संतुलन, भूराजनैतिक तनाव, प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के कमजोर होने तथा निवेशकों एवं वित्तीय बाज़ार के खिलाड़ियों के बाज़ार कार्यकलापों में वृद्धि को दर्शाता है। 2007-08 में, विशेष तौर पर दूसरी छमाही में, मांग (उपभोग मांग तथा जैव ईंधन उत्पादन जैसे खाद्येतर उपयोगों की मांग दोनों) में वृद्धि, प्रमुख फसलों के कम स्टॉक, एवं कुछ प्रमुख खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में मौसम खराब होने के कारण गेहूं, चावल, और तिलहन/ खाद्य तेल की अगुआई में खाद्य मूल्यों में भी तेजी आई। खाद्य मदों पर वैश्विक मांग एवं आपूर्ति संबंधी दबावों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने गेहूं और खाद्य तेल पर आयात शुल्क कम कर दिया तथा उसके बाद गैर बासमती चावल और दाल जैसे कुछ पण्यों पर निर्यात पर पाबंदी लगा दी तथा चुनिंदा उत्पादों पर स्टॉक सीमा संबंधी प्रशासनिक उपाय किए गए। रिज़र्व बैंक ने सीआरआर में वृद्धि के रूप में मौद्रिक उपाय भी किए। 2007-08 में सीआरआर में चार चरणों में 150 आधार अंकों की वृद्धि की गई। तथापि, 2008-09 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति बढ़ी। इसके प्रतिसाद में, रिज़र्व बैंक ने अप्रैल-अगस्त 2008 के दौरान सीआरआर में छ: चरणों में 150 आधार अंकों की तथा रिपो दर में तीन चरणों में 125 आधार अंकों की वृद्धि की।

2.4 भारतीय वित्तीय बाज़ार 2007-08 में, इक्विटी बाज़ार को छोड़कर जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप अस्थिरता के कुछ दौर देखे गए, काफी सीमा तक व्यवस्थित रहे। सरकार के नकदी शेषों और पूंजी प्रवाहों में होने वाले दोलन वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थितियों के मुख्य वाहक थे। मुद्रा बाजार के संपार्श्विकीकृत खंड में जो वर्तमान में मुद्रा बाजार की कुल मात्रा का लगभग 80 प्रतिशत हैं, ब्याज की दरें वर्ष के दौरान मांग दर के अनुरूप परंतु उससे नीचे रहीं। विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपए में आम तौर पर दुतरफा गतिविधि देखी गई। वर्ष के प्रमुख हिस्से में सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रतिफल में नरमी आई।

2.5 2006-07 में मुख्य तौर पर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्यनिष्पादन के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता में सुधार आया। बैंक ऋण सुदृढ़, हालांकि कुछ कम, दर पर बढ़ता रहा। वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार आया।

2.6 केंद्र और राज्य सरकार के वित्त में और समेकन हुआ; 2007-08 के लिए केंद्र सरकार के मुख्य घाटा संकेतकों के संशोधित अनुमान उनके बजट स्तरों से कम रखे गए। अनंतिम खातों में मुख्य घाटा संकेतकों में और गिरावट आ गई। राज्य सरकारों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) के तहत राजकोषीय सुधार और समेकन के प्रति वचनबद्धता दर्शाना जारी रखा।

2.7 2007-08 के दौरान बाह्य क्षेत्र का प्रभावी कार्यनिष्पादन जारी रहा। माल और सेवाओं के निर्यात में 2007-08 में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, आयातों,विशेष तौर पर तेल से इतर आयातों, में काफी अधिक वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ गया। उच्चतर निजी विप्रेषणों तथा सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातों की अगुवाई में अदृश्य मदों के खातों में मौजूद अधिशेष के कारण चालू खाते पर व्यापार घाटा बढ़ने के प्रभाव को नियंत्रित किया गया। देश में निवल पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटा की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक था, जिसके फलस्वरूप समग्र भुगतान शेष में अधिशेष की स्थिति रही।

2.8 इस अध्याय में 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान (उस अवधि तक जिसके लिए नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं) समष्टि आर्थिक गतिविधियों का ब्यौरेवार लेखा प्रस्तुत किया गया है। जहां खंड II में वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियां प्रस्तुत की गई हैं, खंड III में केंद्र एवं राज्य सरकार के वित्त का ब्यौरेवार लेखा दिया गया है। खंड IV में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के साथ मौद्रिक एवं ऋण संबंधी गतिविधियां दी गई हैं। खंड V में वित्तीय बाजारों की प्रमुख गतिविधियां दी गई हैं। 2006-07 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के व्यावसायिक परिचालन खंड VI में शामिल किए गए हैं। खंड VII में बाह्य क्षेत्र की गतिविधियां दी गई हैं। समग्र मूल्यांकन खंड VIII में प्रस्तुत किया गया है।

## II. वास्तविक क्षेत्र

### राष्ट्रीय आय

2.9 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा 30 मई 2008 को जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2006-07 के 9.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। कमी के बावजूद, 2007-08 में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि पिछले चार वर्षों (2003-04 से 2006-07) के 8.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक थी (चार्ट II.1)।

**चार्ट II.1: कारक लागत पर वास्तविक जीडीपी की वार्षिक वृद्धि (1999-2000 की कीमतों पर)**

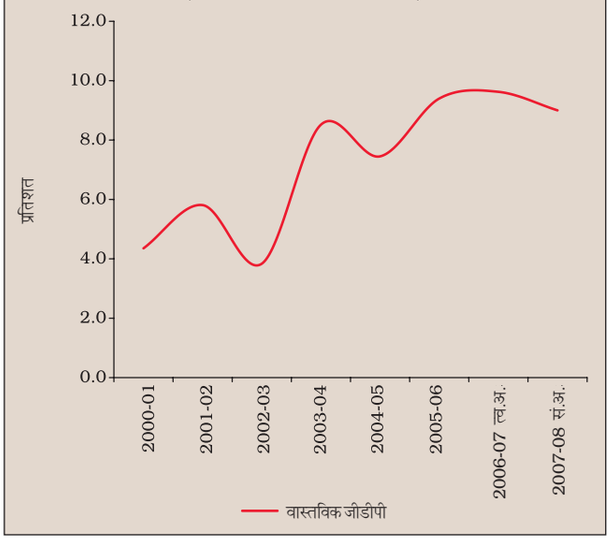


2.10 वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 2007-08 में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र नामक दो प्रमुख क्षेत्रों में मंदी के कारण कमी आई (सारणी 2.1 तथा सारणी 2.2)। जीडीपी में कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का हिस्सा पिछले साल के

**सारणी 2.1 : वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर**

(आधार : 1999-2000)

(प्रतिशत)

| क्षेत्र | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07* | 2007-08# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. कृषि एवं संबंधित कार्य** | **-0.2** | **6.3** | **-7.2** | **10.0** | **0.0** | **5.9** | **3.8** | **4.5** |
| क) कृषि | -0.6 | 6.5 | -8.1 | 10.8 | 0.0 | 6.1 | 3.8 | .. |
| **II. उद्योग** | **6.4** | **2.4** | **6.8** | **6.0** | **8.5** | **8.0** | **10.6** | **8.1** |
| क) खनन एवं उत्खनन | 2.4 | 1.8 | 8.8 | 3.1 | 8.2 | 4.9 | 5.7 | 4.7 |
| ख) विनिर्माण | 7.7 | 2.5 | 6.8 | 6.6 | 8.7 | 9.0 | 12.0 | 8.8 |
| ग) बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति | 2.1 | 1.7 | 4.7 | 4.8 | 7.9 | 4.7 | 6.0 | 6.3 |
| **III. सेवाएं** | **5.7** | **6.9** | **7.5** | **8.8** | **9.9** | **11.0** | **11.2** | **10.7** |
| क) निर्माण | 6.2 | 4.0 | 7.9 | 12.0 | 16.1 | 16.5 | 12.0 | 9.8 |
| ख) व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट | 5.2 | 9.6 | 6.9 | 10.1 | 7.7 | 9.4 | 8.5 | 12.0^ |
| ग) परिवहन, भंडारण और संचार | 11.2 | 8.4 | 14.1 | 15.3 | 15.6 | 14.6 | 16.6 | .. |
| घ) वित्तपोषण, बीमा, जमीन-जायदाद एवं कारोबार सेवाएं | 4.1 | 7.3 | 8.0 | 5.6 | 8.7 | 11.4 | 13.9 | 11.8 |
| ङ) सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 5.4 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.3 |
| **IV. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद** | **4.4** | **5.8** | **3.8** | **8.5** | **7.5** | **9.4** | **9.6** | **9.0** |
| | | | | Sectoral Composition | | | | |
| कृषि एवं संबंधित कार्य | 23.9 | 24.0 | 21.4 | 21.7 | 20.2 | 19.6 | 18.5 | 17.8 |
| उद्योग | 20.0 | 19.3 | 19.9 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 19.4 |
| सेवाएं | 56.1 | 56.7 | 58.7 | 58.9 | 60.2 | 61.1 | 61.9 | 62.9 |
| **कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| *ज्ञापन* | | | | | | | | |
| वर्ष 1999-2000 की कीमतों पर कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद (करोड़ रुपए) | 18,64,300 | 19,72,606 | 20,48,287 | 22,22,758 | 23,88,384 | 26,12,847 | 28,64,310 | 31,22,862 |

*: त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान .. : उपलब्ध नहीं
^: 'परिवहन, भंडारण एवं संचार' के साथ आंकड़ों को जोड़ा गया है।
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

## सारणी 2.2: सकल देशी उत्पाद की वार्षिक एवं तिमाही वृद्धि दरें

(प्रतिशत)

| क्षेत्र | 2000-01 से 2007-08 (औसत) | 2005-06 | 2006-07* | 2007-08# | 2006-07 | | | | 2007-08 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ति1 | ति2 | ति3 | ति4 | ति1 | ति2 | ति3 | ति4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. कृषि एवं संबंधित कार्य** | **2.9** | **5.9 (19.6)** | **3.8 (18.5)** | **4.5 (17.8)** | **2.7** | **3.2** | **4.0** | **4.9** | **4.4** | **4.7** | **6.0** | **2.9** |
| 1.1 कृषि | .. | 6.1 | 3.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| **2. उद्योग** | **7.1** | **8.0 (19.4)** | **10.6 (19.5)** | **8.1 (19.4)** | **10.0** | **10.7** | **10.3** | **11.5** | **9.6** | **8.6** | **8.6** | **5.8** |
| 2.1 खनन एवं उत्खनन | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 6.0 | 8.2 | **1.7** | **5.5** | **5.7** | **5.9** |
| 2.2 विनिर्माण | 7.8 | 9.0 | 12.0 | 8.8 | 11.7 | 12.2 | 11.3 | 12.8 | 10.9 | 9.2 | 9.6 | 5.8 |
| 2.3 बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति | 4.8 | 4.7 | 6.0 | 6.3 | 4.3 | 6.6 | 7.6 | 5.4 | 7.9 | 6.9 | 4.8 | 5.6 |
| **3. सेवाएं** | **9.0** | **11.0 (61.1)** | **11.2 (61.9)** | **10.7 (62.9)** | **11.7** | **11.6** | **11.1** | **10.5** | **10.6** | **10.7** | **10.0** | **11.4** |
| 3.1 व्यापार, होटल, रेस्टोरेन्ट, परिवहन, भंडारण एवं संचार | 10.3 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 10.9 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 13.1 | 11.0 | 11.5 | 12.4 |
| 3.2 वित्तपोषण, बीमा, जमीन-जायदाद एवं कारोबार सेवाएं | 8.8 | 11.4 | 13.9 | 11.8 | 13.6 | 13.9 | 14.7 | 13.4 | 12.6 | 12.4 | 11.9 | 10.5 |
| 3.3 सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं | 5.8 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 10.3 | 7.2 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 7.7 | 6.2 | 9.5 |
| 3.4 विनिर्माण | 10.6 | 16.5 | 12.0 | 9.8 | 13.1 | 12.0 | 10.8 | 12.2 | 7.7 | 11.8 | 7.1 | 12.6 |
| **4. कारक लागत पर वास्तविक सकल देशी उत्पाद** | **7.3** | **9.4 (100)** | **9.6 (100)** | **9.0 (100)** | **9.6** | **10.1** | **9.3** | **9.7** | **9.2** | **9.3** | **8.8** | **8.8** |

* : त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान .. : उपलब्ध नहीं

**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल देशी उत्पाद में हिस्सेदारी का प्रतिशत हैं।

**स्रोत :** केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

18.5 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 में 17.8 प्रतिशत रह गया। सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ गया, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कुछ गिर गया।

### बचत और निवेश

2.11 चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल देशी बचत (जीडीएस) की दर 2005-06 के 34.3 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 34.8 प्रतिशत हो गई। निजी कंपनी बचत दर लगातार पांचवें साल 2001-02 के 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में जीडीपी का 7.8 प्रतिशत हो गई, जो कंपनी क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार दर्शाता है जिससे प्रतिधारित आय में वृद्धि होती है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू क्षेत्र की बचत 2001-02 के 22.1 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 23.8 प्रतिशत हो गई। सरकारी क्षेत्र की बचत, जिसमें 2003-04 में टर्नअराउंड आया, में सुधार जारी रहा जो अधिकांशतः गैर विभागीय और विभागीय उद्यमों की उच्चतर बचत को दर्शाता है (चार्ट II.2 तथा सारणी 2.3)।

2.12 पहले की तरह थोक निवेश का वित्तपोषण देशी बचत द्वारा किया गया। सकल देशी पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) की दर 2005-06 के 35.5 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 35.9 प्रतिशत पर उच्चतर होने का अनुमान था (सारणी 2.3 तथा चार्ट II.3)। निवेश संबंधी कार्यकलाप निजी कंपनी क्षेत्र द्वारा चालित होना जारी रहा, जिसकी दर 2001-02 में जीडीपी के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में जीडीपी

**चार्ट II.2 : सकल देशी बचत - क्षेत्रवार**

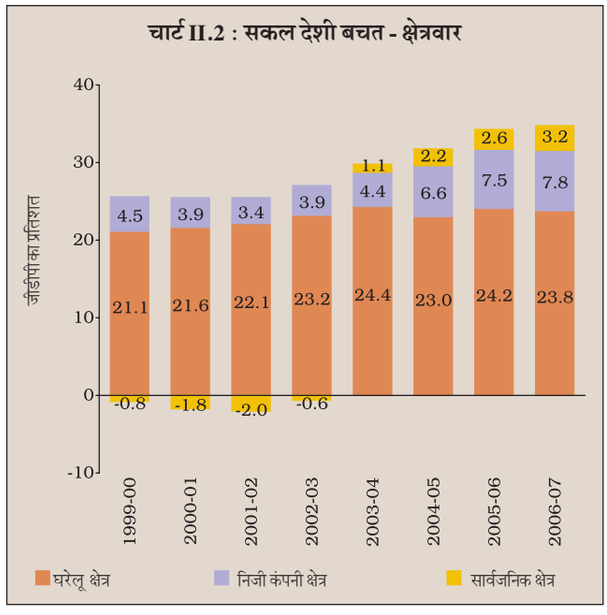

## सारणी 2.3: सकल देशी बचत एवं निवेश की दर

(वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी का प्रतिशत)

| मद | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 (त्व अ) | 2006-07 (अ अ) | 10 वीं योजना (औसत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1 सकल देशी बचत** | **23.5** | **26.4** | **29.8** | **31.8** | **34.3** | **34.8** | **31.4** |
| i) घरेलू क्षेत्र | 22.1 | 23.2 | 24.4 | 23.0 | 24.2 | 23.8 | 23.7 |
| क) वित्तीय बचत | 10.9 | 10.3 | 11.4 | 10.1 | 11.8 | 11.3 | 11.0 |
| ख) भौतिक बचत | 11.3 | 12.9 | 13.0 | 12.9 | 12.5 | 12.5 | 12.7 |
| ii) निजी कारपोरेट क्षेत्र | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 6.0 |
| iii) सार्वजनिक क्षेत्र | -2.0 | -0.6 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 1.7 |
| **2 सकल पूंजी निर्माण** | **24.2** | **25.2** | **26.8** | **31.6** | **34.5** | **36.0** | **30.8** |
| i) घरेलू क्षेत्र | 11.3 | 12.9 | 13.0 | 12.9 | 12.5 | 12.5 | 12.8 |
| ii) निजी कारपोरेट क्षेत्र | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 10.5 | 13.3 | 14.5 | 10.1 |
| iii) सार्वजनिक क्षेत्र | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 7.8 | 6.9 |
| iv) मूल्यवान वस्तुएं | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| **3 सकल देशी पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ)#** | **22.8** | **25.2** | **28.2** | **32.2** | **35.5** | **35.9** | **31.4** |
| **4 बचत निवेश शेष** | **0.7** | **1.2** | **1.6** | **-0.4** | **-1.2** | **-1.1** | **0.0** |
| i) घरेलू क्षेत्र | 10.9 | 10.3 | 11.4 | 10.1 | 11.8 | 11.3 | 10.9 |
| ii) निजी कारपोरेट क्षेत्र | -2.1 | -1.9 | -2.2 | -4.0 | -5.8 | -6.8 | -4.1 |
| iii) सार्वजनिक क्षेत्र | -8.9 | -6.7 | -5.3 | -4.7 | -5.0 | -4.5 | -5.3 |

अ अ : अनंतिम अनुमान त्वअ : त्वरित अनुमान # : भूल चूक के लिए समायोजित।
**स्रोत** : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

का 14.5 प्रतिशत हो गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बचत और निवेश में से प्रत्येक की औसत दरें 31.4 प्रतिशत वार्षिक थीं। योजना अवधि के पहले दो वर्षों में बचत-निवेश का सकारात्मक शेष योजना अवधि के अगले तीन वर्षों में बचत-निवेश के ऋणात्मक शेष द्वारा प्रतितुलित हो गया।

**चार्ट II.3 : सकल देशी निवेश - क्षेत्रवार**

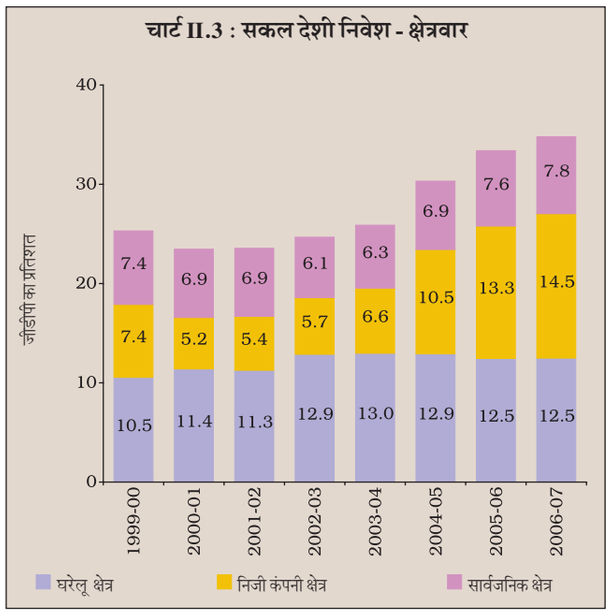


## कृषि

2.13 कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि जनसंख्या का बड़ा भाग इस पर निर्भर है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2007-08 में अनाज का कुल उत्पादन 230.7 मिलियन टन (सभी समय का रिकार्ड) होने का अनुमान था, जो पिछले वर्ष (217.3 मिलियन टन) की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तदनुसार, सीएसओ के संशोधित अनुमानों में 2006-07 के 3.8 प्रतिशत की तुलना में कृषि और संबद्ध कार्यकलाप में 2007-08 में 4.5 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि का अनुमान था।

*दक्षिण-पश्चिम मानसून 2007*

2.14 वर्ष 2007 में दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में सामान्य तारीख से चार दिन पहले 28 मई को आ गया। पूर्वी-मध्यवर्ती अरब सागर में ''गोनू'' नामक सुपर चक्रवात के निर्माण के कारण मानसून आने में जून की शुरुआत में हुई विवृत्ति (हाइएटस) के संक्षिप्त दौर के बाद, दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जुलाई तक, सामान्य अनुसूची से लगभग 11 दिन पहले, पूरे देश पर छा गया। 29 जून 2007 को भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) द्वारा जारी दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम की बरसात को +/- 4 प्रतिशत के मॉडल चूक के साथ दीर्घावधि औसत (एलपीए) के 93 प्रतिशत पर रखा

**सारणी 2.4 : संचयी वर्षा**

| श्रेणी | उप खंडों की संख्या | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दक्षिण-पश्चिम मानसून | | | | उत्तर-पूर्वी मानसून | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 2005 | 2006 | 2007 |
| | (1 जून से 30 सितंबर) | | | | (1 अक्तूबर से 31 दिसंबर) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| अधिक | 9 | 6 | 13 | 10 | 11 | 3 | 2 |
| सामान्य | 23 | 20 | 17 | 22 | 6 | 6 | 7 |
| कम | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 14 | 9 |
| अल्प वर्षा / वर्षा नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 18 |

*: 1 जून से 13 अगस्त तक
**स्रोत:** भारतीय मौसम विभाग

गया। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वास्तविक वर्षा एलपीए का 105 प्रतिशत थी जो आइएमडी के पूर्वानुमान की तुलना में बेहतर थी। 36 मौसम उपखण्डों में से, 30 उपखण्डों में (पिछले साल 26 उपखण्डों में) संचयी वर्षा अधिक/सामान्य थी तथा 6 उपखण्डों में (पिछले साल 10 उपखण्डों में) वर्षा कम/अल्प/नहीं के बराबर थी (सारणी 2.4 तथा चार्ट II.4अ)।

2.15 चार व्यापक समरूप क्षेत्रों[1] में, जहां उत्तर-पश्चिम भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम की बरसात सामान्य से कम (एलपीए का 85 प्रतिशत) थी, वहीं यह दक्षिण प्रायद्वीप (एलपीए का 126 प्रतिशत), मध्य भारत (एलपीए का 108 प्रतिशत) तथा उत्तर-पूर्व भारत (एलपीए का 104 प्रतिशत) में सामान्य से अधिक थी। दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य कार्यनिष्पादन तथा जलसंग्रहण स्तरों में सुधार को देखते हुए, कृषि मंत्रालय ने 2007-08 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए 221.5 मिलियन टन के लगभग लक्ष्य निर्धारित किया, जो पिछले साल के 220 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में थोड़ा अधिक था (सारणी 2.5)।

2.16 मौसम के अंत में पांच उपखण्डों (पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश) में थोड़ी सूखे की स्थिति (26 से 50 प्रतिशत वर्षा की कमी) रही। मौसम के प्रारंभ में मानसून की गतिविधि मंद रही। जून के पहले सप्ताह, जुलाई के तीसरे और चौथे सप्ताह तथा अगस्त के तीसरे सप्ताह में वर्षा में अत्यधिक कमी देखी गयी। शेष मौसम के दौरान वर्षा कालावधि में सुवितरित थी। कुल मिलाकर देश भर में संचयी वर्षा जून के अंतिम सप्ताह के आरंभ में हमेशा सामान्य से अधिक रही। माहवार वितरण से यह पता चलता है कि वर्षा जून (19 प्रतिशत) तथा सितंबर में (18 प्रतिशत) सामान्य से अधिक रही, जबकि जुलाई (3 प्रतिशत) तथा अगस्त (1 प्रतिशत) में यह सामान्य से सिर्फ थोड़ी कम रही।

*जलाशय की स्थिति*

2.17 81 प्रमुख जलाशयों, जिनकी क्षमता देश की कुल जलाशय क्षमता का लगभग 72 प्रतिशत है, में पानी का स्टॉक दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम के अंत में (27 सितंबर 2007) पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) का 79 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के 87 प्रतिशत से कम था परंतु पिछले दस वर्षों के 67 प्रतिशत के औसत से अधिक था।

**चार्ट II.4 : संचयी वर्षा**

**चार्ट II.4 अ : दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर)**

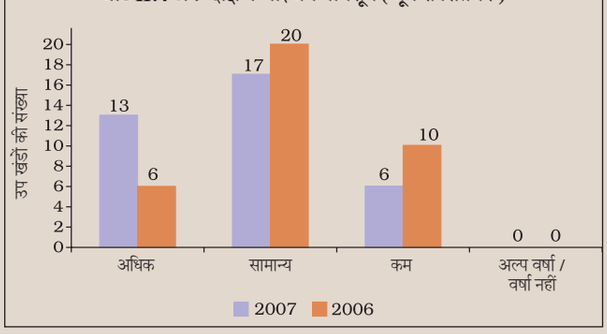


**चार्ट II.4 आ : उत्तर-पूर्व मानसून (अक्तूबर से दिसंबर)**

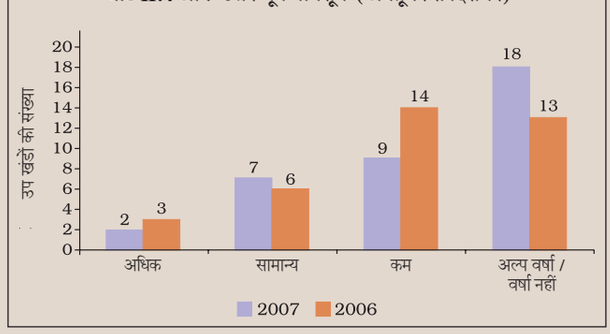


[1] चार व्यापक समरूप क्षेत्र इस प्रकार हैं : 1) उत्तर-पश्चिम भारत (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर); 2) मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और गोवा); 3) दक्षिण प्रायद्वीप (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी, केरल, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह); और 4) उत्तर-पूर्व भारत (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा)।

**सारणी 2.5 : फसलवार लक्ष्य/उपलब्धियां**

(मिलियन टन)

| फसल | 2005-06 | | 2006-07 | | 2007-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ल | उ | ल | उ | ल | अ.अनु# |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| चावल | 87.8 | 91.8 | 92.8 | 39.4 | 93.0 | 96.4 |
| गेहूं | 75.5 | 69.4 | 75.5 | 75.8 | 75.5 | 78.4 |
| मोटे अनाज | 36.5 | 34.1 | 36.5 | 33.9 | 37.5 | 40.7 |
| दालें | 15.2 | 13.4 | 15.2 | 14.2 | 15.5 | 15.1 |
| **कुल खाद्यान्न** | **215.0** | **208.6** | **220.0** | **217.3** | **221.5** | **230.7** |
| तिलहन | 26.6 | 28.0 | 29.4 | 24.3 | 30.0 | 28.8 |
| गन्ना | 237.5 | 281.2 | 270.0 | 355.5 | 310.0 | 340.6 |
| कपास* | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 22.6 | 22.0 | 25.8 |
| जूट एवं मेस्टा** | 11.3 | 10.8 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 11.2 |

ल : लक्ष्य उ : उपलब्धि
# : चौथा अग्रिम अनुमान
अ.अनु: अग्रिम अनुमान
* : मिलियन गठ्ठों में प्रत्येक 170 कि.ग्रा. का
** : मिलियन गठ्ठों में प्रत्येक 180 कि.ग्रा. का
**स्रोत :** कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

*उत्तर-पूर्व मानसून 2007*

2.18 उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान वर्षा तमिलनाडु तथा दक्षिण प्रायद्वीप के निकटवर्ती राज्यों में 22 अक्तूबर 2007 को आरंभ हुई। उत्तर-पूर्व मानसून (1 अक्तूबर से 31 दिसम्बर 2007 तक) की प्रगति कम थी तथा इस दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई सामान्य से 21 प्रतिशत कम वर्षा की तुलना में सामान्य से 32 प्रतिशत कम संचयी वर्षा हुई। 36 मौसम उपखण्डों में से, 9 उपखण्डों में (पिछले वर्ष के अनुरूप) संचयी वर्षा अधिक/सामान्य थी तथा 27 उपखण्डों में (पिछले वर्ष के अनुरूप) वर्षा कम/अल्प/नहीं के बराबर थी (चार्ट II.4आ)। मौसम के अंत में 3 जनवरी 2008 को कुछ जलाशय संग्रहण एफआरएल का 61 प्रतिशत था (पिछले वर्ष के दौरान 65 प्रतिशत तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान औसतन 51 प्रतिशत)।

*खरीफ 2007*

2.19 चौथे अग्रिम अनुमानों में 2007-08 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 230.7 मिलियन टन के सर्वाधिक स्तर पर रखा गया जो पिछले वर्ष (217.3 मिलियन टन) की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। खरीफ खाद्यान्न का कुल उत्पादन 121.0 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष (110.6 मिलियन टन) की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक था। खाद्यान्नों में से, जहां खरीफ चावल के उत्पादन (3.3 प्रतिशत) में थोड़ी वृद्धि हुई, वहीं मोटे अनाजों (23.8 प्रतिशत) तथा दालों (34.4 प्रतिशत) के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी। साथ ही, पिछले साल की तुलना में खरीफ तिलहन के उत्पादन में 41.6 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि देखी गयी।

*रबी 2007-08*

*2.20* 2007-08 के लिए रबी खाद्यान्न उत्पादन 109.7 मिलियन टन था, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जहां दालों के उत्पादन में कमी (7.9 प्रतिशत) देखी गयी, वहीं गेहूं (3.4 प्रतिशत), मोटे अनाज (8.7 प्रतिशत) तथा चावल (3.3 प्रतिशत) जैसे फसलों के उत्पादन में वृद्धि देखी गयी। रबी तिलहनों के उत्पादन में 12.6 प्रतिशत की गिरावट आयी।

2.21 कुल मिलाकर, मुख्यतया खरीफ मौसम के उत्पादन के सुदृढ़ कार्यनिष्पादन की अगुवाई में 2007-08 में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ। 2007-08 में खाद्यान्नों में से दालों का कुल उत्पादन 15.1 मिलियन टन (2006-07 में 14.2 मिलियन टन), चावल का उत्पादन 96.4 मिलियन टन (93.4 मिलियन टन) तथा मोटे अनाजों का उत्पादन 40.7 मिलियन टन (33.9 मिलियन टन) होने का अनुमान था (सारणी 2.6)।

**सारणी 2.6 : मौसमवार कृषि उत्पादन**

(मिलियन टन)

| | *खरीफ* | | | *रबी* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फसलें | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 अ.अनु | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 अ.अनु |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| चावल | 78.3 | 80.2 | 82.8 | 13.5 | 13.2 | 13.6 |
| गेहूं | – | – | – | 69.4 | 75.8 | 78.4 |
| मोटे अनाज | 26.7 | 25.6 | 31.7 | 7.3 | 8.3 | 9.0 |
| दालें | 4.9 | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 9.4 | 8.7 |
| कुल खाद्यान्न | 109.9 | 110.6 | 121.0 | 98.7 | 106.7 | 109.7 |
| तिलहन | 16.8 | 14.0 | 19.8 | 11.2 | 10.3 | 9.0 |
| गन्ना | 281.2 | 355.5 | 340.6 | – | – | – |
| कपास* | 18.5 | 22.6 | 25.8 | – | – | – |
| जूट एवं मेस्टा** | 10.8 | 11.3 | 11.2 | – | – | – |

–: लागू नहीं अ.अनु: 9 जुलाई 2008 की स्थिति के अनुसार चौथा अग्रिम अनुमान (2007-08)
*: मिलियन गठ्ठों में प्रत्येक 170 कि.ग्रा. का **: मिलियन गठ्ठों में प्रत्येक 180 कि.ग्रा. का
**स्रोत:** कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

## 2007-08 में बुआई में हुई प्रगति

2.22 2007-08 में खरीफ की बुआई में पिछले साल की तुलना में सुधार आया। सभी फसलों के लिए बोए गए क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में, जो स्वयं खरीफ मौसम के दौरान सामान्य बुआई क्षेत्र से 4 प्रतिशत अधिक था, 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दिखायी दी। चावल, मक्का, दालों, तिलहनों, रूई तथा गन्ने के मामले में बोया गया क्षेत्र अधिक था, जबकि ज्वार और बाजरा के तहत बोया गया क्षेत्र पिछले साल की तुलना में कम था।

2.23 रबी फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र पिछले साल की तुलना में 2.8 प्रतिशत कम था। रबी के तहत बोया गया क्षेत्र मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में कम था, जबकि चावल और गेहूं के मामले में यह थोड़ा अधिक था।

*खाद्यान्नों की सरकारी खरीद, उठाव और भण्डार*

2.24 2008-09 में (18 अगस्त 2008 तक) 27.5 मिलियन टन पर खाद्यान्न (चावल और गेहूं) की सरकारी खरीद पिछले साल की तदनुरूप अवधि की तुलना में लगभग 76.0 प्रतिशत अधिक थी (सारणी 2.7)। इसका मुख्य कारण 2008-09 के दौरान अब तक (18 अगस्त 2008 तक) गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल की तदनुरूप अवधि के

**सारणी 2.7 खाद्य भंडार का प्रबंधन**

(मिलियन टन)

| वर्ष/माह | खाद्यान्न का प्रारंभिक स्टॉक | खाद्यान्न की खरीद | खाद्यान्नों का उठाव | | | | अंतिम स्टॉक | सुरक्षित (बफर) भंडार मानक $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पीडीएस | ओडब्ल्यूएस | ओएमएस-देशी | निर्यात | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2006** | | | | | | | | |
| अप्रैल | 16.6 | 10.3 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 16.2 |
| मई | 22.8 | 2.2 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | |
| जून | 22.3 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | |
| जुलाई | 20.5 | 0.8 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 26.9 |
| अगस्त | 17.1 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | |
| सितंबर | 15.5 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | |
| अक्तूबर | 12.6 | 8.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 16.2 |
| नवंबर | 18.6 | 2.0 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | |
| दिसंबर | 17.8 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |
| **2007** | | | | | | | | |
| जनवरी | 17.5 | 4.3 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 20.0 |
| फरवरी | 18.1 | 2.4 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | |
| मार्च | 19.1 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | |
| अप्रैल | 17.9 | 8.7 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 16.2 |
| मई | 25.1 | 4.0 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | |
| जून | 25.9 | 2.0 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | |
| जुलाई | 23.9 | 0.8 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 26.9 |
| अगस्त | 21.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | |
| सितंबर | 17.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | |
| अक्तूबर | 15.6 | 7.4 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 16.2 |
| नवंबर | 19.7 | 1.8 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | |
| दिसंबर | 18.5 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | |
| **2008** | | | | | | | | |
| जनवरी | 19.2 | 4.5 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 20.0 |
| फरवरी | 21.4 | 3.0 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | |
| मार्च | 21.4 | 1.6 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | |
| अप्रैल | 19.8 | 13.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 16.2 |
| मई | 30.7 | 10.9 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | |
| जून | 36.4 | 2.2 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| जुलाई | .. | 0.3 | .. | .. | .. | .. | .. | 26.9 |
| अगस्त* | .. | 0.4 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| *ज्ञापन :* | | | | | | | | |
| 2006-07 | 16.6 | 35.5 | 31.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | |
| 2007-08 | 17.9 | 37.4 | 33.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | |
| 2007-08@ | 17.9 | 15.6 | 5.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | .. | |
| 2008-09@ | 19.8 | 27.5 | 5.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | .. | |

$ : अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर और जनवरी में कायम रखे जानेवाले न्यूनतम सुरक्षित भंडार मानकों को, 29 मार्च 2005 से नई सुरक्षित भंडार नीति के अंतर्गत, संशोधित किया गया है।
.. : उपलब्ध नहीं @: 18 अगस्त तक खरीद एवं 31 मई तक उठाव * : 18 अगस्त तक खरीद
पीडीएस : सार्वजनिक वितरण प्रणाली; ओडब्ल्यूएस : अन्य कल्याणकारी योजनाएं; ओएमएस : खुला बाजार बिक्री
**टिप्पणी :** अंतिम स्टॉक आंकड़ें, प्रारंभिक स्टॉक और खरीद को जोड़ने और उठाव को घटाने से प्राप्त आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि स्टॉक में मोटे अनाज भी शामिल है।
**स्रोत :** उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार। खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार।

11.1 मिलियन टन की तुलना में 22.6 मिलियन टन पर उच्चतर होना था। 2008-09 में (1 अप्रैल से 31 मई 2008 तक) 5.9 मिलियन टन पर चावल और गेहूं का कुल उठाव पिछले साल की तदनुरूप अवधि की तुलना में सीमांत रूप में 0.1 प्रतिशत उच्चतर था। जहां कल्याण योजना के तहत उठाव में लगभग 55.0 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट आयी, वहीं यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत उठाव में हुई लगभग 4.6 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा प्रतितुलित हो गयी। भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का कुल स्टॉक 1 जून 2008 को 36.4 मिलियन टन था जो पिछले साल की तदनुरूप अवधि के 25.9 मिलियन टन की तुलना में 40.3 प्रतिशत अधिक था। इसका मुख्य कारण 1 जून 2007 के 13.3 मिलियन टन से बढ़कर गेहूं का स्टॉक 1 जून 2008 को 24.1 मिलियन टन हो जाना था।

## उद्योग

2.25 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में वृद्धि 2006-07 के 11.5 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में कम होकर 8.5 प्रतिशत रह गयी। औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में कमी मोटे तौर पर विनिर्माण क्षेत्र के मंद कार्यनिष्पादन के कारण थी, जिसका आइआइपी की वृद्धि में अंशदान लगभग 90 प्रतिशत था (आइआइपी में 79.36 प्रतिशत का भारांक) (सारणी 2.8)। खनन और बिजली क्षेत्रों की वृद्धि में कुछ कमी आयी। ताप और जल विद्युत निर्माण में मंद वृद्धि के फलस्वरूप बिजली क्षेत्र में कम वृद्धि हुई।

2.26 2007-08 में, छः विनिर्माण उद्योग समूह (2-अंक स्तरीय वर्गीकरण के अनुसार) में त्वरित वृद्धि हुई, जबकि ग्यारह में कमी अथवा ऋणात्मक वृद्धि देखी गयी (सारणी 2.9)।

2.27 आइआइपी में लगभग 5.9 प्रतिशत भारांक वाले तीन उद्योगों अर्थात 'लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद', 'अन्य विनिर्माण उद्योग' तथा 'जूट और अन्य वनस्पति रेशा वस्त्र' में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी तथा 2007-08 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में इनका अंशदान 14.3 प्रतिशत था। 'जूट और अन्य वनस्पति रेशा वस्त्र' में टर्नअराउंड आया, जबकि इसी अवधि में 'धातु उत्पाद और पुर्जे' में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गयी। आइआइपी में अपेक्षाकृत उच्चतर भारांक वाले उद्योग समूहों अर्थात 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' (पेट्रोलियन और कोयला उत्पादों को छोड़कर), 'मशीनरी और उपस्कर' तथा 'मूल धातु और मिश्र धातु' में 2007-08 के दौरान 10-15 प्रतिशत के दायरे में वृद्धि दर्ज की गयी।

2.28 उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, 2007-08 में सभी प्रमुख समूहों में गिरावट आयी (सारणी 2.10)। निट्रोजिनस तथा फास्फेटिक उर्वरक खण्डों दोनों तथा कार्बन स्टील, स्टील वायर, कॉइल और एच.आर.शीट के उत्पादन में गिरावट के कारण मूल वस्तु क्षेत्र में न्यूनतर वृद्धि हुई। कुछ रासायनिक रंगों, टिन के धातु कंटेनरों, बाल और रोलर बीयरिंग, नथ्था, पॉलिश किये गये ग्रेनाइट आदि के उत्पादन में गिरावट के फलस्वरूप मध्यवर्ती वस्तु क्षेत्र में कमी आयी।

**सारणी 2.8 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक - मासिक वृद्धि**

(प्रतिशत)

| माह | साधारण (100) | | विद्युत (10.17) | | खनन एवं उत्खनन (10.47) | | विनिर्माण (79.36) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006-07 | 2007-08# | 2006-07 | 2007-08# | 2006-07 | 2007-08# | 2006-07 | 2007-08# |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| अप्रैल | 9.9 | 11.3 | 5.9 | 8.7 | 3.4 | 2.6 | 11.0 | 12.4 |
| मई | 11.7 | 10.6 | 5.0 | 9.4 | 2.9 | 3.8 | 13.3 | 11.3 |
| जून | 9.7 | 8.9 | 4.9 | 6.8 | 4.7 | 1.5 | 10.7 | 9.7 |
| जुलाई | 13.2 | 8.3 | 8.9 | 7.5 | 5.1 | 3.2 | 14.3 | 8.8 |
| अगस्त | 10.3 | 10.9 | 4.1 | 9.2 | -1.7 | 14.7 | 11.9 | 10.7 |
| सितंबर | 12.0 | 7.0 | 11.3 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 12.7 | 7.4 |
| अक्तूबर | 4.5 | 12.2 | 9.7 | 4.2 | 5.9 | 5.1 | 3.8 | 13.8 |
| नवंबर | 15.8 | 4.9 | 8.7 | 5.8 | 8.8 | 6.3 | 17.2 | 4.7 |
| दिसंबर | 13.4 | 8.0 | 9.1 | 3.8 | 6.1 | 5.0 | 14.5 | 8.6 |
| जनवरी | 11.6 | 6.2 | 8.3 | 3.7 | 7.7 | 2.9 | 12.3 | 6.7 |
| फरवरी | 11.0 | 9.5 | 3.3 | 9.8 | 7.5 | 7.9 | 12.0 | 9.6 |
| मार्च | 14.8 | 5.5 | 7.9 | 3.7 | 8.0 | 4.9 | 16.0 | 5.7 |
| **अप्रैल-मार्च** | **11.5** | **8.5** | **7.3** | **6.3** | **5.3** | **5.1** | **12.5** | **9.0** |

# : अनंतिम
**टिप्पणी** : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भार दर्शाते हैं।
**स्रोत** : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

## सारणी 2.9 : विनिर्माण उद्योगों में वृद्धि (2 अंक स्तरीय वर्गीकरण)

(2007-08)

| 15 प्रतिशत से अधिक | 10-15 प्रतिशत | 0-10 प्रतिशत | ऋणात्मक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर एवं फिक्सचर (40.5) *(29.1)* | 1. मूल धातु एवं मिश्र धातु (12.1) *(22.8)* | 1. रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम एवं कोयले के उत्पाद (8.9) *(12.9)* | 1. धातु के उत्पाद एवं पुर्जे (-5.6) *(11.4)* |
| 2. जूट एवं अन्य वनस्पति रेशों के वस्त्र (33.0) *(-15.8)* | 2. पेय, तम्बाकू एवं संबंधित उत्पाद (12.0) *(11.1)* | 2. खाद्य उत्पाद (7.0) *(8.5)* | |
| 3. अन्य विनिर्माण उद्योग (19.8) *(7.7)* | 3. चमड़ा एवं चमड़ा और फर उत्पाद (11.7) *(0.6)* | 3. गैर धातु खनिज उत्पाद (5.7) *(12.8)* | |
| | 4. पेट्रोलियम एवं कोयला उत्पादों को छोड़कर रसायन एवं रासायनिक उत्पाद (10.6) *(9.6)* | 4. ऊन, रेशम एवं मानव निर्मित रेशों से निर्मित कपड़े (4.8) *(7.8)* | |
| | 5. परिवहन उपस्करों के अलावा मशीनरी एवं उपस्कर (10.5) *(14.2)* | 5. सूती कपड़े (4.3) *(14.8)* | |
| | | 6. कपड़ा उत्पाद (पहनने वाले कपड़ों सहित) (3.7) *(11.5)* | |
| | | 7. परिवहन उपस्कर एवं पुर्जे (2.9) *(15.0)* | |
| | | 8. कागज एवं कागज के उत्पाद (2.7) *(8.7)* | |

**टिप्पणी :** 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वृद्धि दर हैं।
2. इटालिक अक्षरों में लिखे हुए आंकड़े वर्ष 2006-07 के हैं।
**स्रोत :** केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ।

2.29 तथापि पूंजी वस्तु क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि कार्यनिष्पादन जारी रहा। 2007-08 में पूंजी वस्तु क्षेत्र में 2006-07 की 18.2 प्रतिशत की तुलना में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत की न्यूनतर वृद्धि दर्ज की गयी। फलस्वरूप 2007-08 में आइआइपी की वृद्धि में इसका अंशदान 2006-07 के 28.5 प्रतिशत से घटकर 22.9 प्रतिशत रह गया। ऐसा उपभोक्ता गैर टिकाऊ माल में न्यूनतर वृद्धि तथा उपभोक्ता टिकाऊ माल के उत्पादन में गिरावट के कारण हुआ। अन्य वस्तुओं में धातु के बर्तनों, टाइपराइटरों, टेलीफोन उपकरणों, टेपरिकार्डरों, मोटर साइकलों, अलार्म घड़ियों तथा कलाई घड़ियों के उत्पादन में हुई गिरावट के कारण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 1.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि (2006-07 में 9.2 प्रतिशत) दर्ज की गयी। साथ ही, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में मंदी को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया प्रतीत होता है क्योंकि उपभोक्ता की पसंद में बदलाव तथा हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकीय रूप से उत्कृष्ट उत्पादों की उपलब्धता के कारण 1993-94 श्रृंखला पर आधारित वर्तमान आइआइपी बास्केट द्वारा इस खण्ड में उत्पाद अप्रचलन को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है (रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, बॉक्स II.6, पृष्ठ 60 देखें)।

*मूलभूत संरचना*

2.30 2007-08 में मूलभूत संरचना क्षेत्र की वृद्धि 2006-07 के 9.3 प्रतिशत से कम होकर 5.6 प्रतिशत रह गयी (सारणी 2.11)। इस

## सारणी 2.10: क्षेत्रवार वृद्धि एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) वृद्धि में अंशदान

(प्रतिशत)

| उद्योग समूह | आइआइपी में भार | वृद्धि | | | सापेक्ष्य अंशदान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08# | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08# |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| मूल वस्तुएं | **35.57** | 6.7 | 10.3 | 7.0 | 25.4 | 27.2 | 24.7 |
| पूंजीगत माल | **9.26** | 15.7 | 18.2 | 18.0 | 20.0 | 17.6 | 25.0 |
| मध्यवर्ती माल | **26.51** | 2.5 | 12.0 | 8.9 | 8.4 | 27.0 | 27.4 |
| उपभोक्ता वस्तुएं (क+ख) | **28.66** | 12.0 | 10.1 | 6.1 | 46.3 | 28.5 | 22.9 |
| क) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं | **5.36** | 15.3 | 9.2 | -1.0 | 14.9 | 6.7 | -1.0 |
| ख) उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं | **23.30** | 10.9 | 10.4 | 8.5 | 31.4 | 21.8 | 24.0 |
| **आई आई पी** | **100** | **8.2** | **11.5** | **8.5** | **100** | **100** | **100** |

# : अनन्तिम
**स्रोत :** केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

**सारणी 2.11: मूलभूत संरचना उद्योगों की वृद्धि दर**

(प्रतिशत)

| क्षेत्र | आईआईपी में भार | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. बिजली | 10.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 7.3 | 6.3 |
| 2. कोयला | 3.2 | 5.1 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 6.0 |
| 3. तैयार इस्पात | 5.1 | 9.8 | 8.4 | 10.8 | 13.1 | 5.1 |
| 4. सीमेंट | 2.0 | 6.1 | 6.6 | 12.4 | 9.1 | 8.1 |
| 5. कच्चा पेट्रोलियम | 4.2 | 0.7 | 1.8 | -5.2 | 5.5 | 0.4 |
| 6. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद | 2.0 | 8.2 | 4.3 | 2.1 | 12.9 | 6.5 |
| **संमिश्र सूचकांक** | **26.7** | **6.1** | **5.8** | **6.1** | **9.3** | **5.6** |

निम्न वृद्धि में कोयला को छोड़कर सभी प्रमुख मूलभूत संरचना क्षेत्र का अंशदान था। बिजली क्षेत्र ने 6.3 प्रतिशत की निम्नतर वृद्धि दर्ज की तथा 2007-08 में मूल क्षेत्र की वृद्धि में 39.3 प्रतिशत का अंशदान किया। सीमेंट क्षेत्र ने 2007-08 में 8.1 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की।

2.31 देश से इस्पात निर्यात में कमी ने इस्पात उत्पादन की वृद्धि कम होने में अंशदान किया, हालांकि घरेलू मांग में सुदृढ़ता बनी हुई है। कच्चा तेल क्षेत्र में ओएनजीसी की मुंबई हाई इकाई में उत्पादन में गिरावट के कारण 0.4 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। 2007-08 के दौरान सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि में मुख्यतः आधार प्रभाव के कारण घट-बढ़ देखी गयी। पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्र की वृद्धि में कमी का कारण आधार प्रभाव, न्यूनतर क्षमता उपयोग तथा सरकारी क्षेत्र की कुछ रिफाइनरियों में उत्पादन में गिरावट है।

## सेवा क्षेत्र

2.32 2007-08 में सेवा क्षेत्र में 2006-07 में हुई 11.2 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 2.12)। वर्ष 2007-08 लगातार ऐसा तीसरा वर्ष था जब सेवा क्षेत्र में दुहरे अंकों की वृद्धि हुई। देशी उत्पादन का 62.9 प्रतिशत इस क्षेत्र से संबंधित है। 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र' में पिछले पांच वर्षों में दुहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई तथा वर्तमान में यह सेवा क्षेत्र की वृद्धि का लगभग आधा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पिछले छः वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा 2002-03 से 2007-08 तक की अवधि में निर्यात तथा आयात में क्रमशः 24.0 प्रतिशत तथा 29.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हुई सुदृढ़ वृद्धि के अलावा देशी खुदरा क्षेत्र में उछाल, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन में तेज वृद्धि तथा हवाई क्षेत्र में उछाल के कारण इस उपक्षेत्र में वृद्धि हुई है।

2.33 'सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा' क्षेत्र में मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा इन सेवाओं पर किए गए उच्चतर व्यय के कारण 2007-08 के दौरान वृद्धि में सुधार हुआ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के साथ बैंकिंग एवं बीमा सेवाओं में विस्तार के कारण 'वित्तीयन, बीमा, भूसंपदा और व्यावसायिक सेवा' में दुहरे अंकों की वृद्धि बरकरार रखी गयी हालांकि आधार प्रभाव के कारण इसमें कुछ कमी आयी।

*सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग*

2.34 2007-08 में भारतीय साफ्टवेअर और सेवा उद्योगों का सुदृढ़ कार्यनिष्पादन जारी रहा तथा आउटसोर्सिंग भारत में आइटीईएस-बीपीओ

**सारणी 2.12: सेवा उप क्षेत्रों में तिमाही वृद्धि कार्य-निष्पादन**

(आधार : 1999-2000)

(प्रतिशत)

| उप क्षेत्र | 2006-07 | | | | | 2007-08 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ति1 | ति2 | ति3 | ति4 | वार्षिक | ति1 | ति2 | ति3 | ति4 | वार्षिक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. विनिर्माण | 13.1 | 12.0 | 10.8 | **12.2** | 12.0 | 7.7 | 11.8 | 7.1 | 12.6 | 9.8 |
| 2. व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार | 10.9 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 13.1 | 11.0 | 11.5 | 12.4 | 12.0 |
| 3. वित्तपोषण, बीमा, जमीन-जायदाद एवं कारोबार सेवाएं | 13.6 | 13.9 | 14.7 | 13.4 | 13.9 | 12.6 | 12.4 | 11.9 | 10.5 | 11.8 |
| 4. सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं | 10.3 | 7.2 | 5.6 | 5.1 | 6.9 | 5.2 | 7.7 | 6.2 | 9.5 | 7.3 |
| **5. सेवाएं** | **11.7** | **11.6** | **11.1** | **10.5** | **11.2** | **10.6** | **10.7** | **10.0** | **11.4** | **10.7** |
| **कारक लागत पर जीडीपी** | **9.6** | **10.1** | **9.3** | **9.7** | **9.6** | **9.2** | **9.3** | **8.8** | **8.8** | **9.0** |

उद्योग की वृद्धि का प्रमुख चालक बना रहा। तथापि, अमरीका के हिस्से में हुई थोड़ी गिरावट को प्रतितुलित करते हुए यूरोप एवं एशिया पैसिफिक क्षेत्र में देखी गई वृद्धि के साथ आउटसोर्सिंग बाजारों में कुछ बदलाव देखा गया। भारतीय आइटी उद्योग ने हाल के समय में अन्य भौगोलिक क्षेत्र में अपना एक्सपोज़र बढ़ा दिया है। नैसकॉम के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय आइटी-आइटीईएस उद्योग (देशी बाजार सहित) 2007-08 में 33.3 प्रतिशत बढ़ा। साफ्टवेअर तथा सेवा निर्यात खण्ड में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा उसका राजस्व 2006-07 के 31.3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2007-08 में 40.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत अपने प्रतिभावान स्टाफ के कारण वैश्विक आइटी सोर्सिंग का सबसे पसंदीदा क्षेत्र बना हुआ है। तथापि, गुणवत्ता प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ अल्पावधि से मध्यावधि चुनौतियां ऐसी हैं जिनका समाधान किए जाने की जरूरत है। इनमें उपलब्ध प्रतिभा के कौशल को अपग्रेड करना, मूलभूत सुविधा का विकास तथा सकारात्मक नीति/विनियामक माहौल को बनाए रखना शामिल हैं। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बनाए रखने के लिए उद्योग तथा सरकार सहित सभी पणधारियों द्वारा समय पर, सुसंगत और निरंतर प्रयास किए जाने की जरूरत है।

*औद्योगिक संभावना*

2.35 आइआइपी वृद्धि में कुछ कमी के बावजूद निवेश की सुदृढ़ मांग सहित उद्योग ने 2007-08 में अच्छा कार्यनिष्पादन दर्ज करना जारी रखा जो क्षमता विस्तार को दर्शाता है। तथापि, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की वृद्धि में प्राथमिक तौर पर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में आयी गिरावट के कारण उल्लेखनीय गिरावट आयी। खनन क्षेत्र, जिसका कार्यनिष्पादन 2005-06 में अच्छा नहीं रहा, ने 2006-07 में सुधार दर्ज किया तथा 2007-08 में इसमें सामान्य वृद्धि हुई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में छठे वेतन संशोधन अवार्ड के कार्यान्वयन के साथ केंद्रीय बजट 2008-09 में निजी आयकर स्लैब में समायोजन तथा उत्पाद शुल्क संबंधी रियायतों के रूप में दिए गए प्रोत्साहनों के फलस्वरूप 2008-09 में उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में गति आने की संभावना है। तथापि, औद्योगिक निविष्टियों की कीमतों में तेज वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गति कमजोर पड़ने तथा देशी मुद्रास्फीतिकारी स्थितियों जैसी कुछ अधोमुखी जोखिमें हैं।

2.36 2008-09 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान सारणी 2.13 में दिए गए हैं।

## III. राजकोषीय स्थिति

### केंद्र सरकार के वित्त

2.37 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार के वित्त के संशोधित अनुमानों (आरई) में जीडीपी के संबंध में प्रमुख घाटा संकेतकों अर्थात राजस्व घाटा (आरडी) तथा राजकोषीय घाटा (जीएफडी) को बजट अनुमानों (बीई) की तुलना में निम्नतर रखा गया है। अनंतिम खातों में इन अनुपातों अर्थात जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आरडी तथा जीएफडी में और

**सारणी 2.13: वर्ष 2008-09 में वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि के लिए एजेंसियों का पूर्वानुमान**

| एजेंसी | समग्र वृद्धि | कृषि | उद्योग | सेवाएं | अनुमान का माह |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| एसोचैम | 7.6 | 4.0 | 7.2 | 9.0 | जुलाई 2008 |
| मेरिल लिंच | 7.9 | 2.5 | 7.4 | 9.6 | जून 2008 |
| जेपी मोर्गन | 7.0 | .. | .. | .. | मार्च 2008 |
| सीएमआइई | 9.4 | 3.2 | 11.1 | 10.6 | अगस्त 2008 |
| क्रिसिल | 7.8 | 3.0 | 8.3 | 10.3 | जून 2008 |
| गोल्डमैन ससे | 7.8 | .. | .. | .. | जुलाई 2008 |
| विश्व आर्थिक स्थिति एवं भविष्य, यूएन 2008 | 8.2 | .. | .. | .. | जनवरी 2008 |
| प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद | 7.7 | 2.0 | 7.5 | 9.6 | अगस्त 2008 |
| एडीबी | 8.0 | .. | .. | .. | अप्रैल 2008 |
| अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 8.0 * | .. | .. | .. | जुलाई 2008 |
| सीआइआइ | 8.0-8.5 | .. | .. | .. | मार्च 2008 |
| आरबीआइ | लगभग 8.0 | .. | .. | .. | जुलाई 2008 |
| एनसीएईआर | 7.8 | .. | .. | .. | अगस्त 2008 |

.. : उपलब्ध नहीं * : कैलेण्डर वर्ष

गिरावट आयी। अंतिम खातों में जीडीपी के संबंध में प्राथमिक अधिशेष भी आरई की तुलना में उच्चतर था जो, बदले में, बीई की तुलना में उच्चतर था। प्रमुख घाटा संकेतकों में कटौती के लिए राजस्व प्राप्तियों में सुधार मुख्य रूप से जिम्मेवार था। 2008-09 के बजट अनुमानों में जीडीपी के संबंध में आरडी तथा जीएफडी में संशोधित अनुमानों तथा 2007-08 के अनंतिम खातों की तुलना में और गिरावट आने की आशा थी। जहां जीएफडी संबंधी एफआरबीएम लक्ष्य अधिदेश के अनुसार प्राप्त किया जाना है, शून्य आरडी का निर्धारित लक्ष्य जिसे 2008-09 तक प्राप्त किया जाना था, प्राथमिक तौर पर राजस्व व्यय प्रधान कार्यक्रमों और योजनाओं के पक्ष में योजना की प्राथमिकताओं में आए बदलाव के कारण एक और वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित किया गया जिसे 2009-10 तक प्राप्त किया जाना है। बजट में प्रस्ताव किया गया कि चल रहे सुधार और राजकोषीय सुधार संबंधी पहलों से घरेलू मांग और निवेश, जिनमें से दोनों जीडीपी की वृद्धि के मुख्य वाहक हैं, बढ़ाने में समर्थन मिलना जारी रहेगा। इस लक्ष्य के प्रति बजट में निजी आयकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क को युक्तियुक्त बनाया गया, सेवा क्षेत्र का विस्तार और सेवाओं तक करके कर आधार को व्यापक बनाया गया तथा परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर व्यय प्रबंधन में सुधार लाया गया और सामाजिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त निवेश हेतु प्रावधान किया गया। बजट में भौतिक तथा सामाजिक मूलभूत संरचना के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए धारित, तीव्र और अधिक समावेशक वृद्धि के लिए प्राथमिकता देने पर मुख्य रूप से बल दिया गया।

2.38 विपत्तिग्रस्त किसानों की मदद के लिए ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना लागू करने का एक प्रमुख प्रस्ताव बजट में लाया गया, जिसकी केंद्र सरकार को अनुमानित लागत 71,680 करोड़ रुपए थी। इस व्यय को चरणों में चार राजकोषीय वर्षों के अंदर कुछ फ्रंट लोड के साथ वितरित किया जायेगा।

2.39 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष केंद्रीय बजट 2008-09 में समेकन, चल रहे कार्यक्रमों को सुदृढ़ वित्तीय आधार देने, कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी तथा जवाबदेही लागू करने तथा प्राप्त लक्ष्यों एवं उसकी गुणवत्ता के रूप में परिणामों को मापने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अतः सरकार ने प्रस्ताव किया कि प्रमुख योजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकनों को प्राधिकृत कर मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाया जाए। केंद्रीय योजना तथा केंद्र द्वारा प्रवर्तित स्कीमों के लिए स्कीम-वार तथा राज्यवार निर्मोचनों पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) लागू करने का प्रस्ताव किया गया। बजट में महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान की स्कीमों पर विशेष बल दिया गया।

2.40 हाल के वर्षों में कर नीति राजकोषीय समेकन प्राप्त करने के लिए कर-जीडीपी अनुपात बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य द्वारा नियंत्रित है। इसे उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों तथा कर प्रशासन की गुणवत्ता और प्रभावशालिता में पक्का सुधार लाकर दोनों के जरिए प्राप्त किया जाना है। प्रत्यक्ष कर के संबंध में, मुख्य रणनीति यह है कि निम्नलिखित के रूप में हाल के वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को और समेकित किया जाए : (i) कर आधार बढ़ाकर तथा कर दरों को कम रखकर कर संरचना के भीतर व्याप्त विकृतियों को न्यूनतम करना; (ii) करदाता सेवाओं के साथ निवारक स्तरों को बढ़ाकर ऐच्छिक अनुपालन का संवर्धन करना; तथा (iii) आयकर विभाग की कार्यपरक दक्षता को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। अप्रत्यक्ष कर के संबंध में, माल (केंद्रीय उत्पाद) तथा सेवा संबंधी करों को समन्वित कर माल और सेवा कर की ओर अंततः अग्रसर होने की रणनीति है। इस लक्ष्य के लिए सामान्य केंद्रीय मूल्यवर्धित कर की दर को 16 प्रतिशत से कम कर 14 प्रतिशत कर दिया गया जो सेवाओं पर लगायी जाने वाली 12 प्रतिशत कर दर के काफी निकट है। सेवा कर के मामले में कर आधार को बढ़ाने, विधि और प्रक्रिया को सरल बनाने, कर प्रशासन में सुधार तथा कर अनुपालन में वृद्धि की रणनीति है। कर आधार को बढ़ाने के लिए, कुछ और सेवाएं जोड़कर एवं कुछ मौजूदा सेवाओं का दायरा बढ़ाकर देय सेवाओं की व्याप्ति और कवरेज को और अधिक बढ़ा दिया गया है।

*संशोधित अनुमान 2007-08*[2]

2.41 2007-08 के संशोधित अनुमानों में एफआरबीएम ढांचे के तहत राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसे दर्शाते हुए राजस्व घाटा तथा जीडीपी संबंधी राजकोषीय घाटा उनके बजट स्तरों से नीचे रखा गया। ब्याज अदायगी और सब्सिडी के लिए उच्चतर प्रावधान के कारण राजस्व व्यय में हुई वृद्धि के बावजूद, कर और करेतर राजस्व (मुख्यतः संचार सेवाओं के कारण) में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व घाटे में कमी आयी। पूंजी व्यय में कमी के साथ राजस्व घाटे में सुधार के फलस्वरूप जीएफडी का स्तर कम हुआ। संशोधित अनुमानों में प्राथमिक अधिशेष में उल्लेखनीय सुधार हुआ। योजना व्यय में बजट अनुमानों से अधिक अंतर नहीं था, हालांकि संशोधित अनुमानों में राज्य एवं केंद्रशासित राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.42 संशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा 11.2 प्रतिशत कम हुआ तथा 1.5 प्रतिशत के बजट स्तर की तुलना में 2007-08 में वह जीडीपी का 1.4 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों में 38,676 करोड़ रुपए (8.0 प्रतिशत) के उल्लेखनीय सुधार, जिसने राजस्व व्यय में हुई 30,686

[2] इस खण्ड में 2007-08 की सभी तुलनाएं, अन्यथा उल्लेख न किए जाने पर, बजट अनुमानों के साथ हैं।

करोड़ रुपए (5.5 प्रतिशत) की वृद्धि को प्रतितुलित कर दिया, के कारण राजस्व घाटे में गिरावट आयी। जीएफडी में 7,295 करोड़ रुपए (4.8 प्रतिशत) की कमी आयी। जीडीपी के रूप में यह बजट अनुमान (3.3 प्रतिशत) की तुलना में 3.1 प्रतिशत पर कम था (सारणी 2.14)। 2007-08 के लिए संशोधित अनुमानों में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत पर प्राथमिक अधिशेष बजट अनुमानों की तुलना में लगभग 3.5 गुना उच्चतर था।

2.43 2007-08 के संशोधित अनुमानों में सकल कर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में 37,288 करोड़ रुपए अधिक था। संशोधित अनुमानों में सकल कर राजस्व में हुई वृद्धि का मुख्य कारण निगम और व्यक्तिगत आय कर की वसूली का बजट के स्तर की तुलना में अधिक होना है। कंपनियों के अच्छे तुलनपत्र के समर्थन से उनके उच्चतर लाभ के कारण निगम कर में 17,724 करोड़ रुपए अथवा 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मुख्यतः कर अनुपालन में सुधार के कारण व्यक्तिगत आय कर की वसूली में 16,641 करोड़ रुपए अथवा 17.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाल में शुरू किए गए करों में, 2007-08 में सीमांत लाभ कर से 6,800 करोड़ रुपए, प्रतिभूत लेनदेन कर से 7,500 करोड़ रुपए तथा बैंकिंग नकद लेनदेन कर से 550 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान था। करेतर राजस्व भी द्वैध प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वालों तथा नये एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) परिचालकों से एकबारगी प्रवेश शुल्क के जरिए संचार सेवाओं से अधिक प्राप्ति के कारण बजट अनुमानों की तुलना में 13.1 प्रतिशत अधिक था (सारणी 2.15)।

2.44 ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों के तहत, ऋणों और अग्रिमों की वसूली में 2007-08 के संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि में काफी वृद्धि होने का अनुमान है।

2.45 2007-08 के संशोधित अनुमानों में राजस्व व्यय बजट अनुमानों की तुलना में 5.5 प्रतिशत अधिक था, जबकि पूंजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 2.16)। मुख्यतः ब्याज अदायगी, उर्वरक और ब्याज सब्सिडी, राज्यों को अनुदान तथा पेंशन के कारण राजस्व व्यय अधिक हुआ। पूंजीगत व्यय के भीतर, ऋण और अग्रिम तथा रक्षेतर पूंजी परिव्यय बजट अनुमानों की तुलना में अधिक थे।

*बजट अनुमान 2008-09*[3]

2.46 पिछले साल लक्ष्य प्राप्त करने के बाद 2008-09 के केंद्रीय बजट में यह प्रस्ताव है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) नियमावली, 2004 में किए गए प्रावधान के अनुसार राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया जाए। 2008-09 के लिए बजट अनुमानों (बीई) में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रमुख घाटा संकेतक अर्थात राजस्व घाटा (आरडी) तथा सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) को 2007-08 के संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में कम रखा गया। एफआरबीएम के रोड मॅप में राजकोषीय घाटे में कम से कम 0.3 प्रतिशत अंक की तथा राजस्व घाटे में 0.5 प्रतिशत अंक की वार्षिक कटौती करने की परिकल्पना की गयी है। जहां जीएफडी संबंधी एफआरबीएम लक्ष्यों को अधिदेश के अनुसार प्राप्त किया जाना है, वहीं प्राथमिक तौर पर राजस्व व्यय प्रधान कार्यक्रमों तथा स्कीमों के पक्ष में योजना की प्राथमिकताओं में बदलाव आने के कारण एफआरबीएम नियमावली, 2004 के अंतर्गत 2008-09 तक शून्य राजस्व घाटे का निर्धारित लक्ष्य पुनर्निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अल्पावधि में योजनेतर व्यय नियंत्रित करने में व्यवस्थागत जटिलताएं हैं जो विशेष रूप से ब्याज भुगतान, पेंशन और रक्षा जैसे वचनबद्ध तथा

**सारणी 2.14: केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक**

(करोड़ रुपए)

| मद | 2006-07 (खाते) | 2007-08 (बअ) | 2007-08 (संअ) | 2008-09 (बअ) | घट-बढ़ प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4 | स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सकल राजकोषीय घाटा | 1,42,573 (3.5) | 1,50,948 (3.3) | 1,43,653 (3.1) | 1,33,287 (2.5) | -4.8 | -7.2 |
| राजस्व घाटा | 80,222 (1.9) | 71,478 (1.5) | 63,488 (1.4) | 55,184 (1.0) | -11.2 | -13.1 |
| सकल प्राथमिक घाटा | -7,699 (-0.2) | -8,047 (-0.2) | -28,318 (-0.6) | -57,520 (-1.1) | 251.9 | 103.1 |

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान

**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं।

[3] इस खण्ड में 2008-09 की सभी तुलनाएं, अन्यथा उल्लेख न किए जाने पर, 2007-08 के संशोधित अनुमानों के साथ हैं।

## सारणी 2.15: केंद्र की प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | 2006-07 | 2007-08 (बअ) | 2007-08 (संअ) | 2008-09 (बअ) | घट-बढ़ (प्रतिशत) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4 | स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **कुल प्राप्तियां (1+2)** | **5,83,387 (14.1)** | **6,80,521 (14.5)** | **7,09,373 (15.1)** | **7,50,884 (14.2)** | **4.2** | **5.9** |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | 4,34,387 (10.5) | 4,86,422 (10.4) | 5,25,098 (11.2) | 6,02,935 (11.4) | 8.0 | 14.8 |
| i) कर राजस्व (निवल) | 3,51,182 (8.5) | 4,03,872 (8.6) | 4,31,773 (9.2) | 5,07,150 (9.6) | 6.9 | 17.5 |
| ii) गैर-कर राजस्व | 83,205 (2.0) | 82,550 (1.8) | 93,325 (2.0) | 95,785 (1.8) | 13.1 | 2.6 |
| 2. पूंजीगत प्राप्तियां | 1,49,000 (3.6) | 1,94,099 (4.1) | 1,84,275 (3.9) | 1,47,949 (2.8) | -5.1 | -19.7 |
| *जिसमें से:* | | | | | | |
| बाजार उधार | 1,14,801 (2.8) | 1,10,827 (2.4) | 1,10,727 (2.4) | 99,000 (1.9) | -0.1 | -10.6 |
| ऋणों की वसूलियां | 5,893 (0.1) | 1,500 (0.0) | 4,497 (0.1) | 4,497 (0.1) | 199.8 | 0.0 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी का विनिवेश | 534 (0.0) | 1,651* (0.0) | 1,817# (0.0) | 10,165 (0.2) | 10.1 | 459.4 |
| *ज्ञापन मदें* | | | | | | |
| **सकल कर राजस्व** | 4,73,512 (11.4) | 5,48,122 (11.7) | 5,85,410 (12.5) | 6,87,715 (13.0) | 6.8 | 17.5 |
| *जिसमें से:* | | | | | | |
| i) निगम कर | 1,44,318 (3.5) | 1,68,401 (3.6) | 1,86,125 (4.0) | 2,26,361 (4.3) | 10.5 | 21.6 |
| ii) निगम कर के अलावा आय पर कर$ | 80,397 (1.9) | 93,629 (2.0) | 1,10,270 (2.3) | 1,28,764 (2.4) | 17.8 | 16.8 |
| iii) सीमा शुल्क | 86,327 (2.1) | 98,770 (2.1) | 1,00,766 (2.1) | 1,18,930 (2.2) | 2.0 | 18.0 |
| iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 1,17,613 (2.8) | 1,30,220 (2.8) | 1,27,947 (2.7) | 1,37,874 (2.6) | -1.7 | 7.8 |
| v) सेवा कर | 37,598 (0.9) | 50,200 (1.1) | 50,603 (1.1) | 64,460 (1.2) | 0.8 | 27.4 |
| vi) प्रतिभूति लेन-देन कर | 4,646 (0.1) | 4,500 (0.1) | 7,500 (0.2) | 9,000 (0.2) | 66.7 | 20.0 |
| vii) बैंकिंग नकद लेन-देन कर | 507 (0.0) | 645 (0.0) | 550 (0.0) | 550 (0.0) | -14.7 | 0.0 |
| viii) संघशासित क्षेत्रों के कर (स्थानीय निकायों को समुदेशन के बाद निवल ) | 1,263 (0.0) | 1,442 (0.0) | 1,334 (0.0) | 1,451 (0.0) | -7.5 | 8.8 |
| ix) अन्य कर एवं शुल्क | 843 (0.0) | 315 (0.0) | 315 (0.0) | 325 (0.0) | 0.0 | 3.2 |

बअ: बजट अनुमान संअ: संशोधित अनुमान

* : भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की धारिता के सरकार को अंतरण संबंधी लेनदेन के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि समायोजित ।

$ : अनुषंगी लाभ कर शामिल है।

# : केंद्र सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक से होने वाले लाभ के अन्तरण की निवल राशि 34,308 करोड़ रुपए है।

**टिप्पणी :** 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत हैं।

2. इस खण्ड में वर्ष 2007-08 की गई सभी तुलनाएं वर्ष 2006-07 के संशोधित अनुमानों से की गई हैं, जब तक उन्हें अन्यथा न कहा जाए।

बाध्यकारी व्ययों से उत्पन्न होती हैं। तथापि, जीएफडी/जीडीपी अनुपात एफआरबीएम लक्ष्य की तुलना में निम्नतर होगा। तदनुसार, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रमुख घाटा संकेतक अर्थात राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा पिछले वर्ष के क्रमशः 1.4 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत तथा -0.6 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में क्रमशः 1.0 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत तथा -1.1 प्रतिशत पर कम होने का बजट अनुमान है (सारणी 2.14)। राजस्व घाटा तथा जीएफडी को उस सीमा तक कम आंका गया है जिस सीमा तक सरकार तेल, खाद्य तथा उर्वरक बांडों से उत्पन्न देयताओं का वहन करती हैं जिसे लाइन के नीचे दर्ज किया जाता है। अतः राजकोषीय लेखांकन में अधिक पारदर्शिता लाने के उपाय

## सारणी 2.16: केंद्र के व्यय का पैटर्न

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | 2006-07 | 2007-08 (बअ) | 2007-08 (संअ) | 2008-09 (बअ) | घट-बढ़ (प्रतिशत) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4 | स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **कुल व्यय (1+2)** | **5,83,387** | **6,80,521** | **7,09,373** | **7,50,884** | **4.2** | **5.9** |
| **1. राजस्व व्यय** | **5,14,609** | **5,57,900** | **5,88,586** | **6,58,119** | **5.5** | **11.8** |
| ब्याज अदायगी | 1,50,272 | 1,58,995 | 1,71,971 | 1,90,807 | 8.2 | 11.0 |
| उपदान | 57,125 | 54,330 | 69,742 | 71,431 | 28.4 | 2.4 |
| राज्यों को अनुदान | 35,734 | 38,403 | 36,432 | 43,294 | -5.1 | 18.8 |
| रक्षा राजस्व | 51,682 | 54,078 | 54,795 | 57,593 | 1.3 | 5.1 |
| **2. पूंजीगत व्यय** | **68,778** | **82,621*** | **85,256#** | **92,765** | **3.2** | **8.8** |
| ऋण और अग्रिम | 8,524 | 7,498 | 10,992 | 8,243 | 46.6 | -25.0 |
| रक्षा पूंजी परिव्यय | 33,828 | 41,922 | 37,705 | 48,007 | -10.1 | 27.3 |
| गैर रक्षा पूंजी परिव्यय | 26,426 | 33,201* | 36,559# | 36,515 | 10.1 | -0.1 |

बअ : बजट अनुमान संघ : संशोधित अनुमान

* : भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक की धारिता के सरकार को अंतरण संबंधी लेनदेनो के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि समायोजित ।

# : भारतीय स्टेट बँक में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी की 35.531 करोड़ रू. की अभिग्रहण लागत सो घटाकर ।

के तौर पर बजट में 2007-08 के संशोधित अनुमानों में कुल 18,757 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियां जारी करने की सूचना दी गई।

2.47 सरकार ने बेहतर व्यय प्रबंधन के माध्यम से राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को जारी रखा। 2008-09 में राजस्व व्यय में 2007-08 के 14.4 प्रतिशत की तुलना में 11.8 प्रतिशत की निम्न वृद्धि का बजट अनुमान लगाया गया है (सारणी 2.16)। उल्लेखनीय तौर पर कुल सब्सिडी की वृद्धि 2007-08 में हुई 22.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2.4 प्रतिशत कम होने का बजट अनुमान था। भारतीय स्टेट बैंक में रिज़र्व बैंक की हिस्सेदारी सरकार को अंतरित करने संबंधी लेनदेन के रूप में 35,531 करोड़ रुपए का समायोजन करने के बाद पूंजीगत व्यय 2007-08 के 24.0 प्रतिशत की तुलना में 8.8 प्रतिशत बढ़ने का बजट अनुमान था।

2.48 2008-09 में राजस्व प्राप्तियों में 2007-08 में हुई 20.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का बजट अनुमान था, जिसका प्राथमिक कारण सकल कर वसूलियों में 2007-08 के 23.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 17.5 प्रतिशत की न्यूनतर वृद्धि होने का बजट अनुमान है। प्रत्यक्ष करों में निगम कर की वसूलियों में वृद्धि 2007-08 के 29.0 प्रतिशत के ऊंचाई से कम होकर 2008-09 में 21.6 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान था। निजी आय कर में वृद्धि 2007-08 के 37.2 प्रतिशत से कम होकर 16.8 प्रतिशत रहने का अनुमान था। अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क के तहत वसूली में एक साल पहले के 16.7 प्रतिशत की तुलना में 18.0 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि का बजट अनुमान था। तथापि, उत्पाद शुल्क की वसूली में 8.8 प्रतिशत की तुलना में 7.8 प्रतिशत की निम्नतर वृद्धि का बजट अनुमान था। करेतर राजस्व (एनटीआर) 2007-08 के 93,325 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 95,785 करोड़ रुपए होने का बजट अनुमान था, जो लाभांश और लाभ से प्राप्त उच्चतर राजस्व को दर्शाता है। दूसरी ओर, ब्याज प्राप्तियों में गिरावट जारी रही जिसका मुख्य कारण यह था कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार राज्यों को केंद्र द्वारा दिया गया उधार सिर्फ बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत ऋणों के लिए सीमित है (सारणी 2.15 देखें)।

2.49 सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का पैटर्न यह दर्शाता है कि निवल बाजार उधार राशियों (एमएसएस के तहत बजट अनुमान लगाए गए आबंटनों को छोड़कर) द्वारा 2007-08 के 77.1 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में जीएफडी के 74.3 प्रतिशत वित्तपोषण का बजट अनुमान था। दूसरी ओर, बाह्य सहायता का हिस्सा 2007-08 के 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 8.2 प्रतिशत होने का बजट अनुमान था। केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा निवेश से जीएफडी के 7.4 प्रतिशत का वित्तपोषण करने का बजट प्रावधान है। 2008-09 के दौरान, बजट में प्रस्ताव किया गया कि पिछले वर्ष जीएफडी के 12.7 प्रतिशत के नकद शेष के निर्माण के विरुद्ध जीएफडी के 5.4 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए नकद शेष का आहरण किया जाए (सारणी 2.17)।

*संभावना*

2.50 बजट 2008-09 में राजकोषीय सुधार का अनुसरण जारी रहा तथा एफआरबीएम के लक्ष्यों के अनुसार व्यय की गुणवत्ता पर बल दिया गया। यद्यपि बजट ने राजस्व घाटे में हर साल जीडीपी के 0.5 प्रतिशत

**सारणी 2.17: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का पैटर्न**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | 2007-08 (संअ) | 2008-09 (बअ) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| सकल राजकोषीय घाटा | 1,43,653 | 1,33,287 |
| *निम्न द्वारा वित्तपोषित :* | | |
| बाजार उधार | 1,10,727 | 99,000 |
| | (77.1) | (74.3) |
| अल्पावधि उधार (क+ख) | 25,497 | 14,000 |
| | (17.7) | (10.5) |
| क) 91 दिवसीय खजाना बिल | 26,628 | 15,000 |
| ख) 182 दिवसीय खजाना बिल | -1,131 | -1,000 |
| लघु बचतों के बदले प्रतिभूतियां | -1,802 | 9,873 |
| | (-1.3) | (7.4) |
| बाह्य सहायता | 9,970 | 10,989 |
| | (6.9) | (8.2) |
| राज्य भविष्य निधि | 4,800 | 4,800 |
| | (3.3) | (3.6) |
| एनएसएसएफ | 11,174 | 53 |
| | (7.8) | (0.0) |
| आरक्षित निधि | 3,504 | -972 |
| | (2.4) | (-0.7) |
| जमा एवं अग्रिम | 7,807 | 8,629 |
| | (5.4) | (6.5) |
| डाक बीमा एवं जीवन वार्षिकी निधियां | 3,045 | 4,123 |
| | (2.1) | (3.1) |
| अन्य | -12,885 | -24,433 |
| | (-9.0) | (-18.3) |
| नकद शेष का आहरण | -18,184 | 7,225 |
| | (-12.7) | (5.4) |

**टिप्पणी:** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे का प्रतिशत दर्शाते हैं।

की वार्षिक कटौती संबंधी एफआरबीएम लक्ष्य को पूरा किया गया, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर अधिक खर्च के कारण अभी भी यह जीडीपी का 1.0 प्रतिशत है।बकाया राशि के भुगतान सहित छठे वेतन आयोग (एसपीसी) के निर्णय के कार्यान्वयन, उच्चतर तेज सब्सिडी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल तथा उर्वरक के मूल्य में तेज वृद्धि के कारण उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि तथा किसानों का ऋण माफ किए जाने के कारण हुए व्यय की वजह से 2008-09 के दौरान केंद्र सरकार के वित्त पर दबाव बढ़ सकता है।

## राज्य वित्त

2.51 राज्य सरकारों ने 2008-09 के अपने बजट में राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्धता को दुहराया है। मार्च 2008 के अंत में पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) तैयार किया है। सभी राज्यों ने बिक्री कर के बदले मूल्यवर्धित कर (वीएटी) लागू किया है तथा अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश ने वीएटी 1 जनवरी 2008 से लागू किया है।

2.52 राज्य सरकारों ने 2008-09 के अपने बजट में कई नीतिगत पहलों का प्रस्ताव किया जिनका उद्देश्य राजस्व में वृद्धि तथा व्यय को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में निदेशित करना था। कई राज्यों में 2008-09 में कृषि एवं जलसंरक्षण, मूलभूत संरचना, पावर, शहरी विकास तथा आवास क्षेत्र जैसे उत्पादक क्षेत्रों के लिए बजट आबंटन बढ़ाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारें भी इंदिरा आवास योजना तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) सहित विभिन्न स्कीमों के तहत कम और मध्यम आय समूहवाले परिवारों तथा गंदी बस्ती में रहनेवालों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए भवन निर्माण का कार्य कर रही हैं। राज्य सरकारें राजकोषों और कर विभागों के कंप्यूटरीकरण का कार्य कर रही हैं। महाराष्ट्र राज्य ने नकदी प्रवाह प्रणाली में सुधार लाने के लिए कंप्यूटरीकृत बजट वितरण प्रणाली लागू की है। अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ और राज्यों ने महिला सशक्तीकरण के लिए लिंग बजट बनाना शुरू किया है। केरल राज्य ने जेंडर बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। मणिपुर ने गारंटी उन्मोचन कोष तथा समेकित निक्षेप निधि की स्थापना का प्रस्ताव किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार 13 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का गठन किया गया जिसकी पंचाट की अवधि 2010-15 होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा गठित छठें वेतन आयोग ने 24 मार्च 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जहां कई राज्यों ने केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण किया, कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों की समीक्षा के लिए अलग वेतन आयोग गठित किए।

*बजट अनुमान - 2008-09*[4]

2.53 राज्यों का समेकित राजस्व अधिशेष 2007-08 (संअ) के 22,526 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.48 प्रतिशत) की तुलना में 2008-09 (बअ) में 28,426 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.54 प्रतिशत) होने का अनुमान है। यद्यपि जीएफडी 2007-08 (संअ) के 1,07,958 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 (बअ) में 1,12,653 करोड़ रुपए पर उच्चतर होने का बजट अनुमान है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह 2007-08 (संअ) के 2.3 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 (बअ) में 2.1 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। समेकित प्राथमिक घाटा 2008-09 (बअ) में जीडीपी का 0.1 प्रतिशत होने का बजट अनुमान है, जो पिछले वर्ष के अनुरूप है (सारणी 2.18)।

2.54 2008-09 के दौरान राजस्व खाते में सुधार मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के द्वारा प्राप्त होने का बजट अनुमान है, जो विभाजन

[4] 2008-09 के लिए राज्य वित्त का विश्लेषण (बजट अनुमान) 28 राज्य सरकारों के बजटों पर आधारित है।

## सारणी 2.18: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | औसत | | | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 बअ | 2007-08 संअ | 2008-09 बअ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1990-95 | 1995-00 | 2000-05 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| सकल राजकोषीय घाटा | | | | 90,084 | 77,509 | 108,323 | 107,958 | 112,653 |
| | (2.8) | (3.4) | (4.0) | (2.5) | (1.9) | (2.3) | (2.3) | (2.1) |
| राजस्व घाटा | | | | 7,013 | -24,857 | -11,973 | -22,526 | -28,426 |
| | (0.7) | (1.7) | (2.2) | (0.2) | -(0.6) | -(0.3) | -(0.48) | -(0.54) |
| प्राथमिक घाटा | | | | 6,060 | -15,654 | 5,648 | 5,080 | 4,270 |
| | (1.1) | (1.4) | (1.3) | (0.2) | -(0.4) | (0.1) | (0.1) | (0.1) |

बअ : बजट अनुमान संअ : संशोधित अनुमान

**टिप्पणी :** (1) ऋणात्मक चिह्न (-) अधिशेष को दर्शाता है।

(2) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत हैं।

(3) वर्ष 2006-07 के लिए सकल देशी उत्पाद के आंकड़े सीएसओ के त्वरित अनुमानों पर आधारित हैं; जबकि वर्ष 2007-08 के लिए आंकड़े इसके संशोधित अनुमानों पर आधारित हैं। वर्ष 2008-09 के सकल देशी उत्पाद के आंकड़े केंद्रीय बजट दस्तावेज, 2008-09 के अनुरूप हैं।

**स्रोत :** राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

योग्य करों में वृद्धि, राज्यों की अपने कर राजस्व तथा केंद्र से अनुदान से प्राप्त होगा (सारणी 2.19)। राजस्व व्यय में कमी, विशेष रूप से ब्याज भुगतान और पेंशन में कमी द्वारा भी राजस्व खाते में सुधार किया जाएगा। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय को पिछले वर्ष के अनुसार 2008-09 (बअ) में 2.7 प्रतिशत पर बनाए रखा जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि 2008-09 (बअ) में विकासात्मक व्यय कम होने का बजट अनुमान है, जबकि गैर विकासात्मक व्यय बढ़ने का बजट अनुमान है (सारणी 2.20)।

2.55 2008-09 (बअ) में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत राजस्व अधिशेष का बजट अनुमान लगाए जाने के साथ, राजस्व अधिशेष से पूंजीगत परिव्यय

## सारणी 2.19: राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | औसत | | | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 बअ | 2007-08 संअ | 2008-09 बअ | प्रतिशत घट-बढ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1990-95 | 1995-00 | 2000-05 | | | | | | स्तंभ 8/6 | स्तंभ 8/7 | स्तंभ 9/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| कुल प्राप्तियां (1+2) | | | | 595,627 | 673,358 | 767,695 | 763,367 | 895,307 | 13.4 | -0.6 | 17.3 |
| | (16.0) | (14.8) | (17.2) | (16.6) | (16.2) | (16.3) | (16.2) | (16.9) | | | |
| 1. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख) | | | | 431,020 | 530,556 | 606,733 | 628,742 | 719,835 | 18.5 | 3.6 | 14.5 |
| | (12.0) | (10.7) | (11.2) | (12.0) | (12.8) | (12.9) | (13.3) | (13.6) | | | |
| (क) राज्यों का अपना राजस्व | | | | 260,246 | 315,812 | 353,229 | 355,970 | 403,658 | 12.7 | 0.8 | 13.4 |
| | (7.2) | (6.7) | (7.0) | (7.3) | (7.6) | (7.5) | (7.6) | (7.6) | | | |
| राज्यों का अपना कर | | | | 212,307 | 252,548 | 294,038 | 293,392 | 336,810 | 16.2 | -0.2 | 14.8 |
| | (5.3) | (5.1) | (5.6) | (5.9) | (6.1) | (6.2) | (6.2) | (6.4) | | | |
| राज्यों के अपने करेतर राजस्व | | | | 47,939 | 63,263 | 59,191 | 62,578 | 66,848 | -1.1 | 5.7 | 6.8 |
| | (1.8) | (1.6) | (1.4) | (1.3) | (1.5) | (1.3) | (1.3) | (1.3) | | | |
| (ख) केंद्रीय अंतरण | | | | 170,774 | 214,744 | 253,504 | 272,773 | 316,177 | 27.0 | 7.6 | 15.9 |
| | (4.8) | (4.0) | (4.2) | (4.8) | (5.2) | (5.4) | (5.8) | (6.0) | | | |
| हिस्सेदारी योग्य कर | | | | 94,024 | 120,293 | 136,184 | 148,134 | 173,147 | 23.1 | 8.8 | 16.9 |
| | (2.6) | (2.4) | (2.4) | (2.6) | (2.9) | (2.9) | (3.1) | (3.3) | | | |
| केंद्रीय अनुदान | | | | 76,750 | 94,451 | 117,320 | 124,638 | 143,030 | 32.0 | 6.2 | 14.8 |
| | (2.3) | (1.6) | (1.8) | (2.1) | (2.3) | (2.5) | (2.6) | (2.7) | | | |
| 2. पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख) | | | | 164,607 | 142,802 | 160,962 | 134,625 | 175,472 | -5.7 | -16.4 | 30.3 |
| | (4.0) | (4.1) | (6.0) | (4.6) | (3.4) | (3.4) | (2.9) | (3.3) | | | |
| (क) केंद्र से ऋण@ | | | | 8,097 | 5,529 | 14,918 | 11,291 | 15,349 | 104.2 | -24.3 | 35.9 |
| | (1.9) | (1.7) | (1.0) | (0.2) | (0.1) | (0.3) | (0.2) | (0.3) | | | |
| (ख) अन्य पूंजीगत प्राप्तियां | | | | 156,510 | 137,273 | 146,043 | 123,334 | 160,123 | -10.2 | -15.5 | 29.8 |
| | (2.1) | (2.4) | (5.0) | (4.4) | (3.3) | (3.1) | (2.6) | (3.0) | | | |

बअः बजट अनुमान संअ : संशोधित अनुमान

@: वर्ष 1999-2000 से लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के साथ, अल्प बचतो में राज्यों के हिस्से को, जिसे पूर्व में केंद्र की ओर से ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया था, आंतरिक ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया है और उसे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ)को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है। तथापि वर्ष 1999-2000 से पूर्व के वर्षों के लिए आंकड़े, जो इस सारणी में दर्शाए गए हैं, तुलना के प्रयोजनार्थ अल्प बचतों के बदले दिए गए ऋणों को छोड़कर हैं।

**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं।

**स्रोत :** राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

## सारणी 2.20 : राज्य सरकारों के व्यय का पैटर्न

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | औसत | | | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | प्रतिशत घट-बढ़ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1990-95 | 1995-00 | 2000-05 | | | बअ | संअ | बअ | स्तंभ 8/6 | स्तंभ 8/7 | स्तंभ 9/8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| कुल व्यय | | | | 561,682 | 657,280 | 766,620 | 787,489 | 892,783 | 19.8 | 2.7 | 13.4 |
| (1+2 = 3+4+5) | (15.9) | (14.9) | (17.1) | (15.7) | (15.9) | (16.3) | (16.7) | (16.8) | | | |
| 1. राजस्व व्यय | | | | 438,034 | 505,699 | 594,760 | 606,216 | 691,409 | 19.9 | 1.9 | 14.1 |
| | (12.7) | (12.4) | (13.4) | (12.2) | (12.2) | (12.6) | (12.9) | (13.0) | | | |
| *जिसमें से :* | | | | | | | | | | | |
| ब्याज भुगतान | | | | 84,024 | 93,164 | 102,675 | 102,878 | 108,383 | 10.4 | 0.2 | 5.4 |
| | (1.7) | (2.0) | (2.7) | (2.3) | (2.2) | (2.2) | (2.2) | (2.0) | | | |
| 2. पूंजी व्यय | | | | 123,648 | 151,582 | 171,859 | 181,273 | 201,374 | 19.6 | 5.5 | 11.1 |
| | (3.2) | (2.5) | (3.6) | (3.5) | (3.7) | (3.6) | (3.8) | (3.8) | | | |
| *जिसमें से :* | | | | | | | | | | | |
| पूंजी परिव्यय | | | | 77,559 | 98,063 | 118,796 | 128,331 | 145,159 | 30.9 | 8.0 | 13.1 |
| | (1.5) | (1.4) | (1.6) | (2.2) | (2.4) | (2.5) | (2.7) | (2.7) | | | |
| 3. विकासात्मक व्यय | | | | 330,044 | 392,165 | 467,695 | 493,563 | 557,116 | 25.9 | 5.5 | 12.9 |
| | (10.7) | (9.4) | (9.4) | (9.2) | (9.5) | (9.9) | (10.5) | (10.5) | | | |
| 4. गैर विकासात्मक व्यय | | | | 190,021 | 211,872 | 246,130 | 241,019 | 275,609 | 13.8 | -2.1 | 14.4 |
| | (4.3) | (4.8) | (5.9) | (5.3) | (5.1) | (5.2) | (5.1) | (5.2) | | | |
| 5. अन्य* | | | | 41,617 | 53,243 | 52,794 | 52,907 | 60,058 | -0.6 | 0.2 | 13.5 |
| | (0.9) | (0.7) | (1.7) | (1.2) | (1.3) | (1.1) | (1.1) | (1.1) | | | |

बअ. : बजट अनुमान संअ. : संशोधित अनुमान

* : इसमें स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समुपदेशन, सहायता अनुदान और अंशदान, आंतरिक ऋण की अदायगी, केंद्र को ऋणों की चुकौती शामिल है।

**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।

**स्रोत :** राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

का वित्तपोषण किया जाएगा।2008-09 (बअ) में जीएफडी के बड़े भाग (56.7 प्रतिशत) का वित्तपोषण बाजार उधार द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों (19.8 प्रतिशत) तथा भविष्य निधि (11.5 प्रतिशत) का स्थान होगा (सारणी 2.21)।

## सारणी 2.21 : राज्य सरकारों का सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन और वित्तपोषण का पैटर्न

(प्रतिशत)

| मद | औसत | | | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1990-95 | 1995-00 | 2000-05 | | | बअ | संअ | बअ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **वियोजन (1+2+3-4)** | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1. राजस्व घाटा | 25.3 | 47.1 | 54.7 | 7.8 | -32.1 | -11.1 | -20.9 | -25.2 |
| 2. पूंजी परिव्यय | 55.4 | 43.2 | 40.5 | 86.1 | 126.5 | 109.7 | 118.9 | 128.9 |
| 3. निवल ऋण | 19.4 | 10.0 | 4.9 | 6.1 | 8.0 | 10.7 | 9.8 | 9.7 |
| 4. ऋणेत्तर पूंजी प्राप्तियां* | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.3 | 7.8 | 13.3 |
| **वित्तपोषण (1 से 11 तक)** | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1. बाजार उधार राशियां | 16.1 | 16.4 | 26.4 | 17.0 | 16.8 | 24.3 | 58.9 | 56.7 |
| 2. केंद्र से ऋण | 48.8 | 39.7 | 4.3 | 0.0 | -12.2 | 6.0 | 2.9 | 5.9 |
| 3. एनएसएसएफ को जारी की गई प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण | – | 28.9# | 40.2 | 81.9 | 72.9 | 49.6 | 9.1 | 19.8 |
| 4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से लिए गए ऋण | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 7.3 | 6.2 | 6.0 |
| 5. भविष्य निधि आदि | 17.6 | 16.2 | 10.1 | 11.6 | 13.4 | 11.4 | 11.3 | 11.5 |
| 6. आरक्षित निधियां | 6.8 | 5.6 | 5.0 | 5.8 | 9.8 | 3.9 | -8.9 | 1.1 |
| 7. जमाराशियां और अग्रिम | 9.9 | 9.9 | 4.2 | 8.1 | 16.5 | 1.4 | 4.7 | 4.3 |
| 8. उचंत और फुटकर | 4.3 | 2.8 | -0.8 | 8.8 | 6.1 | -1.3 | -4.5 | -1.6 |
| 9. अर्थ प्रेषण | -1.4 | -3.7 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | 0.1 |
| 10. अन्य | 0.7 | 1.4 | 4.7 | 0.0 | -3.3 | -1.5 | -1.6 | -1.4 |
| 11. समग्र अधिशेष (-)/घाटा (+) | -4.5 | 3.0 | 1.2 | -37.7 | -20.7 | -1.0 | 22.3 | -2.2 |

बअ. : बजट अनुमान संअ. : संशोधित अनुमान – : लागू नहीं

* : विनिवेश तथा भूमि की बिक्री से प्राप्त आय शामिल # : केवल 1999-2000 से संबंधित है क्योंकि इस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई थी।

**टिप्पणी :** 'अन्य' में क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अंतर राज्य निपटान वं आकस्मिकता निधि शामिल है।

**स्रोत :** राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

2.56 2008-09 के लिए राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के तहत अनंतिम निवल आबंटन 47,044 करोड़ रुपए है। 14,371 करोड़ रुपए की चुकौती तथा 45 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन को हिसाब में लेते हुए, राज्य सरकारों का सकल बाजार उधार 61,460 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चालू वर्ष में अब तक (31 जुलाई 2008 तक), 8 राज्य सरकारों ने 8.39-9.90 प्रतिशत के दायरे में कट-ऑफ प्रतिफल के साथ नीलामियों के माध्यम से 10,812 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 14 राज्य सरकारों द्वारा (8.00 -8.57 प्रतिशत के दायरे में कट-ऑफ प्रतिफल के साथ) 8,542 करोड़ रुपए जुटाए गए थे।

*संभावना*

2.57 कुल मिलाकर 25 राज्य सरकारों ने 2008-09 में, जो राजस्व घाटा समाप्त करने के बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के लक्ष्य का अंतिम वर्ष है, बजट में राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया है। साथ ही 17 राज्य सरकारों ने टीएफसी के लक्ष्य के एक साल पहले 3 प्रतिशत या उससे कम पर जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात का बजट अनुमान लगाया है। जैसे-जैसे राज्य सरकारें घाटा संकेतकों में कटौती का उद्देश्य पूरा करने के करीब आ रही है, उन्हें एफआरएल के बाद की अवधि में इस प्रगति को बनाए रखने पर काफी बल देने की आवश्यकता है। राजस्व बढ़ाकर पर्याप्त मात्रा में राजकोषीय राशि जुटाना महत्वपूर्ण होगा जिसका उपयोग विकासात्मक व्यय के वित्तपोषण के लिए किया जा सके। कर वसूली की दक्षता सुधार कर तथा जनसेवाओं पर उपयुक्त प्रभार लगाकर राजस्व उत्पन्न करने का उधार द्वारा व्यय के वित्तपोषण पर लगाई गई अव्यक्त अधिकतम सीमा के कारण नियम आधारित राजकोषीय ढांचे के तहत विशेष महत्व है। तथापि, राज्य सेवाओं की सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार लाकर ही उनका कीमत निर्धारण कर सकते हैं।

2.58 राजकोषीय असंतुलन कम करने के प्रति राज्यों के प्रयास को सिफारिशों के आधार पर केंद्र से बड़ी मात्रा में न्यागमन और अंतरण द्वारा मदद मिली। सभी राज्यों द्वारा वैट लागू करने से भी राज्यों के करों की वृद्धि को सुधारने में मदद मिली। व्यय पक्ष में, जहां राज्य पूंजीगत परिव्यय बढ़ाने में समर्थ रहे, वहीं एफआरएल अवधि के दौरान राजस्व व्यय को कुछ युक्तियुक्त बनाया गया। एनएसएसएफ के तहत उपचयों में गिरावट के साथ जीएफडी के वित्तपोषण पैटर्न में संरचनात्मक बदलाव आया है। फलस्वरूप बाजार उधार राशियां जीएफडी के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं। राज्य सरकारों ने 2008-09 के दौरान अब तक बड़ी मात्रा में नकदी अधिशेष बनाए रखा है, जैसाकि मध्यवर्ती और नीलामी खजाना बिलों में किए गए उनके निवेशों में दिखाई देता है।

2.59 जहां राजकोषीय समेकन के प्रयासों से प्रमुख घाटा संकेतकों को कम करने में मदद मिली है, राज्यों की बकाया देयताओं का स्तर कई उभरते और विकासशील देशों की तुलना में ऊंचा बना हुआ है। यद्यपि ऋण के समेकन और राहत उपायों के कारण ऋण-जीडीपी अनुपात में कुछ कमी आई है, राज्यों के पास उच्च लागत वाले ऋण का बड़ा भाग बना हुआ है। कुछ राज्यों ने नकद शेष स्थिति सुखद होने के कारण ऊंची लागत वाले ऋणों की पूर्व-चुकौती कर दी है।

2.60 राज्यों द्वारा केंद्र सरकार के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्टाफ के उच्चतर पारिश्रमिक के प्रभाव को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। केंद्र द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद और सीमा शुल्क कम किए जाने तथा कुछ राज्यों द्वारा इन उत्पादों पर बिक्री कर घटाए जाने के कारण न्यूनतर कर न्यागमन की वजह से राज्य सरकारों को राजस्व की हानि उठानी पड़ सकती है। निकट भविष्य में नवंबर 2007 में स्थापित तेरहवें वित्त आयोग (पंचाट अवधि:2010-15) की सिफारिशों तथा 1 अप्रैल 2010 से माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन द्वारा राज्य वित्त का निर्माण होगा।

## सार्वजनिक ऋण

2.61 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त बकाया देयताएं मार्च 2008 के अंत के 77.0 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2009 के अंत तक केंद्र तथा राज्यों द्वारा चलायी जा रही राजकोषीय समेकन प्रक्रिया तथा सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्यनिष्पादन के फलस्वरूप 73.4 प्रतिशत रह जाएंगी (सारणी 2.22)।

**सारणी 2.22 : संयुक्त देयताएं और ऋण जीडीपी अनुपात**

| वर्ष | बकाया देयताएं (करोड़ रुपए) | | | ऋण-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | केंद्र | राज्य | संयुक्त | केंद्र | राज्य | संयुक्त |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1990-91 | 3,14,558 | 1,28,155 | 3,68,824 | 55.2 | 22.5 | 64.7 |
| 1995-96 | 6,06,232 | 2,49,535 | 7,26,854 | 50.9 | 20.9 | 61.0 |
| 2004-05 | 19,94,422 | 10,29,174 | 25,62,015 | 63.3 | 32.7 | 81.3 |
| 2005-06 | 22,60,145 | 11,67,866 | 28,79,706 | 63.1 | 32.6 | 80.4 |
| 2006-07 | 25,38,596 | 12,50,819 | 31,90,698 | 61.2 | 30.2 | 77.0 |
| 2007-08 संअ | 28,97,037 | 13,37,044 | 36,27,260 | 61.5 | 28.4 | 77.0 |
| 2008-09 बअ | 30,62,912 | 14,51,169 | 38,91,740 | 57.7 | 27.4 | 73.4 |

संअ. : संशोधित अनुमान। बअ : बजट अनुमान।

**स्रोत** : केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज और राज्य वित्त - बजट अध्ययन, 2007-08, भारतीय रिज़र्व बैंक

## IV. मौद्रिक और ऋण स्थिति

### मौद्रिक स्थिति

2.62 उभरते मुद्रास्फीतिकारी दबावों की पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने 2007-08 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 2007)में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तथा वृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली गतिविधियों के प्रति सभी संभव उपायों सहित त्वरित प्रतिसाद करने के अपने संकल्प को दुहराया। चूंकि व्यापक नीतिगत चुनौती मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करते हुए उच्चतर वृद्धि के मार्ग की ओर संक्रमण का प्रबंध करने से संबंधित थी, आगे की अवधि के लिए 2007-08 में मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत के निकट नियंत्रित करने तथा 4.0-4.5 प्रतिशत के दायरे में मध्यावधि उद्देश्य के अनुरूप नीति और अवधारणाएं बनाने के प्रयास के साथ सुदृढ़तापूर्वक मूल्य स्थिरता तथा सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के पक्ष में नीति तैयार करने को तरजीह दी गई। इस लक्ष्य के प्रति यह संकेत किया गया कि रिज़र्व बैंक स्थिति की मांग के अनुसार अपने सभी नीतिगत लिखतों का लचीलेपन से उपयुक्त उपयोग करके चलनिधि के सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखेगा।

2.63 2007-08 की मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही तक हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हो गई जो विलंबित और संचयी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों तथा आपूर्ति प्रबंधन हेतु राजकोषीय और प्रशासनिक उपायों के मिश्रित प्रभाव को दर्शाता है। इन उपायों का मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर भी हितकर प्रभाव पड़ा। तथापि जुलाई 2007 की पहली तिमाही की समीक्षा में यह जोड़ा गया कि मौद्रिक प्रबंधन को मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के प्रति संभावित खतरे के रूप में पण्य मूल्यों, विशेष तौर पर तेल के मूल्यों, में घटबढ़, आस्ति मूल्यों के बढ़े हुए स्तर तथा उत्पादकों के बीच मूल्य निर्धारण शक्ति के पुनरोदय के प्रति चौकस रहने की जरूरत है। तथापि, समीक्षा में 2007-08 में मुद्रास्फीति की संभावना को अपरिवर्तित रखा गया।

2.64 मध्यावधि समीक्षा 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य तथा पहली तिमाही की समीक्षा में निर्धारित रुख के साथ जारी रही जिसमें मूल्य स्थिरता एवं सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर बल दिया गया था तथा ऐसा मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया था जो अर्थव्यवस्था में निर्यात एवं निवेश संबंधी मांग का समर्थन करे ताकि वृद्धि की गति जारी रखी जा सके। समष्टि आर्थिक तथा, विशेष रूप से, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऋण के प्रसार करने और वित्तीय समावेशन के साथ-साथ वित्तीय बाजारों में ऋण की गुणवत्ता तथा व्यवस्थित स्थितियों पर पुनः बल दिया गया। मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता तथा वृद्धि की गति पर प्रभाव डालने वाली वैश्विक एवं देशी स्थिति पर सभी संभव उपयुक्त उपायों के साथ तेजी से रेस्पांड करने की तैयारी को दुहराते हुए, मध्यावधि समीक्षा में सामान्य रूप से बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं तथा वित्तीय बाजारों में गतिविधियों के प्रति अपरंपरागत नीतिगत प्रतिसादों को देखते हुए अर्थव्यवस्था में स्थिरता और वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए सभी संभव विकल्पों का आश्रय लेने का संकल्प किया गया।

2.65 मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही की समीक्षा (जनवरी 2008) में मध्यावधि समीक्षा की नीति संबंधी रुख पर पुनः बल देना जारी रखते हुए सब-प्राइम संकट के संदर्भ में वैश्विक वित्तीय बाजारों की गतिविधियों को नोट किया गया तथा समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता संरक्षित करने और बनाए रखने के लिए सभी उपलब्ध लिखतों के साथ अधिक सघन निगरानी और त्वरित प्रतिसाद की जरूरत पर बल दिया गया। जहां यह माना गया कि भारत में वित्तीय स्थिरता को वैश्विक गतिविधियों से कोई दृश्य अथवा तात्कालिक खतरा नहीं है, इसने जोखिम को यथासंभव कम करने के लिए समय पर, त्वरित और उपयुक्त उपाय करने की तैयारी पर बल देने के साथ निरंतर परंतु अधिक सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित किया । तदनुसार, इसने मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली अत्यधिक वैश्विक अनिश्चितता तथा घरेलू स्थिति पर निगरानी रखने की जरूरत पर बल दिया ताकि उपयुक्त परंपरागत और अपरंपरागत दोनों उपायों के साथ तुरंत रेस्पांड किया जा सके।

2.66 अप्रैल 2008 में जारी 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने 2008-09 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.0 से 8.5 प्रतिशत के आसपास होने का अनुमान लगाया। वृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना सहित अर्थव्यवस्था के मौजूदा आकलन को देखते हुए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में मौद्रिक नीति के समग्र रुख को मोटे तौर पर निम्नानुसार सूचित किया गया (i) इस प्रकार का मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जो मूल्य स्थिरता, सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तथा वित्तीय बाजारों में व्यवस्थिति स्थितियों को उच्च प्राथमिकता दे और वृद्धि की गति को बनाए रखने में सहायक हो; (ii) मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता तथा वृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के समूह तथा घरेलू स्थिति के प्रति निरंतर आधार पर उपयुक्त परंपरागत और अपरंपरागत दोनों प्रकार के उपायों से त्वरित रेस्पांड करना; तथा (iii) वित्तीय समावेशन का अनुसरण करते हुए रोजगार प्रधान क्षेत्रों के लिए ऋण की गुणवत्ता तथा ऋण की सुपुर्दगी पर विशेष रूप से बल देना।

2.67 मौद्रिक नीति के वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही की समीक्षा में यह नोट किया गया कि अप्रैल 2008 में वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य की घोषणा के बाद आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों में वैश्विक एवं देशी गतिविधियों ने, विशेष रूप से मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और अवधारणाओं के रूप में, मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ने की ओर संकेत किया। वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ने तथा देशी मुद्रास्फीति तेरह वर्ष की ऊंचाई पर पहुंच जाने के माहौल में, समीक्षा में इस बात पर चिंता प्रकट की गई कि मुद्रास्फीति वैश्विक संभावना के लिए सबसे बड़ी जोखिम के रूप में उभरी है क्योंकि यह पूरे

विश्व में बहुत ऊंचे स्तरों पर पहुंच गई है जैसाकि पिछले दो दशकों में आम तौर पर नहीं देखा गया था। इस प्रकार ऊंचे स्तरों से मुद्रास्फीति को कम करना तथा मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को स्थिर करने को मौद्रिक नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। इसमें नोट किया गया कि आगे देखने पर वैश्विक तथा उससे अधिक देशी कारक मौद्रिक प्रबंधन को कड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं और इसके लिए कई स्तरों पर नीतिगत कार्रवाइयां अपेक्षित हैं। तदनुसार वास्तविक नीतिगत प्रयास यह होगा कि मुद्रास्फीति को उस समय प्रचलित 11.0-12.0 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 31 मार्च 2009 तक 7.0 प्रतिशत के निकट लाया जाए। समस्त मांग प्रबंधन और ऊपर वर्णित आपूर्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुए, देशी अथवा बाह्य आघातों को छोड़कर 2008-09 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगभग 8.0 प्रतिशत पर लगाया गया। इस पृष्ठभूमि में अप्रैल 2008 में जारी वार्षिक नीति वक्तव्य में किए गए उल्लेख के अनुसार मौद्रिक नीति का रुख बनाए रखा गया।

2.68 मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं तथा बड़े पूंजी अंतर्वाहों के कारण प्रचलित मौद्रिक/चलनिधि स्थितियों के संभावित प्रभाव को नियंत्रित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर मौद्रिक उपायों की घोषणा की। तदनुसार, 5 मार्च 2007 से यह निर्णय लिया गया कि दैनिक रिवर्स रिपो अवशोषण को अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए पर सीमित किया जाए ताकि प्रणाली में उपयुक्त चलनिधि बनाए रखने तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के जरिए सक्रिय चलनिधि प्रबंधन को सुकर बनाया जा सके। तथापि, प्रचलित समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक एवं चलनिधि स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एलएएफ के तहत दैनिक रिवर्स रिपो की 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा 6 अगस्त 2007 से समाप्त कर दी गई। 2006-07 में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) 4 चरणों में 100 आधार अंक बढ़ाकर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एनडीटीएल के 5.00 प्रतिशत से 6.00 प्रतिशत कर दिया गया। सीआरआर में परिवर्तनों के कारण बैंकिंग प्रणाली पर पहले दौर में 2006-07 में 27,500 करोड़ रुपए का चलनिधि प्रभाव पड़ा। 2007-08 में सीआरआर में चार चरणों में 150 आधार अंकों की और वृद्धि कर उसे 7.50 प्रतिशत कर दिया गया तथा बैंकिंग प्रणाली पर पहले दौर में 47,000 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ा। 2008-09 में अब तक सीआरआर में 150 आधार अंकों की और वृद्धि की गई तथा रिपो दर 125 आधार अंक बढ़ाकर दोनों को 9.00 प्रतिशत कर दिया गया। रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने एमएसएस के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के लिए अधिकतम सीमा संशोधित कर उसे 1,10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8 अगस्त 2007 को 1,50,000 करोड़ रुपए तथा 4 अक्तूबर 2007 को और बढ़ाकर 2,00,000 करोड़ रुपए तथा 7 नवंबर 2007 को 2,50,000 करोड़ रुपए कर दिया ताकि मौद्रिक नीति के संचालन में रिज़र्व बैंक को अधिक युक्तिचालन प्रदान किया जा सके।

## आरक्षित मुद्रा सर्वेक्षण

2.69 मार्च 2008 के अंत में साल-दर-साल आरक्षित मुद्रा में 30.9 प्रतिशत का विस्तार एक साल पहले के 23.7 प्रतिशत की तुलना में उच्चतर था। सीआरआर में वृद्धि के प्रभाव को समायोजित करने के बाद, एक साल पहले के 18.9 प्रतिशत की तुलना में आरक्षित मुद्रा का विस्तार 25.3 प्रतिशत था। 2007-08 में आरक्षित मुद्रा में व्यापक घटबढ़ देखा गया जो मुख्य रूप से सीआरआर में वृद्धि के कारण रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियों में घटबढ़, मांग और मीयादी देयताओं में व्यापक वृद्धि तथा रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालनों को दर्शाता है। रिज़र्व बैंक के पास रखी बैंकों की जमाराशियों में 2006-07 के 45.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 66.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्रोत पक्ष में, आरक्षित मुद्रा में वृद्धि मुख्य रूप से रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों द्वारा चालित थी जो पिछले साल में हुई 1,64,601 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 2007-08 में 3,70,550 करोड़ रुपए (पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित) बढ़ गई। 2007-08 में केंद्र सरकार को रिज़र्व बैंक के निवल ऋण में घटबढ़ ने मोटे तौर पर रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि प्रबंधन परिचालनों तथा रिज़र्व बैंक के पास रखी सरकारी जमाराशियों में घटबढ़ को दर्शाया। एमएसएस के तहत रिज़र्व बैंक के निष्प्रभावीकरण संबंधी परिचालनों के कारण रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार की जमाराशियां बढ़ गईं। रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार का अधिशेष नकदी शेष भी बढ़ गया। केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की रिज़र्व बैंक की धारिताएं एलएएफ के तहत चलनिधि के अंतर्वेशन के कारण बढ़ गईं। इन गतिविधियों को दर्शाते हुए केंद्र को रिज़र्व बैंक का निवल ऋण 2006-07 में हुई 3,024 करोड़ रुपए से की गिरावट की तुलना में 2007-08 में 1,16,772 करोड़ रुपए कम हो गया (सारणी 2.23)।

*2008-09 की गतिविधियां*

2.70 एक साल पहले के 24.1 प्रतिशत की तुलना में 15 अगस्त 2008 को साल-दर-साल आरक्षित मुद्रा की वृद्धि 31.1 प्रतिशत थी। सीआरआर में वृद्धि के पहले दौर के प्रभाव को समायोजित करने के बाद, आरक्षित मुद्रा की वृद्धि एक साल पहले के 14.2 प्रतिशत की तुलना में 24.3 प्रतिशत थी। रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित) में एक साल पहले हुई 2, 40, 618 करोड़ रु. की वृद्धि की तुलना में साल-दर-साल 2,51,201 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। केंद्र के रिज़र्व बैंक के निवल ऋण में एक साल पहले हुई 78,935 करोड़ रुपए की गिरावट की तुलना में साल-दर-साल 6,125 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

## मौद्रिक सर्वेक्षण

2.71 पिछले साल के 21.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 के अंत में स्थूल मुद्रा ($एम_3$) की वृद्धि साल-दर-साल 20.8 प्रतिशत थी (सारणी 2.24 तथा चार्ट II.5)। बैंकों की सकल जमाराशियों में हुई वृद्धि में

## सारणी 2.23 : आरक्षित मुद्रा - घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | 31 मार्च 2008 को बकाया | निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-07 | 2007-08 | 2007-08 | | | |
| | | | | ति1 | ति2 | ति3 | ति4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **आरक्षित मुद्रा** | 9,28,417 | 1,35,935 (23.7) | 2,19,427 (30.9) | 11,630 | 60,688 | 26,606 | 1,20,503 |
| **घटक (1+2+3)** | | | | | | | |
| 1. संचलन में करेंसी | 5,90,901 | 73,523 (17.1) | 86,702 (17.2) | 16,866 | -13,297 | 46,781 | 36,352 |
| 2. रिज़र्व बैंक के पास बैंकरों की जमा | 3,28,447 | 61,784 (45.6) | 1,31,152 (66.5) | -4,800 | 75,464 | -19,369 | 79,857 |
| 3. रिज़र्व बैंक के पास (अन्य) जमा | 9,069 | 628 (9.1) | 1,573 (21.0) | -436 | -1,479 | -806 | 4,294 |
| **स्रोत (1+2+3+4-5)** | | | | | | | |
| 1. रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को निवल ऋण | | | | | | | |
| उसमें से : केंद्र को (i+ii+iii+iv-v) | -1,14,636 | -3,024 | -1,16,772 | -21,825 | -55,588 | -65,078 | 25,719 |
| i. ऋण तथा अग्रिम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii. भा.रि.बैंक द्वारा धारित राजकोषीय बिल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iii. भा.रि.बैंक की दिनांकित प्रतिभूतियों की धारिता | 1,14,593 | 26,763 | 17,421 | -34,284 | 4,019 | 20,874 | 26,812 |
| iv. भा.रि.बैंक की रुपए सिक्कों की धारिता | 132 | -143 | 121 | 128 | 20 | 3 | -31 |
| v. केंद्र सरकार की जमाराशियां | 2,29,361 | 29,644 | 1,34,314 | -12,330 | 59,627 | 85,956 | 1,062 |
| 2. भा.रि.बैंक द्वारा बैंकों तथा वाणिज्य क्षेत्र को ऋण | 6,378 | 1,990 | -2,794 | -6,450 | -1,256 | 848 | 4,064 |
| 3. भा.रि.बैंक का एनएफईए | 12,36,130 | 1,93,170 (28.7) | 3,69,977 (42.7) | -2,745 1, | 19,430 | 94,681 | 1,58,610 |
| *जिसमें से* : एफसीए, पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित | | 1,64,601 | 3,70,550 | 47,728 | 1,18,074 | 1,00,888 | 1,03,860 |
| 4. सरकार की जनता के प्रति मुद्रा देयताएं | 9,324 | -493 | 1,064 | 166 | 354 | 312 | 232 |
| 5. भा.रि.बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं | 2,10,206 | 54,556 | 33,187 | -42,812 | 3,145 | 3,448 | 69,406 |
| *ज्ञापन :* | | | | | | | |
| निवल देशी आस्तियां | -3,07,713 | -57,234 | -1,50,550 | 14,375 | -58,743 | -68,075 | -38,107 |
| एलएएफ - रिपो (+)/रिवर्स रिपो(-) | 50,350 | 36,435 | 21,165 | -32,182 | 9,067 | 16,300 | 27,980 |
| खुले बाजार में निवल बिक्री #* | | 5,125 | -5,923 | 1,246 | 1,560 | -3,919 | -4,810 |
| केन्द्र का अधिशेष | 76,686 | 1,164 | 26,594 | -34,597 | 15,376 | 54,765 | -8,950 |
| एमएसएस के अंतर्गत संग्रहण | 1,68,392 | 33,912 | 1,05,419 | 19,643 | 48,855 | 31,192 | 5,728 |
| निवल खरीद (+) /बिक्री (-), प्राथमिक व्यापारियों से | | 1,18,994 | 3,12,054 | 38,873 | 1,01,814 | 87,596 | 83,771 |
| एनएफईए / रिज़र्व मुद्रा @ | 133.1 | 122.2 | 133.1 | 119.8 | 125.8 | 133.4 | 133.1 |
| एनएफईए / मुद्रा @ | 209.2 | 171.8 | 209.2 | 165.7 | 193.6 | 194.3 | 209.2 |

एनएफईए : निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां एफसीए : विदेशी मुद्रा आस्तियां एलएएफ : चलनिधि समायोजन सुविधा
*: अंकित मूल्य पर # : राजकोषीय बिलों को छोड़कर @ : प्रतिशत, अवधि के अंत में

**नोट:** 1. ति.4 के आंकड़े 31 मार्च के हैं और अन्य तिमाहियों के आंकड़े रिपोर्ट करने के लिए नियत शुक्रवार के हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिशत घट-बढ़ को दर्शाते हैं।

कुछ कमी आई। 2007-08 में मांग जमाराशियों में एक वर्ष पहले की 17.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि (साल-दर-साल) हुई। मीयादी जमाराशियों में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि (एक साल पहले के 23.5 प्रतिशत की तुलना में) हुई। फिर भी, मीयादी जमाराशियों में सुदृढ़ वृद्धि बनी रही जो अन्य बातों के साथ-साथ बैंक जमाराशियों पर ऊंचे ब्याज दरों तथा पांच वर्ष और अधिक परिपक्वतावाली जमाराशियों पर कर लाभ का परिणाम थी। 2007-08 में डाक जमाराशियों में हुए उपचय में नवंबर 2007 तक काफी कमी आई। इसके अलावा, दिसंबर 2007 में अल्पबचत स्कीमों से निवल बहिर्वाह हुआ। डाक जमाराशियों में रुचि को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2007 में कतिपय डाक जमाराशियों के लिए कर लाभ सहित कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा की। तथापि निवल बहिर्वाह जून 2008 तक, जब तक के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, जारी रहा।

*2008-09 की गतिविधियां*

2.72 साल-दर-साल आधार पर स्थूल मुद्रा (एम$_3$) में वृद्धि एक साल पहले के 21.8 प्रतिशत की तुलना में 1 अगस्त 2008 को 19.6 प्रतिशत थी। प्रमुख घटकों में समस्त जमाराशियों में एक साल पहले के 23.1 प्रतिशत की तुलना में 20.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्रोत पक्ष में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खाद्येतर ऋण में 1 अगस्त 2008 को 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो पिछले वर्ष के 23.5 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी अधिक थी, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों में उनका निवेश एक साल पहले के 12.9 प्रतिशत की तुलना में 15.4 प्रतिशत बढ़ गया।

## सारणी 2.24 : मौद्रिक संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | 31 मार्च 2008 को बकाया | घट-बढ़ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2007 | | 31 मार्च 2008 | |
| | | समग्र राशि | प्रतिशत | समग्र राशि | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. आरक्षित मुद्रा | 9,28,417 | 1,35,935 | 23.7 | 2,19,427 | 30.9 |
| II. संकीर्ण मुद्रा (एम$_1$) | 11,50,953 | 1,39,714 | 16.9 | 1,84,864 | 19.1 |
| III. व्यापक मुद्रा (एम$_3$) | 40,06,722 | 5,86,548 | 21.5 | 6,90,629 | 20.8 |
| क) जनता के पास मुद्रा | 5,67,476 | 69,786 | 16.9 | 84,571 | 17.5 |
| ख) कुल जमाराशियाँ | 34,30,177 | 5,16,134 | 22.3 | 6,04,485 | 21.4 |
| i) माँग जमाराशियाँ | 5,74,408 | 69,300 | 17.1 | 98,721 | 20.8 |
| ii) मीयादी जमाराशियाँ | 28,55,769 | 4,46,834 | 23.5 | 5,05,765 | 21.5 |
| *जिसमें से :* अनिवासी विदेशी मुद्रा जमाराशियाँ | 56,935 | 8,185 | 13.8 | -10,525 | -15.6 |
| IV. एनएम$_3$ | 40,32,699 | 5,77,013 | 21.0 | 7,08,101 | 21.3 |
| *जिसमें से :* वित्तीय संस्थाओं से माँग मीयादी निधीयन | 1,06,504 | 2,692 | 3.2 | 20,668 | 24.1 |
| V. क) एल$_1$ | 41,47,550 | 5,88,644 | 20.6 | 7,07,403 | 20.6 |
| *जिसमें से :* डाक जमाराशियां | 1,14,851 | 11,631 | 11.2 | -698 | -0.6 |
| ख) एल$_2$ | 41,50,482 | 5,88,644 | 20.6 | 7,07,403 | 20.5 |
| ग) एल$_3$ | 41,76,450 | 5,90,718 | 20.5 | 7,08,674 | 20.4 |
| VI. व्यापक मुद्रा के प्रमुख स्रोत | | | | | |
| क) सरकार को निवल बैंक ऋण (i+ii) | 9,07,077 | 69,177 | 9.0 | 72,842 | 8.7 |
| i) सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण | -1,13,209 | -4,176 | | -1,15,632 | |
| जिसमें से केन्द्र को | -1,14,636 | -3,024 | | -1,16,772 | |
| ii) सरकार को अन्य बैंक ऋण | 10,20,286 | 73,353 | 9.7 | 1,88,474 | 22.7 |
| ख) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण | 25,69,912 | 4,37,074 | 25.8 | 4,39,834 | 20.6 |
| ग) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ | 12,95,131 | 1,86,985 | 25.7 | 3,81,952 | 41.8 |
| घ) जनता के प्रति साकार की मुद्रा देयता | 9,324 | -493 | -5.6 | 1,064 | 12.9 |
| ङ) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं | 7,74,723 | 1,06,195 | 22.9 | 2,05,063 | 36.0 |
| *ज्ञापन:* | | | | | |
| अ.वा.बैंकों की सकल जमाराशि | 31,96,939 | 5,02,885 | 23.8 | 5,85,006 | 22.4 |
| अ.वा.बैंकों का खाद्येतर ऋण | 23,17,515 | 4,18,282 | 28.5 | 4,32,846 | 23.0 |

अ.वा.बैं. : अनुसूचित वाणिज्य बैंक

एनएम$_3$ निवास आधारित व्यापक मुद्रा समुच्चय है तथा एल$_1$, एल$_2$ तथा एल$_3$ मुद्रा आपूर्ति संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष डॉ. या.वे. रेड्डी, 1998) की सिफारिशों के अनुसार संकलित चलनिधि संबंधी समुच्चय हैं। चलनिधि समुच्चयों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

एल$_1$ = एनएम$_3$ + डाकघर बचत बैंकों की चुनिंदा जमाराशियां।

एल$_2$ = एल$_1$ + मीयादी उधारदात्री संस्थाओं तथा पुनर्वित संस्थाओं के पास मीयादी जमाराशियां + वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली गई मीयादी उधारियां + वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमाराशि प्रमाणपत्र।

एल$_3$ = एल$_2$ + गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियां।

**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं। जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां पिछले माह के उपलब्ध आंकड़े दुहराए गए हैं।

### बैंक ऋण

2.73 बैंक ऋण की मांग में 2007-08 में कमी आई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिया गया खाद्येतर ऋण मार्च 2008 के अंत में 23.0 प्रतिशत (साल-दर-साल) बढ़ा, जो एक साल पहले के 28.5 प्रतिशत की तुलना में न्यूनतर था (सारणी 2.25 तथा चार्ट II.6)। 2007-08 में एसएलआर प्रतिभूतियों में वाणिज्य बैंकों के निवेश में एक साल पहले के 10.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 22.8 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि (साल-दर-साल) हुई।

*2008-09 की गतिविधियां*

2.74 1 अगस्त 2008 की स्थिति के अनुसार, खाद्येतर ऋण में एक वर्ष पहले के 23.5 प्रतिशत की तुलना में साल-दर-साल 26.2 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्य बैंकों द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों में किये गये निवेश में एक वर्ष पहले के 12.5 प्रतिशत की तुलना में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

2.75 सकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण संबंधी जानकारी से यह पता चलता है कि मार्च 2008 तक साल-दर-साल आधार पर सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण में सर्वाधिक वृद्धि (31.1 प्रतिशत) दर्ज की गई, जिसके बाद उद्योग (25.0 प्रतिशत), कृषि क्षेत्र (18.8 प्रतिशत) तथा वैयक्तिक ऋण (10.7 प्रतिशत) का स्थान था। 2008-09 के दौरान, खाद्येतर सकल बैंक ऋण में साल-दर-साल वृद्धि (मई 2008 तक) बढ़कर 24.1 प्रतिशत हो गई। मई 2008 के अंत में सेवा क्षेत्र को ऋण में सर्वाधिक वृद्धि (31.3 प्रतिशत) दर्ज की गई, जिसके बाद उद्योग (26.9 प्रतिशत), कृषि क्षेत्र (19.3 प्रतिशत) तथा वैयक्तिक ऋण (15.9 प्रतिशत) का स्थान था। औद्योगिक ऋण में वृद्धि मुख्यत: मूलभूत सुविधा (पावर,

चार्ट II.5: व्यापक मुद्रा वृद्धि

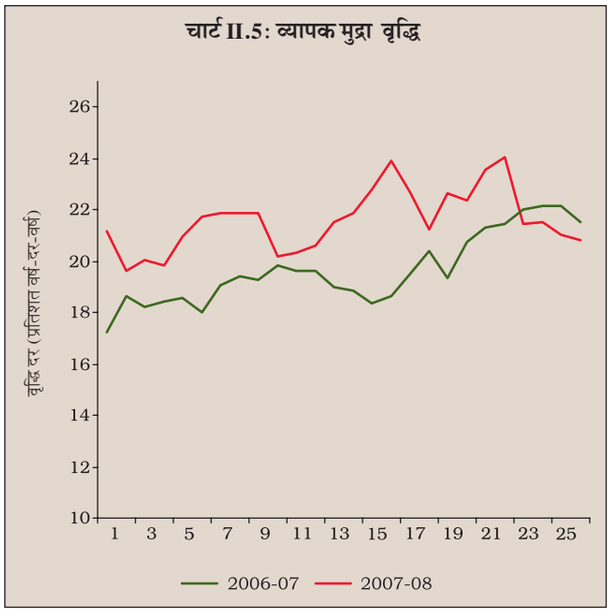


चार्ट II.6: खाद्येतर ऋण

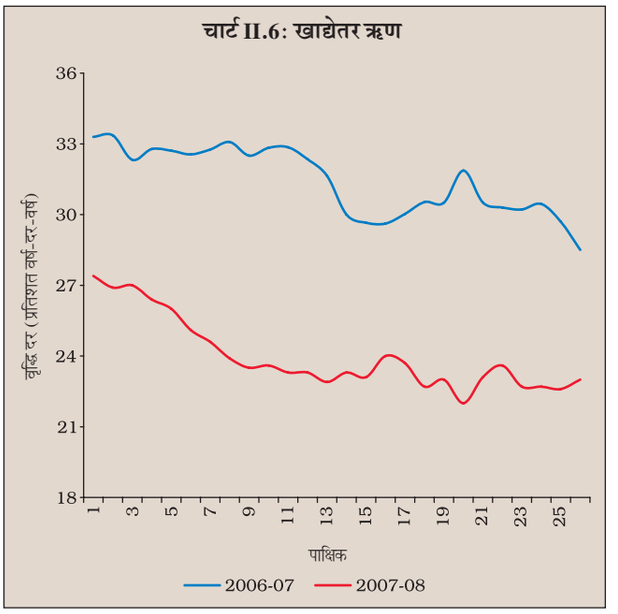


सड़क, बंदरगाह और दूरसंचार), पेट्रोलियम, वस्त्र, लोहा और इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, इंजीनियरिंग, वाहन और निर्माण उद्योगों के कारण हुई। वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र को दिए गए ऋण में उल्लेखनीय कमी आई, हालांकि यह अभी भी कई अन्य क्षेत्रों की ऋण वृद्धि की तुलना में अधिक था(सारणी 2.26)।

2.76 बैंकों से प्राप्त ऋण के अलावा, कंपनी क्षेत्र ने निधीयन संबंधी अपनी जरूरतें पूंजी बाज़ार, बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा निधियों के आंतरिक रूप से सृजन जैसे विभिन्न बैंकेतर स्रोतों से पूरी कीं। 2007-08 के दौरान देशी इक्विटी निर्गमों के जरिए जुटाए गए संसाधन (48,153 करोड़ रुपये) एक साल पहले की तुलना में 68 प्रतिशत अधिक थे। 2007-08

**सारणी 2.25 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सर्वेक्षण**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | 28 मार्च 2008 को बकाया | घट-बढ़ (साल-दर-साल) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 30 मार्च 2007 को | | 28 मार्च 2008 को | |
| | | राशि | प्रतिशत | राशि | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **निधियों के स्रोत** | | | | | |
| 1. सकल जमाराशि | 31,96,939 | 5,02,885 | 23.8 | 5,85,006 | 22.4 |
| 2. वित्तीय संस्थाओं से मांग / मीयादी वित्तपोषण | 1,06,504 | 2,692 | 3.2 | 20,668 | 24.1 |
| 3. विदेशी मुद्रा में लिए गए अपतटीय ऋण | 44,451 | 2,071 | 6.9 | 12,546 | 39.3 |
| 4. पूंजी | 43,770 | 1,461 | 4.5 | 9,695 | 28.5 |
| 5. आरक्षित निधि | 2,28,852 | 23,613 | 16.3 | 60,126 | 35.6 |
| **निधियों का उपयोग** | | | | | |
| 1. बैंक ऋण | 23,61,914 | 4,24,112 | 28.1 | 4,30,724 | 22.3 |
| *जिसमें से:* खाद्येतर ऋण | 23,17,515 | 4,18,282 | 28.5 | 4,32,846 | 23.0 |
| 2. सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश | 9,71,715 | 74,062 | 10.3 | 1,80,199 | 22.8 |
| क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश | 9,58,661 | 75,316 | 10.7 | 1,82,603 | 23.5 |
| ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश | 13,053 | -1,255 | -7.5 | -2,405 | -15.6 |
| 3. गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश | 1,70,609 | 5,114 | 3.8 | 30,155 | 21.5 |
| 4. विदेशी मुद्रा आस्तियां | 31,189 | 15,260 | 35.1 | -27,564 | -46.9 |
| 5. भा.रि.बैंक के पास शेष राशि | 2,57,122 | 53,161 | 41.8 | 76,900 | 42.7 |

**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं।

## सारणी 2.26 : प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

| क्षेत्र | 23 मई 2008 को बकाया राशि | वार्षिक घट-बढ़ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08* | | 2008-09** | |
| | | समग्र राशि | प्रतिशत | समग्र राशि | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4 तक)** | **2,174,767** | **365,814** | **26.4** | **422,418** | **24.1** |
| **कृषि और संबद्ध कार्यकलाप** | **264,787** | **54,038** | **32.2** | **42,745** | **19.3** |
| **उद्योग (लघु, मध्यम और बड़े)** | **858,515** | **141,280** | **26.4** | **182,075** | **26.9** |
| लघु उद्योग | 176,282 | 26,387 | 29.5 | 60,398 | 52.1 |
| **वैयक्तिक ऋण** | **528,046** | **87,944** | **23.9** | **72,607** | **15.9** |
| गृह निर्माण | 262,486 | 41,066 | 21.6 | 31,735 | 13.8 |
| मीयादी जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम | 42,220 | 6,237 | 19.0 | 3,128 | 8.0 |
| क्रेडिट कार्ड बकाया राशि | 26,596 | 4,411 | 45.0 | 12,375 | 87.0 |
| शिक्षा | 21,352 | 4,903 | 46.5 | 5,914 | 38.3 |
| उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं | 8,297 | 1,661 | 23.2 | -534 | -6.0 |
| **सेवाएं** | **523,249** | **82,551** | **26.1** | **124,821** | **31.3** |
| परिवहन परिचालक | 35,248 | 7,922 | 45.5 | 9,927 | 39.2 |
| प्रोफेशनल व अन्य सेवाएं | 31,942 | 8,999 | 56.8 | 7,108 | 28.6 |
| व्यापार | 122,438 | 23,319 | 28.4 | 16,902 | 16.0 |
| भूसंपदा ऋण | 61,045 | 19,010 | 69.7 | 14,750 | 31.9 |
| गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां | 71,974 | 12,401 | 38.7 | 27,549 | 62.0 |
| **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** | **739,964** | **120,463** | **23.9** | **114,666** | **18.3** |
| **उद्योग (लघु, मध्यम, बड़े)** | **858,515** | **141,280** | **26.4** | **182,075** | **26.9** |
| खाद्य प्रसंस्करण | 50,493 | 6,758 | 22.1 | 13,126 | 35.1 |
| वस्त्र | 93,916 | 19,223 | 32.9 | 16,259 | 20.9 |
| कागज एवं कागज के उत्पाद | 13,826 | 2,243 | 24.5 | 2,435 | 21.4 |
| पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं आण्विक ईंधन | 47,289 | 9,884 | 51.6 | 18,250 | 62.8 |
| रसायन एवं रासायनिक उत्पाद | 65,397 | 6,511 | 14.2 | 12,982 | 24.8 |
| रबड़, प्लास्टिक एवं प्लास्टिक के उत्पाद | 11,116 | 1,938 | 28.0 | 2,261 | 25.5 |
| लोहा तथा इस्पात | 78,834 | 13,554 | 27.2 | 15,460 | 24.4 |
| अन्य धातु तथा धातु के उत्पाद | 25,112 | 5,447 | 36.3 | 4,658 | 22.8 |
| सभी अभियांत्रिकी | 52,551 | 8,553 | 25.1 | 9,959 | 23.4 |
| वाहन, वाहन के पुर्जे तथा परिवहन उपस्कर | 30,015 | 5,267 | 28.6 | 6,324 | 26.7 |
| रत्न तथा आभूषण | 24,826 | 2,572 | 12.3 | 1,403 | 6.0 |
| निर्माण | 26,082 | 6,632 | 49.2 | 5,959 | 29.6 |
| इंफ्रास्ट्रक्चर | 203,331 | 35,292 | 32.6 | 59,811 | 41.7 |

* : 26 मई 2006 की तुलना में 25 मई 2007।

** : 25 मई 2007 की तुलना में 23 मई 2008।

**टिप्पणी :** आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं। आंकड़ों में भारत ओवरसीज बैंक, जिसका 31 मार्च 2007 को इंडियन ओवरसोज बैंक में विलय हो गया था, के आंकड़े भी शामिल हैं।

के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के जरिए किए गए निवल संग्रहण में पिछले साल की तुलना में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2007-08 के दौरान वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करके किया गया संग्रहण पिछले साल के निर्गम की तुलना में लगभग तीन गुना था। 2007-08 के दौरान चुनिंदा गैर वित्तीय गैर सरकारी कंपनियों के करोत्तर लाभ की वृद्धि में पिछले साल की तुलना में कुछ कमी होने के बावजूद, निधियों के आंतरिक सृजन से कंपनी क्षेत्र की निधीयन संबंधी जरूरतों को समर्थन मिलना जारी रहा। 2007-08 के दौरान अमरीकी निक्षेपागार रसीद (एडीआर) तथा वैश्विक निक्षेपागार रसीद (जीडीआर) के जरिए इक्विटी निर्गमों के रूप में जुटाए गए संसाधन (13,023 करोड़ रुपये) एक साल पहले की तुलना में 20 प्रतिशत कम थे (सारणी 2.27)।

### मूल्य की स्थिति

2.77 2007-08 के दौरान प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति आम तौर पर अधिक रही, जो विशेषकर उभरते बाज़ारों में खाद्य और ईंधन की उच्चतर कीमतों तथा सुदृढ़ मांग स्थितियों के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, मार्च 2008 में हेडलाइन मुद्रास्फीति एक साल पहले के क्रमश: 2.8 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत की तुलना में यूएस में 4.0 प्रतिशत, यूके में 2.5 प्रतिशत और यूरो क्षेत्र में 3.6 प्रतिशत रही। मूल मुद्रास्फीति भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सुदृढ़ बनी रही। यूएस में, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (अनाज और ऊर्जा को छोड़कर) एक साल पहले के 2.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 में 2.4 प्रतिशत थी। ओईसीडी देशों में उपभोक्ता

**सारणी 2.27 : उद्योग के लिए निधियों के चुनिंदा स्रोत**

(करोड़ रुपए)

| मद | 2006-07 | 2007-08 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| अ. उद्योग को बैंक ऋण # | 1,46,890 | 1,74,566 |
| आ. गैर बैंकों से कंपनियों को प्रवाह | | |
| 1 पूंजी निर्गम (i+ii) | 29,178 | 51,479 |
| i) गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां (क+ख) | 29,178 | 48,962 |
| क) बांड / डिबेंचर | 585 | 809 |
| ख) शेयर | 28,593 | 48,153 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी कंपनियाँ | 0 | 2,517 |
| 2. एडीआर / जीडीआर निर्गम | 16,184 | 13,023 |
| 3. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) | 1,04,046 | 1,60,221 |
| 4 वाणिज्यिक पत्रों का निर्गम | 5,145 | 14,903 |
| इ. मूल्य ह्रास प्रावधान + | 37,095 | 40,664 |
| ई. करोत्तर लाभ + | 1,11,107 | 1,34,291 |

+ : आंकड़े चुनिंदा गैर-वित्तीय गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय चुनिंदा परिणामों पर आधारित हैं।

# : आंकड़े चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

**टिप्पणी :** 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. पूंजी निर्गमों का आंकड़ा सकल निर्गमों से संबंधित है जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के निर्गम शामिल नहीं हैं। पूंजी निर्गमों में बैंकों के निवेश के लिए वे आंकड़े समायोजित नहीं किए गए हैं जो उल्लेखनीय नहीं हैं।

3. एडीआर/जीडीआर के निर्गमों के आंकड़ों में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के निर्गम शामिल नहीं हैं।

4. बाह्य वाणिज्यिक उधार के आंकड़ों में अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।

मूल्य मुद्रास्फीति (अनाज और ऊर्जा को छोड़कर) एक साल पहले की तरह मार्च 2008 में 2.1 प्रतिशत थी। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, मार्च 2008 में हेडलाइन मुद्रास्फीति चीन में 8.3 प्रतिशत (एक साल पहले 3.3 प्रतिशत), कोरिया में 3.9 प्रतिशत (2.2 प्रतिशत) तथा थाईलैंड में 5.3 प्रतिशत (2.0 प्रतिशत) पर सुदृढ़ थी (चार्ट II.7)। 2008-09 में अब तक कई विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में और तेजी आई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर जुलाई 2008 में यूएस में 5.6 प्रतिशत, यूके में 4.4 प्रतिशत और यूरो क्षेत्र में 4.0 प्रतिशत हो गई। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, हेडलाइन मुद्रास्फीति जुलाई 2008 में चीन में 6.3 प्रतिशत, कोरिया में 5.9 प्रतिशत और थाईलैंड में 9.2 प्रतिशत थी।

2.78 2007-08 के दौरान अनाज और कच्चे तेल के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि की अगुआई में वैश्विक पण्य मूल्यों में तेजी आई (चार्ट II.8)। वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई, जो मांग-आपूर्ति संतुलन की सख्त स्थिति, भूराजनैतिक तनाव, प्रमुख मुद्राओं के प्रति अमरीकी डालर के कमज़ोर होने तथा निवेशकों और वित्तीय बाज़ार के खिलाड़ियों की बढ़ी हुई रुचि को दर्शाता है। 2007-08 के दौरान, अमरीका में कच्चे तेल के स्टॉक में आयी तीव्र गिरावट के कारण 13 मार्च 2008 को यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआइ) कच्चे तेल की कीमतें 110.2 अमरीकी डालर प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। उसके बाद तेल के सबसे बड़े उपभोक्ता यूएस में मंदी की गहराती हुई चिंताओं के कारण कुछ नरम होने के बाद कीमतें पुनः बढ़कर 3 जुलाई 2008 को 145.3 अमरीकी डालर प्रति बैरल की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गईं परंतु 19 अगस्त 2008 तक वे कम होकर 114.4 अमरीकी डालर रह गईं। 2007-08 के दौरान, विशेष तौर पर दूसरी छमाही में, मांग (उपभोग मांग तथा जैव ईंधन उत्पादन जैसे खाद्येतर उपयोगों के लिए मांग दोनों) में वृध्दि तथा प्रमुख फसलों के कम स्टॉक के कारण तथा अंशतः कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन में मौसम संबंधी बाधाओं के कारण गेहूं, चावल और तिलहन/ खाद्य तेल की अगुआई में अनाज की कीमतों में तेजी आई। इन कारकों को दर्शाते हुए मार्च 2008 में गेहूं, चावल, सोयाबीन, सोयाबीन तेल और पाम तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में क्रमशः 121 प्रतिशत, 86 प्रतिशत, 79 प्रतिशत, 106 प्रतिशत और 101 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चीनी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें वर्ष के दौरान मोटे तौर पर एक दायरे में रहीं, जो परंपरागत आयातक देशों में उच्चतर उत्पादन को दर्शाता है। धातुओं की कीमतों में जून-दिसंबर 2007 में न्यूनतर आयात मांग तथा आपूर्ति में कुछ सुधार को दर्शाते हुए कुछ कमी देखी गई, परंतु जनवरी-मार्च 2008 में उसमें पुनः वृद्धि हो गई।

**चार्ट II.7 : उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति**

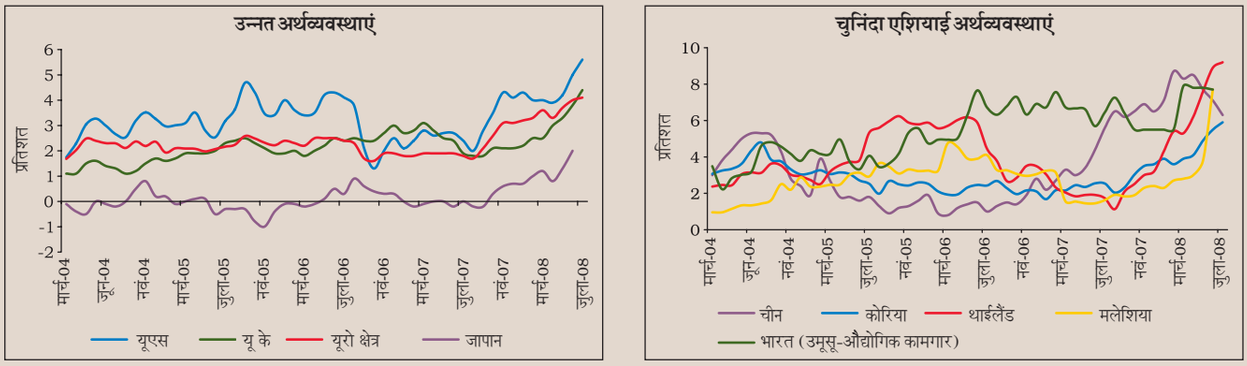

**चार्ट II.8: अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्य**

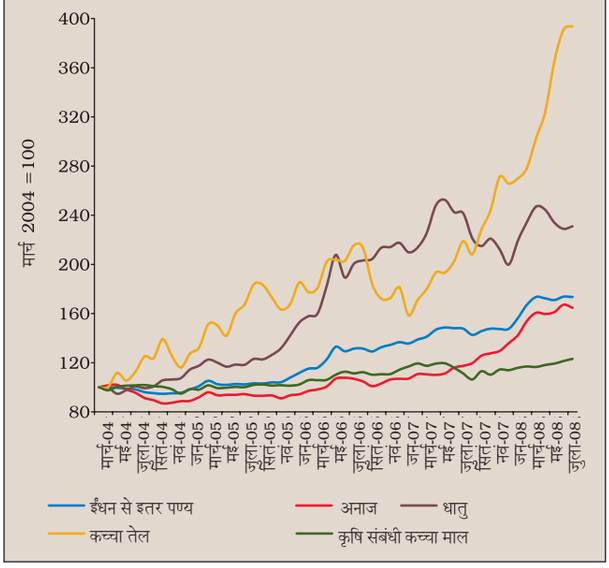


2.79 मुद्रास्फीति बढ़ने के बावजूद, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कई केन्द्रीय बैंकों ने यूएस सबप्राइम संकट से उत्पन्न ऋण की तंगी के व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को पूर्वनिवारित करने के लिए मौद्रिक नरमी का आश्रय लिया (चार्ट II.9)। 2007-08 की पहली छमाही में अमरीका ने नीति दर को अपरिवर्तित रखा। तथापि, यह देखने के बाद कि ऋण की स्थितियों को सख्त बनाने तथा आवास संकुचन को गंभीर बनाने का असर अगली कुछ तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है, फेडरल ओपेन मार्केट समिति (एफओएमसी) ने 30 अप्रैल 2008 को फेडरल निधि दर के लिए अपने लक्ष्य को 25 आधार अंक कम करके 2.00 प्रतिशत कर दिया,

**चार्ट II.9: केंद्रीय बैंक नीति दरें**

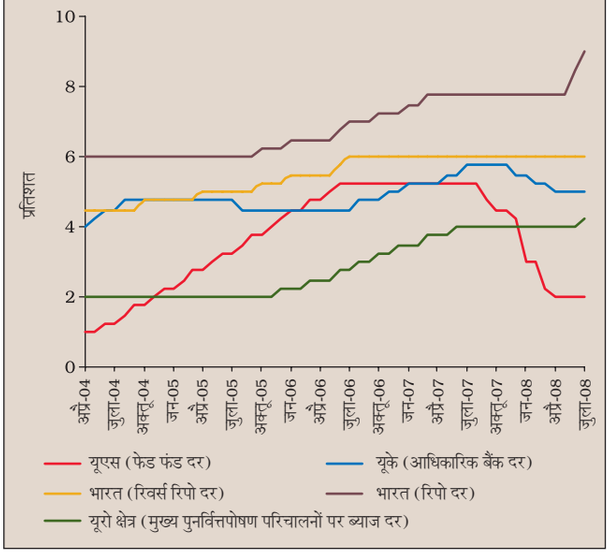


और इस प्रकार सितंबर 2007 से, जब दरों में कटौती करने की शुरुआत की गई, संचयी कटौती बढ़कर 325 आधार अंक हो गई। बाज़ार में चलनिधि में सुधार लाने के लिए, अगस्त 2007 से बट्टे की दर भी 400 आधार अंक कम कर 2.25 प्रतिशत के स्तर पर ला दी गई। 5 अगस्त 2008 को हुई अपनी नवीनतम बैठक में एफओएमसी ने नोट किया कि ऊर्जा एवं कुछ अन्य पण्यों की कीमतों में पहले की गई वृद्धि से प्रेरित होकर मुद्रास्फीति बढ़ गई है और मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं के कुछ संकेतकों को बढ़ा दिया गया है। समिति के अनुसार, यद्यपि इस साल के अंत में और अगले साल मुद्रास्फीति में कमी आने की आशा है, तथापि संभावना अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई है। इस पृष्ठभूमि में फेडरल निधि दर को 2.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया। यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसने मुद्रास्फीति की संभावना के प्रति ऊर्ध्वमुखी जोखिम को देखते हुए मई-जुलाई 2007 में नीति दर को 50 आधार अंक बढ़ा दिया था, ने दिसंबर 2007 से अपनी नीति दर में 75 आधार अंकों की कटौती कर 10 अप्रैल 2008 को उसे 5.0 प्रतिशत कर दिया ताकि मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को बढ़ाते हुए इस वर्ष लक्ष्य से अधिक मुद्रास्फीति की ऊर्ध्वमुखी जोखिमों को वित्तीय बाज़ारों में विघटन की अधोमुखी जोखिमों से संतुलित किया जा सके; जो अर्थव्यवस्था में ऐसी मंदी ला सकती है जो काफी तेजी से मुद्रास्फीति को लक्ष्य से नीचे ले जा सकती है। यह नोट करते हुए कि सीपीआइ मुद्रास्फीति वर्ष के अंत में शिखर पर पहुंच जाएगी और उसके बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर गिरकर 2 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर आना शुरू कर देगी, एमपीसी ने उसके बाद नीति दर को अपरिवर्तित छोड़ दिया। यूरो क्षेत्र में, 6 जून 2007 को नीति दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि करने के बाद, यूरोपीयन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने उसके बाद 2007-08 के दौरान नीति दर को अपरिवर्तित छोड़ दिया क्योंकि उसने सोचा कि मध्यावधि में मूल्य स्थिरता के प्रति जोखिम अत्यंत प्रबल मुद्रा और ऋण वृद्धि के संदर्भ में ऊर्ध्वमुखी होगी। तथापि, मुद्रास्फीति दरें बढ़ते रहने और पहले सोची गई अवधि की तुलना में अधिक लंबी अवधि के लिए उसके मूल्य स्थिरता से सुसंगत स्तर के ऊपर रहने को मद्देनजर रखते हुए, ईसीबी ने 9 जुलाई 2008 से अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि की ताकि व्यापक आधार वाले दूसरे दौर के प्रभावों को निवारित किया जा सके तथा मध्यावधि में मूल्य स्थिरता के प्रति बढ़ती हुई ऊपरी जोखिमों को प्रभावहीन किया जा सके।

2.80 बैंक ऑफ जापान (बीओजे) ने फरवरी 2007 से अपनी नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा, जब उसने अपनी असंपार्श्विकीकृत रात भर की मांग दर (जो मार्च 2006 से मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है) 25 आधार अंक बढ़ाकर उसे 0.50 प्रतिशत कर दिया। बीओजे के अनुसार, आगामी महीनों में मुद्रास्फीति कुछ उच्चतर रहने की आशा है, परंतु उसके बाद उसमें क्रमिक रूप से कमी आ सकती है। कुछ समय तक मंदा रहने के बाद आर्थिक वृद्धि के क्रमिक रूप से सामान्य वृद्धि मार्ग पर वापस आने की आशा है क्योंकि पण्यों के मूल्य एक स्तर पर आ गए हैं तथा विदेशी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के

चरण से बाहर आ गई हैं। अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, बैंक ऑफ कनाडा, जिसने प्रारंभ में जुलाई 2007 में अपनी नीति दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की थी, दिसंबर 2007 से इसमें 150 आधार अंकों की कटौती कर 22 अप्रैल 2008 को उसे 3.0 प्रतिशत कर दिया, जबकि रिज़र्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया ने अपनी नीति दर को बढ़ाना जारी रखा - मई 2006 से 175 आधार अंक बढ़ाकर 5 मार्च 2008 को 7.25 प्रतिशत कर दिया।

2.81 सुदृढ़ वृद्धि तथा तेल, अनाज और अन्य पण्य की उच्चतर कीमतों के कारण प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मुद्रास्फीति संबंधी दबाव अधिक बना रहा। मुख्यतः उच्चतर खाद्य मूल्यों के कारण चीन में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 में 8.3 प्रतिशत हो गई। बाद में जुलाई 2008 में यह कुछ नरम होकर 6.3 प्रतिशत रह गई। बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि की समस्या दूर करने के लिए तथा मुद्रा और ऋण विस्तार पर दबाव कम करने के लिए, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीसी) ने अप्रैल 2006 से बेंचमार्क एक वर्षीय उधार दर 189 आधार अंक बढ़ाकर 21 दिसंबर 2007 को 7.47 प्रतिशत कर दिया। चलनिधि समेटने हेतु अपने निजी बिलों को लगातार जारी करने के अलावा, पीबीसी ने जुलाई 2006 तथा जून 2008 के बीच नकदी आरक्षित अनुपात 1000 आधार अंक बढ़ाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया ताकि बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा सके और मुद्रा तथा ऋण की उपयुक्त वृद्धि का मार्गदर्शन किया जा सके। अन्य उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में, बैंक ऑफ कोरिया ने 9 अगस्त 2007 से 5.0 प्रतिशत पर अपनी नीति दर अपरिवर्तित रखने के बाद, मोटे तौर पर अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजार की अस्त-व्यस्तता तथा अमरीका की आर्थिक मंदी के कारण भविष्य में आर्थिक गतिविधियों में मौजूद अनिश्चितता को देखते हुए, 7 अगस्त 2008 को दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे 5.25 प्रतिशत कर दिया। मौद्रिक नीति समिति के नवीनतम आकलन के अनुसार, तेल की ऊंची कीमतों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की गति बढ़ गई है (एक साल पहले के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2008 में यह 5.9 प्रतिशत हो गई है) तथा कुछ समय तक मुद्रास्फीति काफी अधिक बने रहने की संभावना है। थाईलैंड में एमपीसी, जिसने 18 जुलाई 2007 से (जब नीति दर में 25 आधार अंकों की अंतिम कटौती की गई थी) अपनी नीति दर को 3.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था, दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर 16 जुलाई 2008 को उसे 3.50 प्रतिशत कर दिया।एमपीसी के अनुसार, मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो निजी क्षेत्र के विश्वास को प्रभावित करेगा जिससे आगे चलकर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और कठिन हो जाएगा तथा यह दीर्घावधि में थाई अर्थव्यवस्था की संभाव्य वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करेगा।

2.82 भारत में, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति राजकोषीय वर्ष के आरंभ में 6.4 प्रतिशत थी, जो नरम

**चार्ट II.10 : थोक मूल्य मुद्रास्फीति**

होकर 13 अक्तूबर 2007 को 3.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई, जो आंशिक तौर पर प्राथमिक खाद्य वस्तुओं और कुछ विनिर्मित उत्पादों के मूल्यों में कमी और आधार प्रभाव को दर्शाता है।नवंबर 2007 में 3 प्रतिशत के आसपास रहने के बाद दिसंबर 2007 के आरंभ से मुद्रास्फीति बढ़ने लगी और 29 मार्च 2008 को वह 7.7 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो मुख्यतः अनाज, सब्जी, तिलहन, कच्ची रूई और लौह अयस्क, ईंधन समूह जैसी प्राथमिक वस्तुओं तथा खाद्य तेल/खली जैसी विनिर्मित वस्तुओं एवं धातुओं की कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है। वार्षिक औसत डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति दर (52 सप्ताहों का औसत) मई 2007 तक बढ़ने के बाद जून 2007 के आरंभ से घटनी शुरू हुई तथा वह 29 मार्च 2008 को समाप्त सप्ताह में 4.7 प्रतिशत (एक साल पहले 5.4 प्रतिशत) पर पहुंच गई। 2007-08 के दौरान, हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.1-8.0 प्रतिशत के दायरे में रही (चार्ट II.10)।

2.83 प्रमुख समूहों में साल-दर-साल प्राथमिक वस्तु मुद्रास्फीति अप्रैल 2007 के आरंभ के 12.2 प्रतिशत से कम होकर दिसंबर 2007 के अंत तक 3.7 प्रतिशत के अंतर-वर्ष निम्न स्तर पर पहुंच गई, जो खाद्य वस्तुओं, विशेष रूप से दालों,फलों और सब्जियों तथा अंडों, मछली और मांस के मूल्य में नरमी तथा आधार प्रभाव को दर्शाती है। बाद में मुख्यतः फल, सब्जी, तिलहन, कच्ची रूई और लौह अयस्क की अगुवाई में प्राथमिक वस्तु मुद्रास्फीति 29 मार्च 2008 को बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई। गेहूं के मूल्य में एक साल पहले की 7.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 29 मार्च 2008 को साल-दर-साल 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सामान्य मानसून के कारण उत्पादन में सुधार तथा सरकार द्वारा लिए गए आपूर्ति पक्ष संबंधी उपायों को दर्शाता है। एक साल पहले के 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में दालों की कीमतों में 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जो उत्पादन में सुधार को दर्शाता

है। एक साल पहले की 5.7 प्रतिशत वृद्धि के ऊपर चावल के मूल्य में साल-दर-साल 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तिलहनों की कीमतों में उच्चतर मांग, निम्नतर देशी रबी उत्पादन तथा बढ़ते हुए वैश्विक मूल्यों के कारण एक साल पहले की 31.6 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर साल-दर-साल 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कच्ची रूई की कीमतें अंतरराष्ट्रीय मूल्य में घटबढ़ के अनुरूप एक साल पहले हुई 21.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 29 मार्च 2008 को साल-दर-साल 14.0 प्रतिशत अधिक थीं (सारणी 2.28)।

2.84 ईंधन समूह की मुद्रास्फीति, जो अंशतः आधार प्रभाव तथा पिछले साल ईंधन (पेट्रोल और डीज़ल) की कीमतों में कटौती को दर्शाते हुए जून-नवंबर 2007 में ऋणात्मक थी, नवंबर 2007 के मध्य से सकारात्मक होकर 29 मार्च 2008 को 6.8 प्रतिशत पर पहुंच गई।नवंबर 2007 से शुरू हुई वृद्धि का कारण नफ्था, फर्नेस ऑइल, अविएशन टर्बाइन फ्यूएल (एटीएफ) तथा बिटूमेन जैसे कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में और वृद्धि तथा 15 फरवरी 2008 से पेट्रोल और डीज़ल की देशी कीमतों में क्रमशः दो रुपए प्रति लीटर तथा एक रुपए प्रति लीटर का ऊर्ध्वगामी संशोधन है (जो लगभग एक साल के अंतर के बाद आया जब मूल्यों में कटौती की गई)। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों (भारतीय बास्केट) में लगभग 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह फरवरी 2007 के

**सारणी 2.28 : भारत में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)**

**(प्रतिशत)**

| पण्य | | 2006-07 (मार्च 31) | | 2007-08 (मार्च 29) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | भार | मुद्रास्फीति | भा.अं. | मुद्रास्फीति | भा.अं. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **सभी पण्य** | **100.0** | **5.9** | **100.0** | **7.7** | **100.0** |
| **1. प्राथमिक वस्तुएं** | **22.0** | **10.7** | **39.0** | **9.7** | **28.2** |
| *खाद्यान्न वस्तुएं* | 15.4 | 8.0 | 20.8 | 6.5 | 13.2 |
| i. चावल | 2.4 | 5.7 | 2.1 | 9.1 | 2.5 |
| ii. गेहूं | 1.4 | 7.3 | 1.8 | 5.1 | 1.0 |
| iii. दालें | 0.6 | 12.5 | 1.4 | -1.9 | -0.2 |
| iv. सब्जियां | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 14.2 | 2.3 |
| v. फल | 1.5 | 5.7 | 1.8 | 4.1 | 1.0 |
| vi. दूध | 4.4 | 8.4 | 5.8 | 8.7 | 4.7 |
| vii. अंडे, मछली और मांस | 2.2 | 9.4 | 3.8 | 2.4 | 0.8 |
| *खाद्येतर वस्तुएं* | 6.1 | 17.2 | 15.6 | 11.4 | 8.8 |
| i. कच्ची रूई | 1.4 | 21.9 | 3.5 | 14.0 | 2.0 |
| ii. तिलहन | 2.7 | 31.6 | 11.0 | 20.3 | 6.7 |
| iii. गन्ना | 1.3 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | -0.1 |
| *खनिज* | 0.5 | 17.5 | 2.6 | 49.9 | 6.2 |
| **2. ईंधन, पावर, लाइट और लुब्रिकेंट** | **14.2** | **1.0** | **4.0** | **6.8** | **18.9** |
| i. खनिज तेल | 7.0 | 0.5 | 1.1 | 9.3 | 15.1 |
| ii. विद्युत | 5.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 1.4 |
| iii. कोयला खनन | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 2.5 |
| **3. विनिर्मित उत्पाद** | **63.8** | **6.1** | **57.3** | **7.3** | **52.8** |
| i. खाद्य उत्पाद | 11.5 | 6.1 | 10.5 | 9.4 | 12.4 |
| *जिनमें से:* चीनी | 3.6 | -12.7 | -6.6 | 1.1 | 0.4 |
| खाद्य तेल | 2.8 | 14.1 | 4.7 | 20.0 | 5.5 |
| ii. सूती वस्त्र | 4.2 | -1.0 | -0.6 | -6.8 | -2.8 |
| iii. मानव निर्मित रेशे | 4.4 | 3.9 | 1.3 | 2.8 | 0.7 |
| iv. रसायन और रासायनिक उत्पाद | 11.9 | 3.6 | 7.1 | 6.0 | 8.7 |
| *जिनमें से:* उर्वरक | 3.7 | 1.8 | 1.0 | 5.1 | 2.0 |
| v. मूल धातु, संमिश्र धातु और धातु उत्पाद | 8.3 | 11.3 | 17.4 | 20.3 | 25.2 |
| *जिनमें से:* लोहा और इस्पात | 3.6 | 8.1 | 6.0 | 34.2 | 20.1 |
| vi. गैर धातु खनिज उत्पाद | 2.5 | 9.0 | 3.6 | 6.4 | 2.0 |
| *जिनमें से:* सीमेंट | 1.7 | 11.6 | 3.2 | 5.1 | 1.1 |
| vii. मशीनरी और मशीन औजार | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 3.5 | 2.9 |
| *जिनमें से:* इलेक्ट्रिकल मशीनरी | 5.0 | 12.9 | 6.7 | 4.8 | 2.0 |
| viii. परिवहन उपस्कर और पुर्जे | 4.3 | 2.0 | 1.2 | 3.9 | 1.7 |
| ज्ञापन: | | | | | |
| **खाद्य वस्तुएं (मिश्रित)** | **26.9** | **7.3** | **31.2** | **7.7** | **25.6** |
| **थो.मू.सू., खाद्य वस्तुओं को छोड़कर** | **73.1** | **5.5** | **68.8** | **7.8** | **74.4** |
| **थो.मू.सू., ईंधन को छोड़कर** | **85.8** | **7.4** | **96.0** | **8.0** | **81.1** |

भा.अं.: भारित अंशदान।

56.6 अमरीकी डालर प्रति बैरल से बढ़कर मार्च 2008 में 99.3 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गई। जहां पेट्रोल और डीज़ल के देशी मूल्यों में आंशिक समायोजन किया गया है, सरकार द्वारा सामाजिक चिंताओं के आधार पर अप्रैल 2002 से केरोसिन के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं जबकि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के दाम, जो 2007-08 में अपरिवर्तित रहे, जून 2008 में आंशिक रूप से बढ़ा दिए गए। कच्चे तेल के उच्चतर अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को देशी मूल्यों में पूर्णतः अंतरित करने को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए उपलब्ध इन उत्पादों के लिए सब्सिडी योजनाओं को मार्च 2010 तक बढ़ा दिया है।

2.85 विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में साल-दर-साल नरमी आई और वह चीनी, वस्त्र और अलौह धातुओं के मूल्यों में कमी तथा आधार प्रभावों की अगुवाई में साल के शुरू के 6.4 प्रतिशत से कम होकर 24 नवंबर 2007 तक 3.5 प्रतिशत (एक साल पहले 5.3 प्रतिशत) हो गई। बाद में विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति बढ़कर 29 मार्च 2008 तक 7.3 प्रतिशत हो गई जो मुख्यतः खाद्य तेल/खली, बेसिक भारी अकार्बनिक रसायन और बेसिक धातु और संमिश्र धातुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को दर्शाती है। इन पण्यों ने 29 मार्च 2008 को समग्र डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति में कुल मिलाकर लगभग 41 प्रतिशत का अंशदान किया। विनिर्मित उत्पाद समूह के भीतर 29 मार्च 2008 को साल-दर-साल आधार पर खाद्य तेल (20.0 प्रतिशत), खली (27.2 प्रतिशत), रसायन और रासायनिक उत्पाद (6.0 प्रतिशत), सीमेंट (5.1 प्रतिशत), लोहा और इस्पात (34.2 प्रतिशत) तथा इलेक्ट्रिकल मशीनरी (4.8 प्रतिशत) की कीमतों में वृद्धि हुई। 2007-08 के दौरान अलौह धातुओं की देशी कीमतों में गिरावट आई, हालांकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में, जिनमें दिसंबर 2007 तक नरमी आई थी, जनवरी - मार्च 2008 में वृद्धि हुई। लोहा और इस्पात के मूल्यों में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल में आई तेजी के अनुरूप वृद्धि हुई। तथापि मोटे तौर पर निर्माण क्षेत्र से सुदृढ़ मांग तथा सीमेंट उद्योग में क्षमता उपयोग की उच्च दरों के कारण सीमेंट की देशी कीमतों में वृद्धि हुई। देशी खाद्य तेल और खली की कीमतों में तेजी स्थिर देशी उत्पादन, बढ़ी हुई मांग और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को दर्शाती है।

2.86 मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 2007-08 के दौरान कई राजकोषीय और आपूर्ति संवर्धक उपाय शुरू किए। 3 अप्रैल 2007 को सरकार ने पोर्टलैंड सीमेंट के आयात को काउंटरवेलिंग ड्यूटी तथा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से मुक्त करने का निर्णय लिया; पहले इसे जनवरी 2007 में मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया गया था। सरकार ने खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कई उपाय भी किए। सरकार ने अप्रैल 2007 में पाम तेल पर सीमा शुल्क में 10 प्रतिशत अंकों की एकसमान तथा जुलाई 2007 में विभिन्न खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 5-10 प्रतिशत अंकों के दायरे में कटौती की। इसने सभी खाद्य तेलों पर 4 प्रतिशत का अतिरिक्त काउंटरवेलिंग शुल्क भी हटा लिया। शून्य शुल्क पर गेहूं का आयात, जो दिसंबर 2006 के अंत तक उपलब्ध था, और बढ़ाकर दिसंबर 2007 के अंत तक कर दिया गया। दालों के आयात पर सीमा शुल्क कम कर 8 जून 2006 को शून्य कर दिया गया तथा शून्य शुल्क पर दालों के आयात की वैधता अवधि, जो आरंभ में मार्च 2007 तक उपलब्ध थी, पहले बढ़ाकर अगस्त 2007 तक तथा बाद में मार्च 2009 तक कर दी गई। 22 जून 2006 से दालों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई तथा दालों के निर्यात पर मनाही की वैधता अवधि, जो आरंभ में मार्च 2007 के अंत तक लागू थी, बढ़ाकर मार्च 2008 के अंत तक कर दी गई ।मार्च 2008 में चावल पर सीमा शुल्क 70 प्रतिशत से कम कर मार्च 2009 तक शून्य प्रतिशत कर दिया गया; कच्चे तेल तथा परिशोधित खाद्य तेल पर सीमा शुल्क 40-75 प्रतिशत के दायरे से कम कर 20.0-27.5 प्रतिशत कर दिया गया तथा 1 अप्रैल 2008 से तत्काल प्रभाव से सभी खाद्य तेलों के निर्यात की मनाही की गई। इन उपायों से मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाएं नियंत्रित करने में मदद मिलने की आशा थी।

2.87 हेडलाइन डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति मार्च 2008 के अंत के 7.7 प्रतिशत तथा एक साल पहले के 4.2 प्रतिशत की तुलना में 9 अगस्त 2008 को साल-दर-साल 12.6 प्रतिशत थी। प्राथमिक वस्तु समूह, ईंधन समूह तथा विनिर्मित उत्पाद समूह मुद्रास्फीति बढ़कर 9 अगस्त 2008 को क्रमशः 11.8 प्रतिशत (9.5 प्रतिशत), 18.0 प्रतिशत (-2.0 प्रतिशत) तथा 10.9 प्रतिशत (4.7 प्रतिशत) हो गई । औसत डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति दर एक साल पहले के 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 9 अगस्त 2008 को 6.6 प्रतिशत हो गई।

2.88 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में साल-दर-साल घटबढ़ के आधार पर मुद्रास्फीति में जनवरी 2008 तक नरमी आई जो मुख्यतः खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में कमी को दर्शाती है। बाद में अनाज और ईंधन की कीमतें बढ़ने के कारण उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ गई। तथापि, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की विभिन्न मापों को मार्च 2007 के 6.7- 9.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 के दौरान 6.0-7.9 प्रतिशत के दायरे में न्यूनतर रखा गया। अलग-अलग आंकड़े यह दर्शाते हैं कि विभिन्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मापों में खाद्य समूह मुद्रास्फीति मार्च 2007 के 10.9-12.2 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2008 में 7.8-9.3 प्रतिशत के दायरे में आ गई। ईंधन समूह मुद्रास्फीति मार्च 2007 में 3.2-6.9 प्रतिशत के दायरे में थी जो बढ़कर मार्च 2008 में 4.6-8.0 प्रतिशत के दायरे में आ गई तथा इसने भी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की वृद्धि में अंशदान किया। ''विविध समूह'' की प्रतिनिधि सेवाओं की कीमतें 2007-08 के दौरान आम तौर पर तेज बनी रहीं (सारणी 2.29)। जून 2008 में सीपीआइ मुद्रास्फीति 7.3-8.8 प्रतिशत के दायरे में रही।

## सारणी 2.29 : उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति - मुख्य समूह

(प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़)

| सीपीआइ मान | भार | मार्च-04 | मार्च-05 | मार्च-06 | मार्च-07 | जून-07 | सितं.-07 | दिसं.-07 | मार्च-08 | जून-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **सीपीआइ - आइडब्ल्यू (आधार : 2001 = 100)#** | | | | | | | | | | |
| सामान्य | 100.0 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 6.7 | 5.7 | 6.4 | 5.5 | 7.9 | 7.7 |
| खाद्य समूह | 46.2 | 3.1 | 1.6 | 4.9 | 12.2 | 8.1 | 8.7 | 6.2 | 9.3 | – |
| पान, सुपारी आदि | 2.3 | 4.2 | 2.1 | 3.1 | 4.4 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.9 | – |
| ईंधन और लाइट | 6.4 | 6.5 | 4.9 | -2.9 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | – |
| आवास | 15.3 | 3.9 | 20.4 | 6.6 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | – |
| वस्त्र, बिस्तर आदि | 6.6 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 3.5 | 2.6 | – |
| विविध | 23.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 6.3 | – |
| **सीपीआइ - यूएनएमई (आधार : 1984-85 = 100)** | | | | | | | | | | |
| सामान्य | 100.0 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 7.6 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 7.3 |
| खाद्य समूह | 47.1 | 3.0 | 2.2 | 5.3 | 10.9 | 7.7 | 7.7 | 6.2 | 7.8 | 9.6 |
| ईंधन और लाइट | 5.5 | 3.2 | 9.6 | 1.9 | 6.4 | 7.2 | 7.0 | 5.4 | 4.6 | 5.3 |
| आवास | 16.4 | 5.2 | 7.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | 3.8 |
| वस्त्र, बिस्तर आदि | 7.0 | 2.6 | 2.0 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 3.4 |
| विविध | 24.0 | 2.8 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 6.6 |
| **सीपीआइ - एएल (आधार : 1986-87 = 100)** | | | | | | | | | | |
| सामान्य | 100.0 | 2.5 | 2.4 | 5.3 | 9.5 | 7.8 | 7.9 | 5.9 | 7.9 | 8.8 |
| खाद्य समूह | 69.2 | 1.6 | 2.2 | 5.5 | 11.8 | 8.8 | 8.8 | 6.2 | 8.5 | 9.6 |
| पान, सुपारी आदि | 3.8 | 4.7 | -1.3 | 6.6 | 5.7 | 9.1 | 11.1 | 11.3 | 10.4 | 11.2 |
| ईंधन और लाइट | 8.4 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 8.0 | 8.9 |
| वस्त्र, बिस्तर आदि | 7.0 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 3.1 |
| विविध | 11.7 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 6.5 |
| **सीपीआइ - आरएल(आधार : 1986-87 = 100)** | | | | | | | | | | |
| सामान्य | 100.0 | 2.5 | 2.4 | 5.3 | 9.2 | 7.5 | 7.6 | 5.6 | 7.6 | 8.7 |
| खाद्य समूह | 66.8 | 1.9 | 1.9 | 5.8 | 11.5 | 8.5 | 8.8 | 6.2 | 8.2 | 9.6 |
| पान, सुपारी आदि | 3.7 | 4.7 | -1.0 | 6.3 | 5.7 | 9.3 | 11.6 | 11.5 | 10.6 | 10.9 |
| ईंधन और लाइट | 7.9 | 3.0 | 2.9 | 4.0 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 8.0 | 8.9 |
| वस्त्र, बिस्तर आदि | 9.8 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 4.1 |
| विविध | 11.9 | 3.0 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 5.3 | 5.0 | 6.2 | 6.8 |
| ज्ञापन : | | | | | | | | | | |
| डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति (अवधि के अंत में ) | | 4.6 | 5.1 | 4.1 | 5.9 | 4.4 | 3.4 | 3.8 | 7.7 | 11.9 |

# : जनवरी 2006 से पहले के आंकड़े पुरानी श्रृंखला (आधार : 1982 = 100) पर आधारित हैं।
आइडब्ल्यू : औद्योगिक कामगार यूएनएमई : शहरी श्रमेतर कर्मचारी
एएल : कृषि श्रमिक आरएल : ग्रामीण श्रमिक

## V. वित्तीय बाजार

2.89 वर्ष 2007-08 के दौरान मांग मुद्रा बाजार और इक्विटी बाजार में अस्थिरता के कुछ दौर को छोड़कर भारतीय वित्तीय बाजार काफी सीमा तक व्यवस्थित बने रहे। सरकार के नकद शेष तथा पूंजी प्रवाह में घटबढ़ वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थितियों के मुख्य वाहक थे। मुद्रा बाजार के संपार्श्विकीकृत खंड में ब्याज दरें वर्ष के दौरान मांग दर के अनुरूप परंतु उससे नीचे बनी रहीं (सारणी 2.30)।

### चलनिधि प्रबंधन - 2007-08

2.90 रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में उपयुक्त चलनिधि बनाए रखने के लिए सीआरआर तथा खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ), एलएएफ, एमएसएस तथा अपने पास उपलब्ध अन्य नीतिगत लिखतों का लचीलेपन से उचित उपयोग कर 2007-08 के दौरान चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखी, ताकि विशेष रूप से उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण की सभी वैध अपेक्षाएं मूल्य और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप पूरी हो सकें। परिचालनात्मक रूप में इससे चलनिधि की स्थितियों को इस तरह से नियंत्रित किया गया ताकि मुद्रा बाजार में रात भर की दरें कमोबेश नीतिगत दरों द्वारा निर्धारित अनौपचारिक एलएएफ कारीडॉर के भीतर बनी रहें।

2.91 2007-08 के दौरान न सिर्फ केंद्र सरकार के नकद शेषों में घटबढ़ के कारण अपितु साल के अधिकतर भाग में अधिक तथा अस्थिर पूंजी आवकों के कारण भी चलनिधि प्रबंधन संबंधी परिचालन को बाजार

## सारणी 2.30 : देशी वित्तीय बाज़ार - एक नज़र में

| वर्ष/ माह | माँग मुद्रा | | सरकारी प्रतिभूतियां | | विदेशी मुद्रा | | | | चलनिधि प्रबंध | | ईक्विटी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | औसत दैनिक कारोबार (करोड़ रुपए) | औसत मांग दर* (प्रतिशत) | औसत 10-वर्षीय आय @ (प्रतिशत) | सरकारी प्रतिभूतियों में औसत दैनिक कारोबार (करोड़ रुपए) | औसत दैनिक अंतर बैंक कारोबार (मिलियन अमरीकी डॉलर) | औसत विनि-मय दर (रुपए प्रति अमरी-की डॉलर) | रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा बिक्री (-) / खरीद(+) (मिलियन अमरीकी डॉलर) | औसत वायदा प्रीमियम 3 -माह (प्रति-शत | औसत एम एस एस # (करोड़ रुपए) | औसत दैनिक (एल ए एफ) बकाया (करोड़ रुपए) | औसत दैनिक बी एस ई कारोबार (करोड़ रुपए) | औसत दैनिक एन एस ई कारोबार (करोड़ रुपए) | औसत बी एस ई सेंसेक्स** | औसत एस एंड पी सी एन एक्स निफ्टी ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **2006-07** | | | | | | | | | | | | | | |
| अप्रैल | 16,909 | 5.62 | 7.45 | 3,685 | 17,712 | 44.95 | 4,305 | 1.31 | 25,709 | 46,088 | 4,860 | 9,854 | 11742 | 3494 |
| मई | 18,074 | 5.54 | 7.58 | 3,550 | 18,420 | 45.41 | 504 | 0.87 | 26,457 | 59,505 | 4,355 | 9,155 | 11599 | 3437 |
| जून | 17,425 | 5.73 | 7.86 | 2,258 | 15,310 | 46.06 | 0 | 0.73 | 31,845 | 48,610 | 3,131 | 6,567 | 9935 | 2915 |
| जुलाई | 18,254 | 5.86 | 8.26 | 2,243 | 14,325 | 46.46 | 0 | 0.83 | 36,936 | 48,027 | 2,605 | 5,652 | 10557 | 3092 |
| अगस्त | 21,294 | 6.06 | 8.09 | 5,788 | 15,934 | 46.54 | 0 | 1.22 | 40,305 | 36,326 | 2,867 | 5,945 | 11305 | 3306 |
| सितंबर | 23,665 | 6.33 | 7.76 | 8,306 | 18,107 | 46.12 | 0 | 1.31 | 40,018 | 25,862 | 3,411 | 6,873 | 12036 | 3492 |
| अक्तूबर | 26,429 | 6.75 | 7.65 | 4,313 | 16,924 | 45.47 | 0 | 1.67 | 41,537 | 12,983 | 3,481 | 6,919 | 12637 | 3649 |
| नवंबर | 25,649 | 6.69 | 7.52 | 10,654 | 20,475 | 44.85 | 3,198 | 2.07 | 38,099 | 9,937 | 4,629 | 8,630 | 13416 | 3869 |
| दिसंबर | 24,168 | 8.63 | 7.55 | 5,362 | 19,932 | 44.64 | 1,818 | 3.20 | 38,148 | -1,713 | 4,276 | 8,505 | 13628 | 3910 |
| जनवरी | 22,360 | 8.18 | 7.71 | 4,822 | 21,171 | 44.33 | 2,830 | 4.22 | 39,553 | -10,738 | 4,380 | 8,757 | 13984 | 4037 |
| फरवरी | 23,254 | 7.16 | 7.90 | 4,386 | 20,298 | 44.16 | 11,862 | 3.71 | 40,827 | 648 | 4,676 | 9,483 | 14147 | 4084 |
| मार्च | 23,217 | 14.07 | 8.00 | 2,991 | 25,992 | 44.03 | 2,307 | 4.51 | 52,944 | -11,858 | 3,716 | 7,998 | 12858 | 3731 |
| **2007-08** | | | | | | | | | | | | | | |
| अप्रैल | 29,689 | 8.33 | 8.10 | 4,636 | 29,311 | 42.15 | 2,055 | 6.91 | 71,468 | -8,937 | 3,935 | 8,428 | 13478 | 3947 |
| मई | 20,476 | 6.96 | 8.15 | 4,442 | 25,569 | 40.78 | 4,426 | 4.58 | 83,779 | -6,397 | 4,706 | 9,885 | 14156 | 4184 |
| जून | 16,826 | 2.42 | 8.20 | 6,250 | 30,538 | 40.77 | 3,192 | 2.59 | 83,049 | 1,689 | 4,537 | 9,221 | 14334 | 4222 |
| जुलाई | 16,581 | 0.73 | 7.94 | 13,273 | 32,586 | 40.41 | 11,428 | 1.12 | 82,996 | 2,230 | 5,684 | 12,147 | 15253 | 4474 |
| अगस्त | 23,603 | 6.31 | 7.95 | 6,882 | 31,994 | 40.82 | 1,815 | 1.59 | 1,00,454 | 21,729 | 4,820 | 10,511 | 14779 | 4301 |
| सितंबर | 21,991 | 6.41 | 7.92 | 5,859 | 36,768 | 40.34 | 11,867 | 1.45 | 1,17,674 | 16,558 | 6,156 | 13,302 | 16046 | 4660 |
| अक्तूबर | 18,549 | 6.03 | 7.92 | 5,890 | 39,452P | 39.51 | 12,544 | 1.12 | 1,58,907 | 36,665 | 9,049 | 20,709 | 18500 | 5457 |
| नवंबर | 20,146 | 6.98 | 7.94 | 4,560 | 30,677P | 39.44 | 7,827 | 1.40 | 1,75,952 | -2,742 | 7,756 | 18,837 | 19260 | 5749 |
| दिसंबर | 16,249 | 7.50 | 7.91 | 7,704 | 31,547P | 39.44 | 2,731 | 1.64 | 1,64,606 | -10,804 | 8,606 | 19,283 | 19827 | 5964 |
| जनवरी | 27,531 | 6.69 | 7.61 | 19,182 | 38,008P | 39.37 | 13,625 | 2.07 | 1,59,866 | 15,692 | 8,071 | 19,441 | 19326 | 5756 |
| फरवरी | 22,716 | 7.06 | 7.57 | 12,693 | 40,441P | 39.73 | 3,884 | 0.24 | 1,75,166 | -1,294 | 5,808 | 13,342 | 17728 | 5202 |
| मार्च | 22,364 | 7.37 | 7.69 | 5,881 | 38,617P | 40.36 | 2,809 | 1.25 | 1,70,285 | -8,271 | 6,166 | 14,056 | 15838 | 4769 |
| **2008-09** | | | | | | | | | | | | | | |
| अप्रैल | 19,516 | 6.11 | 8.10 | 6,657 | 36,710P | 40.02 | 4,325 | 2.68 | 1,70,726 | 26,359 | 5,773 | 13,561 | 16291 | 4902 |
| मई | 19,481 | 6.62 | 8.04 | 8,780 | 31,868P | 42.13 | 148 | 2.45 | 1,75,565 | 11,841 | 6,084 | 13,896 | 16946 | 5029 |
| जून | 21,707 | 7.75 | 8.42 | 6,835 | 38,108P | 42.82 | -5,229 | 3.78 | 1,74,433 | -8,622 | 5,410 | 12,592 | 14997 | 4464 |
| जुलाई | 24,736 | 8.76 | 9.18 | 5,474 | .. | 42.84 | .. | 6.04 | 1,72,169 | -27,961 | 5,388 | 12,862 | 13717 | 4125 |

# : बाजार स्थिरीकरण योजना के साप्ताहिक बकाया का औसत। .. : उपलब्ध नहीं * : दैनिक भारित माँग मुद्रा उधार दरों का औसत।
** : दैनिक लेखाबंदी सूचकांकों का औसत। @ : दैनिक लेखाबंदी दरों का औसत। अ : अनंतिम।
**टिप्पणी :** स्तंभ 11 में (-) चलनिधि का डाला जाना दर्शाता है, जबकि (+) चलनिधि का शोषण दर्शाता है।

की चलनिधि में गुरुतर घटबढ़ से संतुष्ट रहना पड़ा। पूंजी प्रवाह में वृद्धि से, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ फंडामेंटल, हाल के वर्षों में केन्द्रीय बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही समायोजक मौद्रिक नीति तथा उन्नत देशों में सबप्राइम संकट के प्रतिसाद में केन्द्रीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर चलनिधि का अंतर्वेशन प्रदर्शित होता है। आम तौर पर, केन्द्र सरकार के नकद शेषों में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न चलनिधि प्रबंधन की चुनौतियों तथा बड़े और अस्थिर पूंजी प्रवाह में कई कारकों की वजह से हाल के वर्षों में वृद्धि हो गयी है। पहला, कंपनियों की लाभप्रदता और आय वृद्धि में निरंतर सुधार के कारण प्रत्यक्ष कर वसूलियों में काफी वृद्धि हो गई है, इस प्रकार कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़ गया है। फलस्वरूप हर तिमाही में अग्रिम कर के रूप में बड़ी मात्रा में नकदी बैंकिंग प्रणाली से बाहर चली जाती है। इस प्रकार के अग्रिम कर अंतर्वाहों का चलनिधी पर बड़ा परन्तु अस्थायी प्रभाव पड़ता है । जहां इस प्रकार के नकदी के बहिर्वाह के समय की पूर्वघोषणा आम तौर पर की जा सकती है, मात्र परिमाण से दैनंदिन आधार पर अप्रत्याशित अस्थिरता आ सकती है। दूसरे, व्यय पक्ष में पूरे साल सरकारी खर्च के पैटर्न की पूर्वघोषणा उतनी अच्छी तरह से नहीं की जा सकती है। वित्त वर्ष के अंत के आस-पास स्थिति तीव्र हो जाती है; वर्ष की अंतिम तिमाही में निर्मिति के बाद हर साल मार्च के अंत/ अप्रैल के पूर्वार्ध में नकदी शेष का बड़े पैमाने पर उघाड़ देखना अस्वाभाविक नहीं है। तीसरे, पूंजी प्रवाह के समय की पूर्वघोषणा

नहीं की जा सकती क्योंकि वे देशी और बाह्य कारकों के संमिश्र द्वारा चालित होते हैं। चौथे, जब कभी सरकारी नकदी शेष तथा पूंजी प्रवाह साथ-साथ और एक ही दिशा में होते हैं, जैसाकि हाल में अतीत में देखा गया था, चलनिधि आघातों की मात्रा तथा सहवर्ती तौर पर अपेक्षित नीतिगत एवं परिचालनगत प्रतिसादों की मात्रा बढ़ जाती है।

2.92 उक्त पृष्ठभूमि में, 2007-08 में मौद्रिक नीति के संचालन में चलनिधि प्रबंधन की प्राथमिकता बढ़ जाती है। साल के बड़े हिस्से में अधिशेष चलनिधि की स्थिति रहती है, जो सुदृढ़ पूंजी अंतर्वाहों की स्थिति में रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाज़ार परिचालन तथा सरकारी नकदी शेष के आहरण को दर्शाता है, जोकि प्रेरणार्थक कारक बदलने पर चलनिधि की कमी के दौर के साथ विकीर्ण हो गई थी। चलनिधि की स्थिति में ऐसे घटबढ़ के प्रबंधन में रिज़र्व बैंक ने सीआरआर, एलएएफ तथा एमएसएस का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया। सीआरआर में चरणों में (अप्रैल, अगस्त और नवंबर में) 150 आधार अंकों की वृद्धि कर वर्ष के दौरान[5] उसे 7.5 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि एमएसएस के तहत बकाया शेष की अधिकतम सीमा 80,000 करोड़ रुपये से क्रमिक रूप से बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ रुपये कर दी गई। पूंजी प्रवाह की मात्रा और अस्थिरता को दर्शाते हुए एमएसएस के तहत किए गए निर्गमों को वर्ष के दौरान लिखत के आकार और प्रकार के रूप में अनुकूलित किया गया। 2007-08 में जहां रिज़र्व बैंक द्वारा निवल विदेशी मुद्रा बाज़ार खरीद की संचयी राशि 3,12,054 करोड़ रुपये के समतुल्य थी, उसी अवधि में एमएसएस के तहत शेष में निवल वृद्धि 1,05,691 करोड़ रुपये की थी।

2.93 2007-08 के दौरान, 4 अप्रैल 2007 से अप्रैल 2007 के मध्य तक, आंशिक तौर पर केंद्र सरकार के नकद शेष में कमी के कारण चलनिधि का दबाव क्रमिक रूप से कम होने के साथ, एलएएफ के जरिए चलनिधि का अंतर्वेश मार्च 2007 के अंत के 29,185 करोड़ रुपये से घटकर 5 अप्रैल 2007 को 1,455 करोड़ रुपये रह गया, जिसके बाद 9-15 अप्रैल 2007 को चलनिधि का अवशोषण किया गया। चूंकि एलएएफ के तहत की गई आशोधित व्यवस्थाओं के अनुसार 5 मार्च 2007 से रिवर्स रिपो के जरिए चलनिधि के अवशोषण की अधिकतम सीमा 3,000 करोड़ रुपए रखी गई, प्रमुख तौर पर चलनिधि का प्रबंधन अप्रैल 2007 में सीआरआर में दो चरणों में हर बार 25 आधार अंकों की वृद्धि कर तथा एमएसएस के तहत सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गम बढ़ाकर किया गया। 2007-08 के लिए बकाया एमएसएस की वार्षिक अधिकतम सीमा बढ़ाकर 27 अप्रैल 2007 को 1,10,000 करोड़ कर दी गई। 28 मई 2007 से प्रणाली में बड़ी मात्रा में अधिशेष चलनिधि की स्थिति आ गई, जो सरकारी व्यय तथा रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाज़ार परिचालनों में वृद्धि को दर्शाता है। तदनुसार, एलएएफ पटल पर अवशोषण की स्थिति आ गई तथा जून-जुलाई 2007 के दौरान कुछ अवसरों को छोड़कर वह इसी स्थिति में रहा।

2.94 समष्टि आर्थिक तथा समग्र मौद्रिक एवं चलनिधि स्थितियों को देखते हुए, एलएएफ के दैनिक रिवर्स रिपो पटल पर 3,000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा 6 अगस्त 2007 से हटा दी गई। 28 नवंबर 2005 को शुरू किए गए दूसरे एलएएफ को भी 6 अगस्त 2007 से हटा लिया गया। मांग दरें, जो गिरकर जून और जुलाई 2007 में कॉरिडोर की निम्नतर सीमा के नीचे चली गई थीं, अगस्त, सितंबर और अक्तूबर 2007 के दौरान अधिकांशतः रिवर्स रिपो और रिपो दरों के अनौपचारिक कॉरिडोर के भीतर रहीं (चार्ट II.11) (ब्यौरों के लिए अगला खंड देखें)।

2.95 अगस्त और सितंबर 2007 के दौरान, एलएएफ के तहत औसत अवशोषण क्रमशः 21,729 करोड़ रुपये तथा 16,558 करोड़ रुपये थे। एलएएफ के तहत अवशोषित राशि में आयी कमी अगस्त 2007 में सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत किए जाने तथा एमएसएस के तहत बाज़ार परिचालनों के संचयी प्रभाव को दर्शाती है। बड़े और सतत पूंजी प्रवाहों को देखते हुए, एमएसएस के तहत अधिकतम सीमा को अगस्त 2007 में पुनः बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपया कर दिया गया।

**चार्ट II.11: मांग दर - घट बढ़**

5 2008-09 के दौरान सीआरआर में 150 आधार अंकों की और वृद्धि की गई।

2.96 केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेष में गिरावट तथा रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों के कारण तीसरी तिमाही के आरंभ में चलनिधि की स्थिति नरम हुई। अक्तूबर 2007 में एलएएफ के तहत दैनिक औसत अवशोषण 36,665 करोड़ रुपए था। त्यौहार के मौसम की मुद्रा संबंधी मांग के कारण सख्ती की संक्षिप्त अवधि के बावजूद, नवंबर 2007 के दूसरे सप्ताह तक चलनिधि की स्थिति नरम रही जो विदेशी पूंजी का आवक बने रहना दर्शाता है। इसके कारण एमएसएस के तहत बकाया राशियों की अधिकतम सीमा में ऊर्ध्वमुखी संशोधन कर उसे 4 अक्तूबर 2007 को 2,00,000 करोड़ रुपए तथा 7 नवंबर 2007 को 2,50,000 करोड़ रुपए करना जरूरी हो गया। सीआरआर को भी 50 आधार अंक बढ़ाकर नवंबर 2007 में 7.5 प्रतिशत कर दिया गया। तथापि, जैसे ही केंद्र सरकार का अतिरिक्त नकदी शेष बढ़ा तथा सीआरआर में वृद्धि लागू हो गई, माह के मध्य से चलनिधि की स्थिति सख्त हो गई। मोटे तौर पर तिमाही अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण दिसंबर 2007 में चलनिधि की स्थिति में सख्ती आई। इसके कारण एलएएफ के जरिए रिज़र्व बैंक द्वारा अस्थायी तौर पर चलनिधि का अंतर्वेशन आवश्यक हो गया।

2.97 केंद्र सरकार के अतिरिक्त नकदी शेष में कमी तथा इस अवधि में बड़े पूंजी प्रवाहों के कारण रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा परिचालनों की वजह से चौथी तिमाही के आरंभ में चलनिधि की स्थिति में कुछ नरमी देखी गई। चलनिधि की विकसित हो रही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एमएसएस के तहत दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी जनवरी 2008 में शुरू कर दी गई। तथापि, जनवरी 2008 के दूसरे पखवाड़े में रिज़र्व बैंक के पास केंद्र का नकदी शेष बढ़ने के साथ अतिरिक्त चलनिधि में गिरावट आई। एलएएफ के जरिए औसत दैनिक निवल बकाया चलनिधि अवशोषण जनवरी 2008 में 15,692 करोड़ रुपए था। फरवरी 2008 में, एलएएफ पटल अवशोषण से अंतर्वेशन की ओर चला गया क्योंकि रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार का अतिरिक्त नकदी शेष माह के दूसरे पखवाड़े में बढ़ गया। फरवरी 2008 में औसत दैनिक निवल बकाया चलनिधि अंतर्वेश 1,294 करोड़ रुपए था। चलनिधि की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए माह के मध्य से एमएसएस के तहत कोई नीलामी नहीं की गई। केंद्र के अतिरिक्त नकदी शेष में कटौती तथा रिज़र्व बैंक द्वारा ओएमओ के तहत प्रतिभूतियों की खरीद के कारण मार्च 2008 के आरंभ में चलनिधि की स्थितियों में नरमी आ गई। तथापि, मुख्यतः अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण चलनिधि की स्थितियां 17 मार्च 2008 से पुनः सख्त हो गईं। मार्च 2008 के मध्य में अग्रिम कर अदायगी अनुसूची तथा बाद में बैंकों की छुट्टियों (20-22 मार्च 2008) को देखते हुए कई बैंकों के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक ने चलनिधि की स्थिति को ठीक करने के लिए अतिरिक्त एलएएफ की व्यवस्था करने का निर्णय लिया तथा निम्नलिखित का संचालन किया - (i) 14 मार्च 2008 को अतिरिक्त एलएएफ के तहत तीन दिवसीय रिपो/रिवर्स रिपो नीलामी; (ii) 17 मार्च 2008 को अतिरिक्त एलएएफ के तहत सात दिवसीय रिपो नीलामी; तथा (iii) 31 मार्च 2008 को अतिरिक्त एलएएफ के तहत दो दिवसीय रिपो/रिवर्स रिपो नीलामियां।

2.98 2007-08 में पूरे वर्ष के लिए 171 दिन चलनिधि का निवल अवशोषण तथा 75 दिन चलनिधि का निवल अंतर्वेशन (2006-07 में क्रमशः 197 दिन तथा 48 दिन) किया गया। वर्ष के दौरान एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल बकाया शेष 10,804 करोड़ रुपए के अंतर्वेशन (दिसंबर 2007) से 36,665 करोड़ रुपए के अवशोषण (अक्तूबर 2007) के बीच रहा।

2.99 2007-08 के दौरान मुख्यतः आवधिक मोचनों के कारण रिज़र्व बैंक के संविभाग में सरकारी प्रतिभूतियों का स्टॉक घट गया। सरकारी प्रतिभूतियों के स्टॉक की पुनःपूर्ति के लिए, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2007 से खुले बाजार परिचालनों के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का आश्रय लिया। रिज़र्व बैंक के संविभाग में सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन की राशि तक ऐसे परिचालनों का असर चलनिधि पर नहीं पड़ता। 2007-08 में ओएमओ के तहत खरीदी गई भारत सरकार की प्रतिभूतियों की कुल राशि 13,510 करोड़ रुपए थी।

*2008-09 में अब तक चलनिधि प्रबंधन*

2.100 अप्रैल 2008 के आरंभ से मुख्यतः केंद्र सरकार के नकदी शेषों में काफी कमी के कारण चलनिधि की स्थितियां नरम हुईं। एमएसएस के तहत नीलामियां शुरू की गईं तथा 25 अप्रैल 2008 को एमएसएस के तहत शेष राशि 1,72,444 करोड़ रुपए थी। 25 अप्रैल 2008 को एलएएफ के तहत अवशोषण 32,765 करोड़ रुपए था।चलनिधि की स्थिति की समीक्षा करने पर रिज़र्व बैंक ने सीआरआर में दो चरणों में प्रत्येक में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर, जो क्रमशः 26 अप्रैल 2008 तथा 10 मई 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से लागू होगी, उसे 8.0 प्रतिशत करने की घोषणा की। एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल बकाया चलनिधि अवशोषण अप्रैल 2008 में 26,359 करोड़ रुपए था। चलनिधि की विकसित हो रही स्थिति की समीक्षा करने पर, 29 अप्रैल 2008 को जारी मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि 24 मई 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से सीआरआर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे 8.25 प्रतिशत कर दिया जाएगा। सीआरआर में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाते हुए मई 2008 में एलएएफ के तहत औसत दैनिक अवशोषण कम होकर 11,841 करोड़ रुपए हो गया। मई 2008 में दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी नहीं की गई तथा 30 मई 2008 को एमएसएस के तहत बकाया शेष 1,75,362 करोड़ रुपए था। जून के आरंभ में चलनिधि की स्थितियां नरम हुईं तथा एलएएफ के तहत औसत दैनिक अवशोषण 1-9 जून 2008 के दौरान 15,469 करोड़ रुपए

था। मौजूदा समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक स्थितियों की समीक्षा करने पर तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने एलएएफ के तहत रिपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 12 जून 2008 से उसे 8 प्रतिशत कर दिया। बाद में, अग्रिम कर वसूलियों को देखते हुए सरकारी शेष बढ़ने के साथ चलनिधि की स्थिति घाटे में बदल गई तथा जून 2008 में एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल अंतर्वेश 8,622 करोड़ रुपए था। दो चरणों की सीआरआर वृद्धि प्रभावी होने के बाद चलनिधि की स्थिति जून 2008 की तुलना में जुलाई 2008 में और सख्त हो गई। जुलाई 2008 में औसत दैनिक निवल अंतर्वेश 27,961 करोड़ रुपए था। वार्षिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 2008) में निर्धारित मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप तथा देशी एवं वैश्विक समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय गतिविधियों संबंधी नवीनतम जानकारी के आधार पर, 24 जून 2008 को यह निर्णय लिया गया कि सीआरआर में दो चरणों में हर बार 25 आधार अंकों की वृद्धि कर, जो 5 जुलाई 2008 तथा 19 जुलाई 2008 को आरंभ पखवाड़े से लागू होगी, 50 आधार अंकों की वृद्धि कर दी जाए। उसी दिन (अर्थात 24 जून 2008 को) रिपो दर में भी 50 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे 8.5 प्रतिशत कर दिया गया। वृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना सहित अर्थव्यवस्था के वर्तमान मूल्यांकन को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 29 जुलाई 2008 को जारी मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा में तत्काल प्रभाव से रिपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि (बढ़कर 9 प्रतिशत) की तथा 30 अगस्त 2008 से आरंभ पखवाड़े से सीआरआर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे 9 प्रतिशत करने की घोषणा की। अगस्त 2008 में चलनिधि की स्थितियां सख्त रहीं तथा 1-22 अगस्त 2008 के दौरान एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल अंतर्वेश 26,478 करोड़ रुपए था।

2.101 कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के समक्ष उपस्थित चलनिधि के प्रणालीगत प्रभावों तथा अन्य संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजारों के सुचारु रूप से कार्य करने तथा समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए 30 मई 2008 को विशेष बाजार परिचालन (एसएमओ) की घोषणा की। यह परिचालन 5 जून 2008 से शुरू हुआ। एसएमओ के तहत, रिज़र्व बैंक ने परिचालन के पहले चरण में किसी एक दिन 1,500 करोड़ रुपए की समग्र अधिकतम सीमा (11 जून 2008 को 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर की ओर संशोधित) के अधीन, नामोद्दिष्ट बैंकों के माध्यम से उनके अपने खातों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणक कंपनियों द्वारा धारित तेल बांडों की खरीद की । दूसरे चरण में, इसने बाजार विनिमय दर पर नामोद्दिष्ट बैंकों के माध्यम से समतुल्य विदेशी मुद्रा तेल कंपनियों को उपलब्ध कराईं। विदेशी मुद्रा तथा बांड लेनदेनों का निपटान साथ-साथ किया गया ताकि चलनिधि का कोई प्रभाव न पड़े। रिज़र्व बैंक द्वारा एसएमओ के तहत खरीदे गए तेल बांडों की कुल राशि 19,325 करोड़ रुपए थी। वित्तीय स्थिरता के हित में एसएमओ एक आपवादिक उपाय था। इसे 8 अगस्त 2008 को समाप्त कर दिया गया।

## मुद्रा बाजार

*मांग मुद्रा बाजार*

2.102 चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के प्रभाव को दर्शाते हुए अस्थिरता के कुछ संक्षिप्त दौरों को छोड़कर 2007-08 में मुद्रा बाजार मोटे तौर पर व्यवस्थित बने रहे। 2007-08 के दौरान अंशतः केंद्र सरकार के नकदी शेष में कटौती के कारण 4 अप्रैल 2007 से अप्रैल 2007 के मध्य तक क्रमिक रूप से चलनिधि पर दबाव कम हुआ। इसे दर्शाते हुए मांग दर, जो मार्च 2007 के दूसरे पखवाड़े में रिपो दर से अधिक हो गई थी, क्रमिक रूप से कम होकर 12 अप्रैल 2007 को 3.27 प्रतिशत रह गई। केंद्र सरकार के नकदी शेष में निरंतर कटौती के बावजूद, बाद में अंशतः 30 मार्च 2007 को घोषित नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में दो चरणों में प्रत्येक बार 25 आधार अंकों की वृद्धि, जो 14 अप्रैल 2007 तथा 28 अप्रैल 2007 को आरंभ पखवाड़े से लागू होगी, के कारण चलनिधि की स्थितियां सख्त हो गईं। फलस्वरूप मांग दर बढ़ गई तथा अप्रैल 2007 के दूसरे पखवाड़े और मई 2007 के कुछ भाग में वह रिपो दर से अधिक हो गई। 28 मई 2007 से चलनिधि की स्थितियों में काफी नरमी आई, जो सरकारी व्यय में वृद्धि तथा रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालनों को दर्शाती है। चूंकि एलएएफ के रिवर्स रिपो पटल के तहत अवशोषित की जानेवाली राशि पर दैनिक आधार पर चलनिधि प्रबंधन की आशोधित व्यवस्थाओं के अनुसार 3,000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई थी, मांग दर जून और जुलाई 2007 में रिवर्स रिपो दर के नीचे बनी रही। वस्तुतः जून और जुलाई 2007 में कई अवसरों पर मांग दर 1 प्रतिशत से नीचे रही और 2 अगस्त 2007 को वह 0.13 प्रतिशत तक नीचे पहुंच गई। 6 अगस्त 2007 से एलएएफ के दैनिक रिवर्स रिपो पटल पर 3,000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा समाप्त करने के साथ मांग दर बढ़ गई परंतु अगस्त, सितंबर और अक्तूबर 2007 के दौरान वह अधिकांशतः रिवर्स रिपो और रिपो दरों के अनौपचारिक कॉरिडोर के भीतर बनी रही। नवंबर 2007 के दूसरे सप्ताह से चलनिधि की स्थितियों में सापेक्षित सख्ती को देखते हुए, मांग/नोटिस मुद्रा बाजार दरें बढ़ गईं तथा वे अनौपचारिक कॉरिडोर की ऊपरी सीमा के आसपास चलती रहीं। इसका मुख्य कारण मुद्रा की त्यौहार मौसम की मांग, रिज़र्व बैंक के पास सरकार के नकद शेष में वृद्धि तथा 10 नवंबर 2007 को आरंभ पखवाड़े से सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया जाना था। दिसंबर 2007 में, मांग/ सूचना दर रिपो दर के आस-पास रही तथा दिसंबर 2007 के लिए औसत मांग/ सूचना दर 7.50 प्रतिशत थी। अंशतः केन्द्र सरकार के नकद शेषों में कटौती के कारण चलनिधि की स्थितियों में नरमी आने के साथ, मांग दर घट गई तथा वह जनवरी

2008 में अधिकांशतः अनौपचारिक कॉरिडोर के भीतर रही तथा माह के लिए उसका औसत 6.69 प्रतिशत था। फरवरी 2008 में, पिछले माह की तुलना में दर बढ़ गई तथा उसका औसत 7.06 प्रतिशत था। मार्च 2008 में, मुख्यतः अग्रिम कर बहिर्वाहों के कारण दूसरे पखवाड़े में रिज़र्व बैंक के पास केन्द्र सरकार की नकद शेषराशियां बढ़ने लगीं तथा 15 मार्च 2008 से मांग दर अधिकांशतः रिपो दर के ऊपर रही। मार्च 2008 में औसत मांग दर और बढ़कर 7.37 प्रतिशत हो गई। तथापि, 2007-08 के पूरे वर्ष के लिए औसत मांग दर 2006-07 के 7.22 प्रतिशत की तुलना में 6.07 प्रतिशत पर निम्नतर थी।

2.103 चलनिधि की स्थितियों में नरमी आई, औसत मांग दर घटकर अप्रैल 2008 में 6.11 प्रतिशत रह गई (सारणी 2.30)। अप्रैल-मई 2008 में सीआरआर में की गई वृद्धि के प्रभाव को दर्शाते हुए, औसत मांग दर मई 2008 में बढ़कर 6.62 प्रतिशत हो गई। जून 2008 में औसत मांग दर बढ़कर 7.75 प्रतिशत हो गई, जो मुख्यतः अग्रिम कर बहिर्वाहों के कारण चलनिधि की स्थितियों में सख्ती को दर्शाता है। चलनिधि की स्थितियों में और सख्ती आने के साथ, जुलाई 2008 में औसत मांग दर बढ़कर 8.76 प्रतिशत हो गई।

*संपार्श्विकीकृत बाजार*

2.104 बैंकेतर प्रतिभागियों को 6 अगस्त 2005 से मांग मुद्रा बाजार से बाहर करने के बाद संपार्श्विकीकृत बाजार - बाजार रिपो (एलएएफ के बाहर) तथा संपार्श्विकीकृत उधार लेने और देने का दायित्व (सीबीएलओ) - मुद्रा बाजार के एक प्रमुख खंड के रूप में उभरा है। वर्तमान में, संपार्श्विकीकृत खंड मुद्रा बाजार की कुल मात्रा का लगभग 80 प्रतिशत है। म्यूच्युअल फंड संपार्श्विकीकृत खंड में प्रमुख ऋणदाता हैं, जबकि बैंक और प्राथमिक डीलर (पीडी) इस खंड के प्रमुख उधारकर्ता हैं।

2.105 2007-08 के दौरान, बाजार रिपो (एलएएफ के बाहर) तथा सीबीएलओ खंडों में ब्याज दरें मांग दर के अनुरूप परंतु उसके नीचे रहीं। सीबीएलओ तथा बाजार रिपो खंडों में 2007-08 के दौरान ब्याज दरों का औसत, एक साल पहले के क्रमशः 6.24 प्रतिशत तथा 6.34 प्रतिशत की तुलना में, क्रमशः 5.20 प्रतिशत तथा 5.50 प्रतिशत था। सीबीएलओ तथा बाजार रिपो खंडों में औसत दरें अप्रैल 2008 के क्रमशः 5.05 प्रतिशत तथा 5.48 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2008 में मांग दर में घटबढ़ के अनुरूप 7.78 प्रतिशत तथा 7.99 प्रतिशत हो गईं (चार्ट II.12)।

2.106 मांग/सूचना और मीयादी मुद्रा बाजार में सभी लेनदेनों के लिए एक स्क्रीन आधारित वार्तातय कोट-चालित प्रणाली (एनडीएस-काल) 18 सितंबर 2006 को शुरू की गई। यद्यपि इस प्लेटफार्म पर लेनदेन करना वैकल्पिक है, 86 बैंकों तथा 8 प्राथमिक डीलरों ने अब तक एनडीएस-काल की सदस्यता ली है। कुल काल-सूचना लेनदेनों के 75 प्रतिशत से अधिक एनडीएस-काल के जरिए होता है।

*वाणिज्यिक पत्र*

2.107 2007-08 के दौरान वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जारी करने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सीपी की बकाया राशि मार्च 2007 के अंत के 17,863 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2008 को 32,592 करोड़ रुपए हो गई। 'पट्टादायी और वित्त कंपनियां' सीपी के प्रमुख जारीकर्ता थीं, जिनके पास कुल बकाया राशि का तीन-चौथाई था। मार्च 2008 के अंत में विनिर्माण कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं के पास सीपी की कुल बकाया राशि का क्रमशः 17 प्रतिशत और 8 प्रतिशत था। सीपी पर भारित औसत बट्टा दर (डब्ल्यूएडीआर) मार्च 2007 के अंत के 11.3 प्रतिशत से कम होकर अक्तूबर 2007 के अंत में 7.7 प्रतिशत रह गई, जो मुद्रा बाजार में चलनिधि की स्थितियों में सामान्य नरमी को दर्शाता है। उसके बाद, 31 मार्च 2008 को डब्ल्यूएडीआर बढ़कर 10.4 प्रतिशत हो गया। सीपी के निर्गम की सर्वाधिक पसंदीदा अवधि 181 से 365 दिन के दायरे की अवधि थी। 31 जुलाई 2008 को बकाया सीपी की राशि बढ़कर 51,569 करोड़ रुपए हो गई तथा डब्ल्यूएडीआर 10.95 प्रतिशत हो गया।

*जमा प्रमाणपत्र (सीडी)*

2.108 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्र (सीडी) का निर्गम 58.5 प्रतिशत बढ़ गया तथा वह मार्च 2007 के अंत के 93,272

**चार्ट II.12: प्रमुख बाजार दरों में घट बढ़**

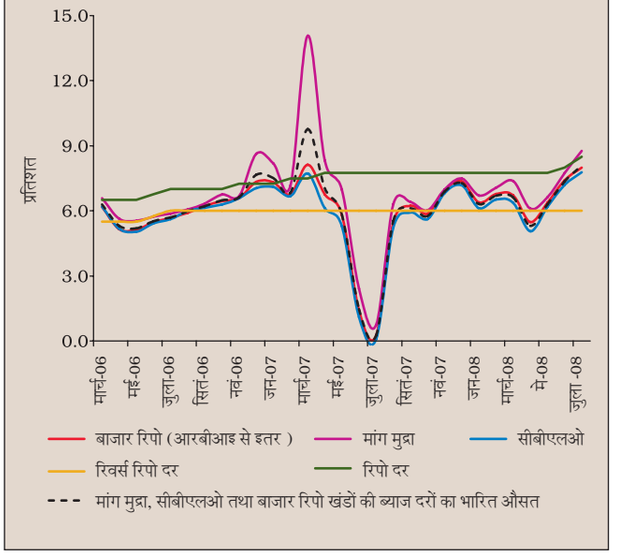

करोड़ रुपए से बढ़कर 28 मार्च 2008 को 1,47,792 करोड़ रुपए हो गया। सीडी की बकाया राशि सीडी जारी करनेवाले बैंकों की समस्त जमाराशि का 6.0 प्रतिशत है तथा उसमें काफी अंतर-बैंक घटबढ़ है (कम जमा आधारवाले कुछ छोटे बैंकों के संबंध में प्रतिशत बहुत अधिक है तथा बड़े बैंकों के लिए प्रतिशत कम है)। 2007-08 के दौरान बैंकों ने अपना जमा संग्रहण बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सीडी जारी किया। म्यूच्युअल फंड सीडी के प्रमुख निवेशकर्ता थे। सीडी की भारित औसत बट्टा दर (डब्ल्यूएडीआर) मार्च 2007 के अंत के 10.8 प्रतिशत से घटकर, मार्च 2008 के अंत में बढ़कर 10.0 प्रतिशत होने के पूर्व, अक्तूबर 2007 के अंत में 7.9 प्रतिशत रह गई। बकाया सीडी की राशि बढ़कर 1,64,892 करोड़ रुपए हो गई तथा 18 जुलाई 2008 को डब्ल्यूएडीआर 10.23 प्रतिशत था।

## सरकारी प्रतिभूति बाजार

*केंद्र सरकार का नकदी प्रबंधन*

2.109 राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के तहत नए युग के अनुसरण में, 2007-08 के लिए डब्ल्यूएमए सीमाएं साल की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए 20,000 करोड़ रुपए पर तथा साल की दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च) के लिए 6,000 करोड़ रुपए रखी गईं। सरकार से परामर्श करके संक्रमणकालीन मुद्दों तथा प्रचलित परिस्थितियों पर विचार करते हुए सीमाओं में संशोधन करने का लचीलापन रिज़र्व बैंक के पास था। डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर को अब तक की तरह रिपो दर के साथ जोड़ना जारी रहा। केंद्र के पास राजकोषीय वर्ष के आरंभ में 50,092 करोड़ रुपए का बड़ा अतिरिक्त शेष था, जो तेजी से समाप्त हो गया तथा 27 अप्रैल 2007 तक घाटे में बदल गया जो राज्यों द्वारा भारत सरकार के खजाना बिलों में निवेश में तीव्र कटौती, प्रत्याशित से अधिक खर्च और राष्ट्रीय अल्पबचत निधि (एनएसएसएफ) के तहत न्यूनतर वसूलियों को दर्शाता है। 17-18 मई 2007 के दो दिनों की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर 17 जून 2007 तक सरकार का नकदी शेष घाटे में रहा। 30 मई 2007 को नकद घाटा 20,000 करोड़ रुपए की डब्ल्यूएमए सीमा को पार कर गया तथा 8 जून 2007 तक ओवरड्राफ्ट की स्थिति में बना रहा। 6-27 जून 2007 के दौरान छः अवसरों पर 27,500 करोड़ रुपए के 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों के अतिरिक्त निर्गम, उक्त कैलेंडर के बाहर 12 जून 2007 को 5,000 करोड़ रुपए की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी, अप्रैल-जून तिमाही के लिए अग्रिम कर अंतर्वाह तथा भारत सरकार के खजाना बिलों में राज्यों द्वारा निवेश शुरू किए जाने के फलस्वरूप 18 जून 2007 से सरकारी शेष अधिशेष की स्थिति में आ गया। 29 जून 2007 को 35,531 करोड़ रुपए के नकदी बहिर्गम सहित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) में हिस्सेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को अंतरित किए जाने के साथ, सरकार का नकद शेष पुनः घाटे की स्थिति में चला गया तथा 8 अगस्त 2007 तक इसी स्थिति में रहा। 9 अगस्त 2007 को रिज़र्व बैंक से अधिशेष के अंतरण के बाद, भारत सरकार का नकद शेष अधिशेष की स्थिति में वापस आ गया। सरकार ने पिछले वर्ष के विपरीत, जब उसने किसी ओवरड्राफ्ट का आश्रय नहीं लिया, 2007-08 के दौरान तीन बार ओवरड्राफ्ट का आश्रय लिया। 2007-08 के दौरान सरकार ने पिछले साल के 39 दिनों की तुलना में 91 दिनों में डब्ल्यूएमए/ओडी प्राप्त किया।

2.110 डब्ल्यूएमए की सीमाएं साल की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए 20,000 करोड़ रुपए पर तथा साल की दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च) के लिए 6,000 करोड़ रुपए रखी गई हैं। डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर अब तक की तरह रिपो दर से जुड़ी रहेगी। केंद्र ने राजकोषीय वर्ष की शुरुआत 76,686 करोड़ रुपए के बड़े अधिशेष के साथ की तथा 3 अगस्त 2008 तक अधिशेष की स्थिति रही। केंद्र ने 4 अगस्त 2008 से 6 अगस्त 2008 तक तीन दिनों के लिए डब्ल्यूएमए का आश्रय लिया। कुल मिलाकर 2008-09 में अब तक (11 अगस्त 2008 तक) केंद्र ने तीन दिन डब्ल्यूएमए का आश्रय लिया है, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 91 दिन (37 दिन के ओवरड्राफ्ट सहित) इसका आश्रय लिया था।

*केंद्र सरकार के बाजार उधार - 2007-08*

2.111 केंद्र सरकार के बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियों तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों सहित) 2007-08 में 1,88,828 करोड़ रुपए (निवल राशि 1,09,579 करोड़ रुपए) होने का बजट अनुमान था जो 2006-07 में जुटाई गई वास्तविक राशि की तुलना में 9,455 करोड़ रुपए अधिक थी। 2007-08 की पहली और दूसरी छमाही के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए निर्गम कैलेंडर केंद्र सरकार के परामर्श से जारी किया गया जिसमें पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में जुटाई गई क्रमशः 89,000 करोड़ रुपए तथा 57,000 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में बाजार उधार राशियां क्रमशः 92,000 करोड़ रुपये तथा 59,000 करोड़ रुपए रखी गईं। 2007-08 की पहली छमाही में जुटाई गई वास्तविक राशि 97,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक से भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी भारत सरकार को अंतरित करने के आंशिक वित्तपोषण के प्रति निर्गम कैलेंडर के बाहर जुटाई गई। दूसरी छमाही में 59,000 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो निर्गम कैलेंडर के अनुसार था।

*दिनांकित प्रतिभूतियां*

2.112 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए जुटाई गई सकल बाजार उधार राशियां पिछले वर्ष के 1,46,000

करोड़ रुपए की तुलना में 1,56,000 करोड़ रुपए थीं। 2007-08 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाई गई सकल बाजार उधार राशियां पिछले वर्ष के 94.18 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान का 100.35 प्रतिशत थीं। वर्ष के दौरान जुलाई 2007 में सिर्फ एक नई प्रतिभूति (7.99 प्रतिशत जीएस 2017) जारी की गई, जबकि सभी शेष 34 प्रतिभूतियों को दुबारा जारी किया गया। वित्त वर्ष के दौरान पीडी पर कुल न्यागमन 957 करोड़ रुपए था।

2.113 2007-08 के दौरान जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों पर भारित औसत प्रतिफल 2006-07 के 7.89 प्रतिशत की तुलना में 8.12 प्रतिशत पर उच्चतर था। वर्ष के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता पिछले वर्ष के 14.72 वर्ष की तुलना में 14.90 वर्ष थी।

*2008-09 के दौरान बाजार उधार*

2.114 2008-09 के लिए केंद्र सरकार का बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियों तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों सहित) 2007-08 में जुटाई गई वास्तविक राशि की तुलना में 1,75,780 करोड़ रुपए ( निवल राशि 99,000 करोड़ रुपए) पर निम्नतर होने का बजट अनुमान है। 24 मार्च 2008 को 2008-09 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों हेतु निर्गम कैलेंडर केंद्र सरकार के परामर्श से जारी किया गया। तदनुसार, पिछले साल की तदनुरूप अवधि में जुटाई गई 97,000 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 96,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जानी है। जुटाई जानेवाली मासिक राशि 8,000 करोड़ रुपए (सितंबर 2008) से 20,000 करोड़ रुपए (अप्रैल तथा मई 2008) के बीच अलग-अलग है। जहां 2008-09 की पहली छमाही में जुटाई जानेवाली 36 प्रतिशत प्रतिभूतियां 10-14 वर्ष के बीच की अवधि की होंगी, 32 प्रतिशत प्रतिभूतियों की अवधि 20 वर्ष और अधिक होगी।

2.115 2008-09 के दौरान अब तक (11 अगस्त 2008 तक) केंद्र सरकार ने बाजार उधार कार्यक्रम के तहत दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपए जुटाए। उधार राशियां सांकेतिक कैलेंडर के अनुसार जुटाई गईं, 24 जुलाई 2008 को की गई नीलामी इसका अपवाद थी जिसके तहत बाजार की अनिश्चित स्थितियों को देखते हुए उच्चतर परिपक्वतावाली प्रतिभूति के स्थान पर 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति जारी की गई। 24 जुलाई 2008 तथा 8 अगस्त 2008 को की गई नीलामियां एक समान मूल्य पद्धति पर आधारित थीं। 2008-09 के दौरान (11 अगस्त 2008 तक) सभी नीलामियां, 10 वर्षीय परिपक्वतावाले एक नए निर्गम को छोड़कर, वर्तमान प्रतिभूतियों का पुनर्निर्गम थीं। 2008-09 के दौरान (11 अगस्त 2008 तक) जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के 14.32 वर्ष की तुलना में 15.21 वर्ष पर उच्चतर थी। उसी अवधि में जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल 8.24 प्रतिशत से बढ़कर 8.72 प्रतिशत हो गया।

*खजाना बिल*

2.116 30 मार्च 2007 को जारी वार्षिक निर्गम कैलेंडर के अनुसार, सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के तहत 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों की अधिसूचित राशि क्रमशः 500 करोड़ रुपए (साप्ताहिक नीलामी), 500 करोड़ रुपए (पाक्षिक नीलामी) तथा 1000 करोड़ रुपए (पाक्षिक नीलामी) पर अपरिवर्तित रखी गई। तथापि, जैसाकि पहले सूचित किया गया है, जून 2007 में कई अवसरों पर अधिसूचित राशियां बढ़ा दी गईं ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, 29 जून 2007 को भारतीय स्टेट बैंक में रिज़र्व बैंक की हिस्सेदारी के अंतरण के कारण प्रत्याशित अस्थायी नकदी बेमेल का वित्तपोषण किया जा सके।

2.117 अप्रैल-जून 2007 के दौरान 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों के प्राथमिक बाजार प्रतिफल क्रमशः 7.32 प्रतिशत, 7.73 प्रतिशत तथा 7.75 प्रतिशत पर मार्च के अंत के स्तरों के आसपास अपेक्षाकृत स्थिर बने रहे। 2007-08 की दूसरी तिमाही, विशेषकर जुलाई 2007 में प्रतिफल में कमी आई जो मुद्रा बाजार खंडों की प्रवृत्तियों तथा देशी मुद्रास्फीति दर में गिरावट को दर्शाती है। 18 जुलाई 2007 को प्रतिफलों में गिरावट आई जो चलनिधि की स्थितियों में नरमी तथा बहुत कम अल्पावधि दरों को दर्शाती है। एलएएफ रिवर्स रिपो में 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा को देखते हुए अधिशेष चलनिधि के फलस्वरूप अल्पावधि दरें अत्यधिक कम हो गईं तथा खजाना बिलों की नीलामियों में आक्रामक बोली लगाई गई और इसलिए नीलामी का कट-ऑफ न्यूनतर रहा। अगस्त-सितंबर 2007 के मध्य के दौरान खजाना बिलों का प्रतिफल मुद्रा बाजार की उच्चतर ब्याज दरों तथा रिवर्स रिपो के जरिए अवशोषण पर लगाई गई अधिकतम सीमा को हटाए जाने के अनुरूप बढ़ गया। 18 सितंबर 2007 को यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा दर में 50 आधार अंकों की तथा 31 अक्तूबर 2007 को और 25 आधार अंकों की कटौती किए जाने के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा आवकों में वृद्धि हुई। फलस्वरूप सितंबर के मध्य-अक्तूबर 2007 के दौरान खजाना बिलों के प्रतिफल में कमी आई। 10 नवंबर 2007 से सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाए जाने के साथ नवंबर 2007 में प्रतिफल पुनः बढ़ गया। यूएस फेड द्वारा दर में आक्रामक कटौती (11 दिसंबर 2007, 22 जनवरी 2008 तथा 30 जनवरी 2008 को क्रमशः 25 आधार अंक, 75 आधार अंक तथा 50 आधार अंक) के फलस्वरूप जनवरी 2008 में प्रतिफल में कमी आई तथा मार्च 2008 तक वह सीमित दायरे में बना रहा (चार्ट II.13)। 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों के प्राथमिक बाजार प्रतिफल का औसत 2007-08 में क्रमशः 7.11 प्रतिशत, 7.42 प्रतिशत तथा 7.50 प्रतिशत था।

**चार्ट II.13: खज़ाना बिलों के प्राथमिक प्रतिफल में घट-बढ़ :**

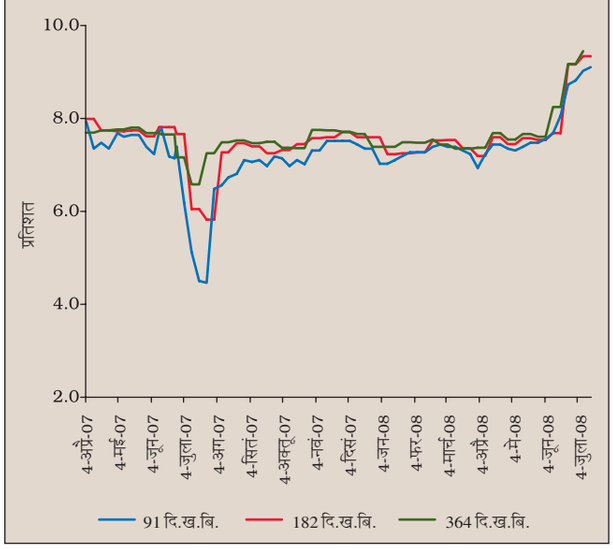


2.118 2008-09 के लिए खजाना बिलों की नियमित नीलामी के कैलेण्डर की घोषणा 24 मार्च 2008 को की गयी। अधिसूचित राशि को 91 दिवसीय तथा 182 दिवसीय खजाना बिलों में से प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपए पर तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित रखा गया। तथापि, 2008-09 में (जुलाई 2008 के अंत तक) 91 दिवसीय खजाना बिलों की अधिसूचित राशि (एमएसएस को छोड़कर) सात बार हर बार 2500 करोड़ रुपए तथा एक बार 1500 करोड़ रुपए बढ़ायी गयी और 182 दिवसीय खजाना बिलों की राशि दो बार हर बार 500 करोड़ रुपए बढ़ायी गयी। इस प्रकार जुलाई 2008 में किसानों की ऋण माफी योजना पर हुए व्यय से उत्पन्न प्रत्याशित अस्थायी नकदी बेमेल के वित्तपोषण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाई गयी।

*राज्य सरकारों का बाजार उधार*

2.119 2007-08 के लिए राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के तहत 28,781 करोड़ रुपए का निवल आबंटन किया गया। वर्ष के दौरान 40,234 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन (एनएसएसएफ में कमी के कारण किए गए 35,780 करोड़ रुपए के आबंटन सहित) तथा 11,555 करोड़ रुपए की चुकौती (उड़ीसा सरकार द्वारा की गयी 156.44 करोड़ रुपए की पुनर्खरीद को छोड़कर) को हिसाब में लेते हुए, कुल आबंटन पिछले साल के 20,825 करोड़ रुपए के वास्तविक सकल उधार की तुलना में 80,570 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकारों का कुल उधार 67,779 करोड़ रुपए हो गया जिसे अनन्य रूप से नीलामी के जरिए जुटाया गया। वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य सरकार के बाजार ऋणों की नीलामी में, तदनुरूपी दस वर्षीय केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर स्प्रेड 19 तथा 90 आधार अंकों के बीच था। सभी राज्यों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) के लिए स्प्रेड अक्तूबर 2007 तक 50 आधार अंकों से कम था, तथापि, बाद की नीलामियों के लिए अधिकांश राज्यों के लिए स्प्रेड खुली बिक्री के मामले में द्वितीयक बाजार में समतुल्य अवधि की केंद्र सरकार की प्रतिभूति के मौजूदा प्रतिफल पर निर्धारित 50 आधार अंकों के सामान्य स्प्रेड से अधिक था तथा वह 35 से 89 आधार अंकों के दायरे में था।

2.120 2007-08 के दौरान, राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल पिछले साल के 8.10 प्रतिशत की तुलना में 8.25 प्रतिशत था (चार्ट II.14)। वर्ष के दौरान कट-ऑफ प्रतिफल 7.84 तथा 8.90 प्रतिशत के बीच था (सारणी 2.31)। राजकोषीय वर्ष के दौरान सभी निर्गम 10 साल की परिपक्वता के थे। वर्ष के दौरान चार राज्य बाजार में नहीं आए।

2.121 सामान्य डब्ल्यूएमए की राज्यवार सीमाओं की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया कि 2007-08 के लिए इन सीमाओं को अपरिवर्तित रखा जाए। रिज़र्व बैंक ने सामान्य बैंकिंग कारोबार करने तथा रुपया लोक ऋण का प्रबंधन करने के लिए पुदुचेरी संघशासित क्षेत्र की सरकार के साथ एक समझौता किया है जो 17 दिसंबर 2007 से लागू है। पुदुचेरी संघशासित क्षेत्र की सरकार की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 50 करोड़ रुपए है। तदनुसार 2007-08 के लिए पुदुचेरी संघशासित क्षेत्र सहित कुल सामान्य डब्ल्यूएमए सीमा 9,925 करोड़ रुपए थी।

2.122 अधिकांश राज्य सरकारों की चलनिधि की स्थिति 2007-08 में सुखद बनी रही। राज्यों द्वारा 2007-08 के दौरान 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों (आइटीबी) तथा नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में किया गया मासिक औसत निवेश 74,047 करोड़ रुपए था जो पिछले साल के

**चार्ट II.14: राज्य सरकार के बाजार उधार की भारित औसत ब्याज दर**

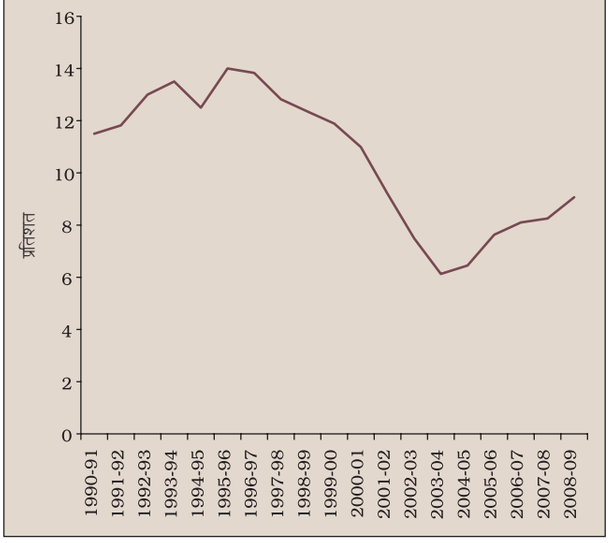

**सारणी 2.31 राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां (31 जुलाई 2008 तक)**

| मद | दिनांक | कट-ऑफ दर (प्रतिशत) | अवधि (वर्ष) | जुटाई गई राशि (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **नीलामियां** | | | | |
| **2007-08** | | | | |
| पहली | अप्रैल 19, 2007 | 8.30 | 10 | 1,837 |
| दूसरी | मई 10, 2007 | 8.34 | 10 | 350 |
| तीसरी | मई 17, 2007 | 8.40 | 10 | 1,400 |
| चौथी | जून 19, 2007 | 8.45-8.57 | 10 | 3,566 |
| पांचवीं | जुलाई 26, 2007 | 8.00-8.25 | 10 | 1,389 |
| छठी | अगस्त 16, 2007 | 8.30-8.90 | 10 | 3,484 |
| सातवीं | सितंबर 20, 2007 | 8.14-8.50 | 10 | 3,074 |
| आठवीं | अक्तूबर 4, 2007 | 8.20 | 10 | 590 |
| नौवीं | अक्तूबर 8, 2007 | 8.31-8.40 | 10 | 4,672 |
| दसवीं | नवंबर 13, 2007 | 8.39-8.69 | 10 | 5,300 |
| ग्यारहवीं | नवंबर 30, 2007 | 8.45-8.50 | 10 | 5,212 |
| बारहवीं | दिसंबर 18, 2007 | 8.39-8.58 | 10 | 2,963 |
| तेरहवीं | जनवरी 7, 2008 | 8.03-8.12 | 10 | 5,833 |
| चौदहवीं | जनवरी 24, 2008 | 7.84-7.98 | 10 | 7,778 |
| पंद्रहवीं | फरवरी 15, 2008 | 7.93-8.02 | 10 | 7,776 |
| सोलहवीं | फरवरी 22, 2008 | 8.12-8.48 | 10 | 4,975 |
| सत्रहवीं | मार्च 7, 2008 | 8.28-8.45 | 10 | 4,349 |
| अठारहवीं | मार्च 26, 2008 | 8.35-8.70 | 10 | 3,229 |
| **कुल** | | | | **67,779** |
| **2008-09** | | | | |
| पहली | अप्रैल 22, 2008 | 8.50-8.60 | 10 | 2,648 |
| दूसरी | मई 27, 2008 | 8.39-8.68 | 10 | 3,264 |
| तीसरी | जून 27, 2008 | 9.38-9.59 | 10 | 2,300 |
| चौथी | जुलाई 10, 2008 | 9.81 | 10 | 500 |
| पांचवीं | जुलाई 31, 2008 | 9.86-9.90 | 10 | 2,100 |
| **कुल** | | | | **10,812** |

**स्रोत :** भारतीय रिज़र्व बैंक।

63,908 करोड़ रुपए की तुलना में उच्चतर था। 2007-08 के दौरान राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट का औसत उपयोग पिछले साल के 248 करोड़ रुपए की तुलना में 648 करोड़ रुपए पर कुछ अधिक था (चार्ट II.15), हालांकि यह 2007-08 तथा 2008-09 के लिए निर्धारित 9,925 करोड़ रुपए की डब्ल्यूएमए सीमा की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था। वर्ष 2007-08 के दौरान, पिछले साल क्रमशः सात राज्यों तथा तीन राज्यों की तुलना में, आठ राज्यों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया तथा तीन राज्यों ने ओवरड्राफ्ट का आश्रय लिया। 2008-09 में (जुलाई 2008 के अंत तक) राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट का औसत उपयोग 313 करोड़ रुपए था। उसी अवधि के दौरान चार राज्यों ने डब्ल्यूएमए और तीन राज्यों ने ओवरड्राफ्ट का आश्रय लिया। राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय आइटीबी तथा एटीबी में मार्च 2007 के अंत के 73,403 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 97,615 करोड़ रुपए का समेकित निवेश किया गया, जबकि राज्यों के डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट की समस्त बकाया राशि मार्च 2007 के अंत के 285 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 172 करोड़ रुपए थी।

*2008-09 के दौरान अब तक (11 अगस्त 2008 तक) राज्य सरकारों का बाजार उधार*

2.123 2008-09 के लिए राज्य सरकारों के निवल बाजार उधार की अनुमानित राशि 44,692 करोड़ रुपए है। 14,371 करोड़ रुपए की चुकौतियों को हिसाब में लेने पर, राज्य सरकारों का सकल बाजार उधार 59,108 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्तमान वर्ष में (11 अगस्त 2008 तक), आठ राज्य सरकारों ने बाजार उधार कार्यक्रम के तहत 10,812 करोड़ रुपए जुटाए जबकि इसकी तुलना में पिछले साल की तदनुरूप अवधि में 8,542 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। नीलामी में कट-ऑफ प्रतिफल 8.39 प्रतिशत और 9.90 प्रतिशत के बीच था। बाजार ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर 2008-09 में (11 अगस्त 2008 तक), 2007-08 की तदनुरूप अवधि के 8.35 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 9.07 प्रतिशत हो गयी। तदनुरूप परिपक्वता वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल की तुलना में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के स्प्रेड पिछले साल की तदनुरूप अवधि के 19 एवं 44 आधार अंकों की तुलना में 30 एवं 98 आधार अंकों के दायरे में थे।

2.124 राज्य सरकारों द्वारा 11 अगस्त 2008 की स्थिति के अनुसार 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों (आइटीबी) तथा नीलामी खजाना बिलों में 86,464 करोड़ रुपए का समेकित निवेश किया गया। अप्रैल-जुलाई 2008 के दौरान राज्यों द्वारा खजाना बिलों (14 दिवसीय और नीलामी) में, पिछले साल की तदनुरूप अवधि के 70,513 करोड़ रुपए की तुलना में, 82,298 करोड़ रुपए का औसत निवेश किया गया (चार्ट II.16)।

**चार्ट II.15: राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट का उपयोग***

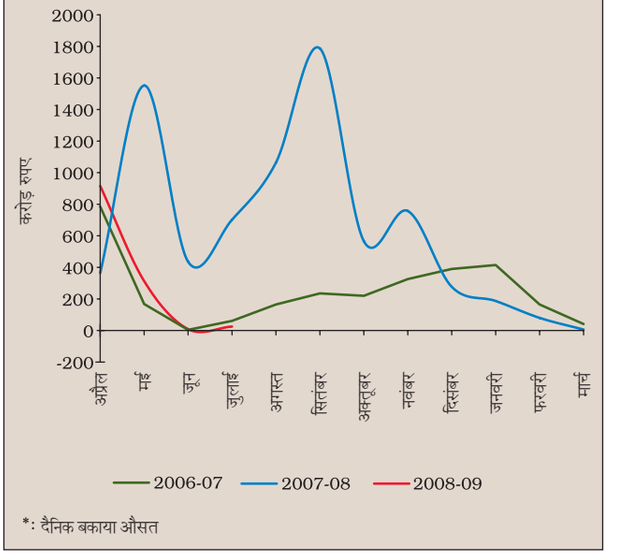


*: दैनिक बकाया औसत

*सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार के लेनदेन*

2.125 2007-08 के दौरान, द्वितीयक बाजार के लेनदेन की कुल मात्रा 2006-07 के 35,83,336 करोड़ रुपए (जिसका 29 प्रतिशत एकमुश्त लेनदेन के लिए तथा शेष रिपो के लिए था) से 57 प्रतिशत बढ़कर 56,27,347 करोड़ रुपए (जिसका 30 प्रतिशत एकमुश्त लेनदेन के लिए तथा शेष रिपो के लिए था) हो गयी। द्वितीयक बाजार के लेनदेनों की कुल मात्रा अप्रैल 2007 के दौरान 2,31,094 करोड़ रुपए (माह के दौरान औसत बेंचमार्क 10 वर्षीय प्रतिफल 8.17 प्रतिशत था) पर न्यूनतम थी तथा प्रतिफल में नरमी आने पर जनवरी 2008 के दौरान 7,42,365 करोड़ रुपए पर अधिकतम थी (माह के दौरान औसत बेंचमार्क 10 वर्षीय प्रतिफल 7.57 प्रतिशत था) (चार्ट II.17)।

2.126 2008-09 में अब तक (अप्रैल से जुलाई 2008 तक), द्वितीयक बाजार के लेनदनों की कुल मात्रा पिछले साल की तदनुरूप अवधि के 14,09,136 करोड़ रुपए से 20 प्रतिशत बढ़कर 16,85,238 करोड़ रुपए हो गयी।

*प्रतिफल में घटबढ़ और प्रतिफल वक्र*

2.127 2007-08 के दौरान तथा पुनः अगस्त-दिसम्बर 2007 में सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिफल में थोड़ी गिरावट आयी, 2007-08 की पहली तिमाही अपवाद थी, जब प्रतिफल में वृद्धि हुई। 2007-08 की पहली तिमाही में प्रतिफल में कुछ वृद्धि हुई, जो अंशतः वैश्विक प्रवृत्तियों तथा गैर अनुसूचित नीलामी की घोषणा को दर्शाता है। अगस्त-दिसम्बर 2007 की अवधि के दौरान प्रतिफल आम तौर पर एक सीमित दायरे में रहा तथा जनवरी एवं फरवरी 2008 के दौरान उसमें नरमी आयी, जो अंशतः प्रतिफलों की वैश्विक

**चार्ट II.16: राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती तथा नीलामी खज़ाना बिलों में निवेश**

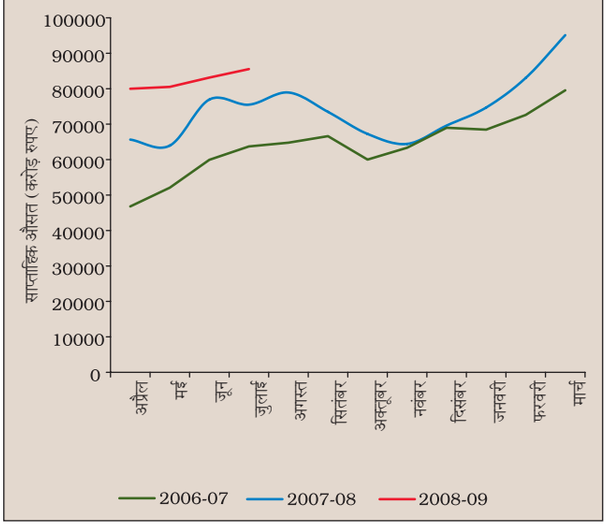


**चार्ट II.17: सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार तथा प्रतिफल (मासिक औसत)**

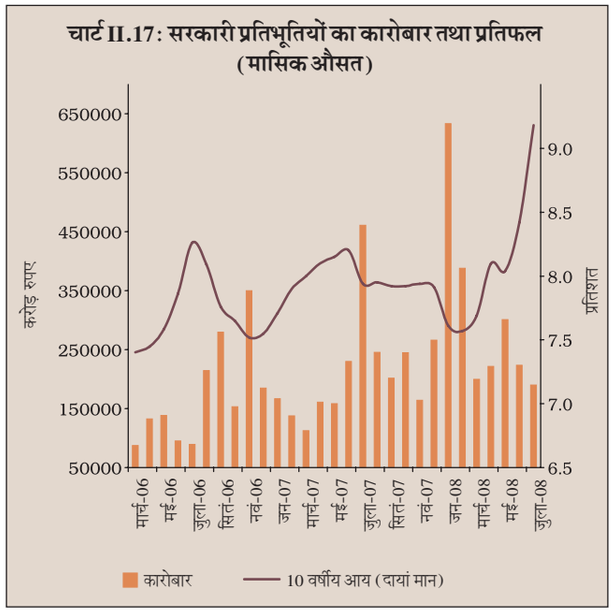


प्रवृत्तियों, फेडरल रिज़र्व द्वारा क्रमिक रूप से दर में कटौती, न्यूनतम मुद्रास्फीति तथा चलनिधि की नरम स्थितियों को दर्शाता है। तथापि, उच्चतर मुद्रास्फीति को दर्शाते हुए मार्च 2008 के दूसरे पखवाड़े में प्रतिफल पुनः बढ़ गया। 2007-08 के दौरान दस वर्षीय प्रतिफल 7.42 - 8.32 प्रतिशत के दायरे में था। 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार, प्रतिफल 7.93 प्रतिशत था, जो मार्च 2007 के अंत की तुलना में 4 आधार अंक कम था। 1 वर्षीय तथा 10 वर्षीय प्रतिफल के बीच स्प्रेड मार्च 2007 के अंत के 42 आधार अंकों की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 45 आधार अंक था। 10 वर्षीय तथा 30 वर्षीय प्रतिफल के बीच स्प्रेड मार्च 2007 के अंत के 37 आधार अंकों की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 47 आधार अंक था। 2007-08 के संपूर्ण वर्ष के लिए औसत प्रतिफल 7.91 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के 7.78 प्रतिशत की तुलना में उच्चतर था।

2.128 2008-09 के दौरान अब तक (अप्रैल से जुलाई 2008 तक), पहले दो महीनों में प्रतिफल एक सीमित दायरे में बने रहे परंतु मुद्रास्फीति बढ़ने और तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आने के कारण जून-जुलाई 2008 के दौरान उनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 10 वर्षीय प्रतिफल, जो पहले दो महीनों के दौरान 7.90 - 8.20 प्रतिशत के बीच घटता बढ़ता रहा, 15 जुलाई 2008 को 9.51 प्रतिशत पर शिखर पर पहुंच गया।

## विदेशी मुद्रा बाजार

2.129 2007-08 के दौरान, ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति के साथ रुपया प्रति अमरीकी डालर 43.15 - 39.26 रुपए के दायरे में रहा। अगस्त 2007 के पहले पखवाड़े में रुपए का मूल्यह्रास हुआ, जिसका कारण था - भारत

**चार्ट II.18 : प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपया घट-बढ़**

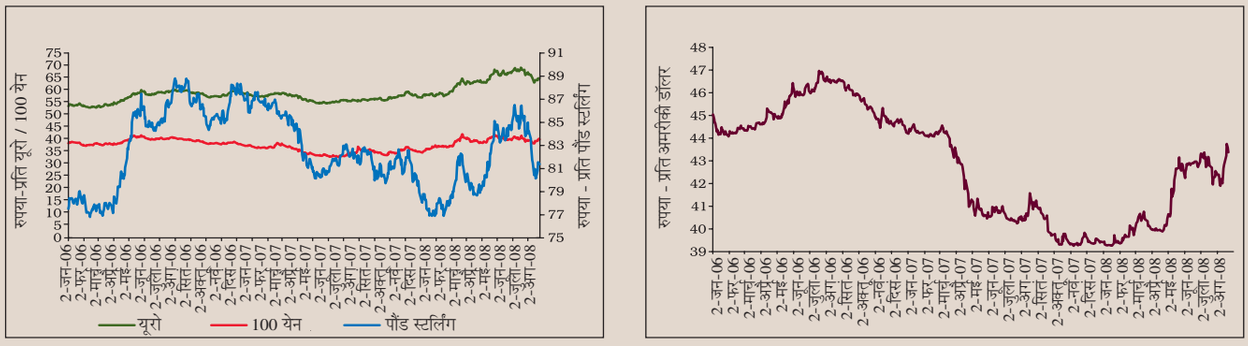


में इक्विटी बाजार में मंदड़िया स्थिति, अमरीका में सबप्राइम उधार संकट संबंधी चिंता तथा बीएनपी परिबास नामक अंतरराष्ट्रीय बैंक द्वारा इसके तीन म्युच्युअल फंडों के निवल आस्ति मूल्य की गणना निलंबित किए जाने के समाचार के कारण एफआइआइ के बहिर्वाह में तेजी आना। उसके बाद बड़ी मात्रा में पूंजी के अंतर्वाह, अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर में कमजोरी आने तथा देशी स्टॉक बाजार में तेजड़िया स्थिति के फलस्वरूप रुपए की मूल्यवृद्धि हुई। तथापि, स्टॉक बाजार की मंदड़िया स्थिति, पूंजी के बहिर्वाह, तेल की कीमतों में वृद्धि और आयातकों एवं एफआइआइ द्वारा डालर की मांग में वृद्धि के कारण फरवरी 2008 के आरंभ से अमरीकी डालर की तुलना में रुपए में मूल्यह्रास शुरू हो गया। 31 मार्च 2008 को रुपया प्रति अमरीकी डालर 39.99 रुपए पर था। इस स्तर पर भारतीय रुपए का मूल्य 30 मार्च 2007 के स्तर से अमरीकी डालर की तुलना में 9.0 प्रतिशत तथा पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 7.6 प्रतिशत बढ़ा। तथापि, इसमें यूरो की तुलना में 7.8 प्रतिशत तथा जापानी येन की तुलना में 7.6 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ (चार्ट II.18)। 2008-09 के दौरान अब तक, पिछली प्रवृत्ति जारी रखते हुए 21 अगस्त 2008 को रुपया प्रति अमरीकी डालर 43.58 रुपए पर पहुंच गया। मार्च 2008 के अंत तथा 21 अगस्त 2008 के बीच, भारतीय रुपए की विनिमय दर में अमरीकी डालर की तुलना में 8.2 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 2.4 प्रतिशत, यूरो की तुलना में 2.2 प्रतिशत तथा जापानी येन की तुलना में 0.1 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ। मार्च 2007 तथा मार्च 2008 के बीच, भारतीय रुपए की 36 मुद्रा वाली व्यापार भारित सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में, पिछले साल की तदनुरूप अवधि में हुए क्रमशः 2.7 प्रतिशत तथा 0.7 प्रतिशत के मूल्यह्रास की तुलना में क्रमशः 1.4 प्रतिशत तथा 2.0 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई। रुपए के 6 मुद्रा वाले व्यापार भारित एनईईआर तथा आरईईआर में मार्च 2007 और मार्च 2008 के बीच क्रमशः 0.2 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई (सारणी 2.32)।

**सारणी 2.32 : भारतीय रुपये की सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (व्यापार - आधारित भारांक)**

| वर्ष / माह | आधार : 1993-94 (अप्रैल-मार्च) = 100 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 6-मुद्रा | | 36-मुद्रा | |
| | नीर | रीर | नीर | रीर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1993-94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2000-01 | 77.43 | 102.82 | 92.12 | 100.09 |
| 2002-02 | 76.04 | 102.71 | 91.58 | 100.86 |
| 2002-03 | 71.27 | 97.68 | 89.12 | 98.18 |
| 2003-04 | 69.97 | 99.17 | 87.14 | 99.56 |
| 2004-05 | 69.58 | 101.78 | 87.31 | 100.09 |
| 2005-06 | 72.28 | 107.30 | 89.85 | 102.35 |
| 2006-07 (अ) | 68.49 | 105.57 | 85.89 | 98.43 |
| 2007-08 (अ) | 74.17 | 114.09 | 92.46 | 105.08 |
| अप्रैल 2006 | 71.63 | 105.86 | 87.73 | 98.17 |
| मई 2006 | 69.39 | 103.70 | 85.43 | 96.39 |
| जून 2006 | 68.79 | 103.19 | 85.11 | 96.53 |
| जुलाई 2006 | 68.14 | 102.31 | 84.22 | 95.72 |
| अगस्त 2006 | 67.65 | 102.26 | 83.61 | 95.59 |
| सितंबर 2006 | 68.40 | 104.88 | 84.65 | 97.96 |
| अक्तूबर 2006 | 69.66 | 107.34 | 86.18 | 99.91 |
| नवंबर 2006 | 69.90 | 107.92 | 86.50 | 100.27 |
| दिसंबर 2006 | 69.38 | 106.52 | 85.89 | 99.05 |
| जनवरी 2007 (अ) | 70.32 | 107.69 | 87.05 | 100.59 |
| फरवरी 2007(अ) | 70.42 | 107.67 | 87.21 | 100.49 |
| मार्च 2007(अ) | 70.23 | 107.46 | 87.11 | 100.50 |
| अप्रैल 2007 (अ) | 72.74 | 111.63 | 91.79 | 102.84 |
| मई 2007 (अ) | 75.19 | 115.73 | 94.68 | 106.24 |
| जून 2007 (अ) | 75.37 | 115.22 | 93.24 | 106.14 |
| जुलाई 2007 (अ) | 75.15 | 115.10 | 93.08 | 106.19 |
| अगस्त 2007 (अ) | 74.44 | 114.10 | 92.63 | 105.54 |
| सितंबर 2007 (अ) | 74.64 | 115.03 | 92.89 | 106.15 |
| अक्तूबर 2007 (अ) | 75.45 | 115.79 | 93.49 | 106.34 |
| नवंबर 2007 (अ) | 74.34 | 113.90 | 92.47 | 104.85 |
| दिसंबर 2007 (अ) | 74.65 | 114.52 | 92.92 | 105.16 |
| जनवरी 2008 (अ) | 74.31 | 114.23 | 92.55 | 105.12 |
| फरवरी 2008 (अ) | 73.41 | 113.06 | 91.41 | 103.84 |
| मार्च 2008 (अ) | 70.38 | 110.87 | 88.34 | 102.55 |

नीर : सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर ।
रीर : वास्तविक प्रभावी विनिमय दर।
अ : अनंतिम
**टिप्पणी :** सूचकांक में वृद्धि रुपए की मूल्यवृध्दि और कमी उसके विपरीत का सूचक है।

## विनिमय दर का प्रबंधन

2.130 हाल में मौद्रिक नीति के संचालन को बड़े पूंजी प्रवाह तथा ऐसा प्रवाहों में बढ़ी हुई अस्थिरता से संतुष्ट रहना पड़ा। 2007-08 के दौरान एफआइआइ ने बड़े पैमाने पर भारतीय स्टॉक बाजारों में निवेश किया, जो स्टॉक बाजारों में उछाल, सुदृढ़ देशी कार्यकलाप तथा भारतीय रुपए में मूल्यवृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तथापि, इन अंतर्वाहों के साथ इन महीनों में अस्थिर पैटर्न देखा गया। वर्ष के अधिकांश भाग में, विदेशी मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक का हस्तक्षेप माहवार आधार पर बड़े पूंजी प्रवाहों के अनुरूप रहा तथा अगस्त 2007, नवम्बर 2007, फरवरी 2008 और मार्च 2008 के महीने इसके एक मात्र अपवाद थे जब एफआइआइ के कारण हुए निवल बहिर्वाहों के बावजूद रिज़र्व बैंक द्वारा निवल खरीद की गयी (सारणी 2.33 तथा चार्ट II.19)। अगस्त 2007 में, पार्टिसिपेटरी नोटों संबंधी एफआइआइ मानदण्डों को सख्त बनाए जाने, भारत सहित एशिया के स्टॉक बाजारों में मंदड़िया स्थिति, तथा आवास बाजार में और कमजोरी संबंधी चिंताओं के कारण अमरीकी स्टॉक बाजारों में बड़े पैमाने पर बिक्री संबंधी चिंताओं के कारण बहिर्वाह हुए। फरवरी 2008 में एफआइआइ द्वारा बड़े पैमाने पर बहिर्वाह किया गया जिसका मुख्य कारण आइपीओ निर्गमों में अभिदान करने के लिए जनवरी 2008 के दौरान लायी गयी राशि की वापसी था।

**चार्ट II.19: विदेशी निवेश अंतर्वाह और हस्तक्षेप में मासिक घट-बढ़**

2.131 जुलाई, सितंबर, अक्तूबर 2007 और जनवरी 2008 महीनों के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा इन महीनों में हुए बड़े पूंजी अंतर्वाहों के अनुरूप बड़े पैमाने पर खरीद की गयी।

**सारणी 2.33 : रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर की बिक्री / खरीद**

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

| वर्ष | खरीद | बिक्री | निवल खरीद / बिक्री (-) | विदेशी निवेश अंतर्वाह ** | एफआइआइ अंतर्वाह (निवल) | भारतीय रुपए की मूल्यवृद्धि /मूल्यह्रास (माह-दर-माह आधार पर) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006-07 | 26,824 | 0 | 26,824 | 29,082 | 3,225 | -2.2` |
| 2007-08 | 79,696 | 1,493 | 78,203 | 61,830 | 20,328 | 12.5` |
| *2007-08* | | | | | | |
| अप्रैल 2007 | 2,055 | 0 | 2,055 | 3,617 | 1,963 | 4.5 |
| मई 2007 | 4,426 | 0 | 4,426 | 3,972 | 1,847 | 3.4 |
| जून 2007 | 3,192 | 0 | 3,192 | 4,902 | 3,279 | 0.0 |
| जुलाई 2007 | 11,428 | 0 | 11,428 | 7,418 | 4,685 | 0.9 |
| अगस्त 2007 | 1,815 | 0 | 1,815 | -2,044 | -3,323 | -1.0 |
| सितंबर 2007 | 11,867 | 0 | 11,867 | 7,794 | 7,057 | 1.2 |
| अक्तूबर 2007 | 12,544 | 0 | 12,544 | 11,591 | 6833 | 2.1 |
| नवंबर 2007 | 7,827 | 0 | 7,827 | 1,757 | -265 | 0.2 |
| दिसंबर 2007 | 2,731 | 0 | 2,731 | 6,852 | 2,396 | 0.0 |
| जनवरी 2008 | 13,625 | 0 | 13,625 | 8,506 | 6,490 | 0.2 |
| फरवरी 2008 | 3,884 | 0 | 3,884 | -3,234 | -8,991 | -0.9 |
| मार्च 2008 | 4,302 | 1,493 | 2,809 | 2,838 | -1,643 | -1.5 |
| *2008-09* | | | | | | |
| अप्रैल 2008 | 4,325 | 0 | 4,325 | 2,869 | -1,432 | 0.8 |
| मई 2008 | 1,625 | 1,477 | 148 | 3,644 | -734 | -5.0 |
| जून 2008 | 1,770 | 6,999 | -5,229 | -618 | -3,011 | -1.6 |

* : मूल्यवृद्धि (+)/मूल्यह्रास (-) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर।

** : एफ़डीआइ और एडीआर/जीडीआर के माध्यम से भारतीय कंपनियों द्वारा जुटाए गए संसाधन के रूप में पोर्टफोलियो अंतर्वाह एवं विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा अंतर्वाह सहित (स्तंभ 6 में अलग से भी दर्शाए गए हैं)।

2.132 रिज़र्व बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करने के बावजूद, 2007-08 के दौरान भारतीय रुपए में मूल्यवृद्धि होना जारी रहा। वर्ष 2007-08 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा 78.2 बिलियन अमरीकी डालर की निवल खरीद किए जाने के बावजूद वार्षिक औसत आधार पर रुपए में 12.5 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई। बड़े पैमाने पर ऐसे हस्तक्षेप के अभाव में, विनिमय दर में अस्थिरता काफी अधिक होती। ऐसे हस्तक्षेपों के देशी चलनिधि पर प्रभाव को ठीक करने के लिए, पहले दिए गए ब्यौरों के अनुसार एमएसएस परिचालनों - बड़े अंतर्वाहों की स्थिति में अवशोषण तथा विपर्यय / न्यूनतम अंतर्वाहों के दौरान शेष राशि को उघाड़ना - का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया।

2.133 2007-08 के दौरान वायदा प्रीमियम कम रहा, जो देशी मुद्रा बाजार में चलनिधि की नरम स्थिति तथा निर्यातकों द्वारा भारी वायदा बिक्री को दर्शाता है। सभी परिपक्वताओं में वायदा प्रीमियम में वर्ष के दौरान निरंतर गिरावट आयी। 3 माह का वायदा प्रीमियम मार्च 2007 के अंत के 5.1 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2008 के अंत में 2.8 प्रतिशत रह गया। फरवरी 2008 के दौरान एक माह की वायदा दर बट्टे में बदल गयी। तथापि, बाद में वह प्रीमियम पर आ गयी। 14 अगस्त 2008 की स्थिति के अनुसार एक माह, तीन माह और छः माह का वायदा प्रीमियम क्रमशः 6.6 प्रतिशत, 5.3 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत था (चार्ट II.20)।

**चार्ट II.20: वायदा प्रीमियम में घट-बढ़**

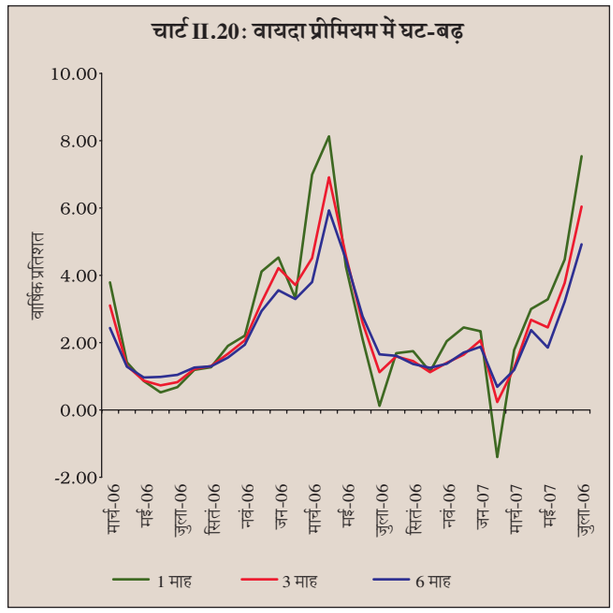


## पूंजी बाजार

2.134 2007-08 के दौरान भारत में प्राथमिक पूंजी बाजार में सामान्यतः उछाल की स्थिति रही। मुख्यतः अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की प्रवृत्तियों के कारण 2007-08 के दौरान भारतीय स्टॉक बाजारों में अस्थिरता के तेज दौर देखे गए।

*प्राथमिक बाजार*

2.135 2007-08 में सार्वजनिक निर्गमों के जरिए 83,707 करोड़ रुपए का संसाधन (119 निर्गमों के माध्यम से) जुटाया गया, जो पिछले साल के 32,382 करोड़ रुपए (119 निर्गमों के माध्यम से) की तुलना में उच्चतर था (सारणी 2.34)। चार को छोड़कर से सभी सार्वजनिक निर्गम निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा लाए गए थे। साथ ही, 119 सार्वजनिक निर्गमों में से, 116 इक्विटी के रूप में थे तथा सिर्फ तीन ऋण के रूप में थे। तथापि, अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी संबंधी चिंताओं तथा अगले खण्ड में ब्यौरेवार बताए गए अनुसार वैश्विक ऋण बाजारों में उथल-पुथल के कारण द्वितीयक बाजार में तीव्र गिरावट आने से जनवरी 2008 की संक्षिप्त अवधि में सार्वजनिक

**सारणी 2.34 : प्राथमिक बाज़ार से संसाधन संग्रहण**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | 2005-06 | | 2006-07 | | 2007-08 अ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | निर्गमों की संख्या | राशि | निर्गमों की संख्या | राशि | निर्गमों की संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **क. सार्वजनिक निर्गम @ (प्रॉस्पेक्टस और राइट्स)** | **138** | **26,940** | **119** | **32,382** | **119** | **83,707** |
| I. सार्वजनिक क्षेत्र | 7 | 5,786 | 2 | 1,779 | 4 | 20,069 |
| II. निजी क्षेत्र | 131 | 21,154 | 117 | 30,603 | 115 | 63,638 |
| **ख. निजी प्लेसमेंट** | **1,115** | **96,473** | **1,681** | **1,45,866** | **1,812** | **2,12,568** |
| I. सार्वजनिक क्षेत्र | 169 | 55,283 | 157 | 64,025 | 198 | 83,046 |
| II. निजी क्षेत्र | 946 | 41,190 | 1,524 | 81,841 | 1,614 | 1,29,522 |
| **ग. यूरो निर्गम@@** | **48** | **11,352** | **40** | **17,005** | **26** | **26,556** |
| **कुल (क+ख+ग)** | **1,301** | **1,34,765** | **1,840** | **1,95,253** | **1,957** | **3,22,831** |

* : ऋण और इक्विटी दोनों सहित।
@ : बिक्री के लिए प्रस्ताव को छोड़कर। @@ : एडीआर और जीडीआर। अ : अनंतिम।
**नोट :** अनुमान अरेंजरों, वित्तीय संस्थाओं और सेबी से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं।

निर्गमों के जरिए संसाधन संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से बाजार से तीन निर्गम वापस लेने पड़े तथा कुछ प्रस्तावित निर्गमों को स्थगित भी करना पड़ा। तथापि, बाद में फरवरी-मार्च 2008 के दौरान बाजार में आने वाले सभी 16 निर्गमों को पूर्ण अभिदान मिला।

2.136 2007-08 के दौरान निजी स्थानन के माध्यम से 2,12,568 करोड़ रुपए का कुल संसाधन संग्रहण किया गया, जो 2006-07 की तुलना में 45.7 प्रतिशत उच्चतर था। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं ने 2006-07 के 43.9 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में निजी स्थानन के जरिए कुल संसाधन संग्रहण का 39.1 प्रतिशत राशि जुटायी (सारणी 2.34)। वित्तीय मध्यस्थों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों) द्वारा संसाधन संग्रहण पिछले साल के 1,00,531 करोड़ रुपए से 43.6 प्रतिशत बढ़कर 2007-08 में 1,44,336 करोड़ रुपए हो गया।

2.137 अमरीकी निक्षेपागार रसीद (एडीआर) तथा वैश्विक निक्षेपागार रसीद (जीडीआर) द्वारा यूरो निर्गमों के माध्यम से संसाधन संग्रहण में 2007-08 के दौरान 56.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2007-08 में 26 यूरो निर्गमों के माध्यम से 26,556 करोड़ रुपए जुटाए गए जबकि इसकी तुलना में 2006-07 में 40 निर्गमों के माध्यम से कुल 17,005 करोड़ रुपए जुटाए गए थे।

2.138 2007-08 के दौरान म्यूच्युअल फंडों द्वारा निवल संसाधन संग्रहण (मोचन को घटाकर) 63.6 प्रतिशत बढ़कर 1,53,802 करोड़ रुपए हो गया (सारणी 2.35)। स्कीम-वार, 2007-08 के दौरान निधियों के निवल संग्रहण का 9.7 प्रतिशत लिक्विड/मुद्रा बाजार उन्मुख स्कीमों के तहत था (पिछले साल के 5.3 प्रतिशत की तुलना में) तथा 57.5 प्रतिशत ऋण-उन्मुख स्कीमों के तहत था (पिछले साल 63.9 प्रतिशत)। आलोच्य अवधि के दौरान इक्विटी संबद्ध बचत स्कीमों के तहत जुटायी गयी निधियां कुल संग्रहण का 4.0 प्रतिशत थीं।

*द्वितीयक बाजार*

2.139 वित्तीय वर्ष 2007-08 की शुरुआत देशी स्टॉक बाजारों की कमजोर स्थिति से हुई। तथापि, शीघ्र ही बाजार में उछाल आया तथा प्रमुख कंपनियों द्वारा घोषित 2006-07 की चौथी तिमाही के उत्साहजनक कारपोरेट परिणामों, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में नरमी, भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) द्वारा सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून के

**सारणी 2.35 : म्यूच्युअल फंडों द्वारा निवल संसाधन संग्रहण**

(करोड़ रुपए)

| श्रेणी | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 अ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. यूटीआइ म्यूच्युअल फंड | 3,424 | 7,326 | 10,677 |
| II. निजी क्षेत्र | 42,977 | 79,038 | 1,33,304 |
| III. सार्वजनिक क्षेत्र | 6,379 | 7,621 | 9,821 |
| **कुल (I+II+III)** | **52,780** | **93,985** | **1,53,802** |

**स्रोत :** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)।

पूर्वानुमान की रिपोर्टों तथा 06 अप्रैल 2007 को जारी सुदृढ़ अमरीकी रोजगार आंकड़ों के समर्थन से अगस्त 2007 के मध्य तक बाजार में उछाल जारी रहा। 9 जुलाई 2007 को बीएसई सेन्सेक्स 15,000 के स्तर के ऊपर चला गया। तथापि, बाजार में यह गति बरकरार नहीं रह सकी तथा अमरीका में मकानों की बिक्री में आयी गिरावट और अमरीकी बंधक एवं कंपनी उधार बाजारों में बढ़ती हुई चिंताओं से प्रेरित होकर वैश्विक इक्विटी बाजारों में आयी तेज गिरावट के फलस्वरूप अगस्त 2007 के मध्य के बाद बाजारों में गिरावट आयी। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, सरकार द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के माध्यम से जुटायी गयी निधियां प्रत्यावर्तित करने पर लगाये गये प्रतिबंधों और वैश्विक तांबा मूल्यों में गिरावट ने भी बाजार के रुख को प्रभावित किया।

2.140 स्टॉक बाजारों में फिर सुधार आया तथा सुदृढ़ समष्टि आर्थिक फंडामेंटल, अच्छी कारपोरेट आय, एफआइआइ द्वारा सुदृढ़ अंतर्वाह, धातु की वैश्विक कीमतों में वृद्धि, अमरीकी फेड दर में कटौती तथा देशी वार्षिक मुद्रास्फीति दर में नरमी के समर्थन से 8 जनवरी 2008 तक उछाल बरकरार रहा। यद्यपि, देशी स्टॉक बाजारों में सेबी द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण अक्तूबर के मध्य में और अमरीका एवं यूरोप में सब-प्राइम हानियों तथा ऋण की तंगी, अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी, प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर में मूल्यह्रास तथा कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़कर रिकार्ड ऊंचाई तक पहुंचने संबंधी चिंताओं के कारण प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में आयी अधोमुखी प्रवृत्ति की वजह से दिसंबर 2007 के मध्य में थोड़ा करेक्शन देखा गया, उनमें पुनः सुधार आया और वे नयी ऊंचाई पर पहुंच गए। 8 जनवरी 2008 को बीएसई सेन्सेक्स 20873.33 के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर बंद हुआ और उसने मार्च 2007 के अंत की तुलना में 59.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

2.141 तथापि, 11 जनवरी 2008 से देशी स्टॉक बाजारों में अस्थिरता देखी गयी, जिसका कारण था - अमरीकी सेवा उद्योग में संकुचन के कारण अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी के बारे में अत्यधिक चिंता, कुछ अग्रणी अमरीकी कंपनी द्वारा आय में कम वृद्धि सूचित किया जाना, गृह मोचन-निषेध रिकार्ड ऊंचे स्तरों पर पहुंचना और अमरीका में खुदरा बिक्री की खराब स्थिति। बड़े आइपीओ के कारण द्वितीयक बाजार से नकदी के निष्कासन, भारतीय इक्विटी बाजार में एफआइआइ द्वारा भारी मात्रा में बिक्री, सीएसओ द्वारा जीडीपी की वृद्धि में अधोमुखी संशोधन, 2008-09 के केंद्रीय बजट में अल्पावधि पूंजी लाभ कर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने, देशी वार्षिक मुद्रास्फीति दर में वृद्धि, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें रिकार्ड ऊंचे स्तरों पर पहुंचने तथा अमरीकी बाजारों में एडीआर मूल्यों में गिरावट ने भी बाजार के रुख को निरुत्साहित कर दिया। इन गतिविधियों के फलस्वरूप 31 मार्च 2008 को बीएसई सेन्सेक्स तथा एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी क्रमशः 15644.44 तथा 4734.50 पर बंद हुआ और उनमें 8 जनवरी 2008 की तुलना में क्रमशः 25.1 प्रतिशत तथा 24.7 प्रतिशत की गिरावट आयी।

तथापि, पूरे साल में बीएसई सेन्सेक्स तथा एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी ने क्रमशः 19.7 प्रतिशत तथा 23.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

2.142 2007-08 के दौरान अधिकांश सेक्टर के सूचकांकों अर्थात धातु, तेल और गैस, पूंजीगत माल, तीव्र खपत वाले उपभोक्ता माल, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, बैंकिंग और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि दर्ज की गयी। तथापि, आइटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी (चार्ट II.21)।

2.143 सेबी के आंकड़ों के अनुसार, 2007-08 के दौरान एफआइआइ ने भारतीय इक्विटी में 52,574 करोड़ रुपए का निवल निवेश किया जो पिछले साल के निवल निवेश की तुलना में दुगुने से अधिक थे। ऋण में निवल निवेश पिछले साल के 6,081 करोड़ रुपए की तुलना में 12,499 करोड़ रुपए थे। म्यूच्युअल फंडों द्वारा भी इक्विटी तथा ऋण लिखतों में निवल निवेश में तीव्र वृद्धि की गई (सारणी 2.36)।

2.144 2007-08 के दौरान बीएसई और एनएसई के नकद खण्ड के संयुक्त पण्यावर्त में पिछले साल की तुलना में 76.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बाजार पूंजीकरण मार्च 2007 के अंत के 85.5 प्रतिशत से सुधरकर, मार्च 2008 के अंत तक गिरकर 109.0 प्रतिशत होने के पहले, 8 जनवरी 2008 को 156.7 प्रतिशत हो गया। बीएसई सेन्सेक्स का मूल्य अर्जन (पी/ई) अनुपात भी मार्च 2007 के अंत के 20.3 से बढ़कर, मार्च 2008 के अंत तक गिरकर 20.1 होने के पहले, 8 जनवरी 2008 तक 28.5 हो गया। घटबढ़ के गुणांक द्वारा मापे जाने पर 2007-08 के दौरान अस्थिरता में भी वृद्धि हुई (सारणी 2.37)।

2.145 2008-09 के दौरान, देशी स्टॉक बाजारों में 21 मई 2008 तक बढ़त की प्रवृत्ति देखी गयी, मार्च 2008 के अंत की तुलना में उसमें 10.2

**चार्ट II.21: क्षेत्रवार स्टॉक सूचकांकों की प्रवृत्ति**
**(31 मार्च 2007 =100 पर सामान्यीकृत)**

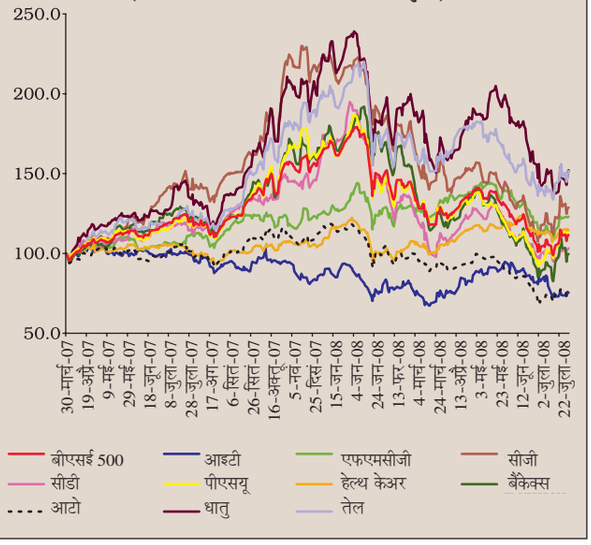


**सारणी 2.36 : संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल निवेश**

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | विदेशी संस्थागत निवेशक | | म्यूच्युअल फंड | |
|---|---|---|---|---|
| | इक्विटी | ऋण | इक्विटी | ऋण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2003-04 | 43,631 | 5,534 | 1,308 | 22,701 |
| 2004-05 | 40,991 | 1,927 | 448 | 16,987 |
| 2005-06 | 48,487 | -7,334 | 14,303 | 36,801 |
| 2006-07 | 26,031 | 6,081 | 9,062 | 52,543 |
| 2007-08 | 52,574 | 12,499 | 16,306 | 73,790 |

**टिप्पणी** : विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल निवेश इक्विटी में तथा ऋण बाजार में वास्तविक निवेश दर्शाते हैं। इस सारणी के आंकड़े हो सकता है कि भुगतान संतुलन खंड के विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह के शेष, जो देश में / से वास्तविक अंतर्वाह / बहिर्वाह को दर्शाते हैं, से नहीं मेल खाएं।

**स्रोत** : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।

प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। तथापि, उसके बाद अन्य बातों में मुख्य रूप से खुदरा ईंधन के देशी मूल्यों में वृद्धि, देशी मुद्रास्फीति दर में वृद्धि, भारतीय इक्विटी बाजार में एफआइआइ द्वारा निवल बिक्री, बढ़ते व्यापार घाटे तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों की अधोमुखी प्रवृत्ति पर चिंता, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण बाजारों में सतर्कता आ गयी। फलस्वरूप 27 अगस्त 2008 को बीएसई सेन्सेक्स तथा एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी दोनों क्रमशः 14297 तथा 4292 पर न्यूनतर स्तर पर बंद हुए और मार्च 2008 के अंत के स्तर की तुलना में उन्होंने क्रमशः 8.6 प्रतिशत तथा 9.3 प्रतिशत की हानि दर्ज की। मार्च 2008 के अंत और 27 अगस्त 2008 के बीच बीएसई सेन्सेक्स 12576-17600 के दायरे में रहा।

2.146 2007-08 के दौरान एनएसई के डेरिवेटिव खण्ड में कुल पण्यावर्त नकद खण्ड के पण्यावर्त की तुलना में उल्लेखनीय रूप से ऊंचा बना रहा (सारणी 2.38)।

**सारणी 2.37: शेयर बाजारों की प्रवृत्तियां**

| मद | बीएसई | | एनएसई | |
|---|---|---|---|---|
| | 2006-07 | 2007-08 | 2006-07 | 2007-08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. औसत बीएसई सेंसेक्स / एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी | 12277 | 16569 | 3572 | 4897 |
| 2. उतार-चढ़ाव (घटबढ़ का गुणांक) | 11.1 | 13.7 | 10.4 | 14.4 |
| 3. नकद खंड कारोबार (करोड़ रुपए) | 9,56,185 | 15,78,856 | 19,45,285 | 35,51,038 |
| 4. बाजार पूँजीकरण (अवधि के अंत का) (करोड़ रुपए) | 35,45,041 | 51,38,014 | 33,67,350 | 48,58,122 |
| 5. पी/ई अनुपात (अवधि के अंत का) | 20.3 | 20.1 | 18.4 | 20.6 |

**स्रोत :** मुंबई शेयर बाजार (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई)।

**सारणी 2.38 : राष्ट्रीय शेयर बाजार में नकदी के मुकाबले डेरिवेटिव्स बाज़ार में कारोबार**

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | डेरिवेटिव्स | नकदी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2002-03 | 4,39,862 | 6,17,989 |
| 2003-04 | 21,30,610 | 10,99,535 |
| 2004-05 | 25,46,982 | 11,40,071 |
| 2005-06 | 48,24,174 | 15,69,556 |
| 2006-07 | 73,56,242 | 19,45,285 |
| 2007-08 | 130,90,478 | 35,51,038 |

**स्रोत :** भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसई)

## VI. बैंक और वित्तीय संस्थाएं

2.147 सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्यनिष्पादन से व्यावसायिक परिचालनों और वाणिज्य बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और एनबीएफसी के वित्तीय कार्यनिष्पादन को समर्थन मिलना जारी रहा। 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की कुल आस्तियों में 24.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जीडीपी की तुलना में एससीबी की आस्तियों का अनुपात (चालू मूल्यों पर कारक लागत पर) मार्च 2006 के अंत के 85.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 91.4 प्रतिशत हो गया, जो वास्तविक अर्थव्यवस्था के संबंध में बैंकिंग प्रणाली की तीव्रतर वृद्धि को सुझाता है। तथापि, लगातार दो साल सुदृढ़ वृद्धि होने के बाद, 2006-07 में बैंक ऋण में थोड़ी गिरावट आयी।

2.148 लगातार तीसरे साल, 2006-07 में ऋण और अग्रिम में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई (2005-06 के 31.8 प्रतिशत तथा 2004-05 के 33.2 प्रतिशत की तुलना में 30.6 प्रतिशत)। सभी प्रमुख चार सेक्टरों अर्थात कृषि, उद्योग, सेवा और वैयक्तिक ऋण में समग्र ऋण[6] में थोड़ी मंदी दिखायी दी। ऋण संबंधी मंदी भूसंपदा ऋण और वैयक्तिक ऋण में विशेष रूप से दिखायी दी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वृद्धि भी 2005-06 की 36.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2006-07 में कम होकर 24.0 प्रतिशत रह गयी। 'अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' को ऋण, जिसमें हाल के वर्षों में तेज वृद्धि देखी गयी थी, में भी 2006-07 के दौरान तेज गिरावट आयी। तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण वृद्धि में काफी तेजी आयी। ऋण वृद्धि में थोड़ी मंदी तथा जमाराशियों में तेज वृद्धि को दर्शाते हुए, वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) 2006-07 की दूसरी छमाही में कम हो गया। मार्च 2007 के अंत में, वृद्धिशील सीडीआर एक साल पहले के 110 प्रतिशत की तुलना में लगभग 85 प्रतिशत (साल-दर-साल) था।

2.149 एक समूह के रूप में एससीबी का निवल लाभ 2005-06 के 17.3 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 27.0 प्रतिशत बढ़ गया। एससीबी के प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में तीव्र वृद्धि होने के बावजूद निवल लाभ में उच्च वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ मोटे तौर पर पिछले वर्ष के अनुरूप है। मार्च 2007 के अंत में सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां मार्च 2006 के अंत के 3.3 प्रतिशत से और गिरकर 2.5 प्रतिशत हो गईं। मार्च 2006 के अंत में निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक आस्तियां भी मार्च 2007 के अंत के 1.2 प्रतिशत से गिरकर 1.0 प्रतिशत हो गईं। एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 12.3 प्रतिशत के पिछले साल के स्तर पर बना रहा, जो यह सुझाता है कि पूंजी में वृद्धि जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि के अनुरूप रही (सारणी 2.39)।

2.150 शहरी सहकारी बैंकों के व्यावसायिक परिचालनों में 2006-07 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में इसी अवधि में एससीबी की वृद्धि 24.3 प्रतिशत थी। जहां ऋणों और अग्रिमों तथा अन्य आस्तियों में तीव्र वृद्धि देखी गई, निवेशों में वृद्धि में कमी आई। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का निवल लाभ पिछले वर्ष की वृद्धि की तुलना में 2006-07 के दौरान मुख्यतः प्रावधानों, आकस्मिक व्ययों और करों में वृद्धि के कारण घट गया। 2006-07 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ जैसा कि कुल तथा प्रतिशत के रूप में एनपीए (सकल और निवल) में आई गिरावट में दिखाई देता है (सारणी 2.40)।

2.151 मार्च 2007 के अंत में सात वित्तीय संस्थाएं अर्थात एक्जिम बैंक, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी तथा टीएफसीआइ रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित थीं। इनमें से, 5 वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, आइएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) रिज़र्व बैंक के पूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन थीं। जनता की जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली परंतु 500 करोड़ रुपए और अधिक की आस्तियां रखनेवाली वित्तीय संस्थाएं रिज़र्व बैंक के सीमित परोक्ष पर्यवेक्षण के अधीन हैं। टीएफसीआइ इस श्रेणी में आता है, जबकि आइआइबीआइ ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया में है। एनबीएफसी विनियमावली से आइएफसीआइ को दी गई छूट अगस्त 2007 में हटा ली गई तथा अब इसका विनियमन प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के रूप में किया जा रहा है।

2.152 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता (कुल रूप में) 2000-01 और 2004-05 के बीच गिरावट दर्शाने के बाद अगले दो वर्षों में बढ़ गई। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं सहित वित्तीय संस्थाओं, विशेषज्ञताप्राप्त वित्तीय संस्थाओं और निवेश

[6] 51 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित सेक्टर-वार ऋण आंकड़ों के अनुसार।

## सारणी 2.39 : बैंक समूहों के महत्वपूर्ण पैरामीटर

(प्रतिशत)

| बैंक समूह | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **परिचालन व्यय / कुल आस्तियाँ** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
| निजी क्षेत्र के पुराने बैंक | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.9 |
| निजी क्षेत्र के नए बैंक | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| विदेशी बैंक | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| **स्प्रेड / कुल आस्तियाँ** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| निजी क्षेत्र के पुराने बैंक | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| निजी क्षेत्र के नए बैंक | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| विदेशी बैंक | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.7 |
| **निवल लाभ / कुल आस्तियाँ** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| निजी क्षेत्र के पुराने बैंक | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
| निजी क्षेत्र के नए बैंक | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| विदेशी बैंक | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| **सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 8.8 | 7.2 | 5.2 | 3.3 | 2.5 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 9.4 | 7.8 | 5.5 | 3.6 | 2.7 |
| निजी क्षेत्र के पुराने बैंक | 8.9 | 7.6 | 6.0 | 4.4 | 3.1 |
| निजी क्षेत्र के नए बैंक | 7.6 | 5.0 | 3.6 | 1.7 | 1.9 |
| विदेशी बैंक | 5.3 | 4.6 | 2.9 | 2.0 | 1.8 |
| **निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 4.4 | 2.9 | 2.0 | 1.2 | 1.0 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 4.5 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | 1.1 |
| निजी क्षेत्र के पुराने बैंक | 5.5 | 3.9 | 2.7 | 1.7 | 1.0 |
| निजी क्षेत्र के नए बैंक | 4.6 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 1.0 |
| विदेशी बैंक | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| **सीआरएआर** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.3 | 12.3 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 12.6 | 13.2 | 12.9 | 12.2 | 12.4 |
| निजी क्षेत्र के पुराने बैंक | 12.8 | 13.7 | 12.5 | 11.7 | 12.1 |
| निजी क्षेत्र के नए बैंक | 11.3 | 10.2 | 12.1 | 12.6 | 12.0 |
| विदेशी बैंक | 15.2 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.4 |

संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता पिछले वर्ष के दौरान हुई क्रमशः 41.0 प्रतिशत तथा 38.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना

## सारणी 2.40 : शहरी सहकारी बैंक - चुनिंदा वित्तीय संकेतक

| संकेतक | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि** (प्रतिशत) | | |
| जमाराशि | 8.6 | 6.1 |
| ऋण | 5.2 | 9.8 |
| **वित्तीय संकेतक@** *(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)* | | |
| परिचालन लाभ | 36.0 | 2.2 |
| निवल लाभ | 104.8 | -14.0 |
| स्प्रेड | 2.2 | 2.3 |
| **सकल अनर्जक आस्तियां** *(अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)* | 18.9 | 17.0 |

@ : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित।

में 2006-07 के दौरान क्रमशः 12.9 प्रतिशत तथा 82.8 प्रतिशत बढ़ गई (सारणी 2.41)।

2.153 वित्तीय संस्थाओं द्वारा 2006-07 के दौरान मुद्रा बाज़ार से जुटाए गए संसाधन 2005-06 में जुटाए गए संसाधनों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थे। संसाधन जुटाने के लिए चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की सकल छत्र सीमाएं 31 मार्च 2006 के 15,157 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 मार्च 2007 को 19,001 करोड़ रुपए कर दी गईं। छत्रसीमा के तहत इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए सकल बकाया संसाधन 31 मार्च 2006 के 1,977 करोड़ रुपए (सकल सीमा का 13.1 प्रतिशत) से बढ़कर 30 मार्च 2007 को 3,293 करोड़ रुपए (समस्त सीमा का 17.3 प्रतिशत) हो गए। 30 मार्च 2007 को बकाया स्थिति के आधार पर वित्तीय संस्थाओं ने संसाधनों का बड़ा भाग (2,540 करोड़ रुपए) वाणिज्यिक पत्र के जरिए जुटाया, उसके बाद जमा प्रमाणपत्र (663 करोड़ रुपए)

**सारणी 2.41 : वित्तीय संस्थाएं - चुनिंदा निष्पादन संकेतक**

| संकेतक | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **तुलनपत्र संकेतक** | | |
| *(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)* | | |
| परिचालन लाभ | 1.4 | 2.1 |
| निवल लाभ | 1.0 | 1.5 |
| स्प्रेड | 1.8 | 1.6 |
| **संसाधन प्रवाह** | | |
| *(करोड़ रुपए)* | | |
| स्वीकृतियां | 27,666 | 31,238 |
| संवितरण | 21,146 | 38,656 |

**टिप्पणी :** 1. तुलनपत्र संकेतक के आंकड़े आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, टीएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, और एग्जिम बैंक से संबंधित हैं।
2. संसाधन प्रवाह के आंकड़े एआइएफआइ (आइएफसीआइ, सिडबी और आइआइबीआइ), विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओ (आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर तथा टीएफसीआइ) और निवेश संस्थाओ (एलआइसी तथा जीआइसी,उनकी पूर्व सहयोगी संस्थाओं के साथ) से संबंधित हैं।

तथा मीयादी जमाराशियों (89 करोड़ रुपए) का स्थान था। इस अवधि के दौरान किसी भी वित्तीय संस्था ने मीयादी मुद्रा अथवा अंतर-कंपनी जमाराशि के रूप में संसाधन नहीं जुटाए।

2.154 वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत के न्यूनतम निर्दिष्ट मानदंड की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्चतर बना रहा। चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की निवल ब्याज आय 2005-06 के 2,555 करोड़ रुपए से बढ़कर 2006-07 में 2,598 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल की प्रवृत्ति के अनुरूप, वित्तीय संस्थाओं की ब्याजेतर आय 2005-06 के 1,353 करोड़ रुपए से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2006-07 में 1,913 करोड़ रुपए हो गई। तथापि, पिछले साल देखी गई तीव्र वृद्धि के विपरीत, वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं के परिचालन व्यय में 55.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। फलस्वरूप, परिचालन लाभ में 73.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई (2005-06 के 1,993 करोड़ रुपए से बढ़कर 2006-07 में 3,460 करोड़ रुपए)। यह कर के लिए चिह्नित उच्चतर प्रावधानों के बावजूद वित्तीय संस्थाओं के निवल लाभ में हुई उल्लेखनीय वृद्धि में भी दिखाई दिया।

2.155 जमा लेनेवाली एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) की आस्तियां /देयताएं 2005-06 के 5.1 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 26.9 प्रतिशत की अधिक उच्चतर दर से बढ़ीं (सारणी 2.42)। उधार, जो एनबीएफसी की निधियों का एक प्रमुख स्रोत है, वर्ष के दौरान 30.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि जनता की जमाराशियों में 16.5 प्रतिशत की गिरावट आई जो जुटाए गए संसाधनों के स्वरूप में बदलाव को दर्शाता है। आस्ति पक्ष में, ऋण तथा अग्रिम और किराया खरीद आस्तियां कुल मिलाकर कुल आस्तियों के तीन-चौथाई से अधिक थीं। 2006-07 के दौरान जहां ऋण और अग्रिम में 0.8 प्रतिशत की सीमांत गिरावट आई, किराया खरीद आस्तियों में 30.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एनबीएफसी का एक नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति

**सारणी 2.42 : एनबीएफसी - डी (आरएनबीसी को छोड़कर) के समेकित तुलनपत्र**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मद | मार्च के अंत में | |
|---|---|---|
| | 2006 | 2007अ |
| 1 | 2 | 3 |
| **देयताएं** | | |
| 1. प्रदत्त पूंजी | 1,827 | 2,289 |
| | (4.8) | (4.8) |
| 2. रिज़र्व और अधिशेष | 5,625 | 5,969 |
| | (14.9) | (12.4) |
| 3. जनता की जमाराशि | 2,447 | 2,042 |
| | (6.5) | (4.3) |
| 4. उधार | 24,942 | 32,563 |
| | (65.9) | (67.8) |
| 5. अन्य देयताएं | 2,987 | 5,136 |
| | (7.9) | (10.7) |
| **कुल देयताएं / आस्तियाँ** | **37,828** | **47,999** |
| **आस्तियाँ** | | |
| 1. निवेश | | |
| i) अनुमोदित प्रतिभूतियां@ | 292 | 241 |
| ii) अन्य निवेश | 4,034 | 7,267 |
| 2. ऋण और अग्रिम | 10,686 | 10,602 |
| | (28.2) | (22.1) |
| 3. किराया खरीद आस्तियां | 20,008 | 26,048 |
| | (52.9) | (54.3) |
| 4. उपस्कर पट्टा आस्तियां | 1,502 | 1,334 |
| | (4.0) | (2.8) |
| 5. बिल संबंधी कारोबार | 44 | 6 |
| | (0.1) | (0.0) |
| 6. अन्य आस्तियां | 1,261 | 2,500 |
| | (3.3) | (5.2) |

अ : अनंतिम
@ : एसएलआर आस्तियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में 'अनुमोदित प्रतिभूतियां' एवं 'भाररहित मीयादी जमाराशियां' शामिल हैं।
**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं / आस्तियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।
**स्रोत :** वार्षिक विवरणियां

वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 से प्रभावी हुआ। उत्पादक/आर्थिक कार्यकलापों के लिए वास्तविक/भौतिक आस्तियों का वित्तपोषण करनेवाली कंपनियों को एएफसी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस नए वर्गीकरण के अनुसार, कुल आस्तियों/देयताओं में एएफसी का हिस्सा सर्वाधिक (51.5 प्रतिशत) था, जिसके बाद किराया खरीद वित्त कंपनियों(35.7 प्रतिशत) तथा ऋण कंपनियों (8.7 प्रतिशत) का स्थान था। मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान जहां उपस्कर पट्टादायी तथा किराया खरीद कंपनियों की आस्तियों में गिरावट आई जो मुख्यतः एनबीएफसी के पुनर्वर्गीकरण को दर्शाता है, वहीं ऋण तथा निवेश समूह की आस्तियों में वृद्धि हुई।

2.156 तीन आरएनबीसी की आस्तियों में मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर भारग्रस्त अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा बांडों/डिबेंचरों के रूप में उनकी आस्तियों में तीव्र वृद्धि हुई, जबकि एससीबी की सावधि जमाराशियों /जमा प्रमाणपत्रों तथा अन्य निवेशों में गिरावट दर्ज की गई (सारणी 2.43)। 2006-07 में आरएनबीसी की निवल स्वाधिकृत निधियों में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.157 कुल मिलाकर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्य-निष्पादन के समर्थन से 2006-07 के दौरान तेज वृद्धि दर्ज की गई। लगातार तीसरे साल 30 प्रतिशत से अधिक पर ऋण वृद्धि सुदृढ़ बनी रही। प्रावधानों और आकस्मिकताओं में तेज वृद्धि के बावजूद बैंक अपनी लाभप्रदता बनाए रखने में समर्थ रहे। जोखिम भारित आस्तियों में तेज वृद्धि के बावजूद, उनका पूंजी पर्याप्तता का स्तर पिछले साल के स्तर पर बना रहा। वर्ष के दौरान आस्ति की गुणवत्ता, जैसाकि सकल और निवल अनर्जक आस्तियों के स्तर में दिखाई देता है, में और सुधार आया।

**सारणी 2.43 : अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) की प्रोफाइल**

(करोड़ रुपए)

| मद | मार्च के अंत में | |
|---|---|---|
| | 2006 | 2007 अ |
| 1 | 2 | 3 |
| **I. आस्तियां (iसे v तक)** | **21,891** | **23,172** |
| (i) अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश | 2,346 | 3,317 |
| (ii) अनु.वा.बैंकों / सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की सावधि जमा / जमा प्रमाणपत्र में निवेश | 6,090 | 5,604 |
| (iii) बांड / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्र* | 9,577 | 11,700 |
| (iv) अन्य निवेश | 1,658 | 1,156 |
| (v) अन्य आस्तियाँ | 2,220 | 1,395 |
| **II. निवल स्वाधिकृत निधियां** | **1,183** | **1,366** |
| **III. कुल आय (I+II)** | **1,620** | **1,893** |
| (i) निधि आय | 1,616 | 1,886 |
| (ii) शुल्क आय | 3 | 8 |
| **IV. कुल व्यय (I+II+III)** | **1,439** | **1,648** |
| (i) वित्तीय लागत | 1,165 | 1,230 |
| (ii) परिचालन लागत | 159 | 284 |
| (iii) अन्य लागत | 114 | 134 |
| **V. कराधान के लिए प्रावधान** | **22** | **44** |
| **VI. परिचालन लाभ (पीबीटी)** | **180** | **246** |
| **VII. निवल लाभ (पीएटी)** | **158** | **201** |

अ. : अनंतिम

* : सरकारी कंपनियों / सरकारी क्षेत्र के बैंकों / सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं / निगमों के

**नोट :** 1. पीबीटी - कर पूर्व लाभ. 2. पीएटी - करोत्तर लाभ.

## VII. बाह्य क्षेत्र

### वैश्विक आर्थिक संभावना

2.158 2007 में वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप में सुदृढ़ता बनी रही, यद्यपि 2006 की सुदृढ़ स्थिति की तुलना में इसमें कमी आई। कुल मिलाकर क्रय शक्ति समता भारांक के आधार पर मापा गया वैश्विक जीडीपी 2006 के 5.1 प्रतिशत की तुलना में 2007 में 5.0 प्रतिशत बढ़ने - लगातार चौथे वर्ष प्रवृत्ति के काफी ऊपर - का अनुमान है (चार्ट II.22)। आशा से अधिक तीसरी तिमाही की वृद्धि को देखते हुए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, विशेष रूप से युनाइटेड स्टेट्स में, वर्ष 2007 के अंत तक कार्यकलाप में तीव्र मंदी आई क्योंकि अमरीकी सब प्राइम बंधक बाजार की समस्या का अप्रत्यक्ष प्रभाव व्यापक तौर पर वित्तीय बाजारों तथा संस्थाओं पर पड़ा। इसके विपरीत उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सुदृढ़ गति से बढ़ती रहीं, बावजूद इसके कि वर्ष 2007 के अंत तक कार्यकलाप में थोड़ी कमी आई। चीन और भारत, जिनमें 2007 में क्रमशः 11.9 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के अगुवा बने रहे। उत्पादकता में अच्छी वृद्धि द्वारा वृद्धि को गति मिली क्योंकि ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्रमिक रूप से समन्वित हो गए। इसके अलावा, मूल्य में वृद्धि के कारण पण्य उत्पादकों (तेल और अन्य कच्चा माल) के लिए व्यापार की अनुकूल शर्तों का लाभ इन देशों को मिला।

2.159 2007 की चौथी तिमाही के दौरान, अधिकांश उन्नत देशों में वृद्धि में गत वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में कमी आई। इसके विपरीत, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में तेजी आई (सारणी 2.44)।

**चार्ट II.22: वैश्विक उत्पादन वृद्धि**

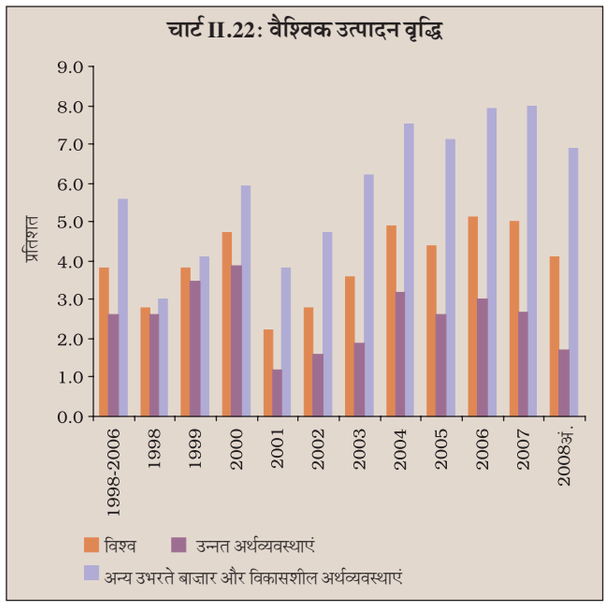

## सारणी 2.44: वृद्धि दरें - वैश्विक परिदृश्य

(प्रतिशत)

| देश / क्षेत्र | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 प्र | 2009 प्र | 2006 | | | | 2007 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ति1 | ति2 | ति3 | ति4 | ति1 | ति2 | ति3 | ति4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. विश्व उत्पादन** | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 4.1 | 3.9 | | | | | | | | |
| **I.1 विकसित अर्थव्यवस्थाएं** | | | | | | | | | | | | | | |
| यूरो क्षेत्र | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.2 |
| जापान | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 |
| कोरिया | 4.7 | 4.2 | 5.1 | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 5.7 |
| यूके | 3.3 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 2.8 |
| अमरीका | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.5 |
| ओईसीडी देश | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.7 |
| **I.2 उभरती अर्थव्यवस्थाएं** | | | | | | | | | | | | | | |
| अर्जेंटीना | 9.0 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 7.0 | 4.5 | 8.6 | 7.9 | 8.7 | 8.6 | 8.0 | 8.7 | 8.7 | 9.1 |
| ब्राजील | 5.7 | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 4.9 | 4.0 | 3.9 | 1.1 | 3.2 | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 5.7 | 6.2 |
| चीन | 10.1 | 10.4 | 11.6 | 11.9 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 11.9 | 11.5 | 11.2 |
| भारत | 7.5 | 9.4 | 9.6 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.6 | 10.2 | 8.7 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 8.8 |
| इंडोनेशिया | 5.0 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.3 |
| मलेशिया | 6.8 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | 7.3 |
| थाईलैंड | 6.3 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 5.7 |
| **II. विश्व व्यापार की मात्रा** (माल और सेवाएं) | 10.7 | 7.6 | 9.2 | 6.8 | 5.6 | 5.8 | | | | | | | | |

प्र : आइएमएफ प्रक्षेपण ।

**टिप्पणी :** स्तंभ 2 से 5 के भारत के आँकड़े क्रमशः राजकोषीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07और 2007-08 से संबंधित हैं।

**स्रोत :** आइएमएफ, दि इकोनॉमिस्ट, एवं दि ओईसीडी

2.160 आइएमएफ के अनुसार, अमरीका में आवास में बनी हुई मंदी से मांग में कमी रहेगी तथा यह वित्तीय बाजारों के लिए अनिश्चितता का एक स्रोत होगा। फलस्वरूप, आइएमएफ द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार अमरीकी अर्थव्यवस्था में पहले से उपलब्ध कराई गई पर्याप्त मौद्रिक और राजकोषीय उत्प्रेरणा के बावजूद 2008 में 1.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी (सारणी 2.44)। अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी व्यापारिक और वित्तीय असर के फैलाव के कारण मंदी आएगी तथा विशेष रूप से आवास बाजार कुछ यूरोपीय देशों में मंदी के स्रोत के रूप में कार्य करेगा। कुछ देशों में ओवरहीटिंग को रोकने के प्रयासों, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के असर के फैलाव तथा पण्य मूल्यों में कुछ कमी को दर्शाते हुए यह उम्मीद है कि उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी मंदी आएगी । तथापि, सभी क्षेत्रों में वृद्धि प्रवृत्ति के ऊपर बनी रहेगी।

2.161 आइएमएफ के अनुसार, विश्व व्यापार (माल और सेवाओं) में वृद्धि पिछले साल के 6.8 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 2008 में मात्रा के रूप में 5.6 प्रतिशत रह जाने की आशा है (चार्ट II.23क)। अन्य उभरते बाजार और विकासशील देशों के निर्यात (माल और सेवाएं) में 2008 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है (एक साल पहले 8.9 प्रतिशत), जबकि उन्नत देशों में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि (एक साल पहले 5.8 प्रतिशत) होने की आशा है। विश्व स्तर पर लेनदेन वाले विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें 2006 में अमरीकी डालर के रूप में 3.8 प्रतिशत (एसडीआर के रूप में 4.2 प्रतिशत) से बढ़कर 2007 में अमरीकी डालर के रूप में 9.7 प्रतिशत (एसडीआर के रूप में 5.6 प्रतिशत) हो गईं (चार्ट II.23ख)। आइएमएफ के अनुसार, उभरते तथा विकासशील देशों में निजी निवल पूंजी प्रवाह 2006 के 231.9 बिलियन अमरीकी डालर से काफी बढ़कर 2007 में 605.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। मुख्यतः अन्य निजी पूंजी प्रवाहों में अनुमानित गिरावट के कारण 2008 में पूंजी प्रवाह काफी कम होकर 330.7 बिलियन अमरीकी डालर रह जाने का अनुमान है।

2.162 अल्पावधि वैश्विक वृद्धि के प्रति समग्र जोखिम संतुलन की संभावना का झुकाव अधोमुखी बना हुआ है। सबसे बड़ी जोखिम वित्तीय बाजारों में अभी तक उद्घाटित न हुई घटनाओं से, विशेष रूप से यूएस सब-प्राइम बंधक बाजार तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित संरचित ऋणों पर अधिक हानियों की संभावना से, आती है जो वित्तीय प्रणाली के तुलनपत्रों को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। ऋणात्मक वित्तीय आघातों और देशी मांग, विशेष रूप से आवास बाजार के जरिए, के बीच की अंतःक्रिया अमरीका के लिए तथा थोड़ी कम मात्रा में पश्चिमी यूरोप और अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में देशी मांग के अनुमानों से कुछ ऊर्ध्वमुखी संभावना है परंतु ये अर्थव्यवस्थाएं व्यापार और वित्तीय प्रभाव-प्रसार के प्रति सुभेद्य बनी हुई हैं।

**चार्ट II.23 : विश्व व्यापार वृद्धि - मात्रा एवं मूल्य**

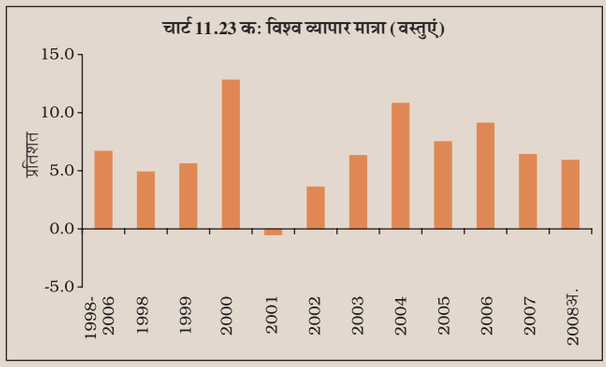


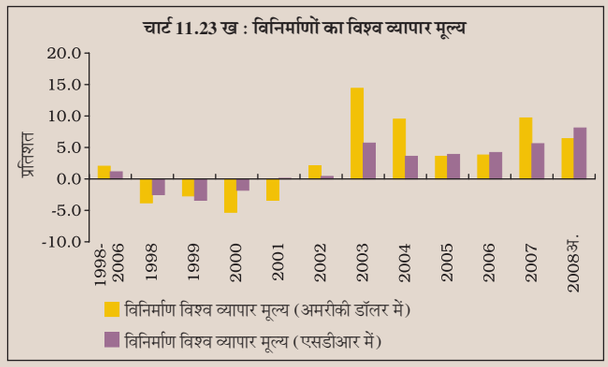


2.163 2007-08 के दौरान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अनिश्चितता तथा उथल-पुथल की स्थितियां देखी गईं, जो अमरीकी सब-प्राइम बाजार की समस्याओं द्वारा प्रेरित थीं। यह अशांति बाद में ऋण बाजार और अल्पावधि मुद्रा बाजार तक फैल गई, जिसके फलस्वरूप अगस्त 2007 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की रात भर की ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि हुई जब बैंकों ने अपनी चलनिधि को संरक्षित करना चाहा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय बाजारों के चलनिधि आघात को कम करने तथा बड़ी वित्तीय संस्थाओं के बीच शोधनीयता के मुद्दों का समाधान करने के लिए परंपरागत तथा गैर परंपरागत दोनों तरह के उपायों से प्रतिसाद व्यक्त किया। कुछ केंद्रीय बैंकों, उल्लेखनीय रूप से ईसीबी, रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया तथा स्विस नेशनल बैंक ने अव्यक्त रूप से वित्तीय उथल-पुथल को अनिवार्यतः चलनिधि की सख्ती की समस्या के रूप में देखते हुए अंतर बैंक बाजारों को चलनिधि प्रदान कर प्रतिसाद व्यक्त किया। इन केंद्रीय बैंकों ने अपने संबंधित मुद्रा बाजारों में व्यवस्थित स्थितियों के आश्वासन के उद्देश्य से परिचालनों को परिष्कृत कर चलनिधि प्रदान की । दूसरी ओर, यूएस फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा बैंक ऑफ कनाडा जैसे कुछ केंद्रीय बैंकों ने बाजार की आघातों, जैसाकि आर्थिक कार्यकलाप में मंदी लंबे समय तक चलने के खतरों सहित चलनिधि की जब्ती तथा वित्तीय स्थिरता के प्रति व्यापक खतरों दोनों रूपों में प्रदर्शित हुआ, से निपटने के लिए अधिक विशाखीकृत रूप में प्रतिसाद व्यक्त किया। तदनुसार, उन्होंने सामान्य और विशेष सुविधाओं के माध्यम से मुद्रा बाजारों में चलनिधि का अंतर्वेश करने के लिए कार्रवाई की । उन्होंने केंद्रीय बैंक से चलनिधि प्राप्त करने के लिए पात्र प्रतिभूतियों की श्रेणी में भी शिथिलता लाई। साथ ही इस आशंका के बीच कि सब प्राइम संकट एक बड़े ऋण संकट में बदल सकता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव वास्तविक क्षेत्र पर पड़ेगा, उन्होंने नीति दरों में भी भारी कटौती की। यूएस फेड निवेश बैंकों तथा बीमा कंपनियों जैसी बैंकेतर संस्थाओं में पैदा हुई समस्याओं का समाधान करने में भी लगा हुआ था। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अदला-बदली संबंधी प्रतिभूतियों के लिए सामान्यीकृत तथा संस्था विशिष्ट आपातकालीन चलनिधि तथा सुविधाएं प्रदान कीं।

2.164 दिसंबर 2007 में शुरू हुए केन्द्रीय बैंक हस्तक्षेप के दूसरे चरण में (पहला चरण अगस्त-सितंबर 2007 में था), यूएस फेडरल रिज़र्व, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) ने समन्वित तरीके से चलनिधि डाली। फेडरल रिज़र्व द्वारा की गई कार्रवाइयों में निम्नलिखित भी शामिल थे - बट्टे पर ऋण प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के संपार्श्विकों के प्रति अस्थायी मीयादी नीलामी सुविधा (टीएएफ) की स्थापना; ईसीबी और एसएनबी के साथ विदेशी मुद्रा स्वैप व्यवस्था की स्थापना जिससे ईसीबी और एसएनबी को उनके अपने क्षेत्राधिकार में उपयोग के लिए क्रमशः 20 बिलियन अमरीकी डालर और 6 बिलियन अमरीकी डालर तक के डालर प्राप्त होंगे। इसके अलावा, 11 मार्च 2008 को मीयादी प्रतिभूति उधार सुविधा तथा 22 अप्रैल 2008 को प्राथमिक व्यापारी ऋण सुविधा (पीडीसीएफ) की घोषणा की गई। अलग-अलग टीएएफ नीलामी का आकार कार्यक्रम के आरंभ में 20 बिलियन अमरीकी डालर था जिसे बढ़ाकर मई 2008 में 75 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया।

2.165 कुछ केंद्रीय बैंकों ने 2007 की तीसरी तिमाही से, जब वित्तीय बाजार में उथल-पुथल सामने आया, नीति दरों में कटौती की। 18 सितंबर 2007 से 30 अप्रैल 2008 के दौरान, यूएस फेडरल रिज़र्व ने, जून 2004 तथा जून 2006 के बीच नीति दर में सतरह बार वृद्धि कर उसे 5.25 प्रतिशत करने के बाद, 275 आधार अंक घटाकर उसे 2.00 प्रतिशत कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फरवरी तथा अप्रैल 2008 में प्रत्येक बार अपनी बैंक दर में 25 आधार अंकों की कमी कर उसे 5.0 प्रतिशत कर दिया। बैंक ऑफ कनाडा ने दिसंबर 2007 एवं जनवरी 2008 में प्रत्येक बार अपनी दर में 25 आधार अंकों की तथा मार्च एवं अप्रैल 2008 में प्रत्येक बार 50 आधार अंकों की कटौती कर उसे 3.0 प्रतिशत कर दिया। यूरो क्षेत्र, जापान और कोरिया सहित कुछ देशों के केंद्रीय बैंकों ने 2007 की अंतिम तिमाही से अपनी दरों में बदलाव नहीं किया है। कुछ केंद्रीय बैंकों ने हाल के महीनों में अपनी नीतिगत दरों में वृद्धि की, जिनमें रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (फरवरी-मार्च 2008 में नकद दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.25 प्रतिशत कर दिया),

पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (उधार दर सितंबर 2007 के 7.29 प्रतिशत से बढ़ाकर दिसंबर 2007 में 7.47 प्रतिशत कर दिया गया ); बैंकों सेंट्रल डि चिली (बेंचमार्क उधार दर अक्तूबर 2007 के 5.75 प्रतिशत से बढ़ाकर जनवरी 2008 में 6.25 प्रतिशत तथा जून 2008 में 6.75 प्रतिशत और जुलाई 2008 में 7.25 प्रतिशत कर दी गई ); तथा बैंकों सेंट्रल डो ब्रासिल (रात भर की सेलिक दर 50 आधार अंक बढ़ाकर अप्रैल 2008 में 11.75 प्रतिशत, जून 2008 में 12.25 प्रतिशत तथा 75 आधार अंक बढ़ाकर जुलाई 2008 में 13 प्रतिशत कर दी गई ) शामिल हैं।

2.166 यूएस सब प्राइम संकट का कोई उल्लेखनीय असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि इक्विटी बाजार पिछले खंड में दिए गए ब्यौरों के अनुसार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों की गतिविधियों के अनुरूप अस्थिर हो गया। तथापि भारत में चलनिधि की अधिशेष स्थितियों और मुद्रास्फीति दर में वृद्धि ने नीतिगत प्रतिसादों को आवश्यक बना दिया। रिपो दर को 30 मार्च 2007 के 7.75 प्रतिशत से संशोधित कर 11 जून 2008 को 8.00 प्रतिशत, 24 जून 2008 को 8.50 प्रतिशत तथा 30 अगस्त 2008 से 9.0 प्रतिशत कर दिया गया। सीआरआर को भी क्रमिक रूप से संशोधित कर 3 मार्च 2007 के 6.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 जून 2008 को 8.75 प्रतिशत तथा और बढ़ाकर 30 अगस्त 2008 से 9.0 प्रतिशत कर दिया गया।

### भारत का पण्य व्यापार

2.167 2007-08 के दौरान भारत के पण्य व्यापार (निर्यात और आयात दोनों) में उच्च वृद्धि बनी रही। डीजीसीआइएण्डएस के अनुसार, 2007-08 में 159.0 बिलियन अमरीकी डालर पर निर्यात में, पिछले साल के 22.6 प्रतिशत की तुलना में, 25.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2007-08 के दौरान 239.7 बिलियन अमरीकी डालर पर आयात में एक साल पहले के 24.5 प्रतिशत की तुलना में 29.0 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी (सारणी 2.45)।

2.168 2007-08 के दौरान 80.6 बिलियन अमरीकी डालर पर व्यापार घाटे में 2006-07 की तुलना में 21.3 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दिखाई दी। 2007-08 के दौरान तेल खाते पर व्यापार घाटा 54.8 बिलियन अमरीकी डालर (तीन साल पहले 38.5 बिलियन अमरीकी डालर) तथा तेल से इतर व्यापार घाटा 25.9 बिलियन अमरीकी डालर (एक साल पहले 20.9 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया । पांच वर्ष की अवधि (2003-08) के दौरान निर्यातों में वार्षिक वृद्धि का औसत 24.7 प्रतिशत था। फलस्वरूप, भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहे निर्यातक देशों में एक बना रहा (सारणी 2.46)।

2.169 2007-08 (अप्रैल-मार्च) के लिए पण्यवार निर्यात आंकड़ों से प्राथमिक उत्पादों तथा विनिर्मित माल के निर्यात की वृद्धि में बढ़त दिखाई देती है (सारणी 2.47)।

**सारणी 2.45 : भारत का पण्य व्यापार**

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

| मद | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 सं | 2007-08 सं | 2008-09 अ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अप्रैल-जून | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| निर्यात | 103.1 | 126.4 | 159.0 | 35.0 | 42.8 |
| | (12.7) | (13.8) | (13.6) | | |
| आयात | 149.2 | 185.7 | 239.7 | 56.5 | 73.3 |
| | (18.4) | (20.3) | (20.6) | | |
| तेल | 44.0 | 57.1 | 79.6 | 17.0 | 25.6 |
| | (5.4) | (6.2) | (6.8) | | |
| तेल से इतर | 105.2 | 128.6 | 160.0 | 39.5 | 47.7 |
| | (13.0) | (14.0) | (13.7) | | |
| व्यापार संतुलन | -46.1 | -59.4 | -80.6 | -21.5 | -30.4 |
| | (5.7) | (6.5) | (6.9) | | |
| तेल से इतर व्यापार संतुलन | -13.8 | -20.9 | -25.9 | -10.9 | .. |
| | (1.7) | (2.3) | (2.2) | | |
| *घट-बढ़ (प्रतिशत)* | | | | | |
| निर्यात | 23.4 | 22.6 | 25.8 | 20.4 | 22.4 |
| आयात | 33.8 | 24.5 | 29.0 | 38.0 | 29.8 |
| तेल | 47.3 | 30.0 | 39.4 | 23.9 | 50.4 |
| तेल से इतर | 28.8 | 22.2 | 24.4 | 45.1 | 20.9 |

**टिप्पणी :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े रुपए में जीडीपी का प्रतिशत दर्शाते हैं।
**स्रोत :** डीजीसीआइएंडएस
सं : संशोधित अ : अनंतिम

2.170 कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरिंग माल, रत्न एवं आभूषण तथा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात वृद्धि के प्रमुख वाहक थे क्योंकि इन उत्पादों ने मिलाकर 2007-08 के दौरान निर्यात वृद्धि में लगभग 69 प्रतिशत अंशदान किया। 2007-08 के दौरान प्राथमिक उत्पादों के निर्यात में 37.5

**सारणी 2.46: वैश्विक पण्य निर्यात में वृद्धि**

(प्रतिशत)

| देश/क्षेत्र | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | जनवरी-मार्च | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| विश्व | 14.0 | 15.3 | 15.0 | 13.2 | 22.9 |
| औद्योगिक देश | 8.5 | 12.4 | 13.6 | 13.5 | 20.4 |
| यूएसए | 10.8 | 14.7 | 12.2 | 10.8 | 17.1 |
| फ्रान्स | 3.8 | 9.9 | 12.0 | 10.3 | 22.9 |
| जर्मनी | 7.3 | 14.7 | 18.5 | 21.2 | 20.9 |
| जापान | 5.2 | 9.2 | 9.2 | 5.4 | 28.7 |
| उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं | 22.0 | 19.1 | 16.8 | 13.0 | 26.0 |
| तेल से इतर विकासशील देश | 19.3 | 19.4 | 17.9 | 27.8 | 21.3 |
| चीन | 28.4 | 27.2 | 25.6 | 27.8 | 21.3 |
| **भारत** | **29.9** | **21.4** | **20.3** | **15.2** | **33.8** |
| कोरिया | 12.0 | 14.4 | 14.2 | 14.6 | 17.4 |
| सिंगापुर | 15.6 | 18.4 | 10.1 | 9.9 | 21.3 |
| इंडोनेशिया | 22.9 | 18.3 | 16.8 | 9.7 | 34.2 |
| मलेशिया | 12.0 | 14.0 | 9.6 | 7.6 | 19.1 |
| थाईलैंड | 14.5 | 18.5 | 16.8 | 17.2 | 21.3 |

**स्रोत:** (1) आइएमएफ (www.imfstatistics.org)।
(2) डीजीसीआइएंडएस, भारत के लिए

## सारणी 2.47: प्रमुख पण्य निर्यात

| पण्य समूह | बिलियन अमरीकी डॉलर | | | घट-बढ़ (प्रतिशत) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
| | अप्रैल-मार्च | | | अप्रैल-मार्च | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. प्राथमिक उत्पाद** | **16.4** | **19.7** | **27.1** | **20.8** | **20.2** | **37.5** |
| *जिसमें से:* | | | | | | |
| क) कृषि और संबद्ध उत्पाद | 10.2 | 12.7 | 18.1 | 20.5 | 24.2 | 42.4 |
| ख) अयस्क और खनिज | 6.2 | 7.0 | 9.0 | 21.4 | 13.6 | 28.6 |
| **2. विनिर्मित वस्तुएं** | **72.6** | **84.9** | **101.1** | **19.5** | **17.0** | **19.1** |
| *जिसमें से:* | | | | | | |
| क) रसायन और संबंधित उत्पाद | 14.8 | 17.3 | 20.5 | 18.7 | 17.4 | 18.0 |
| ख) इंजीनियरिंग वस्तुएं | 21.7 | 29.6 | 36.7 | 25.2 | 36.1 | 24.2 |
| ग) वस्त्र एवं वस्त्रोत्पाद | 16.4 | 17.4 | 19.0 | 21.0 | 5.9 | 9.5 |
| घ) रत्न और आभूषण | 15.5 | 16.0 | 19.7 | 12.8 | 2.9 | 23.0 |
| **3. पेट्रोलियम उत्पाद** | **11.6** | **18.7** | **24.9** | **66.5** | **60.5** | **33.1** |
| **4. कुल निर्यात** | **103.1** | **126.4** | **159.0** | **23.4** | **22.6** | **25.8** |

**स्रोत :** डीजीसीआइएण्डएस.

प्रतिशत की त्वरित वृद्धि दिखाई दी, जिसका कारण था कृषि और संबद्ध उत्पादों (42.4 प्रतिशत) तथा लौह अयस्क (47.2 प्रतिशत) के निर्यातों में वृद्धि । 2007-08 के दौरान विनिर्मित माल के निर्यात में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि (एक साल पहले 17.0 प्रतिशत) दर्ज की गई। विनिर्मित माल के भीतर रसायन और संबद्ध उत्पाद तथा रत्न और आभूषण ने निर्यात में उच्चतर वृद्धि दिखाई, जबकि इंजीनियरिंग माल के निर्यात में कमी दिखाई दी। 2007-08 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 33.1 प्रतिशत की वृद्धि (एक साल पहले 60.5 प्रतिशत) दर्ज की गई। गंतव्यवार, समग्र निर्यात में 13.0 प्रतिशत हिस्से (एक साल पहले 14.9 प्रतिशत) के साथ अमरीका भारत के लिए अकेला सबसे बड़ा बाज़ार बना रहा । अन्य प्रमुख गंतव्य थे - यूएई (9.7 प्रतिशत), चीन (6.8 प्रतिशत), सिंगापुर (4.3 प्रतिशत), यूके (4.1 प्रतिशत), हांग कांग (4.0 प्रतिशत), जर्मनी (3.2 प्रतिशत) तथा नीदरलैंड (3.0 प्रतिशत)। क्षेत्रवार, ईयू, पूर्वी यूरोप तथा एशिया के विकासशील देशों को निर्यात बढ़ गया, जबकि ओपेक तथा लैटिन अमरीका के विकासशील देशों को निर्यात में कमी आई (सारणी 2.48)।

2.171 तेल तथा तेल से इतर दोनों तरह के आयातों में उच्च वृद्धि के कारण 2007-08 के दौरान आयातों में वृद्धि की गति बनी रही(देखें

## सारणी 2.48: भारतीय निर्यात के प्रमुख गंतव्य देश

| समूह/देश | बिलियन अमरीकी डॉलर | | | घट-बढ़ (प्रतिशत) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
| | अप्रैल-मार्च | | | अप्रैल-मार्च | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. ओईसीडी देश** | **45.8** | **52.0** | **61.7** | **25.6** | **13.5** | **18.6** |
| *जिसमें से:* | | | | | | |
| क) ईयू | 22.4 | 25.8 | 32.2 | 27.6 | 15.1 | 24.9 |
| ख) उत्तरी अमरीका | 18.4 | 20.0 | 22.0 | 25.6 | 8.7 | 10.0 |
| यूएस | 17.4 | 18.9 | 20.7 | 26.1 | 8.7 | 9.7 |
| **2. ओपीईसी** | **15.2** | **20.7** | **26.2** | **15.4** | **35.8** | **26.4** |
| *जिसमें से:* | | | | | | |
| यूएई | 8.6 | 12.0 | 15.4 | 16.9 | 40.0 | 27.7 |
| **3. विकासशील देश** | **39.7** | **50.8** | **67.2** | **23.8** | **27.8** | **32.4** |
| *जिसमें से:* | | | | | | |
| क) एशिया | 31.0 | 37.6 | 50.1 | 21.6 | 21.4 | 33.2 |
| चीन | 6.8 | 8.3 | 10.8 | 20.4 | 22.7 | 30.0 |
| सिंगापुर | 5.4 | **6.1** | 6.9 | 35.6 | 11.9 | 12.9 |
| **4. कुल निर्यात** | **103.1** | **126.4** | **159.0** | **23.4** | **22.6** | **25.8** |

**स्रोत :** डीजीसीआइएंडएस.

सारणी 2.45)। 2007-08 के दौरान, पूंजीगत माल के आयात में 24.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक साल पहले 25.0 प्रतिशत), जबकि सोने और चांदी में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक साल पहले 29.4 प्रतिशत)(सारणी 2.49)। स्रोतवार, चीन आयात का प्रमुख स्रोत था, 2007-08 में कुल आयात में उसका हिस्सा 11.3 प्रतिशत था। अन्य प्रमुख स्रोत थे - सऊदी अरब (8.1 प्रतिशत), यूएई (5.6 प्रतिशत), यूएस (5.5 प्रतिशत), ईरान (4.6 प्रतिशत), स्विटजरलैंड (4.1 प्रतिशत), जर्मनी (4.0 प्रतिशत) तथा आस्ट्रेलिया (3.3 प्रतिशत)।

2.172 2008-09 (अप्रैल-जून) के दौरान, पण्य निर्यात में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई [2007-08 (अप्रैल-जून) में 20.4 प्रतिशत] तथा आयातों में 29.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक साल पहले 38.0 प्रतिशत)। अप्रैल-जून 2008 में व्यापार घाटा 30.4 बिलियन अमरीकी डालर था, जो अप्रैल-जून 2007 के 21.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 9.0 बिलियन अमरीकी डालर अधिक था।

## भुगतान संतुलन

2.173 2007-08 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति सुखद बनी रही। व्यापार घाटे में काफी वृद्धि होने के बावजूद, चालू खाता घाटा नियंत्रण में था, हालांकि उच्चतर निजी विप्रेषणों और सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात की अगुवाई में अदृश्य खातों में अधिशेष के कारण यह 2006-07 की तुलना में कुछ अधिक था। तथापि उच्चतर चालू खाता घाटे का वित्तपोषण आसानी से पूंजीगत प्रवाहों के द्वारा किया गया, जो 2007-08 के दौरान काफी अधिक रहा। पूंजीगत प्रवाहों के घटकों में से एफआइआइ सहित संविभाग निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा अल्पावधि व्यापार घाटा 2007-08 में काफी बढ़ गया। जावक एफडीआइ बढ़ता रहा जो बाजार और संसाधनों के रूप में वैश्विक विस्तार के लिए भारतीय कंपनियों की इच्छा को दर्शाता है।

## चालू खाता

2.174 2006-07 के 63.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर व्यापार घाटा (भुगतान संतुलन आधार पर) 2007-08 में 90.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अदृश्य मदों में निवल अधिशेष 2006-07 के 53.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2007-08 में 72.7 बिलियन अमरीकी डालर था, जो 36.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। निवल अदृश्य अधिशेष के द्वारा पिछले साल की तदनुरूप अवधि के 84.5 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 80.7 प्रतिशत व्यापार घाटा प्रतितुलित हो गया। चालू खाता घाटा 2006-07 के 9.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2007-08 में 17.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया (सारणी 2.50)।

2.175 2007-08 में अदृश्य प्राप्तियों में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (2006-07 में 28.3 प्रतिशत) (चार्ट II.24)। अदृश्य प्राप्तियों में मुख्य अंशदान विदेशी भारतीयों से प्रेषण, सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात, निवेश आय, यात्रा अर्जन और परिवहन का था। विदेश में कार्यरत भारतीयों से मुख्यतः विप्रेषण युक्त निजी अंतरण तथा देशी उपयोग के लिए अनिवासी रुपया खाते से स्थानीय आहरण 42.6 बिलियन अमरीकी डालर (2006-07 में 29.0 बिलियन अमरीकी डालर) था, जो 2007-08 में 47.1 प्रतिशत (2006-07 में 16.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। 2007-08

**सारणी 2.49: भारत के प्रमुख आयात**

| समूह/पण्य | बिलियन अमरीकी डॉलर | | | घट-बढ़ (प्रतिशत) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
| | अप्रैल-मार्च | | | अप्रैल-मार्च | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद तथा संबंधित सामग्री | 44.0 | 57.1 | 79.6 | 47.3 | 30.0 | 39.4 |
| खाद्य तेल | 2.0 | 2.1 | 2.6 | -17.9 | 4.2 | 21.3 |
| लोहा और इस्पात | 4.6 | 6.4 | 8.7 | 71.3 | 40.5 | 35.2 |
| पूंजीगत वस्तुएं | 37.7 | 47.1 | 58.4 | 49.9 | 25.0 | 24.1 |
| मोती, मूल्यवान व कम मूल्यवान पत्थर | 9.1 | 7.5 | 8.0 | -3.1 | -18.0 | 6.5 |
| रसायन | 7.0 | 7.8 | 9.9 | 22.5 | 12.1 | 26.2 |
| सोना और चांदी | 11.3 | 14.6 | 17.8 | 1.5 | 29.4 | 21.8 |
| **कुल आयात** | **149.2** | **185.7** | **239.7** | **33.8** | **24.5** | **29.0** |
| *ज्ञापन:* | | | | | | |
| तेल से इतर आयात | 105.2 | 128.6 | 160.0 | 28.8 | 22.2 | 24.4 |
| तेल से इतर आयात, सोना और चांदी को छोड़कर | 93.9 | 114.0 | 142.2 | 33.1 | 21.4 | 24.7 |
| मुख्यतः औद्योगिक निविष्टियां | 87.5 | 104.7 | 130.0 | 34.7 | 19.6 | 24.2 |

*: सोना और चांदी छोड़कर तेल से इतर आयात, थोक उपभोक्ता वस्तुएं, विनिर्मित उर्वरक तथा व्यावसायिक उपकरण।
**स्रोत :** डीजीसीआइएंडएस.

## सारणी 2.50: भारत का चालू खाता

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

| मद | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06सं. | 2006-07आं.सं. | 2007-08प्रा. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. व्यापारिक माल शेष | -10690 | -13718 | -33702 | -51904 | -63171 | -90060 |
| II. अदृश्य मदों का शेष (क+ख+ग) | 17035 | 27801 | 31232 | 42002 | 53405 | 72657 |
| क) सेवाएं | 3643 | 10144 | 15426 | 23170 | 31810 | 37550 |
| i) यात्रा | -29 | 1435 | 1417 | 1215 | 2438 | 2118 |
| ii) परिवहन | -736 | 879 | 144 | -2012 | -18 | -2107 |
| iii) बीमा | 19 | 56 | 148 | -54 | 560 | 543 |
| iv) जी.एन.आइ.ई. | 65 | 28 | -10 | -215 | -153 | -51 |
| v) विविध | 4324 | 7746 | 13727 | 24236 | 28983 | 37047 |
| *जिसमें से :* सॉफ्टवेयर सेवाएं | 8863 | 12324 | 16900 | 22262 | 29033 | 37051 |
| ख) अंतरण | 16838 | 22162 | 20785 | 24687 | 28168 | 41017 |
| i) अधिकारिक | 451 | 554 | 260 | 194 | 227 | 239 |
| ii) निजी | 16387 | 21608 | 20525 | 24493 | 27941 | 40778 |
| ग) आय | -3446 | -4505 | -4979 | -5855 | -6573 | -5910 |
| i) निवेश आय | -3544 | -3757 | -4095 | -5262 | -6018 | -5239 |
| ii) कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति | 98 | -748 | -884 | -593 | -555 | -671 |
| **कुल चालू खाता** | **6345** | **14083** | **-2470** | **-9902** | **-9766** | **-17403** |

जीएनआइई : सरकारी, जो अन्यत्र शामिल नहीं है। सं. : संशोधित. आं.सं. : आंशिक रूप से संशोधित। प्रा : प्रारंभिक

में 40.3 बिलियन अमरीकी डालर की सॉफ्टवेयर सेवा का निर्यात किया गया जो 2006-07 के 32.6 प्रतिशत की तुलना में 28.8 प्रतिशत की न्यूनतर वृद्धि दर्शाता है। 2007-08 में अदृश्य मदों के भुगतान में 17.7 प्रतिशत (2006-07 में 29.3 प्रतिशत)की वृद्धि दर्ज की गई। अदृश्य भुगतान के प्रमुख घटक थे - यात्रा भुगतान, परिवहन, व्यवसाय सेवा भुगतान यथा व्यवसाय तथा प्रबंधन परामर्श; इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी सेवाएं; तथा लाभांश, लाभ और ब्याज भुगतान ।

**चार्ट II.24: अदृश्य मदों के अधिशेष में घट-बढ़**

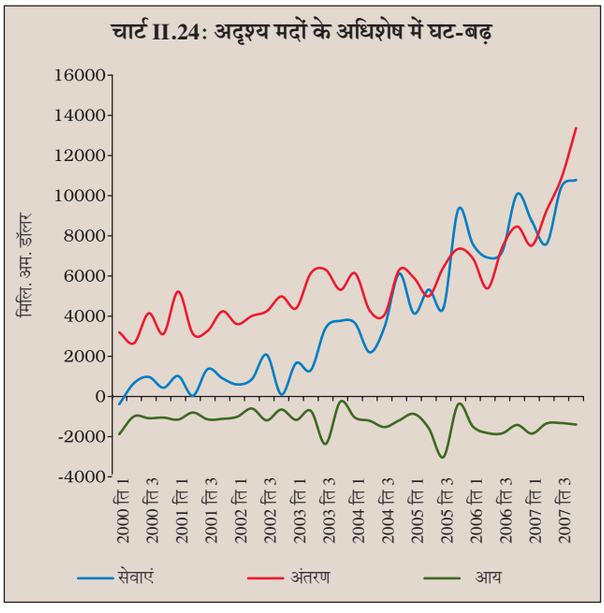


2.176 भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 2007-08 में 17.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो कच्चे तेल, पूंजीगत माल तथा सोना और चांदी के आयात में उच्च वृद्धि की अगुवाई में व्यापार घाटे में तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। डीजीसीआइएण्डएस के आंकड़ों के अनुसार, 2007-08 के दौरान तेल से इतर आयातों में 24.4 प्रतिशत (2006-07 में 22.2 प्रतिशत) की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान आयात में तीव्र वृद्धि दर्शानेवाले अन्य प्रमुख तेल से इतर उत्पाद थे - खाद्य तेल, उर्वरक, लोहा और इस्पात, मोती, मूल्यवान और अर्धमूल्यवान पत्थर, रसायन, वस्त्र, कोयला और कोक। डीजीसीआइएण्डएस के आंकड़ों के अनुसार, 2007-08 में तेल के आयात में 39.4 प्रतिशत (2006-07 में 30.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भारतीय बास्केट (ओमान, दुबई और ब्रेंट की किस्मों का मिश्रण) का औसत मूल्य पिछले साल की तदनुरूप अवधि के 62.4 अमरीकी डालर प्रति बैरल से बढ़कर 2007-08 में 79.5 अमरीकी डालर प्रति बैरल (65.5 अमरीकी डालर से 99.8 अमरीकी डालर प्रति बैरल के बीच ) हो गया।

### पूंजी खाता

2.177 2007-08 के दौरान भारत में 108.0 बिलियन अमरीकी डालर पूंजी का अंतर्वाह (निवल) हुआ, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में यह 45.8 बिलियन अमरीकी डालर था (सारणी 2.51)। 2007-08 के दौरान अनिवासी भारतीय जमाराशियों को छोड़कर पूंजी प्रवाह के सभी घटकों में उच्चतर अंतर्वाह दर्ज किया गया।

2.178 विदेशी निवेश अंतर्वाह सुदृढ़ बना रहा तथा 2007-08 में 61.8 बिलियन अमरीकी डालर का अंतर्वाह हुआ। प्रत्यक्ष निवेश (अनिगमित

**सारणी 2.51 : पूंजी प्रवाह (निवल)**

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

| मद | 2005-06सं. | 2006-07आ.सं. | 2007-08अ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| विदेशी प्रत्यक्ष निवेश | 3,034 | 8,479 | 15,545 |
| संविभाग निवेश# | 12,494 | 7,062 | 29,261 |
| बाह्य सहायता | 1,702 | 1,767 | 2,114 |
| बाह्य वाणिज्यिक उधार | 2,508* | 16,155 | 22,165 |
| एनआरआइ जमाराशि | 2,789 | 4,321 | 179 |
| अनिवासी भारतीय जमाराशियों को छोड़कर बैंकिंग पूंजी | -1,416 | -2,408 | 11,578 |
| अल्पावधि ऋण | 3,699 | 6,612 | 17,683 |
| रुपया ऋण | -572 | -162 | -121 |
| अन्य पूंजी | 1,232 | 3,953 | 9,627 |
| **कुल** | **25,470** | **45,779** | **108,031** |

अ : अनंतिम. आं.सं.: आंशिक रूप में संशोधित. सं.: संशोधित.

* : 5.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के इंडियन मिलेनियम डिपॉजिट का प्रभाव शामिल है।

\# : संविभाग निवेश में विदेशी वित्तीय संस्थाओं के निवल अंतर्वाह, भारतीय कंपनियों द्वारा एडीआर / जीडीआर तथा अपतटीय निधियों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन शामिल हैं।

**सारणी 2.52 : श्रेणी के अनुसार विदेशी निवेश अंतर्वाह**

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

| मद | | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 अ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **अ.** | **प्रत्यक्ष निवेश (I+II+III)** | **8,961** | **22,079** | **32,435** |
| I. | इक्विटी (क+ख+ग+घ) | 5,975 | 16,482 | 25,241 |
| | क. सरकार (एसआइए/एफआइपीबी) | 1,126 | 2,156 | 2,298 |
| | ख. भा.रि.बैं. | 2,233 | 7,151 | 17,129 |
| | ग. शेयर अभिग्रहण * | 2,181 | 6,278 | 5,148 |
| | घ. अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी # | 435 | 897 | 666 |
| II. | पुनर्निवेशित आय ** | 2,760 | 5,091 | 6,884 |
| III. | अन्य पूंजी *** | 226 | 506 | 310 |
| **आ.** | **संविभाग निवेश (क+ख+ग)** | **12,492** | **7,003** | **29,395** |
| | क. जीडीआर/एडीआर | 2,552 | 3,776 | 8,769 |
| | ख. एफआइआइ @ | 9,926 | 3,225 | 20,328 |
| | ग. अपतटीय निधि और अन्य | 14 | 2 | 298 |
| **ग.** | **कुल (अ+आ)** | **21,453** | **29,082** | **61,830** |

अ : अनंतिम.

* : अनिवासियों द्वारा फेमा, 1999 की धारा 6 के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के शेयरों के अभिग्रहण से संबंधित है।

\# : अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी के 2006-07 तथा 2007-08 के आंकड़े अनुमानित हैं।

** : पिछले दो वर्षों के औसत के आधार पर 2006-07 और 2007-08 के आंकड़ों का अनुमान लगाया गया है।

*** : आंकड़ो में एफडीआइ संस्थाओं के अंतर कंपनी ऋण लेनदेन शामिल हैं।

@ : आंकड़े वित्तीय एफआइआइ द्वारा निधियों का निवल अंतर्वाह दर्शाते हैं।

**टिप्पणी :** इस सारणी में प्रस्तुत विदेशी निवेश के आंकड़े देश में अंतर्वाह को दर्शाते हैं और हो सकता है अन्य सारणियों में प्रस्तुत आंकड़ों से मेल न खाएं। निवल एफआइआइ अंतर्वाह भी एफआइआइ द्वार शेयर बाजार में निवल निवेश से संबंधित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

संस्थाओं की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय तथा संबद्ध संस्थाओं के बीच अंतर - कंपनी ऋण लेनदेन सहित) के तहत भारत में 2007-08 के दौरान 32.4 बिलियन अमरीकी डालर का अंतर्वाह हुआ जो पिछले साल की तुलना में उच्चतर था (सारणी 2.52)। एफडीआइ अंतर्वाह में वृद्धि ने एफडीआइ नीति के युक्तियुक्तकरण/ उदारीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाया। भारत की उदारीकरण नीति के अनुक्रम में, दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआइ की अधिकतम सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई। एफडीआइ को मुख्य रूप से विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं और निर्माण में लगाया गया। मारीशस, सिंगापुर, नीदरलैंड तथा यूके भारत में एफडीआइ के प्रमुख स्रोत बने रहे।

2.179 2007-08 के दौरान एफआइआइ द्वारा सकल अंतर्वाह और सकल बहिर्वाह क्रमशः 226.6 बिलियन अमरीकी डालर और 206.3 बिलियन अमरीकी डालर पर उच्चतर थे जिसके फलस्वरूप 20.3 बिलियन अमरीकी डालर (2006-07 में 3.2 बिलियन अमरीकी डालर) का निवल अंतर्वाह हुआ। वर्ष 2007-08 के आरंभ में एफआइआइ ने बड़े पैमाने पर भारतीय स्टॉक बाजार में निवल निवेश किया, जो सुदृढ़ देशी आर्थिक कार्यकलाप तथा भारतीय रुपए की वृद्धिकारी प्रवृत्ति को दर्शाता है (सारणी 2.53 तथा चार्ट II.25)। जून-जुलाई 2007 के दौरान, एफआइआइ के निवल अंतर्वाहों में मुख्यतः दो बड़े आइपीओ तथा वैश्विक बाजारों में उपलब्ध अतिरिक्त चलनिधि के कारण वृद्धि हुई। तथापि अगस्त 2007 में पार्टिसिपेटरी नोट संबंधी एफआइआइ मानदंडों को सख्त बनाने, भारत सहित एशियाई स्टॉक बाजारों में मंदड़िया स्थिति, तथा आवास बाजार में और कमजोरी की चिंताओं के कारण अमरीकी स्टॉक बाजारों में बड़े पैमाने पर बिकवाली से संबंधी चिंताओं के कारण भारी मात्रा में निवल बहिर्वाह हुआ। इसके बाद, सितंबर 2007 में अंतर्वाहों में रिकार्ड वृद्धि हुई, जो मोटे तौर पर जनवरी 2008 तक बना रहा। जनवरी 2008 के दौरान, मुख्यतः दो बड़े निर्गमों में अभिदान के कारण एफआइआइ द्वारा 6.5 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह हुआ। तथापि मुख्यतः आइपीओ में अभिदान के लिए जनवरी 2008 में धन की वापसी किए जाने के कारण फरवरी 2008 में 9.0 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बहिर्वाह देखा गया।

2.180 बहिर्वाह मार्च 2008 से जुलाई 2008 तक जारी रहा, जिसका कारण यूएस सब-प्राइम संकट से उत्पन्न अस्थिर वैश्विक ऋण बाजार स्थितियों का बने रहना था। सेबी के पास पंजीकृत एफआइआइ की संख्या मार्च 2007 के अंत के 997 से बढ़कर 31 मार्च 2008 तक 1,319 तथा 31 जुलाई 2008 तक और बढ़कर 1,457 हो गई। विदेश

**सारणी 2.53: विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल अंतर्वाह/बहिर्वाह**

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

| माह | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अप्रैल | 3,276 | 1,963 | -1,432 |
| मई | -3,906 | 1,847 | -734 |
| जून | -1,157 | 3,279 | -3,011 |
| जुलाई | -595 | 4,685 | -499 |
| अगस्त | 1,212 | -3,323 | |
| सितंबर | 1,064 | 7,057 | |
| अक्तूबर | 1,703 | 6,833 | |
| नवंबर | 2,159 | -265 | |
| दिसंबर | -507 | 2,396 | |
| जनवरी | 24 | 6,490 | |
| फरवरी | 2,385 | -8,991 | |
| मार्च | -2,433 | -1,643 | |

में अमरीकी निक्षेपागार रसीदों (एडीआर)/वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (जीडीआर) द्वारा पूंजी का अंतर्वाह 2007-08 के दौरान 8.8 बिलियन अमरीकी डालर था (देखें सारणी 2.52)।

2.181 वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान, बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के तहत अंतर्वाह (निवल) पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के 16.2 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 22.2 बिलियन अमरीकी डालर पर उच्चतर था।

2.182 2007-08 के दौरान अनिवासी भारतीय जमाराशियों के तहत 179 मिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जो जनवरी 2007 तथा अप्रैल 2007 के दौरान अधिकतम ब्याज दरों में

**सारणी 2.54: एनआरआइ जमाराशि योजनाओं के अंतर्गत अंतर्वाह**

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

| योजना | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. एफसीएनआर(बी) | 1,612 | 2,065 | -960 |
| 2. एनआर(ई)आरए | 1,177 | 1,830 | 109 |
| 3. एनआरओ | 930 | 426 | 1,030 |
| **कुल** | **3,719** | **4,321** | **179** |

अधोमुखी संशोधन तथा अनिवासी बाह्य रुपया खाता (एनआर(ई)आरए) जमाराशियों से बड़े स्थानीय आहरण के प्रभाव को दर्शाता है। तथापि एनआर(ई) आरए जमाराशियों तथा अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया खाता खंडों के तहत अंतर्वाह हुए (सारणी 2.54 तथा चार्ट II.26)।

## विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

2.183 2007-08 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, पूंजीगत अंतर्वाह चालू खाता घाटा की तुलना में काफी अधिक थे, जो विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में मार्च 2007 के अंत की तुलना में 110.5 बिलियन अमरीकी डालर (मूल्यन सहित) की वृद्धि को दर्शाता है। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां, जिनमें विदेशी मुद्रा आस्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) तथा आइएमएफ में आरक्षित श्रृंखला स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं, 15 अगस्त 2008 को 296.2 बिलियन अमरीकी डालर (पिछले साल की तदनुरूप अवधि में 226.4 बिलियन अमरीकी डालर ) तक पहुंच गईं। मार्च 2008 के अंत में भारत उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच आरक्षित निधियों के स्टॉक का तीसरा सबसे बड़ा धारक तथा विश्व में चौथा सबसे बड़ा धारक था।

**चार्ट II.25: विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल अंतर्वाह / बहिर्वाह**

**चार्ट II.26: एनआरआइ की जमाराशियां - बकाया**

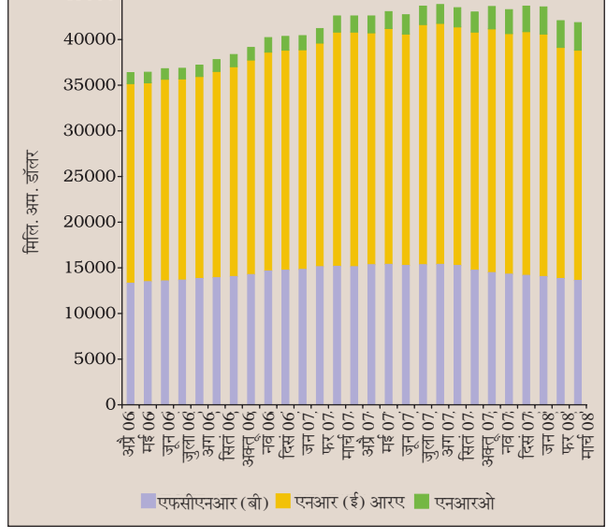

## भारत का बाह्य ऋण

2.184 मार्च 2008 के अंत में भारत का कुल बाह्य ऋण 221.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो मार्च 2007 के अंत की तुलना में 51.5 बिलियन अमरीकी डालर (30.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। अवधि के दौरान बाह्य ऋण में हुई वृद्धि का मुख्य कारण उच्चतर बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा उच्चतर अल्पावधि व्यापार ऋण था। भारतीय कंपनियों द्वारा उच्चतर बाह्य वाणिज्यिक उधार ने देशी और अंतरराष्ट्रीय दरों तथा हितकर विनिमय दर संबंधी प्रत्याशाओं के बीच मौजूद ब्याज संबंधी अंतर को दर्शाया। इसके अलावा, वर्ष 2007-08 के दौरान बाह्य ऋण में 51.5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि में से, अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं तथा भारतीय रुपए की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्यह्रास को दर्शानेवाला मूल्यन प्रभाव 9.9 बिलियन अमरीकी डालर था। 180 दिनों की परिपक्वता तक के आपूर्तिकर्ता ऋणों तथा अल्पावधि ऋण लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश को मार्च 2005 से भारत के अल्पावधि ऋण में शामिल किया गया है। बकाया अल्पावधि ऋण मार्च 2007 के अंत के 26.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 44.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जो बाह्य ऋण में कुल वृद्धि का 34.8 प्रतिशत था (सारणी 2.55)। अमरीकी डालर अग्रणी मुद्रा बना रहा, जिसमें भारत के बाह्य ऋण को मूल्यवर्गित किया गया, जो कुल ऋण का लगभग 57.1 प्रतिशत था (चार्ट II.27)।

2.185 2007-08 के दौरान ऋण की धारणीयता के संकेतक सुखद स्तरों पर रहे। जीडीपी के प्रति बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2007 के अंत के 17.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 18.8 प्रतिशत हो गया। मार्च 1995 के अंत में यह अनुपात 30.8 प्रतिशत था। ऋण चुकौती

**चार्ट II.27: भारत के बाहरी ऋण की मुद्रा संरचना - मार्च 2008 के अंत की स्थिति**

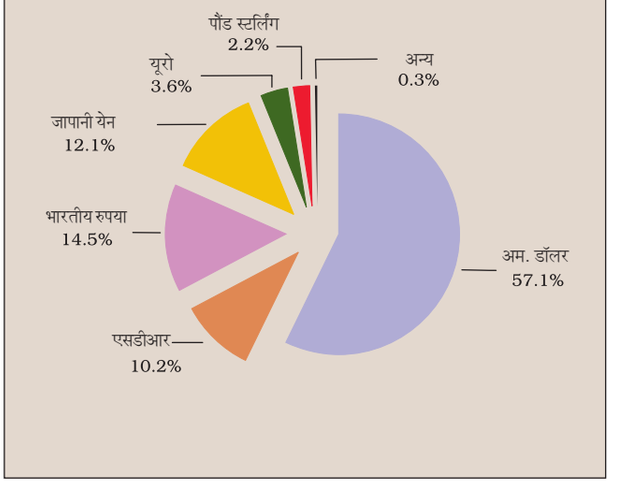


अनुपात 2006-07 के 4.8 प्रतिशत तथा 2005-06 के 9.9 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 5.4 प्रतिशत रखा गया। 2007-08 के दौरान अल्पावधि ऋण में हुई वृद्धि को दर्शाते हुए, कुल ऋण के प्रति अल्पावधि ऋण तथा आरक्षित निधियों के प्रति अल्पावधि ऋण का अनुपात बढ़कर क्रमशः 20.0 प्रतिशत तथा 14.3 प्रतिशत हो गया। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां बाह्य ऋण की तुलना में 88.5 बिलियन अमरीकी डालर अधिक थीं तथा उन्होंने मार्च 2008 के अंत में बाह्य ऋण स्टॉक को 140.0 प्रतिशत का कवर प्रदान किया (सारणी 2.55)।

**सारणी 2.55: भारत का बाह्य ऋण**

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

| मद | मार्च 1995 के अंत में | मार्च 2005 के अंत में | मार्च 2006 के अंत में | मार्च 2007 के अंत में | मार्च 2008 के अंत में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. बहुपक्षीय | 28,542 | 31,744 | 32,620 | 35,337 | 39,312 |
| 2. द्विपक्षीय | 20,270 | 17,034 | 15,761 | 16,061 | 19,613 |
| 3. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. व्यापार ऋण (1 वर्ष से अधिक) | 6,629 | 5,022 | 5,420 | 7,051 | 10,267 |
| 5. बाह्य वाणिज्यिक उधार | 12,991 | 26,405 | 26,452 | 41,657 | 62,019 |
| 6. एनआरआइ जमाराशि | 12,383 | 32,743 | 36,282 | 41,240 | 43,672 |
| 7. रुपया ऋण | 9,624 | 2,302 | 2,059 | 1,947 | 2,016 |
| 8. दीर्घावधि (1 से 7) | 94,739 | 115,250 | 118,594 | 143,293 | 176,899 |
| 9. अल्पावधि | 4,269 | 17,723 | 19,539 | 26,376 | 44,313 |
| कुल (8+9) | 99,008 | 1,32,973 | 1,38,133 | 1,69,669 | 2,21,212 |
| कुल ऋण/जीडीपी | 30.8 | 18.6 | 17.2 | 17.8 | 18.8 |
| अल्पावधि/कुल ऋण | 4.3 | 13.3 | 14.1 | 15.5 | 20.0 |
| अल्पावधि ऋण/आरक्षित निधियां | 16.9 | 12.5 | 12.9 | 13.2 | 14.3 |
| रियायती ऋण/कुल ऋण | 45.3 | 30.9 | 28.6 | 23.3 | 19.9 |
| आरक्षित निधियां/कुल ऋण | 25.4 | 106.4 | 109.8 | 117.4 | 140.0 |
| ऋण चुकौती अनुपात | 25.9 | 6.1 | 9.9 | 4.8 | 5.4 |

## VIII. समग्र मूल्यांकन

2.186 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ वृद्धि बनी रही, यद्यपि पिछले साल की तुलना में कुछ कमी आई। आइएमडी द्वारा वर्षा के पूर्वानुमान की तुलना में दक्षिण-पश्चिम मानसून का कार्य-निष्पादन बेहतर था। इस मंत्रालय द्वारा जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2007-08 के दौरान कुल खाद्य उत्पादन रिकार्ड ऊंचाई पर होने का अनुमान था। मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में कमी के कारण 2007-08 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि कम हो गई। तथापि, पूंजीगत माल क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि दिखनी जारी रही। 2007-08 के दौरान सेवा क्षेत्र में दुहरे अंकों की वृद्धि बनी रही। सीएसओ द्वारा लगाए गए संशोधित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र में दुहरे अंकों की वृद्धि दर बनी रहेगी, हालांकि समग्र वृद्धि 2006-07 की तुलना में थोड़ी कम होगी। सीएसओ के संशोधित अनुमानों में 2007-08 के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 9.0 प्रतिशत पर रखा गया।

2.187 2007-08 के लिए केंद्र सरकार के संशोधित अनुमानों के तहत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा बजट अनुमानों की तुलना में निम्नतर रखा गया। ऐसा राजस्व प्राप्तियों, विशेष तौर पर प्रत्यक्ष करों, में उछाल द्वारा संभव होगा जिसकी मात्रा ब्याज भुगतान तथा सब्सिडी के लिए उच्चतर प्रावधानों के कारण व्यय में हुई वृद्धि को प्रतितुलित करने से अधिक थी। 2008-09 के बजट अनुमानों में एक ओर कर प्राप्तियों में उछाल तथा दूसरी ओर बेहतर व्यय प्रबंधन के आधार पर सभी प्रमुख घाटा संकेतकों में और कटौती की गई। यद्यपि 2008-09 तक जीडीपी के 3.0 प्रतिशत पर जीएफडी प्राप्त करने का एफआरबीएम लक्ष्य प्राप्त किया जाना था, 2008-09 तक शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करने के लक्ष्य को काफी राजस्व व्यय वाले योजना कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन के कारण पुनर्निर्धारित करना पड़ा। तेल बांडों से बजट बाह्य दबाव, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में छठे वेतन संशोधन, उर्वरक सब्सिडी तथा अल्पावधि में योजनेतर व्ययों को नियंत्रित करने में प्रणालीगत जटिलता 2008-09 में केंद्र सरकार के वित्त पर कुछ दबाव डाल सकती है।

2.188 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित मुद्रास्फीति 2007-08 के पहले आठ महीनों में मोटे तौर पर कम रही तथा दिसंबर 2007 के बाद प्राथमिक खाद्येतर वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतें बढ़ने के कारण उसमें तेजी आई। साल-दर-साल आधार पर मार्च 2008 के अंत में मुद्रास्फीति 7.7 प्रतिशत थी। तथापि, औसत वार्षिक आधार पर, 2007-08 के दौरान 4.7 प्रतिशत पर मुद्रास्फीति पिछले साल की तुलना में कम थी। खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण जनवरी 2008 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर आधारित मुद्रास्फीति कम हुई। तथापि, बाद में सीपीआइ मुद्रास्फीति अनाज, ईंधन तथा सेवाओं (विविध समूहों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई मदों ) के मूल्यों में वृद्धि के कारण बढ़ गई। आंशिक रूप से वैश्विक गतिविधियों के कारण हाल के महीनों में मुद्रास्फीति पर अप्रत्याशित आपूर्ति पक्ष के दबावों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने कई उपाय किए, यथा गेहूं और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती, गैर बासमती चावल, खाद्य तेल और दालों के निर्यात पर पाबंदी, बासमती चावल से संबंधित न्यूनतम निर्यात मूल्य में वृद्धि, चावल, स्किम्ड मिल्क पावडर, खाद्य तेल, बटर ऑइल तथा मक्के पर सीमा शुल्क में कटौती । अन्य प्रशासनिक उपाय भी शुरू किए गए, यथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने के लिए चुनिंदा कृषि उत्पादों पर स्टॉक सीमा लगाना। मार्च 2008 के अंत तथा 29 जुलाई 2008 के बीच, रिज़र्व बैंक ने सीआरआर में 150 आधार अंकों (30 अगस्त 2008 से लागू 25 आधार अंकों सहित) तथा रिपो दर में 125 आधार अंकों की वृद्धि जैसे मौद्रिक उपायों की घोषणा भी की। सरकार द्वारा आपूर्ति प्रबंधन तथा रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक उपायों संबंधी हाल की पहलों से आशा है कि निकट भविष्य में मुद्रास्फीति पर मंदकारी प्रभाव पड़ेगा।

2.189 2007-08 के दौरान वित्तीय बाजार की स्थितियां व्यवस्थित बनी रहीं, इक्विटी बाजार को छोड़कर जिसमें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों की प्रवृत्तियों के अनुरूप अस्थिरता के दौर देखे गए। रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार के पूंजी प्रवाहों तथा नकदी शेष में परिवर्तन के कारण मुद्रा बाजार में अस्थिरता के संक्षिप्त दौर देखे गए। मुद्रा बाजार की ब्याज दरें वर्ष की दूसरी छमाही के अधिकांश भाग में रिवर्स रिपो तथा रिपो दरों द्वारा निर्धारित अनौपचारिक कॉरिडोर के भीतर बनी रहीं। विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपए में आम तौर पर वर्ष के दौरान दुतरफा गतिविधियां दिखाई दीं। वर्ष के अधिकांश भाग में सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रतिफलों में नरमी रही।

2.190 सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्य-निष्पादन के समर्थन से 2006-07 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रों में अच्छी गति से विस्तार बना रहा। वर्ष के दौरान अच्छी ऋण वृद्धि के साथ आस्ति गुणवत्ता में सुधार भी आया। बैंकिंग की लाभप्रदता में सुधार हुआ तथा वे पिछले वर्ष के स्तर पर सीआरएआर बनाए रखने में समर्थ रहे।

2.191 2007-08 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति सुखद बनी रही। व्यापार घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, मुख्यतः उच्चतर निजी विप्रेषणों तथा सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात की अगुवाई में अदृश्य खातों में अधिशेष बढ़ने के कारण चालू खाता घाटा नियंत्रित रखा गया। 2007-08 के दौरान निवल पूंजी अंतर्वाह 2006-07 के 45.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 108.0 बिलियन अमरीकी डालर पर अधिक बना रहा। वर्ष के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में 110.5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई

और वह मार्च 2008 के अंत तक 309.7 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गई।

2.192 अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण 2008 में वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप मंद होने का अनुमान है। इसके अलावा, ऐसी आशंका है कि वित्तीय उथल-पुथल का असर वास्तविक क्षेत्र तक फैल जाएगा जिसका रोजगार और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 2007-08 में सुदृढ़ मांग और घटते हुए स्टॉक से प्रेरित होकर खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति वैश्विक स्थिरता के लिए प्रमुख जोखिम बन गई। कच्चे तेल की कम उपलब्ध अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के साथ कई तेल निर्यातक देशों में आपूर्ति की चिंताओं के कारण विश्व में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहीं। 2007-08 के दौरान परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं तथा ईएमई दोनों में मुद्रास्फीतिकारी दबाव दिखाई दे रहे थे, यद्यपि ईएमई में यह अधिक मुखर था । कई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीतिकारी दबाव में वृद्धि के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गईं।

2.193 2008-09 के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 2008) में यह नोट किया गया कि 2007-08 के दौरान वैश्विक तथा देशी दोनों गतिविधियों में आरंभिक आकलनों की तुलना में उल्लेखनीय बदलाव देखे गए। वक्तव्य के अनुसार वैश्विक मंदी के खतरे बढ़ रहे थे यद्यपि इस बात पर सहमति थी कि सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तविक नीति वक्तव्य में यह भी नोट किया गया कि अभूतपूर्व जटिलताओं तथा अत्यधिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, कुछ ऐसे प्रमुख कारक हैं जिन्होंने 2008-09 के लिए मौद्रिक नीति के रुख के निर्धारण को नियंत्रित किया। पहला, अनाज और ऊर्जा के बढ़े हुए और अस्थिर मूल्य, जिनमें संभवतः कुछ संरचनागत घटक हैं, तात्कालिक चुनौती है। तथापि यह मानना आवश्यक है कि उनके विकास में कुछ चक्रीय घटक भी हैं। दूसरा, जहां मांग के दबाव बने हुए हैं, वहीं समर्थक नीतिगत माहौल से अतिरिक्त क्षमताओं के निर्माण के साथ देशी आपूर्ति संबंधी प्रतिसाद में कुछ सुधार हुआ है। तदनुसार, निवेश मांग सुदृढ़ बने रहने पर भी, आपूर्ति संबंधी लचीलेपन में और सुधार हो सकता है तथा आनेवाले महीनों में नयी क्षमताएं आ सकती हैं। तीसरा, सितंबर 2004 से की जा रही सोची समझी मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाइयों का अर्थव्यवस्था पर कुछ स्थिरकारी प्रभाव बना रहेगा। साथ ही, भारत सरकार द्वारा आपूर्ति प्रबंधन के संबंध में किए गए हाल के पहल तथा रिज़र्व बैंक द्वारा नकदी आरक्षित अनुपात के संबंध में किए गए उपाय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की प्रक्रिया में हैं, यद्यपि मुद्रास्फीति की संभावना उस समय फसल की संभावनाओं के अधिक विश्वसनीय आकलन पर निर्भर होगी। चौथा, मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए वैश्विक और घरेलू दोनों गतिविधियों संबंधी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। तदनुसार, प्रत्याशाओं के प्रबंधन के लिए नीतिगत प्रतिसादों में वैश्विक उत्पादन वृद्धि की मंदी के चारों ओर घिरी वैश्विक एवं देशी अनिश्चितताओं तथा साथ ही भारत के संदर्भ में अतिरंजित मंदी की संभाव्यता पर विचार किया जाना चाहिए। पांचवां, जहां मौद्रिक नीति को तात्कालिक चिंताओं के प्रति सक्रिय रूप से रेस्पांड करना चाहिए, इसमें समग्र समष्टि आर्थिक संभावनाओं के संबंध में अपेक्षाकृत दीर्घतर परिप्रेक्ष्य, यथा एक से दो साल तक, में किए जानेवाले सोच- विचार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही मौजूदा स्थिति में मुद्रास्फीतिकारी संभावनाओं के संबंध में प्रतिकूल गतिविधियों के किसी संकेत को नियंत्रित करने के लिए निर्णायक रूप से, कारगर रूप से और तुरंत निरंतर आधार पर कार्रवाई करने के निश्चय को दर्शाना महत्वपूर्ण है। उक्त अभूतपूर्व अनिश्चितताओं और द्विविधाओं को देखते हुए, नीतिगत कार्रवाइयों के समय और परिमाण के संबंध में सूचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है; तथा यह जरूरी है कि ऐसे निर्णय में निरंतर आधार पर आनेवाली जानकारी के मूल्यांकन का लाभ निहित हो।

2.194 अप्रैल 2008 में जारी वार्षिक नीति वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने 2008-09 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.0 से 8.5 प्रतिशत के आसपास होने का अनुमान लगाया, जिसे जुलाई 2008 के मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा संबंधी वक्तव्य में 8.0 प्रतिशत के आसपास रखा गया। इस पृष्ठभूमि में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किन्हीं प्रतिकूल और अप्रत्याशित गतिविधियों के उदय को छोड़कर तथा वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए संभावना सहित अर्थव्यवस्था के मौजूदा आकलन को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में मौद्रिक नीति के समग्र रुख का मोटे तौर पर निम्नानुसार उल्लेख किया गयाः (i) ऐसा मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जिसमें मूल्य स्थिरता, सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तथा वित्तीय बाजार में व्यवस्थित स्थितियों को, वृद्धि की गति जारी रखने में सहायक होने के साथ, उच्च प्राथमिकता दी जाए; (ii) मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता तथा वृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों तथा देशी स्थितियों के विकसित हो रहे समूह के प्रति उपयुक्त परंपरागत एवं गैर परंपरागत दोनों तरह के उपायों से निरंतर आधार पर तुरंत रेस्पांड करना; तथा (iii) वित्तीय समावेशन का अनुसरण करते हुए रोजगार प्रधान क्षेत्रों के लिए ऋण की गुणवत्ता तथा ऋण की सुपुर्दगी पर विशेष रूप से बल देना।

# III भारत में बैंकिंग का विकास

3.1 बैंकिंग की कहानी पूरे विश्व में कमोबेश रूप से एक जैसी है। इसका विकास साहूकारों के द्वारा जमाराशियां स्वीकार करके उसके बदले में जमा रसीदें जारी करने से होता है। केंद्रीय बैंकिंग जाँच समिति (1931) के अनुसार भारत में राशि उधार देने संबंधी कार्य की जड़ें वैदिक काल अर्थात 2000 से 1400 ईसी पूर्व में पाई जा सकती हैं। भारत में प्रोफेशनल बैंकिंग का अस्तित्व 500 ईसा पूर्व पाया गया है। 400 ईसा पूर्व के पहले *कौटिल्य अर्थशास्त्र* में लेनदारों, उधारदाताओं और उधार की दरों के बारे में उल्लेख पाया जाता है। बैंकिंग का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था और यह अर्थव्यवस्था में व्यापार, वाणिज्य, कृषि और व्यक्तियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरो करता था। श्री डब्ल्यू.ई. प्रेस्टन, भारतीय मुद्रा और वित्त पर 1926 में स्थापित रॉयल कमीशन के सदस्य, ने टिप्पणी की है कि ''.... इसे स्वीकार किया जाए कि इंग्लैंड को बैंकिंग विज्ञान की जानकारी होने से कई शताब्दी पूर्व भारत की तत्कालीन आवश्यकताओं के पूर्णतया अनुरूप बैंकिंग प्रणाली भारत में प्रचलन में थी।''[1] देशभर में भारतीय बैंकिंग गृहों का विस्तृत नेटवर्क फैला हुआ था जो वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों को एक-दूसरे से जोड़ता था। आपसी व्यवहार में वे अंतर्देशीय विनिमय-पत्रों अथवा हुंडियों का प्रयोग करते थे जो भारतीय बैंकरों और उनके क्षेत्र के बाहर के संपर्कों के बीच लेनदेन में प्रमुख भूमिका अदा करते थे।[2] भारत में प्रचलित तत्कालीन बैंकिंग प्रथाएं यूरोप में प्रचलित प्रथाओं से बिल्कुल अलग थीं। हुंडियों का नकारा जाना अपवाद ही था। अधिकतर बैंकिंग का कार्य आपसी विश्वास, भरोसा और बिना किसी प्रतिभूति और सुविधा के ही किया जाता था जबकि इनकी मौजूदगी ब्रिटिश बैंकरों के लिए अनिवार्य समझी जाती थी। नॉर्थकोट कुक की यह टिप्पणी कि ''. . .यह सच्चाई कि इस देश में बैंकिंग के जनक यूरोपियन नहीं थे, हमें किसी विस्मय में नहीं डालता।''[3] बैंकिंग विनियमन का भी लंबा इतिहास है जिसका विकास भारत में बैंकिंग के साथ-साथ हुआ है। वस्तुतः गौरवग्रंथ 'अर्थशास्त्र' में भी बैंकों के परिसमापन के बारे में मानदंडों का उल्लेख मिलता है। यदि कोई दिवालिया हो जाता था तो राज्य के प्रति उसकी देनदारी को अन्य लेनदारों की तुलना में प्राथमिकता मिलती थी (लीलाधर, 2007)।

3.2 स्वतंत्रतापूर्व की अवधि में मुख्य रूप से निजी बैंकों का ही अस्तित्व था जिनका गठन संयुक्त उद्यम कंपनियों के रूप में हुआ करता था। अधिकतर बैंक छोटे हुआ करते थे और इनमें घनिष्ठ रूप से जुड़े विभिन्न लोगों की निजी शेयरधारिता हुआ करती थी। आम तौर पर वे स्थानीय स्तर पर कार्य करते थे और इनमें से अधिकतर विफल हो गए। ये सभी रिज़र्व बैंक,जिसकी स्थापना केंद्रीय बैंक के रूप में 1935 में हुई थी, दायरे में आ गए। परंतु विनियमन और पर्यवेक्षण की प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और कंपनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के द्वारा सीमित थी। देशी बैंकर और साहूकार इस प्रणाली के संस्थागत भाग से आम तौर पर अलग-थलग ही रहे। सूदखोरी संबंधी नेटवर्क अभी भी व्यापक था और शोषण में लगा था। ऋण प्राप्ति के लिए एकमात्र उम्मीद सहकारी ऋण थे परंतु केवल कुछ ही क्षेत्रों में यह अभियान सफल रहा था।

3.3 स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में (1947 से 1967) अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में कई चुनौतियां सामने आईं जो ग्रामीण क्षेत्र में बाजार के विफल रहने का क्लासिक मामला सामने रखता है जिसमें सूचना की असममिति ने बैंकों का प्रसार सीमित कर दिया था। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में आस्ति उपलब्ध न होने के कारण भी बैंकों तक लोगों की पहुँच होने में कठिनाई आई। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के उपक्रम का अंतरण भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) को किए जाने और बाद में कम बैंकिंग सुविधा वाले और बैंक रहित केंद्रों में इसके बड़े पैमाने पर हुए विस्तार के साथ ही ऐसे क्षेत्रों में संस्थागत ऋणों की उपलब्धता हुई जो अभी तक बैंक रहित थे। ऋण गारंटी और जमाराशि बीमा जैसे सक्रिय उपाय किए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और बचत की आदतें बढ़ीं। तथापि संबद्ध उधारी की कुछ समस्याएं थीं क्योंकि कई बैंक बिजनेस घरानों के नियंत्रण में थे।

3.4 1967 से 1991 की अवधि में प्रमुख घटनाएं अर्थात 1967 में बैंकों को सामाजिक नियंत्रण में लाया गया तथा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया और 1980 में छह और बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीकरण बैंकिंग प्रणाली के सीमित संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध विकास के लिए करने का प्रयास था। बैंकों के लिए छोटे-छोटे खाते बड़ी तादाद में रखना लाभदायक कार्य नहीं था जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उधार बांटने का उनका कार्य सीमित था। बैंकों के असमान वितरण की समस्या और कतिपय प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने की

[1] भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जाँच समिति(1931),अध्याय II,पृष्ठ 11में यथाउद्धृत।

[2] ऋण लिखतों का सबसे पुराना रूप हुंडी है जो 12वीं शताब्दी में प्रयोग किया जाता था। कुछ देशी बैंकों द्वारा 'खाता पट्टा' प्रणाली के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार की जाती थीं। तथापि अधिकतर देशी बैंक, यथा-मुल्तानी और मारवाडी, जमाराशियां स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि वे अपनी स्वयं की निधियों पर निर्भर करते थे। देखें, बागची (1987)।

[3] नॉर्थकोट कुक, 'राइस एण्ड प्रोगेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया' (1863) - टंडन द्वारा उद्धृत (1988)।

आवश्यकता स्पष्ट तौर पर न बताए जाने की समस्या का अंत सबसे पहले बैंकों को सामाजिक नियंत्रण में लाकर और बाद में 1969 तथा 1980 में उनका राष्ट्रीकरण करके किया जाना था। अग्रणी बैंक योजना ने बैंक शाखाओं का और विस्तार करने के लिए नक्शा तैयार किया। 1969 से भारत में बैंकिंग के विकास में बैंकों के राष्ट्रीकरण का सर्वाधिक योगदान रहा। इस अवधि में तीव्र गति से शाखाओं में विस्तार हुआ जिसके कारण पूरे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक मुद्रा के प्रेषण के लिए सरणियों की उपलब्धता में मदद मिली। असंगठित ऋण की हिस्सेदारी में भारी-भरकम कमी आई और अर्थव्यवस्था संतुलन जाल के न्यून स्तर से उभरती प्रतीत हुई। तथापि, जिन अनुबंधों ने इसे सफल बनाया और संस्थागत ऋण का प्रसार करने में मदद की तथा वित्तीय प्रणाली का पोषण किया, उनके चलते ही प्रक्रिया में गडबड़ी भी आई। नियंत्रित ब्याज दरों और निदेशित ऋण देने के भार ने बैंकिंग क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से निरूद्ध किया। वाणिज्य बैंकों को अत्यल्प परिचालनात्मक लचीलापन ही उपलब्ध था। लाभप्रदता की बात पृष्ठभूमि में चली गई। बैंकों को खराब अभिशासन से भी नुकसान उठाना पड़ा। वित्तीय क्षेत्र बन चुका था अर्थव्यवस्था की 'कमजोर कड़ी' (रंगराजन, 1998)। भारतीय अर्थव्यवस्था का सौभाग्य था कि इन मुद्दों का हल शीघ्र निकाल लिया गया।

3.5 1990 के दशक की प्रारंभिक अवधि बैंकिंग क्षेत्र में आमूल परिवर्तनों का गवाह रही है जो वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के परिणामस्वरूप था जिन्हें 1991में संरचनात्मक सुधारों के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। वित्तीय क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया प्रारंभ करने का मूल उद्देश्य था बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ और लचीला बनाना। विनियामक और पर्यवेक्षी मानदंडों को सशक्त करने के क्षेत्र में प्राप्त की गई सफलता के कारण भागीदारों में उच्च जवाबदेही और बाजार अनुशासन विकसित हुआ। विभिन्न क्षेत्रों जैसे-विवेकपूर्ण मानदंड, जोखिम प्रबंध, पर्यवेक्षण, कारपोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता तथा प्रकटन में क्रमिक रूप से भारतीय स्थितियों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क प्राप्त करने की दिशा में रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत रहा है। सुधार की प्रक्रिया ने बैंकिंग क्षेत्र के प्रबंध को उस स्तर तक पहुँचाने में सहायता की जहाँ रिज़र्व बैंक वाणिज्य बैंकों का व्यष्टि प्रबंध करना बंद कर चुका था और समष्टि लक्ष्यों पर अपना अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था।विनियमों में ढील और उदारीकरण के साथ-साथ बैंकों की बढ़ी हुई जवाबदेही पर ध्यान केन्द्रित किए जाने के फलस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र लचीला और कई प्रकार की नई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सका।

3.6 उपर्युक्त की पृष्ठभूमी में यह अध्याय भारत में बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास की खोज करता है। यद्यपि केंद्र बिंदु में स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है तथापि इसका प्रारंभ बैंकिंग के प्रारंभिक काल की तस्वीर मोटे रूप में रखते हुए होता है। यह अध्याय छह खंडों में बंटा हुआ है। खंड II में स्वतंत्रतापूर्व अवधि के इतिहास की कथा कही गई है। खंड III में 1947 से 1967 के बीच बैंकिंग क्षेत्र में हुई प्रमुख गतिविधियों का चित्रण किया गया है। खंड IV में 1967 से 1991 की अवधि में हुई प्रमुख गतिविधियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। 1991 और इसके आगे की अवधि में हुई गतिविधियों का उल्लेख खंड V में किया गया है। खंड VI में चर्चा की मुख्य बिंदुओं का सार दिया गया है।

## II. भारत में बैंकिंग का प्रारंभिक चरण - 1947 तक

### भारत में बैकिंग का प्रारंभ

3.7 स्वतंत्रता तक की अवधि में भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नींव स्थापित हुई। संयुक्त स्टॉक प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग, जो अन्यत्र विश्व में व्याप्त था, की शुरुआत अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। संयुक्त स्टॉक बैंकिंग की पश्चिमी किस्म भारत में कलकत्ता और बॉम्बे (अब कोलकाता और मुंबई) की इंग्लिश एजेंसी गृहों द्वारा लायी गई। संयुक्त स्टॉक किस्म का पहला बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे था, जिसकी स्थापना 1720 में बॉम्बे में हुई[4]। इसके पश्चात कलकत्ता में एजेंसी हाउस के द्वारा 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई[5]। यह एजेंसी हाउस तथा उससे बना बैंक 1832 में बंद हो गया। गवर्नर वॉरेन हस्टिंग (बाद में गवर्नर जनरल) के प्रस्ताव के बाद जनरल बैंक ऑफ बंगाल एण्ड बिहार, जो 1773 में अस्तित्व में आया, की स्थापना हुई परंतु यह थोड़े समय तक ही जीवित रह सका[6]। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और प्रशासन में वृद्धि होने के बाद सारा व्यापार कलकत्ता में केंद्रित हो गया था। इसके साथ आधुनिक बैंकिंग सेवाएं बढ़ीं। विदेश व्यापार के वित्तपोषण और ब्रिटिश सैन्य कार्मिकों और सिविल सेवा-कर्मियों द्वारा अर्थप्रेषण किए जाने के लिए एक समान करेंसी की आवश्यकता हुई। पहला 'प्रेसिडेंसी बैंक' 2 जून 1806 को 50 लाख रुपए की पूंजी के साथ कलकत्ता में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित हुआ था। सरकार ने इसकी शेयर पूंजी में 20 प्रतिशत का अभिदान किया और मताधिकार सहित निदेशकों की नियुक्ति का विशेषाधिकार अपने हाथ में रखा। सरकार को निभाव देने के लिए राजकोष बिलों की भुनाई करना बैंक का काम था। बैंक को नोट जारी करने का अधिकार 1823 में दिया गया। 1840 में दूसरे प्रेसिडेंसी बैंक 'बैंक ऑफ बाम्बे', की स्थापना 52 लाख रुपए की पूंजी के साथ हुई और तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक 'बैंक ऑफ मद्रास' की स्थापना 30 लाख रुपए की पूंजी के साथ

[4] भारतीय रिज़र्व बैंक (2006)
[5] भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति (1931)
[6] भारतीय रिज़र्व बैंक (इतिहास), खंड I, पृष्ठ 6

जुलाई 1843 में हुई। इन बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता था क्योंकि इनकी स्थापना 3 प्रेसिडेंसियों में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए देश में प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र की इकाइयां थीं, हुई थी। प्रेसिडेंसी बैंक रॉयल चार्टर के द्वारा शासित थे। प्रेसिडेंसी बैंक पेपर करेंसी अधिनियम, 1861 का बनने तक करेंसी नोटों का निर्गम करते रहे। इस अधिनियम के आने के साथ प्रेसिडेंसी बैंकों के द्वारा करेंसी नोट निर्गम का अधिकार समाप्त हो गया और उनका यह कार्य सरकार को सौंप दिया गया।

3.8 कंपनी अधिनियम, 1850 में अधिनियमित हुआ, संभवतः बैंकों के लिए पहला औपचारिक विनियमन था। इस अधिनियम में, जो 1844 में ग्रेट ब्रिटेन में ठीक इसी प्रकार के अधिनियम पर आधारित था, बैंकिंग और बीमा कंपनियों के लिए 1860 तक असीमित देयता की शर्तें लगायी गईं जैसाकि शेष विश्व में भी प्रचलित था। 1860 में ब्रिटेन में सीमित देयता के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए भारतीय कानून में भी इसकी अनुमति दी गई। सीमित देयता के कारण इस अवधि में बैंकिंग कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई। बैंक ऑफ बॉम्बे के ध्वस्त होने के बाद जनवरी 1868 में न्यू बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई।

3.9 प्रेसिडेंसी बैंक अधिनियम, जो 1876 में अस्तित्व में आया, ने तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को एक समान कानून के अंतर्गत ले लिया और उनके कारोबार पर कुछ प्रतिबंध लगाए। इसके तहत ये बैंक अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी बिलों का जोखिम भरा कारोबार और 6 माह से अधिक समय के लिए उधार देने हेतु विदेश से उधार लेने का कारोबार नहीं कर सकते थे। 1876 के अधिनियम XI के अनुसरण में भारत सरकार ने चार्टर को सख्ती से लागू करने और इन बैंकों की बहियों का आवधिक निरीक्षण करने का निर्णय किया। तथापि सरकार के स्वाम्य संबंध को समाप्त कर दिया गया, परंतु इन तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में लोक ऋण कार्यालयों का प्रभार इन बैंकों के हाथ में ही रहा और सरकार की शेष राशियों के एक अंश की कस्टडी भी इन्हीं बैंकों के हाथ में रही। इस अधिनियम में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में रिज़र्व राजकोष निर्मित करने की व्यवस्था भी की गई है जिनमें प्रेसिडेंसी बैंकों के प्रति वचनबद्ध विनिर्दिष्ट न्यूनतम शेष राशि से अधिक राशि सिर्फ उनके मुख्यालयों में जमा की जानी थी। इस प्रकार के रिज़र्व राजकोषों से सरकार प्रेसिडेंसी बैंकों को उधार दे सकती थी। इस अधिनियम ने सरकार को इन बैंकों की बहियों के आवधिक निरीक्षण जैसे कुछ कड़े उपाय करने में सक्षम बनाया। बड़े बैंकों को निजी शेयरधारिता कंपनियों के रूप में संगठित किया गया जिसमें अधिकांश शेयरधारक यूरोपियन थे।

3.10 सबसे पहला भारतीय स्वामित्ववाला बैंक था इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना इलाहाबाद में 1865 में हुई थी। इसके बाद दूसरा बैंक था पंजाब नैशनल बैंक, जिसकी स्थापना लाहौर में 1895 में हुई थी तथा इसके पश्चात तीसरा बैंक था बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1906 में मुंबई में हुई थी। इन सभी बैंकों की स्थापना निजी स्वामित्व के अंतर्गत हुई थी। 1906 के स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वामित्ववाले संयुक्त पूंजी बैंकों को गति प्रदान की तथा 1906 और 1913 के बीच कई अन्य भारतीय वाणिज्य बैंकों यथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, और बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई। दिसंबर 1913 के अंत तक देश में कुल रिपोर्टिंग वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 3 प्रेसिडेंसी बैंकों, 18 श्रेणी 'ए' बैंकों (5 लाख रुपए से अधिक पूंजीवाले बैंक), 23 श्रेणी 'बी' बैंकों (1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक पूंजीवाले बैंक) तथा 12 विनिमय बैंकों को सम्मिलित करते हुए 56 हो गई थी। विनियम बैंक विदेशी स्वामित्ववाले बैंक होते थे जो मुख्य रूप से विदेशी विनिमय बिलों तथा यात्रा और व्यापार के लिए विदेशी विप्रेषण के रूप में विदेशी मुद्रा का कारोबार करते थे। क्लास 'ए' और 'बी' संयुक्त स्टॉक बैंक थे। तथापि, इस अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में प्रेसिडेंसी बैंकों का आधिपत्य था जैसा कि प्रदत्त पूंजी और जमाराशियों को देखने से पता चलता है (सारणी 3.1)।

**सारणी 3.1 : बैंकों की संख्या, पूंजी और जमाराशियां**

(राशि लाख रुपये में)

| दिसं. अंत. | सूचना देने वाले वाणिज्य बैंकों की संख्या | | | | | प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियां | | | | जमाराशियां | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रेसिडेंसी/ इंपीरियल बैंक@ | श्रेणी क* | विनिमय बैंक | श्रेणी ख** | कुल | प्रेसिडेंसी/ इंपीरियल बैंक@ | श्रेणी क* | श्रेणी ख** | कुल | प्रेसिडेंसी/ इंपीरियल बैंक@ | श्रेणी क* | विनिमय बैंक | श्रेणी ख** | कुल |
| 1870 | 3 | 2 | 3 | – | 8 | 362 | 12 | – | 374 | 1,197 | 14 | 52 | – | 1,263 |
| 1880 | 3 | 3 | 4 | – | 10 | 405 | 21 | – | 426 | 1,140 | 63 | 340 | – | 1,543 |
| 1890 | 3 | 5 | 5 | – | 13 | 448 | 51 | – | 499 | 1,836 | 271 | 754 | – | 2,861 |
| 1900 | 3 | 9 | 8 | – | 20 | 560 | 128 | – | 688 | 1,569 | 808 | 1,050 | – | 3,427 |
| 1910 | 3 | 16 | 11 | – | 30 | 691 | 376 | – | 1,067 | 3,654 | 2,566 | 2,479 | – | 8,699 |
| 1913 | 3 | 18 | 12 | 23 | 56 | 748 | 364 | # | 1,112 | 4,236 | 2,259 | 3,104 | 151 | 9,750 |
| 1920 | 3 | 25 | 15 | 33 | 76 | 753 | 1,093 | 81 | 1,927 | 8,629 | 7,115 | 7,481 | 233 | 23,458 |
| 1930 | 1 | 31 | 18 | 57 | 107 | 1,115 | 1,190 | 141 | 2,446 | 8,397 | 6,326 | 6,811 | 439 | 21,973 |
| 1934 | 1 | 36 | 17 | 69 | 123 | 1,128 | 1,267 | 149 | 2,544 | 8,100 | 7,677 | 7,140 | 511 | 23,428 |

@ : तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को एक बैंक अर्थात् इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में 1921 में समामेलित किया गया।
* : 5 लाख रुपये और अधिक की पूंजी और आरक्षित निधि वाले बैंक।
** : 1 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक की पूंजी और आरक्षित निधि वाले बैंक।
# : नगण्य
**स्रोत :** भारत में बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां, विभिन्न अंक।

3.11 स्वदेशी आंदोलन ने भी सहकारी ऋण आंदोलन को गति प्रदान की तथा इसके कारण कई कृषि ऋण समितियों तथा कुछ शहरी सहकारी संस्थाओं की स्थापना हुई। भारत में सहकारी बैंकिंग आंदोलन का विकास 19वीं सदी के अंतिम दशक में खोजा जा सकता है। दिवंगत श्री विट्ठल एल. कवठेकर ने उस समय के राजघराने बड़ोदा राज्य में वर्ष 1889 में शहरी सहकारी ऋण आंदोलन की अगुवाई की[7] । पहली पंजीकृत शहरी सहकारी ऋण समिति का नाम कोंजीवरम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक था, जिसकी स्थापना उस समय के मद्रास प्रेसीडेंसी में कोंजीवरम में की गयी थी। जर्मनी तथा इटली में शहरी सहकारी ऋण संस्थाओं की सफलता से इस प्रकार की सहकारी संस्था की स्थापना को प्रेरणा मिली। दूसरा शहरी सहकारी बैंक पीपल्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी था जिसकी स्थापना उस समय के राजघराने मैसूर राज्य में बेंगलूर शहर में 1905 में की गयी। संयुक्त पूंजी बैंकों ने मुख्यतः उद्योग और वाणिज्य की जरूरतें पूरी कीं। सीमित साधनों के साथ ग्राहक वर्ग की जरूरतों को स्वीकारने और उन्हें पूरा करने की उनकी असमर्थता ने उधारकर्ताओं को अत्यधिक ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए साहूकारों तथा इसी प्रकार की एजेंसियों के पास कारगर तौर पर भेज दिया - यह स्थिति भारत में कृषीतर ऋण सहकारी संस्थाओं के अस्तित्व में आने का प्रमुख कारण थी। इस प्रकार की सहकारिताओं का उद्देश्य अल्प साधन वाले लोगों की बैंकिंग एवं ऋण संबंधी जरूरतें पूरी करना था ताकि उनको शोषण से बचाया जा सके। इस प्रकार, शहरी सहकारी बैंकों का उदय एक समर्थक विधायी वातावरण के प्रति स्थानीय प्रतिसाद का परिणाम था, जो मुख्य तौर पर राज्य द्वारा चालित ग्रामीण सहकारी आंदोलन से भिन्न था (थोरात, 2006)।

3.12 सहकारिताओं की भूमिका को शीघ्र मान्यता देने के बाद, ग्रामीण ऋण प्रदान करने पर निरंतर आधिकारिक ध्यान दिया गया। 1912 में एक नया अधिनियम पारित कर ऋण समितियों और ऐसी संस्थाओं को कानूनी मान्यता दी गयी। भारत में सहकारिताओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाने के लिए स्थापित मैकलागन समिति ने 1915 में एक रिपोर्ट जारी कर प्रांतीय सहकारी बैंकों की स्थापना की वकालत की। इसने पाया कि 602 शहरी सहकारी ऋण समितियां 13,745 कृषि ऋण समितियों की तुलना में मात्र 4.4 प्रतिशत थीं। समिति ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि शहरी सहकारी समितियां समाज के निम्नतर और मध्यम आय वर्ग की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी उपयुक्त हैं तथा ऐसी संस्थाएं मध्यम वर्गों के बीच बैंकिंग की आदत डालेंगी।

3.13 वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों के अलावा, भारत में कई अन्य प्रकार के बैंक अस्तित्व में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 'बैंक' नामक शब्द बहुप्रयोजनीय शब्द था तथा इसका प्रयोग उन संस्थाओं द्वारा किया जाता था जो वस्तुतः बैंक नहीं थे। इनमें ऋण कंपनियां, देशी बैंकर तथा निधियां शामिल थीं, जिनमें से कुछ कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत पंजीकृत थीं। यद्यपि, ऐसे बैंकों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी, उनकी संख्या बहुत अधिक मानी जा रही थी। पंजीकृत संस्थाओं की संख्या भी व्यापक थी। कई संदिग्ध कंपनियों ने स्वयं को बैंकों के रूप में पंजीकृत करा लिया तथा उनके आंकड़े बैंकों के विफल होने की सांख्यिकी में शामिल हो गये। फलस्वरूप, विशेष तौर पर 1913 से पहले की अवधि में संगठित बैंकिंग की व्याप्ति की सख्त कानूनी परिभाषा करना कठिन था (चंदावरकर, 2005)।

### पहला विश्व युद्ध तथा भारत में बैंकिंग पर इसका प्रभाव

3.14 पहले विश्व युद्ध के वर्ष (1913 से 1918) वस्तुतः विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन वर्ष थे। युद्ध के वित्तपोषण तथा युद्ध पर संकेंद्रण के फलस्वरूप जो खतरनाक मुद्रास्फीतिकारी स्थिति विकसित हुई थी, उसने कृषि तथा उपभोक्ताओं की उपेक्षा जैसी अन्य समस्याएं पैदा कर दी। युद्ध के दौरान अधिकांश कार्यकलाप शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रित थे। इसने शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के पहले से प्रतिकूल संतुलन को और बिगाड़ दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित बैंकिंग का अभाव था तथा इसकी वजह से किसान लगभग पूरी तरह से साहूकारों पर निर्भर रहते थे जो उनसे अत्यधिक ऊंची दरों पर ब्याज लेते थे। युद्ध की अवधि के दौरान अनेक बैंक विफल हो गये। विफल होने वाले बैंकों ने बैंकिंग कार्यों के साथ ट्रेडिंग संबंधी कार्य जोड़ दिए थे। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि विफल होने वाले कई बैंकों का पूंजी आधार कम था। उदाहरण के लिए, 1913 में विफल हुए बैंकों की औसत पूंजी 2.9 लाख रुपए थी जबकि श्रेणी क तथा ख बैंकों के वर्ग के लिए औसत पूंजी 12 लाख रुपए थी। संकट की शुरुआत पहले विश्व युद्ध के पहले हो गयी थी, परंतु युद्ध के दौरान यह गहरा गया (सारणी 3.2)।

3.15 इनमें से अधिकांश बैंकों ने अनुचित रूप से कम अनुपात में नकद तथा अन्य तरल आस्तियों का रखरखाव किया था। फलस्वरूप, उनके भीतर कठिन समय के दौरान कार्य करने के लिए पर्याप्त लचीलापन नहीं था। विफल होने वाले बैंकों में कुछ बड़े बैंक भी थे, यथा इंडियन स्पेसी बैंक, एक ब्रिटिश बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी 75.6 लाख रुपए थी। यह कम पूंजी के कारण नहीं अपितु चांदी में सट्टेबाजी में भाग लेने के कारण विफल हुआ (टंडन, 1988)।

3.16 पीछे देखें तो, विद्वानों और समितियों की राय में भारत में बैंकों की विफलता का कारण अधिकांशतः व्यक्तिगत अविवेक तथा कुप्रबंधन, निदेशकों एवं प्रबंधकों द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार तथा अयोग्यता और अनुभवहीनता था। कई बैंकों ने निदेशकों तथा उनकी कंपनियों को

[7] आरबीआइ (1999), माधवराव समिति रिपोर्ट, अध्याय II.

**सारणी 3.2 : भारत में बैंकों की विफलता - 1913 से 1921**

| वर्ष (जनवरी - दिसंबर) | विफल हुए बैंकों की संख्या | विफल हुए बैंकों की प्रदत्त पूंजी (रु. `000) | विफल हुए बैंकों की औसत प्रदत्त पूंजी (रु. `000) | श्रेणी क और ख में सूचना देने वाले बैंकों की औसत प्रदत्त पूंजी (रु. `000) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1913 | 12 | 3514 | 293 | 1152 |
| 1914 | 42 | 10902 | 260 | 1195 |
| 1915 | 11 | 451 | 41 | 1190 |
| 1916 | 13 | 423 | 33 | 1170 |
| 1917 | 9 | 2526 | 281 | 1315 |
| 1918 | 7 | 146 | 21 | 1433 |
| 1919 | 4 | 403 | 101 | 1585 |
| 1920 | 3 | 725 | 242 | 1675 |
| 1921 | 7 | 125 | 18 | 1901 |

**नोट** : श्रेणी क : 5 लाख रुपये और अधिक की पूंजी और आरक्षित निधि वाले बैंक। श्रेणी ख : 1 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक की पूंजी और आरक्षित निधि वाले बैंक।

**स्रोत** : भारत में बैंकिंग और मौद्रिक सांख्यिकी, भा.रि.बैंक, 1954।

बड़ी मात्रा में बेजमानती अग्रिम स्वीकृत किए थे। पर्याप्त विनियामक सुरक्षोपायों के अभाव ने निदेशकों तथा प्रबंधकों के लिए जमाकर्ताओं / शेयरधारकों को बहकाना आसान बना दिया। इसने भारत में वाणिज्य बैंकिंग के विनियमन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया। इस अवधि के दौरान कई विनिमय बैंक भी मुख्यतः उनके मूल देश/कंपनी संबंधी बाह्य कारणों से विफल हो गए। विनिमय बैंकों के बीच मृत्युदर अत्यधिक ऊंची थी। विनिमय बैंकों के विफल होने के सर्वाधिक सामान्य कारण वैश्विक, विश्व युद्धों तथा मुद्रास्फीति की ऊंचाई और निचाई थे।

3.17 दिलचस्प बात यह है कि सहकारी संस्थाओं ने कुछ अलग तस्वीर पेश की, जिसका प्रमुख कारण यह था कि ये संगठन पारस्परिक विश्वास पर आधारित थे तथा इनके सदस्य स्वामियों का इन पर कारगर नियंत्रण था। सदस्य जमाकर्ताओं का सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर उनके लघु आकार के कारण विश्वास था। संयुक्त पूंजी बैंकों से शहरी सहकारी बैंकों की ओर जमाराशियों की उड़ान की प्रवृत्ति शुरू हो गयी थी। इस संकट की जांच करने वाली मैकलागन समिति का कहना था कि ''वस्तुतः, इस संकट का विपरीत प्रभाव पड़ा तथा अधिकांश प्रांतों में गैर-सहकारी संस्थाओं से जमाराशियां हटाकर उन्हें सहकारी संस्थाओं में रखने का आंदोलन चल पड़ा। दो प्रकार की प्रतिभूति के बीच अंतर को भलीभांति स्वीकारा गया तथा अंशतः स्थानीय स्वरूप का होने के कारण परंतु मुख्यतः सहकारी आंदोलन के साथ सरकार के जुड़े होने के कारण सहकारी संस्थाओं को तरजीह दी गयी'' (थोरात, 2006)।

3.18 1921 में प्रेसीडेंसी बैंकों को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नामक एक बैंक में समामेलित कर दिया गया[8]। जयपुर, मैसूर, पटियाला तथा जोधपुर जैसे पुराने राजघरानों से संबंधित कई बैंकों का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को और पुनर्गठित किया गया। 1935 में रिज़र्व बैंक की स्थापना के पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने एक केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया। इस प्रकार, इस चरण के दौरान इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने तीन तरह के कार्य अर्थात वाणिज्य बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग और सरकार के बैंकर के कार्य किए।

3.19 1930 तक, वाणिज्य बैंकों की संख्या बढ़कर 107 हो गयी तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अभी भी प्रधान बैंक बना रहा (देखें सारणी 3.1)। इसके अलावा मार्च 1929 के अंत में, 158 सहकारी बैंक भी थे। 1922-23 से 1928-29 के बीच सहकारी बैंकों की संख्या में तीव्र वृद्धि (दुगुनी से अधिक) हुई (सारणी 3.3)। संख्या में वाणिज्य बैंकों से अधिक होने के बावजूद सहकारी बैंकों की जमाराशियों की मात्रा काफी कम थी।

**सारणी 3.3 : सहकारी बैंकों की संख्या**

(राशि लाख रुपये में)

| वर्ष # | श्रेणी क* | | | श्रेणी ख** | | | कुल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | पूंजी और आरक्षित निधियां | जमाराशियां | संख्या | पूंजी और आरक्षित निधियां | जमाराशियां | संख्या | पूंजी और आरक्षित निधियां | जमाराशियां |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1922-23 | 5 | 44 | 341 | 63 | 131 | 502 | 68 | 175 | 843 |
| 1925-26 | 10 | 91 | 538 | 104 | 203 | 930 | 114 | 294 | 1,468 |
| 1928-29 | 18 | 163 | 901 | 140 | 277 | 1,487 | 158 | 440 | 2,388 |

* : 5 लाख रुपये और अधिक की पूंजी और आरक्षित निधि वाले बैंक।
** : 1 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक की पूंजी और आरक्षित निधि वाले बैंक।
# : वर्ष से सहकारी वर्ष अभिप्रेत है, जो संदर्भाधीन अवधि में प्रांतों के बीच अलग-अलग रहा है।
**स्रोत :** भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति, 1931।

[8] इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम लार्ड जॉन मेनार्ड कींस द्वारा सुझाया गया था।

**सारणी 3.4 : भारत में बैंकों का प्रांतवार वितरण - 1930***

| क्रम संख्या | राज्य | सूचित करनेवाले बैंकों की सख्या |
|---|---|---|
| 1. | मद्रास | 167 |
| 2. | बंबई | 30 |
| 3. | बंगाल | 919 |
| 4. | आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत | 33 |
| 5. | पंजाब | 29 |
| 6. | बर्मा | 4 |
| 7. | बिहार और उड़ीसा | 18 |
| 8. | केन्द्रीय प्रांत और बेरार | 3 |
| 9. | आसाम | 51 |
| 10. | उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत | 1 |
| 11. | दिल्ली प्रांत | 3 |
| | कुल | 1258 |

* : भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत पंजीकृत।
**स्रोत:** भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति, 1930।

3.20 1930 में, बैंकिंग प्रणाली में कुल मिलाकर 1258 बैंकिंग संस्थाएं थीं जिनका पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत किया गया था (सारणी 3.4)।

3.21 1930 में बैंकों के रूप में पंजीकृत 1258 संस्थाओं में से, जहां कुछ वास्तविक अर्थों में बैंक थीं, अन्य संस्थाएं देशी बैंक, निधि तथा ऋण कंपनियां थीं। बड़ी संख्या में शहरों तथा गांवों में, देशी बैंक ऋण के मुख्य स्रोत थे। भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति के अनुसार, ''कुछ देशी बैंकर आधुनिक तरीके से कार्य करते हैं तथा सामान्य संयुक्त पूंजी बैंकों द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के लेनदेन, पासबुक तथा चेकबुक जारी करने सहित, करते हैं।'' उन्होंने तुलनपत्र प्रकाशित नहीं किए तथा उनका प्रबंधन मालिकों द्वारा किया गया। इनमें से 'बैंक ऑफ चेट्टीनाडट' जैसे कुछ बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत थे। तथापि, कुछ अन्य ऐसे छोटे बैंक थे जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया।

3.22 1928 से 1934 के अवधि के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था महान मंदी की चपेट में थी। इसका असर भारतीय बैंकिंग उद्योग पर भी पड़ा तथा ऋण अशोध्य होने के कारण विफल होने वाले बैंकों की संख्या तेजी से बढ़ गई। विफल होने वाले बैंकों की पूंजी श्रेणी क तथा ख में सूचना देने वाले बैंकों की पूंजी के औसत आकार की तुलना में औसतन कम थी, जो इस बात का संकेत है कि विफल होने वाले बैंक छोटे आकार के थे (सारणी 3.5)।

3.23 भारतीय बैंकिंग की समस्याओं का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए 1929 में स्थापित भारतीय बैंकिंग केंद्रीय बैंक समिति की राय थी कि देश के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए तथा एक विशेष अधिनियम बनाकर उसमें उस समय मौजूद भारतीय कंपनी अधिनियम (1913) के सुसंगत उपबंध तथा (i) संगठन, (ii) प्रबंधन, (iii) लेखा परीक्षा और निरीक्षण तथा (iv) परिसमापन और समामेलन संबंधी नए उपबंध शामिल किए जाएं। इसमें यह भी नोट किया गया कि कृषि उत्पादन और सहकारी ऋण संबंधी जरूरतों के वित्तपोषण में वाणिज्य बैंक नगण्य भूमिका निभाते हैं[9]। खेती करने वालों की ऋण संबंधी जरूरतों की जांच करते हुए इसमें नोट किया गया कि ''यदि उसकी जरूरतें संतुष्ट होती हैं तो वह अपर्याप्त रूप में होता है तथा उसकी लागत बरबाद करने वाली होती है''। उस समय भारत जैसी कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि के लिए ऋण का बहुत महत्व था । कृषि के लिए बैंक ऋण जीडीपी का 0.3 प्रतिशत था। 1931 में ग्रामीण ऋणग्रस्तता 900 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, तथा यह अतीत की ऋणग्रस्तता; सामाजिक और आनुष्ठानिक कार्यों में अत्यधिक व्यय; उच्च ब्याज दरों; सूखे और बीमारी के कारण पशुओं की आवर्ती हानि; उच्च कीमतों तथा उच्च किरायों पर जमीन पट्टे पर देने के फलस्वरूप भूमि का अंतरण किसानों से साहूकारों को होने के कारण बढ़ती जा रही थी।

3.24 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के प्रसार की कमी तथा फलस्वरूप ग्रामीण आबादी की अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता इस समय चिंता का प्रमुख विषय था। ग्रामीण ऋण की समस्या का कुछ सीमा तक यह कारण भी था कि

**सारणी 3.5 : विफल बैंकों की पूंजी और आरक्षित निधियां**

| वर्ष (जनवरी-दिसंबर) | विफल बैंकों की संख्या | विफल बैंकों की प्रदत्त पूंजी (रु. `000) | विफल हुए बैंकों की औसत प्रदत्त पूंजी (रु. `000) | श्रेणी क और ख में सूचना देने वाले बैंकों की औसत प्रदत्त पूंजी (रु. `000) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1926 | 14 | 398 | 28 | 1017 |
| 1927 | 16 | 311 | 19 | 1005 |
| 1928 | 13 | 2312 | 178 | 1022 |
| 1929 | 11 | 819 | 74 | 1105 |
| 1930 | 12 | 4060 | 338 | 952 |
| 1931 | 18 | 1506 | 84 | 984 |
| 1932 | 24 | 809 | 34 | 1008 |
| 1933 | 26 | 300 | 12 | 973 |
| 1934 | 30 | 623 | 21 | 851 |
| 1935 | 51 | 6596 | 129 | 861 |

**नोट :** श्रेणी क : 5 लाख रुपये और अधिक की पूंजी और आरक्षित निधि वाले बैंक।
श्रेणी ख : 1 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक की पूंजी और आरक्षित निधि वाले बैंक।
**स्रोत :** भारत में बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां, विभिन्न अंक।

[9] भारतीय रिजर्व बैंक (इतिहास) खण्ड II, पृष्ठ 235

वितरित ऋण के प्रकार तथा जिस अवधि के लिए उसकी स्वीकृति की जाती थी उनके बीच कोई अंतर नहीं था। निवेश प्रयोजन के लिये गए ऋणों की बड़ी मात्रा की अदायगी एक मौसम में होना संभव नहीं था। यह सूचित किया गया कि कई प्रांतों में ऋण सहकारी संस्थाओं को अतिदेय ऋण की मात्रा देय बकाया मूल के 60 से 70 प्रतिशत तक थी[10]।

## रिज़र्व बैंक की स्थापना तथा इसकी भूमिका

3.25 बैंक विफलताओं के कारणों का पता लगाने वाली विभिन्न समितियों ने देश के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी[11]। यह नोट करना दिलचस्प है कि कई केंद्रीय बैंकों की स्थापना विशेषतः बैंक विफलताओं का खयाल रखने के लिए की गयी थी। उदाहरण के लिए 1913 में यूएस फेडरल रिज़र्व की स्थापना प्रमुखतया बार-बार हो रहे बैंकिंग संकटों की पृष्ठभूमि में की गयी थी। यह महसूस किया गया कि एक केंद्रीय बैंक की स्थापना से गुरुतर नियंत्रण संभव होगा तथा वह देश में शिथिल रूप से जुड़ी बैंकिंग संरचना को समन्वित करेगी। यह भी विश्वास किया गया कि एक अलग संस्था के रूप में, जो (इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की तरह) सामान्य बैंकिंग व्यवसाय नहीं करेगी, केंद्रीय बैंक की स्थापना से उसकी ऐसी स्थिति संभव होगी जिससे वह अन्य संयुक्त पूंजी बैंकों द्वारा उसके प्रति किसी प्रतिस्पर्धा की भावना के बिना केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य करने में समर्थ होगा[12]। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 बनाकर भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। बैंक की विफलताओं का मुद्दा तथा कृषि की अपेक्षाओं को पूरा करने की जरूरत रिज़र्व बैंक की स्थापना के दो प्रमुख कारण थे। बैंकिंग क्षेत्र 1935 में रिज़र्व बैंक की परिधि में आ गया । रिज़र्व बैंक की स्थापना के समय, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा धारित जमाराशियों का सबसे बड़ा भाग संयुक्त पूंजी बैंकों के पास था, जिसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तथा विनिमय बैंकों का स्थान था (सारणी 3.6)।

3.26 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ने रिज़र्व बैंक को बैंक नोट निर्गम को विनियमित करने, वाणिज्य बैंकों की नकद आरक्षित निधियों की अभिरक्षा तथा उन्हें निभाव स्वीकृत करने के विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां प्रदान कीं। रिज़र्व बैंक अधिनियम की प्रस्तावना में उसके कार्य इस प्रकार प्रस्तुत किए गए ''बैंक-नोटों को निर्गमता करना और भारत में मौद्रिक स्थिरता बताए रखने की दृष्टि से आरक्षित राशियों का रखा जाना नियंत्रित करना तथा समष्टिगत रूप से देश की करेंसी और ऋण व्यवस्था को देश के लाभार्थ चलाना'' रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है (क) सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना; (ख) नोटों का निर्गम; (ग) अन्य बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना; तथा (घ) विनिमय अनुपात बनाये रखना। रिज़र्व बैंक अधिनियम का बैंकों पर सीमित नियंत्रण था हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में इसके दायित्व स्पष्ट शब्दों में बताये गये थे। कुछ सीमा तक अंतर्निर्मित लचीलापन था क्योंकि रिज़र्व बैंक को असाधारण परिस्थितियों के तहत अतिरिक्त अधिकार और युक्तिचालनीयता प्रदान की गयी थी, जिनका उपयोग प्रत्येक मामले में निर्धारित किए गए अनुसार 'गवर्नर जनरल इन कौंसिल' अथवा बैंक के केंद्रीय बोर्ड के पूर्वानुमोदन से ही किया जा सकता था।

**सारणी 3.6 : भारत में वाणिज्य बैंकों की संख्या तथा उनके पास रखी गई जमाराशियां**

(राशि करोड़ रुपये में)

| दिसंबर-अंत | इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया | | विनिमय बैंक | | संयुक्त पूंजी बैंक | | कुल - सभी बैंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | जमाराशियां | संख्या | जमाराशियां | संख्या | जमाराशियां | संख्या | जमाराशियां |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1926 | 1 | 80 (37.4) | 18 | 72 (33.3) | 76 | 63 (29.4) | 95 | 215 |
| 1929 | 1 | 79 (37.3) | 18 | 67 (31.4) | 79 | 66 (31.2) | 98 | 212 |
| 1932 | 1 | 75 (33.6) | 18 | 73 (32.5) | 87 | 76 (33.9) | 106 | 225 |
| 1935 | 1 | 79 (32.3) | 17 | 76 (31.1) | 106 | 90 (36.7) | 124 | 245 |

**नोट** : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत अंश हैं।
**स्रोत** : भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सार, 1935।

[10] भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति (1931)।
[11] भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति (1931)।
[12] भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति (1931)।

3.27 उधार के अंतिम आश्रयदाता के रूप में वाणिज्य बैंकों की अल्पावधि आस्तियों की तरलता सुनिश्चित करने में रिज़र्व बैंक की निर्णायक भूमिका थी। आरंभ के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र के पास पर्याप्त चलनिधि थी क्योंकि उसके पास सरकारी प्रतिभूतियां मुक्त रूप से रिज़र्व बैंक को बेचने की सुविधा थी [13]। 1935 में, बैंकों से यह अपेक्षा थी कि वे दैनिक आधार पर अपनी मांग देयताओं का 5 प्रतिशत तथा मीयादी देयताओं का 2 प्रतिशत नकदी आरक्षित निधि के रूप में बनाए रखें। मुद्रा के प्रबंध का जो कार्य पहले मुद्रा नियंत्रक के पास था वह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के तहत मार्च 1935 में रिज़र्व बैंक के पास आ गया। रिज़र्व बैंक अधिनियम के उपबंधों में रिज़र्व बैंक से यह भी अपेक्षित था कि वह बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करे। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग प्रथा के अनुसार, मुद्रा बाजार संबंधी रिज़र्व बैंक के परिचालन मोटे तौर पर सदस्य बैंकों अर्थात 'अनुसूचित' बैंकों और प्रांतीय सहकारी बैंकों के माध्यम से संचालित किए जाने थे। 'अनुसूचित' बैंक उन बैंकों को कहा जाता था जिन्हें रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था तथा ब्रिटिश इंडिया के वे बैंक जो अपनी प्रदत्त पूंजी एवं आरक्षित निधियां कुल मिलाकर 5 लाख रुपये से अधिक होने के कारण बाद में इस अनुसूची में शामिल किए जाने के पात्र बन गए। अनुसूची में शामिल करने अथवा उससे बैंकों को निकालने की शक्ति 'गवर्नर जनरल इन कौंसिल' के पास थी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की स्वीकृत की गयी प्रस्तावना में 1928 के विधेयक की आरंभिक प्रस्तावना में की गयी परिकल्पना से भिन्न ब्रिटिश भारत के लिए 'स्वर्णमानक मुद्रा' के प्रति कोई संदर्भ नहीं था। यह बदलाव सितंबर 1931 में ग्रेट ब्रिटेन के स्वर्णमानक से अलग हो जाने के कारण इस बीच की अवधि में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक स्थिति की अस्थिरता के कारण आया।

3.28 आरंभ से ही रिज़र्व बैंक के लिए कुछ संवर्धनात्मक भूमिका की परिकल्पना की गयी क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार कृषि संबंधी ऋण रिज़र्व बैंक की विशेष जिम्मेदारी थी। रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के लिए कृषि ऋण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका स्वीकार की तथा इस क्षेत्र में 1936 और 1937 में दो अध्ययन शुरू कर ठोस कार्रवाई की। उस समय कृषि के लिए अपेक्षित प्रायः संपूर्ण वित्त की आपूर्ति साहूकारों द्वारा की जाती थी; सहकारी संस्थाओं तथा अन्य एजेंसियों की भूमिका नगण्य थी (मोहन, 2004क)। 1935 से 1950 तक के अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक सहकारी संस्थाओं को वित्तीय निभाव के प्रावधान के जरिए सहकारी ऋण आंदोलन का पोषण कर कृषि ऋण पर ध्यान केंद्रित करता रहा। रिज़र्व बैंक के समन्वित प्रयासों और नीतियों के फलस्वरूप, कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु ऋण संस्थाओं का भलीभांति पृथक ढांचा उभरकर सामने आया। अल्पावधि ढांचे के भीतर, ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आधार स्तरीय ढांचा थीं, जबकि मध्यवर्ती स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को रखा गया था, तथा शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक थे। ग्रामीण सहकारिताओं के दीर्घावधि ढांचे में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तथा विकेंद्रीकृत जिला अथवा खंड स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शामिल थे । इन संस्थाओं ने कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों में निवेश करने के लिए प्रतिरूपी तौर पर मध्यावधि से दीर्घावधि ऋण प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया।

3.29 एक पर्यवेक्षी प्राधिकरण होने पर केंद्रीय बैंक के पास लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण जैसे कार्य करने की पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिए ताकि वह अस्वस्थ प्रथाओं का पता लगाकर उन्हें रोक सके तथा लाइसेंस वापस लेने अथवा अस्वीकार करने जैसे सुधारात्मक उपाय सुझा सके। तथापि, शुरू के वर्षों में रिज़र्व बैंक के पास नियंत्रण अथवा विनियमन की पर्याप्त शक्तियां नहीं थीं। वाणिज्य बैंक साधारण गैर-बैंकिंग कंपनियों पर लागू कंपनी कानून द्वारा नियंत्रित थे तथा नए बैंक की स्थापना तक के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति जरूरी नहीं थी। रिज़र्व बैंक की स्थापना के बाद की अवधि में सूचना देनेवालों की संख्या बढ़ गयी। बैंकों के वर्गीकरण का विस्तार कर अल्पतर पूंजी और आरक्षित निधि आधार वाले बैंकों को शामिल किया गया। श्रेणी 'क' बैंकों को क 1 तथा क 2 में विभाजित किया गया। साथ ही, अल्पतर बैंकों को शामिल करने के लिए 'ज' तथा 'घ' नामक बैंकों की दो नई श्रेणियां जोड़ी गयीं। 5 लाख रुपए से अधिक पूंजी और आरक्षित निधि वाले उन बैंकों को, जिन्हें रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था, श्रेणी क 1 में रखा गया, जबकि 5 लाख रुपए से अधिक पूंजी और आरक्षित निधि वाले शेष गैर अनुसूचित बैंकों को श्रेणी क 2 में वर्गीकृत किया गया। शेष गैर-अनुसूचित बैंकों को उनके आकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया; 1 लाख रुपए से अधिक तथा 5 लाख रुपए से कम पूंजी और आरक्षित निधि वाले बैंकों को श्रेणी ख के रूप में वर्गीकृत किया गया; 50,000 रुपए से अधिक तथा 1 लाख रुपए तक पूंजी और आरक्षित निधि वाले बैंकों को श्रेणी ग के रूप में वर्गीकृत किया गया; तथा 50,000 रुपए से कम पूंजी और आरक्षित निधि वाले बैंकों को श्रेणी घ के रूप में वर्गीकृत किया गया। 1940 में सूचना देने वाले बैंकों की संख्या 654 थी (सारणी 3.7)।

3.30 अर्थव्यवस्था के अल्पविकसित स्वरूप तथा उपयुक्त विनियामक ढांचे में अभाव ने बड़ी संख्या में छोटे बैंकों के कारगर विनियमन की समस्या खड़ी कर दी। अहस्तक्षेप की नीति, जिसमें मुक्त प्रवेश और निकासी की अनुमति दी गयी, में मुक्त प्रतिस्पर्धा के गुण थे। तथापि, ऐसी नीति के लाभ सर्वाधिक मात्रा में ऐसी प्रणाली में

[13] नवम्बर 1951 तक, जब रिज़र्व बैंक ने आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर ऐसी प्रतिभूतियों को खरीदने की प्रथा बंद कर दी।

## सारणी 3.7 : सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या तथा उनके पास रखी गई जमाराशियां

(लाख रुपये)

| दिसंबर-अंत | सूचना देने वाले वाणिज्य बैंकों की संख्या | | | | | | | | सूचना देने वाले वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इंपीरियुल बैंक | श्रेणी क1 | विनिमय बैंक | श्रेणी क2 | श्रेणी ख | श्रेणी ग | श्रेणी घ | कुल | इंपीरियुल बैंक | श्रेणी क1 | विनिमय बैंक | श्रेणी क2 | श्रेणी ख | श्रेणी ग | श्रेणी घ | कुल |
| | अनुसूचित बैंक | | | गैर अनुसूचित बैंक | | | | | अनुसूचित बैंक | | | गैर अनुसूचित बैंक | | | | |
| 1936 | 1 | 27 | 19 | 9 | 71 | | | 127 | 7880 | 9007 | 7523 | 540 | 546 | | | 25496 |
| 1940 | 1 | 41 | 20 | 17 | 122 | 121 | 332 | 654 | 9603 | 10611 | 8533 | 788 | 1104 | 286 | 272 | 31197 |
| 1947 | 1 | 80 | 15 | 68 | 185 | 119 | 188 | 656 | 28659 | 62334 | 17881 | 5192 | 2947 | 455 | 300 | 117768 |
| 1950 | 1 | 74 | 16 | 73 | 189 | 123 | 124 | 600 | 23137 | 52270 | 17039 | 4659 | 2176 | 370 | 131 | 99782 |
| 1951 | 1 | 75 | 16 | 70 | 186 | 117 | 96 | 561 | 23091 | 51734 | 16804 | 4426 | 2079 | 367 | 105 | 98606 |
| 1952 | 1 | 75 | 15 | 70 | 194 | 114 | 60 | 529 | 20585 | 50952 | 17523 | 3882 | 2023 | 303 | 68 | 95336 |

**नोट** : 1. श्रेणी क1 में ऐसे बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 5 लाख रुपये से अधिक हों और जो भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हों।
2. श्रेणी क2 में गैर अनुसूचित बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 5 लाख रुपये से अधिक हों।
3. श्रेणी ख में गैर अनुसूचित बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 1 लाख रुपये से अधिक परंतु 5 लाख रुपये से कम हों।
4. श्रेणी ग में गैर अनुसूचित बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 50,000 रुपये से अधिक परंतु 1 लाख रुपये तक हों।
5. श्रेणी घ में ऐसे बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 50,000 रुपये से कम हों।

**स्रोत** : भारत में बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां, विभिन्न अंक।

मिलते हैं जिसमें 'पूर्ण प्रतिस्पर्धा' की विशेषता हो, जो बाजार की असफलताओं तथा अपूर्ण बाजारों द्वारा अमिश्रित हो। तथापि, उस अवस्था में भारतीय वित्तीय बाजार निश्चय ही पूर्ण होने से दूर थे । मुक्त प्रवेश से बैंकिंग कंपनियों की अत्यधिक वृद्धि हुई जो बड़े पैमाने पर बैंकों के विफल होने की समस्या द्वारा बिगाड़ दी गयी। एक ऐसे परिदृश्य में, जिसमें पर्याप्त विनियमन लागू नहीं था, छोटे बैंकों की अत्यधिक वृद्धि के कारण नियंत्रण संबंधी अनेक समस्याएं सामने आयीं। उस समय मात्र रिज़र्व बैंक के कानून में सुदृढ़ बैंकिंग प्रथा सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य बैंकिंग परिचालनों के विस्तृत विनियमन का कोई प्रावधान नहीं था। अधिनियम की धारा 42(2) के तहत अनुसूचित बैंकों द्वारा साप्ताहिक विवरणों के प्रस्तुतीकरण के द्वारा मुख्यतः रिज़र्व बैंक के पास नकदी आरक्षित निधियों के रखरखाव संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन पर निगरानी रखना अभिप्रेत था। रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की परिकल्पना अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने अथवा बनाए रखने हेतु बैंकों की पात्रता निर्धारित करने के सीमित प्रयोजन के लिए की गयी थी। इस प्रकार, अनुसूचित बैंकों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण संबंधी रिज़र्व बैंक की शक्तियों की सीमित व्याप्ति के अलावा, गैर-अनुसूचित बैंकों के रूप में जानी जानेवाली बड़ी संख्या में छोटी बैंकिंग संस्थाएं उसके नियंत्रण की परिधि से पूर्णतः बाहर थीं। रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालन आरंभ किए जाने पर भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 में बैंकिंग कंपनियों से संबंधित बहुत कम तथा अपेक्षाकृत छोटे उपबंध थे। वाणिज्य बैंकों के परिचालनों पर नियंत्रण के लिए विनियमनों का वास्तविक अभाव बैंकिंग प्रणाली पर इसकी विनियामक कार्यप्रणाली के दायरे में गंभीर रुकावट साबित हुआ। छोटे बैंकों की कार्यप्रणाली के संबंध में अस्पष्टता थी क्योंकि उनके आंतरिक नियंत्रण अथवा शोधनीयता पर कोई नियंत्रण नहीं था।

3.31 पहले भारतीय कंपनी अधिनियम को 1936 में संशोधित कर विनियमन को सुदृढ़ बनाने के उपाय किए गए। इस संशोधन में बैंकिंग कंपनियों संबंधी उपबंधों के बारे में एक अलग अध्याय शामिल किया गया। इस अधिनियम के पहले बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निगमन, संगठन और प्रबंधन जैसे सभी महत्वपूर्ण मामलों में भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 द्वारा नियंत्रित थे जो बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग कंपनियों पर सामान्य रूप से लागू था । सिर्फ कुछ अपेक्षाकृत अहानिकर प्रावधान कंपनी अधिनियम 1913 में थे, जो बैंकों तथा अन्य कंपनियों के बीच अंतर करते थे। भारतीय कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1936 में न्यूनतम पूंजी तथा नकदी आरक्षित निधि अपेक्षा और कुछ परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों सहित बैंकिंग कंपनियों से संबंधित उपबंधों के बारे में एक अलग अध्याय शामिल किया गया। इस संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि बैंकिंग कंपनियां अन्य कंपनियों से अलग थीं।

3.32 गैर अनुसूचित बैंकों को शेष संगठित बैंकिंग के साथ क्रमिक रूप से समन्वित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने गैर अनुसूचित बैंकों के साथ संपर्क में रहने तथा उन्हें सलाह और मार्गदर्शन देने का प्रयास जारी रखा। रिज़र्व बैंक संयुक्त पूंजी कंपनी के रजिस्ट्रारों के जरिए इन बैंकों के तुलनपत्र तथा नकदी आरक्षित विवरणियां भी प्राप्त करता रहा। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 दिसम्बर 1938 को ब्रिटिश भारत में कार्यरत लगभग 1,421 संस्थाओं को गैर अनुसूचित बैंकों के रूप में माना जा सकता था। वास्तविक मुद्दा यह था कि उन्हें रिज़र्व बैंक की विनियामक परिधि के तहत लाया जाए क्योंकि इनमें से अधिकांश कंपनियों का यह दावा था कि वे कंपनी अधिनियम की धारा 277 (एफ) के तहत वस्तुतः 'बैंक' नहीं थे क्योंकि उक्त धारा के अनुसार बैंकिंग कंपनी से अभिप्राय ''ऐसी कंपनी से है जिसका मुख्य व्यवसाय ऐसी जमाराशियां स्वीकार करना है जो चेक, ड्राफ्ट, अथवा आदेश द्वारा

आहरणयोग्य हों'', तथा *वे इस प्रकार आहरणयोग्य जमाराशियां स्वीकार नहीं करते थे।*

3.33 एक अर्थक्षम बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णायक था कि बैंकिंग प्रणाली की कमजोर कड़ियों का खयाल रखा जाए। इसके लिए, बैंक विफलता के मूल कारण का निवारण आवश्यक था, जो उस समय पर्याप्त विनियमन के अभाव से संबंधित था। अतः, ऐसी जरूरत महसूस की गयी कि सुदृढ़ विनियामक मानदण्ड लागू किए जाएं। यह तथ्य कि विफल होनेवाले अधिकांश बैंक छोटे तथा गैर अनुसूचित थे, गैर अनुसूचित बैंकों के परिचालन पर नियमित निगरानी रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अक्तूबर 1939 में, गैर अनुसूचित बैंकों के बारे में एक रिपोर्ट, उनकी आस्तियों तथा देयताओं के प्रति विशेष संदर्भ के साथ, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी। रिपोर्ट में इन बैंकों में आरक्षित निधि की कमी की स्थिति, अग्रिम संविभाग में अत्यधिक विस्तार तथा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के बड़े अनुपात का उल्लेख किया गया। इस रिपोर्ट में देश के लिए व्यापक बैंकिंग विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

3.34 1939 में, रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग संबंधी कानून के लिए अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया। इन प्रस्तावों की महत्वपूर्ण विशेषताएं ये थीं कि बैंकिंग की परिभाषा को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1936 में की गयी परिभाषा की तुलना में अधिक आसान और स्पष्ट किया जाए। दूसरा, इन प्रस्तावों में यह सुनिश्चित करने की मांग की गयी कि स्वयं को 'बैंक' कहनेवाली संस्थाएं पर्याप्त न्यूनतम पूंजी के साथ कार्य शुरू करें ताकि वे इतने बड़े पैमाने पर कार्य कर सकें जिससे एक उचित लाभ कमाना संभव हो सके। तीसरा, इन प्रस्तावों में जमाकर्ताओं के संरक्षण के लिए बैंक निवेशों पर कुछ सामान्य प्रतिबंधों की परिकल्पना की गयी। अंततः, परिसमापन संबंधी कार्यवाहियां तेज करने का प्रयास किया गया ताकि बैंक विफल होने की स्थिति में जमाकर्ताओं को न्यूनतम विलंब और व्यय के साथ चुकौती की जा सके। तथापि, सरकार ने निर्णय लिया कि युद्ध की उस अवधि के दौरान कोई व्यापक कानून न बनाया जाए जब सरकार की सारी शक्तियां अनिवार्य रूप से युद्ध के प्रयास पर संकेंद्रित थीं। कुछ मुद्दों, जिन पर तत्काल ध्यान देना जरूरी था, का विनियमन और नियंत्रण कानून द्वारा करने के लिए कुछ अंतरिम उपाय किए गए। युद्ध के बाद, रिज़र्व बैंक कंपनी (निरीक्षण) अध्यादेश, 1946 जारी कर अपर्याप्त विनियमन के पहलू का आंशिक समाधान किया गया। बैंककारी कंपनी (शाखाओं पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1946 तथा बैंक्कारी कंपनी (नियंत्रण) अध्यादेश, 1948 के तहत रिज़र्व बैंक को नयी शक्तियां प्रदान की गयीं। इन अधिनियमों के अधिकांश उपबंधों को बाद में 1949 में बैंककारी कंपनी अधिनियम में शामिल किया गया। इस अधिनियम में समस्त बैंकिंग प्रणाली पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए रिज़र्व बैंक को बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान की गयीं जिनके ब्यौरे बाद के खण्ड में दिए गए हैं।

### विश्व युद्ध II तथा भारतीय बैंकिंग पर इसका प्रभाव

3.35 भारतीय बैंकिंग पर द्वितीय विश्व युद्ध (1939 से 1944) के व्यापक प्रभाव पड़े। जैसे-जैसे मध्यपूर्व तथा दक्षिणपूर्व एशिया में मित्र देशों की फौजों के लिए भारत अधिकाधिक बड़ा आपूर्ति आधार बनता गया, रक्षा तथा मित्र देशों को आपूर्ति पर सरकारी व्यय के कारण मुद्रा का व्यापक विस्तार हुआ। फलस्वरूप, समुदाय के कुछ वर्गों की कुल मौद्रिक आय में वृद्धि हुई। इसके साथ अनेक कारणों यथा अन्य के साथ-साथ आयात प्राप्त करने में कठिनाई, आंतरिक आपूर्तियों के युद्ध की जरूरतों के लिए विपथन, निवेश की सरणियों के नियंत्रण तथा आय वितरण के स्वरूप में विकृति से उच्चतर आय समूहों में 'खर्च न किए गए मार्जिन' में तेज वृद्धि हुई जिससे बदले में बड़ी मात्रा में बैंक जमाराशियां प्राप्त हुईं। ऐसी स्थिति से विनिमय बैंकों, जिनका कार्यनिष्पादन मुख्यतः बाह्य कारकों द्वारा चालित था, के अलावा बैंकिंग उद्यमों के विकास को प्रोत्साहन मिला। 1940 तथा 1945 के बीच शाखाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई तथा इस शाखा विस्तार का अधिकांश हिस्सा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया तथा विनिमय बैंकों से इतर)और गैर अनुसूचित बैंकों से संबंधित था (सारणी 3.8)।

**सारणी 3.8 : बैंक शाखाओं की संख्या : 1940-1945**

| दिसंबर-अंत | इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया | विनिमय बैंक | अन्य अनुसूचित बैंक | कुल अनुसूचित बैंक | श्रेणी `क 2' गैर अनुसूचित बैंक* | श्रेणी `ख' तथा `ग' गैर अनुसूचित बैंक ** | सभी बैंक (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1940 | 383 | 87 | 844 | 1,314 | 105 | 545 | 1,964 |
| 1941 | 393 | 84 | 937 | 1,414 | 204 | 678 | 2,296 |
| 1942 | 392 | 84 | 971 | 1,447 | 263 | 869 | 2,579 |
| 1943 | 399 | 84 | 1,395 | 1,878 | 400 | 996 | 3,274 |
| 1945 | 428 | 77 | 2,451 | 2,956 | 811 | 1,434 | 5,201 |

* : 5 लाख रुपये से अधिक प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों वाले बैंक।
** : 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये से तक प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों वाले बैंक।
**स्रोत :** रिज़र्व बैंक (इतिहास) खंड I

3.36 व्यापक होनेवाले कई बैंकों के पास बहुत कम पूंजी थी। उदाहरण के लिए, 2 लाख रुपए से कम पूंजी वाले एक बैंक ने 75 से अधिक शाखाएं खोली थीं। अतः उस समय मौजूद बैंकिंग प्रणाली 'सिविल युद्ध के आसपास यूएस में प्रचलित मुक्त बैंकिंग' की तुलना में अधिक मुक्त थी। इसका कारण यह था कि मुक्त बैंकिंग के तहत भी प्रवेश स्तर की पूंजी संबंधी कुछ मानदंड थे, तथा निष्ठा और पूंजी की न्यूनतम अपेक्षा पूरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र प्राप्त हो सकता था। भारत में, प्रवेश स्तर की ये अपेक्षाएं भी प्रवर्तनीय नहीं थीं। जनता द्वारा जमा की गयी निधियों का उपयोग प्रायः अत्यधिक बढ़े हुए मूल्यों पर गैर बैंकिंग कंपनियों के शेयरों की खरीद कर उन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इन छोटे बैंकों की अन्य स्पष्ट विशेषताएं इस प्रकार थीं - बैंकों तथा अन्य कंपनियों, जिनमें प्रबंधन का हित निहित था, के बीच शेयरों की प्रतिधारिता, प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों को बड़ी मात्रा में अप्रतिभूत अग्रिम, कीमतें अत्यधिक ऊंची रहने पर संदिग्ध शेयरों की जमानत पर अग्रिम तथा अचल संपत्ति की जमानत पर अग्रिम जिसे जरूरत के समय आसानी से वसूल न किया जा सकता हो। 1936 तथा 1945 के बीच कई बैंक विफल हो गए (सारणी 3.9)।

3.37 विस्तार की प्रक्रिया में कई बैंक कमजोर हो गए जिससे विफल होने की जोखिम बढ़ गई। दिलचस्प बात यह है कि, बैंक विफलता के दौर के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र के बीच बहुत कम संक्रमण हुआ। इसका कारण यह था कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अल्पविकसित था तथा शिथिल रूप से संबद्ध था। समन्वय की इस कमी ने बैंक विफलताओं के प्रभाव को क्षेत्र विशेष तक सीमित रखा, उस समय भी जब अपेक्षाकृत बड़े बैंक विफल हुए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में यह लचीलापन काफी हद तक बैंकों के सापेक्ष्य अलगाव तथा बैंकिंग क्षेत्र में समन्वयन के अभाव के कारण आया। इसके अलावा, उन वर्षों में निम्नतर संप्रेषण ने विरोधाभासी तौर पर इसे व्यापक संकट से बचा लिया (चंदावरकर, 2005)।

**सारणी 3.9 : बैंकों की विफलता : 1936-1945**

(राशि `000 रुपये में)

| वर्ष (जनवरी - दिसंबर) | विफल हुए बैंकों की संख्या | विफल हुए बैंकों की प्रदत्त पूंजी | विफल हुए बैंकों की औसत प्रदत्त पूंजी | सूचना देने वाले बैंकों की औसत प्रदत्त पूंजी* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1936 | 88 | 500 | 6 | 684 |
| 1937 | 65 | 1152 | 18 | 552 |
| 1938 | 73 | 3000 | 41 | 514 |
| 1939 | 117 | 2491 | 21 | 162 |
| 1940 | 107 | 2390 | 22 | 188 |
| 1941 | 94 | 1239 | 13 | 281 |
| 1942 | 50 | 1407 | 28 | 327 |
| 1943 | 59 | 749 | 13 | 406 |
| 1944 | 28 | 627 | 22 | 468 |
| 1945 | 27 | 474 | 18 | 503 |

* : आंकड़े सिर्फ श्रेणी क, ख, ग और घ के सूचना देने वाले बैंकों से संबंधित हैं।
**स्रोत :** भारत में बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां, विभिन्न अंक।

3.38 कुल मिलाकर, आजादी तक की अवधि भारतीय बैंकों के लिए कठिन अवधि थी। कम पूंजी आधार वाले छोटे बैंकों की संख्या काफी अधिक थी, हालांकि उनकी ठीक संख्या ज्ञात नहीं थी। संगठित क्षेत्र में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, संयुक्त पूंजी बैंक (जिनमें संयुक्त पूंजी अंग्रेजी तथा भारतीय दोनों बैंक शामिल थे) तथा विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य करने वाले विनिमय बैंक शामिल थे। इस अवधि में बड़ी संख्या में बैंक विफल हुए। इसके कई कारण थे। इस अवधि के दौरान दो विश्व युद्ध तथा 1930 की महान मंदी देखी गयी। यद्यपि, वैश्विक कारकों ने बड़ी मात्रा में बैंकों की विफलता में अंशदान किया, कई देशी कारक भी सक्रिय थे । कम पूंजी आधार, अपर्याप्त चल आस्तियां तथा अंतर-संबद्ध उधार कुछ देशी कारक थे। 1935 में रिज़र्व बैंक की स्थापना होने पर, प्रमुख चिंता थी - बैंकों का विफल होना तथा उपयुक्त बैंकिंग विनियमन के रूप में पर्याप्त सुरक्षोपाय तैयार करना । फिर भी, रिज़र्व बैंक की स्थापना के बारह वर्ष से अधिक समय के बाद भी, अलग कानून के जरिए रिज़र्व बैंक को सुदृढ़ बनाने के मुद्दे पर विचार नहीं हुआ। गैर अनुसूचित बैंकों की मौजूदगी प्रमुख चिंता का विषय थी क्योंकि वे रिज़र्व बैंक की परिधि के बाहर बने हुए थे। बैंकिंग शहरी क्षेत्रों में अधिक केंद्रित था तथा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण संबंधी जरूरतों की उपेक्षा की जा रही थी। देश आज़ाद होने के समय ये मुद्दे सुसंगत थे।

## III. स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में बैंकिंग - 1947 से 1967

3.39 देश आज़ाद होने पर, भारतीय बैंकिंग पूरी तरह से निजी क्षेत्र में थी। इंपीरियल बैंक के अलावा, पांच ऐसे बड़े बैंक थे जिनमें से प्रत्येक के पास 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक सार्वजनिक जमाराशियां थीं यथा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड तथा यूनाइटेड कामर्शियल बैंक लिमिटेड। अन्य सभी वाणिज्य बैंक भी निजी क्षेत्र में थे तथा वे क्षेत्रीय स्वरूप के थे; उनमें से अधिकांश की जमाराशियां 50 करोड़ रुपए से कम थीं। दिलचस्प बात यह है कि रिज़र्व बैंक भी उस समय तक पूर्णतः राज्य के स्वामित्व में नहीं था, जब तक इसका राष्ट्रीयकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व का अंतरण) अधिनियम, 1948 के अनुसार नहीं कर दिया गया।

3.40 स्वतंत्रता के कारण आर्थिक कार्यकलाप के कई क्षेत्रों में काफी अंतर आया तथा बैंकिंग उन अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक था जहां अत्यधिक रूपांतरण हुआ। स्वतंत्रता की पूर्वसंध्या पर बैंकिंग प्रणाली कई

कठिनाइयों से ग्रस्त थी जैसाकि उस समय के गवर्नर सी.डी.देशमुख ने नोट किया है :

*''देश में बैंकिंग प्रणाली से निपटने में भारतीय रिज़र्व बैंक की कठिनाई बैंकिंग इकाइयों की बहुलता मात्र में नहीं है। यह इसके विशाखीकरण और दायरे के द्वारा गंभीर हो गयी है। व्यवहार में कोई मानक उपचार नहीं हो सकता यद्यपि सिद्धांत में एक ही कानून द्वारा सभी नियंत्रित हैं।''*[14]

3.41 आज़ादी के समय बैंकिंग के ढांचे में देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रधानता थी। गैर अनुसूचित बैंक, यद्यपि बड़ी संख्या में थे, बैंकिंग क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा थे (सारणी 3.10)।

**सारणी 3.10 : भारतीय बैंकों की संख्या और जमाराशियां - दिसंबर 1947 के अंत में**

| सूचना देने वाले बैंकों की संख्या | संख्या | जमाराशियां (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **क. अनुसूचित बैंक** | **97** | **1090** |
| इंपीरियल बैंक | 1 | 287 (22.8) |
| अन्य बैंक (क1 बैंक) | 81 | 623 (49.4) |
| विनिमय बैंक* | 15 | 180 (14.3) |
| **ख. गैर-अनुसूचित बैंक** | **557** | **89 (7.1)** |
| i) श्रेणी क2 | 65 | 52 |
| ii) श्रेणी ख | 185 | 29 |
| iii) श्रेणी ग | 119 | 5 |
| iv) श्रेणी घ | 188 | 3 |
| **ग. सहकारी बैंक** | **395** | **82 (6.5)** |
| **घ. सभी बैंक - कुल** | **1034** | **1261** |

* : आंकड़े विदेशी विनिमय बैंकों के भारतीय परिचालनों से संबंधित हैं।

**नोट:** 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा हैं।
2. श्रेणी क 1 में ऐसे बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 5 लाख रुपये से अधिक हों और जो भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हों।
3. श्रेणी क 2 में गैर अनुसूचित बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 5 लाख रुपये से अधिक हों।
4. श्रेणी ख में गैर अनुसूचित बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 1 लाख रुपये से अधिक परंतु 5 लाख रुपये से कम हों।
5. श्रेणी ग में गैर अनुसूचित बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक हों।
6. श्रेणी घ में ऐसे बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 50,000 रुपये से कम हों।

**स्रोत :** भारत में बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां, 1947।

**सारणी 3.11 : वाणिज्य बैंकों का वितरण - दिसंबर 1947 के अंत में**

(राशि करोड़ रुपये में)

| राज्य | अनुसूचित बैंक | | गैर अनुसूचित बैंक | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बैंकों की संख्या | प्रदत्त पूंजी | बैंकों की संख्या | प्रदत्त पूंजी | बैंकों की संख्या | प्रदत्त पूंजी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आसाम | 1 | 1 | 14 | 2 | 15 | 3 |
| बिहार | 2 | 6 | 10 | 1 | 12 | 6 |
| बंबई | 13 | 71 | 27 | 7 | 40 | 78 |
| मद्रास | 14 | 24 | 186 | 20 | 200 | 45 |
| पश्चिम बंगाल | 22 | 146 | 84 | 12 | 106 | 158 |
| दिल्ली | 5 | 32 | 3 | 1 | 8 | 33 |
| पूर्वी पंजाब | 7 | 14 | 20 | 5 | 27 | 19 |
| सी.पी. और बेरार | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| संयुक्त प्रांत | 5 | 15 | 20 | 2 | 25 | 17 |
| अजमेर मेरवाड़ | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – |
| भारतीय राज्य | 11 | 53 | 187 | 38 | 198 | 91 |
| कुल | 82 | 365 | 555 | 89 | 637 | 454 |

`–' : नगण्य।

**स्रोत :** भारत में बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां, 1947।

3.42 जैसा पहले बताया जा चुका है, वाणिज्य बैंक क्षेत्र विशेष में केंद्रित थे। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या सर्वाधिक थी, जिसके बाद मद्रास और बम्बई का स्थान था। जहां तक गैर अनुसूचित बैंकों का संबंध है, मद्रास की संख्या सर्वाधिक थी तथा उसे काफी पीछे दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः पश्चिम बंगाल और बम्बई थे (सारणी 3.11)।

## बैंकों की विफलता तथा छोटे बैंकों का परिसमापन/समेकन

3.43 देश के विभाजन में देशी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा तथा बैंकिंग क्षेत्र इससे अलग नहीं था। आज़ादी से पहले संगठित क्षेत्र में देश में कार्यरत 84 बैंकों में से दो बैंक पाकिस्तान में चले गए। पंजाब और पश्चिम बंगाल के दो राज्यों में शेष बचे कई बैंक गंभीर रूप से प्रभावित हुए। 1947 में, 38 बैंक विफल हुए जिनमें से 17 पश्चिम बंगाल में ही थे जिनकी कुल प्रदत्त पूंजी 18 लाख रुपए थी। 1947 में विफल हुए बैंकों की प्रदत्त पूंजी सूचना देने वाले बैंकों की प्रदत्त पूंजी के 2 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी[15]। 1947 तथा 1955 के बीच विफल हुए बैंकों की औसत पूंजी उद्योग में सूचना देने वाले बैंकों की प्रदत्त पूंजी के औसत आकार की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम थी जो यह सुझाता है कि आम तौर पर छोटे बैंक विफल हुए (सारणी 3.12)।

[14] 'भारत में केंद्रीय बैंकिंग, एक सिंहावलोकन', गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकॉनॉमिक्स में श्री आर.आर.काले स्मारक व्याख्यान हेतु श्री सी.डी.देशमुख का व्याख्यान, 1948।

[15] सूचना देने वाले बैंकों में श्रेणी क 1, क 2, ख, ग तथा घ के बैंक शामिल थे।

**सारणी 3.12 : विफल बैंकों की संख्या : 1947-1955**

(राशि लाख रुपये में)

| वर्ष (जनवरी - दिसंबर) | विफल हुए बैंकों की संख्या | विफल हुए बैंकों की प्रदत्त पूंजी | विफल हुए बैंकों की औसत प्रदत्त पूंजी | सूचना देने वाले बैंकों की औसत प्रदत्त पूंजी* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1947 | 38 | 83 | 2 | 105 |
| 1948 | 45 | 183 | 4 | 90 |
| 1949 | 55 | 131 | 2 | 84 |
| 1950 | 45 | 129 | 3 | 102 |
| 1951 | 60 | 62 | 1 | 73 |
| 1952 | 31 | 16 | 1 | 139 |
| 1953 | 31 | 114 | 4 | 135 |
| 1954 | 27 | 48 | 2 | 154 |
| 1955 | 29 | 47 | 2 | 142 |

* : सूचना देने वाले बैंकों में श्रेणी क1, क2,ख, ग और घ के बैंक शामिल हैं।

**स्रोत** : भारत में बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सार, विभिन्न अंक।

3.44 अपेक्षाकृत बड़े बैंकों के लिए वर्ष 1948 सबसे खराब वर्षों में से एक था क्योंकि लगभग औसतन 4 लाख रुपए की प्रदत्त पूंजीवाली 45 संस्थाएं (637 से अधिक बैंकों में से) बंद हो गयीं। वे इसलिए विफल हो गईं क्योंकि उन्होंने अपने संसांधनों के बल पर खोली जा सकने वाली शाखाओं की तुलना में अधिक शाखाएं खोलकर अपना अति विस्तार कर लिया था तथा संपत्ति या अपर्याप्त प्रतिभूति की जमानत पर बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान किये थे। तथापि, इनमें से कुछ के पास विवेकपूर्ण मुद्दे थे क्योंकि वे बहुत कम पूंजी आधार के साथ कार्य कर रहे थे। बार-बार बैंक विफल होने से बचतकर्ताओं को अत्यधिक कठिनाइयां हुईं । विफलताओं के कारण बैंकिंग प्रणाली में विश्वास भी कम हो गया। इस अवधि के दौरान अधिकांश बचतें जमीन और सोने के रूप में थीं। घरेलू बचतें कुल देशी बचतों का 66 प्रतिशत थीं। कुल घरेलू बचतों में से, 89 प्रतिशत भौतिक आस्तियों के रूप में थीं[16]। वित्तीय बचतों का बड़ा हिस्सा डाक विभाग में गया जिसे सरकारी स्वामित्व के कारण अधिक सुरक्षित माना जाता था। वाणिज्य बैंकों द्वारा जुटायी गयी बैंक जमाराशियों का अधिकांश व्यापार और उद्योग में प्रतिभूति आधारित उधारकर्ताओं को ऋण के रूप में दिया जाता था।

3.45 इस प्रकार आज़ादी के बाद रिज़र्व बैंक के समक्ष पहला कार्य यह था कि समसामयिक तरीके से सुदृढ़ संरचना का विकास किया जाए। यह माना गया कि आर्थिक संपन्नता और स्थिरता के संवर्धन में बैंक और बैंकिंग संबंधी सुदृढ़ता का काफी महत्व है। अपने विस्तार तथा जमाराशियों के संग्रहण के माध्यम से बैंक बैंकिंग आदतों तथा अर्थव्यवस्था में बचतों को बढ़ाते है। इससे निवेश तथा विकास के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिल सकती हैं। योजनाबद्ध आर्थिक विकास आरंभ करने के लिए बैंकिंग उद्योग को व्यापक करना जरूरी है ताकि जमा संग्रहण को बढ़ाया जा सके और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकें।

3.46 बैंक विफलता संबंधी मुद्दे का कुछ सीमा तक समाधान बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 (बाद में जिसका नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम किया गया) द्वारा किया गया, परंतु इसकी मात्रा बहुत सीमित थी। 1949 के बैंककारी कंपनी अधिनियम में देश के केंद्रीय बैंकिंग अधिकरण के रूप में बैंकिंग पर्यवेक्षण हेतु रिज़र्व बैंक को व्यापक शक्तियां प्रदान की गयीं[17]। इसमें जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए मौलिक विवेकपूर्ण विशेषताएं थीं तथा बैंकिंग कंपनियों के संगठन, प्रबंधन, लेखा-परीक्षा और परिसमापन जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था। इसने रिज़र्व बैंक को नए बैंक तथा शाखा कार्यालय खोलने पर नियंत्रण, बैंकिंग कंपनियों की लेखाबहियों के निरीक्षण तथा लाइसेंस-प्राप्त बैंकिंग कंपनियों के ऐच्छिक समापन को रोकने की शक्तियां प्रदान कीं। उक्त अधिनियम स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा उठाया गया पहला विनियामक कदम था जिसे भारत में वाणिज्य बैंकों की कार्यप्रणाली तथा कार्यकलाप को कारगर बनाने की दृष्टि से तैयार किया गया था। इस अधिनियम की जरूरत लम्बे समय से थी क्योंकि भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने 1931 में भारत के लिए ऐसा अधिनियम बनाने की संस्तुति की थी। किसी भी समय बैंकिंग कंपनियों का निरीक्षण करने का अधिकार रिज़र्व बैंक को दी गयी सर्वाधिक प्रभावी पर्यवेक्षणात्मक शक्ति थी। रिज़र्व बैंक को किसी भी बैंकिंग कंपनी का निरीक्षण करने का अधिकार था ताकि वह लाइसेंस की पात्रता, शाखा खोलने, समामेलन, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर ले। इस अधिनियम में निहित एक प्रमुख विशिष्टता यह थी कि 'बैंकिंग' को अन्य वाणिज्यिक परिचालनों से भिन्न रूप में वर्णित किया गया। यह वाणिज्य बैंकों की परंपरागत भूमिका के अनुरूप था, जहां बैंकों को वित्तीय प्रणाली की एक विशेष संस्था के रूप में माना जाता है, जिसके लिए गुरुतर ध्यान तथा अलग उपचार अपेक्षित है (सेलगिन, 1996)।

3.47 तथापि, बैंककारी कंपनी अधिनियम की कुछ सीमाएं थीं। इसमें वाणिज्य बैंकों के प्रबंधन का नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए थे। रिज़र्व बैंक ने जुलाई 1949 में यह निर्णय लिया कि आकार और स्थिति से निरपेक्ष्य होकर देश में सभी बैंकिंग कंपनियों के प्रणालीगत और आवधिक निरीक्षण

[16] हैंडबुक ऑफ स्टटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07

[17] इस अधिनियम (1965 का 23) में कंपनी शब्द के स्थान पर 'विनियमन' शब्द रखा गया : 1 मार्च 1966 से अधिनियम का नाम बदलकर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 कर दिया गया।

के लिए सक्षम तंत्र का संगठन किया जाए। अंतिम उद्देश्य यह था कि प्रत्येक बैंक के वार्षिक निरीक्षण के लिए एक संगठन तैयार किया जाए। यह स्पष्ट किया गया कि निरीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि अपनी कार्यपद्धतियों में मौजूद कमियों अथवा असंतोषजनक बातों के प्रति ध्यान आकृष्ट कर सुदृढ़ बैंकिंग प्रथाओं की स्थापना में बैंकों की सहायता की जाए, इससे पहले कि वे गंभीर स्वरूप के हो जाएं जिससे गंभीर कार्रवाई की जरूरत पड़े। सभी बैंकों का निरीक्षण करने के लिए दक्ष तंत्र और संगठन के विकास का कार्य काफी कठिन था।

3.48 स्वतंत्रता के बाद तथा बैंककारी कंपनी अधिनियम बनने के बाद की अवधि में बैंकों की विफलता जारी रही, यद्यपि ऐसी विफलताओं में काफी कमी आयी। सार्वजनिक बचतों की रक्षा करने के लिए, ऐसा महसूस किया गया कि अशोधनीय बैंकों का समापन करना अथवा सुदृढ़ बैंकों के साथ उनका समामेलन करना बेहतर होगा। तदनुसार, 1950 के दशक में बैंकों के समेकन, अनिवार्य समामेलन तथा परिसमापन के लिए समर्थकारी कानून बनाने के प्रयास किए गए। यह जरूरी था क्योंकि उसमें मौजूद परिसमापन की प्रक्रिया लम्बी और अधिक समय लेनेवाली थी। इसमें उच्च न्यायालय में कार्यवाही शामिल थी तथा यह काफी खर्चीली थी और जमाकर्ताओं को इससे काफी दिक्कत होती थी। इसी तरह, लाइसेंस-प्राप्त बैंकिंग कंपनियों के लिए कारोबार के निलंबन में भी काफी समय लगता था क्योंकि इसमें ऋणस्थगन की घोषणा, उच्च न्यायालय द्वारा शासकीय परिसमापक की नियुक्ति तथा रिज़र्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकिंग कंपनियों की लेखाबहियों का निरीक्षण करना शामिल था। धारा 22 के तहत जिन बैंकिंग कंपनियों को लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया था उनके सामने ऐच्छिक समापन का आसान निकास मार्ग था, क्योंकि ऐसी बैंकिंग कंपनियों पर धारा 44 के उपबंध लागू नहीं होते थे तथा ऐसी कंपनियों के ऐच्छिक परिसमापन के पहले रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं थी। इससे रातोरात अमीर बनने की इच्छा रखने वालों के लिए अपने परिचालनों का ऐच्छिक समापन आसान हो गया। विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल में अनेक गैर अनुसूचित बैंकों का पता नहीं लगाया जा सका। जून 1954 में मौजूद 165 गैर अनुसूचित बैंकों में से, 107 बैंकों का अता-पता नहीं था[18]। 6 बैंकों को छोड़कर उक्त सभी तथा शेष गैर-अनुसूचित बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

3.49 त्रावणकोर - कोचीन क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में छोटे बैंक थे। 1954 में त्रावणकोर - कोचीन जांच समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, क्षेत्र के 163 बैंकों में से 136 पुरवों में स्थापित छोटे बैंक थे। इनमें से सिर्फ 16 बैंकों में 40 लाख रुपए से अधिक की जमाराशियां थीं। 95 बैंकों की कार्यशील पूंजी 10 लाख रुपए से कम थी। 39 बैंकों के पास बैंककारी कंपनी अधिनियम,1949 की धारा 11 के तहत उन पर लागू स्तर से कम पूंजी और आरक्षित निधियां थीं। समिति ने सुझाव दिया कि इन बैंकों को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए समय दिया जाए। 18 बैंकों को लाइसेंस देने से मना कर दिया गया। भारत में अन्यत्र बैंकों के सामने कम समस्याएं थीं। अखिल भारतीय स्तर पर दिसम्बर 1957 में सिर्फ 21 बैंकों को लाइसेंस देने से मना किया गया क्योंकि उनको सुधारना संभव नहीं था।

3.50 पलै सेंट्रल बैंक जैसे कुछ बड़े बैंक भी अच्छी तरह कार्य नहीं कर रहे थे। उनका कार्यनिष्पादन आरक्षित निधियों के खराब स्तर तथा बेजमानती अग्रिमों के ऊंचे प्रतिशत द्वारा दुष्प्रभावित हुआ। रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की समिति ने अक्तूबर 1952 में इस बात की संभावना पर विचार किया कि क्या निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं के आधार पर बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक की दूसरी अनुसूची से निकाला जा सकता है[19]। रिज़र्व बैंक के सामने दो विकल्प थे अर्थात, या तो बैंक बंद करने की शक्ति का प्रयोग किया जाए अथवा बैंक को सामान्य बनाने के लिए उसका पोषण किया जाए। पहला विकल्प आसान था परंतु उसमें यह जोखिम थी कि इससे प्रणालीगत संकट उत्पन्न हो सकता है। दूसरा विकल्प अधिक कठिन था। जमाकर्ताओं के हित को ध्यान रखते हुए, पलै बैंक को अपने कामकाम में सुधार लाने के लिए समय दिया गया तथा उसे स्थगन के अधीन रखा गया। तथापि 1960 में वह बैंक विफल हो गया। इस विफलता के बाद जनता तथा संसद में हो-हल्ला मचा जिससे बैंक विफलता संबंधी मामले को निपटाने हेतु अपेक्षित कानून बनाने के प्रति अभियान में तेजी आयी।

3.51 इस गतिविधि को देखते हुए, बैंकों के समामेलन को एक समाधान के रूप में देखा गया। केरल स्थित बैंकों के अधिस्थगन तथा फलस्वरूप उनके समामेलन से भारतीय बैंकिंग प्रणाली में त्वरित समेकन का एक नया युग शुरू हुआ। तदनुसार, बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1961 तैयार किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों के अनिवार्य पुनर्निर्माण अथवा समामेलन से संबंधित बैंककारी कंपनी अधिनियम की धारा 45 के तहत उपबंधों को स्पष्ट करने तथा उनकी अनुपूर्ति करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम में एक बैंकिंग कंपनी के भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके सहायक बैंकों के साथ अनिवार्य समामेलन को समर्थ बनाया गया। उस समय तक इस प्रकार का समामेलन सिर्फ अन्य बैंकिंग कंपनी के साथ संभव था । इस कानून द्वारा एक योजना में दो से अधिक बैंकिंग कंपनियों के समामेलन को भी समर्थ बनाया गया। पुनर्निर्माण अथवा

[18] जैसाकि रिज़र्व बैंक (इतिहास) खंड II, पृष्ठ 465 में उल्लेख किया गया है।
[19] रिज़र्व बैंक का इतिहास खंड II, पृष्ठ 791।

## सारणी 3.13 : समामेलित वाणिज्य बैंक : 1954-66

(राशि लाख रुपये में)

| वर्ष (जनवरी - दिसंबर) | बैंककारी विनियमन अधि. 1949 की धारा 45 के तहत अनिवार्यत: समामेलित बैंक | | | बैंककारी विनियमन अधि. 1949 की धारा 44ए के तहत ऐच्छिक रूप से समामेलित बैंक | | | अन्यथा कार्य करना बंद करने वाले / अन्य बैंकों को देयताएं और आस्तियां अंतरित करने वाले बैंक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बैंकों की संख्या | प्रदत्त पूंजी | जमाराशियां | बैंकों की संख्या | प्रदत्त पूंजी | जमाराशियां | बैंकों की संख्या | प्रदत्त पूंजी | जमाराशियां |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | 17 | 25 | 88 |
| 1955 | – | – | – | – | – | – | 11 | 23 | 20 |
| 1956 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11 | 47 |
| 1957 | – | – | – | 1 | 5 | 115 | 10 | 19 | 23 |
| 1958 | – | – | – | 4 | 56 | 523 | 10 | 15 | 63 |
| 1959 | – | – | – | 4 | 4 | 33 | 20 | 26 | 110 |
| 1960 | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 15 | 34 | 40 |
| 1961 | 30 | 198 | 1722 | – | – | – | 9 | 17 | 142 |
| 1962 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 122 | 22 | 55 | 134 |
| 1963 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 15 | 34 | 781 |
| 1964 | 9 | 36 | 438 | 7 | 23 | 147 | 63 | 55 | 569 |
| 1965 | 4 | 13 | 54 | 5 | 3 | 39 | 24 | 59 | 501 |
| 1966 | – | – | – | – | – | – | 7 | 19 | 453 |

`-' : शून्य अथवा नगण्य

**स्रोत :** भारत में बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां, रिज़र्व बैंक, 1962 तथा 1966।

समामेलन के अधीन बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी ब्यौरेवार प्रावधान भी निर्धारित किए गए।

3.52 1954 तथा 1966 के बीच, कई बैंकों को या तो समामेलित किया गया अथवा उन्होंने अन्यथा कार्य करना बंद कर दिया अथवा उनकी देयताओं और आस्तियों को अन्य बैंकों के पास अंतरित कर दिया गया। बैंकों को समामेलित करने के लिए 1960 में रिज़र्व बैंक को औपचारिक अधिकार देने के पहले छह साल की अवधि के दौरान, कुल 83 बैंकों को समामेलित किया गया। तथापि, 1960 से 1966 तक की अवधि के बीच, 217 बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 (अनिवार्य समामेलन) तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए (ऐच्छिक समामेलन) जैसे विभिन्न उपबंधों के तहत समामेलित किया गया। अन्यथा बंद हो गए बैंकों की देयताओं और आस्तियों को अन्य बैंकों को अंतरित किया गया। सिर्फ वर्ष 1960 में, 30 बैंकों का समामेलन किया गया। तथापि, सजग नीति के तौर पर छोटे परंतु भलीभांति कार्य कर रहे बैंकों का समेकन नहीं किया गया। अन्य बैंकों को आस्तियों एवं देयताओं का अंतरण एक लोकप्रिय निकासी मार्ग साबित हुआ। सिर्फ 1964 में, 63 बैंक कारोबार से बाहर चले गये (सारणी 3.13)। बैंक समेकन की प्रक्रिया के साथ बैंक लाइसेंसीकरण नीति को सशक्त बनाया गया, जिसके तहत रिज़र्व बैंक ने गैर अर्थक्षम इकाइयों के समामेलन का प्रयास किया। अपेक्षित मानदण्डों का पालन न करने वाले कई बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया।

3.53 बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया ने परिसमापन द्वारा गैर अर्थक्षम बैंकों को निकालने अथवा अन्य बैंकों द्वारा कार्य न करने वाले बैंकों की आस्तियों के अधिग्रहण का रूप भी ले लिया। 1954 से 1959 तक की अवधि के दौरान, 106 बैंकों का परिसमापन कर दिया गया। इनमें से, 73 बैंकों का ऐच्छिक परिसमापन तथा 33 का अनिवार्य परिसमापन किया गया। 1960 से 1966 के बीच, 48 और बैंकों का परिसमापन किया गया (सारणी 3.14)।

3.54 अनिवार्य समामेलन तथा विलय की नीति के जरिए बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने की नीति से बैंकिंग क्षेत्र के समेकन में मदद मिली। इसकी सफलता गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या 1951 के 474 से स्पष्ट रूप से कम होकर 1961 में 210 तथा और कम होकर 1967 में 20 हो जाने में देखी जा सकती है। उनके शाखा कार्यालयों की संख्या 1951 के 1504 से कम होकर 1961 में 622 तथा 1967 में 203 हो गयी (सारणी 3.15)।

3.55 बैंकों की विफलता तथा जमाकर्ताओं को हुई दिक्कतों के कारण रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा जाल का प्रावधान किया। बैंककारी कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1960, जो 19 सितंबर 1960 को लागू हुआ, द्वारा परिसमापन में बैंकों के जमाकर्ताओं को त्वरित अदायगी सुकर बनाने का प्रावधान किया गया तथा सरकार और रिज़र्व बैंक को कठिनाइयों के समय बैंकों का पुनर्वास करने की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गयीं। संशोधन से पहले, अधिमानतापूर्ण उपचार के लिए पात्र प्रतिभूत लेनदारों और अन्य व्यक्तियों के दावों का निर्धारण करने की प्रक्रिया परिसमापनाधीन बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान में होनेवाली काफी देरी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। नए उपबंध में यह अपेक्षा की गयी कि पहले जिन बैंकों का परिसमापन शुरू हुआ था, उनके समापन आदेश की

## सारणी 3.14 : परिसमापनाधीन वाणिज्य बैंक : 1954-66

(राशि `000 रुपये में)

| वर्ष (जनवरी - दिसंबर) | ऐच्छिक परिसमापन वाले बैंक | | | अनिवार्य परिसमापन वाले बैंक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बैंकों की संख्या | प्रदत्त पूंजी | जमाराशियां | बैंकों की संख्या | प्रदत्त पूंजी | जमाराशियां |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1954 | 14 | 1374 | 96 | 6 | 2846 | 1140 |
| 1955 | 11 | 2655 | 199 | 6 | 2510 | 10102 |
| 1956 | 16 | 1452 | 499 | 6 | 695 | 1812 |
| 1957 | 16 | 1682 | 1659 | 3 | 917 | 2876 |
| 1958 | 9 | 927 | 1135 | 5 | 1367 | 10209 |
| 1959 | 7 | 566 | 6 | 7 | 2722 | 506 |
| 1960 | 4 | 238 | 34 | 5 | 5375 | 107027 |
| 1961 | 5 | 403 | 814 | 3 | 1106 | 3332 |
| 1962 | 4 | 786 | 12 | 3 | 969 | 5145 |
| 1963 | 1 | 90 | 11 | 1 | 224 | 1108 |
| 1964 | 3 | 225 | – | – | – | – |
| 1965 | 6 | 703 | – | 3 | 1359 | 137 |
| 1966 | 7 | 703 | – | 3 | 225 | 21 |

`-' : शून्य अथवा नगण्य

**स्रोत** : भारत में बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां, रिज़र्व बैंक, 1962 तथा 1966।

तारीख से तीन महीनों के भीतर अथवा संशोधन अधिनियम आरंभ होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर ऐसा अधिमानतापूर्ण भुगतान किया जाना चाहिए अथवा उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि उक्त अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट तीन महीने की अवधि के भीतर अधिमानतापूर्ण भुगतान किये जाने के बाद, 250 रुपए की अधिकतम राशि के अधीन प्रत्येक बचत बैंक जमाकर्ता को उसके खाते में जमा शेष राशि अदा की जानी चाहिए।

3.56 भारत में बैंकों में छोटे जमाकर्ताओं की जमाराशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 बनाया गया। तदनुसार, जनवरी 1962 में भारतीय निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गयी। उस समय भारत उन कुछ देशों में से एक था जिन्होंने ऐसी जमा बीमा की शुरुआत की थी; जमा बीमा शुरू करने वाला पहला देश अमरीका था। इस योजना से यह आशा थी कि जमाकर्ताओं का विश्वास बैंकिंग प्रणाली में बढ़ेगा तथा इससे जमाराशियों का संग्रहण सुसाध्य होगा और बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार और वृद्धि के संवर्धन में मदद मिलेगी। उक्त निगम ने एक निश्चित सीमा तक बीमाकृत बैंक के भीतर संपूर्ण जमाराशि अथवा उसके भाग की हानि के प्रति बीमा रक्षा उपलब्ध करायी।

## सारणी 3.15 : भारत में अनुसूचित और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(दिसंबर-अंत)

| बैंकों की श्रेणी | 1961 | 1966 | 1967 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. बैंकों की संख्या (रिपोर्ट देने वाले) | 292 | 100 | 91 |
| (क) अनुसूचित बैंक | 82 | 73 | 71 |
| (ख) गैर अनुसूचित बैंक | 210 | 27 | 20 |
| 2. भारत में बैंकों के कार्यालयों की संख्या | 5012 | 6593 | 6982 |
| (क) अनुसूचित बैंक | 4390 | 6380 | 6779 |
| (ख) गैर अनुसूचित बैंक | 622 | 213 | 203 |

**स्रोत :** बैंकिंग आयोग 1971 तथा भारत में बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां (विभिन्न अंक)।

3.57 बैंकिंग प्रणाली के एक विनियामक के रूप में, रिज़र्व बैंक को बैंकों का निरीक्षण करने के लिए बैंककारी कंपनी अधिनियम द्वारा अधिकार दिए गए। निदेशकों द्वारा जमाकर्ताओं की निधियों के दुर्विनियोजन के कारण केरल में हुई बैंकों की विफलताओं की घटनाओं ने निरीक्षण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की जरूरत को रेखांकित किया। तदनुसार, बैंकों का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए तथा धोखाधड़ी का पता लगाने हेतु पहले की तुलना में काफी अधिक शाखाओं को कवर करने के लिए निरीक्षण संबंधी नीति में परिवर्तन किए गए। इसके बाद कानून में परिवर्तन कर 1962 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में अध्याय IIIक नामक एक नया अध्याय शामिल किया गया। बैंकिंग के विनियमन का संपूर्ण प्रयोजन यह था कि किसी प्रकार की अनियमितता की अनुमति देनेवाले कानून में मौजूद कमियों को बंद किया जाए। 1963 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया जो 1 फरवरी 1964 से लागू हुआ तथा जिसने विशेष रूप से व्यक्तियों के विशेष समूहों द्वारा बैंकों के कार्यों पर नियंत्रण रखे जाने पर प्रतिबंध लगाने तथा बैंकों द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों और गारंटियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए रिज़र्व बैंक को और अधिक अधिकार प्रदान किए। इसने बैंकों के कार्यपालकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के बारे में भी रिज़र्व बैंक के अधिकार बढ़ा दिए।

## कृषि को उधार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार

3.58 आज़ादी के बाद न सिर्फ परिचालन संबंधी माहौल में परिवर्तन हुआ अपितु नीतियों को भी योजनाबद्ध उद्देश्यों के अनुरूप बनाया गया। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विनियमन को भी संरेखित किया गया। 1950 में संविधान अपनाए जाने तथा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किए जाने से संपूर्ण देश में बैंकिंग कार्य को रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण में ला दिया गया। इनसे सरकार के बैंकर के रूप में भी रिज़र्व बैंक का दायरा बढ़ गया। रिज़र्व बैंक से आशा थी कि वह योजनाबद्ध प्रयोजनों के लिए संसाधन अंतराल को पूरा करेगा। पहली पंचवर्षी योजना में यह देखा गया कि एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंकिंग को ऋण की समग्र आपूर्ति के विनियमन अथवा बैंक के ऋण प्रवाह के कुछ हद तक ऋणात्मक विनियमन के प्रति शायद ही सीमित रखा जा सके। इसे निम्नलिखित मामलों में प्रत्यक्ष और सक्रिय भूमिका निभानी होगी (i) पूरे देश में विकासात्मक कार्यकलापों के वित्तपोषण हेतु अपेक्षित मशीनरी बनाने में अथवा बनाने में मदद करने में; तथा (ii) यह सुनिश्चित करने में कि उपलब्ध वित्त का प्रवाह अभिप्रेत दिशाओं में हो।

3.59 आज़ादी के बाद तैयार की गयी अधिकांश नीतियों की तह में परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में बैंकिंग के उपयोग की सरकार की इच्छा थी। संस्थागत ऋण का दायरा बढ़ाने की दिशा में ये पहले प्रयास थे। इस प्रकार, भारत में बैंकिंग की 'निष्क्रिय' अथवा 'शुद्ध' भूमिका के लिए बहुत कम समर्थन था। वित्तीय संस्थाओं के बीच बैंकों को अद्वितीय माना गया तथा उन्हें योजनाबद्ध युग के आरंभ से विकासात्मक भूमिका दी गयी। जमासंग्रहण से प्राप्त संसाधनों को सर्वाधिक उत्पादक उपयोगों में लगाना अपेक्षित था और बैंकिंग प्रणाली से ऐसी आशा थी कि वह भुगतान प्रणाली के एक कारगर माध्यम के रूप में कार्य करेगी। ऐसा करने में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा पूरे देश में संस्थागत ऋण का विस्तार किया जाना अपेक्षित था। इन परिवर्तनों की आवश्यकता इस तथ्य के कारण महसूस की गयी कि देश की आज़ादी के समय भारत में बैंकिंग क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा, कमजोर और शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रित था। संगठित क्षेत्र के अधिकांश बैंक प्रमुख रूप से कृषि उपज का लेनदेन करनेवाले व्यापारियों को ऋण प्रदान करते थे।

3.60 बैंकिंग का प्रवेश ग्रामीण और अर्द्धशहरी केंद्रों में नहीं हुआ था तथा सूदखोरी का अभी भी बोलबाला था। कृषि उत्पाद और ऋण के बाजारों के बीच बड़ी मात्रा में अंतर-संबंध मौजूद था तथा कृषि साहूकार और व्यापारी किसानों को अग्रिम देते थे तथा उसकी उपज बाजार मूल्य से कम दाम से खरीदते थे। ऋण तथा उत्पाद बाजारों के बीच इस प्रकार के अंतर-संबद्ध से ऊंची ब्याज दरों तथा कम उत्पाद मूल्य का चक्र चलता रहा जिससे उच्च ब्याज दर - उच्च ऋण - कम आय के स्वरूप का संतुलन पैदा हो गया। यह बना रहा क्योंकि कृषि, लघु उद्योगों, पेशेवरों और स्वनियोजित उद्यमियों, कारीगरों तथा छोटे व्यापारियों को संस्थागत बैंक ऋण उपलब्ध नहीं था। अनुसंधानकर्ताओं ने यह पाया कि चूंकि ग्रामीण ऋण बाजार पृथक थे, साहूकार/मकान मालिक एकाधिकार के साथ कार्य कर सकते थे तथा किसानों से अत्यधिक ऊंची दरों पर ब्याज वसूल सकते थे (भादुरी, 1977)। उत्पाद, ऋण और श्रम बाजारों के बीच अंतर-संबंध को सिर्फ संस्थागत ऋण के प्रसार द्वारा कारगर तरीके से तोड़ा जा सकता था। सहकारी संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था परंतु वे कमजोर थीं। आज़ादी के समय, अधिकांश बैंक ऋण वाणिज्य और उद्योग को जाता था तथा कृषि को बहुत कम हिस्सा मिलता था (सारणी 3.16)। यह इस तथ्य के बावजूद था कि 1950 में जीडीपी का लगभग 55 प्रतिशत कृषि से आता था।

3.61 क्षेत्र के बारे में जानकारी के अभाव से सूचना की असममिति पैदा हुई तथा छोटे कृषि ऋण की स्वीकृति के लिए बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे बड़ी संख्या में छोटे खाते रखें तथा यह कार्य समय-साध्य और कम लाभप्रद था। इसके अलावा उधार संबंधी कार्य मोटे तौर पर

**सारणी 3.16 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन**

| निम्नलिखित के अंत में | कुल (करोड़ रुपये) | कुल में हिस्सा (प्रतिशत) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उद्योग | वाणिज्य | कृषि | निजी और व्यावसायिक | अन्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| दिसंबर, 1949 | 439 | 30.4 | 51.4 | 1.9 | 8.7 | 7.6 |
| मार्च, 1950 | 498 | 31.5 | 52.1 | 2.3 | 7.9 | 6.3 |
| जून, 1950 | 476 | 32.5 | 50.1 | 3.2 | 8.2 | 6.0 |
| सितंबर, 1950 | 438 | 34.0 | 47.6 | 3.3 | 9.4 | 5.6 |
| दिसंबर,1950 | 476 | 32.0 | 51.7 | 2.3 | 8.9 | 5.1 |

**स्रोत :** भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति, रिज़र्व बैंक, 1951-52।

प्रतिभूति आधारित होते थे तथा छोटे उधारकर्ताओं के पास भूमि, जो प्रायः भार रहित नहीं होती थी, के अलावा बहुत कम प्रतिभूति होती थी। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के अनुसार, 1951-52 में किसानों का कुल उधार 750 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। इसमें से, वाणिज्य बैंक सिर्फ 0.9 प्रतिशत देते थे, कृषि साहूकार 24.9 प्रतिशत तथा पेशेवर साहूकार और 44.8 प्रतिशत प्रदान करते थे। इस प्रकार, आज़ादी के समय वित्तीय प्रणाली प्रतिरूपी तौर पर अल्पविकसित थी। 1951 में देश में 551 वाणिज्य बैंक थे। आबादी के प्रति बैंक कार्यालय का अनुपात प्रति 1,36,000 व्यक्तियों के प्रति एक शाखा पर आश्चर्यजनक रूप से कम था[20]। बचत की आदतें भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई थीं तथा बचत दर राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत थी । अल्पविकसित बैंकिंग प्रणाली वित्तीय प्रणाली में गहरायी में व्यापक कमी की विशेषता थी। कृषि क्षेत्र की जरूरतें पर्याप्त रूप से पूरी नहीं होती थीं क्योंकि बैंकों के पास उनका ग्रामीण परिचालन बढ़ाने के बारे में न तो कोई विशेषज्ञता थी और न कोई इच्छा। तथापि, बैंक व्यावसायिक घरानों द्वारा चलाए जाते थे जो लाभ और मूल उद्योगों के वित्तपोषण जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए कार्य करते थे। उनमें से कई लोगों की कृषि परिचालन में कोई दिलचस्पी नहीं थी।

3.62 आज़ादी के समय ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाना एक प्रमुख उद्देश्य था । यह सुझाव दिया गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अपनी शाखाओं का विस्तार तालुका अथवा तहसील स्थित शहरों तक करना चाहिए जहां सरकारी लेनदेनों तथा व्यावसायिक संभाव्यताओं की मात्रा को देखते हुए ऐसा विस्तार अपेक्षित है[21]। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1951 से आरंभ कर पांच वर्ष के भीतर 114 कार्यालय खोलने का लक्ष्य दिया गया। अन्य वाणिज्य बैंकों तथा सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी शाखाओं का विस्तार तालुका शहरों, छोटे कस्बों और अर्द्धशहरी क्षेत्रों तक करने का प्रयास करें। गांवों के लिए, यह वांछनीय माना गया कि डाक बचत बैंकों और सहकारी बैंकों के तंत्र का विस्तार कर उनका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। पांच वर्ष में 114 शाखाएं खोलने के लक्ष्य की तुलना में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 20 जून 1955 तक सिर्फ 63 शाखाएं खोल सका।

3.63 प्रमुख रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि आधार तथा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण संरचना के विस्तार और समन्वय की तात्कालिक जरूरत के संदर्भ में रिज़र्व बैंक की भूमिका अद्वितीय थी । रिज़र्व बैंक/सरकार द्वारा त्रिस्तरीय नीतिगत पहलें की गयीं। पहला, समस्या के आयाम को समझने के लिए एक समिति का गठन किया गया। दूसरा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। तीसरा, कृषि बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक अधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी मुद्दे के समाधान के लिए एक संस्था का गठन किया गया।

3.64 ग्रामीण क्षेत्र के वित्तपोषण संबंधी चिंताओं को दूर करने में सक्षम होने हेतु जमीनी सच्चाई की समझ के लिए, रिज़र्व बैंक ने 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण कृषि सर्वेक्षण समिति (एआइआरसीएस) का गठन किया। एआइआरसीएस सर्वेक्षण संबंधी परिणाम अगस्त 1954 में प्रस्तुत किए गए तथा उसी वर्ष दिसंबर में उन्हें प्रकाशित किया गया। उक्त सर्वेक्षण में रिज़र्व बैंक की विकासात्मक भूमिका के बारे में बहुत स्पष्ट सुझाव दिए गए। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई और संस्था निर्माण की कार्यसूची किसी भी मानदंड से व्याप्ति और आकांक्षा के रूप में प्रभावी थी[22]। इसकी मूल सिफारिशें भी उतनी ही प्रभावी थीं। वस्तुतः भारत में बैंकिंग परिदृश्य में हुए अनेक परिवर्तनों का विकास इस रिपोर्ट की सिफारिशों में निहित है। इस सर्वेक्षण द्वारा इस मूलभूत विचार का समर्थन किया गया कि बैंकिंग द्वारा औसत भारतीय की समस्याओं के निराकरण में मदद की जानी चाहिए। सर्वेक्षण समिति ने यह पाया कि ग्रामीण ऋण प्रणाली की मुख्य कमी इसमें फोकस का अभाव है। यह सर्वेक्षण करने वाली निदेश समिति की यह राय थी कि कृषि ऋण की मात्रा उचित से कम है, यह सही प्रकार का नहीं है, इससे सही प्रयोजन पूरा नहीं होता तथा प्रायः यह सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। समिति ने यह भी पाया कि कृषि ऋण के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं का कार्यनिष्पादन एक से अधिक रूपों में कम था, साथ ही किसानों तक ऋण पहुंचाने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि '*सहकारिता विफल रही है, परंतु सहकारिता को सफल होना चाहिए*' (मोहन, 2004क)। समिति की यह परिकल्पना थी कि विपणन, प्रोसेसिंग तथा भंडारण जैसे विशेष तौर पर विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्रों के लिए कृषि परिचालनों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु सहकारी ऋण बहुत उपयुक्त है। इसने नोट किया कि कृषि को दिए जाने वाले ऋण के संस्थानीकरण के संवर्धन में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण सहभागिता है और इस बात की संस्तुति की कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और राज्य संबद्ध प्रमुख बैंकों का सांविधिक समामेलन कर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) बनाया जाए। रिपोर्ट में सूचित किया गया कि राष्ट्रीयकरण से विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में शाखा विस्तार

[20] रिज़र्व बैंक का इतिहास, खंड II, पृष्ठ 1.

[21] ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति (1950).

[22] रिज़र्व बैंक का इतिहास खंड I.

का त्वरित कार्यक्रम शुरू करना संभव होगा[23]। भारतीय स्टेट बैंक बनाए जाने से ऐसी आशा थी कि राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र का संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे सहकारी नेटवर्क की वृद्धि का पोषण करने का भी आशा थी। सर्वेक्षण के अनुसार, नकदी के सस्ते और सक्षम विप्रेषण के लिए सुविधाओं का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की स्थापना में एक प्रमुख बाधा था। सिर्फ इंपीरियल बैंक (रिज़र्व बैंक से इसे प्राप्त करेंसी चेस्टों के माध्यम से) इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर सकता था।

3.65 अतः सरकार ने पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण इस उद्देश्य के साथ किया कि ''बड़े पैमाने पर, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा सके और अन्य विविध सार्वजनिक प्रयोजन पूरे किए जा सकें।'' भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 पारित होने के साथ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में रूपांतरित किया गया। स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण से 'ऋण पात्रता' से 'प्रयोजन पात्रता' की ओर ध्यान केंद्रित किए जाने संबंधी गतिशील परिवर्तन आने की आशा थी। बैंकों को इस प्रकार की संस्था बनाने का विचार था जो तेज सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में दक्ष माध्यम के रूप में कार्य कर सकें। एसबीआइ तथा सरकार के बीच संबंध में दूरी बनाए रखने के लिए काफी सावधानी बरती गयी। इस संदर्भ में एसबीआइ का स्वामित्व रिज़र्व बैंक को अंतरित किया गया। ऐसा महसूस किया गया कि रिज़र्व बैंक इस नयी संस्था की रक्षा राजनैतिक और प्रशासनिक दबावों से कर सकेगा तथा मोटे तौर पर वांछित उद्देश्यों के प्रति इसकी नीतियां अभिमुख करने के बावजूद सुदृढ़ बैंकिंग सिद्धांतों तथा कारोबार के उच्च मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकेगा। यह भी विश्वास किया गया कि इस कदम से परिवर्तित नाम के तहत इंपीरियल बैंक के कारपोरेट स्वरूप की रक्षा की जा सकेगी[24]।

3.66 भारतीय स्टेट बैंक से ऐसी अपेक्षा थी कि वह बैंक-सुविधारहित केंद्रों में पांच वर्ष के भीतर 400 शाखाएं खोलेगा, और उसने 416 शाखाएं खोलकर इस लक्ष्य को पार कर लिया (माथुर, 1995)। ऐसी परिकल्पना थी कि देश भर में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकिंग संबंधी लेनदेन करने के लिए एसबीआइ रिज़र्व बैंक के प्रधान एजेंट के रूप में कार्य करेगा। वस्तुतः इस उपाय से भारत में एक सशक्त ग्रामीण ऋण आंदोलन को समर्थन देने के उद्देश्यों को बढ़ावा मिला। इसकी स्थापना से बैंकिंग परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना से बैंक सुविधारहित केंद्रों में बड़ी संख्या में शाखाएं खोली गयीं। भारतीय स्टेट बैंक के 'सरकारी' स्वामित्व ने डाक घरों तथा भौतिक बचतों जैसे 'सुरक्षित' क्षेत्रो के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद की। शाखा नेटवर्क का विस्तार करने के निरंतर प्रयासों का बैंकों द्वारा जमाराशि संग्रहण तथा समग्र बचत दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां, जिसमें 1951-1953 में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गयी तथा 1953-54 में 1.9 प्रतिशत की अल्प सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी, 1954-55 तथा 1956-57 की अवधि के दौरान 10-12 प्रतिशत बढ़ीं (सारणी 3.17)। जमासंग्रहण में वृद्धि को आय के स्तरों में वृद्धि द्वारा भी सुसाध्य बनाया गया। पंचवर्षीय योजना का अर्थव्यवस्था पर उच्च गुणक प्रभाव पड़ा । आय के स्तर में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे बैंकिंग की आदत बढ़ी।

3.67 बैंकों द्वारा जमा संग्रहण में वृद्धि का वित्तीय बचतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा तथा 1954-55 से 1955-56 के दौरान उनमें तेज वृद्धि

**सारणी 3.17 : अनुसूचित वाणिज्य बैंक - जमा संग्रहण**

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) | मांग जमाराशियां | मांग जमाराशियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) | आवधिक जमाराशियां | आवधिक जमाराशियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) | समस्त जमाराशियां (2+4) | समस्त जमाराशियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1951-52 | 566 | -4.4 | 286 | -1.4 | 852 | -3.4 |
| 1952-53 | 522 | -7.8 | 310 | 8.4 | 832 | -2.3 |
| 1953-54 | 522 | 0.0 | 326 | 5.2 | 848 | 1.9 |
| 1954-55 | 568 | 8.6 | 375 | 15.0 | 943 | 11.2 |
| 1955-56 | 631 | 11.1 | 412 | 9.9 | 1043 | 10.6 |
| 1956-57 | 703 | 11.5 | 472 | 14. 6 | 1176 | 12.7 |

**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07 (रिज़र्व बैंक)।

[23] रिज़र्व बैंक का इतिहास खंड I, पृष्ठ 238

[24] रिज़र्व बैंक का इतिहार खंड II, पृष्ठ 338.

हुई। 1953-54 तथा 1955-56 के दौरान वित्तीय बचतों में वृद्धि का एक हिस्सा भौतिक बचतों के वित्तीय बचतों में परिवर्तन से प्राप्त हुआ (सारणी 3.18)।

3.68 जिन 8 बैंकों ने एसबीआइ के सहायक बैंकों का रूप लिया था उनका राष्ट्रीयकरण 1960 में कर दिया गया। इससे एक तिहाई बैंकिंग खंड सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत आ गया। औसत भारतीय को प्रायः अत्यधिक ब्याज दर- ऋण चक्र से मुक्त करने के लिए संस्थागत ऋण का विस्तार करने का विचार था।

3.69 समिति की एक अन्य सिफारिश अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनर्विन्यास तथा कृषि विकास के लिए दीर्घावधि ऋण में विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं के पुनर्गठन से संबंधित थी। उक्त रिपोर्ट में कृषि को मध्यावधि ऋण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थागत ऋण की जरूरत की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। इन प्रयासों से अंततः 1963 में भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम का सृजन हुआ जिसका उद्देश्य पुनर्वित्त के माध्यम से निधि उपलब्ध कराना था। ऐसे निवेशों का वित्तपोषण करने के लिए 1 जुलाई 1963 के अधिनियम द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम (एआरसी) की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना था।

3.70 बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षित तथा अनुभवी व्यावसायिक प्रबंधकों की वास्तविक कमी की समस्या का समाधान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने उनके प्रबंधकीय स्टाफ की दक्षता में सुधार लाने हेतु कृषि-ग्रामीण विकास, सहकारी बैंकिंग तथा संबंधित क्षेत्रों में शामिल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने का कार्य शुरू किया। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 1954 में ''बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा भारत में बैंकों के प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयोजन'' के लिए बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की[25]।

3.71 बैंककारी कंपनी अधिनियम (धारा 23) की यह अपेक्षा थी कि बैंकों को नए स्थान पर कारोबार शुरू करने से पहले रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। संस्थागत ऋण के जाल का विस्तार करने के अधिदेश का समाधान मई 1962 में 'नयी शाखा लाइसेंसीकरण नीति' लागू करके किया गया। बैंक विस्तार नीति में प्रवेश स्तर पर कुछ मानदंड निर्धारित किए गए ताकि उन कई अन्य देशों की तरह विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का खयाल रखा जा सके जिन्होंने बैंकों के प्रवेश के लिए व्यापक कानूनी और विनियामक मानदंड स्थापित किए थे। इसके पीछे तर्क यह था कि बैंक की आंतरिक नियंत्रण संरचना को प्रबलित किया जाए तथा बाजार में अनुशासन सुनिश्चित किया जाए। इस नीति से बैंकिंग के प्रसार का सामाजिक लक्ष्य भी पूरा हुआ क्योंकि इसमें बैंक सुविधारहित क्षेत्रों में बैंक शुरू करने पर बल दिया गया। प्रति बैंक कार्यालय आबादी संबंधी आंकड़ों की जांच कर बैंक सुविधारहित क्षेत्रों की पहचान की गयी। नयी लाइसेंसीकरण नीति में पूरे देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। नयी नीति आरंभ होने के पहले, शाखा लाइसेंस प्राथमिक तौर पर बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर स्वीकृत किए जाते थे। यह महसूस किया गया कि आवेदक बैंक की वित्तीय स्थिति के साथ नए कार्यालय खोलने की अनुमति को संबद्ध करके इसके प्रबंधन की सामान्य गुणवत्ता, इसकी पूंजी संरचना की पर्याप्तता तथा भविष्य में इसके अर्जन की संभावनाओं का समाधान किया जा सकेगा। बैंकों की अर्थक्षमता के मुद्दे के साथ छोटे बैंकों का विस्तार हतोत्साहित होगा। इस प्रकार, उक्त नीति में बड़े और अखिल भारतीय बैंकों के पक्ष में भेदभाव किया गया।

**सारणी 3.18 : घरेलू क्षेत्र की बचत**

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) | घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतें | घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों में वृद्धि (प्रतिशत) | घरेलू क्षेत्र की भौतिक बचतें | घरेलू क्षेत्र की भौतिक बचतों में वृद्धि (प्रतिशत) | कुल घरेलू बचतें (2+4) | कुल घरेलू बचतों में वृद्धि (प्रतिशत) | सकल देशी बचतें | सकल देशी बचतों में वृद्धि (प्रतिशत) | जीडीपी के प्रति कुल घरेलू बचतें (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1951-52 | 14 | -77.4 | 532 | 3.1 | 546 | -5.5 | 969 | 11.3 | 5.3 |
| 1952-53 | 72 | 414.3 | 527 | -0.9 | 599 | 9.7 | 845 | -12.8 | 5.9 |
| 1953-54 | 142 | 97.2 | 474 | -10.1 | 616 | 2.8 | 875 | 3.6 | 5.6 |
| 1954-55 | 282 | 98.6 | 389 | -17.9 | 671 | 8.9 | 988 | 12.9 | 6.5 |
| 1955-56 | 429 | 52.1 | 562 | 44.5 | 991 | 47.7 | 1356 | 37.3 | 9.4 |

**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07 (रिज़र्व बैंक)।

[25] भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास खंड II, पृष्ठ 425.

**सारणी 3.19 : वाणिज्य बैंकों का शाखा विस्तार**

| दिसंबर-अंत | ग्रामीण | अर्ध-शहरी | शहरी/महानगरीय | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1952 | 540 (13.3) | 1942 (47.8) | 1451 (35.7) | 4061# |
| 1960 | 831 (16.5) | 2512 (50.0) | 1633 (33.5) | 5026 |
| 1965 | 801 (13.1) | 2836 (46.2) | 2354 (38.4) | 6133* |
| 1967 | 1247 (17.9) | 3022 (43.3) | 2716 (38.9) | 6985 |

# : 128 शाखाएं अवर्गीकृत थीं।
* : 142 शाखाएं अवर्गीकृत थीं।

**नोट :** कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।
**स्रोत :** भारत स्थित बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सार, विभिन्न अंक।

3.72 1913 तथा 1955 के बीच प्रत्येक एकल वर्ष में, भारत में कई बैंक विफल हुए (अनुबंध III.1)। 1945 तक सूचना देने वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई, परंतु उसके बाद उसमें निरंतर गिरावट आयी (अनुबंध III.2)।

3.73 1952 तथा 1960 के बीच तथा आगे 1960 और 1967 के बीच शाखाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रति कार्यालय आबादी 1951 के 1,36,000 से घटकर 1960 में 92,000 तथा 1967 में और घटकर 65,000 रह गयी। तथापि, ग्रामीण/अर्द्धशहरी तथा शहरी/महानगरी केंद्रों में शाखाओं का स्वरूप मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा (सारणी 3.19)। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वितरित ऋण में कृषि के हिस्से में भी सुधार नहीं हुआ। कृषि को ऋण मात्र 2.2 प्रतिशत था अर्थात, 1951 और 1967 के बीच मात्र 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसके ठीक विपरीत उद्योग का हिस्सा 1951 के 34 प्रतिशत से लगभग दुगुना होकर 1967 में 64.3 प्रतिशत हो गया (सारणी 3.20)।

**सारणी 3.20: विभिन्न क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिम**

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्षेत्र | मार्च 1951 का अंत | | मार्च 1967 का अंत | |
|---|---|---|---|---|
| | राशि | कुल अग्रिमों में हिस्सा (प्रतिशत) | राशि | कुल अग्रिमों में हिस्सा (प्रतिशत) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| उद्योग | 199 | 34.0 | 1747 | 64.3 |
| वाणिज्य | 211 | 36.0 | 527 | 19.4 |
| वित्तीय | 74 | 12.7 | 97 | 3.6 |
| वैयक्तिक | 40 | 6.8 | 115 | 4.2 |
| कृषि | 12 | 2.1 | 57 | 2.2 |
| अन्य | 49 | 8.4 | 174 | 6.3 |
| **कुल** | **585** | **100** | **2716** | **100** |

**स्रोत :** भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट, 1951-52 तथा 1967-68।

## ब्याज दरों तथा व्यष्टि नियंत्रणों की नियंत्रित संरचना का उदय

3.74 यह अवधि मौद्रिक नीति के लिए भी कठिन थी क्योंकि इसमें राजकोषीय नीति का निभाव करना था जोकि दो युद्धों और एक सूखे के कारण दबाव में थी। बढ़ते हुए घाटे और साथ में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दरों की नियंत्रित संरचना तथा कई अन्य व्यष्टि स्तरीय नियंत्रणों का उदय हुआ। आरंभिक वर्षों में, रिज़र्व बैंक बैंक ऋण की लागत को प्रभावित करने के लिए बैंक दर जैसी अप्रत्यक्ष लिखतों के बजाय बैंकों की उधार दरों के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण पर निर्भर रहा। ऐसा आम तौर पर न्यूनतम ब्याज दरें निर्धारित करके किया गया। इन अनिवार्यताओं से ब्याज दरों के और उप-वर्गीकरण की अपेक्षा की गयी तथा चयनित ऋण नियंत्रण के तहत शामिल विभिन्न पण्यों के प्रति दिए जाने वाले ऋण के प्रति अलग से न्यूनतम उधार दरें निर्धारित की जाने लगीं। साथ ही, कुछ प्रयोजनों अथवा कुछ क्षेत्रों के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों पर रियायती अथवा उच्चतम सीमा वाली ब्याज दरें लागू की गयीं ताकि ब्याज का भार कम करके उनके विकास को सुकर बनाया जाए। जमाराशियों पर ब्याज दरें सितंबर 1964 में भी विनियमित की गयीं। जमाराशियों पर दरें निर्धारित करने का उद्देश्य यह था कि जमाराशियों के लिए बैंकों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को टाला जाए तथा जमा दरों के स्तर को बैंकों की उधार दरों के अनुरूप रखते हुए बैंकों की लाभप्रदता सुनिश्चित की जाए। इनके पहले, ब्याज दरों में परिवर्तन महत्वपूर्ण भारतीय और विदेशी बैंकों के बीच ऐच्छिक अंतर-बैंक करारों द्वारा नियंत्रित था जिसके तहत ब्याज दरों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती थी। इस प्रकार, ब्याज दर विनियमन का उद्देश्य बचत दर बढ़ाने के साथ उत्पादक कार्यकलापों के लिए ऋण की लागत को उचित रूप से निम्न स्तर पर रखने जैसे विरोधी उद्देश्यों को संतुष्ट करना था। विरोधी दिखायी देनेवाले इन उद्देश्यों का समाधान जमाकर्ता, उधारकर्ता, प्रयोजन, उधारकर्ता की पृष्ठभूमि, उसकी आर्थिक हैसियत, ऋण की स्वीकृति किस प्रकार के कार्यकलाप के लिए की गयी तथा ऐसे ऋण की राशि के अनुसार ब्याज दरें निर्धारित करके किया गया। जमा श्रेणियों के बीच ब्याज दर में परिवर्तन कर के भी जमाराशियों के स्वरूप में कुछ बदलाव किया गया। दीर्घावधि जमाराशियों को प्रोत्साहित करने के लिए, जमा दरों पर अधिकतम सीमा तथा दीर्घावधि जमाराशियों के लिए न्यूनतम सीमा के विनिर्देश निर्धारित किए गए। योजनाबद्ध विकास के लिए संसाधनों की जरूरत ने क्रमिक रूप से सरकार की उधार राशियों में वृद्धि की। वृद्धि के संवर्धन के उद्देश्यों के अलावा सरकारी उधार की लागत कम रखने के अभिभावी उद्देश्य, तथा एक बार बढ़ा दिए जाने पर बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरें कम करने में होनेवाली कठिनाई के कारण ब्याज दर निर्धारण में काफी अनमनीयता आ गयी। जहां कुछ मात्रा में सभी लक्षित उद्देश्य पूरे किए गए, मौद्रिक नीति के संकेत के रूप में ब्याज दरों ने कार्य करना बंद कर दिया। बैंक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें निर्धारित कर परस्पर सामान्यतः प्रतिस्पर्धा करते हैं । तथापि, नियंत्रित ढांचे के तहत

बैंकों के स्प्रेड को भलीभांति तय किया गया था तथा बैंकों ने अपने संसाधनों को इष्टतम बनाने, प्रतिस्पर्धी दरों का प्रस्ताव करने और कारोबार बनाए रखने संबंधी सभी पहलें खो दीं। इसका शुद्ध परिणाम यह हुआ कि उधारकर्ताओं को ऊंची दरों पर ब्याज अदा करना पड़ा। ब्याज दरों के नियंत्रित ढांचे के कारण बैंक उधारकर्ताओं की साखपात्रता के आधार पर अपने उत्पादों का मूल्य नहीं निर्धारित कर सके तथा इसके कारण भी संसाधनों का गलत आबंटन हुआ।

3.75 1961 से 1967 तक की अवधि देश के लिए विशेष रूप से कठिन थी। इन वर्षों के दौरान दो युद्ध तथा खराब फसल के कई मौसम देखे गए। अस्थिर स्थिति तथा कृषि में स्थिरता की पृष्ठभूमि में वित्तपोषित किए जानेवाले सार्वजनिक व्यय की बढ़ी हुई अपेक्षाओं को देखते हुए, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास बाकी नहीं रखा कि बैंकिंग क्षेत्र के संसाधन सट्टापूर्ण अथवा अनुत्पादक सरणियों में न जाने पाएं। मुद्रास्फीति अधिक थी तथा समय-समय पर कमियां भी देखी गईं।

3.76 1966 में, बैंकिंग क्षेत्र को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन अधिकाधिक रूप में लाया गया। कुछ संस्थाओं के पास संसाधन संकेंद्रित होने के मुद्दे के कारण वास्तविक उत्पादक क्षेत्रों की जरूरतें पूरी न हो सकीं। अतः यह निर्णय लिया गया कि ऋण के कारगर उपयोग का संवर्धन करने के उपाय किए जाएं तथा दुर्लभ ऋण का पूर्वक्रय करने से बड़े उधारकर्ताओं को रोका जाए और कुछ वर्षों के दौरान घोषित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के समग्र संदर्भ में बैंक ऋण द्वारा समाविष्ट ऋणकर्ताओं के दायरे का विस्तार किया जाए। 1965 में लागू ऋण प्राधिकरण योजना (सीएएस) के तहत वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वह समय-समय पर संशोधित निर्धारित मानदंड के ऊपर कोई नई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करें। पहले यह सीमा जमानती और/अथवा गैर-जमानती आधार पर किसी एक पक्षकार के लिए एक करोड़ रुपए या अधिक अथवा ऐसी कोई सीमा, जो समग्र बैंकिंग प्रणाली से ऐसे एक पक्षकार को प्राप्त कुल सीमाओं को एक करोड़ रुपए अथवा अधिक तक ले जाए, पर तय की गई। जहां पहले कुछ वर्षों में, सीएएस का अभिप्राय प्रस्तावित ऋण सुविधाओं की संवीक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों द्वारा बड़े उधारकर्ताओं का अनुचित रूप से पक्ष न लिया जाए, वहीं बाद के वर्षों में इसका अभिप्राय पंचवर्षीय योजनाओं की अपेक्षाओं तथा बैंकों के उधार कार्यकलापों के बीच निकटतर संरेखण प्राप्त करना माना जाने लगा।

3.77 कुल मिलाकर, आजादी के आरंभ के चरण में मौजूद बैंकिंग परिदृश्य की तीन प्रमुख असंतोषजनक विशेषताएं थीं। पहला, बैंकों की विफलताओं ने बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता और स्थिरता के बारे में चिंता उत्पन्न कर दी। दूसरा, कुछ व्यावसायिक परिवारों अथवा समूहों के हाथों में जमा संग्रहण से प्राप्त संसाधनों का व्यापक संकेंद्रण था। बैंकों ने निधियां जुटायीं तथा उन्हें व्यापक तौर पर अपनी नियंत्रक संस्थाओं को उधार के रूप में प्रदान किया। तीसरा, जहां तक बैंक ऋण का संबंध था, कृषि की अब तक उपेक्षा की गई। इस अवधि की एक प्रमुख गतिविधि बैंककारी विनियमन अधिनियम पारित करना थी जिसने रिज़र्व बैंक को बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन की शक्तियां प्रदान कीं। ये शक्तियां आवश्यक थीं क्योंकि आजादी के बाद भी बैंकों का विफल होना जारी रहा हालांकि विफल हुए बैंकों की संख्या कम हो गई। रिज़र्व बैंक कुछ समय में बैंकिंग क्षेत्र की सुरक्षा और सुदृढ़ता में सुधार लाने में सफल रहा क्योंकि कई कमजोर बैंकों (जिनमें से अधिकांश गैर अनुसूचित थे) को समामेलन/परिसमापन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप, गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या 1951 के 475 से तेजी से गिरकर 1967 में 20 रह गई। व्यापक सार्वजनिक निवेश के 'गुणक' प्रभाव से गति पाने के कारण बैंकिंग क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि हुई तथा संरचनागत परिवर्तन हुए।

3.78 आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार किए जाने तथा अर्थव्यवस्था में बैंक भूमिका के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ने के साथ यह महसूस किया गया कि उस समय की वाणिज्य बैंक उधार प्रणाली में बहुत कम सामाजिक तत्व था तथा इससे आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को मदद मिली। यह महसूस किया गया कि यह प्रणाली अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों, लघु उद्योग और कृषि की जरूरतें पूरी नहीं कर रही थी क्योंकि इसमें बड़े ग्राहकों को उधार देने पर ध्यान केंद्रित था। यद्यपि भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने 1950 और 1960 के दशक में काफी प्रगति की, इसके लाभ ऋण की उपलब्धता के रूप में आम आदमी तक नहीं पहुंच सके। इसका मुख्य कारण बैंकों तथा औद्योगिक घरानों के बीच अंतर्बन्धन (नेक्सस) था जिन्होंने बैंक ऋण का बड़ा भाग हथिया लिया तथा कृषि और लघु उद्योगों के लिए बहुत कम भाग बच पाया। बैंक ऋण का इस प्रकार का आबंटन ऋण का साम्यिक आबंटन प्राप्त करने के लक्ष्य तथा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित सापेक्ष प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं था। संस्थागत ऋण की अपेक्षा और आपूर्ति के बीच का ऋण अंतराल सहकारी संस्थाओं द्वारा अनिवार्य रूप से नहीं भरा जा सका। अतः कृषि के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाने के प्रयास किए गए।

3.79 स्वतंत्रता की पूर्वसंध्या पर, बैंकिंग प्रणाली प्रमुख रूप से शहरी और महानगरी क्षेत्रों में संकेंद्रित थी। स्वतंत्रता की आरंभिक अवधि में, बैंकिंग को विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक और शाखा लाइसेंसिंग नीति के जरिए ग्रामीण तथा उपेक्षित क्षेत्रों तक प्रसारित करने के प्रयास किए गए। बैंक शाखाओं की संख्या 1951 के 4151 से बढ़कर 1967 में 7025 हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की

संख्या में वृद्धि था, जो 1951 के 2647 कार्यालयों (92 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के) से बढ़कर 1967 में 6816 कार्यालय (71 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के) तक पहुंच गई। प्रति शाखा औसत आबादी 1951 के 1,36,000 से घटकर 1967 में 65,000 रह गई। तथापि, इस अवधि में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का पैटर्न मोटे तौर पर वैसा ही बना रहा। 1951 तथा 1967 के बीच कुल बैंक ऋण में कृषि का हिस्सा भी कमोबेश उसी स्तर पर रहा। इस अवधि में, उत्पादक कार्यकलापों के लिए ऋण की लागत उचित स्तर पर कम रखते हुए बचत दरें बढ़ाने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के कारण ब्याज दरों की संरचना तथा अन्य व्यष्टि नियंत्रण जटिल हो गए। इस अवधि में कई अन्य नियंत्रण यथा ऋण प्राधिकरण योजना तथा चयनात्मक ऋण नियंत्रण भी देखे गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण कुछ एक हाथों तक संकेंद्रित न रहे तथा यह सुवितरित हो।

## IV. बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण - 1967 से 1991

3.80 स्वतंत्रता के समय बैंकिंग से संबंधित तीन प्रमुख असंतोषजनक विशेषताओं में से दो, अर्थात बैंक और उद्योग के बीच अंतर्बन्धन तथा कृषि की उपेक्षा, स्वतंत्रता के बीस वर्ष बाद भी प्राधिकारियों के लिए चिंता का कारण बनी रहीं। इस बात की आशंका थी कि कुछ व्यावसायिक घराने उनसे संबद्ध बैंकों के माध्यम से देश की बैंकिंग आस्तियों के महत्वपूर्ण भाग पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा, इस प्रकार का नियंत्रण जमाकर्ताओं के हितों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, यदि इसके फलस्वरूप बैंकों का एक्सपोजर व्यक्तिगत फर्मों अथवा व्यावसायिक समूहों के प्रति अत्यधिक बढ़ जाए।[26]

3.81 इन मसलों का समाधान करने के लिए, दिसंबर 1957 में बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 के जरिए बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की संकल्पना लागू की गई, जो 1 फरवरी 1969 से प्रभावी हुई। उक्त अधिनियम के अनुसार किसी बैंक के निदेशक मंडल के कुल सदस्यों में से कम से कम 51 प्रतिशत सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनके पास लेखाशास्त्र, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि तथा लघु उद्योग जैसे एक या अधिक मामलों में विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव हो। इसके अलावा, प्रत्येक बैंक में एक ऐसा पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए जो उद्योगपति नहीं हो परंतु एक पेशेवर बैंकर हो तथा उसके पास बैंकिंग (वित्तीय संस्थाओं सहित) अथवा वित्तीय, आर्थिक या व्यावसायिक प्रकाशन की विशेष जानकारी तथा व्यावहारिक अनुभव हो; उसकी अवधि एक समय पर 5 साल से अधिक की नहीं होगी। परिस्थितियों की मांग के अनुसार रिज़र्व बैंक को न सिर्फ अध्यक्ष अपितु किसी निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (उसका जो भी नाम हो) अथवा अन्य किसी अधिकारी अथवा बैंक के किसी कर्मचारी को नियुक्त करने, हटाने अथवा उसकी सेवाएं समाप्त करने की शक्तियां प्रदान की गईं। उक्त कार्य करते हुए, रिज़र्व बैंक से यह अपेक्षा की गई कि वह न सिर्फ संबंधित बैंक अथवा उसके निदेशकों के हितों को ध्यान में रखे अपितु बैंकिंग नीति के हितों या सार्वजनिक हित को भी ध्यान में रखे।

3.82 सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यह था - बैंक ऋण का अधिक विस्तार करना, इसके दुरुपयोग को रोकना, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण की अधिक मात्रा निर्दिष्ट करना तथा इसे आर्थिक विकास का अधिक कारगर साधन बनाना। बैंक प्रबंधन के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करने तथा योजना की प्राथमिकता के अनुरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया के पुनरभिमुखीकरण का संवर्धन करने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक था। यह महसूस किया गया कि बैंक ऋण की मांग के आवधिक आकलन, उधार देने के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच निवेश और बैंकिंग प्रणाली द्वारा इनके बारे में उचित अनुवर्ती कार्रवाई की मदद से ऋण का एक उद्देश्यपूर्ण और साम्यिक वितरण सुनिश्चित किया जाए। ऐसी आशा की गई कि ऐसे उपाय से बैंकिंग प्रणाली को आर्थिक नीति की आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप करना सुनिश्चित किया जा सकेगा। योजना की प्राथमिकता के अनुसार ऋण के आबंटन में रिज़र्व बैंक तथा सरकार की सहायता के लिए फरवरी 1968 में राष्ट्रीय ऋण परिषद (एनसीसी) का गठन किया गया। इसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए - (i) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से बैंक ऋण की मांग का अनुमान लगाना; तथा (ii) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, लघु उद्योग और निर्यात की जरूरतों तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऋण की स्वीकृति अथवा निवेश के लिए प्राथमिकता निर्धारित करना। उक्त परिषद ने वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं के उधार और निवेश की नीति का समन्वयन करके संसाधनों के इष्टतम उपयोग के बारे में कार्य किया। व्यापक तौर पर, वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र तथा सहकारिताओं द्वारा अत्यधिक दर पर ब्याज लगाने वाले साहूकारों और उनके देशी अलग-अलग रूपों में कार्य करने वाले सूदखोरों के नेटवर्क को प्रतिस्थापित किया जाना था।राष्ट्रीय ऋण परिषद की सिफारिश के अनुसार, 1 फरवरी 1969 को बैंककारी विनियमन अधिनियम को संशोधित किया गया ताकि कृषि, लघु उद्योग, सहकारिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले निदेशकों की नियुक्ति रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से वाणिज्य बैंकों के निदेशक मंडल के सदस्यों के रूप में की जा सके। सामाजिक नियंत्रण की योजना का उद्देश्य यह था कि वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण के वितरण और बड़े व्यावसायिक घरानों एवं बड़े बैंकों के बीच के अंतर्बन्धनों

[26] भारिबैंक ( इतिहास) खंड 2

को तोड़कर प्रबंधन में कुछ परिवर्तन लाए जाएं। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की प्रणाली के बावजूद, आबादी का बड़ा भाग संगठित क्षेत्र ऋण की परिधि के बाहर बना रहा।

## बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा बैंकिंग का विस्तार

3.83 यद्यपि बैंकिंग प्रणाली ने 1950 और 1960 के दशक में जमा वृद्धि के रूप में कुछ प्रगति की थी, इसका विस्तार मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रित था। सामाजिक उद्देश्यों से संबंधित प्रगति पर्याप्त नहीं थी। वाणिज्य तथा उद्योग के नेताओं द्वारा प्रमुख बैंकों पर नियंत्रण भारतीय वाणिज्य बैंकिंग की उल्लेखनीय विशेषता थी। बैंकों को वाणिज्यिक सिद्धांतों के बजाय उनकी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए चलाया जाता था। फलस्वरूप बैंकों के पूंजी आधार में क्रमिक रूप से गिरावट आई। जमाराशियों के प्रति प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधियों का अनुपात 1951 के 9.7 प्रतिशत से 75 प्रतिशत से अधिक गिरकर 1969 में 2.2 प्रतिशत रह गया।[27] उद्योगपति शेयरधारकों की अपनी पूंजी की तुलना में जमाराशियों में तीव्र वृद्धि के कारण उन्हें अत्यधिक लिवरेज का फायदा हुआ। यह महसूस किया गया कि यदि बैंक की निधियों को सामाजिक न्याय के साथ तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिए उपयोग में लाया जाना है, तो बैंकिंग प्रणाली के कम से कम प्रमुख खंडों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विकल्प नहीं है। तदनुसार, सरकार ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश,1969 जारी कर 50 करोड़ रुपए से अधिक जमाराशिवाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इन बैंकों के नाम हैं - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय नीति के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी करना था।

3.84 ऐसा माना गया कि राष्ट्रीयकरण से राष्ट्र के संकल्पित उद्देश्यों और नीतियों के कार्यान्वयन में नए चरण की शुरुआत होगी। यह भी महसूस किया गया कि बैंक जमाराशियों का उपयोग कुछ उद्योगों तथा व्यावसायिक घरानों के बजाए समग्र देश का और अधिक आर्थिक विकास करने के लिए किया जा सकता है।इस प्रकार राष्ट्रीकृत बैंकों के समक्ष तात्कालिक कार्य यह था कि वे बड़े पैमाने पर जमाराशियां जुटाएं तथा उसे सभी उत्पादक कार्यकलापों के लिए, उधारकर्ता के आकार और सामाजिक हैसियत से निरपेक्ष, विशेष तौर पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए उधार के रूप में दें। राष्ट्रीयकरण की पूर्वसंध्या पर, बैंक निश्चित रूप से नगर के प्रति अभिमुख थे क्योंकि उनकी कुल जमाराशियों का लगभग 44 प्रतिशत तथा कुल ऋण का 60 प्रतिशत पांच केंद्रों से संबंधित था (सारणी 3.21)।

3.85 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली का बड़ा संरचनागत रूपांतरण हुआ। नगर के प्रति अभिमुखता के मुद्दे का हल निकालने के लिए, बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। इसका निष्पादन दो निश्चित उपाय करके किया गया अर्थात एक विशिष्ट शाखा लाइसेंस नीति बनायी गयी तथा अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) जैसी विशिष्ट योजनाएं आरंभ की गईं। पूरे देश में बड़े पैमाने पर जमाराशियां जुटाने तथा अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों को उधार देने में तेजी लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा आरंभ की गई अग्रणी बैंक योजना शाखा विस्तार का प्रमुख साधन बन गई। ज़िले के

**सारणी 3.21: बैंकों की कुल जमाराशियों और ऋणों में प्रमुख शहरों का हिस्सा : दिसंबर 1969 का अंत**

(राशि करोड़ रुपयों में)

| क्रम सं. | शहर | कार्यालयों की संख्या | जमाराशियां | | ऋण | | ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राशि | कुल में प्रतिशत हिस्सा | राशि | कुल में प्रतिशत हिस्सा | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अहमदाबाद | 119 | 117 | 2.2 | 117 | 3.1 | 100.6 |
| 2. | बंबई | 456 | 964 | 18.6 | 976 | 26.2 | 101.3 |
| 3. | कलकत्ता | 258 | 573 | 11.2 | 694 | 18.6 | 121.1 |
| 4. | दिल्ली | 296 | 493 | 9.5 | 200 | 5.4 | 40.6 |
| 5. | मद्रास | 178 | 140 | 2.7 | 248 | 6.6 | 175.8 |
| | **कुल (1 से 5)** | **1,307** | **2,287** | **44.2** | **2,235** | **59.9** | **97.7** |
| | **अखिल भारत** | **9,007** | **5,173** | **100** | **3,729** | **100** | **72.1** |

**नोट** : 1961 की जनगणना के अनुसार 10,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर।
**स्रोत** : भारत स्थित बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सार, 1969।

[27] पृष्ठ 38, बैंकिंग आयोग, 1971

लिए नामित 'अग्रणी बैंक' उसे आबंटित जिले में आबादी की ऋण संबंधी जरूरतों का सर्वेक्षण करने, बैंकिंग तथा ऋण सुविधा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उत्तरदायी था।

3.86 आरंभ में, देश के सभी जिले (महानगरीय शहरों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर) 22 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (स्टेट बैंक तथा इसके 7 सहयोगी बैंकों और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों) और निजी क्षेत्र के 3 बैंकों (आंध्रा बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड तथा पंजाब और सिंध बैंक लिमिटेड) को आबंटित किए गए। बैंकों को जिलों का आबंटन करते समय, संबंधित बैंक के संसाधन आधार तथा उसकी क्षेत्रीय अभिमुखता पर विचार किया गया। जिलों का आबंटन क्लस्टर में किया गया ताकि उनके नियंत्रण में सुविधा हो और प्रत्येक राज्य में 2 या 2 से अधिक बैंकों को जिलों की जिम्मेदारी आबंटित की गई। प्रत्येक बैंक को भी एक से अधिक राज्य में जिले आबंटित किए गए। अग्रणी बैंक योजना के तहत विभिन्न बैंकों को जिलों के आबंटन ने बैंक सुविधा रहित केंद्रों में बैंकिंग का विस्तार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद लगभग 5 वर्षों में, शाखा नेटवर्क में 129 प्रतिशत की वृद्धि हुई।प्रति बैंक कार्यालय आबादी जून 1969 के 65,000 प्रति बैंक कार्यालय से घटकर दिसंबर 1975 में 31,660 रह गई। नई खोली गई 10,543 शाखाओं में से, 5,364 (50.1 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। फलस्वरूप, कुल बैंक शाखाओं में ग्रामीण शाखाओं का हिस्सा 1969 के 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 1975 में 36.3 प्रतिशत हो गया (सारणी 3.22)। बैंकों का विस्तार पहले ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया और इस अनुभव के बाद और विस्तार बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में किया गया। 1977 में, बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में 4 शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन के रूप में महानगर में एक शाखा तथा नगर क्षेत्र में एक शाखा खोलने का लाइसेंस दिया गया।

3.87 1980 के दशक में शाखा विस्तार जारी रहा। 1970 के दशक की तुलना में 1980 के दशक में भी बैंक शाखाओं के क्षेत्रीय वितरण में सुधार हुआ (सारणी 3.23)।

3.88 जहां शाखा लाइसेंसीकरण नीति द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के नगर के प्रति पूर्वाग्रह की समस्या से निपटा जाना था, यह महसूस किया गया कि यह नीति अकेले ग्रामीण ऋण की समस्या का समाधान नहीं कर सकेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण जमाराशियों का उपयोग सिर्फ शहरी ऋण बढ़ाने के लिए न किया जाए, बैंकों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंक को कम से कम 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात बनाए रखना चाहिए। ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं में बैंकों के ऋण जमा अनुपात पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखी गई।

3.89 बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने भी विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए, जिन पर पहले वाणिज्य बैंकों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था, बैंक ऋण में काफी पुनरभिमुखता लाई। इन क्षेत्रों तथा सामाजिक रूप से वांछनीय अन्य क्षेत्रों में बैंकों की सहभागिता बढ़ गई। इन सभी वर्षों में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के तहत ऋण आयोजना अव्यक्त थी। तथापि, जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद इसे नई गति प्राप्त हुई। आर्थिक आयोजना तथा नीति के साथ ऋण आयोजना के समन्वयन को रिज़र्व बैंक द्वारा कड़ाई से लागू किया गया। समग्र योजना तथा मौद्रिक अपेक्षाओं के अनुरूप एक व्यापक ऋण योजना तैयार की गई, जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जमा वृद्धि की प्रत्याशित गति, सामान्य आर्थिक स्थिति तथा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संभावित गतिविधियों को हिसाब में लिया गया। इस योजना में कतिपय कार्यकलापों यथा सरकारी अपेक्षाओं और कुछ आवश्यक सरकारी वाणिज्यिक परिचालनों यथा खाद्यान्न की सरकारी खरीद तथा बफर स्टाक

**सारणी 3.22: वाणिज्य बैंकों का शाखा नेटवर्क**

| निम्नलिखित के अंत में | ग्रामीण केन्द्र | अर्ध-शहरी केन्द्र | शहरी केन्द्र | महानगरीय केन्द्र/ पत्तन शहर | कुल | प्रति बैंक कार्यालय आबादी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| जून 1969 | 1,443 | 3,337 | 1,911 | 1,496 | 8,187 | 65,000 |
| | (17.6) | (40.8) | (23.3) | (18.3) | | |
| दिसंबर 1975 | 6,807 | 5,598 | 3,489 | 2,836 | 18,730 | 31,660 |
| | (36.3) | (29.9) | (18.6) | (15.1) | | |
| दिसंबर 1980 | 15,105 | 8,122 | 5,178 | 4,014 | 32,419 | 20,481 |
| | (46.6) | (25.1) | (16.0) | (12.4) | | |
| दिसंबर 1985 | 30,185 | 9,816 | 6,578 | 4,806 | 51,385 | 14,381 |
| | (58.7) | (19.1) | (12.8) | (9.4) | | |
| दिसंबर 1990 | 34,791 | 11,324 | 8,042 | 5,595 | 59,752 | 13,756 |
| | (58.2) | (19.0) | (13.5) | (9.4) | | |

**नोट :** कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा हैं।
**स्रोत :** वर्ष 1969 के आंकड़ों के लिए 1972 की बैंकिंग सांख्यिकी तथा अन्य वर्षों के लिए हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इकॉनॉमी 2006-07।

**सारणी 3.23: भारत में बैंक शाखाओं का क्षेत्रवार वितरण**

| निम्नलिखित के अंत में | उत्तरी | उत्तर-पूर्वी | पूर्वी | मध्यवर्ती | पश्चिमी | दक्षिणी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| जून 1975 | 3,174 | 275 | 2,189 | 2,795 | 3,873 | 6,269 | 18,575 |
| | (17.1) | (1.5) | (11.8) | (15.0) | (20.9) | (33.7) | (100.0) |
| जून 1980 | 5,409 | 703 | 4,778 | 5,588 | 5,790 | 10,144 | 32,412 |
| | (16.7) | (2.2) | (14.7) | (17.2) | (17.9) | (31.3) | (100.0) |
| जून 1985 | 8,239 | 1,363 | 8,987 | 10,935 | 8,259 | 14,855 | 52,638 |
| | (15.7) | (2.6) | (17.1) | (20.8) | (15.7) | (28.2) | (100.0) |
| मार्च 1990 | 9,312 | 1,772 | 10,879 | 12,747 | 9,417 | 16,388 | 60,515 |
| | (15.4) | (2.9) | (18.0) | (21.1) | (15.6) | (27.1) | (100.0) |
| मार्च 1991 | 9,426 | 1,870 | 11,362 | 13,005 | 9,526 | 16,535 | 61,724 |
| | (15.3) | (3.0) | (18.4) | (21.1) | (15.4) | (26.8) | (100.0) |

**नोट :** 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा हैं।
2. उत्तरी क्षेत्र : हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली।
3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र : असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम।
4. पूर्वी क्षेत्र : बिहार, उडीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह।
5. मध्यवर्ती क्षेत्र : मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
6. पश्चिमी क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली।
7. दक्षिणी क्षेत्र : आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप।

**स्रोत :** मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, विभिन्न अंक।

के परिचालनों के लिए आबंटन किया गया। कुछ प्रमुख क्षेत्रों के लिए सकल अनुमान ज्ञात करना एक महत्वपूर्ण कदम था। व्यस्त तथा मंदी के मौसमों के लिए, विशेष तौर पर मौसमी परिवर्तनों से प्रभावित होनेवाले क्षेत्रों के बारे में, अलग अनुमान लगाए गए। पूरी प्रणाली के लिए, इस व्यापक ऋण योजना की पृष्ठभूमि में, प्रत्येक बैंक की अलग ऋण योजना बनाई गई। बैंकों को कहा गया कि वे मौजूदा ऋण के पुनर्नियोजन तथा उसे वास्तविक उत्पादक प्रयोजनों के साथ संबद्ध करने की गुंजाइश का पता लगाएं।

3.90 भारत में, विशेष रूप से 1960 के दशक में,योजनाबद्ध आर्थिक विकास आरंभ होने के बाद, एक उपाय के रूप में बैंकों द्वारा जमा संग्रहण पर काफी बल दिया गया ताकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए संसाधन बढ़ाए जा सकें। जहां एक संसाधन की कमी वाली अर्थव्यवस्था में जमा संग्रहण का महत्व बहुत अधिक था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इसे नई गति प्राप्त हुई। राष्ट्रीयकरण के तुरंत बाद बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास बढ़ गया जो घरेलू बचत में बैंक जमाराशियों तथा उनकी कुल बचत में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों के हिस्से में तीव्र वृद्धि में दिखाई दिया। जमा दरों को आकर्षक रखने के लिए सजग प्रयास किए गए। राष्ट्रीयकरण की अवधि के साथ हरित क्रांति की अवधि जुड़ गई तथा उच्चतर आय के रूप में इसके लाभ ग्रामीण क्षेत्र को मिलने शुरू हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा नेटवर्क के तीव्र विस्तार, जमा संग्रहण पर विशेष बल तथा आय के स्तरों में वृद्धि ने बैंक जमाराशियों में वृद्धि को प्रेरित किया (सारणी 3.24)। बैंकिंग तथा जमा संग्रहण का विस्तार राष्ट्रीयकरण की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं।

3.91 बदले में जमाराशि की वृद्धि की अगुवाई बचत दर में वृद्धि द्वारा की गई (सारणी 3.25)।

3.92 राष्ट्रीयकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी देखा गया जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन होगा तथा सिर्फ एक या दो प्रमुख बैंक अखिल भारतीय बैंकों के रूप में कार्य करते हुए ऋण के थोक बाजार की जरूरतें पूरी करेंगे और विदेशी मुद्रा कारोबार में उनका एकाधिकार होगा। ऐसी आशा थी कि अन्य सभी बैंकों को पुनर्गठित, विलयित, तथा रि-पैकेज करके उन कई संस्थाओं का रूप दिया जाएगा जो विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करेंगी तथा कृषि, लघु उद्योग और व्यापार एवं उस समय ऋण रहित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करेंगी। तथापि ऐसी पुनर्संरचना नहीं हुई और यथास्थिति बनाए रखी गई (पटेल, 2002)।

**सारणी 3.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंक - जमाराशियों की औसत वार्षिक वृद्धि दरें**

(प्रतिशत)

| अवधि | मांग जमाराशियों की वृद्धि दरें | आवधिक जमाराशियों की वृद्धि दरें | सकल जमाराशियों की वृद्धि दरें |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1960-65 | 15.1 | 7.0 | 10.5 |
| 1965-70 | 12.6 | 15.8 | 14.3 |
| 1970-75 | 17.3 | 19.7 | 18.7 |
| 1975-80 | 8.1 | 30.6 | 21.9 |

**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इक्नॉमी, 2006-07(रिजर्व बैंक)।

**सारणी 3.25: देशी घरेलू क्षेत्र की बचत राशियां**

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) | घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतें | घरेलू क्षेत्र की भौतिक बचतें | कुल घरेलू बचतें (2+3) | जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचतें |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1968-69 | 795 | 2,327 | 3,122 | 8.5 |
| 1970-71 | 1,371 | 3,000 | 4,371 | 10.2 |
| 1974-75 | 2,374 | 5,294 | 7,668 | 10.6 |
| 1979-80 | 6,081 | 9,747 | 15,828 | 14.3 |

**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07(रिज़र्व बैंक)।

## निदेशित ऋण शुरू करना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना

3.93 निदेशित ऋण कार्यक्रम में अधिमान्यता प्राप्त शर्तों पर ऋण देना शामिल है तथा 1960 के दशक में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की स्थिति विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में विकास नीति का एक प्रमुख साधन थी। भारत में पहली बार जुलाई 1961 में सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों, जिन्हें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, को ऋण के प्रवाह की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया। तथापि, ऐसा सिर्फ बैंकों को तरजीह बताने के लिए किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया कि यदि बैंक अपनी मर्जी से इस मुद्दे का समाधान करें तो लक्ष्य निर्धारित करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे कृषि तथा लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों की मदद करने के लिए अधिक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाएं। ऋण संबंधी मुख्य अवरोध दूर किए जाने के बाद ऐसी आशा थी कि इन क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन बेहतर होगा। तथापि, अधिकांश बैंक अग्रिम बड़े और स्थापित व्यावसायिक घरानों को दिया जाना जारी रहा, जबकि कृषि, लघु उद्योग और निर्यात की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप, उधार संबंधी विनिर्देश लागू करने की जरूरत महसूस की गई।

3.94 देश के व्यापक हित में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने संबंधी औपचारिक निदेश की खोज 1967 की मंदी के मौसम में किया जा सकता है, जब 1965-66 तथा 1966-67 में कृषि उत्पादन में अर्थव्यवस्था में हुए गंभीर असंतुलनों के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी तथा औद्योगिक उत्पादन में मंदी आई थी। जुलाई 1968 में हुई राष्ट्रीय ऋण परिषद की बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि वाणिज्य बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों अर्थात कृषि और लघु उद्योग के वित्तपोषण में अपनी सहभागिता बढ़ानी चाहिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी उत्पादक प्रयास को ऋण समर्थन की कमी महसूस न हो। 1970 के दशक के आरंभ से बैंकिंग नीति का उपयोग वृद्धि के सक्रिय साधन तथा आय की असमानता, आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण और बैंकिंग सुविधाओं में क्षेत्रीय अंतर को क्रमिक रूप से कम करने के लिए किया गया। वाणिज्य बैंकों के लिए हस्तक्षेप की नीति का मुख्य कारण यह विश्वास था कि कुछ क्षेत्र ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे थे तथा वे ब्याज की बाजार दर का वहन नहीं कर पा रहे थे, अतः उन्हें रियायती ब्याज दर पर अधिमानता के आधार पर ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। फलस्वरूप, बैंकिंग नीति का संवर्धनात्मक पहलू अधिक प्रमुख हो गया।

3.95 1972 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की परिभाषा को औपचारिक रूप दिया गया, यद्यपि आरंभ में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं था। तथापि, नवंबर 1974 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिया जानेवाला उधार मार्च 1979 तक बकाया ऋण के एक-तिहाई तक पहुंच जाना चाहिए। पूरे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए तथा समाज के कमजोर वर्ग नामक उप क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए। नवंबर 1978 में, निजी क्षेत्र के बैंकों को भी सूचित किया गया कि वे मार्च 1980 के अंत तक दिए गए अग्रिमों का एक तिहाई हिस्सा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को प्रदान करें। बाद में, लक्ष्य को बढ़ाकर कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत कर दिया गया। बैंकिंग क्षेत्र की निधियों का बड़ा भाग बड़े उधारकर्ताओं को जाता था तथा छोटे उधारकर्ताओं के लिए बहुत कम हिस्सा बच पाता था। उदाहरण के लिए, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मामले में कुल उधार खातों का 81 प्रतिशत 10,000 रुपए तक की राशि के लिए था परंतु वे बैंक ऋण के 4 प्रतिशत से कम थे। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए द्विस्तरीय उपाय किए गए। पहला, विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करके (समग्र लक्ष्य के भीतर 10 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान पर विशेष बल दिया गया। दूसरा, चूक संबंधी जोखिम, जो छोटे उधारकर्ताओं के साथ अंतर्जात थी, कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने भुगतान में चूक की जोखिम के प्रति गारंटी प्रदान करने हेतु 1971 में भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड की स्थापना का संवर्धन किया। इस नीति ने छोटे उधारकर्ताओं के विभिन्न वर्गों को ऋण स्वीकृत करने हेतु वाणिज्य बैंकों और अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित किया। व्यापक स्तर पर यह देखते हुए कि गरीबी की घटना और ऋण प्राप्ति की कमी दूरस्थ बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में अधिक थी, ऋण के वितरण की अंतर-क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए शाखा विस्तार नीति तैयार की गई।

3.96 1972 में विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना शुरू की गई ताकि समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतें पूरी की जा सकें और उनका उत्थान किया जा सके। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय के लोगों को लक्ष्य बनाकर उन्हें रियायती दर पर ऋण प्रदान किया गया। इस योजना में भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अनाथालयों, महिला गृहों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लक्ष्य समूह बनाया गया, जिनके पास ऋण देनेवाली संस्थाओं को प्रस्तावित करने के लिए कोई मूर्त प्रतिभूति नहीं थी। इस योजना के अंतर्गत उधार की न्यूनतम मात्रा हर बैंक के लिए पिछले साल के कुल अग्रिमों का एक प्रतिशत रखी गई। इस योजना को चलाने में बड़ी संख्या में पात्र उधारकर्ताओं में से

हिताधिकारियों की उचित पहचान करना, ताकि पात्र उधारकर्ताओं में से सबसे कमजोर व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त हो, सरकार के एजेंट के रूप में बैंकों के समक्ष एक प्रमुख समस्या थी।

3.97 आरंभ किए गए विभिन्न उपायों का कृषि को उधार देने पर सकारात्मक असर पड़ा क्योंकि कुल बैंक ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा 1967 के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 1970-71 में 8.0 प्रतिशत तथा और बढ़कर 1974-75 में 9.1 प्रतिशत हो गया (सारणी 3.26)। तथापि, यह सुधार आशा से कम था।

3.98 यह महसूस किया गया कि इसका मुख्य कारण यह था कि वाणिज्य बैंक छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतों तथा अपेक्षाओं से अवगत नहीं थे, जबकि सहकारी संस्थाओं के पास प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी थी। अतः ऐसी जरूरत महसूस की गई कि एक पृथक बैंकिंग ढांचा तैयार किया जाए जो स्थानीय अनुभव और ग्रामीण समस्याओं से परिचय, सहकारी संस्थाओं की विशेषता तथा व्यावसायिकता और वाणिज्य बैंकों के बड़े संसाधन आधार को मिश्रित करने में सक्षम हो। ग्रामीण बैंक आरंभ करने की राय सबसे पहले बैंकिंग आयोग (1972) द्वारा सुझायी गयी, परंतु इसके अनुसार कार्रवाई 1970 के दशक के मध्य में भारत सरकार द्वारा 'बीस-सूत्री कार्यक्रम' और 'नया आर्थिक कार्यक्रम' शुरू किए जाने के बाद आरंभ की गई। 26 सितंबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश जारी किया गया जिसे बाद में 9 फरवरी 1976 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना इस दृष्टिकोण के साथ की गई ताकि कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के विकास के प्रयोजन के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं, विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सके। ऐसी आशा थी कि इनसे 'ग्रामीण संपर्क और स्थानीय अनुभव को आधुनिक व्यावसायिक संगठन के साथ संयुक्त' किया जाएगा।

3.99 विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना का आशोधन कर प्रवर्तक बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे एजेंसी आधार पर ऐसे अग्रिम देने के अलावा पुनर्वित्त आधार पर आरआरबी के जरिए डीआरआइ अग्रिम प्रदान करें। आरआरबी के पुनर्वित्त पर 2 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज लगाया जाता था तथा इस प्रकार दिए गए पुनर्वित्त की राशि को प्रवर्तक बैंक द्वारा योजना के तहत उधार के एक प्रतिशत के लक्ष्य के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाता था।

3.100 1978 में, वाणिज्यिक बैंकों तथा आरआरबी को निदेश दिया गया कि वे आकार से निरपेक्ष होकर सभी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों पर 9 प्रतिशत की समान दर लगाएं। यह माना गया कि ग्रामीण गरीब जनता के समक्ष प्राप्ति के बजाय ऋण की लागत मुख्य अवरोध था। संगठित ऋण के प्रसार का विस्तार करके स्थानीय साहूकारों से सुभेद्य ग्रामीण आबादी को मुक्त कराने के लिए नीति बनाई गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा निदेशित ऋण कार्यक्रम शुरू करने और अन्य पहलों के परिणाम अत्यधिक उत्साहवर्धक थे। ग्रामीण शाखाओं का हिस्सा 1969 के 17.6 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 1990 में 58.2 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत बैंकिंग के प्रसार में वृद्धि होने के साथ ग्रामीण ऋण में गैर संस्थागत स्रोतों (व्यावसायिक साहूकारों, जमींदारों और खेतिहर साहूकारों) के हिस्से में गिरावट आई। कुल बकाया ऋण में ग्रामीण ऋण तथा कुल जमाराशियों में ग्रामीण जमाराशियों का हिस्सा भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात 1969 के 37.6 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 60.6 प्रतिशत हो गया तथा 1990 में उस स्तर पर बना रहा (सारणी 3.27)।

3.101 कुल मिलाकर कृषि, निर्यात और लघु उद्योग के प्रति अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि उद्योग को दिए गए ऋण में गिरावट आई (सारणी 3.28)।

**सारणी 3.26: कृषि के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिम**

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) | कृषि को प्रत्यक्ष वित्त | | कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त | | कृषि को कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | कुल में हिस्सा (प्रतिशत) | राशि | कुल में हिस्सा (प्रतिशत) | राशि | कुल में हिस्सा (प्रतिशत) | बैंक ऋण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1966-67 | – | – | – | – | 57# | 2.2# | 2,717 |
| 1970-71 | 235 | 5.0 | 143 | 3.0 | 378 | 8.0 | 4,684 |
| 1971-72 | 259 | 4.9 | 135 | 2.6 | 394 | 7.5 | 5,263 |
| 1972-73 | 313 | 5.1 | 172 | 2.9 | 485 | 7.9 | 6,115 |
| 1973-74 | 418 | 5.7 | 197 | 2.7 | 615 | 8.3 | 7,399 |
| 1974-75 | 543 | 6.2 | 255 | 2.9 | 798 | 9.1 | 8,762 |

# : कृषि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।
`-' : अनुपलब्ध
**स्रोत :** 1. हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07(रिज़र्व बैंक)।
2. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट, 1967-68

**सारणी 3.27: भारत में ग्रामीण बैंकिंग का विकास - 1969-1990**

| निम्नलिखित के अंत में | बैंक कार्यालयों की संख्या | | ऋण - बकाया | | जमाराशियां - बकाया | | ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | कुल का % | ग्रामीण (करोड़ रु.) | कुल का % | ग्रामीण (करोड़ रु.) | कुल का % | ग्रामीण | अखिल भारत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| जून 1969 | 1,443 | 17.6 | 115 | 3.3 | 306 | 6.3 | 37.6 | 71.9 |
| दिसंबर 1981 | 19,453 | 51.2 | 3,600 | 11.9 | 5,939 | 13.4 | 60.6 | 68.1 |
| मार्च 1990 | 34,867 | 58.2 | 17,352 | 14.2 | 28,609 | 15.5 | 60.7 | 66.0 |

**स्रोत :** मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, आरबीआइ, विभिन्न अंक।

## व्यष्टि नियंत्रण को और मजबूत बनाना

3.102 योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार ऋण निदेशित करने की आवश्यकता ने विभिन्न व्यष्टि नियंत्रणों को जन्म दिया जिसने क्षेत्रवार ऋण के विनियोजन तथा जमाराशि एवं ऋणों के लिए ब्याज दरों के निर्धारण संबंधी विनिर्देशों का रूप लिया। वृद्धि के लिए संसाधन जुटाने हेतु, यह महसूस किया गया कि बैंकिंग प्रणाली को जमा संग्रहण में एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। जहां बैंक शाखा नेटवर्क के विस्तार ने कुछ सीमा तक मदद की, यह माना गया कि इस प्रकार का प्रयास सफल होने के लिए जमा ब्याज दर को आकर्षक होना चाहिए। तथापि, उच्चतर ब्याज दर का अभिप्राय ऋणकर्ता को ऋण की उच्चतर लागत है। जहां प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए उधार की रियायती दर उपलब्ध थी, प्रति-सहायता के कारण गैर प्राथमिकताप्राप्त उधारकर्ताओं को ब्याज की दरें बढ़ गईं। इस क्षेत्र को ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 1968 में निर्यात ऋण पर अधिकतम दर का निर्धारण भी किया गया। मार्च 1969 से, कुछ आर्थिक कार्यकलापों/उधारकर्ताओं को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए निम्नतम/अधिकतम सीमा का भी उपयोग किया गया। वृद्धि के संवर्धन हेतु उत्पादक कार्यकलापों के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करने का विचार था। योजनाबद्ध विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता ने क्रमिक रूप से सरकार के उधार को बढ़ा दिया और इसके साथ ब्याज दर का लचीलापन एक मुद्दा बन गया क्योंकि इसने उधार की लागत को प्रभावित किया।

3.103 1970 के दशक के प्रारंभ में तेल आघात के कारण मुद्रास्फीतिकारी दबाव अत्यंत बढ़ गया। स्थिति से निपटने के लिए, 1 जून 1973 से रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को छोड़कर सभी ऋणों पर 10 प्रतिशत का न्यूनतम उधार दर लगाया। तेल आघात के कारण आयात बिल बढ़ गया तथा भुगतान संतुलन पर अत्यधिक दबाव आया। अतः, यह वांछनीय माना गया कि निर्यातों को बढ़ावा दिया जाए। अतः निर्यात ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में (ऋण पर मात्रात्मक प्रतिबंध की परिधि के बाहर) डाल दिया गया। बैंकिंग प्रणाली के पास संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से,दीर्घतर परिपक्वताओं के लिए मीयादी जमा दर में वर्ष 1973 से 1974 के बीच ऊपरी समायोजन किया गया। अप्रैल 1974 में, विभिन्न श्रेणियों के लिए जमाराशियों पर ब्याज दरें बढ़ा दी गईं जिससे बैंकिंग क्षेत्र के लिए निधियों की लागत बढ़ गई। मुद्रास्फीतिकारी स्थिति को देखते हुए, चयनात्मक ऋण नियंत्रण के प्रति प्रभार्य न्यूनतम दर को भी जुलाई 1974 में बढ़ा दिया गया।

3.104 वाणिज्य बैंकों ने कुछ मामलों में बहुत ऊंची दरें लगाईं तथा इस प्रकार की ऊंची दरों की घटना छोटे उधारकर्ताओं के बारे में भी लागू हुई। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 1976 में न्यूनतम उधार दरों के अलावा बैंक ऋणों की अधिकतम दर निर्धारित की। 25 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की मांग और मीयादी देयताओं वाले छोटे बैंकों को कुछ लचीलापन दिया गया।

3.105 जून 1977 में, जमाराशियों पर ब्याज दर की संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया तथा अल्पावधि और दीर्घावधि दरों के बीच स्प्रेड

**सारणी 3.28: विभिन्न क्षेत्रों को बैंक ऋण का वितरण - बकाया**

(करोड़ रुपये)

| के अंत में | उद्योग | लघु उद्योग | निर्यात | कृषि | सकल बैंक ऋण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| मार्च 1968 | 2068 | – | – | 67 | 2135 |
| | (67.5) | – | – | (2.2) | (100) |
| मार्च 1980 | 8269 | 2635 | 1640 | 2767 | 21235 |
| | (38.9) | (12.4) | (7.7) | (13.0) | (100) |
| जून 1989 | 33625 | 13697 | 6556 | 14146 | 89654 |
| | (37.5) | (15.3) | (7.3) | (15.8) | (100) |

**नोट** : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा हैं।
**स्रोत** : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट, विभिन्न अंक।

बढ़ गया। बचत खातों को दो श्रेणियों में विभाजित करके कार्यात्मक रूप से बचत उन्मुख तथा लेनदेन उन्मुख बचत खातों के बीच अंतर किया गया। जुलाई 1977 से, चेकसुविधारहित बचत खातों पर 5 प्रतिशत की ब्याज दर अदा की गई, जबकि चेकसुविधावाले खातों पर 3 प्रतिशत की न्यूनतर दर प्रदान की गई। तथापि, मार्च 1978 में इन दोनों खातों को सीमित चेक सुविधा के साथ एक बचत जमा खाते में मिला दिया गया तथा 4.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज की अनुमति दी गई। 2 मार्च 1981 को ब्याज दर ढांचे में उल्लेखनीय आशोधन किए गए, जो निरंतर बने हुए मुद्रास्फीतिकारी दबावों के प्रति प्रतिसाद है। इसका कारण यह था कि अनेक दरें मौजूद होने पर भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के हिताधिकारियों के विभिन्न वर्गों से ली जानेवाली दरों में उस समय प्रस्तावित उधार दर की संरचना में ग्रेडेशन अपर्याप्त था। कई असमानताएं पैदा हो गईं तथा और विनियम बनाकर इनका समाधान किया गया। उदाहरण के लिए, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कई श्रेणियों के अग्रिमों के मामले में ब्याज दर की सिर्फ अधिकतम सीमा सूचित की गई। इससे एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार के अग्रिम के लिए अलग-अलग बैंकों को अलग ब्याज लगाने की अनुमति मिल गई जिससे काफी क्षैतिज असमानता पैदा हो गई। उधार दरों में बदलाव किए जाने पर और नियंत्रण आ गए क्योंकि पहले का विनिर्देश एक अनुमतियोग्य दायरा था जिसे विशिष्ट निश्चित दरों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्राथकिताप्राप्त क्षेत्र के उधार संबंधी 4 अलग दर श्रेणियां इस प्रकार थीं यथा, 12.5 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 17.5 प्रतिशत और 19.5 प्रतिशत, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेष रूप से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के मामले में एक ही श्रेणी के अग्रिमों के लिए बैंकों के बीच ब्याज दरों की समानता हो। पहले, छोटे बैंकों को उच्चतर दरों पर ब्याज लगाने की अनुमति थी। 1991 से उधार दरों को कुछ युक्तियुक्त बनाया गया, जब आकार से निरपेक्ष होकर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर एक समान रूप से अधिकतम उधार दर लागू किया गया।

3.106 निदेशित ऋण व्यवस्थाओं के बढ़े हुए प्रचुरोद्भवन, विभिन्न मानदंडों (यथा, अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक कार्यकलाप, पण्य, स्थान तथा ऋणकर्ताओं के विशिष्ट समूह) पर आधारित बहुल ब्याज दर निर्धारणों तथा परिणामी प्रति-सहायता के साथ एक बहुल जटिल नियंत्रित ब्याज दर संरचना का सृजन हुआ जिसमें ऋण के मूल्यन और आबंटन में बाजार की शक्तियों की वस्तुतः कोई भूमिका नहीं थी।

3.107 मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने की आवश्यकता के कारण भी रिज़र्व बैंक को चयनात्मक ऋण नियंत्रण जैसे कुछ मौजूदा मात्रात्मक लिखतों का उपयोग करना पड़ा। इसने बैंक उधार के कार्यकलाप को जटिल बना दिया क्योंकि अनेक विनिर्देशों का अनुपालन करना पड़ता था। बैंकिंग क्षेत्र को भी रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण जमा अनुपात पर लगाए गए प्रतिबंधों के दबाव में परिचालन करना पड़ता था ताकि बैंकों के उधार कार्यकलाप को उनके अपने संसाधनों तक सीमित रखा जा सके। इसे नैतिक प्रत्यायन के साधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। विभिन्न योजनाओं तथा ब्यौरेवार उपबंधों की अपेक्षाओं ने बैंकों के कार्य को जटिल बना दिया। उदाहरण के लिए, सरकार के विकासात्मक लक्ष्यों के अनुरूप रिज़र्व बैंक की नीतियों को संरचित करने का प्रयास करते हुए केंद्रीय बैंक ने विभिन्न प्रयोजनों तथा उधारकर्ताओं की जरूरतों के लिए विभेदक ब्याज दर की शुरुआत की। सरकार के वृद्धि संबंधी पहलों का समर्थन करने के लिए पसंदीदा क्षेत्रों को ऋण के व्यष्टि आबंटन तथा ऋण सब्सिडी की शुरुआत की गई। इसके फलस्वरूप विभिन्न बाध्यताओं के भीतर बैंकों को कार्य करना पड़ा। अधिकांश विकासशील देशों की तरह अन्य बातों के साथ-साथ कृषि को ऋण, सहकारी बैंक तथा निर्यात ऋण सहित पसंदीदा कार्यकलापों के लिए पुनर्वित्त जैसे साधनों का उपयोग करके रिज़र्व बैंक द्वारा विवेकाधीन समर्थन के रूप में कुछ मदद की गई। इस प्रकार के वित्तीयन का दोहरा प्रभाव पड़ा, एक प्रत्यक्ष ऋण प्रभाव तथा एक घोषणा प्रभाव। वे पसंदीदा कार्यकलाप के लिए बैंकों की लागत को कवर करने हेतु उनकी मदद में उपयोगी थे। तथापि, सभी सब्सिडी आधारित अर्ध-राजकोषीय विनियमनों की तरह, इस प्रकार के उपायों ने बाजारों को और विकृत बना दिया। ऐसे उपायों ने मौद्रिक आधार का विस्तार किया, ऋण बहुलक को बदल दिया तथा मौद्रिक प्रबंधन को जटिल बना दिया। बैंकिंग क्षेत्र में मौजूद अनेक बाध्यताओं के कारण व्यष्टि विनियमनों का एक जटिल सेट तैयार हो गया तथा उसने वित्तीय दमन की ओर कदम बढ़ाया। आर्थिक प्रबंधन के इस निदेशित दृष्टिकोण ने निजी उद्यमों को बाहर निकाल दिया क्योंकि ऋण प्रवाह के बढ़े हुए हिस्से को सरकारी तथा सार्वजनिक उद्यमों ने ले लिया। इसके अलावा, इन अर्ध-राजकोषीय नीतियों ने क्रमिक रूप से वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र को उनकी लाभप्रदता पर असर डालकर प्रभावित किया। इसके अलावा, बैंकों की अनर्जक आस्तियों में तेजी से वृद्धि हुई। लाभप्रदता में गिरावट तथा एनपीए में वृद्धि ने बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता को प्रभावित किया क्योंकि बैंक अपने लाभ का पुनर्नियोजन नहीं कर सके, जिसके ब्यौरे बाद के खंडों में दिए गए हैं।

### उद्योग के लिए स्टाक मानदंड

3.108 नियंत्रित ब्याज दर संरचना ने ऋण की मांग को शाश्वत तौर पर बढ़ा दिया। कंपनियों द्वारा वित्तीय आयोजन के अभाव और बैंकों की निधियों पर उनकी अत्यधिक निर्भरता ने भी चिंता में वृद्धि कर दी। कंपनियों की नीति तथा योजनाबद्ध उद्देश्यों के बीच हितों में टकराव हुआ। बढ़ते मूल्यों की अवधि में कंपनियों में तैयार माल की सट्टेबाजीपूर्ण जमाखोरी करके अपने लाभ को अधिकतम करने की प्रवृत्ति थी क्योंकि तैयार माल के मूल्यों में हुई तेज वृद्धि इस प्रकार की जमाखोरी की लागत (स्टाक को रखने के लिए दिए गए ब्याज के रूप में) को प्रतितुलित करने से कहीं अधिक थी।[28] योजना की प्राथमिकताओं को देखते हुए रिज़र्व बैंक को

[28] टंडन समिति (1975)।

बैंकों की निधियों का उपयोग कर सट्टेबाजीपूर्ण जमाखोरी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाना था। सूचना प्रणाली को तैयार करने का भी एक मुद्दा था ताकि रिज़र्व बैंक को बैंकों के परिचालनों और उधारकर्ताओं के बारे में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करायी जा सके। यह भी आवश्यक महसूस किया गया कि रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग क्षेत्र के बीच संप्रेषण का एक माध्यम बनाया जाए, जो ऋण पर पर्यवेक्षण तथा समय-समय पर किए जानेवाले नीतिगत परिवर्तनों के प्रति बैंकिंग प्रणाली के प्रतिसाद में सुधार के उपाय के रूप में कार्य कर सके। उद्योग को ऋण संबंधी इन सर्वव्याप्त मुद्दों का समाधान समन्वित रूप में किए जाने की जरूरत थी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि इन मुद्दों को एक समिति (अध्यक्ष : श्री प्रकाश टंडन) के हवाले कर दिया जाए जो बैंक ऋण के पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश तैयार करने में आनेवाली विभिन्न समस्याओं के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण बना सके। टंडन समिति की सिफारिशों के आधार पर, स्टाक और प्राप्य राशियों, उधार के प्रति दृष्टिकोण, ऋण की शैली और अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में 1975 में विभिन्न मानदंड तैयार किए गए। समिति द्वारा प्रस्तावित उधार की तीन पद्धतियों में उधारकर्ता इकाइयों की दीर्घावधि निधियों से अंशदान के विभिन्न स्तरों की परिकल्पना की गई ताकि अल्पावधि बैंक उधार पर कंपनियों की निर्भरता क्रमिक रूप से कम की जा सके।[29] बैंकों से कहा गया कि वे तत्काल कार्रवाई शुरू करें और बैंकिंग प्रणाली से 10 लाख रुपए से अधिक की समस्त ऋण सीमा प्राप्त करनेवाले सभी उधारकर्ताओं को उधार की पहली पद्धति में रखें, जिसके द्वारा कार्यशील पूंजी अंतर, अर्थात बैंक वित्त को छोड़कर चालू आस्तियों और चालू देयताओं के बीच के अंतर, के 25 प्रतिशत का निधीयन दीर्घावधि संसाधनों से करना अपेक्षित था। अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त (एमपीबीएफ) भी संघीय सहायता का आधार बन गया, जो 1972 से लागू था। ऋण के पर्यवेक्षण के लिए भी वाणिज्य बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए ताकि उसका उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

3.109 1980 में नकद ऋण प्रणाली के कार्य करने की पद्धति, विशेष रूप से स्वीकृत ऋण सीमा और उपयोग के बीच के अंतर की पुनरीक्षा की गई।[30] यह निर्णय लिया गया कि नकद ऋण, ऋण और बिल के जरिए उधार की प्रणाली को जारी रखा जाए। तथापि, नकद ऋण प्रणाली को कारगर बनाया गया। 10 लाख रुपए और अधिक कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ उठाने वाले सभी उधार खातों के संबंध में प्रणाली के तहत निर्धारित सीमाओं की आवधिक समीक्षा (साल में कम से कम एक बार) को अनिवार्य बना दिया गया। दीर्घावधि स्रोतों से कार्यशील पूंजी के प्रति उधारकर्ताओं द्वारा अंशदान, अर्थात उत्पादन के अनुमानित स्तर के लिए अपेक्षित चालू आस्तियों के कम से कम 25 प्रतिशत का अंशदान, टंडन समिति द्वारा सुझायी गयी उधार की दूसरी पद्धति में किया जाना था, जिससे न्यूनतम चालू अनुपात 1.33:1 (कार्यशील पूंजी अंतर, अर्थात कुल चालू आस्तियां घटाव बैंक उधार से इतर चालू देयताएं, के 25 प्रतिशत की तुलना में) होगा। यदि उधारकर्ता तत्काल इस अपेक्षा का अनुपालन करने की स्थिति में न हो, तो उधारकर्ता द्वारा पहले से प्राप्त मौजूदा आवश्यकता-आधारित ऋण सीमाओं में कटौती नहीं की जानी थी। उधारकर्ता को अनुमतियोग्य ऋण सीमा से अधिक राशि को अलग कर कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) के रूप में माना जाना था, जो 5 वर्ष से अनधिक निश्चित अवधि के भीतर छमाही किस्तों में चुकाया जाना था। डब्ल्यूसीटीएल पर संबंधित नकद ऋण के लिए प्रभारित दर से अन्यून दर पर ब्याज लगाया जाना था तथा बैंक स्वविवेक पर अधिकतम सीमा से अनधिक उच्चतर ब्याज दर लगा सकते थे। इसके अलावा, डब्ल्यूसीटीएल की समय पर चुकौती करने में किसी प्रकार की चूक होने पर दांडिक दर पर ब्याज दर लगाने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाने थे। यदि उत्पादन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त सीमा जरूरी हो जाए, तो बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि डब्ल्यूसीटीएल घटक में वृद्धि न की जाए तथा 1.33:1 के वृद्धिशील चालू अनुपात के आधार पर अतिरिक्त सीमाओं की अनुमति दी जाए। जहां कहीं संभव हो सामान्य तथा उच्चस्तरीय ऋण अपेक्षाओं के लिए अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की जाएं, जिनमें उन अवधियों का उल्लेख किया जाए जिनके दौरान संबंधित सीमाओं का उपयोग उधारकर्ताओं द्वारा किया जाना है। इन मानदंडों को लागू करने के बाद फर्मों द्वारा सावधानीपूर्वक स्टाक प्रबंधन के कारण धारित स्टाक में गिरावट आई (सिंह आदि, 1982)। व्यापक स्तर पर, कंपनी वित्त संबंधी आंकड़ों ने लघु उद्योगों के पक्ष में बैंक ऋण में एक क्षेत्रवार बदलाव का भी सुझाव दिया।

### 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण

3.110 ऐसा देखा गया कि निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों को अभिशासन संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में ऋण सुपुर्दगी की आवश्यकता का समाधान करना जरूरी था। तदनुसार अप्रैल 1980 में 200 करोड़ रुपए और अधिक की जमा देयताओं वाले 6 बैंकों अर्थात आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, पंजाब एण्ड सिंध बैंक तथा विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण

[29] पद्धति I: कार्यशील पूंजी के अंतर अर्थात बैंक वित्त को छोड़कर चालू आस्तियों और चालू देयताओं के बीच के अंतर के 25 प्रतिशत का निधीयन दीर्घावधि संसाधनों से किया जाए। इस पद्धति के तहत न्यूनतम चालू अनुपात 1:1 रखा गया। पद्धति II : चालू आस्तियों की 25 प्रतिशत का निधीयन दीर्घावधि संसाधनों से किया जाना था। चालू आस्तियों में से चालू देयताओं को घटाकर शेष 75 प्रतिशत का निधीयन बैंक वित्त द्वारा किया जाना था। इस पद्धति के तहत न्यूनतम चालू अनुपात 1.33:1 रखा गया। पद्धति III: चालू आस्तियों में से मूल चालू आस्तियों को घटाकर 25 प्रतिशत का निधीयन दीर्घावधि संसाधनों से किया जाना था। इस पद्धति के तहत चालू अनुपात 1.33 से अधिक होगा।

[30] नकद ऋण प्रणाली की पुनरीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया (अध्यक्ष: श्री के.बी.चोरे)।

किया गया। सरकार द्वारा इन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या बढ़कर अप्रैल 1980 में 28 हो गयी, जिनके पास बैंकिंग क्षेत्र की 91 प्रतिशत जमाराशियां थीं।

## सांविधिक पूर्वक्रय तथा बैंकिंग क्षेत्र पर उनके प्रभाव में वृद्धि

3.111 1970 तथा 1980 के दशक में व्यापक विस्तारकारी योजना व्यय का एक परिणाम यह था कि सरकार के बजट का विस्तार हुआ तथा राजकोषीय घाटों के वित्तीयन के लिए बैंकिंग क्षेत्र का अधिकाधिक उपयोग किया गया। जीडीपी के प्रति राजकोषीय घाटे का अनुपात निरंतर बढ़ते हुए 1970-71 में जीडीपी के 3.1 प्रतिशत से 1980-81 में 5.8 प्रतिशत तथा 1990-91 में 7.9 प्रतिशत हो गया (सारणी III.29)।

3.112 इस चरण के दौरान वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के बीच ट्रेड-ऑफ अधिक स्पष्ट था क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के अंग के रूप में किए गए उच्च निवेश को घाटे के वित्तपोषण द्वारा समर्थन दिया गया जो मुद्रास्फीतिकारी था। सरकार ने तदर्थ खजाना बिलों द्वारा घाटे के स्वतः मुद्रीकरण के जरिए रिज़र्व बैंक से उधार लिया, जिसके फलस्वरूप, आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो गई। घाटे के वित्त, जिससे मुद्रास्फीति में तेजी आई, के प्रभाव को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक को नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में बार-बार वृद्धि करनी पड़ी। सीआरआर को क्रमिक रूप से बढ़ाकर जून 1973 के 5.0 प्रतिशत से जुलाई 1989 तक 15.0 प्रतिशत कर दिया गया (सारणी 3.30)। इसके अलावा, नवंबर 1983 से 10.0 प्रतिशत का अतिरिक्त सीआरआर भी लागू किया गया। यह धारणा थी कि ऋण गुणक को प्रभावी कर ऋण सृजन संबंधी बैंकों की क्षमता को कम किया जाए। समष्टि स्तर पर यह माना गया कि मांग को प्रभावित करनेवाला कारक मुद्रा आपूर्ति के बजाए ऋण है।

3.113 सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर), निवल मांग और मीयादी जमाराशियों का वह अनुपात जिसे बैंकों द्वारा नकद, सोने तथा भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में भारत में बनाए रखा जाना अपेक्षित

### सारणी 3.29: केन्द्र सरकार के चुनिंदा राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी का प्रतिशत)

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) | सकल राजकोषीय घाटा | सकल प्राथमिक घाटा | राजस्व घाटा | प्राथमिक राजस्व घाटा | केन्द्र को रिज़र्व बैंक का निवल ऋण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1970-71 | 3.1 | 1.8 | -0.4 | -1.7 | 0.5 |
| 1975-76 | 3.6 | 2.2 | -1.1 | -2.5 | -0.4 |
| 1980-81 | 5.8 | 4.0 | 1.4 | -0.4 | 2.5 |
| 1985-86 | 7.9 | 5.2 | 2.1 | -0.6 | 2.2 |
| 1990-91 | 7.9 | 4.1 | 3.3 | -0.5 | 2.6 |

**नोट** : ऋणात्मक (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।
**स्रोत** : हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07।

### सारणी 3.30: नकदी आरक्षित निधि अनुपात में परिवर्तन - 1973-1989

| प्रभावी तारीख | नकदी आरक्षित निधि अनुपात * | प्रभावी तारीख | नकदी आरक्षित निधि अनुपात * |
|---|---|---|---|
| जून 29, 1973 | 5.00 | जून 11, 1982 | 7.00 |
| सितंबर 08, 1973 | 6.00 | मई 27, 1983 | 7.50 |
| सितंबर 22, 1973 | 7.00 | जुलाई 29, 1983 | 8.00 |
| जुलाई 01, 1974 | 5.00 | अगस्त 27, 1983 | 8.50 |
| दिसंबर 14, 1974 | 4.50 | नवंबर 12, 1983 | 8.50 |
| दिसंबर 28, 1974 | 4.00 | फरवरी 04, 1984 | 9.00 |
| सितंबर 04, 1976 | 5.00 | अक्तूबर 27, 1984 | 9.00 |
| नवंबर 13, 1976 | 6.00 | दिसंबर 01, 1984 | 9.00 |
| जनवरी 14, 1977 | 6.00 | अक्तूबर 26, 1985 | 9.00 |
| जुलाई 01,1978 | 6.00 | नवंबर 22, 1986 | 9.00 |
| जून 05, 1979 | 6.00 | फरवरी 28, 1987 | 9.50 |
| जुलाई 31,1981 | 6.50 | मई 23, 1987 | 9.50 |
| अगस्त 21, 1981 | 7.00 | अक्तूबर 24, 1987 | 10.00 |
| नवंबर 27, 1981 | 7.25 | अप्रैल 23, 1988 | 10.00 |
| दिसंबर 25, 1981 | 7.50 | जुलाई 2, 1988 | 10.50 |
| जनवरी 29, 1982 | 7.75 | जुलाई 30, 1988 | 11.00 |
| अप्रैल 09, 1982 | 7.25 | जुलाई 1, 1989 | 15.00 |

*: सीआरआर के आंकड़े देशी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत हैं।
**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07।

था, के जरिए भी बैंकिंग क्षेत्र निधियों का बंधुआ स्रोत बन गया। 1970 तथा 1991 के बीच एसएलआर में 12.5 प्रतिशत अंकों का संशोधन किया गया। यद्यपि एसएलआर को विवेकपूर्ण अपेक्षा के रूप में 1949 में शुरू किया गया था, यह केंद्र तथा राज्य सरकार और सरकारी क्षेत्र की कुछ संस्थाओं के घाटे के वित्तपोषण का एक साधन बन गया (सारणी 3.31)। इस प्रकार 1991 तक बैंकिंग क्षेत्र के 63.5 प्रतिशत संसाधनों का पूर्वक्रय एसएलआर और सीआरआर के रूप में कर लिया गया था।

### सारणी 3.31: सांविधिक चलनिधि अनुपात में परिवर्तन - 1970-1990

| प्रभावी तारीख | सांविधिक चलनिधि अनुपात * |
|---|---|
| 05 फरवरी 1970 | 26.00 |
| 24 अप्रैल 1970 | 27.00 |
| 28 अगस्त 1970 | 28.00 |
| 04 अगस्त 1972 | 29.00 |
| 17 नवंबर 1972 | 30.00 |
| 08 दिसंबर 1973 | 32.00 |
| 01 जुलाई 1974 | 33.00 |
| 01 दिसंबर 1978 | 34.00 |
| 25 सितंबर 1981 | 34.50 |
| 30 अक्तूबर 1981 | 35.00 |
| 28 जुलाई 1984 | 35.50 |
| 01 सितंबर 1984 | 36.00 |
| 08 जून 1985 | 36.50 |
| 06 जुलाई 1985 | 37.00 |
| 25 अप्रैल 1987 | 37.50 |
| 2 जनवरी 1988 | 38.00 |
| 22 सितंबर 1990 | 38.50 |

* : देशी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत हैं।
**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07।

3.114 सीआरआर/एसएलआर में हुई वृद्धि स्वयं बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकती थी बशर्ते उक्त अपेक्षाएं पर्याप्त रूप से लाभकारी रही होतीं। तथापि, बैंकों ने सीआरआर की पात्र शेष राशियों पर (उस समय के 3 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम के ऊपर) बाजार दर से कम ब्याज कमाया, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों पर होनेवाली आय, उधार ब्याज दर तो दूर, बचत जमा पर मिलनेवाली ब्याज दर से भी काफी कम थी।उदाहरण के लिए 1981-82 तक, सरकारी प्रतिभूतियों पर आय बैंकों द्वारा एक से तीन साल की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज दर से कम थी। यद्यपि उसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर आय में वृद्धि हुई, तथापि यह बैंकों की उधार ब्याज दरों की तुलना में काफी कम थी (सारणी 3.32)।

3.115 इस चरण में कई नियंत्रण लागू किए गए (बॉक्स III.1)।

3.116 निदेशित ऋण व्यवस्थाओं के विस्तार, नियंत्रित ब्याज दर संरचना तथा सांविधिक पूर्वक्रयों में वृद्धि सभी का बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उदारीकरण के प्रति शुरू किए गए कई उपायों, जिनके ब्यौरे इस खंड में बाद में दिए गए हैं, के फलस्वरूप बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) 1980 के दशक के द्वितीयार्ध में थोड़ा सुधरने के पहले 1975 और 1985 के बीच तेजी से कम हो गया। सभी बैंक समूहों में समान रूप से लाभप्रदता में गिरावट देखी गई, यद्यपि स्टेट बैंक समूह में यह अधिक मुखर थी (सारणी 3.33)।

**सारणी 3.32: ब्याज दरों की संरचना - वाणिज्य बैंक**

(प्रतिशत वार्षिक)

| (मार्च के अंत में) | वाणिज्य बैंक दर | | | | | | | केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां प्राथमिक प्रतिफल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जमा ब्याज दरें | | | उधार ब्याज दरें आरबीआइ द्वारा निर्धारित प्रमुख उधार दरें (एसबीआइ सहित सभी वाणिज्य बैंक) | | | | |
| | 1 से 3 साल | 3 से 5 साल | 5 साल से अधिक | एसबीआइ अग्रिम दर ** | अधिकतम दर सामान्य | न्यूनतम दर सामान्य | न्यूनतम दर चयनात्मक ऋण नियंत्रण | भारित औसत* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1971 | 6.00-6.5 | 7.0 | 7.25 | 7.0-8.5 | – | – | – | – |
| 1972 | 6.0 | 6.5 | 7.25 | 8.5 | – | – | 12.0 | – |
| 1973 | 6.0 | 6.5 | 7.25 | 8.5 | – | – | 12.0 | – |
| 1974 | 6.0 | 7.0 | 7.25 | 8.5-9.0 | – | 10.0-11.0 | 12.00-13.0 | 5.18 |
| 1975 | 6.75-8.0 | 7.75-9.0 | 8.00-10.00 | 9.0-13.5 | – | 11.0-13.0 | 14.00-15.0 | 5.67 |
| 1976 | 8.0 | 9.0 | 10.00 | 14.0 | 16.50 | 12.5 | 14.00-15.0 | 5.79 |
| 1977 | 8.0 | 9.0 | 10.00 | 14.0 | 16.50 | 12.5 | 14.00-15.0 | 5.73 |
| 1978 | 6.0 | 8.0 | 9.00 | 13.0 | 15.00 | 12.5 | 14.00-15.0 | 5.85 |
| 1979 | 6.0 | 7.5 | 9.00 | 13.0 | 15.00 | 12.5 | 14.00-15.0 | 5.84 |
| 1980 | 7.0 | 8.5 | 10.00 | 16.5 | 18.00 | 12.5 | 15.50-18.0 | – |
| 1981 | 7.50-8.5 | 10.0 | 10.00 | 16.5 | 19.40-19.50 | 13.5 | 16.70-19.5 | 7.03 |
| 1982 | 8.00-9.0 | 10.0 | 10.00 | 16.5 | 19.50 | – | 17.50-19.5 | 7.29 |
| 1983 | 8.00-9.0 | 10.0 | 11.00 | 16.5 | 19.50 | – | 17.50-19.5 | 8.36 |
| 1984 | 8.00-9.0 | 10.0 | 11.00 | 16.5 | 18.00 | – | 16.50-18.0 | 9.29 |
| 1985 | 8.00-9.0 | 10.0 | 11.00 | 16.5 | 18.00 | – | 16.50-18.0 | 9.98 |
| 1986 | 8.50-9.0 | 10.0 | 11.00 | 16.5 | 17.50 | – | 16.50-17.5 | 11.08 |
| 1987 | 8.50-9.0 | 10.0 | 11.00 | 16.5 | 17.50 | – | 16.50-17.5 | 11.38 |
| 1988 | 9.00-10.0 | 10.0 | 10.00 | 16.5 | 16.50 | – | 16.5 | 11.25 |
| 1989 | 9.00-10.0 | 10.0 | 10.00 | 16.5 | – | 16.0 | 16.0 | 11.40 |
| 1990 | 9.00-10.0 | 10.0 | 10.00 | 16.5 | – | 16.0 | 16.0 | 11.49 |

`–' : अनुपलब्ध

* : 1974 से 1979 तक की अवधि के आंकड़े मोचन प्रतिफल से संबंधित हैं।

** : स्टेट बैंक की उधार दर से संबंधित है, जो बैंक द्वारा स्वीकृत विभिन्न श्रेणी और वर्ग के अग्रिमों के लिए बेंचमार्क ब्याज दर थी।

**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07 तथा मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट, खंड II, विभिन्न अंक।

## बॉक्स III.1
## लागू किए गए प्रमुख नियंत्रण : 1967 से 1991

1967 आर्थिक नीति की जरूरतों के प्रति बैंकिंग प्रणाली को बेहतर रूप में संरेखित करने की दृष्टि से दिसंबर 1967 में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की घोषणा की गई।

1968 योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार ऋण आबंटित करने के लिए रिज़र्व बैंक तथा सरकार की सहायता हेतु फरवरी 1968 में राष्ट्रीय ऋण परिषद (एनसीसी) की स्थापना की गई।

1969 50 करोड़ रुपए से अधिक जमाराशिवाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

1969 पूरे देश में बड़े पैमाने पर जमा संग्रहण करने के लिए तथा कमजोर वर्गों को उधार में वृद्धि करने के लिए अग्रणी बैंक योजना लागू की गई।

1972 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की संकल्पना को औपचारिक रूप दिया गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए नवंबर 1974 में तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए नवंबर 1978 में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए।

1972 समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतें पूरी करने तथा उनके उत्थान के लिए 1972 में विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना शुरू की गई।

1973 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को छोड़कर सभी ऋणों के लिए न्यूनतम उधार दर निर्धारित की गई।

1973 जिला ऋण योजनाएं शुरू की गईं।

1975 बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे बैंकिंग प्रणाली से 10 लाख रुपए से अधिक की सकल ऋण सीमा वाले सभी उधारकर्ताओं को उधार की पहली पद्धति में रखें, जिसमें बैंक वित्त को छोड़कर चालू आस्तियों और चालू देयताओं के बीच के अंतर का निधीयन दीर्घावधि स्रोतों से किया जाना अपेक्षित था।

1976 न्यूनतम उधार दरों के अलावा बैंक ऋणों के लिए अधिकतम दर निर्धारित की गई।

1980 ऋणकर्ताओं के दीर्घावधि स्रोतों में से कार्यशील पूंजी के प्रति उनके अंशदान को ऋण की दूसरी पद्धति में रखा गया अर्थात, उत्पादन के अनुमानित स्तर के लिए अपेक्षित चालू आस्तियों का कम से कम 25 प्रतिशत, जिससे न्यूनतम चालू अनुपात 1.33 :1 होगा (1975 में निर्धारित मानदंडों के तहत विनिर्दिष्ट कार्यशील पूंजी अंतर के 25 प्रतिशत की तुलना में )।

1980 14 मार्च 1980 को 200 करोड़ रुपए से अधिक मांग और मीयादी देयताओं वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया।

1988 सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एसएए) लागू कर अग्रणी बैंक योजना को आशोधित किया गया।

1989 सीआरआर को क्रमिक रूप से बढ़ाकर जून 1973 के 5.0 प्रतिशत से जुलाई 1989 तक 15.0 प्रतिशत किया गया।

1991 एसएलआर को फरवरी 1970 के 26 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत अंक बढ़ाकर सितंबर 1990 में 38.5 प्रतिशत किया गया।

### व्यष्टि नियंत्रणों में कमी, उदारीकरण तथा बैंकों के सुदृढ़ीकरण के प्रति आरंभिक उपाय

3.117 1980 के दशक के मध्य में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में उदारीकरण के प्रति कई छोटे कदम उठाए गए। उदाहरण के लिए, कोटा और अधिकतम सीमा को शिथिल किया गया तथा आयातों को उदार बनाया गया। कई तरह से 1980 के दशक के उत्तरार्ध में वित्तीय उदारीकरण की पहली लहर की भी शुरुआत हुई। इस प्रक्रिया के अंग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने उदारीकरण के प्रति कई पहलें कीं। गुणवत्ता के अच्छे रिकार्डवाले उधारकर्ताओं को कुछ राहत प्रदान करने की दृष्टि से तथा साथ ही उधारकर्ताओं पर लगायी जानेवाली ब्याज दरों के मामले में बैंकों को लचीलापन प्रदान करने के लिए, न्यूनतम दर के अधीन सभी उधार ब्याज दरों पर अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई। बैंकों को ऐसा विवेकाधिकार दिया गया कि वे रियायती उधार दर पर ऋण प्राप्त श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणियों से न्यायसंगत तरीके से अलग ब्याज दर वसूलें। अल्पावधि ब्याज दरों को प्रणाली की अन्य ब्याज दरों के साथ बेहतर रूप में संरेखित करने के लिए कई उपाय भी किए गए। सरकारी प्रतिभूति बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति को दर्शाने के लिए सरकारी बांडों पर ब्याज दरें क्रमिक रूप से बढ़ा दी गईं।

**सारणी 3.33: वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ***

(प्रतिशत)

| वर्ष (जनवरी-दिसंबर) | एसबीआइ | राष्ट्रीयकृत बैंक | अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक | आस्तियों पर प्रतिलाभ |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0.48 | 0.64 | 0.65 | 0.59 |
| 1975 | 1.19 | 0.57 | 0.59 | 0.77 |
| 1980 | 0.86 | 0.56 | 0.59 | 0.66 |
| 1985 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
| 1989-90 @ | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.15 |

* : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कर पूर्व निवल लाभ।
@ : अप्रैल-मार्च
**स्रोत :** भारत स्थित बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां, विभिन्न अंक।

3.118 भौगोलिक व्याप्ति तथा अत्यधिक नियंत्रणों केरूप में बैंकिंग के नेटवर्क के विस्तार की प्रक्रिया ने बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता तथा उनकी लाभप्रदता को प्रभावित किया। इन गतिविधियों के प्रतिसाद में, समेकन और विशाखीकरण के लिए तथा कुछ सीमा तक वित्तीय क्षेत्र के अविनियमन के लिए 1980 के दशक के मध्य में कई उपाय किए गए । समेकन उपायों का उद्देश्य यह था कि बैंकों की संरचना, प्रशिक्षण, हाउसकीपिंग, ग्राहक सेवा, आंतरिक प्रक्रियाओं

और प्रणालियों, ऋण प्रबंधन, ऋण वसूली, स्टाफ उत्पादकता और लाभप्रदता में सुदृढ़ता लाई जाए। बैंकों को परिचालनार्थ लचीलापन प्रदान करने के लिए भी कुछ पहलें की गईं।

3.119 1980 के दशक के आरंभ में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को स्टाक और बांड बाजारों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा म्यूच्युअल फंड की स्कीमों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। कई कंपनियां सफलतापूर्वक इक्विटी बाजार में आईं तथा उन्होंने कर प्रोत्साहनों सहित या रहित लाभकारी आय के साथ बांड जारी किए । लघु बचत लिखतें (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम की तरह) भी लोकप्रिय हुईं क्योंकि उनमें कर लाभ का प्रस्ताव था। इसने बचतकर्ताओं को उन बैंक जमाराशियों से दूर कर दिया जिनमें इस प्रकार की कोई भी विशिष्टता नहीं थी तथा जिनमें जमाकर्ताओं को बहुत कम अथवा ऋणात्मक वास्तविक ब्याज दर का प्रस्ताव था। बैंकिंग क्षेत्र मोटे तौर पर बंधा हुआ था क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम इसे बैंकिंग से इतर कार्यकलाप शुरू करने की अनुमति नहीं देता था। फलस्वरूप, घरेलू क्षेत्र की बचत राशियों में जमाराशियों के हिस्से में गिरावट आई जबकि गैर बैंकिंग कंपनियों की जमाराशियों तथा सरकार द्वारा दी जानेवाली अल्प बचत लिखतों के हिस्से में वृद्धि हुई। बैंकिंग उद्योग में गैर मध्यस्थता की इस प्रक्रिया का मुख्य कारण यह था कि व्यक्तियों और कंपनी जमाकर्ताओं को कई तरह के निवेश के अवसर उपलब्ध थे (ब्यौरों के लिए अध्याय IV देखें)। कई अन्य देशों की तरह भारत स्थित बैंकों को ऐसे कार्यकलाप करने की अनुमति नहीं थी जो परंपरागत तौर पर स्वयं बैंकिंग से संबंधित नहीं थे। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में बैंकिंग की परिभाषा इस प्रकार की गई ''उधार देने या निवेश के प्रयोजन से जनता से धन के निक्षेप स्वीकार करना, जो कि मांग पर या अन्यथा प्रतिदेय हों तथा चेक, ड्राफ्ट या आर्डर द्वारा या अन्यथा निकाले जा सकें।'' इसने बैंकों को बैंकेतर आस्तियों पर निवेश करने की मनाही की। इस प्रकार बैंक ऐतिहासिक रूप से इस प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करते थे, यथा बैंकिंग सेवाएं, विप्रेषण सेवा का प्रावधान, चेकों तथा विनिमय बिलों की वसूली, गारंटियों का निर्गम, साख पत्र खोलना तथा सुरक्षित जमा लॉकर पट्टे पर देना।

3.120 उदारीकरण के प्रति एक निश्चित उपाय के रूप में, बैंककारी विनियमन अधिनियम को 1984 में संशोधित किया गया ताकि वित्तीय गैर मध्यस्थता के कारण बैंकों की भूमिका में आई गिरावट का समाधान किया जा सके। बैंकों को सहायक संस्थाओं के जरिए व्यापारी बैंकिंग कार्यकलाप करने की अनुमति दी गई। तदनुसार कई बैंकों ने व्यापारी बैंकिंग और प्रतिभूति बाजार संबंधी कार्यकलाप, उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद, म्यूच्युअल फंड, आवास ऋण तथा जोखिम पूंजी संबंधी कार्य करने के लिए सहायक संस्थाओं की स्थापना की। बैंकिंग कार्यकलापों के विशाखीकरण ने बैंकों का व्यवसाय बढ़ाने में और ब्याजेतर आय प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर उनकी लाभप्रदता बढ़ाने में उनकी मदद की। यह एक सांकेतिक प्रक्रिया थी क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र इन कार्यकलापों को करनेवाले बैंकों के साथ अच्छा महसूस कर रहा था। इस अविनियमन के फलस्वरूप, कुछ ऐसी जोखिम थी जिनका समाधान किया जाना था। रिज़र्व बैंक ने इनका समाधान सहायक संस्थाओं के जरिए प्रतिभूति कारोबार करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करके किया, इस प्रकार परंपरागत बैंकिंग और गैर परंपरागत कार्यकलाप के बीच अभेद्य दीवार खड़ी कर दी गई। रिज़र्व बैंक ने संबद्ध उधार को न्यूनतम करने के लिए औद्योगिक समूहों के साथ प्रतिधारिताओं की भी मनाही की।

3.121 बैंकों का स्वास्थ्य भी रिज़र्व बैंक के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूंजी आधार कमजोर था। बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने सरकार से परामर्श करके राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की। सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना (अप्रैल 1985-मार्च 1990) के दौरान 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच 2000 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया। पूंजी आधार को बढ़ाने की इस योजना का उद्देश्य यह था कि जमाराशि के प्रति स्वाधिकृत निधियों के अनुपात को बढ़ाकर उसे 2.5 प्रतिशत के स्तर तक लाया जाए। आबंटित राशि का निवेश साथ-साथ गैर बेचान योग्य विशेष प्रतिभूतियों में कर दिया गया, जिन पर 7.75 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर देय थी।

3.122 बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने की दृष्टि से, 1985 में स्वास्थ्य कूट प्रणाली लागू की गई, जिसमें बैंक ऋणों को उनके निष्पादन के अनुसार वर्गीकृत किया गया। स्वास्थ्य कूट प्रणाली के तहत वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे अलग-अलग अग्रिमों की गुणवत्ता के आधार पर एकरूप ग्रेडिंग प्रणाली के तहत अपने अग्रिम संविभाग को आठ श्रेणियों में वर्गीकृत करें। इस प्रणाली में आठ कूट थे। इनमें से पांच से आठ क्रमांक तक को अनर्जक आस्ति माना गया। इनमें ये शामिल थे - (क) वापस मांगे गए ऋण; (ख) मुकदमा दायर खाते अर्थात ऐसे खाते जिनमें कानूनी कार्रवाई या वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी; (ग) डिक्रीशुदा ऋण; अर्थात जहां मुकदमा दायर किया गया है तथा डिक्री प्राप्त हुआ है और (घ) अशोध्य तथा संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत ऋण। अनर्जक ऋणों पर ब्याज लगाना बंद करने की विवेकपूर्ण लेखांकन प्रथा के रूप में, बैंकों को मई 1989 में सूचित किया गया कि वे स्वास्थ्य कूट वर्गीकरण 6,7 तथा 8 के तहत वर्गीकृत ऋणों पर उस तिमाही से ब्याज नहीं लगाएं एवं उसे अपनी आय में शामिल नहीं करें, जिस तिमाही में व्यक्तिगत खातों को उक्त श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। बैंक खातों में और अधिक पारदर्शिता लाने के प्रति एक और उपाय के रूप में तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आय का निर्धारण अधिक विवेकपूर्ण आधार पर किया गया है, बैंकों को अक्तूबर 1990 में यह सूचित किया गया कि वे स्वास्थ्य कूट वर्गीकरण 5 के तहत वर्गीकृत अग्रिमों पर भी लेखा वर्ष 1990-91 से उस तिमाही से ब्याज नहीं लगाएं तथा उसे अपने आय लेखा में शामिल नहीं करें, जिस तिमाही में व्यक्तिगत खातों को इस प्रकार

वर्गीकृत किया गया हो। स्वास्थ्य कूट वर्गीकरण 4 के तहत ब्याज लगाने का कार्य पर्याप्त प्रतिभूति की उपलब्धता तथा प्रतिभूति को वसूलने की संभावनाओं के आधार पर बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया।

3.123 सारांश के तौर पर, इस चरण के आरंभ में आनेवाले प्रमुख मुद्दें बैंकों तथा उद्योग के बीच के मजबूत अंतर्बंधन थे, जिसके फलस्वरूप कृषि की उपेक्षा की गई। इस चरण में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि उक्त अंतर्बंधन को तोड़कर कृषि को ऋण के प्रवाह में सुधार लाया जाए। इस प्रयोजन के लिए प्रमुख उपाय थे - देश में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में निदेशित ऋण शुरू करना। राष्ट्रीयकरण के चरण के दौरान की उपलब्धियां व्यापक, विभिन्नतापूर्ण तथा व्यापक तौर पर स्वीकृत थीं। 1969 तथा बाद में 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण में बैंकिंग कारोबार के बड़े खंड को सरकारी स्वामित्व के तहत ला दिया। राष्ट्रीयकरण के बाद के चरण में, राष्ट्र इस प्रकार की वित्तीय संरचना निर्मित करने में सक्षम था जो भौगोलिक दृष्टि से व्यापक और वित्तीय दृष्टि से विशाखीकृत हो, ताकि अर्थव्यवस्था की बढ़ रही जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने की प्रक्रिया तीव्र की जा सके। अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक कार्यकलापों को समय पर एवं पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक प्रमुख उपाय था। इसकी अभिकल्पना इस प्रकार की गई ताकि छोटे व्यक्तियों और ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके और उन क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके जिन्हें उस समय तक बैंकिंग प्रणाली द्वारा उपेक्षित किया गया था, ऐसा उस स्वल्पप्रतियोगितात्मक (Oligopolistic) संरचना के स्थान पर किया जाना था जिसके तहत प्रणाली द्वारा मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतें पूरी की जा रही थीं तथा जहां ऋण की स्वीकृति को एक संरक्षण का कार्य माना जाता था और उसे प्राप्त करना एक विशेषाधिकार माना जाता था।[31] दिसंबर 1990 के अंत में, देश में वाणिज्य बैंकों (आरआरबी सहित) की 59,752 शाखाएं थीं, जिनमें से 34,791 (58.2 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। 1969 के आरंभ से देखे गए तीव्र शाखा विस्तार के फलस्वरूप, प्रति बैंक कार्यालय औसत आबादी 1969 के 65,000 से घटकर दिसंबर 1990 के अंत में 14,000 हो गई। इसने विशेष रूप से बैंक सुविधारहित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का प्रसार करने के प्रति किए गए व्यापक प्रयासों को प्रदर्शित किया।[32] इस विस्तार की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि क्षेत्रों के बीच एक सुदृढ़ समाभिरूपता थी। 1977 के 1:4 लाइसेंसिंग नियम के पश्चात बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में वस्तुतः वृद्धि हुई क्योंकि 1977 तथा 1990 के बीच खोली गई बैंक शाखाओं में से तीन-चौथाई से अधिक बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में थीं।

3.124 व्यापक शाखा विस्तार के फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली की जमाराशियों और ऋण में वृद्धि 1969 के क्रमशः जीडीपी के 13 और 10 प्रतिशत से बढ़कर 1991 तक क्रमशः 38 प्रतिशत और 24 प्रतिशत हो गई। खोली गई नयी शाखाओं से जमा संग्रहण में काफी मदद मिली तथा साक्ष्य यह बताते हैं कि वृद्धिशील जमाराशियों का एक बड़ा भाग 1969 के बाद खोली गई शाखाओं से प्राप्त हुआ। कुल जमाराशियों में ग्रामीण जमाराशियों का हिस्सा 1969 के 3 प्रतिशत से बढ़कर 1990 में 16 प्रतिशत हो गया। कुल बैंक ऋण में ग्रामीण क्षेत्र को ऋण का हिस्सा 1969 के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 1990 में 14.2 प्रतिशत हो गया। बैंकिंग क्षेत्र ने क्षेत्रवार आबंटन की अपेक्षाओं के अधीन अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी कीं तथा निवेशयोग्य निधियों के दक्ष और उत्पादक नियोजन में आयोजना संबंधी प्राधिकारियों को समर्थन प्रदान किया ताकि स्थिरता और सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि को अधिकतम किया जा सके।

3.125 1970 और 1980 के दशक में बढ़ रहे राजकोषीय घाटे तथा बढ़े हुए स्वतः मुद्रीकरण, जिसके जरिए सरकार तदर्थ खजाना बिलों की मदद से रिज़र्व बैंक से उधार ले सकती थी, के फलस्वरूप आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो गई। आरक्षित मुद्रा में वृद्धि को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक से अपेक्षित था कि वह आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि करे। यद्यपि बैंकिंग प्रणाली द्वारा संसाधन संग्रहण में तीव्र वृद्धि हुई, बैंकिंग प्रणाली से की गई मांग में भी वृद्धि हुई। सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि का वित्तपोषण करने के लिए, रिज़र्व बैंक को बैंकों का एसएलआर बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया।एक समय पर, बैंकिंग क्षेत्र के संसाधनों के 63.5 प्रतिशत का पूर्वक्रय सीआरआर और एसएलआर द्वारा कर लिया गया था तथा इस प्रकार के नियोजनों पर उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा था। विभिन्न क्षेत्रों से निधियों की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए कंपनियों के स्तर पर कुछ वित्तीय अनुशासन लाने के प्रयास किए गए। तथापि, इस प्रयोजन के निर्धारित मानदंडों को अत्यधिक सख्त पाया गया। विशेष रूप से परंपरागत क्षेत्रों को सख्त मौद्रिक नीति की अवधियों के दौरान समग्र ऋण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप, परंपरागत क्षेत्रों ने बैंकिंग प्रणाली से इतर स्रोतों से निधियों की मांग आरंभ की, यथा पूंजी बाजार से और जनता से प्रत्यक्ष तौर पर जमाराशियां जुटाना जो गैर मध्यस्थता की ओर ले जाता है। दूसरी ओर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऋण मूल्यांकन मानकों को कम किया गया। इस अवधि के दौरान, जमा और उधार दर की संरचना बहुत जटिल हो गई। सरकारी प्रतिभूतियों और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों पर कम प्रतिलाभ का अभिप्राय यह था कि अन्य क्षेत्रों से ऊंची दरों पर ब्याज वसूला जाना था। ब्याज की दरें उधारकर्ताओं के प्रकार,

[31] नरसिंहम समिति रिपोर्ट, 1991 ।

[32] वही

उधार के आकार और स्थान के अनुसार अलग-अलग थीं। विनिर्दिष्ट ब्याज दरें कतिपय कार्यकलापों यथा अनाज की खरीद, तेल कंपनियों और सरकारी क्षेत्र की कुछ प्रमुख इकाइयों के लिए सस्ती थीं। पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के अभाव के साथ विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों के फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली की उत्पादकता और दक्षता में गिरावट आई और उसकी लाभप्रदता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। बैंकों की पूंजी की स्थिति में गिरावट आई और उनके पास बड़ी मात्रा में अनर्जक आस्तियां इकट्ठी हो गईं।

3.126 1980 के दशक के मध्य में बैंकिंग क्षेत्र को उदार बनाने और उसकी लाभप्रदता, स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ता में सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास किए गए, जो उस समय तक व्यापक रूप से निजी स्वामित्ववाली प्रणाली से रूपांतरित होकर सरकारी क्षेत्र की प्रमुखता वाली प्रणाली बन चुका था। तथापि, उस समय मौजूद नियंत्रणों/ विनियमनों के प्रकार और मात्रा को देखते हुए ये छोटे कदम थे। 1990 के दशक के आरंभ में सरकार द्वारा शुरू किए गए संरचनागत सुधारों के फलस्वरूप प्रमुख सुधार अगले चरण में घटित हुए।

## V. वित्तीय क्षेत्र सुधारों का चरण - 1991-92 तथा उसके बाद

3.127 भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा 1990 के दशक के आरंभ में शुरू किए गए संरचनागत सुधारों, जिसमें व्यापार, उद्योग, निवेश तथा बाह्य क्षेत्र शामिल थे, के अंग के रूप में आरंभ किए गए वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों के प्रतिसाद में इस चरण में बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ। वास्तविक अर्थव्यवस्था में हुए सुधारों की पूरी संभाव्यता का दोहन करने के लिए एक जागरूक और प्रतिस्पर्धी वित्तीय क्षेत्र, विशेष तौर पर बैंकिंग क्षेत्र, की जरूरत महसूस की गई । भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र की संरचना, संगठन, कार्य और प्रक्रिया संबंधी सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अगस्त 1991 में वित्तीय प्रणाली संबंधी एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति (सीएफएस) (अध्यक्षः श्री एम.नरसिंहम) का गठन किया। समिति ने नवंबर 1991 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में व्यापक सिफारिशें कीं जो आनेवाले वर्षों में बैंकों, विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) तथा पूंजी बाजार संबंधी वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का आधार बना। समिति ने बैंकिंग क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार तथा इसके कार्यों/परिचालनों और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में वित्तीय मध्यस्थता और वृद्धि के संवर्धन में इसके द्वारा की गई सराहनीय प्रगति को रेखांकित किया। तथापि साथ ही समिति ने बैंकिंग क्षेत्र की खराब हालत को चिंतापूर्वक नोट किया। समिति ने सतर्क किया कि यदि प्रणाली की वित्तीय हालत में आई गिरावट का तुरंत उपचार नहीं किया गया तो इससे इस क्षेत्र को सौंपी गई बचतों के मूल्य और उन पर मिलनेवाले प्रतिलाभ में और अधिक कमी आ सकती है तथा जमाकर्ताओं और निवेशकों के विश्वास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तदनुसार, वित्तीय क्षेत्र को दक्षता और गतिशीलता प्रदान करने के लिए किए जा रहे समग्र संरचनागत सुधारों के अंग के रूप में वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों की शुरुआत की गई। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के प्रति देश का दृष्टिकोण 'पंचसूत्र' अथवा पांच सिद्धांतों द्वारा दिशानिर्देशित थाः (i) सतर्कता और सुधार संबंधी उपायों का अनुक्रमण; (ii) मुख्यतः प्रबलित करनेवाले मानदंड लागू करना; (iii) विभिन्न क्षेत्रों (मौद्रिक, राजकोषीय, बाह्य और वित्तीय क्षेत्रों) के बीच पूरक सुधार लागू करना; (iv) वित्तीय संस्थाओं का विकास; तथा (v) वित्तीय बाजारों का विकास और समेकन। इस चरण में बैंकिंग क्षेत्र के विकास को दो उपचरणों में और विभाजित किया जा सकता है, अर्थात 1991-92 से 1997-98 तक तथा 1997-98 के बाद।

### सुधार का पहला चरण : 1991-92 से 1997-98 तक

*वित्तीय स्वास्थ्य और सुदृढ़ता*

3.128 बैंकिंग क्षेत्र की कमजोर स्थिति, कम लाभप्रदता तथा कमजोर पूंजी आधार 1990 के दशक के आरंभ में उसकी मुख्य समस्या थी। इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा बैंकिंग क्षेत्र की सही स्थिति के मूल्यांकन से संबंधित था क्योंकि उस समय अनुसरण की जा रही स्वास्थ्य कूट प्रणाली व्यक्तिनिष्ठ विचारों पर आधारित थी तथा उसमें सुसंगति की कमी थी । इन मुद्दों का समाधान करने के लिए कई परस्पर प्रबलित करनेवाले उपाय शुरू किए गए। बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य को सुधारने की दृष्टि से अप्रैल 1992 में एक चरणबद्ध तरीके से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत विवेकपूर्ण मानदंड लागू किए गए। बैंकों को सूचित किया गया कि वे किसी अनर्जक आस्ति पर ब्याज न लगाएं तथा उसे आय खाते में शामिल न करें। इस प्रयोजन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर अनर्जक आस्तियों की स्पष्ट परिभाषा की गई। उस समय प्रचलित आठ स्वास्थ्य कूटों की मौजूदा प्रणाली की तुलना में, बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने अग्रिमों को चार व्यापक समूहों में वर्गीकृत करें, अर्थात (i) मानक आस्तियां, (ii) अवमानक आस्तियां, (iii) संदिग्ध आस्तियां, तथा (iv) हानिगत आस्तियां।

3.129 पुराने आठ श्रेणीवाले स्वास्थ्य कूट प्रणाली में चार श्रेणियों को अनर्जक आस्ति माना गया था, अर्थात मांगे गए ऋण, मुकदमा दायर खाते, डिक्रीशुदा ऋण और अशोध्य एवं संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत ऋण तथा बैंक इन श्रेणियों पर ब्याज आय नहीं लगा सकते थे। तथापि, समस्याग्रस्त ऋण की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी और वास्तविक तौर पर बैंक सभी अनर्जक आस्तियों पर ब्याज आय लगा सकते थे। संशोधित मानदंडों ने बैंकों के स्वास्थ्य की सही स्थिति प्रकट की। पुरानी स्वास्थ्य कूट प्रणाली के आधार पर मार्च 1992 के अंत में सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल देशी अनर्जक अग्रिम कुल बकाया अग्रिमों का 14.5 प्रतिशत थे, जो संशोधित वर्गीकरण के आधार पर 31 मार्च 1993 को 23.2 प्रतिशत आता है। इसका अभिप्राय

यह था कि बैंकों के अग्रिमों का लगभग एक-चौथाई अनुत्पादक आस्तियों में लगाया गया था। इसने बैंकों की लाभप्रदता पर न सिर्फ प्रतिकूल असर डाला अपितु निधियों के पुनर्नियोजन को भी निवारित किया और इस प्रकार उनके तुलनपत्रों के विकास को निरुध्द किया गया।

3.130 बैंकों से यह भी अपेक्षा की गई कि वे अवमानक आस्तियों पर 10 प्रतिशत तथा 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों के प्रतिभूत भाग पर 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का प्रावधान करें, जो उस अवधि पर निर्भर होगा जिस अवधि के लिए आस्तियां संदिग्ध बनी रहीं। 'संदिग्ध' आस्तियों के अप्रतिभूत भाग तथा 'हानि आस्तियों' के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान करने की अपेक्षा की गई। तथापि, बैंकों से कहा गया कि वे प्रबंधन सूचना के साधन के रूप में आस्तियों के वर्गीकरण की स्वास्थ्य कूट प्रणाली का अनुसरण करते रहें।

3.131 बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए, भारत में उनके लिए (विदेशी बैंकों सहित) जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की प्रणाली भी चरणबद्ध रूप में लागू की गई। विदेश में शाखा रखनेवाले भारतीय बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे यथाशीघ्र तथा हर हालत में 31 मार्च 1994 तक 8 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता मानदंड प्राप्त कर लें। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को 8 प्रतिशत का यह मानदंड 31 मार्च 1993 तक प्राप्त करना था। अन्य बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे 4 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता मानदंड 31 मार्च 1993 तक तथा 8 प्रतिशत का मानदंड 31 मार्च 1996 तक प्राप्त कर लें।

3.132 बैंकों द्वारा अनंतिम प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा लगभग 10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान रिज़र्व बैंक ने लगाया। साथ ही, पूंजी पर्याप्तता मानदंड पूरा करने के लिए बैंकों को अतिरिक्त संसाधनों की भी अपेक्षा थी। बैंकों द्वारा अपेक्षित कुल संसाधन 14,000 करोड़ रुपए के आसपास थे। इसमें से बैंक अपने स्वयं के अधिशेष से 2 वर्ष की अवधि के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए प्रदान करने में समर्थ थे तथा लगभग 10,000 करोड़ रुपए प्रणाली द्वारा अतिरिक्त संसाधनों के रूप में अपेक्षित थे।

3.133 बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता बहाल करने और बनाये रखने के लिए तथा विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंड एवं पूंजी पर्याप्तता मानदंड का पहला चरण लागू किए जाने से उत्पन्न अंतर को पूरा करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए, सरकार ने वित्तीय वर्ष 1993-94 से राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए पुनः पूंजीकरण कार्यक्रम आरंभ किया। सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को मार्च 1998 तक कुल 20,046 करोड़ रुपए का पूंजी अंशदान किया गया। इसके अलावा, सरकार ने 2 बैंकों की हानियों को उनकी पूंजी के प्रति बट्टे खाते डालने के लिए मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के दौरान 1,532 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की ताकि उनका तुलनपत्र स्वच्छ हो सके और वे शीघ्र सार्वजनिक निर्गम ला सकें।

3.134 चूंकि सरकार द्वारा पूंजी का अंतर्वेशन प्रावधानीकरण संबंधी और मानदंडों को पूरा करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने हेतु तथा पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश पूरी तरह लागू किए जाने पर अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकताओं का खयाल रखने हेतु अपर्याप्तता था, सरकार ने सुसंगत अधिनियमों को संशोधित कर यह निर्णय लिया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जनता से इक्विटी निधियां जुटाने के लिए पूंजी बाजार में सीधे प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। तथापि, यह निर्धारित किया गया कि सरकारी स्वामित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों की इक्विटी के कम से कम 51 प्रतिशत पर बना रहेगा। तथापि, प्रत्याशित आय की तुलना में इक्विटी का अत्यधिक बड़ा आधार कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूंजी बाजार के दोहन में बाधा बन रहा था, इसे देखते हुए सरकार ने बैंकों को प्रदत्त पूंजी घटाने की अनुमति दी। किसी भी स्थिति में प्रदत्त पूंजी को कम कर संशोधन की तारीख को विद्यमान राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रदत्त पूंजी के 25 प्रतिशत से नीचे नहीं ले जाना था। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 31 मार्च 1997 तक 3,038 करोड़ रुपए की कुल पूंजी को बट्टे खाते डालने की अनुमति दी गई। तथापि 4 बैंकों ने अपनी प्रति शेयर आय को सुधारने के लिए 1996-97 में कुल 842 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी सरकार को वापस की।

3.135 मार्च 1998 के अंत तक, सरकारी क्षेत्र के 9 बैंकों ने बाजार से 6,015 करोड़ रुपए की कुल राशि की पूंजी (प्रीमियम सहित) जुटाई, जिसमें 1996-97 के दौरान एसबीआइ के जीडीआर निर्गम से जुटाई गई 1,270 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। इसके अलावा, कुछ बैंकों ने अपनी टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए गौण ऋण भी जुटाया। बैंकों द्वारा पूंजी जुटाए जाने से पीएसबी के स्वामित्व का विशाखीकरण हुआ, जिससे निजी शेयरधारिता और शेयरधारकों के मूल्य एवं बोर्ड पर निजी शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों के कारण उनकी कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय गुणात्मक अंतर आया (अध्याय V भी देखें)।

3.136 प्रतिकूल चयन के कारण नयी अनर्जक आस्तियों को बढ़ने से रोकने के लिए, बैंकों को अन्य ऋणदात्री संस्थाओं के चूककर्ताओं के प्रति आगाह किया गया। इस प्रयोजन के लिए, रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1994 में ऋण संबंधी आंकड़ों में साझेदारी की योजना शुरू की। नयी अनर्जक आस्तियों को बढ़ने से रोकने के अलावा, पहले से संचित अनर्जक आस्तियों की वसूली का भी मुद्दा था। इस संदर्भ में, वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे लोक अदालतों का अधिकाधिक उपयोग करें, जिन्हें न्यायिक हैसियत प्रदान किया गया है तथा जो बैंकों और छोटे उधारकर्ताओं के बीच विवाद के निपटान की सुविधाजनक तथा कम खर्चीली पद्धति के रूप में उभरे हैं। साथ ही 1993 में 'बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम' बनाया गया जिसमें ऐसे ऋणों के त्वरित अधिनिर्णय तथा वसूली के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया। उक्त अधिनियम बनने के बाद, देश में कई स्थानों पर 29 ऋण वसूली

न्यायाधिकरणों (डीआरटी) तथा 5 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (डीआरएटी) की स्थापना की गई।

3.137 शुरू किए गए विभिन्न उपायों का बैंकों के तुलनपत्र की गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। थोड़े समय में बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों में उल्लेखनीय कमी करने में समर्थ हो गए। सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां, जो मार्च 1993 के अंत में 23.2 प्रतिशत थीं, मार्च 1998 के अंत तक कम होकर 16.0 प्रतिशत रह गईं। प्रावधान में वृद्धि के बावजूद आम तौर पर बैंकिंग क्षेत्र तथा विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समग्र लाभप्रदता में सुधार हुआ, जिसके ब्यौरे बाद के खंड में दिए गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। 75 बैंकों में से 58 बैंक मार्च 2006 के अंत तक 8 प्रतिशत का निर्धारित सीआरएआर प्राप्त कर सके। 8 राष्ट्रीयकृत बैंक, 6 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक तथा 3 विदेशी बैंक मार्च 1996 के अंत तक 8 प्रतिशत का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी का निर्धारित अनुपात प्राप्त नहीं कर सके। अतः उन्हें कतिपय प्रतिबंधों, यथा अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम भारित आस्तियों में कम वृद्धि तथा पूंजी व्यय एवं शाखा विस्तार को रोकने, की शर्त पर निर्धारित अनुपात प्राप्त करने के लिए 1 साल का और समय दिया गया। मार्च 1998 के अंत में, 27 पीएसबी में से 26 बैंकों ने 8 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता की निर्धारित अपेक्षा पूरी की। 5 बैंकों (सरकारी क्षेत्र के 1 बैंक तथा निजी क्षेत्र के 4 पुराने बैंक) को छोड़कर शेष सभी बैंक 8 प्रतिशत का निर्धारित सीआरएआर प्राप्त करने में समर्थ रहे (सारणी 3.34)।

*बैंकों पर बाह्य प्रतिबंधों को हटाना*

3.138 बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करनेवाला एक प्रमुख कारक आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रूप में उच्च पूर्वक्रय था, जो 1990 के दशक के आरंभ में 63.5 प्रतिशत के ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। इसके अलावा, ब्याज दरों की नियंत्रित संरचना ने बैंकों को उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता के आधार पर ब्याज दर लगाने की अनुमति नहीं दी और इस प्रकार संसाधनों की आबंटनात्मक दक्षता प्रभावित हुई।जनवरी 1993 और अप्रैल 1993 के आरंभ से क्रमशः एसएलआर तथा सीआरआर में चरणबद्ध कटौती की गई। एसएलआर को फरवरी 1992 के 38.5 प्रतिशत की सर्वोच्च दर से क्रमिक रूप से कम कर अक्तूबर 1997 तक 25.0 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर पर लाया गया। सुधार के आरंभिक वर्षों में केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे में तीव्र कटौती हुई। तदनुसार, बैंकिंग क्षेत्र को निधियों के बंधक स्रोत के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता कम हो गई। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों को भी कमोबेश बाजार निर्धारित कर दिया गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) का सीआरआर, जो 1 जुलाई 1989 तथा 8 अक्तूबर 1992 के बीच निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 15 प्रतिशत था, चरणबद्ध रूप में कम कर 22 नवंबर 1997 तक 9.5 प्रतिशत कर दिया गया। नवंबर 1995 तथा जनवरी 1997 के बीच, सीआरआर में 5 प्रतिशत अंकों तक की कटौती की गई। 10 प्रतिशत वृद्धिशील सीआरआर को भी हटा लिया गया।

3.139 सांवधिक पूर्वक्रयों में कटौती ने बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करनेवाले न सिर्फ बाह्य अवरोधों को दूर किया, अपितु इससे बैंकों के ऋणयोग्य संसाधनों में भी वृद्धि हुई। इसके अलावा, मुद्रा बाजार में अधिक सामान्य चलनिधि स्थिति को देखते हुए, उन बैंक निधियों के अनुपात में और उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो निजी क्षेत्र में वित्तीय वृद्धि और रोजगार के लिए उपलब्ध थीं। तथापि, बैंकों के ऋणयोग्य संसाधनों की वृद्धि के बावजूद मांग और आपूर्ति दोनों कारकों की वजह से 1996-97 से ऋण की वृद्धि में मंदी आई। विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने पर बैंक अपने ऋण संविभाग को बढ़ाने के प्रति चौकस हो गए। विशेष रूप से अनर्जक आस्तियों के अपेक्षाकृत उच्च स्तर का कमजोर बैंकों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात में उपलब्ध कम गुंजाइश (मार्च 1996 के अंत में 8.7 प्रतिशत) के कारण ऋण प्रदान करने की बैंकों की क्षमता भी प्रभावित हुई। अलग-अलग बैंक के स्तर पर, जैसाकि पहले बताया गया है कुछ बैंक मार्च 1998 के अंत में पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सके। कंपनी क्षेत्र से निधियों की मांग भी कम हो गई। उत्पाद बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि को देखते हुए, कंपनी क्षेत्र ने क्षमता बढ़ाने के बजाए अपना ध्यान

**सारणी 3.34: सीआरएआर की स्थिति - मार्च 1998 के अंत की स्थिति**

| बैंक समूह | 1996 | | 1997 | | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 प्रतिशत और अधिक सीआरएआर वाले बैंकों की संख्या | 8 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले बैंकों की संख्या | 8 प्रतिशत और अधिक सीआरएआर वाले बैंकों की संख्या | 8 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले बैंकों की संख्या | 8 प्रतिशत और अधिक सीआरएआर वाले बैंकों की संख्या | 8 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले बैंकों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 19 | 8 | 25 | 2 | 26 | 1 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 28 | 6 | 30 | 4 | 30 | 4 |
| विदेशी बैंक | 28 | 3 | 39 | – | 42 | – |
| **कुल** | **75** | **17** | **94** | **6** | **98** | **5** |

पुनर्विन्यास पर केंद्रित किया। प्रतिस्पर्धा में हुई वृद्धि ने भी कंपनियों को अपने तुलनपत्रों का पुनर्विन्यास करने के लिए मजबूर किया, जिसके द्वारा उन्होंने प्रतिधारित आय पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी तथा उधार राशियां कम कर दीं। कम हो रही मुद्रास्फीति के साथ सांकेतिक ब्याज दरों के गिरने की वजह से वास्तविक ब्याज दरों में हुई वृद्धि ने भी ऋण विस्तार में आई कमी में अंशदान किया (मोहन, 2005)। अतः सीआरआर और एसएलआर के रूप में सांविधिक पूर्वक्रय कम किये जाने के बावजूद बैंकों ने अपनी अपेक्षा से अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना जारी रखा। मार्च 1996 के अंत में एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंकों का निवेश निवल मांग और मीयादी देयताओं का 36.9 प्रतिशत था जबकि सांविधिक अपेक्षा 31.5 प्रतिशत थी (अध्याय VI भी देखें)।

3.140 बैंकों को अपनी जमा और उधार ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। ब्याज दरों की संरचना, जो अत्यधिक जटिल हो गई थी, को पहले युक्तियुक्त बनाया गया तथा बाद में जमा और उधार दोनों पक्षों की कुछ दरों को छोड़कर उसे अविनियमित किया गया। बचत बैंकों के खातों को छोड़कर देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों की संरचना को 1 अक्तूबर 1995 के आरंभ से अधिक लचीला बना दिया गया (बॉक्स III.2)।सभी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों के निर्धारण, अवधिपूर्व आहरण सहित तथा जमाराशि के आकार से निरपेक्ष रहते हुए एक समान दर प्रस्तावित करने को समाप्त कर दिया गया। बैंकों को उनके बोर्ड के अनुमोदन की शर्त पर वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर जमा ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति दी गई। रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा की शर्त पर बैंकों को विभिन्न अनिवासी जमाराशि पर ब्याज दरों का निर्णय करने की स्वतंत्रता भी दी गई। बाह्य ऋण प्रवाह, विशेष रूप से अल्पावधि प्रवाह, के प्रबंधन के अंग के रूप में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित जमाराशियों तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) से प्राप्त रुपया जमाराशियों पर निर्धारित ब्याज दर की अधिकतम सीमा जारी रखी गई।

3.141 उधार ब्याज दरों को युक्तियुक्त बनाकर उसकी 6 श्रेणियों को कम करके 1992-93 में 4 श्रेणी तथा और कम करके 1993 में 3 श्रेणी कर दी गई। ब्याज दर संरचना को युक्तियुक्त बनाने की प्रक्रिया को 18 अक्तूबर 1994 से 2 लाख रुपए से अधिक ऋण सीमा के लिए न्यूनतम उधार दर (एमएलआर) को समाप्त किए जाने के साथ एक बड़ी गति मिली (बॉक्स III.2)। सिर्फ निर्यात, 2 लाख रुपए तक केअल्पावधि ऋण तथा विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना संबंधी उधार ब्याज दरों को विनियमित करना जारी रहा। बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों के लिए निधियों की लागत तथा लेनदेन लागत को हिसाब में लेते हुए अपने बोर्डों के अनुमोदन के साथ मूल उधार दर (पीएलआर) की घोषणा करें, जो सभी शाखाओं पर समान रूप से लागू हो। ब्याज दरों को एक उल्लेखनीय सीमा तक अविनियमित किया गया ताकि न सिर्फ मौद्रिक नीति की गतिविधि में मदद मिले अपितु ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि नियंत्रित ब्याज दर युग अक्षम और खर्चीला साबित हुआ तथा उससे जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रवाह आवश्यक रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ब्याज दरों को अविनियमित करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती गई कि बैंकों के पास ऐसे प्रोत्साहन न हों जिससे वे उच्चतर जोखिम उठाते हुए ऊंची ब्याज दरों पर उधार देने के लिए उत्साहित हों अर्थात प्रतिकूल चयन की समस्या न होने पाए। इस संबंध में प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का निर्धारण एक प्रमुख सुरक्षोपाय था जिसने बैंकों को इस बात के लिए विवश किया कि वे एक सीमा से अधिक जोखिम स्वीकार न करें।

3.142 ब्याज दरों के अविनियमन से यह अभिप्रेत था कि बैंक चलनिधि की समग्र स्थिति और अपनी जोखिम अवधारणाओं (उधार दरों के लिए) पर निर्भर रहते हुए जमाओं और उधार राशियों पर ब्याज दरें निर्धारित कर सकते थे। कुछ वर्षों में बैंकों ने अलग-अलग उधारकर्ताओं से ली जानेवाली ब्याज दर निर्धारित करने के लिए मानदंडों का एक सेट विकसित कर लिया। ब्याज दरों के अविनियमन ने विभिन्न प्रकार के नवोन्मेषों को जन्म दिया यथा अन्य बातों के साथ-साथ स्थिर, चल तथा आंशिक रूप से स्थिर और आंशिक रूप से चल ब्याज दरें।

3.143 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की उधार ब्याज दरें अक्तूबर 1991 में 20 प्रतिशत की ऊंचाई पर पहुंच गई थीं। तथापि बड़े पूंजी प्रवाहों के फलस्वरूप होनेवाली पर्याप्त चलनिधि के कारण अविनियमन के बाद ब्याज दरों में गिरावट की स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई दी। अक्तूबर 1997-98 तक, उधार ब्याज दरें गिरकर 14 प्रतिशत रह गईं। जमा ब्याज दरें भी 1991-92 के 13 प्रतिशत वार्षिक (3 साल से अधिक तथा 5 साल तक की परिपक्वता के लिए) से काफी गिरकर 11.5 - 12.0 प्रतिशत रह गईं (सारणी 3.35)।

3.144 सीआरआर/एसएलआर में कटौती के साथ एनपीए में कटौती तथा ब्याज दरों के अविनियमन का बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता पर उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वस्तुनिष्ठ विवेकपूर्ण मानदंड लागू किए जाने के साथ 14 बैंकों (सरकारी क्षेत्र के 12 बैंकों) ने मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के लिए निवल हानि सूचित की। 1996-97 में हानि उठाने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या कम होकर 8 (जिनमें से 3 सरकारी क्षेत्र के बैंक थे) रह गई। यद्यपि अगले साल में हानि उठानेवाले बैंकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई, हानि उठानेवाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या और गिरकर 2 रह गई। कुल मिलाकर 1994-95 तक बैंकिंग क्षेत्र में टर्नअराउंड आया क्योंकि 1994-95 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों के वित्तीय परिणामों में, 1993-94 की 4,349 करोड़ रुपए की निवल हानि के विपरीत, 1,116 करोड़ रुपए का निवल लाभ दिखाई दिया। राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-निष्पादन विशेष रूप से उल्लेखनीय था क्योंकि उन्होंने 1993-94 में हुई 4,705 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना

## बॉक्स III.2
## ब्याज दरों का अविनियमन

### क. जमा ब्याज दरें

| | |
|---|---|
| अक्तूबर 1989 | 46 दिन से 90 दिन तथा 90 दिन से एक साल नामक दो श्रेणियों का विलय कर अल्पावधि देशी जमाराशियों पर ब्याज दरों को युक्तियुक्त बनाया गया । 11 अक्तूबर 1989 से इन दोनों पर एक समान दर पर ब्याज देय बनाया गया। 16 अप्रैल 1990 से एनआरई जमाराशि दर में इसी तरह का सरलीकरण लाया गया। |
| अप्रैल 1992 | मौजूदा परिपक्वतावार अधिकतम सीमा संबंधी निर्धारणों को 46 दिन से अधिक की सभी जमाराशियों पर 13 प्रतिशत की एकल उच्चतम दर द्वारा प्रतिस्थापित कर जमा दरों पर अधिकतम सीमा को सरल बनाया गया। |
| अप्रैल 1993 | विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] योजना नामक एक नई योजना लागू की गई, जिसके तहत विनिमय जोखिम का वहन बैंकों द्वारा किया जाना था तथा ब्याज दरें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जानी थीं। विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता, एफसीएनआर (ए) नामक पिछली योजना को अगस्त 1994 तक समाप्त कर दिया गया। |
| अक्तूबर 1995 | बैंकों को लचीलापन प्रदान करने के लिए, दो साल से अधिक परिपक्वतावाली जमाराशियां अधिकतम सीमा के विनिर्देश से मुक्त हैं। |
| अप्रैल 1996 | दो साल से अधिक एनआरई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों को 4 अप्रैल 1996 से मुक्त कर दिया गया। |
| जुलाई 1996 | बैंकों को एक साल से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों के लिए ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई। निधियों के बेहतर अल्पावधि प्रबंधन के लिए, मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि 46 दिन से कम कर 30 दिन कर दी गई। 30 दिन से एक साल की परिपक्वता अवधि के लिए बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन ब्याज दरें निर्धारित कर सकते हैं। |
| अप्रैल 1997 | 30 दिन से एक साल तक की परिपक्वता वाली देशी मीयादी जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज दर को बैंक दर से संबद्ध किया गया। एक साल से अधिक एनआरई खातों के तहत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों को मुक्त कर दिया गया। |
| सितंबर 1997 | बैंकों को 6 माह और अधिक की एनआरई मीयादी जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए मुक्त कर दिया गया। |
| अक्तूबर 1997 | बचत जमाराशि तथा एफसीएनआर (बी) से इतर जमा दरों को पूर्णतः अविनियमित कर दिया गया। |
| अप्रैल 1998 | बैंकों को 15 लाख रुपए और अधिक की थोक जमाराशियों के लिए विभेदक ब्याज दर का प्रस्ताव करने तथा देशी मीयादी जमाराशियों और एनआरई जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर अपनी दांडिक ब्याज दर लगाने की आजादी दी गई। मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता की न्यूनतम अवधि 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई। |
| अप्रैल 2001 | 15 लाख रुपए और अधिक की थोक जमाराशियों के लिए 15 दिनों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि घटाकर 7 दिन कर दी गई। |
| जुलाई 2003 | एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा को लिबोर/स्वैप दरों से जोड़ दिया गया। |
| नवंबर 2004 | 15 दिनों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि सभी जमाराशियों के लिए घटाकर 7 दिन कर दी गई। |

### ख. उधार ब्याज दरें

| | |
|---|---|
| अक्तूबर 1988 | स्थिर दर संबंधी मौजूदा विनिर्देशों को न्यूनतम (फ्लोर) दरों में परिवर्तित कर बैंकों को दरें बढ़ाने का विकल्प दिया गया। |
| सितंबर 1990 | कृषि, लघु उद्योग, विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना और निर्यात ऋण जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सेक्टर-विशिष्ट और कार्यक्रम-विशिष्ट निर्धारणों को बंद कर दिया गया। |
| अप्रैल 1992 | एससीबी के अग्रिमों (डीआरआइ अग्रिमों तथा निर्यात ऋण को छोड़कर) की ब्याज दरों को, ऋण के आकार के अनुसार अग्रिमों के 6 स्लैब को घटाकर 4 स्लैब करके, युक्तियुक्त बनाया गया। |
| अप्रैल 1993 | उधार दरों को और युक्तियुक्त बनाया गया क्योंकि पहले दो स्लैबों का विलय कर स्लैबों की संख्या 4 श्रेणियों से घटाकर 3 श्रेणी की गई। |
| अक्तूबर 1994 | 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमा के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की उधार ब्याज दरों को 18 अक्तूबर 1994 से अविनियमित कर दिया गया। |
| अक्तूबर 1995 | बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि वे देशी तथा एनआरई जमाराशियों दोनों के लिए 2 लाख रुपए तथा अधिक की मीयादी जमाराशियों के प्रति दिए जानेवाले अग्रिमों पर ब्याज दर का निर्णय करें तथा अपनी ब्याज दरें निर्धारित करें। विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर ऋण की ब्याज दर संरचना (पीएससीएफसी) को युक्तियुक्त बनाया गया। |
| फरवरी 1997 | बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे ऋणों के ऋण तथा नकदी ऋण घटकों के लिए अलग पीएलआर तथा अलग स्प्रेड निर्धारित करें। |
| अप्रैल 1998 | बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे सावधि जमाराशियों के प्रति दिए गए ऋणों पर मूल उधार दर (पीएलआर) के समतुल्य अथवा उससे कम ब्याज दर लगाएं। |
| अप्रैल 1999 | बैंकों को अवधि संबद्ध पीएलआर परिचालित करने की स्वतंत्रता दी गई। |
| अप्रैल 2003 | बैंकों की उधार दरों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा ऋणों के मूल्य निर्धारण में शामिल जटिलता कम करने की दृष्टि से बेंचमार्क पीएलआर (बीपीएलआर) की योजना लागू की गई। अवधि संबद्ध पीएलआर की वर्तमान प्रणाली को बंद कर दिया गया । |

**सारणी 3.35: वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरों में घटबढ़**

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) | जमा दरें | | | उधार दरें |
|---|---|---|---|---|
| | 1 से 3 साल | 3 साल से अधिक और 5 साल तक | 5 साल से अधिक | न्यूनतम दर (सामान्य) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1990-91 | 9.00-10.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00* |
| 1991-92 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 19.00* |
| 1992-93 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 17.00* |
| 1993-94 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00* |
| 1994-95 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 15.00@ |
| 1995-96 | 12.00 | 13.00+ | 13.00+ | 16.50@ |
| 1996-97 | 11.00-12.00+ | 12.00-13.00+ | 12.50-13.00+ | 14.50-15.00@ |
| 1997-98 | 10.50-11.00+ | 11.50-12.00+ | 11.50-12.00+ | 14.00@ |

+ :मार्च के अंत में सरकारी क्षेत्र के 5 प्रमुख बैंकों की जमा दरें।
@:उधार ब्याज दरों को अक्तूबर 1994 से अविनियमित कर दिया गया। निर्दिष्ट दर सरकारी क्षेत्र के 5 प्रमुख बैंकों की मूल उधार दरों को संदर्भित करती है।
* :रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित मुख्य उधार दर।
**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इक्नॉमी, 2006-07।

में 1994-95 में 270 करोड़ रुपए का निवल लाभ कमाया। फलस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र (अनुसूचित वाणिज्य बैंकों) की लाभप्रदता, जो आस्तियों पर प्रतिलाभ द्वारा मापे जाने पर 1991-92 के 0.4 प्रतिशत से गिरकर 1992-93 में (-)1.1 प्रतिशत रह गई थी, बढ़कर 1997-98 तक 0.8 प्रतिशत हो गई (सारणी 3.36) (ब्यौरों के लिए अध्याय IX देखें)।

**सारणी 3.36: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता के संकेतक**

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) | लाभ कमानेवाले एससीबी की संख्या | हानि उठानेवाले एससीबी की संख्या | समग्र लाभ/हानि (-) (करोड़ रु.) | आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | एससीबी | पीएसबी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1992-93 | 59 (15) | 14 (12) | -4,150 | -1.08 | -0.99 |
| 1993-94 | 60 (15) | 14 (12) | -3,625 | -0.85 | -1.15 |
| 1994-95 | 73 (19) | 13 (8) | 2,154 | 0.41 | 0.25 |
| 1995-96 | 80 (19) | 14 (8) | 939 | 0.16 | -0.07 |
| 1996-97 | 92 (24) | 8 (3) | 4,504 | 0.67 | 0.57 |
| 1997-98 | 92 (25) | 11 (2) | 6,502 | 0.82 | 0.77 |

एससीबी - अनुसूचित वाणिज्य बैंक
पीएसबी - सरकारी क्षेत्र के बैंक
**टिप्पणी :** कोष्ठकों के आंकड़े सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या दर्शाते हैं।

3.145 यद्यपि मध्यावधि नीतिगत उद्देश्य सीआरआर को कम करके उस समय के 3 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर तक लाना था, तथापि मौजूद मौद्रिक स्थितियों को देखते हुए सीआरआर को सितंबर 2004 से 4.50 प्रतिशत से क्रमिक रूप से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह, नीतिगत उद्देश्य एसएलआर को 25 प्रतिशत से नीचे लाना था, जिसके लिए समर्थक कानूनी प्रावधान भी कर दिए गए हैं। तथापि, मौजूद मौद्रिक स्थितियों को देखते हुए एसएलआर को कम करना संभव नहीं हुआ है। मुद्रास्फीति तथा सख्त मौद्रिक नीति को देखते हुए ब्याज दरें भी बढ़ गई हैं। अतः बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी कारोबारी नीतियों की समीक्षा करें ताकि वे कारोबारी चक्र की वास्तविकता और प्रतिचक्रीय मौद्रिक नीतिगत प्रतिसादों की पहचान करते हुए दीर्घावधि अर्थक्षम वित्तपोषण को परिचालनों में लाभप्रदता के साथ संयुक्त करने की स्थिति में हों।

*प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाना*

3.146 कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र कम प्रतिस्पर्धी हो गया क्योंकि 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद निजी क्षेत्र में किसी नये बैंक की स्थापना की अनुमति नहीं दी गई। यद्यपि बड़ी संख्या में संस्थाएं मौजूद थीं, पर उन्हें नई संस्थाओं के प्रवेश का कोई खतरा नहीं था। नई संस्थाओं के प्रवेश का खतरा नहीं होने के कारण बैंकिंग क्षेत्र में अक्षमता आ गई। कुछ अन्य प्रतिबंधों यथा ब्याज दरों के विनियमन तथा कार्यशील पूंजीगत अपेक्षाओं के वित्तपोषण की प्रणाली का भी प्रतिस्पर्धी वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर शाखाएं खोलने या बंद करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण बैंक भी अपने परिचालनों में बंधे हुए थे। सुधार का एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश की अनुमति देकर अधिक दक्षता लाई जाए, विदेशी बैंकों की अधिक शाखाओं को लाइसेंस प्रदान करने को तथा नए विदेशी बैंकों के प्रवेश को उदार बनाया जाए और बैंकों को दिए जानेवाले परिचालनगत लचीलेपन में वृद्धि की जाए। इन्हें ध्यान में रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए कई उपाय शुरू किए गए।

3.147 पहला, रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की । जनवरी 1993 में निजी क्षेत्र के नए बैंकों के प्रवेश संबंधी मानदंडों की घोषणा की गई। दूसरा, देश में अविनियमन और बदले हुए बैंकिंग परिदृश्य के प्रति किए जा रहे उपायों के संदर्भ में मई 1992 में यह निर्णय लिया गया कि शाखाएं खोलने के मामले में बैंकों को और अधिक आजादी दी जाए । जहां बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं बंद नहीं कर सकते थे, वहीं ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उनके शाखा नेटवर्क को युक्तियुक्त बनाने में उन्हें समर्थ करने के लिए उन्हें इस

बात की अनुमति दी गई कि वे शाखा के उसी प्रखंड अथवा सेवा क्षेत्र के भीतर स्थित शाखाओं का स्थान बदलकर वर्तमान शाखा नेटवर्क को युक्तियुक्त बना सकते हैं, शहरी/महानगरीय/पत्तन शहर वाले केंद्रों में स्थित शाखाओं का स्थान उसी इलाक़े/नगरपालिका वार्ड के भीतर बदल सकते हैं, विशेषीकृत शाखाएं खोल सकते हैं, कारोबार अलग कर सकते हैं, नियंत्रित कार्यालय/प्रशासनिक इकाई स्थापित कर सकते हैं और विस्तार काउंटर खोल सकते हैं। दिसंबर 1994 में यह निर्णय लिया गया कि लाइसेंस प्राप्त शाखाओं और विस्तार काउंटरों में स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) लगाने के लिए बैंकों को रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तथापि बैंकों को इस प्रकार का एटीएम लगाने, यदि कोई हो, की सूचना रिज़र्व बैंक को देना अपेक्षित था। बैंकों को अन्य स्थानों पर भी एटीएम लगाने की आजादी दी गई तथा ऐसे मामलों में उन्हें ऑफ-साइट एटीएम परिचालित करने के पहले रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से एक लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। तीसरा, उरुग्वे दौर में नए बैंकों और मौजूदा बैंकों को एक साल में 12 लाइसेंस प्रदान करने की वचनबद्धता की गई थी। तथापि, भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं की अनुमति प्रदान करने में अधिक उदार नीति अपनायी। चौथा, नियंत्रित ब्याज दर संरचना के कारण बैंकों के बीच मूल्यसंबंधी प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश कम हो गई और संसाधनों के दक्ष आबंटन के लिए मिलनेवाले प्रोत्साहन सीमित हो गए, जिसका संकेत पहले किया जा चुका है। इस प्रकार पहले दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रतिस्पर्धा लाने की प्रक्रिया में ब्याज दरों का अविनियमन एक बड़ा तत्व था। पांचवां, उदारीकरण नीति के अनुरूप उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी के आकलन में बैंकों को पूर्ण परिचालनात्मक स्वतंत्रता की अनुमति देने का निर्णय लिया गया । तदनुसार, अप्रैल 1997 में अधिकतम अनुमत बैंक वित्त (एमपीबीएफ) संबंधी सभी अनुदेशों को वापस ले लिया गया। कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों का आकलन करने की पद्धति के बारे में निर्णय लेने की पूरी आजादी बैंकों को दी गई। कंपनियों को अपनी कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों के बारे में बैंकों को आश्वस्त करना था। कंपनियां एक बैंक से, संघीय व्यवस्था से अथवा सिंडीकेट मार्ग से वित्त जुटा सकती थीं। छठा, वाणिज्य बैंकों द्वारा परियोजना ऋण संबंधी सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया था। परंपरागत तौर पर, परियोजना वित्त मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के दायरे में आता था।

3.148 यद्यपि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां पैदा कर दी गई थीं, इस चरण के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के भीतर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं आ सकी। निजी क्षेत्र के नए बैंकों के प्रवेश को उदार बनाने के बाद, 1998 तक निजी क्षेत्र में 10 नए बैंकों की स्थापना की गई। इसके अलावा, 22 विदेशी बैंकों की भी स्थापना की गई। विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या मार्च 1993 के अंत में 140 थी जो बढ़कर मार्च 1998 के अंत में 186 हो गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों में निजी क्षेत्र के नए बैंकों का हिस्सा मार्च 1998 के अंत तक बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया। मार्च 1998 के अंत में विदेशी बैंकों का हिस्सा 8.2 प्रतिशत था, जो मार्च 1993 के अंत जैसा ही था। प्रतिस्पर्धा पर असर नहीं के बराबर बना रहना विलय की सीमित संख्या (चार) से भी स्पष्ट था। सामान्यतः प्रतिस्पर्धा तेज होने तक विलय और अधिग्रहण संबंधी कार्यकलाप अनिवार्य रूप से बढ़ जाते हैं (ब्यौरों के लिए अध्याय VIII देखें)। बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) में भी पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की कमी दिखाई दी, जो इस चरण के दौरान 1992-93 के 2.51 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में 2.95 प्रतिशत हो गया (ब्यौरों के लिए अध्याय IX देखें)। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ कि इस चरण के दौरान बैंक अलाभप्रद स्थिति में थे क्योंकि पहले दिए गए ब्यौरों के अनुसार इस चरण के दौरान ब्याज दरों में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। यह नोट किया जाए कि उधार पर ब्याज दरों में कटौती का प्रभाव अधिकांशतः तात्कालिक होता है, जबकि जमा दरें मौजूदा जमाराशियां परिपक्व होने के बाद परिचालन में आती हैं।

*संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना*

3.149 सुधार के चरण के आरंभ में पर्यवेक्षण की सुदृढ़ प्रणाली की जरूरत कई कारणों से महसूस की गई यथा (i) विवेकपूर्ण विनियमन का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; (ii) वित्तीय मध्यस्थों के बीच परंपरागत अंतर को दूर करना; तथा (iii) उदारीकृत वातावरण में बैंकों के सामने जोखिमों में वृद्धि। इन्हें ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक के भीतर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) की स्थापना की गई ताकि वह पर्यवेक्षणात्मक कार्यों की ओर अनन्य रूप से ध्यान दे सके और बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समन्वित रूप में कारगर पर्यवेक्षण कर सके। बीएफएस द्वारा पर्यवेक्षणात्मक निगरानी को आरंभ में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तक सीमित रखा गया। बाद में, इसकी व्याप्ति को बढ़ाकर उसमें यूसीबी, आरआरबी और प्राथमिक व्यापारियों को भी शामिल कर लिया गया। बीएफएस ने पर्यवेक्षणात्मक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय शुरू किए। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'आरंभिक चेतावनी प्रणाली' हेतु, नवंबर 1995 में बैंकों के लिए कंप्यूटरीकृत अप्रत्यक्ष निगरानी और चौकशी (ऑसमॉस) प्रणाली शुरू की गई।

3.150 बैंक की निरीक्षण प्रणाली की नए सिरे से समीक्षा की गई और जुलाई 1997 से आरंभ होनेवाले निरीक्षण चक्र से बैंकों के प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया। देशी वाणिज्यिक बैंकों के लिए कैमेल्स प्रणाली (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता,प्रबंधन, आय, चलनिधि प्रणाली और नियंत्रण) तथा विदेशी बैंकों के लिए सीएएलसीएस (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि अनुपालन और प्रणाली) के तहत

बैंकों के पूर्ण परिचालन और कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षा की भूमिका भी सुदृढ़ की गई। वार्षिक लेखों के लेखा-परीक्षण के अलावा, बाह्य लेखा-परीक्षकों से यह अपेक्षा भी की गई कि वे कुछ अन्य पहलुओं को सत्यापित और प्रमाणित करें यथा सांविधिक चलनिधि संबंधी अपेक्षाओं, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन तथा बैंकों के तुलनपत्रों में प्रकट किए जानेवाले वित्तीय अनुपात। इस प्रकार पर्यवेक्षण में रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षणात्मक प्रक्रिया को शामिल करने के अलावा अब बाह्य लेखा-परीक्षा तथा आंतरिक लेखा-परीक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

3.151 अन्य उल्लेखनीय संस्थागत गतिविधि ग्राहक सेवा के क्षेत्र से संबंधित थी। बैंकिंग क्षेत्र के विनियामक के रूप में रिज़र्व बैंक आरंभ से ही बैंकों में ग्राहक सेवा की समीक्षा, परख और मूल्यांकन में सक्रिय रूप से संलग्न था। बैंकों के ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता के लिए रिज़र्व बैंक की स्थायी बनी हुई चिंता समय-समय पर इसके विनियामक पहलों में परिलक्षित हुई। ऐसी आशा थी कि अविनियमन तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों के प्रवेश के जरिए बैंकिंग क्षेत्र में होनेवाली प्रतिस्पर्धा से ग्राहक सेवा की गुणवत्ता ऊंची होगी जिससे बैंकों के ग्राहकों चिरकालिक आशाएं पूरी होंगी। तथापि, भारत और कई अन्य देशों में यह अधिकाधिक रूप में महसूस किया जाना लगा कि सिर्फ प्रतिस्पर्धा की ताकतें यह सुनिश्चित नहीं करती हैं कि पारदर्शी रूप में उचित मूल्य पर पर्याप्त गुणवत्तावाली ग्राहक सेवा उपलब्ध हो अथवा ग्राहक के साथ उचित व्यवहार हो। अतः आम जनता के लिए बेहतर ग्राहक सेवा प्राप्त करने हेतु एक प्रक्रिया तैयार करने के लिए विनियामकों से हस्तक्षेप की जरूरत महसूस हुई (लीलाधर,2007)। तदनुसार, बैंकिंग सेवाओं में कमी के लिए ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित और कम खर्चीले समाधान हेतु रिज़र्व बैंक ने जून 1995 में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 की घोषणा की। इस योजना में आरआरबी तथा अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को छोड़कर भारत में कारोबार करनेवाले सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को शामिल किया गया। यदि किसी व्यक्ति की योजना में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित किसी शिकायत का उसके संतोषपर्यंत समाधान दो महीनों की अवधि के भीतर नहीं हुआ तो वह एक साल की अवधि के भीतर बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

3.152 वर्ष 2002 और 2006 के दौरान बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित किया गया। बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) 2006 में सभी वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। बैंकिंग लोकपाल को बैंकिंग सेवा में कमी तथा ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी, जहां तक वे ब्याज दर आदि के बारे में रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुपालन न किए जाने से संबंधित हैं, संबंधी शिकायतें निपटाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। बीओएस 2006 में क्रेडिट कार्ड जारी करने, वायदा की गई सुविधा प्रदान करने में चूक, उचित प्रथा कोड का अनुपालन न करने और पूर्व सूचना के बिना अत्यधिक प्रभार लगाने आदि जैसे नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आसानी से शिकायत प्रस्तुत करना सुकर बनाने के लिए, आवेदन का फार्मेट निर्धारित किया गया है परंतु शिकायत भरने के लिए उसका प्रयोग अधिदेशात्मक नहीं है तथा शिकायतें ऑनलाइन और ई-मेल या हार्डकॉपी के जरिए भी की जा सकती हैं। बीओएस 2006 के अनुसार, योजना की कार्यप्रणाली पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए, योजना चलाने में शामिल पूरा खर्च अब रिज़र्व बैंक द्वारा वहन किया जाता है तथा अब तक प्रचलित प्रथा के अनुसार सहभागी बैंकों द्वारा उसका भार वहन नहीं किया जाता है।बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में अब पूरी तरह से रिज़र्व बैंक का स्टाफ रखा जाता है जबकि पहले एसएलबीसी के संयोजक बैंकों से स्टाफ रखा जाता था। जिस बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया हो, वह अपने मुख्य कार्यपालक के अनुमोदन से अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। बैंकिंग लोकपाल योजना के प्रभारी भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर अपीलीय प्राधिकारी होते हैं। मई 2007 में किए गए संशोधन के अनुसार शिकायतकर्ता योजना के तहत विनिर्दिष्ट शिकायत के आधार के भीतर आनेवाले मामलों के संबंध में बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध भी अपील कर सकते हैं।

*ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना*

3.153 प्रभावी भौगोलिक विस्तार, कार्यपरक पहुंच, कृषि को ऋण प्रवाह में सुधार तथा ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के प्रभाव में परिणामी कमी के बावजूद ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं में अनेक खामियां पाई गई हैं अर्थात, उत्पादकता और दक्षता में सुधार, चुकौती की नैतिकता और लाभप्रदता में क्षय । 1991 के सुधारों की पूर्वसंध्या पर ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को पुनः खराब स्थिति में पाया गया।[33] जहां कुल ऋण संरचना में अर्थक्षमता लाने के प्रश्न की ओर प्राधिकारियों/समितियों का ध्यान गया, एक अर्थक्षम संरचना का विकास नहीं हुआ। अतः एक ऐसी ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी प्रणाली विकसित करना जरूरी था जिसमें बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता शामिल न हो।इस संदर्भ में यह महसूस किया गया कि ब्याज दरों के बेहतर संरेखण और लक्ष्य एवं गैर लक्ष्य उधार का मिश्रण जरूरी था। कई ऐसे क्षेत्र भी थे जहां ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी प्रणाली स्पष्टतः असंतोषजनक थी तथा इस बात की जरूरत महसूस की गई कि ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में स्थायी सुधार लाने के लिए शीघ्र उपाय किए जाने की जरूरत है।

[33] आर.वी.गुप्ता समिति (1998)

3.154 वित्तीय प्रणाली समिति, 1991 ने इस बात की सिफारिश की कि निदेशित ऋण कार्यक्रम की सुसंगतता बने रहने की दुबारा जांच की जाए और इसे चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए। इसने यह भी संस्तुति की कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को पुनःपरिभाषित कर उसमें छोटे और सीमान्त किसानों, अतिलघु उद्योग क्षेत्र, छोटे व्यवसाय और परिवहन परिचालकों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों, ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्गों को शामिल किया जाए और इस पुनःपरिभाषित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए कुल ऋण के 10 प्रतिशत पर ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। पुनःपरिभाषित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से बाहर छूट गए क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति ने रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त सुविधा लागू किए जाने की सिफारिश की।

3.155 रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए ब्यौरेवार आकलन से यह सूचित हुआ कि पुनःपरिभाषित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए कुल ऋण के 10 प्रतिशत से काफी अधिक मात्रा अपेक्षित होगी तथा इस प्रकार समिति की सिफारिश स्वीकार किए जाने पर पुनःपरिभाषित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों को अत्यंत तंगी का सामना करना होगा। यह भी महसूस किया गया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य में भारी कटौती करने का तथा इन क्षेत्रों की जरूरतें रिज़र्व बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त के जरिए पूरी करने का जरा भी औचित्य नहीं है क्योंकि इससे सर्जित मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी और इस प्रकार मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ेगा। प्रगतिशील दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण संबंधी नीति में किए जानेवाले इसी प्रकार के परिवर्तन से उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण के प्रवाह में कोई विघटन उत्पन्न न होने पाए। यह महसूस किया गया कि जहां प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लिए निर्धारित व्याप्ति और लक्ष्य की पुनरीक्षा जरूरी है, कई देशों के अनुभव यह बताते हैं कि ऋण का कुछ निदेशन जरूरी है (आरबीआइ, 1992)। तथापि, ऋण सुपुर्दगी का व्यष्टि विनियमन छोड़ दिए जाने तथा ऋण संबंधी मामलों में बैंकों को स्वतंत्रता दिए जाने के बाद दो कारणों से आशंकाएं पैदा हुईं अर्थात प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार में अनुशासन और समयबद्ध आधार पर जरूरतमंद और योग्य लोगों को ऋण का प्रवाह। अतः प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लिए पात्र कार्यकलापों को बढ़ा दिया गया, ब्याज दरों को अविनियमित किया गया तथा निवेश के वैकल्पिक स्रोतों की अनुमति दी गई, इस प्रकार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार को पहले से अधिक लचीला बना दिया गया।

3.156 सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में कई बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। अतः, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जिन बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र या कृषि को लक्ष्य के अनुसार पूरा उधार नहीं दिया उनसे अपेक्षा की गई कि वे ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि (आरआइडीएफ) में विनिर्दिष्ट राशि आबंटित करें। पहला आरआइडीएफ 1995-96 में ग्रामीण मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने हेतु नाबार्ड में स्थापित किया गया। आरआइडीएफ ग्रामीण मूलभूत सरंचना संबंधी वित्तपोषण के लिए बैंक निधियां जुटाने का प्रमुख साधन बन गया।1998 तक 10,000 करोड़ रुपए की कुल राशि सहित आरआइडीएफ की चार शृंखलाएं बनायी गयीं। उक्त चार आरआइडीएफ से कुल मिलाकर 9,095 करोड़ रुपए की संयुक्त राशि का संवितरण किया गया।

3.157 1991-92 में वित्तीय क्षेत्र सुधार लागू होने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, जो ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण तत्व हैं, वाणिज्यिक अर्थक्षमता उभरते आर्थिक परिदृश्य में उनकी वांछित भूमिका के बारे में निर्णय लेने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति उनके सीमित कारोबारी अवसरों, विस्तार/विशाखीकरण की कम गुंजाइश, जोखिमवाले अग्रिमों में अधिक एक्सपोजर सहित ऋण के छोटे आकार तथा वित्तीय नियोजन में व्यावसायिक अक्षमता के कारण कमजोर हो गई। आरआरबी की गैर अर्थक्षमता चिंता का विषय थी अतः उनकी अर्थक्षमता को सुधारने के लिए कई नीतिगत पहलें की गईं। यह देखते हुए कि अधिकांश आरआरबी कमजोर थे तथा हानि उठा रहे थें और ऋण संबंधी उनके लक्ष्य समूह में कमजोर वर्ग शामिल थे, रिज़र्व बैंक ने सभी आरआरबी को 2 साल की अवधि के लिए 31 दिसंबर 1994 तक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा 1 और 1(क) के परंतुक से मुक्त करते हुए उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत पर नकदी आरक्षित अनुपात बनाए रखने की अनुमति उन्हें दे दी। बाद में 22 दिसंबर 1993 को सरकार और नाबार्ड के परामर्श से रिज़र्व बैंक ने आरआरबी के लिए उपायों के एक पैकेज की घोषणा की ताकि उन्हें अपने मौजूदा शाखा नेटवर्क को युक्तियुक्त बनाने में अधिक स्वतंत्रता मिले और परिचालनात्मक दक्षता आ जाए। इन उपायों में उन आरआरबी को, जिनकी संवितरित राशि 1992-93 के दौरान 2 करोड़ रुपए से कम थी, सेवा क्षेत्र संबंधी दायित्वों से मुक्त करना तथा परिचालन क्षेत्र के भीतर सहकारी संस्थाओं की तरह कार्य करने की अनुमति देना शामिल हैं। उनके अग्रिमों को क्रास सब्सिडाइज करने के लिए, आरआरबी को इस बात की अनुमति दे दी गई कि वे लक्षेतर समूह को वित्तपोषण की सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर नए ऋणों का 60 प्रतिशत कर सकते हैं।

3.158 आरआरबी के प्रबंधनात्मक, परिचालनात्मक और संगठनात्मक पुनर्विन्यास के लिए तथा उनके तुलनपत्रों को स्वच्छ करने के लिए भी कार्रवाई की गई। उनचास आरआरबी की पहचान व्यापक पुनर्विन्यास के लिए की गई। 1994-95 में भारत सरकार ने पहचान किए गए 49 आरआरबी के व्यापक पुनर्विन्यास के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। जून 1995 में आरआरबी की शाखा लाइसेंसीकरण नीति को युक्तियुक्त बनाया गया। 70 आरआरबी, जिन्हें सेवा क्षेत्र संबंधी दायित्वों से मुक्त किया गया था, को इस बात की अनुमति दी गई कि वे अधिमानतः उसी प्रखंड के भीतर तालुका/प्रखंड मुख्यालयों, ग्राम बाजारों, मंडियों तथा कृषि उपज केंद्रों में अपनी हानि उठानेवाली शाखाओं को रि-लोकेट

कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, वे अपनी हानि उठानेवाली शाखाओं को सेटेलाइट/चल कार्यालयों में रूपांतरित कर सकते थे। 1995-96 के केंद्रीय बजट में 1995-96 के दौरान दूसरे चरण में पुनर्विन्यास के लिए कुछ और आरआरबी के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अभिज्ञात 2 आरआरबी के अलावा नाबार्ड द्वारा चरण II में पुनर्विन्यास के लिए 68 और आरआरबी की पहचान की गईं। केंद्र सरकार ने चरण II पुनर्विन्यास में आरआरबी के पुनर्विन्यास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया (1995-96 के बजट में 300 करोड़ रुपए तथा 1996-97 के बजट में 200 करोड़ रुपए)। आरआरबी पर 1995-96 से आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंड तथा 1996-97 से प्रावधानीकरण मानदंड लागू करके पुनर्विन्यास की प्रक्रिया को अधिक टिकाऊ बनाया गया।

3.159 आरआरबी के वित्तीय कार्य निष्पादन पर इन उपायों का वांछित असर पड़ा। लाभ कमानेवाले आरआरबी की संख्या पिछले साल के 34 से तेजी बढ़कर 1997-98 में 109 हो गई। एक समूह के रूप में आरआरबी ने भी 1997-98 में 43 करोड़ रुपए का निवल लाभ कमाया, जबकि पिछले साल 589 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई थी।

3.160 वाणिज्यिक बैंकों और आरआरबी को सुदृढ़ करने के अलावा, कृषि ऋण के प्रवाह की समस्या दूर करने के लिए कई उपाय किए गए। पहला, ग्रामीण ऋण का दायरा बढ़ाकर उसमें भंडारण और एनबीएफसी के माध्यम से ऋण की सुविधाओं को शामिल किया गया। दूसरा, मार्जिन कम करके, फसलचक्र के साथ अतिदेय राशियों को पुनः परिभाषित कर, नई ऋण पुनर्विन्यास नीतियों, एकबारगी निपटान तथा गैर संस्थागत ऋणदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त किसानों के लिए राहत उपायों के जरिए प्रक्रियागत और लेनदेनगत अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया गया। तीसरा, किसान कार्ड योजना को सुधारकर उसका दायरा बढ़ाया गया, जबकि कुछ बैंकों ने सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) को लोकप्रिय बनाया, जो उपभोगसहित बहु-उद्देश्यों के लिए बेजमानती ओवरड्राफ्ट के स्वरूप का था। चौथा, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों को ऋण सुपुर्दगी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया जबकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण में कमी के लिए निरुत्साहक उपायों को सुदृढ़ किया गया। पांचवां, बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे फ्लैट दर के बजाए अलग-अलग व्यक्तियों की जोखिम के वास्तविक आकलन के आधार पर किसानों को दिए जानेवाले ऋण का मूल्यनिर्धारण करें जो उधारकर्ता की श्रेणी या अंतिम उपयोग पर निर्भर हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि लगाई जानेवाली ब्याज दरें न्यायपूर्ण और उचित हों। कुछ और उपाय भी शुरू किए गए जिनमें शाखा प्रबंधकों को अधिक अधिकार देना, आवेदनों का सरलीकरण, अधिक संख्या में लघु उद्योग हेतु विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं खोलना, संमिश्र ऋणों के लिए सीमा बढ़ाना तथा वसूली की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना शामिल हैं। संक्षेप में, उचित मूल्य के युग में मौजूदा कानूनी और संस्थागत सीमाओं के भीतर ऋण सुपुर्दगी में सुधार लाने पर जोर दिया गया।

3.161 विभिन्न उपायों के बावजूद, कृषि को ऋण प्रवाह 1980 के दशक के 18.1 प्रतिशत की तुलना में 1992-93 से 1997-98 तक की छह वर्ष की अवधि में कम होकर 17.3 प्रतिशत रह गया। मार्च 1993 के अंत और मार्च 1998 के अंत के बीच कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में कृषि के लिए ऋण, ऋण की तीव्रता तथा कुल खाद्येतर बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में कृषि को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में भी गिरावट आई (सारणी 3.37) (ब्यौरों के लिए अध्याय VI देखें)।

3.162 सारांश में इस उप-चरण (1991-92 से 1997-98) के आरंभ में मुख्य मुद्दे थे - खराब वित्तीय कार्यनिष्पादन, खराब आस्ति गुणवत्ता, बैंकों की खराब पूंजी स्थिति तथा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा का अभाव। अतः लाभप्रदता, वित्तीय स्थिति और पूंजी की सुधार लाने के लिए सरकार, रिज़र्व बैंक तथा बैंकों ने स्वयं कई उपाय शुरू किए। शुरू किए गए प्रमुख उपायों में वस्तुनिष्ठ विवेकपूर्ण मानदंड शुरू करना, सांविधिक पूर्वक्रयों में कटौती तथा परिचालनात्मक लचीलापन और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यात्मक स्वायत्तता शामिल हैं। उदारीकृत माहौल में बैंकिंग क्षेत्र के सामने मौजूद विभिन्न जोखिमों को देखते हुए, पर्यवेक्षणात्मक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए भी विशेष बल दिया गया। शुरू किए गए विभिन्न उपायों का अच्छा असर पड़ा। इस उप-चरण के अंत तक वित्तीय कार्यनिष्पादन, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया। वस्तुतः वित्तीय कार्यनिष्पादन में हुआ सुधार उल्लेखनीय था क्योंकि बैंकों पर वस्तुनिष्ठ लेखांकन मानदंड लागू किए गए। अन्य बातों के साथ-साथ इसका कारण था आस्ति गुणवत्ता में सुधार और निवल ब्याज मार्जिन में वृद्धि। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पैदा करना सुधार का एक उद्देश्य था। यद्यपि प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने के लिए कई उपाय शुरू किए गए, प्रतिस्पर्धा नहीं के बराबर बनी रही। इस चरण में सुधार संबंधी विभिन्न उपायों का प्रमुख अंशदान यह था कि इसकी वजह से बैंकों के

**सारणी 3.37: कृषि के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंक ऋण**

(मार्च के अंत में)

| मद | 1993 | 1998 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में कृषि को ऋण | 13.6 | 10.7 |
| 2. कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण | 3.2 | 2.5 |
| 3. कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण | 11.2 | 9.6 |
| 4. सकल खाद्येतर बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम | 35.5 | 34.6 |
| 5. सकल खाद्येतर बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में कृषि को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम | 14.2 | 12.1 |

**स्रोत :** 1. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, मार्च 1993 तथा मार्च 1998।
2. हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07।

व्यवहार में परिवर्तन आया तथा उन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति और लाभप्रदता को सुधारने पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित किया। तथापि उल्लेखनीय सुधार के बावजूद इस उप-चरण के अंत में भी कुछ चिंताजनक स्थितियां मौजूद थीं। पहला, अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों का स्तर अभी भी बहुत ऊंचा था। दूसरा, कुछ बैंक दो साल की विनिर्दिष्ट समयावधि के बाद भी विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अनुपात का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। तीसरा, यद्यपि बैंकिंग क्षेत्र में कुल मिलाकर 1994-95 में टर्नअराउंड आया और उन्होंने लाभ कमाया, कुछ बैंक (सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों सहित) इस चरण के अंत में भी हानि उठाते रहे। चौथा, प्रतिस्पर्धा में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई तथा बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन ऊंचा बना रहा। सुधार शुरू होने के पहले कृषि को ऋण प्रवाह में हुए सुधार के बावजूद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसी ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को गंभीर कमजोरियों का सामना करना पड़ा। अतः उनका पुनर्विन्यास करने के प्रयास किए गए, जिनका उनकी वित्तीय स्थिति पर वांछित असर पड़ा। तथापि, इस चरण में कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण में कमी आई।

## सुधार का दूसरा चरण :1998-99 तथा आगे

*विवेकपूर्ण मानदंडों और एनपीए प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना*

3.163 यद्यपि सुधार के चरण के आरंभ में शुरू किया गया आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता और उनकी वित्तीय स्थिति के वस्तुनिष्ठ आकलन के प्रति एक प्रमुख कदम था, कई मामलों में ये मानदंड अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से निम्न कोटि के थे। अतः इस बात की जरूरत महसूस की गई कि उन्हें और सुदृढ़ बनाया जाए और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समतुल्य लाया जाए। जून 1997 के पूर्वी एशियाई संकट ने भी यह सुझाया कि बैंकिंग प्रणाली कमजोर होने का वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए क्या जोखिम हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए रूपरेखा बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति (अध्यक्षः श्री एम.नरसिंहम) द्वारा प्रदान की गई, जिसने अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।तथापि, विवेकपूर्ण मानदंड सुदृढ़ करते समय, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी था कि बैंकों द्वारा जोखिम से बचने की प्रवृत्ति, जो विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के बाद देखी गई, बहुत बढ़ने न पाए।

3.164 अक्तूबर 1998 में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि कर उसे 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से 9 प्रतिशत कर दिया गया। सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, एसएलआर से बाहर की प्रतिभूतियों में निवेश तथा चूककर्ता संस्थाओं द्वारा जारी राज्य सरकार द्वारा गारंटीप्राप्त प्रतिभूतियों के लिए भी जोखिम-भार निर्धारित किए गए। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में आस्ति देयता संबंधी बेमेल का सामना करनेवाले बैंकों के अनुभव ने आवश्यक आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) संबंधी प्रथाएं लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। अतः बैंकों पर आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी रूपरेखा लागू की गई। बैंकिंग परिचालनों में बढ़ी हुई जटिलता तथा पूर्वी एशिया में देखे गए वित्तीय संकट जैसे संकट को रोकने की आवश्यकता ने भी इस बात को जरूरी बना दिया कि वित्तीय संस्थाओं की सुदृढ़ता को मजबूत करने, और विशेष रूप से , जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपग्रेड करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। अतः एएलएम की रूपरेखा की अनुपूर्ति जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों से की गई।

3.165 आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों को भी सख्त बनाया गया। बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए मानक आस्तियों पर न्यूनतम 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करें, जिसे बाद में निरंतर बढ़ाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया। इस उपाय से बैंकों के प्रचक्रीय व्यवहार को शांत करने की परिकल्पना की गई। मार्च 2001 से अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पहचान करने के लिए 'गत देय' की संकल्पना समाप्त कर दी गई। संशोधित मानदंडों के अनुसार, आस्ति को संदिग्ध माना गया, यदि वह 31 मार्च 2001 तक 24 महीनों के बजाय 18 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही हो। मई 2002 में आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंडों को और सख्त बनाया गया, जब बैंकों को यह सूचित किया गया कि मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से आस्ति को उस समय संदिग्ध माना जाएगा जब वह पहले के 18 महीनों के बजाय 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में बनी रही हो।

3.166 मार्च 2004 से आय निर्धारण संबंधी मानदंडों को और सख्त बनाकर आस्ति को अनर्जक आस्ति के रूप में उस स्थिति में वर्गीकृत किया जाने लगा जब वह पहले के छह महीनों के बजाय 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रही हो। जून 2004 में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया कि वे (क) 3 वर्ष से अधिक श्रेणी के लिए 'संदिग्ध' के तहत शामिल की गई अनर्जक आस्तियों के जमानती अंश के बारे में ; तथा (ख) 31 मार्च 2004 को 3 वर्ष से अधिक समय के लिए 'संदिग्ध' श्रेणी में बनी रही अनर्जक आस्तियों के बारे में श्रेणीबद्ध उच्चतर प्रावधानीकरण अपनाएं। 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से चरणबद्ध रूप में 3 वर्ष की अवधि के दौरान प्रावधानीकरण को बढ़ाकर 60 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के दायरे में कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के मामलों में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को राज्य सरकार की गारंटी लागू किए जाने से असंबद्ध कर दिया गया।

3.167 बीआइएस की बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस) ने 'अंतर-कंपनी बाजार जोखिमों संबंधी पूंजी समझौते में संशोधन' जारी किया, जिसमें बाजार जोखिमों के लिए व्यक्त पूंजी प्रभार प्रदान करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश शामिल किए गए। बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार संबंधी बीसीबीएस के मानदंडों का कार्यान्वयन निलंबित

रहने तक, बैंकों को जनवरी 2002 में सूचित किया गया कि वे निवेश घटबढ़ रिज़र्व (आइएफआर) बनाएं जो 5 वर्षों के भीतर 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफटी) तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) श्रेणियों में किए गए उनके निवेशों का कम से कम 5 प्रतिशत होना चाहिए ताकि वे बाजार जोखिम पूरी करने के लिए बेहतर स्थिति में हों। बाद में जून 2004 में बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे 2 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप में बासेल मानदंड के अनुरूप बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार बनाए रखें।

3.168 विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने तथा ऋण वसूली प्रणाली को मजबूत बनाए बिना अनर्जक आस्तियों को कम करने का गंभीर परिणाम यह हुआ कि बैंक जोखिम से बचने लगे, जैसाकि पहले ब्यौरेवार बताया जा चुका है। जहां बड़ी कंपनियां डिबेंचर अथवा वाणिज्यिक पत्र जैसे अन्य वैकल्पिक स्रोतों का आश्रय ले सकती थीं, अन्य उधारकर्ताओं, विशेषकर मझौली और छोटी कंपनियों, के सामने ऋण की कमी का संकट आ गया, अतः उपाय शुरू करने की गति को सतर्कतापूर्वक कम करने की जरूरत महसूस की गई। साथ ही, मानदंडों को और कारगर बनाने के लिए तथा वांछित परिणाम तुरंत प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की जरूरत महसूस की गई। यद्यपि बैंकों की विगत देय राशियों की वसूली के लिए कुछ उपाय किए गए, परंतु उनका वांछित परिणाम सामने नहीं आया। जिस गति से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) ने कार्य किया, वह कानूनी और अन्य संरचनागत कारकों के कारण अत्यधिक मंद थी। विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना की जाए। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि एक केंद्रीकृत एआरसी के बजाय कई एआरसी बनाये जाएं। एआरसी के लिए आवश्यक विधिक समर्थन प्रदान करने हेतु, भारत सरकार ने वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 बनाया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का प्रावधान किया कि न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना देय राशियों की वसूली के लिए प्रतिभूति हित लागू किया जाए। उक्त अधिनियम में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को करने का भी प्रावधान किया गया। रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि सिविल न्यायालयों द्वारा संगठित लोक अदालतों को भेजे जानेवाले मामलों की मौद्रिक सीमा पहले के 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी जाए। पहले 2001 में कंपनी ऋण पुनर्विन्यास (सीडीआर) की एक योजना भी लागू की गई थी ताकि बीआइएफआर, डीआरटी और अन्य विधिक कार्यवाहियों की परिधि के बाहर समस्याओं का सामना कर रही अर्थक्षम संस्थाओं के कंपनी ऋणों के समय पर तथा पारदर्शी पुनर्विन्यास के लिए एक प्रक्रिया शुरू की जा सके।

3.169 संचित एनपीए की समस्या का समाधान करने के अलावा इस बात की भी जरूरत महसूस की गई कि नए एनपीए को रोका जाए, जो कई मामलों में प्रतिकूल चयन के कारण उत्पन्न होता है। इसके लिए ऋण संबंधी स्वस्थ निर्णयों के लिए व्यवस्थित रूप में उधारकर्ताओं के बारे में आंकड़े प्राप्त करने और उसकी साझेदारी हेतु ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की जरूरत महसूस की गई। तदनुसार, केंद्रीय बजट 2000-01 में ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (सिबिल) की स्थापना की घोषणा की गई। विधिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और बैंक/वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं के बारे में ऋण संबंधी जानकारी एकत्र, प्रोसेस करने और उसमें साझेदारी के लिए ऋण सूचना ब्यूरो को सुकर बनाने की दृष्टि से, मई 2005 में ऋण सूचना अधिनियम बनाया गया तथा उसके तहत नियमों और विनियमों को भी अधिसूचित किया गया। उक्त अधिनियम में ऋण सूचना कंपनियों को इस बात का अधिकार प्रदान किया कि वे सभी उधारकर्ताओं से संबंधित जानकारी एकत्र कर सकें तथा रिज़र्व बैंक को इस बात का अधिकार प्रदान किया कि वह ऋण सूचना कंपनियों की कार्यप्रणाली के संबंध में नीति निर्धारित कर सके और ऐसी कंपनियों को निदेश भी दे सके।

3.170 बैंकों की विगत देयताओं की वसूली के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों का अनुकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि बैंकों ने विभिन्न साधनों का उपयोग कर एनपीए में अवरुद्ध 25,520 करोड़ रुपए की वसूली 2003-04 तथा 2006-07 के बीच की (सारणी 3.38)। यद्यपि विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के बाद आस्ति संबंधी गुणवत्ता में सुधार आ रहा था, इसने इस चरण में स्पष्ट सुधार दर्शाया क्योंकि सकल और निवल दोनों तरह का एनपीएल तेजी से गिरकर वैश्विक स्तरों के आसपास आ गया (सारणी 3.39)।

3.171 जब आस्ति की गुणवत्ता में सुधार शुरू हुआ, ऋण की वृद्धि, जिसमें अंशतः जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के कारण 1996-97 तथा 2003-04 के बीच उल्लेखनीय गिरावट आई थी, 2004-05 से तेज होने लगी। ऋण वृद्धि, जो आरंभ में खुदरा खंड तक संकेंद्रित थी, शीघ्र ही व्यापक हो गई और वह कृषि, उद्योग और लघु क्षेत्र तक फैल गई। ऋण वृद्धि तेज होकर 2004-05 में 30 प्रतिशत से अधिक हो गई तथा अगले दो वर्षों तक कमोबेश उसी स्तर पर बनी रही। तथापि, बैंक जमा वृद्धि दर तीव्र ऋण वृद्धि के अनुरूप नहीं चल सकी। बैंकों ने, जिन्होंने जोखिम से बचने के लिए एसएलआर अपेक्षाओं से अधिक मात्रा में एसएलआर प्रतिभूतियों में बड़े निवेश किए थे, पहले सरकारी प्रतिभूतियों में वृद्धिशील निवेश को प्रतिबंधित किया (2004-05) तथा उसके बाद उन्होंने एसएलआर प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों का नकदीकरण भी किया (2005-06)। 2006-07 में, यद्यपि बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में वृद्धिशील निवेश किया, तथापि एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में एसएलआर संविभाग में गिरावट जारी रही। फलस्वरूप, एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश, जो मार्च 2003 के अंत में 41.5 प्रतिशत के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, क्रमिक रूप से गिरकर मार्च 2007 के अंत तक 28.0 प्रतिशत रह गया।

3.172 तीव्र ऋण वृद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता घरेलू क्षेत्र को दिए जानेवाले बैंक ऋण में तीव्र वृद्धि थी। फलस्वरूप, कुल बैंक ऋण में खुदरा

## सारणी 3.38: विभिन्न सरणियों के माध्यम से एससीबी द्वारा वसूले गए अनर्जक अग्रिम

( राशि करोड रुपए में)

| मद/ वर्ष (अप्रैल-मार्च) | 2003-04 | | | 2004-05 | | | 2005-06 | | | 2006-07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शामिल राशि | वसूल की गई राशि | शामिल राशि के प्रतिशत के रूप में वसूल की गई राशि | शामिल राशि | वसूल की गई राशि | शामिल राशि प्रतिशत के के रूप में वसूल की गई राशि | शामिल राशि | वसूल की गई राशि | शामिल राशि प्रतिशत के के रूप में वसूल की गई राशि | शामिल राशि | वसूल की गई राशि | शामिल राशि प्रतिशत के के रूप में वसूल की गई राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| i) एकबारगी निपटान/ समझौता योजनाएं* | 1,510 | 617 | 40.9 | – | – | – | 772 | 608 | 78.8 | – | – | – |
| ii) लोक अदालत | 1,063 | 149 | 14.0 | 801 | 113 | 14.1 | 2,144 | 265 | 12.4 | 758 | 106 | 14.0 |
| iii) डीआरटी | 12,305 | 2,117 | 17.2 | 14,317 | 2,688 | 18.8 | 6,273 | 4,735 | 75.5 | 9,156 | 3,463 | 37.8 |
| iv) सरफेसाई अधिनियम | 7,847 | 1,156 | 14.7 | 13,224 | 2,391 | 18.1 | 8,517 | 3,363 | 39.5 | 9,058 | 3,749 | 41.4 |
| **कुल** | **22,725** | **4,039** | **17.8** | **28,342** | **5,192** | **18.3** | **17,706** | **8,971** | **50.7** | **18,972** | **7,318** | **38.6** |

* : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एसएमई खातों के लिए एकबारगी निपटान योजना 30 जून 2006 को बंद कर दी गई।

ऋण का हिस्सा मार्च 1996 के अंत के 10 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 25 प्रतिशत हो गया। घरेलू ऋण के भीतर, आवास ऋण की मात्रा कुल ऋण के आधे से थोड़ी अधिक थी। भूसंपदा क्षेत्र को दिए जानेवाले अग्रिमों में हुई तीव्र वृद्धि को देखते हुए बैंकों को सूचित किया गया कि वे निहित जोखिम को नियंत्रित करने हेतु उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरू करें। तीव्र ऋण वृद्धि को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2006 में इस बात का संकेत दिया कि खाद्येतर बैंक ऋण में होनेवाली वृद्धि को, जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनी क्षेत्र के बांडों/डिबेंचरों/शेयरों में तथा वाणिज्यिक पत्र में निवेश शामिल हैं, 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के स्तर से सुविचारित तौर पर कम करके 2006-07 में लगभग 20 प्रतिशत किया जाएगा। विशिष्ट क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों अर्थात वैयक्तिक ऋणों, पूंजी बाजार एक्सपोजरों के लिए पात्र ऋण एवं अग्रिमों, 20 लाख रुपए से अधिक रिहाइशी आवास ऋणों और वाणिज्यिक भूसंपदा ऋणों पर सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षा 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर अप्रैल 2006 में 1 प्रतिशत तथा और बढ़ाकर 31 जनवरी 2007 को 2 प्रतिशत कर दी गई।

## सारणी 3.39: सकल और निवल अनर्जक आस्तियां

| मार्च के अंत में | सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां | | निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक आस्तियां | |
|---|---|---|---|---|
| | एससीबी | पीएसबी | एससीबी | पीएसबी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1993 | – | 23.2 | – | – |
| 1994 | – | 24.8 | – | – |
| 1995 | – | 19.5 | – | 10.7 |
| 1996 | – | 18.0 | – | 8.9 |
| 1997 | 15.7 | 17.8 | 8.1 | 9.2 |
| 1998 | 14.4 | 16.0 | 7.3 | 8.2 |
| 1999 | 14.7 | 15.9 | 7.6 | 8.1 |
| 2000 | 12.7 | 14.0 | 6.8 | 7.4 |
| 2001 | 11.4 | 12.4 | 6.2 | 6.7 |
| 2002 | 10.4 | 11.1 | 5.5 | 5.8 |
| 2003 | 8.8 | 9.4 | 4.0 | 4.5 |
| 2004 | 7.2 | 7.8 | 2.8 | 3.1 |
| 2005 | 5.2 | 5.5 | 2.0 | 2.1 |
| 2006 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 1.3 |
| 2007 | 2.5 | 2.7 | 1.0 | 1.1 |

`–' : अनुपलब्ध
एससीबी - अनुसूचित वाणिज्य बैंक
पीएसबी - सरकारी क्षेत्र के बैंक

3.173 रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दरों में वृद्धि के साथ विवेकपूर्ण उपायों का उपयोग किया। खुदरा क्षेत्र को ऋण में हुई निरंतर वृद्धि तथा सामान्य मुद्रास्फीतिकारक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिपो दर में कुछ चरणों में 175 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे मार्च 2004 के 6.0 प्रतिशत से 31 मार्च 2007 तक 7.75 प्रतिशत कर दिया गया।[34] सीआरआर, जिसे घटाकर मार्च 2004 में 4.5 प्रतिशत कर दिया गया था, क्रमिक रूप से बढ़ाकर 31 मार्च 2007 से 7.5 प्रतिशत कर दिया गया।[35] इन उपायों का वांछित प्रभाव पड़ा तथा ऋण वृद्धि कम होकर 2007-08 में 21.6 प्रतिशत रह गयी (अध्याय VI भी देखें)। 2004-05 तथा 2005-06 के बीच ऋण में हुई तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि हुई। तथापि इस वृद्धि के बावजूद बैंक निर्धारित मानदंडों के काफी ऊपर सीआरएआर बनाए रखने में समर्थ रहे (सारणी 3.40)। इसे काफी सीमा तक लाभप्रदता में हुए सुधार द्वारा सुकर बनाया गया। क्योंकि इसने बैंकों को उनकी प्रतिधारित आय बढ़ाने की अनुमति दी (ब्यौरों के लिए अध्याय V देखें)।

[34] बाद में रिपो दर को चरणों में बढ़ाकर 29 जुलाई 2008 से 9.0 प्रतिशत कर दिया गया। *प्रतिस्पर्धा में आई तेजी*
[35] बाद में सीआरआर को चरणों में बढ़ाकर 19 जुलाई 2008 से 8.75 प्रतिशत कर दिया गया (30 अगस्त 2008 से 9.0 प्रतिशत )।

## सारणी 3.40 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरएआर - 2007

(मार्च-अंत)

| बैंक समूह | सीआरएआर के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण | | | | सीआरएआर |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 प्रतिशत से कम | 4-9 प्रतिशत के बीच | 9-10 प्रतिशत के बीच | 10 प्रतिशत से अधिक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| राष्ट्रीयकृत बैंक* | – | – | – | 20 | 12.4 |
| स्टेट बैंक समूह | – | – | – | 8 | 12.3 |
| निजी क्षेत्र के पुराने बैंक | 1 | – | 2 | 14 | 12.1 |
| निजी क्षेत्र के नये बैंक | – | – | – | 8 | 12.0 |
| विदेशी बैंक | – | – | – | 29 | 12.4 |
| अनुसूचित वाणिज्य बैंक - कुल | 1 @ | – | 2 | 79 | 12.3 |

* : सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के आंकड़े शामिल।
@ : सांगली बैंक सीआरएआर की अपेक्षा पूरी नहीं कर सका। बैंक को 19 अप्रैल 2007 से आइसीआइसीआइ बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया।
सीआरएआर : जोखिम- भारित आस्तियों के प्रति पूंजी का अनुपात।

3.174 यद्यपि प्रतिस्पर्धी स्थितियां 1990 के दशक के आरंभ में निर्मित हुईं, तथापि उनका असर नहीं के बराबर रहा जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी 2000 के दशक के आरंभ में प्रतिस्पर्धा में तेजी आनी शुरू हो गई, जो विलय और अधिग्रहण संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुई। इस चरण में, 2 बड़ी विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) का विलय/परिवर्तन बैंकों के रूप में हुआ। रिज़र्व बैंक के दीर्घावधि परिचालन (एलटीओ) निधि के रूप में तथा सरकार द्वारा गारंटीप्राप्त बांडों के रूप में दिए जानेवाले रियायती स्रोतों को 1990 के दशक के आरंभ में हटा लिए जाने के बाद डीएफआइ ने अपना परिचालन बरकरार रखना मुश्किल पाया। जनवरी 2001 में, रिज़र्व बैंक ने आइसीआइसीआइ के उसकी वाणिज्य बैंक सहायक संस्था के साथ विपरीत विलय की अनुमति दी। आइसीआइसीआइ लिमिटेड ऐसा पहला डीएफआइ था, जिसका परिवर्तन बैंक के रूप में हुआ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बाद आइसीआइसीआइ दूसरा सबसे बड़ा डीएफआइ था तथा इसके विपरीत विलय ने बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में निजी क्षेत्र के नए बैंकों की बाजार हिस्सेदारी तेजी से बढ़ा दी। 1 अक्तूबर 2004 को एक और बड़े डीएफआइ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का परिवर्तन बैंकिंग कंपनी के रूप में हुआ। अप्रैल 2005 में इसका विलय इसकी बैंकिंग सहायक संस्था (आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड) के साथ किया गया। कुल मिलाकर, इस चरण में निजी क्षेत्र में 4 नए बैंक और सरकारी क्षेत्र में 1 नया बैंक अस्तित्व में आया (2 प्रमुख डीएफआइ अर्थात आइसीआइसीआइ और आइडीबीआइ के बैंकों में परिवर्तन सहित)। इसके अलावा, 16 विदेशी बैंकों की भी स्थापना की गई। तथापि नए देशी और विदेशी बैंकों के उदय के बावजूद बैंकों की संख्या मार्च 2000 के अंत के 100 से क्रमिक रूप से घटकर मार्च 2007 के अंत तक 82 रह गयी, जो प्रतिस्पर्धात्मक दबावों में हुई वृद्धि को दर्शाता है जिसके ब्यौरे अध्याय VIII में दिए गए हैं। विदेशी बैंकों द्वारा स्थापित शाखाओं की संख्या जून 1997 के 181 से बढ़कर मार्च 2007 तक 273 हो गई। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा बैंकों द्वारा बीपीएलआर से नीचे की दर पर दिए जानेवाले उधारों में हुई तीव्र वृद्धि में भी परिलक्षित हुई। पीएलआर के अधोमुखी झुकाव तथा विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं से लिए जानेवाले ब्याज में व्यापक अंतर की समस्या से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ने 2003-04 में बेंचमार्क पीएलआर (बीपीएलआर) नामक योजना शुरू की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों की उधार दरों में पारदर्शिता रहे और ऋणों के मूल्यन में शामिल जटिलता कम हो सके। तथापि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण कई बैंकों ने बीपीएलआर से नीचे उधार देना शुरू किया और न्यूनतम एवं अधिकतम उधार दरों के बीच स्प्रेड में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। बीपीएलआर से नीचे दिए गए उधार से कंपनियों को बैंकों से प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाने में मदद मिली। कुल उधार में बीपीएलआर से नीचे के उधार का हिस्सा 2003-04 के 43 प्रतिशत से क्रमिक रूप से बढ़कर मार्च 2007 के अंत तक 79 प्रतिशत हो गया। फलस्वरूप, निवल ब्याज मार्जिन पर दबाव बढ़ गया, विशेष रूप से, पिछले कुछ वर्षों के दौरान, जिसके ब्यौरे अध्याय IX में दिए गए हैं।

3.175 इस चरण के दौरान, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को सुदृढ़ करने के लिए कुछ और उपाय किए गए। एफडीआइ युग के उदारीकरण के साथ, बैंकिंग क्षेत्र में एफडीआइ को स्वचालित मार्ग के तहत लाया गया। बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश को और उदार बनाने की दृष्टि से, सरकार ने समय समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन एफआइआइ द्वारा किए जानेवाले निवेश सहित स्वचालित मार्ग के तहत निजी क्षेत्र के बैंकों में एफडीआइ की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने की घोषणा की (5 मार्च 2004 के भारत सरकार के प्रेस नोट द्वारा)। तथापि, प्रदत्त पूंजी के 74 प्रतिशत की सकल विदेशी निवेश सीमा के भीतर एफआइआइ निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकी तथा हर समय प्रदत्त पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत निवासियों द्वारा रखा जाना अपेक्षित था। निजी क्षेत्र के कई पुराने और नए बैंकों में अनिवासियों के पास अब बहुसंख्यक इक्विटी है (सारणी 3.41)।

**सारणी 3.41 : भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों में अनिवासियों द्वारा धारित बहुसंख्यक इक्विटी**
(मार्च 2007 के अंत में)

| बैंक का नाम | धारित इक्विटी (प्रतिशत) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| फेडरल बैंक लि. | 57.2 |
| आइएनजी वैश्य बैंक लि. | 73.3 |
| सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.* | 69.9 |
| डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि. | 64.1 |
| एचडीएफसी बैंक लि. | 51.5 |
| आइसीआइसीआइ बैंक लि. | 72.0 |
| इंडसइंड बैंक लि. | 59.3 |
| यस बैंक लि. | 50.8 |

* : 23 मई 2008 से इसका विलय एचडीएफसी बैंक लि. के साथ किया गया।

3.176 भारत सरकार के परामर्श से, रिज़र्व बैंक ने 28 फरवरी 2005 को भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए रोडमैप जारी किया। रोडमैप में परिकल्पित 2 चरणों के अनुसार अप्रैल 2009 में दूसरे चरण में रोडमैप की समीक्षा की जानी है। निजी क्षेत्र के बैंकों के विलय/समामेलन के लिए नीति भी तैयार की गई जिसमें विलय के प्रस्ताव की प्रक्रिया, अदलाबदली अनुपात के निर्धारण, प्रकटीकरण, तथा विलय की प्रक्रिया के पहले और उसके दौरान प्रवर्तकों द्वारा शेयर खरीदने/बेचने के मानदंडों के ब्यौरे शामिल किए गए हैं (ब्यौरों के लिए अध्याय VIII देखें)।

3.177 शाखा प्राधिकरण नीति को भी सितंबर 2005 में उदारीकृत तथा युक्तियुक्त बनाया गया ताकि बैंकों को उचित स्वतंत्रता दी जा सके और भारत में नई शाखा खोलने के लिए नीति को युक्तियुक्त बनाया जा सके। समय समय पर अलग-अलग शाखाएं खोलने के लिए प्राधिकार देने की प्रणाली को परामर्शी एवं अंतःक्रियाशील प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिक आधार पर समस्त अनुमोदन देने की प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। संशोधित शाखा प्राधिकरण नीति के तहत शाखाओं को बदलने, उनके रूपांतरण एवं विस्तार काउंटरों के अपग्रेडेशन संबंधी मामलों में बैंकों को उचित लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान की गई (ब्यौरों के लिए अध्याय X देखें)।

*सर्वव्यापी बैंकों/वित्तीय संगुटों[36] का विशाखीकरण और उदय*

3.178 बैंकिंग क्षेत्र के भीतर तथा बैंकेतर संस्थाओं और पूंजी बाजार से प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ने के कारण बैंकों ने अपने संगठन के भीतर अथवा सहायक संस्थाएं स्थापित कर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर आय के नए स्रोतों की खोज की । सुधार आरंभ होने के पहले, बैंक अधिकांशतः परंपरागत गैर निधि आधारित कारोबार अर्थात साख पत्र खोलने, स्वीकार करने, गारंटी जारी करने, विप्रेषण कारोबार और विदेशी मुद्रा संबंधी कारोबार यथा निर्यातकों/आयातकों को वायदा संविदाएं प्रस्तावित करने का कार्य करते थे। यद्यपि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक समर्थक प्रावधान शामिल कर लिए जाने के बाद बैंकों ने 1980 के दशक के मध्य में विशाखीकरण शुरू कर दिया था, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में विशाखीकरण में गति आई। प्राथमिक निर्गम संबंधी कार्यकलाप से जुड़ी व्यापारी बैंकिंग संबंधी कार्यकलाप और सेवाएं प्रस्तावित करने के अलावा, बैंकों ने परियोजना मूल्यांकन, पूंजी विन्यास, निधि जुटाने और ऋण की व्यवस्था करने संबंधी सेवाएं एक छत के नीचे देना शुरू कर दिया। बैंकों ने कंपनियों को परामर्शी सेवाएं देना भी शुरू कर दिया, जिनमें देशी एवं विदेशी दोनों तरह के ग्राहकों के लिए विलय एवं अधिग्रहण, अभिरक्षात्मक और निक्षेपागार सेवाएं शामिल हैं। बैंकों को बीमा कारोबार (हामीदारी के बिना) शुरू करने की भी अनुमति दी गई। कारोबार के विशाखीकरण से ब्याजेतर आय में क्रमिक वृद्धि हुई, कुल आय में जिसका हिस्सा 1999-2000 और 2004-05 के बीच काफी बढ़ गया। बाद के वर्षों में मुख्यतः ट्रेडिंग आय /हानि के हिस्से में आई गिरावट के कारण इसके हिस्से में गिरावट आई (सारणी 3.42)।

**सारणी 3.42 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आय में ब्याजेतर आय का हिस्सा**

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष | ब्याजेतर आय | कुल आय | कुल आय में ब्याजेतर आय का हिस्सा (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1998-99 | 12,750 | 1,00,062 | 12.7 |
| 1999-2000 | 15,747 | 1,14,930 | 13.7 |
| 2000-01 | 16,985 | 1,32,076 | 12.9 |
| 2001-02 | 24,074 | 1,51,032 | 15.9 |
| 2002-03 | 31,603 | 1,72,345 | 18.3 |
| 2003-04 | 39,528 | 1,83,861 | 21.5 |
| 2004-05 | 34,435 | 1,90,236 | 18.1 |
| 2005-06 | 35,368 | 2,20,756 | 16.0 |
| 2006-07 | 38,929 | 2,76,201 | 14.1 |

[36] सर्वव्यापी बैंकों से तात्पर्य उन संस्थाओं से हैं जो बैंकिंग के अलावा बीमा और/अथवा निवेश बैंकिंग संबंधी कार्य या तो उसी संगठन के भीतर अथवा अलग से पूंजीकृत सहायक संस्थाओं के माध्यम से करती हैं। दूसरी ओर वित्तीय संगुटों में उसी संगठन के भीतर या अलग से पूंजीकृत सहायक संस्था के माध्यम से या धारक कंपनी की संरचना के भीतर 3 प्रमुख कार्यकलापों अर्थात बैंकिंग, बीमा और प्रतिभूति बाजार में से 2 को शामिल किया जाता है (ब्यौरों के लिए अध्याय X देखें)।

3.179 बीमा जैसे विभिन्न गैर परंपरागत कार्य करने के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना में भी बैंक सक्रिय हो गए। बैंकों द्वारा स्थापित सहायक संस्थाओं की संख्या मार्च 1998 के अंत के 37 से बढ़कर मार्च 2008 के अंत तक 131 हो गई। कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ भी इतने बड़े हो गए थे कि वे प्रणाली पर असर डाल सकते थे । भारत के भीतर और बाहर कई सीमा पार के वित्तीय संगुटों का भी उदय हुआ । विनियामक परिप्रेक्ष्य से, उक्त गतिविधियों से बैंक की अगुवाई वाले समूहों और वित्तीय संगुटों के परिचालनों से उत्पन्न संभाव्य जोखिमों का हल करने में पर्यवेक्षण के प्रति खंडात्मक दृष्टिकोण की सीमाएं समझ में आने लगीं। अतः रिज़र्व बैंक ने उन सभी समूहों के समेकित पर्यवेक्षण का अधिदेश प्राप्त किया जहां नियंत्रक संस्था एक बैंक थी। रिज़र्व बैंक के समेकित पर्यवेक्षण की परिधि में आनेवाले सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने अकेले वित्तीय विवरणों के अलावा मार्च 2003 को समाप्त वित्तीय वर्ष से समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार और प्रकट करें। समूहव्यापी आधार पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के प्रयोजन से, समेकित बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु विवेकपूर्ण मानदंड/सीमाएं यथा जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर), अकेले/समूह उधारकर्ता की एक्सपोजर सीमाएं, चलनिधि अनुपात, बेमेल सीमाएं तथा पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की गईं।

3.180 वित्तीय संगुटों के उदय से सामने आई प्रणालीगत जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, अन्य विनियामकों अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और बीमा विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से एक निगरानी प्रक्रिया भी तैयार की गई । निगरानी प्रक्रिया के कारगर कार्यान्वयन के लिए रिज़र्व बैंक में एक केंद्रीय कक्ष की स्थापना की गई (ब्यौरों के लिए अध्याय X देखें)।

*स्वामित्व और अभिशासन*

3.181 बैंकों के स्वामित्व और अभिशासन का विशेष महत्व है क्योंकि वे बड़ी मात्रा में असंपार्श्विकीकृत सार्वजनिक निधियां स्वीकार और विनियोजित करते हैं तथा ऋण सृजन के माध्यम से ऐसी निधियों को लीवरेज करते हैं। बैंक भुगतान प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं। तथापि, भारतीय संदर्भ में बैंकों में कंपनी अभिशासन संबंधी दो प्रमुख चिंताएं उत्पन्न हुईं। ये चिंताएं स्वामित्व के संक्रेंद्रण तथा बैंक को नियंत्रित करनेवाले प्रबंधन की गुणवत्ता से संबंधित थीं। निजी बैंकों का विनियमन इस तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण था कि बैंकों के स्वामी शेयरधारकों की हिस्सेदारी सिर्फ थोड़ी होती है तथा बैंकों की लीवरेजिंग क्षमता पर विचार करते हुए वे सार्वजनिक निधियों की बहुत बड़ी राशि को नियंत्रित करते हैं जिसमें उनकी अपनी हिस्सेदारी बहुत कम होती है (मोहन, 2004बी)। इसके लिए मानदंडों के ऐसे सेट की जरूरत थी जो बड़ी मात्रा में सार्वजनिक निधियों का नियंत्रण करनेवाले बैंकों में स्वामित्व के संकेंद्रण के रूप में संकेंद्रित शेयरधारिता से उत्पन्न मुद्दों का और उससे जुड़े नैतिक खतरों तथा व्यवसायों के साथ मालिकों के संबंधों की समस्या का पर्याप्त समाधान ढूंढ़ सके। स्वामित्व के विशाखीकरण को तथा ऐसे मालिकों और निदेशकों की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति सुनिश्चित करने को वांछनीय माना गया।

3.182 स्वामित्व और अभिशासन संबंधी विधिक प्रावधान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित किए गए हैं । इनकी अनुपूर्ति समय समय पर जारी विनियामक निर्धारणों द्वारा की गई। ऐसे एक विनिर्देश के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों में 5 प्रतिशत और अधिक धारिता वाले सभी शेयरधारकों से अपेक्षा की गई कि वे योग्यता, प्रतिष्ठा, पिछले रिकार्ड, ईमानदारी, वित्तीय विधीक्षा के संतोषजनक परिणाम, निधियों के स्रोत आदि के 'उपयुक्त और उचित' परीक्षण पूरी करें। आवेदक कंपनी होने के मामले में, 'उपयुक्त और उचित' परीक्षण में ऊपर दर्शाए गए अनुसार कंपनी से जुड़े व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं के मूल्यांकन के अलावा अच्छे कंपनी अभिशासन, वित्तीय शक्ति तथा ईमानदारी को शामिल किया जाना है। निजी क्षेत्र के बैंक की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत और अधिक तक शेयरों का आबंटन अंतरण किसी संस्था/समूह को करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। तथापि, इस संबंध में ब्यौरेवार दिशानिर्देश 3 फरवरी 2004 को जारी किए गए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक समस्त धारितावाले शेयरधारक शेयरों के अंतरण की स्वीकृति प्रदान किए जाने के पहले उपयुक्त और उचित परीक्षणों को पूरा करें। जून 2004 में रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों को यह भी निदेश दिया कि वे योग्यता, विशेषज्ञता, पिछले रिकार्ड, ईमानदारी और अन्य 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों के आधार पर बोर्ड पर निदेशक के रूप में नियुक्ति/नियुक्त बने रहने के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए उचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाएं।

3.183 साथ ही, व्यापक परामर्श के बाद रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2005 में निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और अभिशासन की व्यापक नीतिगत रूपरेखा जारी की। उक्त रूपरेखा में अंतर्निहित की व्यापक सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि (i) अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण अच्छी तरह विशाखीकृत हो; (ii) महत्वपूर्ण शेयरधारक 'उपयुक्त और उचित' हों; (iii) निदेशक और सीईओ 'उपयुक्त और उचित' हों तथा वे सुदृढ़ कंपनी अभिशासन सिद्धांतों का अनुपालन करें; (iv) निजी क्षेत्र के बैंक इष्टतम परिचालनों और प्रणालीगत स्थिरता के लिए 300 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल मालियत बनाए रखें तथा (v) नीति और प्रक्रियाएं पारदर्शी और स्वच्छ हों।

3.184 एक भलीभांति विशाखीकृत स्वामित्ववाली संरचना की प्राप्ति के लिए यह निर्धारित किया कि किसी एक संस्था अथवा संबंधित संस्थाओं के समूह के पास निजी क्षेत्र के बैंक की प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता या नियंत्रण, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, न हो। भारत स्थित किसी अन्य बैंक में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता रखनेवाले किसी बैंक से यह अपेक्षा की गई कि वह इस प्रकार की धारिता कम करके उसे 5 प्रतिशत की अनुमति सीमा तक लाने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करे। इसी तरह भारत में किसी अन्य बैंक में बैंकिंग समूह में किसी अन्य संस्था के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता रखनेवाले भारत में मौजूदगीवाले किसी विदेशी बैंक की मूल संस्था से अपेक्षा की गई कि वह इस प्रकार की धारिता कम करके 5 प्रतिशत तक लाने हेतु समयबद्ध योजना तैयार करे। समस्याग्रस्त/कमजोर बैंकों के पुनर्विन्यास अथवा बैंकिंग क्षेत्र में समेकन के हित में, रिज़र्व बैंक बैंक सहित शेयरधारिता के उच्चतर स्तर की अनुमति दे सकता है। इष्टतम परिचालनों और प्रणालीगत स्थिरता के आधार 300 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल मालियत को वांछनीय माना गया। 300 करोड़ रुपए से कम निवल मालियतवाले बैंकों को सूचित किया गया कि वे एक उचित अवधि के भीतर इसे बढ़ाकर इस स्तर तक लाएं। लाइसेसिंग प्रोसेसिंग के अंग के रूप में की गई वचनबद्धताओं तथा 'उपयुक्त और उचित' और सुदृढ़ अभिशासन का अनुपालन जारी रखने को भी हिसाब में लिया जाना है।

3.185 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भी कंपनी अभिशासन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक की पहल पर भारत सरकार ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक)अधिनियम, 1959 में संशोधन किए ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों पर चुने गए निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड लागू करने हेतु प्रावधान करने के लिए नयी धाराएं शामिल की जा सकें। नवंबर 2007 में राष्ट्रीकृत बैंकों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए ।

*ऋण सुपुर्दगी - एसएमई*

3.186 बड़े उद्योगों, जिनकी पहुंच वित्त के विभिन्न देशी और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों तक है, से भिन्न लघु और मझौले उद्यम (एसएमई) व्यापक रूप से बैंक वित्त पर निर्भर होते हैं। ब्याज दरों के अविनियमन के फलस्वरूप, ऐसी आशा थी कि जरूरतमंदों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि होगी। तथापि, 1990 के दशक तथा चालू दशक के पहले चार वर्षों में एसएमई क्षेत्र को ऋण में कमी आई ( 1980 के दशक के 20.7 प्रतिशत की तुलना में 8.1 प्रतिशत)। अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने लघु उद्योग (एसएसआइ) इकाइयों को ऋण का प्रवाह बढ़ाने हेतु कई उपाय किए। इनमें लघु उद्योग और अति लघु उद्यमों की परिभाषा में संशोधन; इन उद्योगों को अप्रत्यक्ष वित्त का विस्तार; विभिन्न क्षेत्रों में यथा प्रतिभूतिकृत आस्तियों, ऋण व्यवस्थाओं, बिल भुनाई तथा लीजिंग और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के लिए पात्र किराया खरीद में निवेश करना शामिल हैं। इसके अलावा कई कार्यकारी दलों और केंद्र सरकार एवं रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त उच्चाधिकारप्राप्त समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में दिशानिर्देशों का एक व्यापक सेट तैयार किया गया जिनका अनुसरण लघु उद्योग क्षेत्र के सभी श्रेणी के उधारकर्ता को अग्रिम देने के लिए किया जाना है ।

3.187 लघु उद्योग के प्रति रिज़र्व बैंक की नरम ब्याज दर नीति का लाभ प्रदान करने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया कि वे ब्याज दरों में आई गिरावट की आम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग को दिए जानेवाले अग्रिमों पर ब्याज दर तय करें। साथ ही, केंद्रीय बजट 2003-04 में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को सूचित किया कि वे जमानती अग्रिमों के लिए बीपीएलआर से 2 प्रतिशत ऊपर और नीचे का ब्याज दर बैंड अपनाएं। विलंबित भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे विशेष रूप से लघु उद्योग से खरीद के बारे में भुगतान दायित्व पूरा करने हेतु समग्र कार्यशील पूंजी सीमा के भीतर उप सीमाएं निर्धारित करें। उक्त क्षेत्र को समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु, ऋण आवेदन के निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे लघु उद्योग इकाई के अच्छे पिछले रिकार्ड तथा उसकी वित्तीय स्थिति के आधार पर संपार्श्विक अपेक्षा से छुटकारे के लिए ऋण सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए (अपने बोर्ड के अनुमोदन से) कर सकते हैं। इसके अलावा लघु उद्योग को ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए एनबीएफसी को बैंकों द्वारा स्वीकृत सभी नए ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में स्वीकार किए जाने की अनुमति दी गई।

3.188 लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए कई अन्य उपाय भी शुरू किए गए। इनमें नए क्लस्टर की पहचान तथा लघु और मझौले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाना; विशिष्ट परियोजनाओं का प्रवर्तन तथा एनजीओ के सफल कार्य मॉडल का व्यापक प्रचार; उच्चतर स्तर का स्टॉक रखने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लघु उद्योग को उच्चतर कार्यशील पूंजी सीमाओं की स्वीकृति; तथा ग्रामीण उद्योग के संवर्धन के लिए नए साधनों की खोज शामिल हैं। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी दायित्व पर कमी आने पर विदेशी बैंकों द्वारा सिडबी में रखी गई जमाराशियों पर

ब्याज दरों का पुनर्विन्यास किया गया तथा जमाराशियों की अवधि वित्त वर्ष 2005-06 से एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई।

3.189 किए गए विभिन्न उपायों का एसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह पर सकारात्मक असर पड़ा तथा 2004-05 से उसमें वृद्धि हुई । पिछले 3 वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान एसएमई क्षेत्र को ऋण की औसत वृद्धि दर 1990 के दशक के 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 37.3 प्रतिशत हो गई। इस वृद्धि के बावजूद, कुल बैंक ऋण में लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा गिरकर मार्च 2007 के अंत में 16.9 प्रतिशत (मार्च 1991 के अंत के 27.9 प्रतिशत से) तथा उद्योग को कुल ऋण में उसका हिस्सा 38.7 प्रतिशत (54.3 प्रतिशत से) रह गया। 2006-07 में लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण की तीव्रता 1990-91 की तुलना में कम थी, जो उस साल कम वृद्धि के कारण स्वयं काफी कम थी (ब्यौरों के लिए अध्याय VI देखें)।

*ऋण सुपुर्दगी में सुधार - ग्रामीण क्षेत्र*

3.190 अपर्याप्तता, समय पर उपलब्धता संबंधी सीमा, उच्च लागत, लघु और सीमान्त किसानों की उपेक्षा, कई राज्यों में कम ऋण जमा अनुपात तथा अनौपचारिक बाजारों की निरंतर उपस्थिति के रूप में समय-समय पर ग्रामीण ऋण के संबंध में कई प्रकार की चिंताएं व्यक्त की गईं। यह देखा गया कि जहां वाणिज्य बैंक दक्षता और लाभप्रदता सुधारने पर अधिक ध्यान दे रहे थे, वहीं उन्होंने ग्रामीण ऋण के प्रति अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी। कई प्रकार की कार्रवाइयों के बावजूद, कुछ असंतोषजनक तत्व थे जिसके कारण ग्रामीण ऋण संबंधी समग्र स्थिति में वांछित सुधार नहीं आया। वस्तुतः, 1990 के दशक में कृषि को ऋण वृद्धि कम होकर 1980 के दशक की तुलना में लगभग आधी रह गई। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में तथा 2000 के आरंभ में वास्तविक जीडीपी में कृषि के हिस्से की तुलना में पूंजी निर्माण में इसके हिस्से में आई गिरावट चिंता का विषय थी जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं ऋण जमा अनुपात में गिरावट से तीव्र हो गई। इसके अलावा कई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने कृषि सहित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार में गिरावट सूचित की। अतः सरकार और रिज़र्व बैंक ने कृषि को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए कई उपाय किए।

3.191 सरकार ने 18 जून 2004 को कई उपायों की घोषणा की जिनका उद्देश्य 2004-05 के लिए 30 प्रतिशत ऋण वृद्धि के साथ 3 वर्ष में कृषि ऋण को दुगुना करना था। इस घोषणा के अनुसरण में, वाणिज्य बैंकों के बारे में रिज़र्व बैंक तथा आइबीए द्वारा और सहकारी बैंकों एवं आरआरबी के बारे में नाबार्ड द्वारा आवश्यक उपाय शुरू किए गए।इन उपायों में निम्नलिखित शामिल थे - (i) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के ऋण का पुनर्विन्यास तथा उन्हें नया ऋण प्रदान करना; (ii) छोटे और सीमान्त किसानों के लिए एकबारगी निपटान; (iii) समझौते अथवा बट्टे खाते डालने से जिन किसानों का पिछला ऋण निपट गया था, उन्हें नया वित्त प्रदान करना; तथा (iv) गैर संस्थागत उधारकर्ताओं के प्रति ऋणग्रस्त किसानों के लिए राहत उपाय। बैंकों द्वारा कृषि ऋण का वास्तविक संवितरण 2006-07 तक के सभी 3 वर्षों के दौरान लक्ष्य से अधिक रहा। इस उपाय को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के लिए बैंकों द्वारा वितरण हेतु 2,25,000 करोड़ रुपए का तथा 2008-09 के लिए 2,80,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया। रिज़र्व बैंक ने संकटग्रस्त किसानों तथा वास्तविक आपदाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु क्रियाविधि और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी कई अन्य उपाय शुरू किए।

3.192 कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने हेतु रिज़र्व बैंक ने कई अन्य उपाय शुरू किए। इनमें ये शामिल हैं - (i) अवस्थिति से निरपेक्ष कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए बनाई गई भंडारण इकाइयों को दिए गए ऋणों को कृषि के प्रति अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में मानना; (ii) कृषि को प्रत्यक्ष (अप्रत्यक्ष) उधार का प्रतिनिधित्व करनेवाली प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेशों को कृषि के प्रति प्रत्यक्ष (अप्रत्यक्ष) उधार के रूप में मानना; तथा (iii) 50,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए और कृषि व्यवसाय एवं कृषि क्लिनिक के मामले में 5 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति संबंधी अपेक्षा समाप्त करना। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने अल्पावधि फसलों के लिए स्वीकृत ऋणों को उस स्थिति में एनपीए मानकर, जब उस पर मूल धन या ब्याज की किस्त नियत तारीख से 2 फसल मौसम तक अदत्त बनी रही हो, चुकौती की तारीखों को फसलों की कटाई के साथ संरेखित किया । दीर्घावधि फसलों के लिए स्वीकृत ऋणों को उस स्थिति में एनपीए माना गया जब उस पर मूल धन या ब्याज की किस्त नियत तारीख से एक फसल मौसम के लिए अदत्त रही हो।

3.193 बैंकिंग क्षेत्र की व्याप्ति केऔर अधिक संवर्धन के लिए, बैंकों को गैर सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों (एनजीओ)/ (एसएचजी),व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) तथा अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) की सेवाएं व्यवसाय सुकरकर्ता (फसिलिटेटर) तथा व्यवसाय संपर्की मॉडलों का उपयोग करके वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में बिचौलियों के रूप में लेने की अनुमति दी गई है। ये बिचौलिए लोगों के द्वार तक बैंकिंग पहुंचा सकते हैं। इस उपाय से बैंकों को उस अनौपचारिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा देने में सुविधा होगी जो लेनदेन करने में पहुंच, लचीलेपन तथा आसानी के कारण फलफूल रहा था।

3.194 कृषि को ऋण में आई गिरावट को देखते हुए, इस बात की जरूरत महसूस की गई कि आरआरबी को ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी प्रणाली के

लिए कारगर साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसकी परिचालनात्मक अर्थक्षमता को सुधारा जाए और बड़े पैमाने की किफायतों का (लेनदेन लागत कम करके) लाभ उठाया जाए। तदनुसार, विभिन्न पणधारियों की राय जानने के बाद सलाहकार समिति (अध्यक्षःश्री वी.एस.व्यास) द्वारा आरआरबी के विलय / समामेलन का मार्ग सुझाया गया। उक्त दल के अनुसार विलय की गई संस्थाओं का परिचालन क्षेत्र बढ़ेगा तथा विलय की प्रक्रिया से कुछ कमजोर आरआरबी को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। दो चरणों वाले पुनर्विन्यास का सुझाव दिया गया (i) उसी राज्य में उसी प्रायोजक बैंक के आरआरबी के बीच विलय; तथा (ii) उसी राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित आरआरबी का विलय ।

3.195 भारत सरकार ने सितंबर 2005 में राज्य स्तर पर बैंकवार आरआरबी के समामेलन के पहले चरण की शुरुआत की। 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार, 523 जिलों में (मार्च 2006 के अंत में 525) 26 राज्यों में 196 आरआरबी कार्य कर रहे थे तथा उनके पास 14,484 शाखाओं (मार्च 2006 के अंत में 14,489) का नेटवर्क था। 12 सितंबर 2005 से शुरू कर भारत सरकार द्वारा 17 राज्यों में 20 बैंकों द्वारा प्रायोजित 154 आरआरबी का समामेलन 45 नए आरआरबी में किए जाने तथा पुदुचेरी संघशासित क्षेत्रों में एक नया आरआरबी बनाने के फलस्वरूप आरआरबी की कुल संख्या 196 से घटकर मई 2008 में 88 रह गई। 31 मार्च 2007 को 45 समामेलित आरआरबी द्वारा कुल 357 जिलों को कवर किया गया था। प्रत्येक आरआरबी द्वारा 2 से 25 तक जिलों को कवर किया गया था। 31 मार्च 2007 को समामेलित आरआरबी की शाखाओं की संख्या 10,563 थी। इन समामेलित आरआरबी का शाखा नेटवर्क काफी बड़ा था, जो 50 से 677 शाखाओं के दायरे में था। समामेलन के बाद की अवधि में संबंधित आरआरबी ने कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड ने प्रायोजक बैंकों को संगठनात्मक ढांचे, अध्यक्ष की नियुक्ति तथा स्टाफ की वरिष्ठता के निर्धारण के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। समामेलन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए नाबार्ड ने पूरा मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया। दूसरे चरण में सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की कि उसी राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित आरआरबी का विलय किया जाए। आरआरबी अधिनियम,1976 में प्रायोजक बैंक के साथ आरआरबी के विलय के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, इस प्रकार का विलय करना स्थानीय संस्था के रूप में तथा प्राथमिक तौर पर कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए आरआरबी की स्थापना की भावना के प्रतिकूल होता।

3.196 आरआरबी को ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुपुर्दगी का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2005 में एक विशेष पैकेज की घोषणा की, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रायोजक बैंकों को सूचित किया गया कि वे आरआरबी को उचित ब्याज दर पर ऋण व्यवस्था प्रदान करें ताकि उनका संसाधन आधार बढ़ सके। इसके अलावा, आरआरबी को अंतर-आरआरबी मीयादी मुद्रा/उधार तक और साथ ही रिपो/सीबीएलओ बाजारों तक पहुंच प्रदान की गई। दूसरा, आरआरबी को परोक्ष एटीएम की स्थापना करने, डेबिट क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा सरकारी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों के उप-एजेंट के रूप में पेंशन/सरकारी कारोबार करने की अनुमति दी गई ।तीसरा, रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि उनकी वित्तीय स्थिति को हिसाब में लेते हुए करेंसी चेस्ट खोलने हेतु आरआरबी के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। चौथा, रिज़र्व बैंक ने आरआरबी द्वारा विभिन्न प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेन करने संबंधी वर्तमान मानदंडों की समीक्षा की ताकि उन्हें विदेशी शिक्षा, कारोबारी यात्रा, शारीरिक उपचार और निजी दौरे जैसे कुछ विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने संबंधी गैर व्यापार संबद्ध चालू खाता लेनदेन करने की अनुमति दी जा सके।

3.197 आरआरबी के व्यावसायिक परिचालन को नए क्षेत्रों में विशाखीकृत करना सुकर बनाने के लिए भी कई नीतिगत पहलें की गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाने हेतु आरआरबी को नए निदेश देने के लिए, सरकार ने 25 जनवरी 2007 को आरआरबी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की। तदनुसार, आरआरबी को अपना जमा आधार बढ़ाने और प्राथमिकता एवं गैर प्राथमिकताप्राप्त दोनों क्षेत्रों के तहत उभरती हुई संभावनाओं का दोहन कर ऋण जमा अनुपात 56 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आरआरबी को सुदृढ़ तथा उन्हें वित्तीय दृष्टि से मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, सरकार ने ऋणात्मक निवल मालियत वाले आरआरबी के पुनःपूंजीकरण पर और विचार किया। भारत सरकार ने 17 मई 2007 को अधिसूचना जारी कर सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रयोजन के लिए 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' को 'बैंक' के रूप में विनिर्दिष्ट किया। उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से, आरआरबी को इस बात की अनुमति दी गई कि वे कतिपय शर्तें यथा सकारात्मक निवल मालियत, विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन, एनपीए 10 प्रतिशत से अनधिक होना, पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाना तथा कोई संचित हानि न होना पूरी करने पर जोखिम में भागीदारी के बिना कंपनी एजेंट के रूप में बीमा कारोबार रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से कर सकते हैं।

3.198 ग्रामीण सहकारिताओं ने भी कुछ वर्षों से कई कमजोरियां दर्शायीं, जिन्होंने वाणिज्य बैंकों के साथ कारगर प्रतिस्पर्धा की उनकी योग्यता को अवरुद्ध किया। इन कमजोरियों में कम संसाधन आधार, खराब व्यावसायिक विशाखीकरण और वसूली, बड़ी संदिग्ध हानियां, व्यावसायिकता और कुशल स्टाफ की कमी, कमजोर एमआइएस, खराब आंतरिक जांच और नियंत्रण प्रणाली शामिल हैं।फलस्वरूप, कृषि ऋण में सहकारी बैंकों का हिस्सा कुछ वर्षों से गिर गया। सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति भी खराब

हो गई। अतः राज्य सरकारों से व्यापक परामर्श के बाद सरकार ने अल्पावधि ऋण सहकारी संस्थाओं के लिए किए जानेवाले सुधारों के साथ 'पुनर्जीवन पैकेज' की घोषणा की ताकि उन्हें सही मायने में लोकतांत्रिक, स्वायत्त, मुखर, सदस्य-चालित, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके।

3.199 'पुनर्जीवन पैकेज' में अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं को कुल 13,596 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों और सहकारी ऋण संरचना की इकाइयों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए जानेवाले कतिपय विधिक और संस्थागत सुधारों के अधीन, हिस्सा लिया जाना था। अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्रों को ठीक करना, सात प्रतिशत सीआरएआर के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के लिए समर्थन देना, एकरूप लेखांकन और निगरानी प्रणालियां विकसित करना, क्षमता निर्माण और कंप्यूटरीकरण शामिल था। पच्चीस राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तामिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने पैकेज के लिए अपनी स्वीकृति भेज दी और उन्होंने पैकेज लागू करने के लिए केन्द्र सरकार तथा नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। इसमें देश के 96 प्रतिशत पीएसीएस तथा 87 प्रतिशत सीसीबी को कवर कर लिया गया। 2008-09 के अपने बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने यह उल्लेख किया कि केन्द्र सरकार ने चार राज्यों के लिए 1,185 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। 2008-09 के अपने बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि ''दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए प्रो. वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने पैकेज की विषयवस्तु के बारे में एक करार किया है। पैकेज की लागत 3,074 करोड़ रुपये होने का अनुमान था, जिसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 2,642 करोड़ रुपये या कुल भार का 86 प्रतिशत थी। सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से उपायों का एक पैकेज तैयार कर रही थी''।

3.200 सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों का वांछित असर पड़ा तथा कृषि को ऋण वृद्धि में 2003-04 के बाद उल्लेखनीय उछाल आया। फलस्वरूप, 2003-04 से 2006-07 के दौरान कृषि को औसत ऋण वृद्धि की दर 1990 के दशक के 10.6 प्रतिशत तथा 1980 के दशक के 18.1 प्रतिशत से बढ़कर 27.4 प्रतिशत हो गई। कुल बैंक ऋण में कृषि को ऋण का हिस्सा मार्च 2004 के अंत के 10.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 12.2 प्रतिशत हो गया। कृषि क्षेत्र की ऋण गहनता (कृषि ऋण / कृषि जीडीपी) भी मार्च 2004 के अंत के 17.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 31.0 प्रतिशत हो गई (ब्यौरों के लिए अध्याय VI देखें)।

3.201 सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप आरआरबी के परिचालनों में काफी सुधार आया। आरआरबी के वित्तीय कार्यनिष्पादन में और सुधार आया तथा हानि उठानेवाले आरआरबी की संख्या 2004-05 के 22 से और गिरकर 2006-07 में 15 रह गई। आरआरबी का निवल एनपीएल मार्च 2005 के अंत के 5.2 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में 3.4 प्रतिशत रह गया। आरआरबी की ऋण वृद्धि पिछले तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04) के औसतन 17.8 प्रतिशत तथा पिछले 10 वर्षों (1994-95 से 2003-04) के 17.7 प्रतिशत से बढ़कर तीन वर्ष की अवधि (2004-05 से 2006-07) के दौरान औसतन 22.9 हो गई।

*वित्तीय समावेशन*

3.202 भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग में उल्लेखनीय बदलाव आया क्योंकि इसमें 'वर्ग बैंकिंग' से हटाकर 'समूह बैंकिंग' पर ध्यान केन्द्रित किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने के पीछे भी यही तर्क था कि बैंकिंग सेवाओं को गरीब जनता तक ले जाया जाए। कुछ वर्षों में बैंकिंग उद्योग में मात्रा एवं जटिलता में अत्यधिक वृद्धि हुई। 1990 के दशक के आरंभ से वित्तीय अर्थक्षमता, लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद, इस बात की चिंता थी कि बैंक आबादी के बड़े भाग तक, विशेषकर समाज के सुविधारहित वर्गों तक, मूल बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने में समर्थ नहीं हुए। बैंकिंग क्षेत्र की व्याप्ति के बावजूद, औपचारिक ऋण प्रणाली अनौपचारिक वित्तीय बाजारों तक पर्याप्त रूप में पहुँच नहीं सकी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, वित्तीय निष्कासन के कारणों के अध्ययन के लिए प्रयास चल रहे थे ताकि गरीब एवं लाभ से वंचित व्यक्तियों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार की जा सके।

3.203 रिज़र्व बैंक को उन बैंकिंग प्रथाओं की भी चिंता थी, जिनकी वजह से आबादी का बड़ा भाग बैंकिंग सेवा से वंचित रह जाता था। अतः जरूरी समझा गया कि उन्हें औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के भीतर लाया जाए ताकि न सिर्फ निष्कासित वर्ग के वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए अपितु उनका कारोबार बढ़ाने के लिए भी कम-से-कम मूलभूत बैंकिंग सेवाएं समाज के सभी वर्गों को समान रूप से उपलब्ध करायी

[37] वित्तीय समावेशन से जनसमूह को तथा लाभ से वंचित एवं कम आय वाले व्यापक वर्ग को वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी अभिप्रेत है।

जा सकें। इस संदर्भ में वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने उल्लेख किया कि बैंकिंग प्रथाओं के संबंध में कुछ वैध चिंताएं थीं जो आबादी के बड़े भाग को, विशेष तौर पर पेंशनभोगियों, स्वनियोजित व्यक्तियों और असंगठित क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों को, आकृष्ट करने के बजाय निष्कासित करती हैं। नीति में यह नोट किया गया कि जहाँ वाणिज्यिक दृष्टि से विचार करना निःसंदेह महत्वपूर्ण है, वहीं बैंकों को बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त हैं, अतः यह आवश्यक है कि वे समता के आधार पर आबादी के सभी वर्ग को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करें। इस पृष्ठभूमि में, नीति में यह उल्लेख किया गया कि रिज़र्व बैंक व्यापक सेवाएं प्रदान करनेवाले बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति लागू करेगा जबकि सुविधारहित वर्ग सहित समुदाय की बैंकिंग संबंधी जरूरतों के प्रति जवाबदेही न लेनेवाले बैंकों का अप्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, आम आदमी को मूलभूत बैंकिंग सेवाओं की मनाही, अव्यक्त या व्यक्त, के मूल्यांकन के लिए बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के स्वरूप, उनकी व्याप्ति और लागत पर भी निगरानी रखी जानी थी। अतः उक्त नीतिगत वक्तव्य में बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी वर्तमान प्रथाओं की समीक्षा कर उन्हें वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के साथ संरेखित करें।

3.204 यह माना गया कि कई बैंकों में न्यूनतम शेष और लगाए जाने वाले प्रभारों की अपेक्षा, उनके साथ कई निःशुल्क सुविधाएं होने के बावजूद, बैंक खाता खोलने / बनाए रखने से आबादी के एक बड़े भाग को रोकती है। अतः रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2005 में बैंकों को सूचित किया कि वे 'शून्य' या बहुत कम न्यूनतम शेष तथा प्रभारों वाले 'नो - फ्रिल' मूल बैंकिंग खाते उपलब्ध कराएं ताकि ऐसे खाते आबादी के बड़े हिस्से के लिए उपलब्ध हो सकें। ऐसा गुरुतर वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से किया गया। ऐसे खातों में लेनदेनों की संख्या एवं स्वरूप को प्रतिबंधित किया जा सकता है, परंतु उसकी जानकारी ग्राहक को पारदर्शी तरीके से पहले से दी जा सकती है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे पारदर्शी तरीके से सुविधाएं एवं प्रभार दर्शाते हुए, ऐसे 'नो-फ्रिल' खातों की सुविधा का अपने वेबसाइट सहित व्यापक प्रचार, करें। योजना लागू होने के दो वर्षों के भीतर उल्लेखनीय प्रगति हुई। दिसंबर 2007 के अंत तक, भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने लगभग 12.6 मिलियन 'नो-फ्रिल' खाते खोले (ब्यौरों के लिए अध्याय VII देखें )।

*शहरी सहकारी बैंक*

3.205 वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार शुरू होने पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए नई चुनौतियां सामने आईं। पहली, सुधार संबंधी उपायों से बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई। दूसरी, 1990 के दशक के शुरू में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में हुए संरचनागत परिवर्तन ने वित्तीय संस्थाओं के बीच, विशेष रूप से अंतर-संस्थागत एक्सपोजरों एवं भुगतान तथा निपटान सरणियों के जरिए, परस्पर निर्भरता बढ़ा दी। सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में गिरावट आसानी से वित्तीय क्षेत्र के अन्य खंडों में फैल सकती थी, जिससे प्रणालीगत समस्या आ सकती थी। तदनुसार, 1993 में अच्छी तरह से अविनियमित युग तथा वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र में अधिक अविनियमित परिदृश्य शुरू होने के बाद, रिज़र्व बैंक ने महसूस किया कि उसे शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का जायजा लेना चाहिए। 1990 के दशक के मध्य में प्रवेश स्तर के न्यूनतर मानदंडों ने यूसीबी में काफी कमजोरी लाने में अंशदान किया। चूंकि यूसीबी भुगतान प्रणाली का अंग थे, उनकी कमजोरी का शेष वित्तीय प्रणाली पर गंभीर परिणाम हो सकता था। अतः एक विनियामक ढाँचा बनाना जरूरी था ताकि सहकारी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी और लचीला बनाया जा सके। यह भी जरूरी समझा गया कि बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा और संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के तहत राज्य सरकारों द्वारा यूसीबी के द्वैध नियंत्रण की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ा जाए।

3.206 तथापि, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को 2001 में बड़ा धक्का लगा, जब एक बड़े बहुराज्यीय बैंक की शाखाओं में इस गलतफहमी से भगदड़ मच गई कि एक ऐसे बड़े ब्रोकर के पास उसका बड़ा एक्सपोजर था, जिसे शेयर बाजार में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इस सहकारी बैंक के विफल होने का यूसीबी क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि बैंकिंग क्षेत्र की दृष्टि से भी, इसने प्रणालीगत जोखिम प्रस्तुत की क्योंकि इस बैंक के पास राज्य में तथा अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में यूसीबी से प्राप्त लगभग 800 करोड़ रुपए की अंतर-बैंक जमाराशियां थीं। आम आदमी तथा अन्य सहकारी बैंकों के हितों की रक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को निदेश जारी कर कतिपय परिचालनों पर प्रतिबंध (नयी जमाराशियां स्वीकार करने, एक जमाकर्ता को 1000 रुपए तक भुगतान की सीमा लगाने तथा नये उधार पर पाबंदी) लगा दिया तथा सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार, नई दिल्ली से मांग की कि वह निदेशक मंडल का अतिक्रमण कर एक प्रशासक नियुक्त करे। केन्द्र सरकार ने अल्प अवधि के लिए बैंक पर स्थगनादेश भी लागू कर दिया। बाद में रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से बैंक को पुनर्निर्माण की योजना के तहत लाया गया। यूसीबी के विफल होने की अगली घटना 2002 में आंध्र प्रदेश राज्य में हुई, जबकि राज्य के एक सबसे बड़े बैंक पर उस समय भगदड़ मच गया जब सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार द्वारा बैंक के कार्यों की जांच करने संबंधी रिपोर्ट एक समाचार पत्र में आयी।

3.207 सहकारी बैंकों की असफलताओं ने सहकारी बैंकिंग प्रणाली पर उपयुक्त पर्यवेक्षण की आवश्यकता को सामने ला दिया। सभी यूसीबी

के लिए ओएसएस की स्थापना हेतु पहले उपाय के रूप में अप्रैल 2001 में अनुसूचित यूसीबी के लिए एक पर्यवेक्षणात्मक रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई। पर्यवेक्षणात्मक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, परोक्ष निगरानी प्रणाली (ओएसएस) का विस्तार कर उसमें 50 करोड़ रुपए तथा अधिक जमा आकारवाले सभी गैर-अनुसूचित यूसीबी को शामिल कर लिया गया। मार्च 2002 के आरंभ से चरणबद्ध रूप में पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू किए गए।

3.208 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के दौरान यूसीबी क्षेत्र में जमा वृद्धि तेजी से गिरकर पिछले तीन साल की लगभग 25.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में मार्च 2002 को समाप्त वर्ष में 15.1 प्रतिशत रह गई। संकट के बाद, जिसमें गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ बड़े यूसीबी शामिल थे, यूसीबी क्षेत्र में जनता के विश्वास में आयी कमी गहरा गई और सहवर्ती तौर पर यूसीबी की स्थिति सामान्यतः खराब हो गई। यूसीबी की संख्या 2003 तक निरंतर बढ़ने के बाद 2004 में कम हो गई (2003 के 1941 से 1926)। बैंकिंग क्षेत्र (अनुसूचित वाणिज्य बैंक, आरआरबी और यूसीबी) की कुल जमाराशियों में उनका हिस्सा भी उल्लेखनीय रूप से कम हो गया (2003 के 6.3 प्रतिशत से 2004 में 5.8 प्रतिशत)। 30 जून 2004 को, 1919 में से 732 यूसीबी को ग्रेड III या IV में वर्गीकृत किया गया, जो उनकी कमजोरी एवं रुग्णता को सूचित करता है। प्रणालीगत जोखिमों की पहचान करते हुए तथा यूसीबी के ग्राहकवर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य में नये यूसीबी बनाने के लिए नए लाइसेंस देना बंद करने के निर्णय की घोषणा की। अतः रिज़र्व बैंक ने कोई नया शाखा लाइसेंस स्वीकृत न करने की घोषणा की। यह स्पष्ट किया गया कि इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए विधायी एवं विनियामक ढाँचा की व्यापक समीक्षा किए जाने तक यह जरूरी था। इस पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विजन दस्तावेज का मसौदा तैयार किया जाए, जिससे इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना सुकर होगा तथा जिससे यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को ऋण देने हेतु सौंपी गई भूमिका अदा कर सके। रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों के लिए समस्त विधायी, विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचे की समीक्षा की तथा मार्च 2005 में 'यूसीबी के लिए विजन दस्तावेज' का मसौदा तैयार किया।

3.209 उक्त 'विजन दस्तावेज' में शहरी सहकारी बैंकों को नवीकृत करने के लिए व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन योग्य व्यवस्थाओं का एक नया ढाँचा प्रस्तुत किया गया। 'विजन दस्तावेज' में किए गए प्रस्ताव के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षर करने के लिए राज्य सरकारों / केन्द्र सरकार (बहुराज्यीय यूसीबी के लिए) से संपर्क किया ताकि यूसीबी के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी इन दो एजेंसियों के बीच गुरुतर समन्वयन सुनिश्चित किया जा सके। समझौता ज्ञापन के अंग के रूप में, सहकारी शहरी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्य बल (टैफकब) के गठन का निर्णय लिया गया जिसमें रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार तथा यूसीबी के संघ शामिल होंगे। टैफकब को यह कार्य सौंपा गया कि वे अपने राज्यों के भीतर संभाव्य रूप से अर्थक्षम और गैर अर्थक्षम यूसीबी की पहचान करें तथा बैंकों के पहले सेट के लिए पुनर्जीवन का मार्ग और दूसरे के लिए बिना किसी विघटन के निकासी का मार्ग सुझाएं। निकासी के मार्ग में सुदृढ़ बैंकों के साथ विलय/समामेलन, सोसाइटियों में रूपांतरण अथवा अंतिम उपाय के तौर पर परिसमापन हो सकता है। जून 2005 से, 19 राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार (बहुराज्यीय यूसीबी के मामले में) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिनमें 1,597 यूसीबी अर्थात् इस क्षेत्र के 90 प्रतिशत बैंक और 95 प्रतिशत जमाराशियां शामिल हैं। रिज़र्व बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करनेवाले राज्यों में समन्वित पर्यवेक्षण और विनियमन को ध्यान में रखते हुए, ऐसे राज्यों में पात्र बैंकों तथा बहुराज्यीय यूसीबी को कुछ व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराए गए। रिज़र्व बैंक ऐसे राज्यों में पात्र बैंकों से अन्य बातों के साथ साथ अतिरिक्त कारोबारी अवसरों यथा करेंसी चेस्टों की स्थापना, विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए प्राधिकृत डीलर लाइसेंस, म्यूचुअल फंडों की बिक्री तथा नये एटीएम खोलने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर भी विचार करता है। वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि ऐसे राज्यों में वित्तीय रूप से सुदृढ़ बैंकों को नयी शाखाएं खोलने की भी अनुमति दी जाएगी, एक ऐसी सुविधा जो 2004 से यूसीबी को उपलब्ध नहीं थी। साथ ही, विलय संबंधी प्रस्तावों के लिए 'अनापत्ति' प्रदान करने के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देश उपलब्ध कराकर सुदृढ़ संस्थाओं के साथ कमजोर संस्थाओं के विलय की प्रक्रिया के माध्यम से यूसीबी का समेकन शुरू कर दिया गया। सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार/संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस / आरसीएस) द्वारा जारी सांविधिक आदेशों के जरिए कुल 53 विलय किए गए।

3.210 रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों से यूसीबी क्षेत्र में विश्वास को बहाल करने में मदद मिली, जो यूसीबी क्षेत्र के विभिन्न कारोबारी एवं वित्तीय स्वास्थ्य मानदंडों में परिलक्षित हुआ। यूसीबी के जमा और अग्रिम में, जिनमें मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, मार्च 2006 को समाप्त वर्ष में सकारात्मक बदलाव आया (सारणी 3.43)।

3.211 उनकी आस्ति गुणवत्ता में भी सुधार आया। सकल अनर्जक आस्तियाँ, जो मार्च 2005 को समाप्त वर्ष में कुल अग्रिमों का 23.2 प्रतिशत थीं, मार्च 2007 के अंत तक कम होकर 17.0 प्रतिशत रह

**सारणी 3.43 : शहरी सहकारी बैंकों की वृद्धि**

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष (अप्रैल मार्च) | यूसीबी की संख्या* | जमा | वृद्धि (प्रतिशत) | अग्रिम | वृद्धि (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1997-98 | 1,502 | 40,692 | – | 27,807 | – |
| 2000-01 | 1,618 | 80,840 | 25.7 | 54,389 | 25.1 |
| 2001-02 | 1,854 | 93,069 | 15.1 | 62,060 | 14.1 |
| 2002-03 | 1,941 | 1,01,546 | 9.1 | 64,880 | 4.5 |
| 2003-04 | 1,926 | 1,10,256 | 8.6 | 67,930 | 4.7 |
| 2004-05 | 1,872 | 1,05,021 | -4.7 | 66,874 | -1.6 |
| 2005-06 | 1,853 | 1,14,069 | 8.6 | 71,641 | 7.1 |
| 2006-07अ | 1,813 | 1,20,983 | 6.1 | 78,660 | 9.8 |

*: संबंधित वर्ष में मार्च के अंत में।
अ : अनंतिम

गईं। कुल यूसीबी में ग्रेड III और IV के यूसीबी, जो कमजोरी और रुग्णता को सूचित करते हैं, का हिस्सा भी कम हो गया (सारणी 3.44)।

*ग्राहक सेवा और वित्तीय साक्षरता*

3.212 ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने समय समय पर विभिन्न उपाय शुरू किए। रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में बैंकिंग लोकपाल की स्थापना इस संबंध में एक प्रमुख नीतिगत पहल थी। स्थापित सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित संहिताओं और मानकों के प्रति बैंकों के कार्यनिष्पादन को मापने में आनेवाले संस्थागत अंतराल को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 2005-06 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) की स्थापना की घोषणा की। इसकी स्थापना एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में की गई तथा इसने एक स्वविनियामक संगठन का रूप ले लिया। बीसीएसबीआइ ने बोर्ड के सदस्य के रूप में उसके साथ बैंकों

**सारणी 3.44 : शहरी सहकारी बैंकों का श्रेणीकरण**

(मार्च के अंत में)

| यूसीबी का प्रकार | यूसीबी की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2004* | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्रेणी I | 880 | 807 | 716 | 652 |
| श्रेणी II | 307 | 340 | 460 | 598 |
| श्रेणी III | 529 | 497 | 407 | 295 |
| श्रेणी IV | 203 | 228 | 270 | 268 |
| कुल | 1919 | 1872 | 1853 | 1813 |
| *ज्ञापन:* | | | | |
| सभी यूसीबी के प्रतिशत के रूप में श्रेणी III और IV | 38.1 | 38.7 | 36.5 | 31.1 |

*: जून के अंत में

के ऐच्छिक पंजीकरण का प्रावधान किया तथा सहमत मानकों एवं संहिताओं के अनुसार ग्राहक सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्धता दर्शायी । बदले में बोर्ड ने बैंकों द्वारा सहमत संहिताओं और मानकों के साथ अनुपालन पर निगरानी रखी और आकलन किया। बोर्ड ने बैंकिंग सेवाओं के न्यूनतम मानक के लिए ढांचा प्रदान करने हेतु जुलाई 2006 में ग्राहकों के प्रति बैंक की वचनबद्धता का एक कोड जारी किया। उक्त कोड न सिर्फ ग्राहकों के प्रति बैंकों की वचनबद्धता था, अपितु एक मामले में बैंक के प्रति आम जनता का अधिकार पत्र था। अक्तूबर 2007 के अंत में, सदस्य बनने के इच्छुक बीसीएसबीआइ के साथ पंजीकृत 74 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में से, 70 बैंकों ने, जिनके पास भारतीय बैंकिंग प्रणाली की कुल देशी आस्तियों का 98 प्रतिशत था, सदस्य के रूप में नामांकन कराया।

3.213 रिज़र्व बैंक तथा पूरी बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा को रिज़र्व बैंक द्वारा दिए जा रहे महत्व का उपयुक्त संकेत देते हुए, रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले ग्राहक सेवा संबंधी विभिन्न कार्यकलापों को एक विभाग में समूहित करके 1 जुलाई 2006 को रिज़र्व बैंक में ग्राहक सेवा विभाग बनाया गया। विभाग के कार्यकलापों में रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा तथा शिकायत निवारण संबंधी विभिन्न कार्यकलाप, बैंकिंग लोकपाल योजना तथा भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड सहित,शामिल हैं। इस प्रकार की संगठनात्मक व्यवस्था से बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा के प्रति अधिक नीतिगत ध्यान देने में मदद मिली है।

3.214 बैंक जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के अलावा, रिज़र्व बैंक यह भी सुनिश्चित करना चाहता था कि उधारकर्ता वर्ग को भी बैंकरों से उचित व्यवहार मिले। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ताओं के लिए उचित प्रथा कोड बनाया, जिसकी जानकारी बैंकों को 2003 में दे दी गई थी ताकि उधारकर्ताओं के उचित हितों की रक्षा की जा सके और उन्हें ऋणदाताओं द्वारा अनुचित उत्पीड़न से बचाया जा सके। उक्त कोड को मार्च 2007 में संशोधित किया गया और उसमें ऐसी अपेक्षाएं शामिल की गईं कि बैंकों को उधारकर्ताओं को ऋण संबंधी व्यापक ब्यौरे तथा भावी उधारकर्ताओं के ऋण आवेदन अस्वीकार किये जाने के कारण प्रस्तुत करने चाहिए, चाहे ऋण की राशि या प्रकार कुछ भी हो । इसी तरह, भारतीय बैंक संघ ने क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए उचित प्रथा कोड, प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों के लिए आदर्श आचार संहिता, तथा देयराशियों की वसूली एवं प्रतिभूति के पुनर्ग्रहण के लिए आदर्श संहिता तैयार थी।

3.215 वित्तीय समावेशन पर अधिक ध्यान दिए जाने तथा कृषक समुदायों के कुछ घटकों में देखे गये वित्तीय संकट की विगत घटनाओं के संदर्भ में, इस बात की जरूरत भी महसूस की गई कि वित्तीय साक्षरता

तथा बैंकिंग सेवाएं लेने वालों के बीच वित्तीय शिक्षा का स्तर सुधारने का उपाय तैयार किया जाए। उपभोक्ता ऋण और आवास ऋण में तीव्र वृद्धि को देखते हुए भारत में इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत हुई। ऐसी स्थिति में, आय में गिरावट को रोकने तथा ऋण के पुनर्विन्यास के बारे में अच्छी सलाह देकर ऋण परामर्श के जरिए उधारकर्ताओं को सार्थक समाधान दिया जा सकता है तथा इससे वे धीरे-धीरे अपना ऋण भार कम कर सकेंगे तथा मुद्रा प्रबंधन संबंधी कौशल में सुधार ला सकेंगे। बैंकों को अपने ग्राहकों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में भूमिका निभानी थी क्योंकि उधारकर्ताओं को समय पर परामर्श दिए जाने का बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। अब कुछ बैंकों ने ऋण परामर्श केंद्रों की स्थापना कर दी है। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न पहलों से ग्राहक सेवा में गुणात्मक सुधार हुआ है।

*प्रौद्योगिकी*

3.216 उत्पादकता में सुधार लाने और दक्ष ग्राहक सेवा प्रदान करने की रणनीति के तौर पर बैंकों ने प्रौद्योगिकी की पहचान एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में की। भारतीय बैंक संघ (आइबीए) तथा कर्मचारियों के बीच हुए करार के अनुसरण में 1990 के दशक के आरंभ में बैंकों के परिचालनों का कंप्यूटरीकरण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। कुछ सालों में प्रौद्योगिकी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । शाखाओं का कंप्यूटरीकरण तथा एटीएम की स्थापना ऐसे दो क्षेत्र थे, जिनमें प्रौद्योगिकी का उपयोग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अधिकांश बैंकिंग कारोबार धीरे-धीरे कंप्यूटरीकृत हो गया। तथापि, इनमें से अधिकांश प्रयास स्टैंडअलोन आधार पर किए गए। अतः ऐसा महसूस किया गया कि बैंकों की शाखाओं के आंतरिक कंप्यूटरीकरण तथा कोर बैंकिंग प्रणालियों (सीबीएस) के जरिए उनकी इंटर-कनेक्टिविटी की गति बढ़ाने की जरूरत है। सभी सीबीएस शाखाएं एक दूसरे से अंतःसंबद्ध होती हैं, जिससे ग्राहक को सीबीएस नेटवर्क पर बैंक की किसी भी शाखा से अपना खाता परिचालित करने तथा बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है, चाहे उसने अपना खाता कहीं भी क्यों न रखा हो। इससे सेवा की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार आता है। अतः बैंकों से 2002 में यह अनुरोध किया गया कि वे समयबद्ध आधार पर शाखाओं के कंप्यूटरीकरण एवं उनकी नेटवर्किंग पर विशेष ध्यान दें। मार्च 2007 के अंत तक, लगभग 86 प्रतिशत शाखाएं पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हो गईं, जिनमें से आधी से थोड़ी अधिक शाखाएं कोर बैंकिंग समाधान के अधीन ला दी गईं (सारणी 3.45)।

**सारणी 3.45 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कंप्यूटरीकरण**

(प्रतिशत)

| वर्ग | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं | 71.0 | 77.5 | 85.6 |
| i) कोर बैंकिंग समाधान के तहत आने वाली शाखाएं | 11.0 | 28.9 | 44.4 |
| ii) पहले से पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं # | 60.0 | 48.5 | 41.2 |
| आंशिक रूप से कंप्यूटरीकृत शाखाएं | 21.8 | 18.2 | 13.4 |

# : कोर बैंकिंग समाधान के तहत आने वाली शाखाओं से इतर

3.217 हाल के वर्षों में एटीएम के उपयोग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मार्च 2005 के अंत तथा मार्च 2007 के अंत के बीच ऑनसाइट एटीएम की संख्या लगभग दुगुनी हो गई। ऑफसाइट एटीएम की संख्या भी बढ़ी है। शाखाओं के प्रति एटीएम के अनुपात में भी हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है (सारणी 3.46)।

**सारणी 3.46 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम**
**(मार्च के अंत में)**

| बैंक समूह | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एटीएम की संख्या | | | एटीएम की संख्या | | | एटीएम की संख्या | | |
| | ऑन-साइट | ऑफ-साइट | कुल | ऑन-साइट | ऑफ-साइट | कुल | ऑन-साइट | ऑफ-साइट | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| राष्ट्रीयकृत बैंक | 3205 | 1567 | 4772 | 4812 | 2353 | 7165 | 6634 | 3254 | 9888 |
| स्टेट बैंक समूह | 1548 | 3672 | 5220 | 1775 | 3668 | 5443 | 3655 | 2786 | 6441 |
| निजी क्षेत्र के पुराने बैंक | 800 | 441 | 1241 | 1054 | 493 | 1547 | 1104 | 503 | 1607 |
| निजी क्षेत्र के नये बैंक | 1883 | 3729 | 5612 | 2255 | 3857 | 6112 | 3154 | 5038 | 8192 |
| विदेशी बैंक | 218 | 579 | 797 | 232 | 648 | 880 | 249 | 711 | 960 |
| कुल | 7654 | 9988 | 17642 | 10128 | 11019 | 21147 | 14796 | 12292 | 27088 |
| *ज्ञापन :* | | | | | | | | | |
| शाखाओं के प्रतिशत के रूप में एटीएम | | | 32.8 | | | 38.6 | | | 47.5 |

3.218 भुगतान प्रणालियों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए, भुगतान और निपटान प्रणालियों में दक्षता लाने के लिए कई पहलें की गईं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की जोखिम को कम करने के लिए तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के कार्यान्वयन ने क्रेडिट-पुश आधार पर वास्तविक समय/वास्तविक से निकट समय के आधार पर निधियों की प्राप्ति को समर्थ बनाया। हाल के वर्षों में मात्रा और मूल्य दोनों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (सारणी 3.47)। भारत में आरटीजीएस सिस्टम का विस्तार अन्य देशों की तुलना में बहुत तेजी से हुआ।

3.219 प्रौद्योगिकी ने कोर बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसे नए उत्पादों और सेवाओं का विकास कर नवोन्मेष लाने में बैंकों की मदद की। आइटी ने बैंकों और ग्राहकों दोनों के लिए लगभग तत्काल सूचना प्रोसेसिंग की क्षमताएं प्रदान करने के अलावा लेनदेन की बड़ी मात्राओं को निपटाने तथा ग्राहक की बदलती प्रत्याशाओं के अनुरूप अनुकूलन करने में भी मदद की। प्रौद्योगिकी ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और परिचालनगत दक्षता तथा बेहतर आस्ति/देयता प्रबंधन की शुरुआत कर बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से रूपांतरण सुनिश्चित किया। आरटीजीएस प्लैटफॉर्म के जरिए प्रभावी निधि प्रवाह ने भी बैंकों द्वारा नकदी प्रबंधन में काफी मदद की।

3.220 प्रौद्यागिकी ने कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत कीं । इंटरनेट से ऑनलाइन लेनदेन करने की संभावना ने इस सुविधा के दुरुपयोग का खतरा बैंकों के लिए बढ़ा दिया है। उस मुद्दे के समाधान के लिए बैंकों ने उपयुक्त सुरक्षोपाय और प्रक्रियाएं अपनायी हैं ताकि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ग्राहकों की पहचान की जा सके। इसी तरह, प्रौद्योगिकी ने व्यावसायिक सातत्य के रूप में चुनौती प्रस्तुत की है। अतः बैंकों ने नियमित और आवधिक रूप से आपदा उद्धार अभ्यास (डीआर) किया। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए सामान्य न्यूनतम अपेक्षाएं सूचित कीं, जो सभी नई आइटी आधारित प्रणालियों एवं सुपुर्दगी चैनलों के लिए लागू थीं।

3.221 सुधार के पिछले 15 वर्षों के दौरान, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुछ गतिशील परिवर्तन आए हैं (बॉक्स III.3)।

3.222 सारांश के तौर पर सुधार के दूसरे चरण के लगभग 10 वर्षों के बाद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। इस उप-चरण के मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे - (i) अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप विवेकपूर्ण मानदंडों को सुदृढ़ बनाना तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना कि जोखिम से विरुचि की प्रवृत्ति गंभीर न होने पाए (ii) कृषि और एमएमई को ऋण का प्रवाह बढ़ाना, (iii) बहिष्कृत आबादी के बड़े खंड को बैंकिंग क्षेत्र की परिधि के भीतर लाना; (iv) कारपोरेट अभिशासन प्रथाओं को सुदृढ़ करना, (v) शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करना तथा द्वैध नियंत्रण के मुद्दे के सुलझाना; तथा (vi) ग्राहक सेवा में सुधार लाना। सभी क्षेत्र में, उल्लेखनीय सुधार हुआ। यद्यपि बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के प्रयास 1990 के दशक के आरंभ में शुरू किए गए, तथापि लागू किए गए मानदंड अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नहीं थे। साथ ही, विवेकपूर्ण मानदंड लागू किए जाने के साथ, बैंकों में जोखिम से विरुचि की प्रवृत्ति पैदा हो गई। अतः विवेकपूर्ण मानदंड सुदृढ़ करते हुए संस्थागत व्यवस्थाएं की गईं ताकि बैंक अपनी देय राशियों की वसूली शीघ्रता से कर सकें। शुरू किए गए विभिन्न उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि इससे बैंकों के एनपीएल में अवरुद्ध बड़ी राशियां वसूलने में मदद मिली। अतः बैंकों ने धीरे-धीरे जोखिम से विरुचि की प्रवृत्ति को छोड़ दिया तथा 2004-05 से ऋण में तीव्र वृद्धि शुरू हो गई। बैंकों के एनपीएल का स्तर धीरे-धीरे कम होकर विश्व स्तर पर आ गया; उनका सकल एनपीए मार्च 1997 के अंत के 15.4 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2007 के अंत में 2.5 प्रतिशत रह गया। यह इस चरण की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर औसत प्रतिलाभ में यथापरिलक्षित उनकी लाभप्रदता में और सुधार हुआ, यद्यपि यह थोड़ा था और यह 1997-98 के 0.8 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 0.9 प्रतिशत हो गया। यह उल्लेखनीय था क्योंकि इस चरण में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई जो विलय एवं अधिग्रहण संबंधी कार्यकलापों में

**सारणी 3.47 : काग़ज़ आधारित बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन**

(मात्रा हजार में तथा मूल्य करोड़ रुपये में)

| वर्ष | मात्रा | | | | मूल्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | काग़ज़ आधारित | इलेक्ट्रॉनिक | कुल | इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा (%) | काग़ज़ आधारित | इलेक्ट्रॉनिक | कुल | इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2003-04 | 10,22,800 | 1,67,554 | 11,90,354 | 14.1 | 1,15,95,960 | 49,67,811 | 1,65,63,771 | 30.0 |
| 2004-05 | 11,66,848 | 2,30,045 | 13,96,893 | 16.5 | 1,04,58,895 | 1,18,86,254 | 2,23,45,149 | 53.2 |
| 2005-06 | 12,86,758 | 2,87,489 | 15,74,247 | 18.3 | 1,13,29,134 | 2,24,39,287 | 3,37,68,420 | 66.5 |
| 2006-07 | 13,67,280 | 3,83,443 | 17,50,723 | 21.9 | 1,20,42,426 | 3,50,50,234 | 4,70,92,660 | 74.4 |

## बॉक्स III.3

## बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख सुधार - 1991-92 तथा उसके बाद

### नीतिगत सुधार

- आय निर्धारण,आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड अप्रैल 1992 में चरणबद्ध तरीके से लागू किए गए।
- जनवरी 1993 में निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए।
- बीएफएस ने 'शीघ्र चेतावनी प्रणाली' (ईडब्ल्यूएस) के लिए संकट प्रबंधन ढांचे के भाग के रूप में तथा सुभेद्य संस्थाओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए उत्प्रेरक के रूप में नवंबर 1995 में बैंकों के लिए एक कंप्यूटरीकृत अप्रत्यक्ष निगरानी और चौकसी (ऑसमॉस) प्रणाली शुरू की ।
- जनवरी 1993 से एसएलआर में चरणबद्ध कटौती शुरू की गई। एसएलआर को फरवरी 1992 के 38.5 प्रतिशत की सर्वोच्च दर से क्रमिक रूप से कम कर अक्तूबर 1997 तक 25.0 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर तक लाया गया।
- सीआरआर को अप्रैल 1993 के 15 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर से क्रमिक रूप से घटाकर जून 2003 तक 4.5 प्रतिशत के स्तर तक लाया गया। बाद में चरणों में बढ़ाकर 30 अगस्त 2008 से सीआरआर को 9.0 प्रतिशत कर दिया गया।
- अनन्य रूप से पर्यवेक्षणात्मक कार्य देखने तथा बैंकिंग प्रणाली,वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य परा-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर समन्वित तरीके से कारगर पर्यवेक्षण लागू करने के लिए रिज़र्व बैंक के भीतर जुलाई 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) की स्थापना की गई।
- आरंभ में ब्याज दर संबंधी विनिर्देशों और स्लैबों की संख्या को सरल बनाकर तथा बाद में ब्याज दरों को अविनियमित कर अप्रैल 1993 से उधार ब्याज दरों को युक्तियुक्त बनाने का कार्य शुरू किया गया।बचत जमाराशियों तथा एफसीएनआर (बी) से इतर जमा ब्याज दरों को पूर्णतः अविनियमित कर दिया गया (ब्यौरों के लिए बॉक्स III.2 देखें)।
- जून 1995 में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के तहत बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की गई।
- अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त (एमपीबीएफ) को अप्रैल 1997 से समाप्त कर दिया गया।
- बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए, बैंकों के लिए जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात को 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया।
- बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश को उदार बनाने की दृष्टि से, सरकार ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन निजी क्षेत्र के बैंकों में एफडीआइ की सीमा, एफआइआइ द्वारा किए जानेवाले निवेश सहित, स्वचालित मार्ग के तहत बढ़ाकर 2001 में 49 प्रतिशत तथा मार्च 2004 में और बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सहमत मानकों और कूटों के अनुसार ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध बैंकों के ऐच्छिक पंजीकरण हेतु स्वनियामक संगठन के दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) नामक एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई।
- निजी क्षेत्र के बैंकों में नियंत्रण के लिए फरवरी 2005 में एक व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि (i) अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण अच्छी तरह विशाखीकृत है; (ii) महत्वपूर्ण शेयरधारक 'उपयुक्त और उचित' हैं; (iii) निदेशक तथा सीईओ 'उपयुक्त और उचित' हैं तथा सुदृढ़ कंपनी नियंत्रण सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं; (iv) निजी क्षेत्र के बैंक इष्टतम परिचालनों तथा प्रणालीगत स्थिरता के लिए न्यूनतम पूंजी रखते हैं; तथा (v) नीति और प्रक्रियाएं पारदर्शी तथा उचित हैं।
- भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए फरवरी 2005 में रोडमैप तैयार किया गया।
- शहरी सहकारी बैंकों पर द्वैध नियंत्रण की समस्या को दूर करने के लिए मार्च 2005 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्यस्तरीय कार्यबल (टीएएफसीयूबी) की प्रक्रिया तैयार की गई जिसमें रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार तथा शहरी सहकारी बैंकों के फेडरेशन/संघ के प्रतिनिधि शामिल किए गए।
- अप्रैल 2004 में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) नामक दृष्टिकोण का आरंभ सहयोगी आधार पर किया गया जिसके तहत प्रत्येक संस्था के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार उस पर निगरानी की जाती है।
- नवंबर 2005 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे शून्य अथवा कम न्यूनतम शेष राशि सहित 'नो फ्रिल्स' खाते की सुविधा आरंभ करें।
- जनवरी 2006 में, बैंकों को अनुमति दी गई कि वे व्यवसाय सुसाध्यकर्ता (बीएफ) तथा व्यवसाय संपर्की (बीसी) मॉडल का उपयोग कर वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यस्थों के रूप में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ/एसएचजी), व्यष्टि वित्त संस्थाओं और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

### विधिक सुधार

- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 में बनाया गया जिसके तहत अनर्जक ऋणों की वसूली तथा त्वरित अधिनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। उक्त अधिनियम बनाए जाने पर कई स्थानों पर ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) की स्थापना की गई।
- जनता से निधियां जुटाने के लिए सीधे पूंजी बाजार में पहुंचने की अनुमति सरकारी क्षेत्र के बैंकों को देने के लिए, अक्तूबर 1993 में एक अध्यादेश जारी कर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 को संशोधित किया गया ताकि भारतीय स्टेट बैंक आंशिक निजी शेयरधारिता के प्रावधान की व्याप्ति को बढ़ा सके।
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 में संशोधन किए गए ताकि राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजी बाजार में पहुंचने की अनुमति मिल सके, जो इस शर्त के अधीन होगा कि सरकारी स्वामित्व राष्ट्रीयकृत बैंक की इक्विटी का कम से कम 51 प्रतिशत पर बना रहेगा।
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 मार्च 2002 में अधिनियमित किया गया।
- जून 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42 में संशोधन कर सीआरआर पर अधिकतम सीमा (20 प्रतिशत) और न्यूनतम सीमा (3 प्रतिशत) को समाप्त कर दिया गया।
- जनवरी 2007 में बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 24 में संशोधन कर बैंकों द्वारा सांविधिक रूप से धारित किए जानेवाले एसएलआर पर 25 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई।

हुई वृद्धि तथा निवल ब्याज मार्जिन में आई कमी में दिखाई देता है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के बावजूद अन्य बातों के साथ-साथ (क)एनपीए में तीव्र गिरावट (ख) ऋण की मात्रा में वृद्धि के कारण लाभप्रदता में सुधार हुआ। एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में अपनी लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए बैंकों ने अपने कार्यकलापों को अधिकाधिक विशाखीकृत भी किया। इससे, बदले में, बैंकों की अगुवाई वाले समूहों - वित्तीय संगुटों का उदय हुआ। बैंकों का पूंजी-पर्याप्तता अनुपात भी मार्च 1997 के अंत के 8.7 से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 12.9 प्रतिशत हो गया। अलग-अलग बैंकों के स्तर पर, अधिकांश बैंकों का सीआरएआर 10 प्रतिशत, अर्थात, निर्धारित लक्ष्य से अधिक था, जो अपने आप में अंतरराष्ट्रीय मानदंड से उच्चतर था। इस प्रकार 1990 के दशक के आरंभ में शुरू किए गए सुधारों का प्रभाव इस चरण में स्पष्ट दिखाई देने लगा जब भारतीय बैंकिंग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी, लाभप्रद और सुदृढ़ हो गया।

3.223 इस चरण में, भारत में बैंकों में कंपनी अभिशासन प्रथाओं संबंधी दो प्रमुख चिंताएं उत्पन्न हुईं। ये स्वामित्व के संकेंद्रण तथा बैंक को नियंत्रित करने वाले प्रबंधन की गुणवत्ता से संबंधित थीं। अतः उपयुक्त मानदंड बनाए गए ताकि स्वामित्व का विशाखीकरण और स्वामियों एवं निदेशकों द्वारा 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

3.224 1990 के दशक में तथा वर्तमान दशक के आरंभिक वर्षों में एसएमई और कृषि क्षेत्र को ऋण में कमी आयी। दोनों क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए, सरकार तथा रिज़र्व बैंक ने इन क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए समंजित प्रयास किए। फलस्वरूप, बैंकों द्वारा कृषि एवं एसएमई को उधार देने में गिरावट की प्रवृत्ति बदल गई। कृषि को ऋण में हुई तीव्र वृद्धि ने कृषि की ऋण गहनता में तीव्र वृद्धि की। आरआरबी का विलय राज्य स्तर पर प्रायोजक बैंकवार करके उनका पुनर्विन्यास करने से वे ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी के बेहतर साधन के रूप में कार्य करने के लिए अधिक व्यापक और अधिक सुदृढ़ हो गए। हाल के वर्षों में एसएमई को ऋण वृद्धि भी तेज हो गई, यद्यपि 2007 में कुल बैंक ऋण में एसएमई क्षेत्र को दिए गए ऋण का हिस्सा तथा एसएमई क्षेत्र की ऋण गहनता 1991 की तुलना में काफी कम थी।

3.225 कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा की गई तीव्र प्रगति के बावजूद, कम आय वाली आबादी का एक बड़ा भाग बैंकिंग प्रणाली के बाहर बना रहा। अतः बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे शून्य या न्यूनतम शेष के साथ 'नो फ्रिल्स' खाते खोलें। इसका उल्लेखनीय सकारात्मक असर पड़ा क्योंकि बैंकों ने 2 वर्ष की अल्प अवधि में वित्तीय रूप से निष्कासित काफी अधिक जनता को (लगभग 13 मिलियन) अपने दायरे में लिया। यूसीबी क्षेत्र में विश्वास समाप्त होना इस उप-चरण का एक और मुद्दा था। इस प्रकार यूसीबी के बारे में मुख्य चुनौती थी - यूसीबी क्षेत्र में विश्वास को बहाल करना तथा द्वैध नियंत्रण की समस्या को दूर करना। रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार तथा यूसीबी के संघ के प्रतिनिधियों को शामिल कर शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में कार्यबल (टैफकब) की प्रक्रिया अपनायी गई ताकि संबंधित राज्य में संभाव्य रूप से अर्थक्षम और गैर अर्थक्षम यूसीबी की पहचान की जा सके और पहले के लिए पुनर्जीवन का मार्ग तय किया जा सके और यूसीबी के दूसरे सेट के लिए अविघटनात्मक रूप से समाप्ति का उपाय किया जा सके। अब तक टैफकब का गठन करते हुए 19 राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। यूसीबी क्षेत्र में विश्वास को बहाल किया गया जो 2004-05 की ऋणात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति को पलटते हुए हाल के वर्षों में जमा दरों की सकारात्मक वृद्धि में दिखाई देता है। यूसीबी क्षेत्र की समग्र गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, जो कुल यूसीबी में से ग्रेड III तथा IV यूसीबी (जो कमजोरी/रुग्णता का सूचक है) की संख्या में आई कमी से स्पष्ट है।

3.226 इस चरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनेक शाखाओं (कुल शाखाओं के 86 प्रतिशत) को कंप्यूटरीकृत किया गया, जिसमें से लगभग आधी मूल बैंकिंग समाधान के तहत लाई गईं। संस्थापित एटीएम की संख्या में भी वृद्धि हुई। इससे बैंकों को ग्राहक सेवा सुधारने में मदद मिली। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संबंधी लेनदेनों के उपयोग में भी तीव्र वृद्धि हुई। एक विशिष्ट प्रक्रिया भी बनाई गई ताकि ग्राहक सेवा के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कूट और मानक के प्रति बेंचमार्क तैयार किया जा सके। कुल मिलाकर इस चरण के अंत तक बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक रूपांतरण हुआ तथा वह कम लाभप्रदता, कमजोर पूंजी आधार, खराब आस्ति गुणवत्ता से बदल कर लाभप्रद, सुदृढ़ पूंजीयुक्त और उच्च आस्ति गुणवत्ता की श्रेणी में आ गया।

## VI. सारांश

3.227 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। आरंभिक चरण (1947 तक) बैंकिंग क्षेत्र के लिए कठिन अवधि रहा है। बड़ी संख्या में बैंक आ गए क्योंकि उनके लिए प्रवेश संबंधी कोई मानदंड नहीं थे। इस चरण में स्वदेशी आंदोलन के कारण कई भारतीय बैंकों की स्थापना हुई, जिनमें से अधिकांश अभी भी कार्य कर रहे हैं। इस चरण में, जिसके दौरान दो विश्व युद्ध हुए तथा महान मंदी आई, कई बैंक विफल हुए। अधिकांश छोटे बैंक स्थानीय स्वरूप के थे तथा उनका पूंजी आधार कम था। फलस्वरूप, उनमें पर्याप्त लचीलापन नहीं था। छोटे बैंकों की विफलता के वैश्विक कारणों के अलावा एक प्रमुख कारण यह भी था कि निदेशकों और प्रबंधकों द्वारा धोखाधड़ी की जाती

थी तथा अंतर-संबद्ध उधार दिए जाते थे। साथ ही, विफल हुए कई बैंकों ने बैंकिंग कार्यों के साथ ट्रेडिंग संबंधी कार्यों को जोड़ रखा था। अंशतः, बैंक विफलता की समस्या का समाधान करने के लिए 1935 में रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई। वस्तुतः, अमरीका सहित कई अन्य देशों में बैंक विफलता की समस्या का समाधान करने के लिए भी केंद्रीय बैंकों की स्थापना की गई। तथापि, बैंकों पर रिज़र्व बैंक का सीमित नियंत्रण था और उपयुक्त विनियामक ढांचे के अभाव ने छोटे बैंकों के कारगर विनियमन की समस्या उत्पन्न की। इस चरण के अंत तक , देश की वित्तीय अपेक्षाएं बड़ी मात्रा में अभी भी असंगठित क्षेत्र द्वारा पूरी की जा रही थीं। बैंकिंग क्षेत्र का ध्यान शहरी क्षेत्र की ओर था तथा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों की उपेक्षा की जा रही थी। यद्यपि सहकारी ऋण आंदोलन की शुरुआत काफी उत्साहजनक थी, सरकार के संरक्षण के बावजूद इसमें प्रत्याशित प्रगति नहीं हुई थी।

3.228 आजादी के बाद की अवधि को मोटे तौर पर तीन चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः (i) 1947 से 1967 तक; (ii) 1967 से 1991-92 तक ; तथा (iii) 1991-92 और उसके बाद । आजादी के आरंभ के चरण में मौजूद बैंकिंग परिदृश्य के सामने तीन मुख्य मुद्दे थे। पहला, बैंकों की विफलता ने बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता और स्थिरता के बारे में चिंताएं पैदा कर दीं। दूसरा, जमा संग्रहण से प्राप्त संसाधनों का कुछ व्यावसायिक परिवारों या समूहों में व्यापक संकेंद्रण हुआ। बैंकों ने निधियां जुटाईं तथा उनको मोटे तौर पर अपनी नियंत्रक संस्थाओं को उधार के रूप में दिया। तीसरा, जहां तक बैंक ऋण का संबंध था, कृषि की अब तक उपेक्षा हुई थी। बैंक विफलता के मुद्दे का समाधान करने के लिए, 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम (जिसे मार्च 1966 में बैंककारी विनियमन अधिनियम का नाम दिया गया) बनाकर बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण का अधिकार रिज़र्व बैंक को दिया गया। आजादी तथा बैंकिंग कंपनी अधिनियम बनाए जाने के बाद भी बैंकों का विफल होना जारी रहा, यद्यपि विफल होनेवाले बैंकों की संख्या में गिरावट आ गई।अतः यह महसूस किया गया कि दिवालिया बैंकों का समापन बेहतर उपाय होगा। अतः 1960 के दशक के आरंभ में रिज़र्व बैंक को छोटे बैंकों के समेकन, अनिवार्य समामेलन और परिसमापन की शक्तियां प्रदान की गईं। यद्यपि कुछ बैंकों का समामेलन 1960 के दशक के पहले हो गया था, तथापि 1960 और 1966 के बीच समामेलित होनेवाले बैंकों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। कई अन्य छोटे बैंकों ने भी अन्यथा कार्य करना बंद कर दिया। रिज़र्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र की सुरक्षा और सुदृढ़ता में सुधार लाने में काफी सफल रहा क्योंकि कई कमजोर बैंकों (जिनमें से अधिकांश गैर अनुसूचित थे) की छंटनी समामेलन/ परिसमापन के जरिए कर दी गई। जमा बीमा की शुरुआत भी की गई, जिसने जमाकर्ताओं का विश्वास बैंकिंग प्रणाली में बढ़ा दिया और जमा संग्रहण को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार, भारत में बैंकिंग के आरंभिक वर्षों में ऐसी कई घटनाएं हुईं जो यह सुझाती हैं कि छोटे और कमजोर बैंकों ने अस्तित्व में बने रहने के लिए संघर्ष किया। हाल के वर्षों में भी कई छोटे बैंकों का विलय बड़े बैंकों के साथ किया गया है। इस चरण के अंत तक बैंकिंग के विकास की एक और विशेषता यह है कि छोटे बैंकों की मौजूदगी के बावजूद, आबादी का एक बड़ा भाग बैंकिंग प्रणाली से बाहर बना रहा। दूसरे शब्दों में छोटे बैंकों की मौजूदगी ने आवश्यक तौर पर वित्तीय समावेशन का संवर्धन नहीं किया।

3.229 आजादी की पूर्व संध्या पर बैंकिंग प्रणाली प्राथमिक तौर पर शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में संकेंद्रित थी। अतः विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक और शाखा लाइसेंसिंग नीति के माध्यम से ग्रामीण और बैंक सुविधारहित क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार करने के प्रयास किए गए। 1951 तथा 1967 के बीच बैंक शाखाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप प्रति शाखा औसत आबादी 1951 के 1,36,000 से कम होकर 1969 में 65,000 रह गई। तथापि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का स्वरूप मोटे तौर पर वैसा ही बना रहा।

3.230 यद्यपि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में 1950 और 1960 के दशक में काफी प्रगति की थी, इसके लाभ ऋण तक पहुंच के रूप में आम जनता को नहीं मिल सके। इसका प्राथमिक कारण बैंकों और औद्योगिक घरानों के बीच मौजूद अंतर-संबंध था जिसकी वजह से उन्होंने बैंक ऋण का बड़ा भाग लेकर कृषि और लघु उद्योगों के लिए बहुत कम राशि छोड़ी। अतः कृषि को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। तथापि, कुल बैंक ऋण में कृषि का हिस्सा मोटे तौर पर 1951 और 1967 के बीच के स्तर पर बना रहा। इस अवधि में जमा दरों में वृद्धि तथा साथ ही उत्पादक कार्यकलापों के लिए ऋण की लागत को उचित रूप से कम रखने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के कारण ब्याज दरों की संरचना तथा अन्य व्यष्टि नियंत्रण जटिल हो गए।

3.231 आजादी के बाद के दूसरे चरण (1967 से 1991-92) की विशेषता यह थी कि उस समय बैंकिंग क्षेत्र पर कई सामाजिक नियंत्रण थे। बैंक और उद्योग के बीच गहरा अंतर-संबंध इस चरण की शुरुआत का प्रमुख मुद्दा था, जिसके फलस्वरूप कृषि की उपेक्षा की गई।अतः इस चरण में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि उक्त अंतर-संबंध को तोड़कर कृषि के प्रति ऋण के प्रवाह में सुधार लाया जाए। देश में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा प्राथमिकताप्राप्त उधार इस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए प्रमुख साधन थे। इन पहलों का पूरे देश में बैंक-शाखा नेटवर्क फैलाने में सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे बदले में संसाधन संग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आई। 1969 से देखे गए तीव्र शाखा विस्तार के फलस्वरूप प्रति बैंक कार्यालय औसत आबादी, जो राष्ट्रीयकरण के समय 65,000 थी, दिसंबर 1990 के

अंत तक घटकर 14,000 रह गई। व्यापक शाखा विस्तार के फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली की जमाराशियों और ऋण में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, भी वृद्धि हुई। कुल बैंक ऋण में कृषि के प्रति ऋण का हिस्सा 1967 के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर जून 1989 में 15.8 प्रतिशत हो गया। तथापि, इन उपलब्धियों के लिए बैंकिंग संस्थाओं के स्वास्थ्य के रूप में कीमत चुकानी पड़ी। बैंकों ने उनकी लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता तथा सुदृढ़ता की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण में हुई वृद्धि से अन्य क्षेत्रों को ऋण में कटौती करनी पड़ी। अतः कंपनी क्षेत्र को दिए जानेवाले ऋण के बारे में कुछ वित्तीय अनुशासन लाने का प्रयास किया गया। तथापि, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदंड अत्यधिक सख्त पाए गए। दूसरी ओर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऋण मूल्यांकन मानकों को कम करना पड़ा। उच्च सांविधिक पूर्वक्रयों ने बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता पर खराब असर डाला। पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की कमी के फलस्वरूप उत्पादकता तथा प्रणाली की दक्षता में गिरावट आई। इस चरण के अंत में, बैंकों के पास बड़ी मात्रा में अनर्जक आस्तियां थीं। बैंकों की पूंजी की स्थिति कमजोर हो गई तथा उनमें लाभ के प्रयोजन की कमी दिखने लगी। इस अवधि के दौरान, जमा और उधार दर संरचना बहुत जटिल हो गई। 1980 के दशक के आरंभ तक, बैंकिंग क्षेत्र व्यापक रूप से निजी स्वामित्ववाली प्रणाली से रूपांतरित होकर सरकारी क्षेत्र की प्रधानतावाली प्रणाली बन गया। 1980 के दशक के मध्य में बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता, स्वास्थ्य और सुदृढ़ता में उदारता और सुधार लाने के कुछ प्रयास किए गए। इस चरण में बैंकिंग कार्यकलापों में कुछ विशाखीकरण भी देखा गया।

3.232 बैंकिंग के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण वित्तीय क्षेत्र सुधार का चरण था, जो 1991-92 में शुरू हुआ तथा जिसके दो उप-चरण (1991-92 से 1997-98 तक; तथा 1998-99 और उसके बाद) थे। बैंकिंग क्षेत्र की खराब स्थिति, कम लाभप्रदता, कमजोर पूंजी आधार और पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की कमी पहले उप-चरण (1991-92 से 1997-98 तक) की मुख्य समस्याएं थीं। इस प्रकार आरंभिक चरण के सुधारों में विवेकपूर्ण मानदंड लागू करके , परिचालनार्थ लचीलापन प्रदान करके तथा कार्यपरक स्वायत्तता देकर और पर्यवेक्षणात्मक प्रथाओं को सुदृढ़ करके वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए, प्रणाली के तहत निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश की अनुमति देने जैसे कई उपाय किए गए। बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार इस चरण की प्रमुख उपलब्धि थी। आस्ति गुणवत्ता, पूंजी की स्थिति और प्रतिस्पर्धी स्थितियों में भी कुछ सुधार देखा गया, फिर भी और सुधार की काफी गुंजाइश थी। तथापि, इस चरण में बैंकों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति विकसित हो गई, जिसके फलस्वरूप आम तौर पर ऋण विस्तार में तथा विशेष तौर पर कृषि में मंदी आ गई।

3.233 दूसरे उप-चरण (1998-99 और उसके बाद) में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप विवेकपूर्ण मानदंडों को और सुदृढ़ करने, ऋण सुपुर्दगी में सुधार लाने, कंपनी अभिशासन प्रथाओं को मजबूत बनाने, वित्तीय समावेशन के संवर्धन, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा ग्राहक सेवा को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विवेकपूर्ण मानदंडों को सुदृढ़ बनाते समय, यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति, जो पिछले उप-चरण में आई थी, गंभीर न होने पाए। अतः उपयुक्त संस्थागत उपाय करने पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि बैंक अपने एनपीएल की वसूली कर सकें। इन उपायों का उत्साहजनक असर पड़ा क्योंकि बैंक अपनी अनर्जक आस्तियां तेजी से घटाने में समर्थ हुए। यह इस चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आस्ति की गुणवत्ता में सुधार शुरू होने के साथ बैंकों ने अपने ऋण संविभाग का विस्तार करना भी शुरू कर दिया। बैंकों की पूंजी स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। इस चरण में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई जैसाकि मार्जिन में आई कमी में दिखाई दिया। तथापि, इसके बावजूद बैंकों ने बढ़ी हुई मात्रा तथा आस्ति गुणवत्ता में सुधार के कारण अन्य संस्थाओं के बीच अपनी लाभप्रदता में थोड़ा सुधार दिखाया। बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही कंपनी अभिशासन प्रथाओं में दो चिंताएं उत्पन्न हुईं, जो बैंकों को नियंत्रित करनेवाले संकेंद्रित स्वामित्व तथा प्रबंधन की गुणवत्ता से संबंधित थीं। अतः कंपनी अभिशासन प्रथाओं को सुदृढ़ किया गया। कृषि और एसएमई क्षेत्रों को ऋण प्रवाह में तीव्र वृद्धि इस चरण की एक और प्रमुख उपलब्धि थी। निष्कासित जनसंख्या से बड़े भाग को बैंकिंग क्षेत्र के भीतर लाने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया गया कि वे 'नो फ्रिल्स' खातों की सुविधा शुरू करें। दो साल की अल्प अवधि में लगभग 13 मिलियन 'नो फ्रिल्स' खाते खोले गए। एक बहुराज्यीय सहकारी बैंक पर हुई भगदड़ के कारण 2000 दशक के आरंभ में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास में कमी आई। विश्वास को बहाल करने तथा शहरी सहकारी बैंकों पर द्वैध नियंत्रण की समस्या दूर करने के लिए टैफकब की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास को बहाल करने में मदद मिली। इस चरण में बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग में कुछ उल्लेखनीय बदलाव भी देखे गए। कुछ अन्य विशिष्ट पहलों के साथ प्रौद्योगिकी के बढ़े हुए उपयोग से बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा में सुधार लाने में मदद मिली।

## अनुबंध III.1 : भारत में बैंक विफलताएं, उनका परिसमापन और समामेलन : 1913 -2007

*पैनल अ : विफल बैंकों की संख्या : 1913 से 1955*

| वर्ष (जन.-दिसंबर) | बैंकों की संख्या | वर्ष (जन.-दिसंबर) | बैंकों की संख्या | वर्ष (जन.-दिसंबर) | बैंकों की संख्या | वर्ष (जन.-दिसंबर) | बैंकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1913 | 12 | 1924 | 18 | 1935 | 51 | 1946 | 27 |
| 1914 | 42 | 1925 | 17 | 1936 | 88 | 1947 | 38 |
| 1915 | 11 | 1926 | 14 | 1937 | 65 | 1948 | 45 |
| 1916 | 13 | 1927 | 16 | 1938 | 73 | 1949 | 55 |
| 1917 | 9 | 1928 | 13 | 1939 | 117 | 1950 | 45 |
| 1918 | 7 | 1929 | 11 | 1940 | 107 | 1951 | 60 |
| 1919 | 4 | 1930 | 12 | 1941 | 94 | 1952 | 31 |
| 1920 | 3 | 1931 | 18 | 1942 | 50 | 1953 | 31 |
| 1921 | 7 | 1932 | 24 | 1943 | 59 | 1954 | 27 |
| 1922 | 15 | 1933 | 26 | 1944 | 28 | 1955 | 29 |
| 1923 | 20 | 1934 | 30 | 1945 | 27 | | |

*पैनल आ : समामेलित और परिसमाप्त बैंकों की संख्या : 1956-1979*

| वर्ष (जनवरी–दिसंबर) | अनिवार्यतः समामेलित बैंक* | ऐच्छिक रूप से समामेलित बैंक** | बैंक, जिन्होंने अन्यथा कार्य करना बंद कर दिया / जिन्होंने अपनी देयताएं और आस्तियां अंतरित कर दीं | बैंक, जिनका ऐच्छिक परिसमापन शुरू किया गया | बैंक, जिनका अनिवार्य परिसमापन शुरू किया गया | कुल (स्तंभ 2 से स्तंभ 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1956 | – | – | 6 | 16 | 6 | 28 |
| 1957 | – | 1 | 10 | 16 | 3 | 30 |
| 1958 | – | 4 | 10 | 9 | 5 | 28 |
| 1959 | – | 4 | 20 | 7 | 7 | 38 |
| 1960 | – | 2 | 15 | 4 | 5 | 26 |
| 1961 | 30 | – | 9 | 5 | 3 | 47 |
| 1962 | 1 | 3 | 22 | 4 | 3 | 33 |
| 1963 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 20 |
| 1964 | 9 | 7 | 63 | 3 | – | 82 |
| 1965 | 4 | 5 | 24 | 6 | 3 | 42 |
| 1966 | – | – | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 1967 | – | – | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 1968 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 1969 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 1970 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 1971 | – | – | – | 2 | 1 | 3 |
| 1972 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 1973 | – | – | 1 | 2 | – | 3 |
| 1974 | – | – | 1 | 1 | – | 2 |
| 1975 | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 1976 | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 1977 | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 1979 | – | – | – | 1 | – | 1 |

*(क्रमशः)*

## अनुबंध III.1 : भारत में बैंक विफलताएं, उनका परिसमापन और समामेलन : 1913 -2007 (समाप्त)

*पैनल इः समामेलित बैंक 1980-2007*

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) | समामेलित बैंकों की संख्या | वर्ष (अप्रैल-मार्च) | समामेलित बैंकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1980@ | – | 1993-94 | – |
| 1981@ | – | 1994-95 | – |
| 1982@ | – | 1995-96 | 1 |
| 1983@ | – | 1996-97 | 1 |
| 1984@ | – | 1997-98 | – |
| 1985@ | 3 | 1998-99 | 2 |
| 1986@ | 1 | 1999-2000 | 1 |
| 1987@ | – | 2000-01 | 1 |
| 1988@ | 1 | 2001-02 | 1 |
| 1988-89 | 1 | 2002-03 | 1 |
| 1989-90 | 4 | 2003-04 | 2 |
| 1990-91 | – | 2004-05 | 2 |
| 1991-92 | – | 2005-06 | 2 |
| 1992-93 | 1 | 2006-07 | 2 |

'–' : शून्य, नगण्य
@ : जनवरी - दिसंबर आधार पर
* : बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत
** : बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44क के तहत

**स्रोत :** 1. भारत स्थित बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां, विभिन्न अंक।
2. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07

## अनुबंध III.2 : बैंकों की संख्या

**पैनल अ**

| दिसंबर के अंत में | प्रेसीडेंसी / इंपीरियल बैंक | विनिमय बैंक | श्रेणी क | श्रेणी ब | सूचना देनेवाले कुल बैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | 3 | 3 | 2 | – | 8 |
| 1880 | 3 | 4 | 3 | – | 10 |
| 1886 | 3 | 4 | 5 | – | 12 |
| 1887 | 3 | 4 | 5 | – | 12 |
| 1890 | 3 | 5 | 5 | – | 13 |
| 1900 | 3 | 8 | 9 | – | 20 |
| 1910 | 3 | 11 | 16 | – | 30 |
| 1913 | 3 | 12 | 18 | 23 | 56 |
| 1920 | 3 | 15 | 25 | 33 | 76 |
| 1930 | 1* | 18 | 31 | 57 | 107 |
| 1934 | 1 | 17 | 36 | 69 | 123 |
| 1935 | 1 | 17 | 38 | 62 | 118 |

**पैनल आ**

| | अनुसूचित बैंक | | | | गैर-अनुसूचित बैंक | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिसंबर के अंत में | प्रेसीडेंसी/ इपीरियल बैंक | विनिमय बैंक श्रेणी | श्रेणी क 1 | कुल | श्रेणी क 2 | श्रेणी ख | श्रेणी ग | श्रेणी घ | कुल | कुल बैंक |
| 1936 | 1 | 19 | 27 | 47 | 9 | 71 | – | – | 80 | 127 |
| 1940 | 1 | 20 | 41 | 62 | 17 | 122 | 121 | 332 | 592 | 654 |
| 1945 | 1 | 15 | 75 | 91 | 67 | 188 | 137 | 254 | 646 | 737 |
| 1947 | 1 | 15 | 80 | 96 | 68 | 185 | 119 | 188 | 560 | 656 |
| 1950 | 1 | 16 | 74 | 91 | 73 | 189 | 123 | 124 | 509 | 600 |
| 1951 | 1 | 16 | 75 | 92 | 70 | 186 | 117 | 96 | 469 | 561 |
| 1952 | 1 | 15 | 75 | 91 | 70 | 194 | 114 | 60 | 438 | 529 |
| 1960 | ** | | | 93# | 38 | 143 | 69 | 1 | 251 | 344 |
| 1967 | – | – | – | 71# | – | – | – | – | 20 | 91 |
| 1969 | – | – | – | 71# | – | – | – | – | 14 £ | 85 |
| 1980 $ | – | – | – | 81# | – | – | – | – | 3 | 84 |
| 1990 $ | – | – | – | 74# | – | – | – | – | 3 | 77 |
| 2000 $ | – | – | – | 101# | – | – | – | – | 0 | 101 |
| 2007 $ | – | – | – | 83# | – | – | – | – | 0 | 83 |

# : भारतीय स्टेट बैंक, विदेशी बैंकों तथा अन्य अनुसूचित बैंकों सहित।
* : 1921 में तीन प्रेसीडेंसी बैंकों का समामेलन करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया।
** : 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया।
$ : मार्च के अंत में।
£ : 1964 से, प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों के आधार पर गैर अनुसूचित बैंकों को क 2, ख, ग तथा घ बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया जाना बंद कर दिया गया तथा सभी गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को एक समूह के रूप में माना गया।

**टिप्पणी** : 1. मई 1997 से कोई गैर अनुसूचित बैंक नहीं है।
2. श्रेणी क में ऐसे बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 5 लाख रुपये से अधिक हों।
3. श्रेणी क1 में ऐसे बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 5 लाख रुपये से अधिक हों और जो भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हों।
4. श्रेणी क2 में गैर अनुसूचित बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 5 लाख रुपये से अधिक हों।
5. श्रेणी ख में गैर अनुसूचित बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 1 लाख रुपये से अधिक परंतु 5 लाख रुपये से कम हों।
6. श्रेणी ग में गैर अनुसूचित बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 50,000 रुपये से अधिक परंतु 1 लाख रुपये तक हों।
7. श्रेणी घ में ऐसे बैंक आते हैं, जिनकी पूंजी और आरक्षित निधियां 50,000 रुपये से कम हों।

**स्रोत :** भारत में बैंकिंग और मौद्रिक सांख्यिकी, भारिबैं, 1954।
भारत में बैंकों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां, विभिन्न अंक।

# IV संसाधन संग्रहण का प्रबंधन

4.1 किसी अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश की प्रक्रिया ऐसे वित्तीय ढांचे के चारों ओर संगठित की जाती है जिससे आर्थिक वृद्धि सुकर होती है। एक सुव्यवस्थित वित्तीय प्रणाली बचतों के कारगर संग्रहण तथा, या तो केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाकर या विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाकर या दोनों के समन्वयन से, सर्वाधिक उत्पादक उपयोगों में उनके आबंटन द्वारा वृद्धि का संवर्धन करती है। प्रतिरूपी तौर पर, कम विकसित पूंजी बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाएं एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाती हैं, जिसके द्वारा वित्तीय मध्यस्थ बचतकर्ताओं से संसाधन जुटाकर उन्हें उधारकर्ताओं को आबंटित करते हैं। परंपरागत तौर पर, बैंकों ने वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है क्योंकि वे एक वित्तीय प्रणाली में लेनदेन की लागतों तथा वित्तीय प्रणाली में सूचना की असममितियों के साथ अधिक उपयुक्त तौर पर निपटने में सक्षम है। वित्तीय बाजार विकसित होने के साथ लेनदेन की लागत तथा सूचना की असममितियां कम होती हैं, बचत-निवेश प्रक्रिया के मार्गदर्शन के लिए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का महत्व भी बढ़ जाता है, तथा अतिरिक्त संसाधन वाले परिवार पूंजी बाजार लिखतों में अधिकाधिक निवेश करते हैं। ऐतिहासिक अनुभव यह दर्शाता है कि बाजार मध्यस्थता वाली अर्थव्यवस्थाओं सहित वस्तुतः सभी अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों ने संसाधन संग्रहण तथा वृद्धि की प्रक्रिया के समर्थन में केंद्रीय भूमिका अदा की है, तथा यह कि बैंकों और अन्य मध्यस्थों का विकास होने से वित्तीय बाजारों का विकास स्वयं सुकर हुआ है।

4.2 संसाधन संग्रहण की प्रक्रिया में बैंकों की भूमिका की उत्पत्ति उन फर्मों में निहित है, जो वित्त के बाह्य स्रोतों पर, विशेष तौर पर अपने निर्माण की अवस्थाओं में, अत्यधिक निर्भर रहते हैं। विशेष तौर पर बैंकों ने अपने विकास के महत्वपूर्ण चरणों में 'टेक-ऑफ' के अभियंत्रण में बेल्जियम, जर्मनी, इटली तथा जापान जैसी कई अर्थव्यवस्थाओं में निवेश प्रयासों के समन्वयन में प्रमुख भूमिका निभाई है। बैंकों द्वारा संसाधन संग्रहण आर्थिक विकास के 'प्रेरक' के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। इन अर्थव्यवस्थाओं के 'टेक-ऑफ की अवस्था' में, बड़े तथा सशक्त बैंक आरंभ में कुछ संस्थापकों के पूंजी अंशदान पर निर्भर रहे तथा उसके बाद औद्योगिक उधार संबंधी उनके संविभाग के बढ़ने पर, उन्होंने निधियों के प्रमुख स्रोत के रूप में जमाराशि का आश्रय लिया। बाजारों का विकास होने के साथ, उधार भी बैंकों की निधियों का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया।

4.3 ऐतिहासिक रूप से, भारत में बैंकों द्वारा की गई वित्तीय मध्यस्थता ने, विशेष तौर पर 1960 के दशक के उत्तरार्ध में 14 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, बचत आस्तियां जुटाकर वृद्धि की प्रक्रिया के समर्थन में केंद्रीय भूमिका अदा की है। बैंक घरेलू क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख अधिशेष क्षेत्र है, से जमाराशियां जुटाने में विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं, जिसने बदले में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत बढ़ाने तथा इस प्रकार समग्र बचत दर बढ़ाने में मदद की है। वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण तथा अन्य विभिन्न बचत लिखतों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के बावजूद, बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय मध्यस्थता में प्रमुख भूमिका निभाते जा रहे हैं। ब्याज दर के अविनियमन ने प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाने में बैंकों के लिए नए क्षेत्र खोल दिए हैं। इसके अलावा, सभी वित्तीय लेनदेनों के लिए समाशोधन एवं निपटान का अंतिम प्लेटफार्म होने के नाते बैंक अन्य क्षेत्रों तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थकों को लेखा तथा संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

4.4 हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यनिष्पादन में सुदृढ़ वृद्धि हुई है तथा बैंकों ने अपेक्षित मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभाई है। वृद्धि की प्रक्रिया बनाए रखने के लिए, बैंकों को बड़े पैमाने पर निधि प्रदान करना जारी रखना होगा। भारत में ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बचत की काफी संभाव्यता मौजूद है। साथ ही भारत में देशी बचत का काफी बड़ा भाग अनुत्पादक भौतिक आस्तियों में अवरुद्ध है। अब तक अदोहित क्षेत्रों से बचत के संग्रहण तथा भौतिक बचतों को वित्तीय बचतों में रूपांतरित करने से ऐसे उपयुक्त प्रोडक्ट शुरू करना आवश्यक होगा जो बचतकर्ताओं की मांग के अनुकूल हो। बैंक वस्तुतः ऐसा करने की आदर्श स्थिति में हैं क्योंकि जमाराशियों में सुरक्षा और तरलता जैसी कुछ अंतर्निहित विशेषताएं होती हैं।

4.5 जमाराशि जुटाने के अलावा, संसाधन संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए बैंक देश तथा विदेश दोनों में गैर जमा संसाधनों पर भी निर्भर रहते हैं। गैर जमा संसाधनों का एक हिस्सा उधार से आता है, जो बैंकों की निधि संबंधी जरूरतें तुरंत बढ़ाने में मदद करता है। तथापि, ब्याज दर तथा विनिमय दर संबंधी संभाव्य जोखिमों के बीच उनकी उपलब्धता तथा उधार की लागत के प्रबंधन की भी चुनौती होती है। इस प्रकार, उधार के कारगर उपयोग के लिए बैंकों द्वारा जोखिम प्रबंधन की उपयुक्त प्रणाली अपेक्षित है।

4.6 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में संसाधन संग्रहण की विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है तथा वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में और भारत में आर्थिक वृद्धि के समर्थन में बैंकों के सामने उपस्थित गुंजाइश और चुनौतियों का पता लगाया गया है। इस अध्याय को छः खण्डों में संगठित किया गया है। खण्ड II में बैंकों की मध्यस्थता की भूमिका के बारे में सैद्धांतिक समर्थन प्रस्तुत किया गया है। खण्ड III

में, भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह पर आधारित संसाधन संग्रहण में वित्तीय मध्यस्थकों द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका का विश्लेषण करने के बाद, भारत में बैंकों द्वारा जमा संग्रहण की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की ब्यौरेवार जांच की गयी है। बैंकों की देयता संबंधी संरचना में जमाराशियों के महत्व की भी चर्चा इस खण्ड में की गयी है। खण्ड IV में, उपयुक्त सीख लेने की दृष्टि से वित्तीय रूप से उदारीकृत तथा वैश्वीकृत वातावरण में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका संबंधी विभिन्न देशों के अनुभवों को शामिल किया गया है। खण्ड V में, भारत स्थित बैंकों के सामने उपस्थित उभरते मुद्दों तथा चुनौतियों की पहचान की गयी है और संसाधन संग्रहण की चुनौती को कारगर तरीके से पूरा करने के लिए भावी उपाय के तौर पर सुझाव दिए गए हैं। खण्ड VI में, इस अध्याय को समाप्त किया गया है।

## II. सैद्धांतिक समर्थन

4.7 परंपरागत साहित्य के अनुसार, देशी वित्तीय प्रणाली तीन विभिन्न अवस्थाओं से होकर विकसित होती है, अर्थात (क) बैंक-उन्मुख चरण, (ख) बाजार-उन्मुख चरण तथा (ग) सुदृढ़ तौर पर बाजार-उन्मुख चरण। बैंक-उन्मुख चरण में, जमाराशियों के रूप में बैंकों के जरिए अर्थव्यवस्था की बचत के बड़े भाग की मध्यस्थता की जाती है तथा उसे उधारकर्ताओं को अंतरित किया जाता है। इस प्रकार बैंक अधिशेष आर्थिक इकाइयों (बचतकर्ताओं) से घाटे वाली आर्थिक इकाइयों (उधारकर्ताओं) को संसाधन पुनरावंटित करने में वित्तीय मध्यस्थकों के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे इस विशेष भूमिका का निर्वाह करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है जो सूचना संबंधी असममितियों तथा अंतर-कालिक लेनदेन लागतों को, जो वित्तीय प्रणाली की अपूर्णताओं का केंद्रीय स्रोत है, सुधारने में कारगर हैं। जोखिम पूंजी प्रतिधारित लाभ तथा सीधे प्रवर्तकों से प्राप्त की जाती है, जिनकी संख्या थोड़ी होती है। बाजार-उन्मुख चरण में, फर्म वित्तीय मध्यस्थकों के बजाय अधिकाधिक बाह्य निधियों पर, पूंजी बाजारों के जरिए अंतिम बचतकर्ताओं से जुटायी गयी जोखिम पूंजी सहित, निर्भर रहते हैं। सुदृढ़ रूप से बाजार-उन्मुख चरण में, बैंक वित्तीय तथा पूंजी बाजारों के जरिए जुटायी गयी निधियों पर भी अधिकाधिक निर्भर रहते हैं तथा यहां नये वित्तीय-जोखिम-बचाव बाजार सामने आते हैं (रिब्कजिब्स्की, 1985)।

4.8 हाल के साहित्य में अग्रिम यह दर्शाते हैं कि परंपरागत बहस, अर्थात बैंक आधारित वित्तीय संरचना अथवा बाजार आधारित वित्तीय संरचना आर्थिक वृद्धि का समर्थक होती है, वर्तमान संदर्भ में असंगत हो सकती है (लेवाइन, 2000)। विकास अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत वृद्धि के बैंक आधारित दृष्टिकोण में यह नोट किया जाता है कि विकास के चरण में निवेश के लिए कंपनी वित्तपोषण इक्विटी के बजाय बैंकों से ऋण के रूप में प्रमुख तौर पर जुटाया जाता है। वृद्धि के पोषण में बैंकों की तुलना में बाजारों की भूमिका के बारे में यह दृष्टि निराशावादी है। बदले में परंपरागत कंपनी वित्त बैंक, बांड तथा इक्विटी वित्तपोषण को एवजियों के रूप में देखता है। बैंक निवेशकों की ओर से जानकारी प्राप्त करने और उसे प्रोसेस करने की लागत को कम करते हैं तथा इस प्रकार अनुलिपि और मुक्त राइडर की समस्याओं को टाल देते हैं। बैंक प्रतिवर्गीय तथा अंतर-कालिक जोखिम साझेदारी दोनों को भी समर्थ बनाते हैं। वे अलग-अलग एजेंटों से बचत संग्रहण से जुड़ी लेनदेन लागतों को कम करके तथा बचतकर्ताओं को अपनी बचतों का प्रस्ताव करने में सुखद अनुभव कराकर सूचना संबंधी असममितियों को जीतकर वित्तीय बचतों के संग्रहण को भी सुकर बनाते हैं। बचत का संग्रहण प्रभावी तौर पर करके वित्तीय मध्यस्थ न सिर्फ पूंजी के संचय को आसान बना देते हैं, बल्कि बड़े पैमाने की किफायतों के लाभ की अनुमति देकर संसाधन आबंटन में भी सुधार लाते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार बैंक आधारित वित्तीय प्रणालियां - विशेष रूप से आर्थिक विकास के आरंभिक चरणों में - आर्थिक वृद्धि के संवर्धन में बेहतर होती हैं। दूसरी ओर, बाजार आधारित दृष्टिकोण में जानकारी प्राप्त करने, कंपनी नियंत्रण लागू करने तथा कस्टम डिजाइन वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए निवेशकों हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने में अच्छी तरह कार्य कर रहे प्रतिभूति बाजारों के महत्व पर बल दिया जाता है।

4.9 1990 के दशक से उभर रहा तीसरा दृष्टिकोण यह है कि बैंक तथा बाजार पूरक अथवा उसी तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय सेवा संबंधी दृष्टिकोण में इस बात का विश्लेषणात्मक महत्व है कि वित्तीय सेवा के कारगर प्रावधान के लिए किस प्रकार बैंक और बाजार दोनों आर्थिक वृद्धि के संवर्धन के लिए वित्तीय सेवाएं कारगर तौर से प्रदान करने हेतु सुदृढ़ प्रणाली तैयार करते हैं। वित्तीय प्रणालियां संभाव्य निवेश अवसरों का आकलन करती हैं, निधीयन संबंधी परियोजनाओं के बाद कारपोरेट नियंत्रण प्रदान करती हैं, चलनिधि जोखिम सहित जोखिम प्रबंधन को सुकर बनाती हैं तथा बचत संग्रहण को आसान बनाती हैं। विधिक-आधारित दृष्टिकोण नामक एक और दृष्टिकोण, जिसका उदय 1990 के दशक में हुआ, वित्तीय सेवा संबंधी दृष्टिकोण का विस्तार करता है तथा बैंक-आधारित बनाम बाजार-आधारित बहस को बेशर्त अस्वीकार करता है और यह दलील देता है कि वित्त संविदाओं का एक सेट है जिसे विधिक अधिकारों तथा प्रवर्तन प्रक्रियाओं द्वारा कमोबेश कारगर बनाया जा सकता है। तदनुसार, विधिक प्रणाली द्वारा यथानिर्धारित वित्तीय सेवाओं के समग्र स्तर और गुणवत्ता से संसाधनों के कारगर आबंटन तथा आर्थिक वृद्धि में सुधार आता है। अतः, इसने इस बात पर बल दिया कि बैंक-आधारित अथवा बाजार-आधारित प्रणालियों की गुणवत्ता पर बहस करने के बजाय एक सुदृढ़ विधिक वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विभिन्न देशों के आंकड़े भी यह दर्शाते हैं कि जिन देशों में अधिक मात्रा में वित्तीय विकास हुआ है - जिसकी माप बैंक विकास तथा बाजार विकास के समग्र उपायों द्वारा की जाती है - वे दीर्घावधि वृद्धि के साथ सुदृढ़ रूप से जुड़े होते हैं। इसके अलावा, बाहरी निवेशकों के कानूनी अधिकारों तथा विधिक

प्रणाली की दक्षता द्वारा स्पष्ट किया गया वित्तीय विकास का घटक दीर्घावधि वृद्धि के साथ सुदृढ़ एवं सकारात्मक रूप में जुड़ा होता है। विधिक प्रणाली वित्तीय क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बदले में दीर्घावधि वृद्धि को प्रभावित करती है। इस प्रकार, बाजारों तथा बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना दीर्घावधि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः नीतिनिर्माताओं को बाहरी निवेशकों के विधिक अधिकारों तथा संविदा के प्रवर्तन की समग्र दक्षता को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नीतिगत साधनों को बैंकों अथवा बाजारों के पक्ष में 'लेवल प्लेइंग फील्ड' को नहीं झुकाना चाहिए तथा इसके बजाय उन्हें संपत्ति के अधिकारों के रूप में मूलभूत तत्वों को सुदृढ़ करने तथा इन अधिकारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

4.10 बैंकों के लिए निधियों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख परिवर्ती केंद्रीय बैंक की नीति है जो बैंकिंग प्रणाली में आरक्षित निधियों की कुल मात्रा को बदल देती है। परंपरागत साहित्य में किए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जमा की स्थिति में परिवारों की पूर्ववचनबद्धता तथा कींस-प्रकार के 'दृढ़ मूल्यों' की मौजूदगी की स्थितियों के तहत, एक केंद्रीय बैंक उधार न ली गयी आरक्षित निधियों के अप्रत्याशित अंतर्वेश के जरिए बैंकिंग प्रणाली में आरक्षित निधियों की मात्रा को बदल सकता है तथा इस प्रकार 'चलनिधि प्रभाव' का सृजन कर सकता है। इन मॉडलों में यह कल्पना की गयी है कि परिवार मौद्रिक नीति में अप्रत्याशित परिवर्तन के प्रतिसाद में अपनी तरल आस्ति धारिताओं, विशेष रूप से अपनी बैंक जमा की स्थिति, में तुरंत समायोजन नहीं लाते। बाद के मॉडलों में बांड जैसी वैकल्पिक लिखतें आरंभ कर, जिसके द्वारा परिवारों द्वारा फर्मों/ उधारकर्ताओं के प्रत्यक्ष वित्तपोषण की अनुमति दी गयी, इस ढांचे के प्रतिबंधों को शिथिल किया गया। इससे बैंक उधार के जरिए वित्तपोषित किये जा रहे कार्यशील पूंजी ऋण को प्रतिचक्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। यह मानकर कि बांड तथा बैंक जमाराशियां अपूर्ण एवजी हैं क्योंकि सभी फर्मों के पास बांड जारी करने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान करने वाली क्वालिटी रेटिंग नहीं होती तथा इसलिए उन्हें बैंक उधार का आश्रय लेना पड़ता है, इन मॉडलों को और अधिक विकसित किया गया। तथापि, जमा बाजार समाशोधन के रूप में सतत प्रतिबंधों तथा मुद्रा आघात के पहले निर्धारित की जाने वाली जमा दर ने चलनिधि के प्रभाव की दृढ़ता को उत्पन्न किया। बांड बाजार के अभाव में, परिवारों को बैंक जमाराशियों के रूप में तरल आस्ति धारिता सहित मौद्रिक आधार के अवशोषण हेतु विवश किया जाता है, इस प्रकार वास्तविक मुद्रा शेष की मांग को अपेक्षाकृत अधिक रखा जाता है तथा धीरे-धीरे मूल्य समायोजन लाया जाता है। बांड बाजार की उपलब्धता से परिवारों को एक ऐसी बचत आस्ति मिलती है जो उनकी आय को मुद्रास्फीति से बचाने में मदद करती है। अतः मौद्रिक आघात के प्रतिसाद में बांडों की मांग बढ़ती है, इस प्रकार वास्तविक मुद्राशेष की मांग कम होती है और कीमतों में उछाल को उनके दीर्घावधि संतुलन मार्ग की ओर प्रेरित किया जाता है। फलस्वरूप तीव्रतर आरंभिक मूल्य समायोजन के फलस्वरूप सांकेतिक ब्याज दरों में निम्नतर प्रत्याशित मुद्रास्फीति प्रीमियम मिलता है जो धीरे-धीरे गायब हो जाता है। इस प्रकार, परिवारों द्वारा जमा की स्थिति के प्रति पूर्व वचनबद्धता के रूप में सूचना के घर्षण तथा मौद्रिक (आरक्षित निधि आघात) वचनबद्धता के पूर्व बैंकों द्वारा जमा दरों के पूर्व निर्धारण से चलनिधि प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तथापि, जब दोनों मान्यताएं परिचालित होती हैं, मॉडलों से उपभोग तथा निवेश में अत्यधिक अस्थिरता आती है। तथापि, जब परिवारों द्वारा जमाराशियों की पूर्व वचनबद्धता न्यूनतम होती है, यथा मूल प्रतिबंध पूर्व निर्धारित जमा दर होती है, चलनिधि प्रभाव तब भी मौजूद होती है, बैंक की मध्यस्थता प्रतिचक्रीय होती है, तथा उपभोग और निवेश का व्यवहार वास्तविक अनुभव के अनुरूप चक्रीय स्वरूप का होता है। यह बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही ब्याज दर नीति की तीन विशेषताएं सामने लाता है। पहला, लेनदेन खातों पर बैंक जमा दरें काफी धीमी गति से चलती हैं क्योंकि वे सीमांत दरों के बजाए औसत दरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, प्रबंधित देयताओं पर प्रदत्त ब्याज दरें बाजार दरों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं। तथापि प्रबंधित देयताएं जमा निधियों के एक अंश का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तीसरा, फर्मों को दिए गए बैंक ऋणों पर ब्याज दरें सामान्यतः ऋण व्यवस्थाओं के साथ संबद्ध की जाती हैं। ये सभी मुद्दे बैंक उधार की चक्रीय विशिष्टताओं को, और इसलिए वास्तविक अर्थव्यवस्था को मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय संप्रेषित करने की इसकी भूमिका को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तदनुसार, बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही ब्याज दर नीतियों, विशेष रूप से जमा दर नीतियों पर हाल के वर्षों में क्रमिक रूप से अधिक ध्यान दिया जा रहा है (इनार्सन तथा मार्क्विस, 2003)।

4.11 परंपरागत तौर पर, स्थानीय बाजार की स्थितियां बैंकों की जमा मूल्यन नीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस संदर्भ में, यह पाया गया कि बैंक प्रतिरूपी तौर पर अधिक संकेंद्रित बाजारों में जमाराशियों पर कम ब्याज दरें देते हैं तथा ऋणों पर अधिक ब्याज दरें रखते हैं (बर्गर तथा हन्नान, 1989)। परंपरागत साहित्य के अनुसार, बैंक जमा दरें औसत बैंक आकार में तीव्र वृद्धि होने से प्रभावित नहीं होंगी, बशर्ते स्थानीय बाजार का संकेंद्रण अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित बना रहे। तथापि, हाल के बैंकिंग समेकन का अनुभव यह दर्शाता है कि स्थानीय बाजार संकेंद्रण को प्रभावित न करनेवाली बैंकों के औसत आकार में हुई वृद्धि ने स्थानीय बाजार की स्थितियों को बदल दिया है तथा ब्याज दरों के निर्धारण को प्रभावित किया है। बैंक के आकार में वृद्धि जमा दरों को प्रभावित कर सकती है यदि क्षेत्रीय अथवा बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन छोटी, स्थानीय संस्थाओं की तुलना में उस समय भी अलग रूपों में स्पर्धा करें जब विभिन्न संगठनों के पास उसी प्रकार की स्थानीय बाजार साझेदारी हो। इसके अलावा,

यद्यपि बैंकिंग बाजार सामान्यतः स्थानीय स्वरूप के होते हैं, हाल के वर्षों की गतिविधियों का साक्ष्य यह दर्शाता है कि प्राथमिक तौर पर स्थानीय बाजार में परिचालित बैंकों की तुलना में बहु-बाजार बैंक अलग रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। 1988 से 2004 तक की अवधि में समेकन प्रक्रिया के फलस्वरूप अमरीका में जमा दरों पर आकार की संरचना के प्रभाव ने प्रतिरूपी तौर पर एक विपरीत-V आकार के पैटर्न का अनुसरण किया। वर्ष 2000 तक बैंकों के विलय से, जिसके कारण जमाराशियां बड़े बैंकों के पास चली गईं, जमा दरें नीचे आईं क्योंकि बड़े बैंक छोटे बैंकों की तुलना में कम आक्रामक प्रतिस्पर्धी थे। इसे आंशिक रूप से, परंतु पूर्णतः नहीं, इस तथ्य द्वारा प्रतितुलित किया गया कि बहु-बाजार बैंकों में अधिक आक्रामक प्रतिस्पर्धी होने की प्रवृत्ति होती है। बाद की अवधि में प्रवृत्ति बदल गई जिससे यह दिखाई दिया कि बड़े बैंक अधिक आक्रामक प्रतिस्पर्धी बन गए जिसके कारण जमा दरें बढ़ गईं। ये अंतर्निहित प्रवृत्तियां जमा मूल्यन की कई विशिष्टताएं सामने लाती हैं। पहला, बैंकों के बड़ा होने के साथ जमा से इतर अधिक देयताओं तक उनकी पहुंच हो जाती है। प्रतिरूपी तौर पर, इससे जमाराशियों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा करने की उनकी इच्छा कम हो जाती है। दूसरा, जैसे-जैसे बैंक बड़े होकर अनेक बाजारों में परिचालन करते हैं, वे स्थानीय बाजारों की स्थितियों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। तीसरा, चूंकि बैंक छोटे आकार के अन्य बैंकों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, बहु-बाजार वाले बड़े बैंकों की उपस्थिति बढ़ने से उनके बीच अधिक आक्रामक प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है जिससे ब्याज दरें बढ़ जाती हैं (रोशन,आर.जे.,2007)।

4.12 अंत में, चूंकि घरेलू बचतें बैंकों द्वारा मध्यस्थता के लिए संसाधनों का एक संभाव्य भंडार हैं, घरेलू बचतों के निर्धारकों में विकसित हो रही गतिशीलता का संसाधन संग्रहण संबंधी बैंकों के प्रबंधन में उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जहां संसाधनों तक बैंकों की पहुंच घरेलू बचतों के बढ़ते हुए स्तर के अनुरूप बढ़ने की संभावना है, उसका वास्तविक आश्रय बचतों की उनकी संविदा संरचना के बारे में परिवारों के निर्णयों पर निर्भर होगा। बदले में, घरेलू बचतों का स्तर और उसकी संरचना समष्टि आर्थिक स्थितियों, वित्तीय बाजार की गतिविधि और विनियमन, वैकल्पिक आय स्रोतों, जनसांख्यिकी तथा घरेलू क्षेत्र की तरजीहों द्वारा प्रभावित होती है (प्रदर्श 1)। घरेलू तुलनपत्रों की आस्ति संरचना संबंधी देश भर के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि गैर वित्तीय आस्तियां उन देशों में, जहां आवास क्षेत्र की गतिविधियों ने निवेश के नए अवसर खोले हैं, कुल आस्तियों का एक प्रमुख हिस्सा हैं। दूसरी ओर, सुविकसित वित्तीय बाजारों वाले देशों में संरचनात्मक बदलाव वित्तीय आस्तियों के पक्ष में होता है, जो अंशतः अपेक्षाकृत सस्ते आवास तथा निजी पेंशन योजनाओं पर व्यापक निर्भरता द्वारा सुसाध्य होता है। वित्तीय आस्तियों के भीतर, अधिकांशतः बैंक जमाराशियों के रूप में रखी गई तरल आस्तियों को बैंकिंग में सार्वजनिक विश्वास के लंबे इतिहासवाले देशों में अधिक पसंद किया जाता है, जो एक सीमा तक भूसंपदा एवं पूंजी बाजारों में विश्वास की कमी द्वारा भी प्रभावित होता है (डेविस आदि, 2007)।

## III. भारत में बैंकों द्वारा जमा संग्रहण

4.13 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण की पहली घटना से, वित्तीय मध्यस्थ, विशेषतर बैंक, भारत में वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया के मूल में हैं। उन्होंने घरेलू क्षेत्र की बचतों का एक बड़ा हिस्सा जुटाया है तथा उन्हें घाटे के क्षेत्रों अर्थात निजी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में लगाया है, इस प्रकार वृद्धि की प्रक्रिया का समर्थन किया गया है। इस खंड में निजी प्रवाह संबंधी आंकड़ों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों

**प्रदर्श IV.I: घरेलू बचतों को प्रभावित करनेवाले कारक**

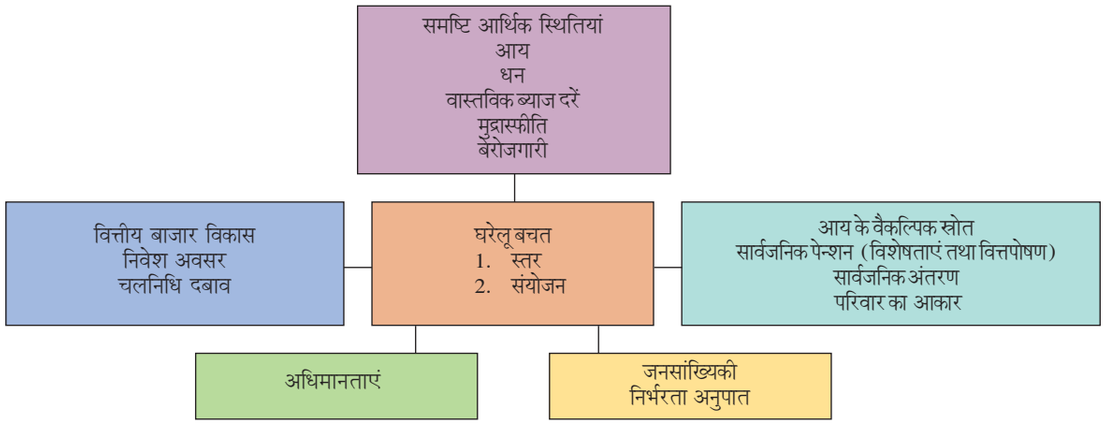


**स्रोत**: तुलाधर, ए.(2007)

के नियमित आंकड़ों का उपयोग कर बैंक जमाराशियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि निजी प्रवाह संबंधी आंकड़े काफी समय पुराने (अर्थात नवीनतम आंकड़े 2000-01 की अवधि के लिए उपलब्ध हैं) हैं, वे बैंकिंग क्षेत्र बनाम अन्य क्षेत्रों की सापेक्ष्य स्थिति के बारे में उपयोगी जानकारी दे सकते हैं।

## निजी प्रवाह

4.14 अधिशेष इकाइयों से घाटे की इकाइयों में संसाधनों का प्रेषण भारतीय अर्थव्यवस्था के निजी प्रवाह खातों में छः क्षेत्रों अर्थात घरेलू, कंपनी, सरकार, बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं (ओएफआइ) तथा शेष विश्व क्षेत्र में दिखाई दिया। घरेलू क्षेत्र, जो हमेशा अधिशेष क्षेत्र रहा है, ने सार्वजनिक एवं निजी कंपनी क्षेत्रों के घाटे काफी सीमा तक, तथा शेष विश्व क्षेत्र के घाटे एक सीमित मात्रा में पूरे किए। घाटे के क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करने के लिए निधियां या तो प्रत्यक्षतः (प्राथमिक निर्गम) अथवा बैंक एवं ओएफआइ जैसे वित्तीय मध्यस्थों (द्वितीयक निर्गम) के जरिए प्रदान की गईं। दावों के क्षेत्रीय वितरण की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि द्वितीयक निर्गमों का हिस्सा 1970-71 के 39.7 प्रतिशत से सामान्यतः बढ़कर 1990-00 में 47.1 प्रतिशत हो गया तथा प्राथमिक निर्गमों के हिस्से में तदनुरूप गिरावट आई। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में निधि प्रवाह प्रक्रिया में वित्तीय मध्यस्थों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दी (सारणी 4.1)। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निधि प्रवाह संबंधी आंकड़े, जिनके लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और साधनों में वित्तीय लेनदेन संबंधी व्यापक जानकारी की उपलब्धता अपेक्षित है, काफी देरी से जारी किए जाते हैं। इस खंड में 2000-01 के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसे सितंबर 2007 के रिज़र्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित किया गया था।

4.15 विभिन्न क्षेत्रों द्वारा वित्तीय दावों का सापेक्षिक महत्व साल-दर-साल घटबढ़ दर्शाता है। वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में बैंकिंग प्रणाली की प्रमुखता है। कुल दावों में सभी वित्तीय संस्थाओं के दावों का हिस्सा 36.3 प्रतिशत और 47.1 प्रतिशत के दायरे में था; 1994-95 से 2000-01 तक की अवधि के दौरान इसका औसत 42.2 प्रतिशत था। बैंकिंग क्षेत्र के जरिए वित्तीय प्रवाह 1994-95 के 1,16,217 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000-01 में 1,88,495 करोड़ रुपए हो गया तथा वित्तीय मध्यस्थ क्षेत्र के माध्यम से हुए कुल प्रवाहों में बैंकों के माध्यम से हुए वित्तीय प्रवाहों का हिस्सा कुल मिलाकर 1994-95 के लगभग 62 प्रतिशत से बढ़कर 2000-01 में लगभग 64 प्रतिशत हो गया। कुल दावों में बैंकिंग क्षेत्र का हिस्सा 28.3 प्रतिशत से घटकर 24.2 प्रतिशत हो गया, जबकि ओएफआइ का हिस्सा 17.2 प्रतिशत से घटकर इस अवधि के दौरान 13.6 प्रतिशत हो गया (सारणी 4.2)। सरकार तथा एक सीमा तक निजी कंपनी क्षेत्र की अगुवाई में गैर वित्तीय संस्थाओं का हिस्सा इस अवधि में बढ़ गया।

**सारणी 4.1 : प्राथमिक और द्वितीयक निर्गम**

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | द्वितीयक निर्गम | प्राथमिक निर्गम | *जिसमें से* | | कुल निर्गम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | देशी प्राथमिक निर्गम | शेष विश्व के निर्गम | |
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
| 1970-71 | 2,336 | 3,541 | 3,479 | 62 | 5,877 |
| | (39.7) | (60.3) | (59.2) | (1.1) | (100.0) |
| 1975-76 | 6,733 | 8,999 | 8,125 | 874 | 15,732 |
| | (42.8) | (57.2) | (51.6) | (5.6) | (100.0) |
| 1980-81 | 14,731 | 21,452 | 21,408 | 44 | 36,183 |
| | (40.7) | (59.3) | (59.2) | (0.1) | (100.0) |
| 1985-86 | 30,558 | 42,006 | 43,698 | -1,692 | 72,564 |
| | (42.1) | (57.9) | (60.2) | (-2.3) | (100.0) |
| 1990-91 | 71,016 | 96,508 | 1,03,558 | -7,050 | 1,67,524 |
| | (42.4) | (57.6) | (61.8) | (-4.2) | (100.0) |
| 1991-92 | 1,06,386 | 1,31,916 | 1,24,664 | 7,252 | 2,38,302 |
| | (44.6) | (55.4) | (52.3) | (3.0) | (100.0) |
| 1992-93 | 95,790 | 1,13,990 | 1,17,511 | -3,521 | 2,09,780 |
| | (45.7) | (54.3) | (56.0) | (-1.7) | (100.0) |
| 1993-94 | 1,42,897 | 1,59,200 | 1,40,079 | 19,121 | 3,02,097 |
| | (47.3) | (52.7) | (46.4) | (6.3) | (100.0) |
| 1994-95 | 1,86,675 | 2,23,512 | 2,08,448 | 15,064 | 4,10,187 |
| | (45.5) | (54.5) | (50.8) | (3.7) | (100.0) |
| 1995-96 | 1,40,337 | 2,46,614 | 2,39,849 | 6,765 | 3,86,951 |
| | (36.3) | (63.7) | (62.0) | (1.7) | (100.0) |
| 1996-97 | 1,85,638 | 2,22,351 | 193,502 | 28,849 | 407,989 |
| | (45.5) | (54.5) | (47.4) | (7.1) | (100.0) |
| 1997-98 | 2,40,884 | 3,62,009 | 3,42,359 | 19,650 | 6,02,893 |
| | (40.0) | (60.0) | (56.8) | (3.3) | (100.0) |
| 1998-99 | 2,77,498 | 3,67,061 | 3,50,075 | 16,986 | 6,44,559 |
| | (43.1) | (56.9) | (54.3) | (2.6) | (100.0) |
| 1999-00 | 2,73,759 | 3,07,956 | 2,93,354 | 14,602 | 5,81,715 |
| | (47.1) | (52.9) | (50.4) | (2.5) | (100.0) |
| 2000-01 | 2,94,765 | 4,84,461 | 4,34,573 | 49,888 | 7,79,226 |
| | (37.8) | (62.2) | (55.8) | (6.4) | (100.0) |

**टिप्पणी :** कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल दावों में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

**स्रोत :** भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह खाते, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, सितंबर 2007।

4.16 बैंकों के लिए निधियों के विभिन्न स्रोतों, जैसाकि भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह खातों में दिखाई देता है, में काफी घटबढ़ दिखायी दिया। तथापि, इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि जमाराशियां बैंकों के लिए निधियों का सबसे बड़ा स्रोत बनी रहीं। वाणिज्य बैंकों के लिए कुल स्रोतों में जमाराशियों का हिस्सा 1994-95 के 85 प्रतिशत से निरंतर बढ़कर 2000-01 में लगभग 97 प्रतिशत हो गया। 1994-95 तथा 2000-01 के बीच प्रदत्त पूंजी तथा उधार के हिस्से में तेजी से गिरावट हुई (सारणी 4.3)। जहां जमाराशियां प्राथमिक तौर पर घरेलू क्षेत्र से जुटायी गयीं, बैंक जमाराशियों में कंपनी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ गया। वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र का हिस्सा 1994-95 से 2000-01 की अवधि में लगभग 70 प्रतिशत बना रहा, जबकि निजी कंपनी क्षेत्र का हिस्सा 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया। शेष विश्व का हिस्सा 8.3 प्रतिशत से बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, वाणिज्य बैंकों की

## सारणी 4.2 : क्षेत्रों द्वारा वित्तीय प्रवाह

(करोड़ रुपए)

| क्षेत्र | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. बैंकिंग | 1,16,217 | 73,495 | 87,585 | 1,40,616 | 1,77,055 | 1,54,433 | 1,88,495 |
| | (28.3) | (19.0) | (21.5) | (23.3) | (27.5) | (26.5) | (24.2) |
| 2. अन्य वित्तीय संस्थाएं | 70,458 | 66,842 | 98,054 | 1,00,268 | 1,00,443 | 1,19,327 | 1,06,270 |
| | (17.2) | (17.3) | (24.0) | (16.6) | (15.6) | (20.5) | (13.6) |
| **3. सभी वित्तीय संस्थाएं (1 + 2)** | **1,86,675** | **1,40,337** | **1,85,638** | **2,40,884** | **2,77,498** | **2,73,759** | **2,94,765** |
| | **(45.5)** | **(36.3)** | **(45.5)** | **(40.0)** | **(43.1)** | **(47.1)** | **(37.8)** |
| 4. निजी कंपनी कारोबार | 1,11,876 | 1,36,244 | 91,633 | 1,06,850 | 1,32,745 | 79,674 | 1,82,126 |
| | (27.3) | (35.2) | (22.5) | (17.7) | (20.6) | (13.7) | (23.4) |
| 5. सरकार | 71,801 | 84,985 | 83,675 | 2,10,145 | 1,89,962 | 1,77,612 | 2,20,669 |
| | (17.5) | (22.0) | (20.5) | (34.9) | (29.5) | (30.5) | (28.3) |
| 6. शेष विश्व | 15,064 | 6,765 | 28,849 | 19,650 | 16,986 | 14,602 | 49,888 |
| | (3.7) | (1.7) | (7.1) | (3.3) | (2.6) | (2.5) | (6.4) |
| 7. घरेलू | 24,771 | 18,620 | 18,194 | 25,365 | 27,367 | 36,067 | 31,778 |
| | (6.0) | (4.8) | (4.5) | (4.2) | (4.2) | (6.2) | (4.1) |
| **8. सभी गैर-वित्तीय संस्थाएं (4 से 7)** | **2,23,512** | **2,46,614** | **2,22,351** | **3,62,009** | **3,67,061** | **3,07,956** | **4,84,461** |
| | **(54.5)** | **(63.7)** | **(54.5)** | **(60.0)** | **(56.9)** | **(52.9)** | **(62.2)** |
| **9. कुल निर्गमित दावे (3+8)** | **4,10,187** | **3,86,951** | **4,07,990** | **6,02,893** | **6,44,558** | **5,81,715** | **7,79,225** |
| | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** |

**टिप्पणी** : कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल दावों में हिस्सा दर्शाते हैं।
**स्रोत** : भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह खाते, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, सितंबर 2007।

जमाराशियों में वित्तीय संस्थाओं का हिस्सा उसी अवधि के दौरान 6.9 प्रतिशत से घटकर 2.7 प्रतिशत हो गया। सरकारी क्षेत्र से बैंक जमाराशियों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के अलावा स्थानीय प्राधिकारियों तथा सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा धारित जमाराशियां शामिल हैं। बैंकों के पास स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा रखी गयी जमाराशियों में वृद्धि एक उल्लेखनीय विशेषता थी। वाणिज्य बैंकों

## सारणी 4.3 : वाणिज्य बैंकों के लिए निधि प्रवाह खाते

(करोड़ रुपए)

| | स्रोत | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **प्रदत्त पूंजी** | **5,195** | **708** | **-777** | **3,530** | **-568** | **611** | **1,133** |
| | | **(6.1)** | **(1.3)** | **(-1.2)** | **(3.4)** | **(-0.5)** | **(0.5)** | **(0.9)** |
| **2** | **जमाराशियां** | **72,651** | **46,859** | **49,347** | **98,187** | **1,03,181** | **1,03,816** | **1,15,441** |
| | | **(85.0)** | **(84.4)** | **(73.7)** | **(94.3)** | **(94.1)** | **(91.1)** | **(96.6)** |
| | क) सहकारी बैंक | 2,331 | -131 | 5,109 | 2,831 | 2,156 | 2,445 | 2,253 |
| | ख) अन्य वित्तीय संस्थाएं | 5,024 | 85 | 4,166 | 134 | 260 | 3,499 | 3,079 |
| | ग) निजी कंपनी कारोबार | 416 | -222 | 4,594 | 4,469 | 4,595 | 5,040 | 4,387 |
| | घ) सरकार | 7,433 | 4,715 | 4,906 | 16,258 | 11,494 | 12,925 | 11,771 |
| | *जिसमें से :* केंद्र तथा राज्य सरकार | 2,897 | 3,898 | -544 | 5,122 | 3,552 | 3,969 | 3,579 |
| | स्थानीय प्राधिकारण | 2,533 | 1,855 | 2,755 | 7,337 | 4,809 | 5,447 | 5,018 |
| | वाणिज्यिक उपक्रम | 2,003 | -1,038 | 2,695 | 3,799 | 3,133 | 3,509 | 3,174 |
| | ङ) शेष विश्व | 6,047 | 9,694 | -10,137 | 9,570 | 14,876 | 7,076 | 13,071 |
| | च) देशी | 51,400 | 32,718 | 40,709 | 64,925 | 69,800 | 72,831 | 80,880 |
| **3** | **उधार** | **7,249** | **9,893** | **10,773** | **-7,159** | **4,697** | **8,553** | **854** |
| | | **(8.5)** | **(17.8)** | **(16.1)** | **(-6.9)** | **(4.3)** | **(7.5)** | **(0.7)** |
| | क) बैंकिंग | 5,839 | 6,956 | 3,509 | -6,681 | 4,048 | 4,457 | -313 |
| | i) भारतीय रिज़र्व बैंक | 5,785 | 6,979 | 3,150 | -6,435 | 3,755 | 4,228 | -36 |
| | ii) सहकारी संस्थाएं | 54 | -23 | 359 | -246 | 293 | 229 | -277 |
| | ख) अन्य वित्तीय संस्थाएं | 790 | 3,107 | 2,637 | 220 | 1,938 | 3,738 | 957 |
| | ग) शेष विश्व | 620 | -170 | 4,627 | -698 | -1,289 | 358 | 210 |
| **4** | **देय बिल** | **1,712** | **-1,713** | **5,566** | **4,177** | **7,201** | **19** | **3,572** |
| | | **(2.0)** | **(-3.1)** | **(8.3)** | **(4.0)** | **(6.6)** | **(0.0)** | **(3.0)** |
| **5** | **अन्य** | **-1,372** | **-235** | **2,010** | **5,427** | **-4,889** | **965** | **-1,444** |
| | | **(-1.6)** | **(-0.4)** | **(3.1)** | **(5.2)** | **(-4.5)** | **(0.8)** | **(-1.2)** |
| | **कुल** | **85,435** | **55,512** | **66,919** | **1,04,162** | **1,09,622** | **1,13,964** | **1,19,556** |
| | | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** |

**टिप्पणी** : कोष्ठक के आंकड़े वाणिज्य बैंकों के कुल निधि स्रोतों का प्रतिशत दर्शाते हैं।
**स्रोत** : भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह खाते, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, सितंबर 2007।

के लिए निधियों के स्रोत के रूप में उधार रिज़र्व बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा शेष विश्व क्षेत्र से ली गयी उधार राशियों द्वारा चालित थे। रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त सुविधाओं का युक्तियुक्तकरण, जिसके द्वारा निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा को छोड़कर अन्य पुनर्वित्त सुविधाओं को हटा लिया गया था, के कारण बैंकों ने रिज़र्व बैंक से उधार का आश्रय कम लिया। 2000-01 में वित्तीय संस्थाएं बैंकों के लिए उधार के रूप में निधियों का मुख्य स्रोत थीं, जिसके बाद शेष विश्व क्षेत्र का स्थान था।

## बैंक जमाराशियां

4.17 जमाराशियों के रूप में बचतों का संग्रहण कर बैंकिंग क्षेत्र ने वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की समस्त जमाराशियों में वार्षिक वृद्धि, जो 1951-52 से 1960-61 की अवधि के दौरान अत्यधिक अस्थिर थी, उसके बाद स्थिर हो गयी (चार्ट IV.1)।

4.18 बैंकिंग क्षेत्र के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की एक प्रमुख घटना है - जुलाई 1969 में निजी क्षेत्र के 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंक जमाराशि वृद्धि को मोटे तौर पर चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात चरण I (1969-1984); चरण II (1984-1995); चरण III (1995-2005); तथा चरण IV (2005-08) (सारणी 4.4)।

4.19 पहले चरण में, एससीबी की समस्त जमाराशि वृद्धि राष्ट्रीयकरण के पहले के चरण (1951-1969) के 9.5 प्रतिशत की तुलना में 1969-1984 के दौरान 19.2 प्रतिशत के औसत पर काफी

**चार्ट IV.1 : बैंक जमाराशि वृद्धि दर**

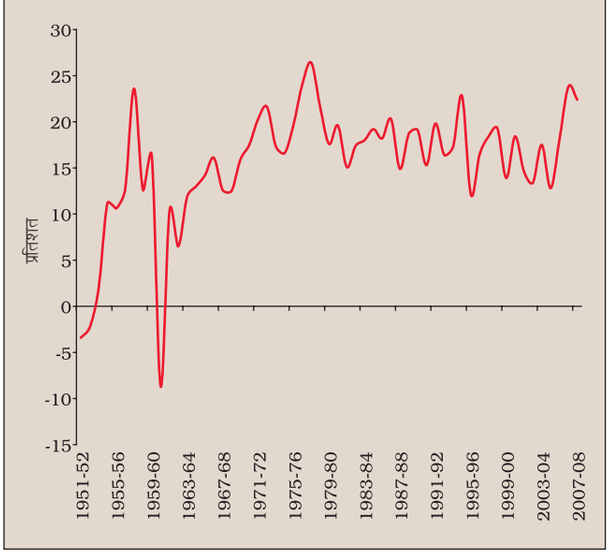


**सारणी 4.4 : बैंक जमाराशियों में वृद्धि**
(वार्षिक औसत)

(प्रतिशत)

| अवधि का औसत | मांग | आवधिक | सकल |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1951-52 से 1968-69 | 7.1 | 13.1 | 9.5 |
| 1969-70 से 1983-84 | 13.3 | 22.7 | 19.2 |
| 1984-85 से 1994-95 | 19.5 | 18.2 | 18.4 |
| 1995-96 से 2004-05 | 12.6 | 16.4 | 15.7 |
| 2005-06 से 2007-08 | 22.5 | 21.3 | 21.4 |

**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी।

तेज थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तत्काल बाद 1970-71 में एक वर्ष में घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचतों (वित्तीय देयताओं को घटाकर) में 49.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई। फलस्वरूप, घरेलू क्षेत्र की भौतिक बचतों में 1970-71 में 8.9 प्रतिशत की गिरावट आयी। 1969 में निजी क्षेत्र के 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद विशेषतः ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए व्यापक शाखा विस्तार का भी बैंकों की जमाराशि वृद्धि पर उल्लेखनीय सकारात्मक असर पड़ा। 1980 में निजी क्षेत्र के छह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे दौर में शाखा नेटवर्क का और विस्तार हुआ तथा इससे जमाराशि की वृद्धि तेज करने में मदद मिली। ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंक कार्यालयों की संख्या 1969 के क्रमशः 1,443 तथा 3,337 से बढ़कर 1985 में क्रमशः 30,185 तथा 9,816 हो गयी। व्यापक शाखा विस्तार के फलस्वरूप शाखा प्रणाली का विस्तार बढ़ गया जैसाकि प्रति कार्यालय जनसंख्या में दिखायी देता है, जो 1969 के 65,000 से घटकर 1985 में लगभग 14,000 हो गयी तथा उसके बाद मोटे तौर पर स्थिर बनी रही (सारणी 4.5)।

**सारणी 4.5 : भारत में स्थित बैंक कार्यालयों की संख्या**

| मार्च | ग्रामीण | अर्ध-शहरी | शहरी | महा-नगरीय | कुल | प्रति कार्यालय जनसंख्या (हजार में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1969 | 1,443 | 3,337 | 1,911 | 1,496 | 8,187 | 65 |
| 1970 | 4,817 | 4,401 | 2,504 | 1,900 | 13,622 | 41 |
| 1975 | 6,807 | 5,598 | 3,489 | 2,836 | 18,730 | 32 |
| 1980 | 15,105 | 8,122 | 5,178 | 4,014 | 32,419 | 20 |
| 1985 | 30,185 | 9,816 | 6,578 | 4,806 | 51,385 | 14 |
| 1990 | 34,791 | 11,324 | 8,042 | 5,595 | 59,752 | 14 |
| 1995 | 33,004 | 13,341 | 8,868 | 7,154 | 62,367 | 15 |
| 2000 | 32,734 | 14,407 | 10,052 | 8,219 | 65,412 | 15 |
| 2005 | 32,082 | 15,403 | 11,500 | 9,370 | 68,355 | 16 |
| 2007 | 30,551 | 16,361 | 12,970 | 11,957 | 71,839 | 15 |

**टिप्पणी** : 1969 के आंकड़े जून अंत से संबंधित हैं।
**स्रोत** : 1. भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक।
2. वर्ष 1969 के आंकड़ों के लिए बैंकिंग सांख्यिकी, 1972।

4.20 फलस्वरूप, कुल जमाराशियों में ग्रामीण जमाराशियों का हिस्सा 1969 के 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 1984 तक 14.4 प्रतिशत हो गया जो 1969-1984 की अवधि के दौरान समग्र जमा वृद्धि का विस्तार करने के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेवार था। इसी तरह, 1980 के दशक के मध्य तक अर्धशहरी और शहरी जमाराशियों का हिस्सा भी कुछ बढ़ गया। दूसरी ओर, कुल जमाराशियों में महानगरी जमाराशियों का हिस्सा 49 प्रतिशत से तेजी से गिरकर उसी अवधि में लगभग 39 प्रतिशत रह गया (चार्ट IV.2)।

4.21 बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ने से बैंकिंग के प्रवेश को सुधारने में मदद मिली। अखिल भारतीय स्तर पर, प्रति सौ व्यक्तियों पर एससीबी के पास बचत और चालू जमा खातों की संख्या 1973 के 5.8 से बढ़कर 1981 में 15.3 तथा और बढ़कर 1991 में 31.8 प्रतिशत हो गयी। यह 2001 में घटकर 28.9 रह गयी तथा पुनः बढ़कर 2007 में 34.9 हो गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में एससीबी के पास प्रति सौ व्यक्ति बचत और चालू जमा खातों की संख्या 1973 के 3.3 से बढ़कर 1981 में 11.4 तथा और बढ़कर 1991 में 25.5 हो गयी। यह घटकर 2001 में 23.8 रह गयी तथा सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन पर दिए गए बल के अनुरूप पुनः बढ़कर 2007 में 27.8 हो गयी। बैंकों के कुल बचत तथा चालू जमा खातों में ग्रामीण क्षेत्रों में जमाराशियों का हिस्सा, जिसमें 1991 तक वृद्धि हुई थी, हाल के वर्षों में कम रह गया (सारणी 4.6)। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि एससीबी के अलावा, जमाराशि की सुविधाएं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तथा डाक घरों द्वारा भी प्रदान की जाती हैं, अतः भारत में वित्तीय सेवाओं के प्रवेश का मूल्यांकन करते समय इन्हें भी हिसाब में लिए जाने की जरूरत है (ब्यौरों के लिए अध्याय VII देखें)।

**चार्ट IV.2: जनसंख्या समूहवार बैंक जमाराशियां**

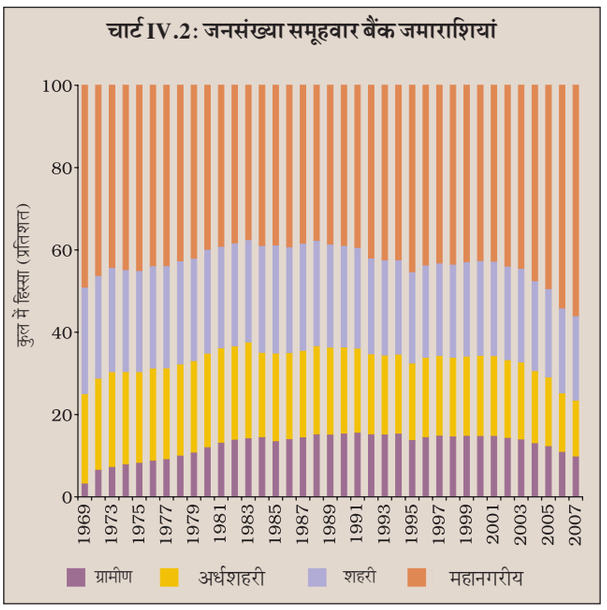


**सारणी 4.6 : अनुसूचित-वाणिज्य बैंकों के जमा खातों का जनसंख्या समूह-वार वितरण**

| | कुल खातों में हिस्सा (प्रतिशत) | | प्रति 100 व्यक्तियों के लिए खातों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मार्च | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | शहरी | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **बचत तथा चालू जमा खाता** | | | | | |
| 1973 | 45.1 | 54.9 | 3.3 | 16.0 | 5.8 |
| 1981 | 57.1 | 42.9 | 11.4 | 28.1 | 15.3 |
| 1991 | 59.5 | 40.5 | 25.5 | 50.0 | 31.8 |
| 2001 | 59.3 | 40.7 | 23.8 | 42.3 | 28.9 |
| 2007 | 56.0 | 44.0 | 27.8 | 51.4 | 34.9 |

**टिप्पणी** : 1. 1973 तथा 1980 के बैंक जमाराशियों के आंकड़े दिसंबर से संबंधित हैं।

2. जनगणना के जनसंख्या समूह हैं 'ग्रामीण' और 'शहरी' जबकि बीएसआर आंकड़ों में दर्शाए गए जनसंख्या समूह हैं 'ग्रामीण' 'अर्ध-शहरी', 'शहरी' तथा 'महानगरीय'। अतः तुलना एवं सरलीकरण के लिए 'ग्रामीण' तथा 'अर्ध-शहरी' को 'ग्रामीण' के रूप में तथा 'शहरी' व 'महानगरीय' को जोड़कर 'शहरी' के रूप में दर्शाया गया है।

3. वर्ष 1973 के लिए प्रति 100 व्यक्तियों के बैंक खातों की संख्या की गणना के लिए, 1971 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया गया है; जबकि वर्ष 2007 के लिए ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को 2007 की शहरी जनसंख्या का अनुमान लगाते हेतु 2001 की जनगणना की चक्रवृद्धि दर लगाकर एवं उसे रजिस्ट्रार जनरल एवं सेन्सस कमिश्नर, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध जनसंख्या के कुल अनुमानित आंकड़ों से घटाकर निकाला गया है।

**स्रोत** : भारत के अनु. वाणिज्य बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, तथा रजिस्ट्रार जनरल व सेन्सस कमिश्नर, भारत सरकार की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां।

4.22 1962 में (बैंकों की विफलता की पृष्ठभूमि में) निक्षेप बीमा निगम की स्थापना, जिसने बैंक जमाकर्ताओं विशेषतः छोटे खातेदारों को संरक्षण प्रदान किया, द्वारा भी बैंकिंग की आदत की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाया गया। इसने बैंकिंग प्रणाली में बचतकर्ताओं के विश्वास को बहाल किया जैसाकि जीडीपी के प्रति समस्त बैंक जमाराशियों के अनुपात में दिखायी देता है, जो 1950 तथा 1960 के दशक के दौरान 9-10 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 1970 के दशक के दौरान औसतन 18 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.3)।

4.23 घरेलू क्षेत्र की सकल वित्तीय बचतों में बैंक जमाराशियों का हिस्सा भी 1970-71 के 35.7 प्रतिशत से बढ़कर 1983-84 में 42.5 प्रतिशत हो गया जो बैंक शाखा विस्तार के प्रभाव को दर्शाता है (सारणी 4.7)। बैंक जमाराशियों का हिस्सा मुख्यतः घरेलू क्षेत्र द्वारा पूंजी बाजार के लिखतों को तरजीह दिए जाने के कारण वित्तीय प्रणाली में विमध्यस्थता की वजह से 1994-95 तक घटकर 38.4 प्रतिशत रह गया। अल्पबचत योजनाओं पर सरकार की नीति में बल दिए जाने के कारण बैंक जमाराशियों का हिस्सा और गिरकर 2004-05 तक 36.4 प्रतिशत रह गया। तथापि, इस प्रवृत्ति में बदलाव आया और 2006-07 में बैंक जमाराशियों का हिस्सा बढ़कर 55.6 प्रतिशत हो गया, जो बैंकों द्वारा आक्रामक जमा संग्रहण को दर्शाता है, जिसे अंशतः विशेष जमायोजनाओं के लिए कर लाभों के विस्तार द्वारा सुसाध्य बनाया गया

**चार्ट IV.3 : सकल बैंक जमाराशियां**

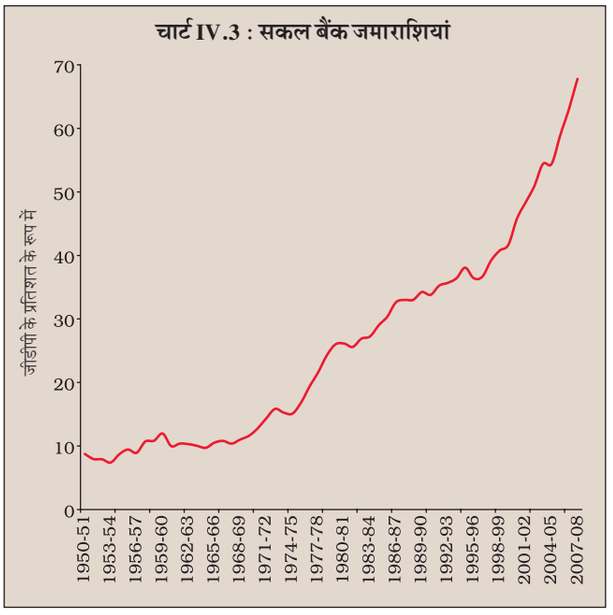


जिसके ब्यौरे अगले खण्डों में दिए गए हैं। आवधिक जमाराशियों पर उच्चतर ब्याज दरों तथा अल्पबचतों पर अपरिवर्तित ब्याज दरों ने भी अल्पबचतों से निधियों का कुछ हिस्सा हटाकर बैंक जमाराशियों में रखे जाने में अंशदान किया।

4.24 बचत जमाराशियों के उपचार में परिभाषात्मक परिवर्तनों के कारण 1977-78 में बैंक जमाराशियों के घटकों में एक प्रमुख संरचनागत बदलाव आया। 1977-78 में, मांग जमाराशियों का हिस्सा तेजी से घट गया, जो प्राथमिक तौर पर मार्च 1978 में बचत जमाराशियों के दो घटकों - मांग तथा मीयादी - में विभाजन के उपचार में परिवर्तन के कारण आवधिक जमाराशियों के प्रति घुमाव को दर्शाता है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, एससीबी से यह अपेक्षा की गयी कि वे ब्याज भुगतान के लिए पात्र बचत खातों में रखे गये मासिक न्यूनतम शेष के औसत को 'आवधिक' देयता के रूप में मानें, जबकि शेष भाग को बचत खाते की 'मांग' देयता के रूप में माना जाना था। इसके अलावा बैंकों को अनुदेश दिया गया कि वे जून के अंत तथा दिसंबर के अंत में साल में दो बार 'मांग' तथा 'आवधिक' देयताओं के बीच के अनुपातों की गणना करें। साथ ही 1978 में कोरे समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, नकद ऋण पर बैंकों की निर्भरता में काफी कमी आयी क्योंकि कंपनियों से अपेक्षा की गयी कि वे अपनी चालू आस्तियों के कम से कम 25 प्रतिशत का अंशदान अपनी निजी निधियों तथा दीर्घावधि संसाधनों से करें। जिस सीमा तक कंपनियों ने बैंक जमाराशियों पर अपनी निर्भरता कम की, इसके फलस्वरूप चालू जमाराशियों में गिरावट आयी (चार्ट IV.4)।

4.25 बैंक जमाराशियों के संरचनागत विश्लेषण से भी यह प्रकट होता है कि मीयादी जमाराशियों का हिस्सा, जो मार्च 1980 के अंत में 55.7 प्रतिशत था, घटकर 1981-82 में लगभग 51 प्रतिशत रह गया जो उस वर्ष के दौरान लागू किए गए नए 12 प्रतिशत वाले 6-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों (एनएससी) की ओर घुमाव को दर्शाता है। कंपनी क्षेत्र द्वारा शेयरों तथा डिबेंचरों, विशेष तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों, के निर्गम में भी भारी वृद्धि हुई।

4.26 दूसरे चरण (1984-1995) में, समस्त जमावृद्धि थोड़ी कम होकर 18.4 प्रतिशत रह गयी। इस चरण में मांग जमाराशियों की वृद्धि

**सारणी 4.7 : घरेलू क्षेत्र की वित्तीय आस्तियां एवं देयताएं : वितरण का स्वरूप**

**(प्रतिशत)**

| मद | 1970-71 | 1983-84 | 1994-95 | 2004-05 | 2006-07 | 1970-71 से 1983-84 (औसत) | 1984-85 से 1994-95 (औसत) | 1995-96 से 2004-05 (औसत) | 2005-06 से 2006-07 (औसत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| मुद्रा | 16.8 | 14.8 | 10.9 | 8.5 | 8.6 | 13.4 | 11.3 | 9.3 | 8.7 |
| बैंक जमाराशियां | 35.7 | 42.5 | 38.4 | 36.4 | 55.6 | 44.6 | 36.5 | 36.9 | 50.9 |
| गैर बैंकिंग जमाराशियां | 3.2 | 5.4 | 7.9 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 5.2 | 4.6 | 0.6 |
| जीवन बीमा निधि | 9.8 | 7.3 | 7.8 | 15.7 | 15.0 | 8.6 | 8.2 | 12.9 | 14.5 |
| भविष्य एवं पेन्शन निधि | 23.2 | 16.2 | 14.7 | 13.0 | 9.2 | 19.0 | 17.5 | 17.7 | 9.9 |
| सरकार पर दावे | 5.0 | 10.5 | 9.1 | 24.5 | 5.2 | 5.7 | 10.4 | 15.2 | 9.9 |
| शेयर व डिबेंचर (म्यूचुअल फंडों के यूनिट सहित) | 3.9 | 4.1 | 11.9 | 1.1 | 6.3 | 2.6 | 11.3 | 3.8 | 5.6 |
| व्यापार ऋण (निवल) | 2.4 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| **वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन (कुल)** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| बैंक अग्रिम | 86.1 | 85.3 | 87.3 | 92.6 | 96.8 | 82.9 | 82.2 | 83.4 | 96.6 |
| अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण व अग्रिम | 6.4 | 8.8 | 9.7 | 6.9 | 3.2 | 8.0 | 11.3 | 13.7 | 3.4 |
| सरकार से ऋण व अग्रिम | 11.7 | 3.9 | 1.7 | 0.2 | -0.1 | 7.1 | 4.6 | 1.9 | -0.1 |
| सहकारी गैर ऋण सोसाइटियों से ऋण व अग्रिम | -4.2 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1 |
| **वित्तीय देयताओं में परिवर्तन (कुल)** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

**स्रोत:** हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07 ।

**चार्ट IV.4 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियों में मांग और सावधि जमाराशियों का हिस्सा**

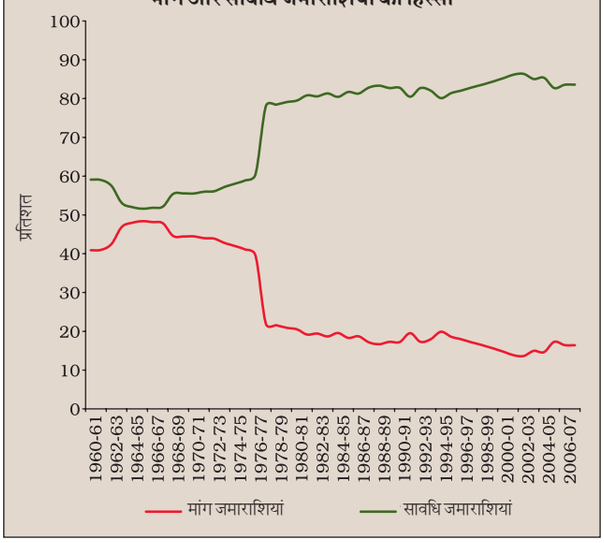


में तेजी आयी, जबकि आवधिक जमाराशियों में कमी आयी जिसके फलस्वरूप समस्त जमाराशि विस्तार में समग्र कमी हुई। आवधिक जमाराशि वृद्धि में हुई कमी निम्नलिखित का परिणाम थी (क) शाखा नेटवर्क के विस्तार में कमी, तथा (ख) बैंकों में रखी आवधिक जमाराशियों को अन्य बचत लिखतों द्वारा प्रतिस्थापित करना। एससीबी के कार्यालयों की संख्या, जिसमें 1969 तथा 1980 के बीच लगभग चार गुनी वृद्धि हुई, 1980 तथा 1995 के बीच दुगुने से भी कम बढ़ी। दूसरे, बैंक जमाराशियों को अन्य लिखतों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों, शेयरों तथा डिबेंचरों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की जमाराशियों तथा अल्पबचतों में तेजी से वृद्धि हुई, जो घरेलू वित्तीय बचतों में उनके हिस्सों में हुई वृद्धि में दिखाई देता है (देखें सारणी 4.7)।

4.27 1980 के दशक के उत्तरार्ध में तथा कुछ सीमा तक 1990 के दशक के आरंभ में आय कर अधिनियम की धारा 18एम के तहत कर लाभ की उपलब्धता द्वारा विशेषकर म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों के पक्ष में निधियों के प्रतिस्थापन को सुकर बनाया गया। इस धारा के तहत, कंपनियों द्वारा प्राप्त लाभांश आय कर से उस सीमा तक मुक्त रखा गया, जहां तक उनके द्वारा अदा किया गया लाभांश प्राप्त लाभांश से अधिक हो। फलस्वरूप कंपनियों ने भूतपूर्व भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआइ) के तत्कालीन यूनिट स्कीम-64 (यूएस-64) में बड़े पैमाने पर निधियों का निवेश किया। कंपनियों के अलावा, व्यक्तिगत निवेशक भी म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों की ओर आकृष्ट हो गये। यूटीआइ के अलावा, 1987-88 तथा 1995-96 के बीच 21 नए म्यूच्युअल फंडों की स्थापना की गयी तथा उन्होंने लगभग 128 स्कीमें आरंभ कीं। नए स्थापित म्यूच्युअल फंडों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, यूटीआइ ने भी निवेशकों की आय एवं चलनिधि संबंधी विभिन्न जरूरतें पूरी करने के लिए विशेषतः 1980 के दशक के उत्तरार्ध में नयी स्कीमें आरंभ करने की आक्रामक नीति अपनायी। 1964 तथा 1992 के बीच आरंभ की गयी 41 स्कीमों में से, यूटीआइ ने 26 स्कीमें 1987 तथा 1992 के बीच आरंभ कीं। 1987-88 तथा 1991-92 के बीच, म्यूच्युअल फंडों की वित्तीय आस्तियों में 153 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई (राज, 1999)। यद्यपि, वित्तीय आस्तियों की वृद्धि का एक भाग निवेशों की मूल्यवृद्धि का परिणाम हो सकता है, ऐसी आस्तियों का बड़ा भाग निधियों के नये संग्रहण से प्राप्त हुआ था। इस चरण में पूंजी बाजार में भी (1970 के दशक में हुई मंदी की स्थिति की तुलना में) उछाल की स्थिति थी। फलस्वरूप, म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों तथा शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश से बैंक जमाराशियों की ब्याज दरों की तुलना में उच्चतर प्रतिलाभ मिला। इसने घरेलू वित्तीय बचतों को बैंक जमाओं से हटाकर शेयरों तथा डिबेंचरों और म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने को प्रोत्साहित किया। इस चरण में एनबीएफसी द्वारा जमा संग्रहण में भी तेज वृद्धि हुई। एनबीएफसी की संख्या, जिसमें 1970 तथा 1980 के बीच दुगुनी वृद्धि हुई थी, 1980 तथा 1994 के बीच लगभग 8 गुनी बढ़ी। एनबीएफसी द्वारा बड़े पैमाने पर जमा संग्रहण का अंदाजा उनकी वित्तीय आस्तियों से लगाया जा सकता है, जिसमें 1990-94 के दौरान 44.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। अल्प बचतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई जैसाकि घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों में सरकार पर दावों के हिस्से में हुई वृद्धि में दिखाई देता है। इस चरण के दौरान, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों में बैंक जमाराशियों का हिस्सा तेजी[1] से गिर गया (देखें सारणी 4.7)। भारत के लिए किए गए एक आनुभविक अध्ययन में भी यह पाया गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आवधिक/मीयादी जमाराशियों को म्यूच्युअल फंडों की इकाइयों, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी), एलआइसी की जीवन बीमा पालिसियों तथा अल्पबचतों के पक्ष में प्रतिस्थापित किया गया (राज,उद्धरण देखें)[1]।

4.28 बैंक जमा वृद्धि में तीसरे चरण (1995-2005) में और गिरावट होनी जारी रही तथा औसत समस्त जमा में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि आय के स्तर में और वृद्धि हुई जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि में सुधार के प्रभाव को दर्शाता है। तथापि,इस चरण में, गिरावट काफी सीमा तक मांग जमाराशियों में गिरावट का तथा कुछ सीमा तक मीयादी जमाराशियों में गिरावट का परिणाम थी। देशी मीयादी जमाराशियों की निर्धारित न्यूनतम परिपक्वताओं में क्रमिक कटौती के कारण मांग जमाराशियों की वृद्धि में तेज गिरावट आई। आवधिक जमाराशियों की न्यूनतम परिपक्वताओं को क्रमिक रूप से कम कर जुलाई 1996 में 46

[1] प्रतिस्थापन को संकीर्ण अर्थ में परिभाषित न किया जाए, जिसमें निधियों को एक लिखत से वस्तुतः दूसरे लिखत में अंतरित किया जाता है, अपितु इसे व्यापक अर्थ में परिभाषित किया जाए, जिसमें नई निधियां एक लिखत में निवेश किए जाने के बजाए अन्य लिखत/लिखतों में निवेश की जाती हैं।

दिन से 30 दिन, अप्रैल 1998 में 30 दिन से 15 दिन, तथा अप्रैल 2001 में 15 लाख रुपए तथा अधिक की थोक मीयादी जमाराशियों के लिए और अक्तूबर 2004 में 15 लाख रुपए के कम की खुदरा मीयादी जमाराशियों के लिए 15 दिन से 7 दिन कर दिया गया। इससे निधियों को बचत जमाराशियों (मांग देयता अंश) से हटाकर मीयादी जमाराशियों में लगाया गया। बैंकों को उनके परिचालनों में लचीलापन प्रदान करने तथा दक्षता सुधारने के लिए, न सिर्फ मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि को कम किया गया, अपितु बैंकों को विशेष परिपक्वताओं के लिए उनकी देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने में क्रमिक रूप से स्वतंत्रता दी गई (बॉक्स IV.1)।

## बॉक्स IV.1
## भारत में जमा ब्याज दरों का अविनियमन

देशी जमा ब्याज दरों के अविनियमन की प्रक्रिया उस समय शुरू हुई जब बैंकों को अप्रैल 1985 से 8 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन 15 दिन से एक वर्ष तक के बीच की परिपक्वताओं के लिए ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति दी गई। तथापि, चल रहे कीमत युद्ध को देखते हुए मई 1985 के अंत तक इस स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। अविनियमन की प्रक्रिया अप्रैल 1992 में पुनः शुरू की गई तथा परिपक्वतावार निर्धारणों की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर 46 दिन से अधिक की सभी जमाराशियों के लिए 13 प्रतिशत की एकल अधिकतम दर निर्धारित की गई। अधिकतम दर को कम कर नवंबर 1994 में 10 प्रतिशत कर दिया गया, परंतु उसे बढ़ाकर अप्रैल 1995 में 12 प्रतिशत कर दिया गया। बैंकों को अक्तूबर 1995 में दो वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति दी गई जिसे जुलाई 1996 में और शिथिल कर एक वर्ष से अधिक परिपक्वता तक ला दिया गया। '30 दिन से एक वर्ष तक' की जमाराशियों के लिए अधिकतम दर को अप्रैल 1997 में बैंक दर घटाव 200 आधार अंक से संबद्ध कर दिया गया। अक्तूबर 1997 में, बैंक दर से संबद्धता समाप्त कर जमा दरों को पूर्णतः अविनियमित कर दिया गया। फलस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान की कि वे अपने संबंधित निदेशक मंडलों/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के पूर्वानुमोदन से विभिन्न परिपक्वताओं की देशी मीयादी जमाराशियों पर अपनी स्वयं की ब्याज दरें निर्धारित कर सकते हैं। बैंकों को देशी मीयादी जमाराशियों के समयपूर्व आहरण के लिए अपनी दांडिक ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति दी गई तथा जमाराशि के आकार से निरपेक्ष होकर उसी परिपक्वता की जमाराशि पर समान दर का प्रस्ताव करने संबंधी बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंधों को इस संबंध में बैंकों के बोर्डों द्वारा निर्धारित की जानेवाली नीति के अनुसार अप्रैल 1998 में 15 लाख और अधिक रुपए की जमाराशियों के संबंध में हटा लिया गया। बैंकों को यथासंभव अप्रैल 2002 में व्यवहार में जमाराशियों पर लचीली ब्याज दर प्रणाली (स्थिर दर के विकल्प सहित) लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब देशी जमा दरों को निर्धारित करने के बारे में बैंकों के पास पूरी आजादी है, बचत जमाराशियों पर ब्याज दर इसका अपवाद है जो विनियमित बनी हुई है तथा वर्तमान में 3.5 प्रतिशत है।

देशी जमा दरों के विनियमन के अनुरूप विभिन्न एनआरई जमा योजनाओं पर ब्याज दरों को भी रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता था। अगस्त 1985 के पहले , प्रचलित एनआरआइ जमा योजना पर ब्याज दर निर्धारित देशी मीयादी जमा दरों की तुलना में 2 प्रतिशत अंक ऊपर निर्धारित की गई। बाद में, अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए एफसीएनआर (ए) पर ब्याज दरों को संशोधित किया गया। तथापि 1990 के दशक के आरंभ में अंतर बढ़ गया जो 1991 के बाह्य भुगतान संकट को देखते हुए इन जमाराशियों को आकृष्ट करने की आवश्यकता को दर्शाता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार के अंग के रूप में, एनआरई जमाराशियों के लिए विस्तृत परिपक्वतावार निर्धारणों को युक्तियुक्त बनाया गया तथा उसे अक्तूबर 1992 में '13 प्रतिशत से अनधिक' तथा देशी जमाराशियों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अनुरूप अप्रैल 1993 में '12 प्रतिशत से अनधिक' के एकल निर्धारण के अधीन लाया गया। एनआरई तथा देशी जमाराशियों की परिपक्वता संरचना को संरेखित करने की दृष्टि से, दो वर्ष से अधिक की परिपक्वतावाली एनआरई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों को अप्रैल 1996 में मुक्त कर दिया गया, जबकि एक साल से अधिक परिपक्वतावाली जमाराशियों को अप्रैल 1997 में मुक्त कर दिया गया। 13 सितंबर 1997 से, सभी परिपक्वताओं पर ब्याज दरों का निर्णय लेने के लिए बैंकों को पूरी आजादी दी गई। इसी तरह, एफसीएनआर(बी) योजना के संबंध में, बैंकों को 16 अप्रैल 1997 से प्रभावी निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन ब्याज दरें (छह महीने की ब्याज पुनर्निर्धारण अवधि सहित स्थिर अथवा चल) निर्धारित करने की अनुमति दी गई। पहले, एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें एफसीएनआर (ए) जमाराशियों के लिए निर्धारित दरों के अनुरूप थीं। न्यूनतम परिपक्वता अवधि को भी अक्तूबर 1999 से छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया तथा 26 जुलाई 2005 से बैंकों को अनुमति दी गई कि वे पहले की तीन वर्ष की अधिकतम सीमा के बजाए पांच वर्ष की अधिकतम परिपक्वता अवधि तक एफसीएनआर (बी) जमाराशियां स्वीकार कर सकते हैं। एनआर(एनआर)आरडी योजना के मामले में, बैंकों को देशी जमा दरों को मुक्त करने के भी पहले जून 1992 में योजना के आरंभ से ब्याज दरें निर्धारित करने के लचीलेपन की अनुमति दी गई।

तथापि, वित्तीय बाजारों में बदलती स्थितियों के प्रतिसाद में, एनआरई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों को 17 जुलाई 2003 से संबंधित परिपक्वताओं की यूएस डालर लिबोर/स्वैप दरों के ऊपर 250 आधार अंकों की अधिकतम सीमा के अधीन अंतरराष्ट्रीय दरों के साथ संबद्ध कर दिया गया। अधिकतम दरों को क्रमिक रूप से घटाया गया (15 सितंबर 2003 को लिबोर दरों के ऊपर 100 आधार अंक तथा और घटाकर 18 अक्तूबर 2003 को लिबोर दरों के ऊपर 25 आधार अंक) तथा उसे 17 अप्रैल 2004 को कारोबार की समाप्ति से संबंधित परिपक्वताओं के लिए लिबोर/स्वैप दरों तक नीचे लाया गया। बाद में, अधिकतम दर को पुनः कुछ चरणों में बढ़ाकर 18 अप्रैल 2006 तक लिबोर के ऊपर 100 आधार अंक तक लाया गया तथा 24 अप्रैल 2007 से उसे लिबोर दर पर निर्धारित किया गया। साथ ही, एनआरई बचत जमा दर को देशी बचत जमा दर से असंबद्ध किया गया तथा 17 अप्रैल 2004 से एनआरई बचत जमाराशियों पर अधिकतम दर को 6-माह की यूएस डालर लिबोर/स्वैप दर पर निर्धारित किया गया। तथापि, 17 नवम्बर 2005 को भारत में कारोबार की समाप्ति से, एनआरई बचत जमाओं पर ब्याज दरें देशी बचत जमाराशियों पर लागू दरों के समान थीं।

## सारणी 4.8 : अल्प बचत वसूली

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | कुल जमाराशियां | | कुल प्रमाणपत्र | | सार्वजनिक भविष्य निधि | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राप्तियां | बकाया | प्राप्तियां | बकाया | प्राप्तियां | बकाया | प्राप्तियां | बकाया |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1970-71 | 695 | 1,184 | 88 | 92 | 2 | 5 | 785 | 1,281 |
| 1975-76 | 1,445 | 3,179 | 99 | 455 | 9 | 30 | 1,553 | 3,664 |
| 1980-81 | 2,758 | 6,632 | 302 | 1,412 | 59 | 200 | 3,119 | 8,244 |
| 1985-86 | 5,285 | 11,772 | 3,187 | 9,873 | 122 | 720 | 8,594 | 22,365 |
| 1990-91 | 9,455 | 17,022 | 8,214 | 33,257 | 347 | 2,595 | 18,016 | 52,874 |
| 1995-96 | 15,920 | 30,248 | 16,828 | 62,452 | 0 | 1,028 | 32,748 | 93,728 |
| 2000-01 | 44,869 | 80,654 | 33,044 | 1,38,041 | 1,398 | 6,392 | 79,311 | 2,25,087 |
| 2001-02 | 51,746 | 1,05,078 | 28,078 | 1,49,667 | 1,929 | 8,111 | 81,753 | 2,62,856 |
| 2002-03 | 70,214 | 1,40,216 | 33,051 | 1,63,421 | 2,337 | 10,156 | 1,05,602 | 3,13,793 |
| 2003-04 | 94,272 | 1,88,907 | 39,170 | 1,74,563 | 2,528 | 12,267 | 1,35,970 | 3,75,737 |
| 2004-05 | 1,22,616 | 2,51,665 | 33,369 | 1,91,794 | 2,534 | 14,273 | 1,58,519 | 4,57,732 |
| 2005-06 | 1,30,447 | 3,06,968 | 39,812 | 2,03,771 | 3,024 | 16,872 | 1,73,283 | 5,27,611 |
| 2006-07अ | 1,16,303 | 3,32,130 | 34,532 | 2,12,785 | 4,065 | 19,457 | 1,54,836 | 5,64,372 |

अ : अनंतिम

**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी।, 2006-07 ।

4.29 तथापि इस चरण में बैंक जमाराशियों को मुख्यतः डाक कार्यालय जमाराशियों और अल्प बचतों से, जिनमें वसूली चार गुने से अधिक बढ़ गई, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा (सारणी 4.8)।

4.30 वित्तीय क्षेत्र सुधार के अंग के रूप में विभिन्न जमा दरों को अविनियमित करने के साथ, सभी परिपक्वताओं की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 1995-96 तथा 2003-04 के बीच 12-13 प्रतिशत से गिरकर 4.00-5.50 प्रतिशत रह गईं। इस अवधि में अन्य बचत लिखतों पर ब्याज में भी गिरावट आई। तथापि, अन्य लिखतों पर ब्याज दर में हुई गिरावट मीयादी जमाराशियों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से न्यूनतर थी (सारणी 4.9)।

4.31 ब्याज दरों में नरमी तथा मीयादी जमाराशियों के परिपक्वता प्रोफाइल में कमी को दर्शाते हुए, बैंकों द्वारा संविदाकृत मीयादी जमाराशियों

## सारणी 4.9 : बैंक जमाराशियों तथा अन्य अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की संरचना

(प्रतिशत)

| वर्ष | मीयादी जमाराशियां | | | पीपीएफ | एनएससी | पोस्ट ऑफिस एमआइएस | एमएफ कर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक | 5 वर्ष से अधिक | (15 वर्ष की समयबंदी) | (4 वर्ष की समयबंदी) | (6 वर्ष की समयबंदी) | बचत योजना# |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1970-71 | 6.00-6.50 | 7.00 | 7.25 | – | – | – | 8.00 |
| 1975-76 | 6.75-8.00 | 7.75-9.00 | 8.00-10.00 | – | – | – | 8.75 |
| 1980-81 | 7.50-8.50 | 10.00 | 10.00 | – | – | – | 11.50 |
| 1985-86 | 8.50-9.00 | 10.00 | 11.00 | – | – | – | 15.25 |
| 1990-91 | 9.00-10.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00@ | 11.00@ | 14.00@ | 19.50 |
| 1995-96 | 12.00 | 13.00* | 13.00* | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 20.00 |
| 2000-01 | 8.50-9.50* | 9.50-10.00* | 9.50-10.00* | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 10.00 |
| 2001-02 | 7.50-8.50* | 8.00-8.50* | 8.00-8.50* | 9.50 | 9.00 | 9.50 | – |
| 2002-03 | 4.25-6.00* | 5.50-6.25* | 5.50-6.25* | 9.00 | 8.50 | 9.00 | – |
| 2003-04 | 4.00-5.25* | 5.25-5.50* | 5.25-5.50* | 8.00 | 8.50 | 8.00 | – |
| 2004-05 | 5.25-5.50* | 5.75-6.25* | 5.75-6.25* | 8.00 | 8.50 | 8.00 | – |
| 2005-06 | 6.00-6.50* | 6.25-7.00* | 6.25-7.00* | 8.00 | 8.50 | 8.00 | – |
| 2006-07 | 7.50-9.00* | 7.75-9.00* | 7.75-9.00* | 8.00 | 8.50 | 8.00 | – |
| 2007-08 | 8.25-9.25*^ | 8.00-9.00*^ + | – | 8.00 | 8.50 | 8.00 | – |

एमआइएस : मासिक आय योजना

* : सार्वजनिक क्षेत्र के 5 प्रमुख बैंकों की मार्च के अंत की जमा दर से संबंधित।

@ : 1992-93 से संबंधित।

^ : मार्च 2008. + : 3 वर्ष से अधिक के लिए जमा दर।

# : 2000-01 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआइ) के यूनिटों की लाभांश दरें।

— : उपलब्ध नहीं

**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07 ।

## सारणी 4.10 : मीयादी जमाराशियों का ब्याज दर दायरा-वार वितरण

(प्रतिशत)

| ब्याज दर दायरा | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 प्रतिशत से कम | 4.1 | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 5.0 | 6.7 | 17.4 | 46.3 | 47.5 | 34.1 | 14.3 |
| 6 प्रतिशत और अधिक किंतु 8 प्रतिशत से कम | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 9.9 | 11.9 | 18.3 | 36.3 | 27.7 | 38.9 | 47.1 | 28.6 |
| 8 प्रतिशत और अधिक किंतु 10 प्रतिशत से कम | 12.3 | 11.2 | 15.1 | 20.8 | 26.6 | 42.4 | 28.4 | 17.2 | 8.9 | 16.5 | 38.3 |
| 10 प्रतिशत और अधिक | 76.5 | 77.3 | 71.6 | 62.4 | 56.5 | 32.6 | 18.1 | 9.0 | 4.8 | 2.4 | 19.5 |
| **कुल** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |

**स्रोत :** भारत में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंक की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक।

की ब्याज दरों में स्पष्ट बदलाव दिखाई दिया। एससीबी की कुल जमाराशियों में 10 प्रतिशत तथा अधिक की ब्याज दर पर संविदाकृत जमाराशियों का हिस्सा निरंतर गिरते हुए 1998 के 77.3 प्रतिशत से 2004 में 9.0 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, बैंकों की कुल जमाराशियों में 6 प्रतिशत से कम पर संविदाकृत जमाराशियों का हिस्सा 1997 के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में 46.3 प्रतिशत हो गया । 8 प्रतिशत ब्याज दर तक पर संविदाकृत जमाराशियों का हिस्सा 1997 के 11.2 प्रतिशत की तुलना में 2004 में कुल जमाराशियों का 74 प्रतिशत था (सारणी 4.10)।

4.32 अल्प बचत दर सामान्यतः उसी परिपक्वता की आवधिक जमा दरों की तुलना में उच्चतर होती है तथा सरकार अल्प बचतों के लिए कर लाभ प्रदान करती है, इसे देखते हुए ऐसी बचतों पर प्रतिलाभ की वास्तविक दर मीयादी जमाराशियों पर प्रतिलाभ की तुलना में प्रायः उच्चतर होती है। 2003-04 में 5 वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों पर 5.25-5.50 प्रतिशत प्रतिलाभ की वार्षिक दर की तुलना में, 30 प्रतिशत के सीमांत कर ब्रैकेट वाले निवेशकों को एनएससी पर 14.6 प्रतिशत, पीपीएफ पर 12.5 प्रतिशत तथा डाक कार्यालय जमाराशियों पर 8.32-10.03 प्रतिशत की आय हुई (सारणी 4.11)।

## सारणी 4.11 : विभिन्न आय कर वर्गों के लिए अल्प बचत लिखतों पर उपलब्ध प्रभावी प्रतिलाभ दर (किसी अधिभार के बिना)

(प्रतिशत)

| | लिखत | आइटी अधिनियम के उपबंधों के अधीन छूट | अवधि | सामान्य आयकर दर | 02.09.1993 से 14.01.2000 तक | 15.01.2000 से 28.02.2001 तक | 01.03.2001 से 28.02.2002 तक | 01.03.2002 से 28.02.2003 तक | मार्च 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | एनएससी (आठवां निर्गम) | 88, 80एल | 6 वर्ष | 0 | 12.36 | 11.83 | 9.73 | 9.20 | 8.16 |
| | | | | 10 | 20.27 | 19.56 | 16.75 | 14.36 | 13.04 |
| | | | | 20 | 21.52 | 20.75 | 17.72 | 15.24 | 13.82 |
| | | | | 30 | 22.77 | 21.95 | 18.70 | 16.12 | 14.60 |
| 2. | सार्वजनिक भविष्य निधि | 88, 10(12) | 15 वर्ष | 0 | 12.00 | 11.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 |
| | | | | 10 | 15.82 | 14.72 | 13.07 | 11.81 | 10.72 |
| | | | | 20 | 17.17 | 15.95 | 14.13 | 12.79 | 11.58 |
| | | | | 30 | 18.52 | 17.19 | 15.20 | 13.77 | 12.45 |
| 3. | सार्वजनिक भविष्य निधि (स्वीकार्य आहरण के साथ) | 88, 10(12) | 15 वर्ष | 0 | 12.00 | 11.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 |
| | | | | 10 | 17.44 | 16.92 | 16.13 | 14.37 | 13.90 |
| | | | | 20 | 19.04 | 18.41 | 17.45 | 15.59 | 14.99 |
| | | | | 30 | 20.62 | 19.88 | 18.75 | 16.78 | 16.07 |
| 4. | डाक घर मीयादी जमाराशियां | 80एल | 1-5 वर्ष | 0 | 10.92-13.09 | 8.24-10.92 | 7.71-9.31 | 7.45-8.78 | 6.40-7.71 |
| | | | | 10 | 12.01-14.41 | 9.07-12.01 | 8.49-10.24 | 8.19-9.65 | 7.04-8.49 |
| | | | | 20 | 13.11-15.72 | 9.89-13.11 | 9.26-11.17 | 8.94-10.53 | 7.68-9.26 |
| | | | | 30 | 14.20-17.03 | 10.72-14.20 | 10.03-12.10 | 9.68-11.41 | 8.32-10.03 |
| 5. | राहत / बचत (कर-मुक्त) बांड | 10(15) | 5 वर्ष | 0 | 10.25 | 9.20 | 8.68 | 8.16 | 6.61 |
| | | | | 10 | 11.28 | 10.12 | 9.55 | 8.98 | 7.27 |
| | | | | 20 | 12.30 | 11.04 | 10.42 | 9.79 | 7.93 |
| | | | | 30 | 13.33 | 11.96 | 11.28 | 10.61 | 8.59 |
| 6. | एनएसएस | 88 | 4 वर्ष | 0 | 11.00 | 10.50 | 9.00 | 8.50 | 7.50 |
| | | | | 10 | 16.35 | 15.87 | 14.40 | 12.20 | 11.25 |
| | | | | 20 | 15.31 | 14.87 | 13.54 | 11.39 | 10.52 |
| | | | | 30 | 14.24 | 13.84 | 12.65 | 10.56 | 9.79 |

**स्रोत :** नियंत्रित ब्याज दरों तथा बचत लिखतों को युक्तियुक्त करने के बारे में सलाह देने के लिए बनी सलाहकार समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष : डॉ राकेश मोहन), भारतीय रिज़र्व बैंक, 2004।

4.33 तदनुसार, बैंक जमाराशियों की तुलना में अल्प बचत वसूली में हुई वृद्धि उल्लेखनीय रूप से उच्चतर थी। अल्प बचतों की वसूली 2000-01 से 2004-05 के दौरान दुगुनी से अधिक हो गई (चार्ट IV.5)। गिरावट के बावजूद, घरेलू क्षेत्र की सकल वित्तीय बचतों में समग्र बैंक जमाराशियों का हिस्सा मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा। सरकार पर किए गए जानेवाले दावों के हिस्से में वृद्धि के अलावा, इस चरण में जीवन बीमा निधि के हिस्से में भी तीव्र वृद्धि हुई। तथापि, सरकारी और जीवन बीमा निधियों पर दावों के हिस्सों में हुई वृद्धि मोटे तौर पर पूंजी बाजार लिखतों के हिस्से में हुई गिरावट से तुलनीय थी (देखें सारणी 4.7)।

4.34 डाक कार्यालयों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, जो मुख्यतः ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों से थी, के फलस्वरूप कुल जमाराशियों में ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी जमाराशियों का हिस्सा 1980 के दशक तथा 1990 के दशक के आरंभ की ऊंचाइयों से गिर गया। सहवर्ती तौर पर, बैंकों की कुल जमाराशियों में महानगरीय जमाराशियों का हिस्सा 1990 के दशक के आरंभ से बढ़ गया, जो अंशतः निजी क्षेत्र के नए बैंकों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है जो अधिकांशतः शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में कार्यरत हैं। जमा के प्रकार का अलग-अलग विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि कुल बैंक जमाराशियों में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा, जो 1980 के 12.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 1990 के अंत तक 15.3 प्रतिशत हो गया था, मार्च 2004 के अंत तक गिरकर 12.9 प्रतिशत रह गया जो व्यापक तौर पर मीयादी जमाराशियों के हिस्से में गिरावट को दर्शाता है। अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में जमाराशियों के हिस्सों में इसी तरह की प्रवृत्तियां देखी गईं। दूसरी ओर, कुल बैंक जमाराशियों में महानगरीय क्षेत्रों का हिस्सा वर्तमान दशक में निरंतर बढ़ता रहा जिसका मुख्य कारण मीयादी जमाराशियों के हिस्से में हुई वृद्धि था। एक और उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि शहरी और महानगरीय दोनों क्षेत्रों में कुल जमाराशियों में चालू जमाराशियों के हिस्से में गिरावट आई (सारणी 4.12)। कुछ सीमा तक कुल ऋण में उद्योग के हिस्से में आई गिरावट इसका कारण थी, जैसाकि अध्याय VI में ब्यौरेवार बताया गया है। चूंकि उद्योग को

**चार्ट IV.5 : मीयादी जमाराशियां और अल्प बचत**

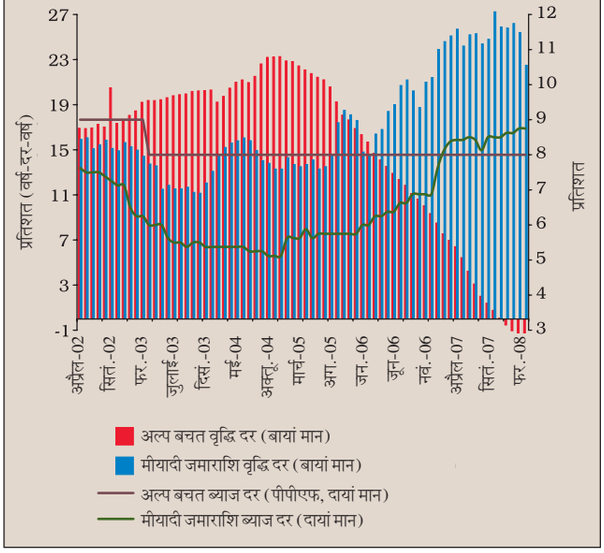


**सारणी 4.12 : कुल जमाराशियों में जनसंख्या समूहों का हिस्सा**

(प्रतिशत)

| मार्चांत | चालू | बचत | मीयादी | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ग्रामीण जमाराशियां** | | | | |
| 1980 | 1.0 | 5.4 | 6.1 | 12.6 |
| 1990 | 0.9 | 5.9 | 8.5 | 15.3 |
| 1995 | 0.8 | 4.7 | 8.2 | 13.7 |
| 2000 | 0.8 | 4.7 | 9.2 | 14.7 |
| 2001 | 0.7 | 4.7 | 9.3 | 14.7 |
| 2002 | 0.7 | 4.7 | 8.8 | 14.2 |
| 2003 | 0.6 | 4.9 | 8.3 | 13.8 |
| 2004 | 0.6 | 5.0 | 7.3 | 12.9 |
| 2005 | 0.6 | 5.1 | 6.4 | 12.2 |
| 2006 | 0.6 | 4.9 | 5.3 | 10.8 |
| 2007 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 9.7 |
| **अर्ध-शहरी जमाराशियां** | | | | |
| 1980 | 2.6 | 7.8 | 12.7 | 23.1 |
| 1990 | 2.0 | 6.9 | 12.3 | 21.2 |
| 1995 | 1.7 | 5.8 | 11.3 | 18.8 |
| 2000 | 1.6 | 5.8 | 12.3 | 19.7 |
| 2001 | 1.5 | 5.8 | 12.3 | 19.6 |
| 2002 | 1.4 | 5.8 | 11.9 | 19.1 |
| 2003 | 1.4 | 6.1 | 11.4 | 18.9 |
| 2004 | 1.4 | 6.2 | 10.1 | 17.7 |
| 2005 | 1.4 | 6.4 | 9.1 | 16.9 |
| 2006 | 1.3 | 6.0 | 7.2 | 14.5 |
| 2007 | 1.3 | 5.7 | 6.8 | 13.8 |
| **शहरी जमाराशियां** | | | | |
| 1980 | 3.9 | 6.9 | 14.2 | 25.1 |
| 1990 | 3.7 | 7.0 | 13.9 | 24.7 |
| 1995 | 3.4 | 5.9 | 12.9 | 22.2 |
| 2000 | 2.8 | 5.9 | 14.3 | 23.0 |
| 2001 | 2.8 | 6.0 | 14.1 | 22.9 |
| 2002 | 2.6 | 6.0 | 14.1 | 22.7 |
| 2003 | 2.5 | 6.3 | 14.0 | 22.8 |
| 2004 | 2.6 | 6.5 | 12.8 | 21.9 |
| 2005 | 2.6 | 6.7 | 12.2 | 21.5 |
| 2006 | 2.5 | 7.0 | 11.1 | 20.6 |
| 2007 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 20.5 |
| **महानगरीय जमाराशियां** | | | | |
| 1980 | 8.0 | 8.5 | 22.8 | 39.3 |
| 1990 | 8.5 | 8.5 | 21.9 | 38.9 |
| 1995 | 10.5 | 8.5 | 26.3 | 45.3 |
| 2000 | 7.7 | 7.8 | 27.1 | 42.6 |
| 2001 | 7.2 | 8.0 | 27.6 | 42.8 |
| 2002 | 6.5 | 7.7 | 29.7 | 43.9 |
| 2003 | 6.3 | 7.8 | 30.4 | 44.5 |
| 2004 | 7.4 | 8.3 | 31.8 | 47.5 |
| 2005 | 7.5 | 8.7 | 33.2 | 49.4 |
| 2006 | 7.9 | 10.2 | 36.0 | 54.1 |
| 2007 | 8.0 | 9.4 | 38.5 | 56.0 |

**टिप्पणी** : 1980 के आंकड़े कैलेंडर वर्ष से संबंधित हैं।
**स्रोत** : भारत में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंक की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक।

ऋण का एक हिस्सा नकद ऋण के रूप में मिलता है, बैंक ऋण पर निर्भरता में कमी नकद ऋण सीमा तथा चालू खाता शेष में कमी की ओर ले जाती है। यह शायद उद्योग द्वारा बेहतर नकदी प्रबंधन को भी दर्शाता है। दूसरी ओर, कुल जमाराशियों में बचत जमाराशियों का हिस्सा सभी जनसंख्या समूहों में मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा।

4.35 स्वामित्व के पैटर्न के रूप में, बैंक की कुल जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र का हिस्सा 1995 के 69.2 प्रतिशत से घटकर 2004 में 58.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 4.13)। एससीबी की कुल जमाराशियों में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 1995 के 9.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2004 के अंत तक 14.5 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र की बचत दर में सुधार था जो बदले में गैर विभागीय सरकारी उद्यम के सुधरे हुए कार्यनिष्पादन का परिणाम था। सरकारी क्षेत्र के गैर विभागीय उद्यमों की औसत बचत दर 1991-92 से 1996-97 के दौरान जीडीपी के 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 से 2006-07 के दौरान 4.1 प्रतिशत हो गई (मोहन,2008)। कुल जमाराशियों में कंपनी क्षेत्र का हिस्सा (वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों) भी हाल के वर्षों में बढ़ गया, जो उनके कार्य-निष्पादन में सुधार को दर्शाता है। अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा संसाधन संग्रहण में वृद्धि से भी बैंकिंग क्षेत्र के पास निधियां जमा करने में वृद्धि हुई।

4.36 एससीबी की जमाराशियों के प्रकार के अनुसार स्वामित्व के पैटर्न का अलग-अलग विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू क्षेत्र के हिस्से में गिरावट का मुख्य कारण मीयादी जमाराशियों के हिस्से में गिरावट था। दूसरी ओर, सरकारी तथा कंपनी क्षेत्र की जमाराशियों में वृद्धि का मुख्य कारण मीयादी जमाराशियों में उनके हिस्से में वृद्धि था। मीयादी जमाराशियों में विदेशी क्षेत्र के हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई (सारणी 4.14)। चालू जमाराशियों में, सरकारी तथा वित्तीय क्षेत्र के हिस्से में कुछ वर्षों में गिरावट आई, जबकि गैर वित्तीय कंपनी क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हुई, चालू जमाराशियों में घरेलू तथा विदेशी क्षेत्रों का हिस्सा मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा। बचत जमाराशियों के भीतर, स्वामित्व के पैटर्न में कुछ वर्षों में कोई प्रमुख परिवर्तन दिखाई नहीं दिया तथा बचत जमाराशियों का बड़ा

### सारणी 4.13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में हिस्सा : क्षेत्र-वार

(प्रतिशत)

| मार्चांत | सरकारी क्षेत्र | कारपोरेट क्षेत्र (गैर-वित्तीय) | कारपोरेट क्षेत्र (वित्तीय) | घरेलू क्षेत्र | विदेशी क्षेत्र | कुल जमा-राशियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1995 | 9.2 | 4.2 | 6.7 | 69.2 | 10.7 | 100.0 |
| 1996 | 9.2 | 3.6 | 6.1 | 69.2 | 11.9 | 100.0 |
| 1997 | 8.6 | 4.0 | 7.7 | 67.4 | 12.4 | 100.0 |
| 1998 | 9.9 | 4.1 | 7.4 | 66.6 | 12.0 | 100.0 |
| 1999 | 10.2 | 4.1 | 8.8 | 65.3 | 11.5 | 100.0 |
| 2000 | 10.1 | 3.8 | 7.7 | 67.6 | 10.8 | 100.0 |
| 2001 | 10.0 | 4.6 | 7.3 | 67.2 | 11.0 | 100.0 |
| 2002 | 10.6 | 5.7 | 6.9 | 66.7 | 10.2 | 100.0 |
| 2003 | 11.8 | 5.1 | 6.7 | 65.4 | 11.0 | 100.0 |
| 2004 | 14.5 | 7.9 | 8.5 | 58.4 | 10.8 | 100.0 |
| 2005 | 14.6 | 8.7 | 7.8 | 60.7 | 8.3 | 100.0 |
| 2006 | 14.4 | 10.1 | 9.7 | 58.5 | 7.3 | 100.0 |

**टिप्पणी :** विदेशी क्षेत्र अनिवासियों, विदेशी वाणिज्य दूतावास, राजदूतावास, व्यापार मिशन, सूचना सेवाओं आदि तथा अन्य की जमाराशियां दर्शाता है।

**स्रोत :** भारत में स्थित बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक।

### सारणी 4.14: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों का विभिन्न प्रकारों में हिस्सा : क्षेत्र-वार

(प्रतिशत)

| मार्चांत | सरकारी क्षेत्र | कारपोरेट क्षेत्र (गैर-वित्तीय) | कारपोरेट क्षेत्र (वित्तीय) | घरेलू क्षेत्र | विदेशी क्षेत्र | राशि (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **चालू जमाराशियां** | | | | | | |
| 1995 | 17.8 | 12.6 | 19.7 | 47.3 | 2.6 | 63,963 |
| 1996 | 17.0 | 11.3 | 18.7 | 50.7 | 2.4 | 63,656 |
| 1997 | 19.1 | 14.5 | 17.6 | 46.7 | 2.1 | 72,929 |
| 1998 | 17.5 | 13.7 | 19.4 | 46.6 | 2.8 | 82,370 |
| 1999 | 19.6 | 12.7 | 19.3 | 46.3 | 2.1 | 99,298 |
| 2000 | 19.4 | 12.3 | 17.0 | 47.9 | 3.4 | 1,12,657 |
| 2001 | 17.8 | 14.2 | 18.1 | 47.3 | 2.6 | 1,24,238 |
| 2002 | 17.8 | 16.1 | 16.4 | 46.3 | 3.3 | 1,30,903 |
| 2003 | 19.4 | 14.5 | 14.2 | 48.9 | 2.9 | 1,52,658 |
| 2004 | 16.2 | 22.3 | 12.9 | 45.9 | 2.7 | 2,05,776 |
| 2005 | 15.8 | 22.0 | 11.3 | 48.2 | 2.6 | 2,23,542 |
| 2006 | 14.1 | 22.4 | 14.5 | 45.4 | 3.6 | 2,85,081 |
| **बचत जमाराशियां** | | | | | | |
| 1995 | 6.1 | 0.2 | 0.6 | 87.5 | 5.5 | 93,369 |
| 1996 | 7.1 | 0.2 | 1.0 | 86.8 | 4.9 | 1,03,443 |
| 1997 | 7.7 | 0.3 | 1.2 | 86.0 | 4.8 | 1,13,918 |
| 1998 | 8.4 | 0.2 | 1.4 | 84.8 | 5.3 | 1,38,293 |
| 1999 | 7.4 | 0.2 | 1.6 | 85.4 | 5.4 | 1,69,772 |
| 2000 | 6.7 | 0.1 | 0.8 | 87.3 | 5.1 | 2,02,089 |
| 2001 | 6.4 | 0.4 | 1.2 | 86.9 | 5.1 | 2,32,261 |
| 2002 | 6.4 | 0.2 | 0.7 | 87.3 | 5.3 | 2,68,866 |
| 2003 | 6.8 | 0.3 | 1.0 | 86.7 | 5.3 | 3,30,747 |
| 2004 | 7.3 | 0.6 | 1.2 | 83.6 | 7.3 | 3,80,098 |
| 2005 | 7.2 | 0.5 | 0.7 | 86.1 | 5.5 | 4,72,146 |
| 2006 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 86.4 | 5.6 | 5,71,020 |
| **मीयादी जमाराशियां** | | | | | | |
| 1995 | 8.0 | 3.5 | 5.6 | 67.9 | 15.0 | 2,28,622 |
| 1996 | 8.1 | 3.1 | 5.1 | 66.9 | 16.8 | 2,70,904 |
| 1997 | 6.6 | 2.9 | 7.7 | 65.4 | 17.4 | 3,21,805 |
| 1998 | 8.9 | 3.4 | 7.0 | 64.3 | 16.4 | 3,84,147 |
| 1999 | 9.3 | 3.7 | 9.2 | 62.1 | 15.7 | 4,67,933 |
| 2000 | 9.5 | 3.4 | 8.3 | 64.3 | 14.4 | 5,38,067 |
| 2001 | 9.7 | 4.3 | 7.4 | 63.8 | 14.8 | 6,19,962 |
| 2002 | 10.8 | 5.8 | 7.4 | 62.8 | 13.2 | 7,24,606 |
| 2003 | 12.3 | 5.4 | 7.5 | 60.0 | 14.7 | 8,33,343 |
| 2004 | 17.0 | 7.7 | 10.3 | 51.3 | 13.8 | 9,88,384 |
| 2005 | 17.6 | 9.5 | 10.1 | 52.2 | 10.7 | 10,89,765 |
| 2006 | 18.0 | 11.6 | 12.4 | 49.1 | 8.8 | 13,04,899 |

**स्रोत :** भारत में स्थित बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक।

भाग घरेलू क्षेत्र द्वारा रखा गया था जिसका हिस्सा 1995 तथा 2004 के बीच 84-88 प्रतिशत के बीच के दायरे में था।

4.37 कुल मिलाकर मीयादी जमाराशियों का हिस्सा मार्च 1995 के अंत के 59.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2000 के अंत में 63.1 प्रतिशत हो गया तथा मार्च 2002 के अंत में वह 64.4 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गया। बचत जमाराशियों का हिस्सा मार्च 1995 के अंत के 24.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2000 के अंत में 23.7 प्रतिशत रह गया। बाद में, बचत जमाराशियों का हिस्सा मार्च 2007 के अंत तक बढ़कर लगभग 26.1 प्रतिशत हो गया, जबकि मीयादी जमाराशियों का हिस्सा घटकर 61.5 प्रतिशत रह गया (चार्ट IV.6)।

4.38 तथापि मीयादी जमाराशियों के भीतर, 1990 के आरंभ से मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता का प्रोफाइल उल्लेखनीय रूप से कम हो गया। दीर्घतर परिपक्वतावाली जमाराशियों (5 वर्ष से अधिक) का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से कम हो गया, जबकि अल्पतर (एक वर्ष तक) परिपक्वतावाली जमाराशियों का हिस्सा बढ़ गया (सारणी 4.15)। 1-3 वर्ष की परिपक्वतावाली मीयादी

**चार्ट IV.6 : बैंकों की कुल जमाराशियों में चालू, बचत एवं मीयादी जमाराशियों के हिस्से की प्रवृत्तियां**

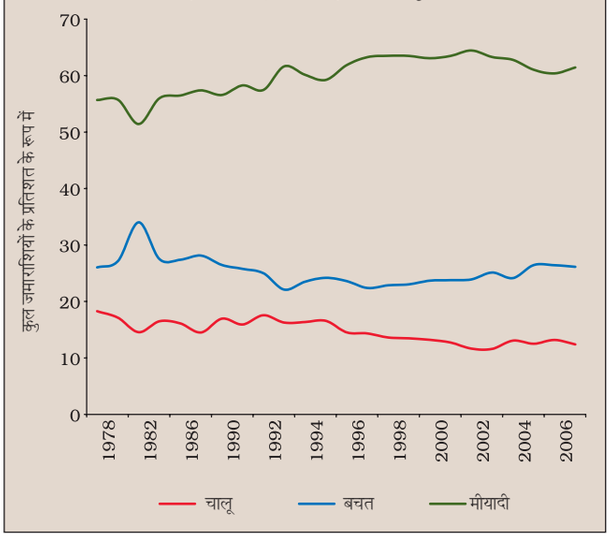


**सारणी 4.15 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों का परिपक्वता-वार स्वामित्व स्वरूप**

(मार्चांत)

(राशि करोड़ रुपए)

| परिपक्वता अवधि (मूल) | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **व्यक्तिगत** | | | | | | | |
| 1 वर्ष तक | 5,258 | 37,477 | 95,647 | 1,91,392 | 1,99,102 | 1,87,737 | 1,81,743 |
| | (9.0) | (20.7) | (23.9) | (31.2) | (31.5) | (29.3) | (25.2) |
| 1-3 वर्ष | 27,931 | 84,745 | 1,58,130 | 2,22,687 | 2,25,634 | 2,40,450 | 2,99,958 |
| | (47.9) | (46.8) | (39.5) | (36.3) | (35.7) | (37.6) | (41.5) |
| 3-5 वर्ष | 10,796 | 35,146 | 95,900 | 1,42,798 | 1,41,282 | 1,42,451 | (1,60,298) |
| | (18.5) | (19.4) | (23.9) | (23.3) | (22.4) | (22.2) | (22.2) |
| 5 वर्ष से अधिक | 14,339 | 23,699 | 51,107 | 56,701 | 64,811 | 69,791 | 79,703 |
| | (24.6) | (13.1) | (12.8) | (9.2) | (10.3) | (10.9) | (11.0) |
| **उप-जोड़** | **58,324** | **1,81,068** | **4,00,784** | **6,13,577** | **6,30,829** | **6,40,429** | **7,21,703** |
| | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** |
| **अन्य** | | | | | | | |
| 1 वर्ष तक | 3,744 | 20,376 | 53,657 | 1,64,729 | 2,19,889 | 3,04,767 | 4,15,683 |
| | (31.9) | (49.1) | (46.5) | (51.1) | (50.7) | (50.3) | (47.6) |
| 1-3 वर्ष | 5,121 | 16,008 | 39,099 | 96,636 | 1,37,199 | 2,08,208 | 3,37,568 |
| | (43.6) | (38.6) | (33.9) | (30.0) | (31.6) | (34.4) | (38.6) |
| 3-5 वर्ष | 1,038 | 3,384 | 17,992 | 40,567 | 51,331 | 58,776 | 85,095 |
| | (8.8) | (8.2) | (15.6) | (12.6) | (11.8) | (9.7) | (9.7) |
| 5 वर्ष से अधिक | 1,848 | 1,685 | 4,696 | 20,348 | 24,898 | 34,172 | 36,091 |
| | (15.7) | (4.1) | (4.1) | (6.3) | (5.8) | (5.6) | (4.1) |
| **उप जोड़** | **11,752** | **41,453** | **1,15,444** | **3,22,279** | **4,33,317** | **6,05,924** | **8,74,437** |
| | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** |
| **जोड़** | | | | | | | |
| 1 वर्ष तक | 9,002 | 57,853 | 1,49,304 | 3,56,120 | 4,18,991 | 4,92,504 | (5,97,427) |
| | (12.8) | (26.0) | (28.9) | (38.0) | (39.4) | (39.5) | (37.4) |
| 1-3 वर्ष | 33,052 | 1,00,753 | 1,97,229 | 3,19,323 | 3,62,833 | 4,48,659 | 6,37,526 |
| | (47.2) | (45.3) | (38.2) | (34.2) | (34.1) | (36.0) | (39.9) |
| 3-5 वर्ष | 11,834 | 38,530 | 1,13,892 | 1,83,364 | 1,92,613 | 2,01,227 | 2,45,393 |
| | (16.9) | (17.3) | (22.1) | (19.6) | (18.1) | (16.1) | (15.4) |
| 5 वर्ष से अधिक | 16,188 | 25,384 | 55,803 | 77,048 | 89,709 | 1,03,963 | 1,15,794 |
| | (23.1) | (11.4) | (10.8) | (8.2) | (8.4) | (8.3) | (7.3) |
| **जोड़** | **70,076** | **2,22,520** | **5,16,228** | **9,35,856** | **10,64,146** | **12,46,353** | **15,96,140** |
| | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** |

**टिप्पणी** : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े उप-जोड़ / जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
**स्रोत** : भारत में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, भारतीय रिज़र्व बैंक।

जमाराशियों का हिस्सा भी उल्लेखनीय रूप से कम हो गया, जबकि 3-5 वर्ष की परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों के हिस्से में थोड़ी गिरावट आई। यह पैटर्न मोटे तौर पर व्यक्तियों तथा गैर व्यक्तियों दोनों में देखा गया। मीयादी जमाराशियों में ब्याज दरों में गिरावट तथा अन्य बचत लिखतों पर कर-समायोजित प्रतिलाभों में वृद्धि इस प्रवृत्ति में अंशदान करनेवाले दो प्रमुख कारक थे।

4.39 2005-06 से 2007-08 के चौथे चरण में, मांग तथा मीयादी दोनों जमाराशियों मे वृद्धि के कारण जमाराशि वृद्धि में तेजी आई (देखें सारणी 4.4)। 2003-04 से वृद्धि की गति बढ़ने के साथ, बैंकों से ऋण की मांग में निरंतर आधार पर वृद्धि हुई, जिससे बैंकों को आक्रामक जमा संग्रहण के लिए रणनीतियां तैयार करनी पड़ीं। इस चरण में मांग जमाराशियों में हुई तेज वृद्धि ने कुछ सीमा तक चालू खाते में शेष राशियों में वृद्धि दर्शायी, जो बैंक ऋण के उठाव में वृद्धि तथा पूंजी बाजार की स्थितियों में उछाल को देखते हुए म्यूच्युअल फंडों और कंपनियों द्वारा निधियां रखे जाने के अनुरूप थी। जहां तक आवधिक जमाराशियों का संबंध है, 'लेवल प्लेइंग फील्ड' उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2006-07 के केंद्रीय बजट में धारा 80 सी के तहत कर लाभों का विस्तार 5 वर्ष और अधिक परिपक्वतावाली अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमाराशियों तक भी कर दिया (बॉक्स IV.2)। 2004-05 से उच्चतर स्तर पर बैंकों से ऋण के उठाव में वृद्धि बने रहने को देखते हुए, बैंकों ने विभिन्न परिपक्वता की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें अल्प बचतों पर लागू ब्याज दरों से ऊपर करनी शुरू कर दीं ताकि विभिन्न जमा योजनाओं की आकर्षकता में सुधार हो सके। तथापि, डाक घर जमाराशियों पर ब्याज की दरें अपरिवर्तित बनी रहीं (देखें सारणी 4.9)। तदनुसार, आरंभ में ब्याज दर अंतर कम हो गया तथा बाद में वह बैंक जमाराशियों के पक्ष में चला गया। फलस्वरूप, अल्प बचतों से निधियों का झुकाव बैंक जमाराशियों की ओर हुआ (देखें चार्ट IV.5)।

4.40 दीर्घावधि जमाराशियों पर मिलनेवाले कर लाभों के अलावा, उच्चतर ब्याज दरों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक जमा योजनाएं आरंभ करने से भी बैंकों द्वारा आवधिक जमा संग्रहण में सुधार हुआ। जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) की न्यूनतम परिपक्वता अवधि कम कर अप्रैल 2005 में 7 दिन कर दिए जाने से भी सीडी में रुचि बढ़ गई। जून 1989 में आरंभ किए गए सीडी अनिवार्य रूप से प्रतिभूतिकृत अल्पावधि आवधिक जमाराशियां हैं जो अल्पावधि अधिशेष निधियों का नियोजन करने के लिए निवेशकों को गुरुतर लचीलापन प्रदान करते हैं। उन्हें चलनिधि की सख्ती की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा मीयादी जमा दरों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्चतर बट्टा दरों पर जारी किया जाता है। 1992 में सीडी पर जमा दरें अविनियमित किए जाने तथा 2002 में उनका

**बॉक्स IV.2**
**अल्प बचत दरों का युक्तियुक्तकरण**

ब्याज दरों के अविनियमन की प्रक्रिया के अंग के रूप में, सरकार ने 1999-2000 में अल्प बचत पर ब्याज दरों को युक्तियुक्त बनाया। हाल के वर्षों में, सरकार ने उन विभिन्न वित्तीय बचत लिखतों पर लागू कर उपचार को और युक्तियुक्त करने का प्रयास किया, जो समरूप नहीं थीं। बचत योजनाओं में किए जाने वाले अंशदानों के कराधान में, ऐसी योजनाओं में संचित राशि पर उगाहे जाने वाले कर में तथा आहरण के अंतिम चरण में कर उपचार में काफी अंतर है। एकरूपता में इस कमी के कारण विभिन्न वित्तीय लिखतों के बीच कृत्रिम विकृतियों तथा पूर्वाग्रह को प्रेरणा मिलती है। जहां कई बचत योजनाएं 'मुक्त-मुक्त-मुक्त' (ईईई) नामक सभी तीन चरणों में कर से मुक्त होती हैं, अन्य योजनाएं या तो संचय के स्तर पर अथवा अंतिम चरण में प्राप्त भुगतान के स्तर पर कर के अधीन होती हैं। 'मुक्त-मुक्त-करयुक्त' (ईईटी) पद्धति में वित्तीय बचतों के कराधान संबंधी सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथा को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने भी 1 अप्रैल 2006 तक चरणबद्ध रूप में इस प्रणाली में अंतरण किया। पहले उपाय के रूप में, इसके लिए छूट पद्धति से आय आधारित कटौती पद्धति में अंतरण अपेक्षित था। अतः, केंद्रीय बजट 2005-06 के प्रस्ताव के अनुसार, विनिर्दिष्ट बचत योजनाओं में किए गए अभिदान-निवेश के लिए धारा 88 के तहत कर छूट प्रदान करने की उस समय लागू पद्धति को आय कर अधिनियम के अध्याय VI-क के तहत एक नयी धारा 80सी जोड़कर अभिदानों के लिए आय आधारित कटौती द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तदनुसार, व्यक्ति अथवा हिंदू अविभक्त परिवार को कतिपय विनिर्दिष्ट योजनाओं में कर योग्य आय में से पिछले साल प्रदत्त अथवा जमा की गयी राशि के संबंध में एक लाख रुपये से अनधिक राशि को आय से कटौती की अनुमति दी गयी, जिसे क्रमिक रूप से बढ़ाकर 2007-08 में 1,15,000 रुपए (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम सहित) तथा और बढ़ाकर 2008-09 के बजट में 1,30,000 रुपए किया गया। आश्रित मातापिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 15,000 रुपए की अतिरिक्त राशि की अनुमति दी जाएगी। आय कर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत नयी योजनाओं के अंतर्गत कर लाभ के लिए पात्र बचत लिखतें वे ही हैं जो धारा 88 के तहत आय कर से छूट के लिए पात्र थीं, तथा इसमें जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि के लिए अंशदान अथवा आस्थगित वार्षिकी की योजनाएं, मूलभूत संरचना बांडों की खरीद, शिक्षण शुल्क का भुगतान, आवास ऋणों की मूल राशि की चुकौती आदि भी शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 तथा डाक घर आवधिक जमा खाता को पात्र बचत लिखतों में शामिल कर 2008-09 के बजट में धारा 80 सी की व्याप्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव है। अल्प बचत दरें तथा सीमांत आय कर दरें मार्च 2003 से अपरिवर्तित बनी हुई हैं, जबकि धारा 80 सी के तहत कर छूट सीमाएं क्रमिक बजटों में संशोधित कर बढ़ा दी गयी हैं। पूंजी बाजार लिखतों के संबंध में, यद्यपि अल्पावधि पूंजी लाभ पर उच्चतर कर दरें लागू हैं, दीर्घावधि पूंजी लाभ की छूट इन लिखतों को मीयादी जमाराशियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बना देती है।

न्यूनतम निर्गम आकार कम कर एक लाख रुपया किये जाने और उन्हें सिर्फ अब भौतिक रूप में जारी किए जाने की अपेक्षा किए जाने के बावजूद 2004 तक इस बाजार खंड में, 1990 के दशक के मध्य के दौरान ऋण में वृद्धि के वर्षों को छोड़कर, शायद ही कोई कार्यकलाप हुआ हो। 2004-05 से लगभग 30 प्रतिशत पर बैंक ऋण वृद्धि बने रहने के साथ, बैंकों ने ऋण की तीव्र मांग का समर्थन करने के लिए अपने जमा संग्रहण की अनुपूर्ति हेतु सीडी के निर्गम का अधिकाधिक आश्रय लिया। बड़ी मात्रा में जमाराशियां आकृष्ट करने हेतु नकदी की तंगी वाले बैंकों द्वारा प्रस्तावित किए जा सकने वाले प्रतिलाभ के लचीलेपन ने विशेष रूप से सीमित शाखा नेटवर्क और खुदरा ग्राहक आधार वाले निजी एवं विदेशी बैंकों द्वारा संसाधन संग्रहण हेतु सीडी को पसंदीदा मार्ग बना दिया। तदनुसार, बैंकों द्वारा जारी किए गए सीडी की बकाया राशि मार्च 2005 के अंत के 12,078 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2007 के अंत तक 93,272 करोड़ रुपए तथा और बढ़कर 28 मार्च 2008 को 1,47,792 करोड़ रुपए हो गई। तदनुसार, एससीबी की सकल जमाराशियों में बकाया सीडी का हिस्सा 2004-05 के एक प्रतिशत से कम से बढ़कर 2007-08 के दौरान 4.6 प्रतिशत हो गया। सीडी पर औसत बट्टा दर, जो ब्याज दरों में सामान्य तेजी के अनुरूप मार्च 2005 के अंत के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 11.1 प्रतिशत हो गई थी, उसके बाद कुछ कम हो गई (चार्ट IV.7)।

**चार्ट IV.7 : जमा प्रमाणपत्र**

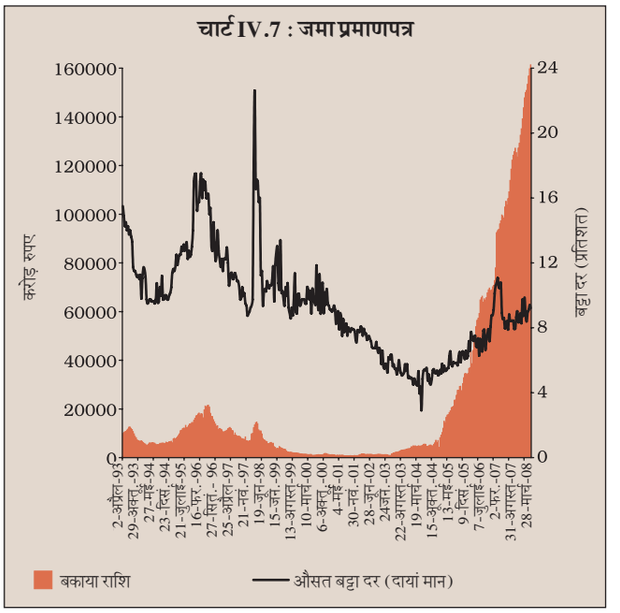


4.41 इस चरण में अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) जमाराशियों की वृद्धि में उल्लेखनीय कमी आई। फलस्वरूप, एससीबी की समस्त जमाराशियों में एनआरआइ जमाराशियों का हिस्सा, जो मार्च 1993 के अंत में 15.5 प्रतिशत था, निरंतर घटकर (1997 को छोड़कर) मार्च 2004 के अंत में 9.5 प्रतिशत तथा मार्च 2007 के अंत में 6.4 प्रतिशत रह गया (सारणी 4.16)। फलस्वरूप, कुल जमाराशियों में विदेशी जमाराशियों का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से कम हो गया (देखें

**सारणी 4.16 : अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) जमाराशियां**

(राशि करोड़ रुपए में)

| मार्चांत | एनआर (इ) आरए | एफसी एनआर (ए) | एफसी एनआर (बी) | एनआर (एनआर) आरडी | एफसी (बीएंडओ) डी | एफसी (ओ) एन | कुल एनआरआइ जमाराशियां | कुल जमा राशियों में एनआरआइ का हिस्सा (प्रतिशत) | कुल एनआरआइ जमाराशियों में वृद्धि (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1991 | 7,040 | 19,845 | – | – | 515 | – | 27,400 | 12.1 | — |
| 1992 | 7,833 | 30,576 | – | – | 1,895 | – | 40,304 | 15.2 | 47.1 |
| 1993 | 8,616 | 33,163 | – | 1,952 | 3,261 | – | 46,992 | 15.5 | 16.6 |
| 1994 | 11,053 | 29,176 | 3,476 | 5,501 | 1,672 | 38 | 50,916 | 14.6 | 8.4 |
| 1995 | 14,348 | 22,207 | 9,648 | 7,831 | – | 32 | 54,066 | 13.3 | 6.2 |
| 1996 | 13,452 | 14,616 | 19,648 | 12,166 | – | 45 | 59,927 | 13.1 | 10.8 |
| 1997 | 17,886 | 8,282 | 26,906 | 20,116 | – | 14 | 73,204 | 13.6 | 22.2 |
| 1998 | 22,267 | 4 | 33,445 | 24,735 | – | 9 | 80,460 | 12.5 | 9.9 |
| 1999 | 25,629 | – | 33,222 | 28,058 | – | – | 86,909 | 11.3 | 8.0 |
| 2000 | 29,465 | – | 35,632 | 29,447 | – | – | 94,544 | 10.5 | 8.8 |
| 2001 | 33,357 | – | 42,357 | 31,966 | – | – | 1,07,680 | 10.2 | 13.9 |
| 2002 | 41,205 | – | 47,175 | 34,392 | – | – | 1,22,772 | 10.2 | 14.0 |
| 2003 | 71,184 | – | 48,651 | 16,253 | – | – | 1,36,088 | 10.0 | 10.8 |
| 2004 | 92,977 | – | 49,572 | 7,895 | – | – | 1,50,444 | 9.5 | 10.5 |
| 2005 | 93,159 | – | 50,108 | 1,015 | – | – | 1,44,282 | 7.9 | -4.1 |
| 2006 | 98,443 | – | 58,272 | – | – | – | 1,56,715 | 7.2 | 8.6 |
| 2007 | 1,06,786 | – | 65,955 | – | – | – | 1,72,741 | 6.4 | 10.2 |

**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07 एवं भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति से संबंधित रिपोर्ट, 2006-07।

सारणी 4.13)। 2003-04 के आरंभ से देखी गई तीव्र गिरावट के कारण थे - विभिन्न एनआरआइ जमा योजनाओं का युक्तियुक्तकरण तथा विदेश में न्यूनतर ब्याज दरों को देखते हुए पूंजी प्रवाहों के प्रबंधन तथा बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा उधारों के आश्रय में वृद्धि की रणनीति के अंग के रूप में विभिन्न जमा योजनाओं हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम ब्याज दरों में गिरावट। वर्तमान में 24 अप्रैल 2007 से सभी परिपक्वताओं की अधिकतम सीमा एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के संबंध में लिबोर/स्वैप दर घटाव 75 आधार अंक तथा एनआर(ई)आरए जमाराशियों के संबंध में लिबोर/स्वैप दर है। एनआरआइ जमा योजनाओं को भुगतान संतुलन के समर्थन के लिए 1970 के दशक में तथा 1990 के दशक में शुरू किया गया (बॉक्स IV.3)।

4.42 तथापि एनआरआइ जमाराशियों में गिरावट का समग्र जमा वृद्धि पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा। पूंजी बाजार लिखतों (शेयर/डिबेंचर/म्यूच्युअल फंडों के यूनिट) से बैंकों को प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बावजूद जमाराशियों में वृद्धि दर्ज की गई। यह उल्लेखनीय है कि जहां पूंजी बाजार लिखतों पर लाभांश आय कर से मुक्त है, निवेशकों को भी दीर्घावधि पूंजी लाभ पर कर नहीं अदा करना पड़ता, जबकि अल्पावधि पूंजी लाभ पर 10 प्रतिशत कर लगाया जाता है (2008-09 के बजट में इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया) । म्यूच्युअल फंडों तथा नए पूंजी निर्गमों द्वारा जुटाई गई निधियों में तीव्र वृद्धि हुई जो पूंजी बाजार में तेजड़िया रुख को दर्शाता है। तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्चतर वृद्धि पथ पर अग्रसर होने तथा समग्र एवं क्षेत्रवार बचत दरों में तीव्र वृद्धि होने के साथ, बैंकों, गैर बैंकों तथा इक्विटी बाजार लिखतों के जरिए संसाधन संग्रहण में आम तौर पर सुधार हुआ (सारणी 4.17)

4.43 घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों के विभिन्न घटकों में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया। घरेलू क्षेत्र की बचतों में बैंक बचतों का हिस्सा 1995-96 से 2004-05 के दौरान 36.9 प्रतिशत था जो उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2005-06 से 2006-07 के दौरान 50.9 प्रतिशत हो गया। पूंजी बाजार लिखतों तथा जीवन बीमा निधि का हिस्सा भी बढ़ गया। दूसरी ओर, सरकार पर दावों का हिस्सा गिर गया (देखें सारणी 4.7)।

## बॉक्स IV.3
## अनिवासी जमाराशियां

कई अन्य विकासशील देशों की तरह भारत अपनी बाह्य पूंजी अपेक्षाओं का एक भाग विदेशी मुद्रा तथा स्थानीय मुद्रा दोनों में बैंकों द्वारा अनिवासियों के लिए तैयार की गयी विशेष जमा योजनाओं के जरिए जुटा रहा है। 1970 के दशक के तेल आघातों की पृष्ठभूमि में तथा तेल संपन्न देशों में नियोजित अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) की बचतों का दोहन करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अनिवासी बाह्य रुपया खाता [एनआर(ई)आरए] आरंभ कर पहली बार फरवरी 1970 में विशेष जमा योजनाएं तैयार कीं जिनके बाद नवम्बर 1975 में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता [एफसीएनआर(ए)] आरंभ किया गया। एफसीएनआर(ए) योजना को, जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी जोखिम का वहन आरंभ में रिज़र्व बैंक द्वारा तथा बाद में सरकार द्वारा किया जाता था, केंद्रीय बैंक के तुलनपत्र पर पड़ने वाले प्रभाव तथा सरकार के प्रति इसकी अर्द्ध-राजकोषीय लागत को देखते हुए अगस्त 1994 में हटा दिया गया। बाजार निर्धारित विनिमय दर युग के अंतर्गत जमाकर्ताओं को एफसीएनआर(ए) का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] आरंभ किया गया, जिसके तहत विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी जोखिम का वहन बैंकों द्वारा उनकी जोखिम अवधारणाओं के आधार पर किया जाता है। एक नयी रुपया मूल्यवर्गित योजना अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रूपया जमा [एनआर(एनआर)आरडी] आरंभ की गयी, जो आरंभ में अप्रत्यावर्तनीय थी, परंतु बाद में उसमें सिर्फ ब्याज संबंधी आय के पुनःप्रत्यावर्तन की विशेषता उपलब्ध करायी गयी। अप्रैल 2002 में एनआर(एनआर)आरडी योजना को हटा लिया गया। इस प्रकार, वर्तमान में सिर्फ दो अनिवासी भारतीय जमायोजनाएं - एनआर(ई)आरए योजना, जिसे एनआरई योजना के रूप में भी जाना जाता है तथा एफसीएनआर(बी) योजना - परिचालन में हैं। जहां अनिवासी भारतीय जमाराशियां बाह्य वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, बैंकों द्वारा इन जमाराशियों की स्वीकृति के मौद्रिक निहितार्थ थे। अतः, 1990 के दशक से अनिवासी भारतीय जमा योजनाओं की आकर्षकता बनाए रखने की नीति है, जबकि साथ ही ब्याज के बहिर्वाह तथा समष्टि आर्थिक प्रबंधन की लागत के रूप में उधार की प्रभावी लागत कम की जानी है। इन उद्देश्यों के अनुरूप, जहां इन जमाओं पर ब्याज दरों को क्रमिक रूप से अविनियमित किया गया था, वहीं आरक्षित निधि अपेक्षाओं तथा, हाल की अवधि में, ब्याज दर की अधिकतम सीमाओं को समग्र समष्टि आर्थिक प्रबंधन के अनुरूप इन प्रवाहों को अनुकूल बनाने की रणनीति के अंग के रूप में पूंजी प्रवाह चक्रों के संबंध में 'फाइन-ट्यून' किया गया है।

एनआरआइ जमा योजनाओं के जरिए बाह्य संसाधनों तक पहुंच बनाने के अलावा, बैंकों ने समय-समय पर कतिपय गैर-अनुकूल बाह्य गतिविधियों के प्रतिसाद में विशेष जमा योजनाओं के जरिए भी निधियां जुटाने का आश्रय लिया है। 1991 से विनिमय दर गारंटियों के साथ बैंकिंग सरणियों के जरिए ऐसी तीन योजनाएं आरंभ की गयी हैं। भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट के बाद, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने अक्तूबर 1991 में पांच वर्षीय इंडिया डेवलपमेंट बांड (आइडीबी) जारी कर 1.6 बिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटायी। पूंजी प्रवाहों, विशेषकर ऋण प्रवाहों, में प्रत्याशित कमी को देखते हुए एसबीआइ ने अगस्त 1998 में पांच वर्षीय रिसर्जेंट इंडिया बांड (आरआइबी) जारी कर 4.2 बिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटायी। तीसरी बार, एसबीआइ ने दिसम्बर 2000 में पांच वर्षीय इंडिया मिलेनियम डिपोजिट (आइएमडी) जारी कर एक पूर्वक्रयात्मक उपाय के रूप में 5.5 बिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटायी ताकि विश्वभर में पेट्रोल के मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में किसी प्रकार की संभावित कमी को नियंत्रित किया जा सके।

## सारणी 4.17 : बैंकों, गैर-बैंकों तथा इक्विटी बाज़ार द्वारा संसाधन संग्रहण (प्रवाह)

( करोड़ रुपए)

| वर्ष | एनबीएफसी के साथ जनता की जमाराशियां | अल्प बचत | म्यूच्युअल फंड | गैर सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा नए पूंजी निर्गम | एससीबी की कुल जमाराशियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1970-71 | – | 323* | 18 | 66 | 878 |
| 1980-81 | – | 1,266 | 52 | 164 | 6,229 |
| 1990-91 | – | 8,545 | 7,508 | 4,312 | 25,582 |
| 1995-96 | – | 10,391 | -5,833 | 15,998 | 51,526 |
| 1996-97 | – | 12,383 | -2,037 | 10,410 | 80,119 |
| 1997-98 | – | 20,644 | 4,064 | 3,138 | 1,06,305 |
| 1998-99 | -3,392 | 28,541 | 2,695 | 5,013 | 1,27,061 |
| 1999-00 | -1,087 | 32,214 | 22,117 | 5,153 | 1,25,567 |
| 2000-01 | -1,257 | 37,577 | 11,135 | 5,818 | 1,58,691 |
| 2001-02 | 737 | 37,769 | 10,120 | 5,692 | 1,50,544 |
| 2002-03 | 1,278 | 50,937 | 4,583 | 1,878 | 1,49,724 |
| 2003-04 | -456 | 61,944 | 47,873 | 3,722 | 2,22,796 |
| 2004-05 | 882 | 81,995 | 2,789 | 13,079 | 2,59,109 |
| 2005-06 | 2,316 | 69,879 | 52,482 | 21,154 | 3,26,918 |
| 2006-07 | – | 36,761 | 91,271 | 31,600 | 5,32,299 |

* : 1971-72 से संबंधित ।

– : उपलब्ध नहीं ।

**टिप्पणी** : 1994-95 तक की अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां भारिबैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत विवरणियों से तथा 1995-96 एवं आगे की जमाराशियां समेकित तुलन पत्रों से हैं।

**स्रोत** : हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, भारतीय रिजर्व बैंक।

4.44 बैंक जमाराशियां देशी बचतों का अकेला सबसे बड़ा स्रोत हैं। समय-समय पर हुए कुछ घटबढ़ के बावजूद, देशी बचतों में बैंक जमाराशियों का प्रमुख स्थान बना हुआ है तथा इसने सकल देशी बचतों में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों का हिस्सा 1950 के दशक के 1.9 प्रतिशत के औसत से बढ़ाकर 2000-2007 के दौरान 10.8 प्रतिशत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। घरेलू क्षेत्र ने निर्माण, मशीनरी और उपस्कर, तथा हाल के वर्षों में स्टॉकों में परिवर्तन, जिनमें निवल घरेलू वित्तीय बचतों को कम करने की प्रवृत्ति थी, के रूप में भौतिक आस्तियों में निवेश करने के लिए अधिकाधिक वित्तीय देयताओं, विशेष तौर पर बैंक अग्रिमों के माध्यम से, का वहन किया है। तथापि यह नोट करना उल्लेखनीय है कि घरेलू क्षेत्र की भौतिक बचतें भी सकल वित्तीय बचतों में वृद्धि के अनुरूप रही हैं (सारणी 4.18 तथा चार्ट IV.8)।

## सारणी 4.18: सकल देशी बचत दरें

(जीडीपी का प्रतिशत)

| क्षेत्र | 1950 का दशक | 1960 का दशक | 1970 का दशक | 1980 का दशक | 1990 का दशक | 2000-01 से 2006-07 तक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. घरेलू क्षेत्र (1.1+1.2) | 6.6 | 7.6 | 11.4 | 13.5 | 17.7 | 23.2 |
| | (68.2) | (61.7) | (66.5) | (71.0) | (77.0) | (80.9) |
| 1.1 वित्तीय बचत | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 6.7 | 9.9 | 10.8 |
| | (18.8) | (21.8) | (26.0) | (35.4) | (43.3) | (37.9) |
| 1.2 भौतिक बचत | 4.7 | 4.9 | 6.9 | 6.8 | 7.8 | 12.3 |
| | (49.4) | (39.9) | (40.5) | (35.6) | (33.7) | (43.0) |
| 2. निजी कारपोरेट क्षेत्र | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 3.8 | 5.3 |
| | (10.4) | (12.0) | (9.1) | (9.2) | (16.3) | (17.8) |
| 3. सार्वजनिक क्षेत्र | 2.0 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 1.5 | 0.7 |
| | (21.4) | (26.3) | (24.3) | (19.9) | (6.7) | (1.3) |
| **4. सकल देशी बचत (1+2+3)** | **9.7** | **12.3** | **17.2** | **19.0** | **23.0** | **29.2** |
| | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** |

**टिप्पणी :** कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सकल देशी बचतों के प्रतिशत हैं।

**चार्ट IV.8 : घरेलू बचत दरें**

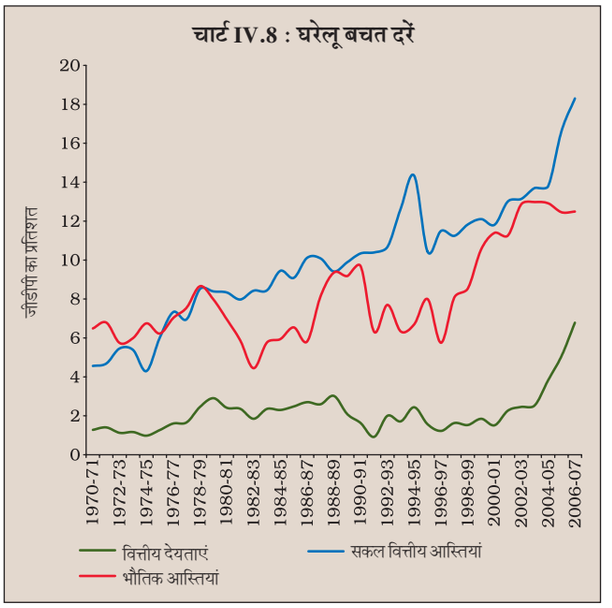


यद्यपि भौतिक आस्तियों में बचत का एक हिस्सा वास्तविक जरूरतों के लिए है, तथापि काफी बड़ा हिस्सा अनुत्पादक आस्तियों में अवरुद्ध है।

4.45 यद्यपि भारत में जीडीपी के प्रति बैंक जमाराशियों के अनुपात में (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा अपस्फीत) कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है, तथापि यह अभी भी लगभग सभी उन्नत देशों तथा नमूने में शामिल एशिया की कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में न्यूनतर था (सारणी 4.19)। यह इस तथ्य के बावजूद था कि कुछ उन्नत देशों में प्रधान तौर पर बाजार आधारित प्रणालियां हैं। विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करनेवाले 116 देशों के विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि जीडीपी के प्रति बैंक जमाराशियों का अनुपात सामान्यतः आय स्तरों में वृद्धि के अनुरूप चलता है (चार्ट IV.9)।

4.46 भारत में जमा-जीडीपी अनुपात कम होने का प्रमुख कारण कुल बचतों में भौतिक बचतों का उच्च हिस्सा होना है, हालांकि भारत की बचत दर कई उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अनुकूल है (सारणी 4.20)।

**सारणी 4.19: जीडीपी की तुलना में बैंक जमाराशियों का अनुपात (सीपीआइ द्वारा अपस्फीत) : विभिन्न देशों के साक्ष्य**

| देश / वर्ष | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **विकसित अर्थव्यवस्थाएं** | | | | | | | | | | |
| ऑस्ट्रेलिया | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.75 |
| कनाड़ा | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.46 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 1.52 |
| फ्रान्स | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.68 |
| जर्मनी | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.90 | 0.99 |
| जापान | 0.40 | 0.65 | 0.78 | 1.13 | 1.32 | 1.54 | 1.77 | 1.97 | 2.30 | 1.90 |
| न्यूजीलैंड | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.72 | 0.74 | 0.82 | 0.94 |
| स्वीडन | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.48 |
| स्विटजरलैंड | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.73 | 0.84 | 1.05 | 1.02 | 1.13 | 1.31 | 1.40 |
| यूनाइटेड किंगडम | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.37 | 0.88 | 0.63 | 1.01 | 1.32 |
| यूनाइटेड स्टेट्स | 0.55 | 0.62 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.56 | 0.64 | 0.68 |
| **उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं** | | | | | | | | | | |
| ब्राजील | – | – | – | – | – | – | 0.18 | 0.25 | 0.40 | 0.52 |
| चिली | – | – | — | 0.07 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.49 | 0.47 |
| **भारत** | **0.12** | **0.11** | **0.13** | **0.17** | **0.26** | **0.31** | **0.31** | **0.33** | **0.43** | **0.53** |
| इंडोनेशिया | – | – | – | – | – | 0.17 | 0.30 | 0.39 | 0.45 | 0.35 |
| इज़राइल | – | – | – | – | 0.12 | 0.68 | 0.57 | 0.58 | 0.78 | 0.87 |
| कोरिया | – | – | – | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.61 | 0.66 |
| मलेशिया | 0.14 | 0.16 | 0.30 | 0.56 | 0.62 | 1.02 | 0.81 | 0.95 | 1.12 | 1.16 |
| मेक्सिको | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| फिलीपीन्स | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 0.50 | 0.47 |
| साउथ अफ्रीका | – | – | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.57 |
| थाईलैंड | – | – | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.53 | 0.63 | 0.73 | 1.03 | 0.94 |

**टिप्पणी** : 1. चूंकि जमाराशि के आंकडे स्टॉक में तथा जीडीपी के आंकडे प्रवाह में हैं, जीडीपी की तुलना में जमाराशि के अनुपात की गणना विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित अपस्फीति पद्धति से की गई है : {(0.5)*[Ft/P_et + Ft-1/P_et-1]}/[GDPt/P_at], जहां F मांग, आवधिक तथा बचत जमाराशियां हैं, P_e अवधि के अंतका सीपीआइ है, तथा P_a औसत वार्षिक सीपीआइ है।

2. 1990 के जर्मनी एवं ब्राजील के आंकड़े वर्ष 1992 से संबंधित हैं।

**स्रोत** : वित्तीय विकास एवं संरचना पर विश्व बैंक का नया डेटाबेस, अक्तूबर 2007।

चार्ट IV.9: बैंक जमाराशि वृद्धि और प्रति व्यक्ति जीडीपी : 2006

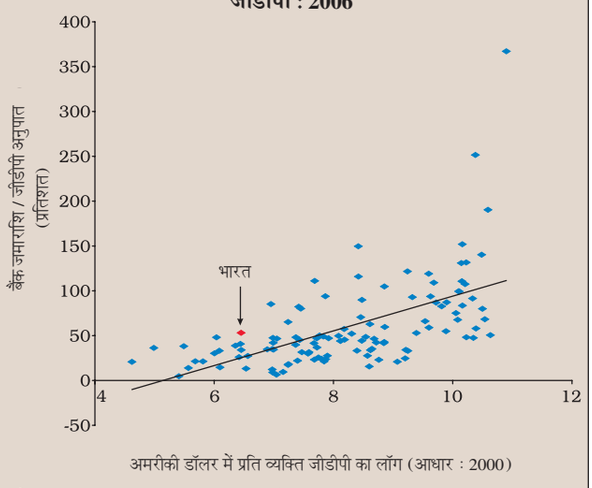


**स्रोत** : वित्तीय विकास एवं संरचना पर विश्व बैंक का नया डेटाबेस, 2007

## बैंकों की देयता संरचना: जमाराशि बनाम उधार

4.47 कई देशों में जमाराशि बैंकों के लिए निधियों का मुख्य स्रोत है। तथापि कुछ देशों में बैंक उधार पर काफी निर्भर रहते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली की तरलता और शोधनीयता तथा उसकी समग्र स्थिरता का प्रश्न उत्पन्न होता है (बॉक्स IV.4)।

4.48 जमाराशियां भारत में बैंकों के लिए निधियों का मुख्य स्रोत हैं। कुछ वर्षों में बैंकों की कुल देयताओं में जमाराशियों का हिस्सा मोटे तौर पर स्थिर बना रहा है। कुल देयताओं में पूंजी और आरक्षित निधियों का हिस्सा, जो 1990-91 में बहुत कम था, 1992-93 से लागू किए गए बासेल I मानदंडों के तहत जोखिम भारित आस्तियों पर आधारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाओं पर दिए जा रहे बल के अनुरूप काफी बढ़कर मार्च 1995 के अंत तक 6.2 प्रतिशत हो गया। जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी का अनुपात (सीआरएआर), जो शुरुआत में 8 प्रतिशत था, मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने भी ऋण की तीव्र

### सारणी 4.20: सकल देशी बचत दर : विभिन्न देशों के साक्ष्य

(जीडीपी का प्रतिशत)

| देश | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **विकसित अर्थव्यवस्थाएं** | | | | | | | | | | |
| ऑस्टेलिया | – | – | 31.2 | 26.1 | 26.1 | 24.3 | 23.1 | 22.5 | 22.4 | 25.2 |
| कनाड़ा | 22.0 | 25.6 | 24.1 | 23.2 | 24.8 | 23.2 | 21.0 | 22.0 | 26.0 | 25.3 |
| फ्रान्स | – | – | 26.7 | 23.9 | 22.2 | 18.3 | 21.2 | 19.7 | 21.4 | 19.6 |
| जर्मनी | – | – | – | 21.1 | 20.5 | 19.5 | 23.1 | 22.7 | 22.1 | 23.2 |
| जापान | 34.0 | 34.0 | 41.0 | 33.4 | 31.9 | 32.2 | 34.1 | 29.8 | 26.9 | 24.8 |
| न्यूजीलैंड | – | – | – | 20.6 | 19.4 | 23.8 | 20.3 | 24.1 | 23.2 | 22.1 |
| स्वीडन | – | 27.6 | 26.2 | 25.1 | 20.4 | 22.5 | 23.4 | 23.5 | 24.2 | 25.9 |
| स्विटजरलैंड | – | 34.8 | 35.8 | 30.3 | 28.7 | 29.1 | 31.9 | 28.5 | 28.9 | 28.3 |
| यूनाइटेड किंगडम | 17.6 | 19.4 | 21.1 | 17.7 | 19.9 | 19.3 | 17.6 | 16.6 | 15.5 | 13.6 |
| यूनाइटेड स्टेट्स | 19.6 | 21.2 | 18.4 | 18.4 | 19.8 | 17.5 | 16.3 | 16.9 | 16.6 | 13.5 |
| **उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं** | | | | | | | | | | |
| ब्राजील | 19.6 | 22.2 | 20.1 | 22.9 | 21.1 | 24.4 | 21.4 | 16.5 | 16.5 | 19.7 |
| चिली | 15.2 | 19.3 | 19.8 | 15.0 | 16.9 | 19.6 | 28.6 | 28.4 | 23.7 | 34.9 |
| **भारत** | **11.2** | **13.7** | **14.2** | **16.9** | **18.5** | **19.0** | **22.8** | **24.4** | **23.7** | **32.4** |
| इंडोनेशिया | 12.4 | 7.9 | 14.3 | 26.6 | 38.0 | 29.7 | 32.3 | 30.6 | 32.8 | 29.4 |
| इजराइल | 17.0 | 13.0 | 3.9 | -3.4 | 6.8 | 5.7 | 14.4 | 16.9 | 20.6 | 18.3 |
| कोरिया | 1.9 | 8.0 | 15.2 | 20.2 | 23.9 | 30.6 | 36.4 | 36.6 | 34.2 | 30.9 |
| मलेशिया | 25.7 | 22.0 | 24.3 | 23.3 | 29.8 | 29.9 | 34.5 | 39.7 | 47.3 | 37.7 |
| मेक्सिका | 15.2 | 18.4 | 20.8 | 21.0 | 24.9 | 26.3 | 22.0 | 22.6 | 21.9 | 20.7 |
| फिलीपीन्स | 16.2 | 20.8 | 21.9 | 24.8 | 24.2 | 16.5 | 18.4 | 14.6 | 23.1 | 13.1 |
| साउथ अफ्रीका | 24.2 | 25.8 | 24.1 | 28.3 | 37.9 | 29.4 | 23.2 | 18.9 | 18.9 | 17.1 |
| थाईलैंड | 14.1 | 18.6 | 21.2 | 22.1 | 22.9 | 25.5 | 33.8 | 35.4 | 31.5 | 31.8 |

**टिप्पणी** : 1. ऑस्ट्रेलिया, कनाड़ा, जापान, न्यूज़ीलैंड, स्विटज़रलैंड, और यूनाइटेड स्टेट्स के 2006 के आंकड़े वर्ष 2005 से संबंधित हैं।
2. भारत के आंकड़े राजकोषीय वर्ष के आधार पर हैं।

**स्रोत** : वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स (डब्ल्यूडीआइ) ऑनलाइन, विश्व बैंक तथा हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07, भारतीय रिज़र्व बैंक ।

## बॉक्स IV.4
## जमाराशि बनाम उधार राशि : कुछ मुद्दे

परंपरागत रूप से वित्तीय मध्यस्थता के लिए जमाराशियां बैंकों के निधीयन का प्राथमिक स्रोत हैं, जबकि उन्हें उधार का आश्रय तब लेना पड़ता है जब जमाकर्ता वित्तीय बाजारों के विकास के अनुरूप वैकल्पिक लिखतों के प्रति अपनी वित्तीय आस्तियों का अंतरण करते हैं। चूंकि जमाराशियां सामान्यतः सरकार द्वारा निर्धारित एक थ्रेशोल्ड सीमा तक बीमाकृत होती हैं, वे बिना किसी पूंजी हानि के मांग पर निधियां प्राप्त करने की अनुमति बचतकर्ताओं को देती हैं और इस प्रकार पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। दूसरी ओर, चूक संबंधी जोखिम तथा पहुंच पर प्रतिबंध दोनों के अभाव में बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं की तुलना में न्यूनतर दरों पर जमाराशियां जुटाते हैं क्योंकि जमा बीमा का लाभ बिना किसी प्रीमियम की अदायगी के बैंकों को उपलब्ध होता है। इस प्रकार, बीमाकृत जमाराशियां न सिर्फ निधियों का सब्सिडी-प्राप्त स्रोत हैं अपितु वे बैंकों के लिए पसंदीदा 'मूल' निधीयन भी हैं। बीमाकृत जमाराशियों की तुलना में उधार राशियों का आश्रय न सिर्फ अधिक खर्चीला है अपितु यह बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य तथा वैकल्पिक वित्तीय लिखतों पर उपलब्ध प्रतिलाभों के प्रति अधिक संवेदनशील माना जाता है। जहां गैर-बीमाकृत निधियां प्रदान करनेवालों के सामने बैंक के विफल होने की स्थिति में अपनी राशि खोने की जोखिम रहती है, उनके द्वारा उच्चतर प्रतिलाभ की मांग किए जाने अथवा बैंक से कुछ राशि निकाले जाने की अधिक संभावना रहती है।

तरलता तथा सुरक्षा की निहित विशिष्टताओं के बावजूद, बचतकर्ताओं में अतिरिक्त निधियों के एक हिस्से को बैंक जमाराशियों से हटाकर म्यूच्युअल फंडों, इक्विटी, ऋण लिखतों तथा संविदात्मक बचत लिखतों यथा बीमा, और भविष्य निधि तथा पेंशन निधियों में अंतरित करने की प्रवृत्ति होती है। वित्तीय बाजार की गतिविधियों के अलावा, कई अन्य कारक यथा जनसांख्यिकी और व्यक्तिगत अधिमानों में परिवर्तन भी ऐसे बदलाव में भूमिका निभाते हैं। जहां बुजुर्ग लोग निवेश आय पर निर्भर होते हैं तथा लम्बे समय के लिए अपनी राशि को आबद्ध करने के बजाय जोखिम से बचना चाहते हैं, कार्यशील (मध्यम आयु के) लोग सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते समय उच्चतर प्रतिलाभ की मांग कर सकते हैं तथा दीर्घावधि के लिए निवेश करने के प्रति उनमें अधिक लचीलापन होता है। जनसांख्यिकी में बदलाव के बिना भी, यदि घरेलू क्षेत्र द्वारा अपनी पसंद को बदला जाए तथा वे बीमाकृत जमाराशियों की सुरक्षा के बजाय प्रतिलाभों को अधिक महत्व दें, तो भी बैंक जमाराशियों से लोग दूर भागेंगे। इसके अलावा, वैकल्पिक निवेश क्षेत्रों के प्रति घरेलू क्षेत्र की गुरुतर पहुंच ने, जो सूचना प्रसंस्करण के विकास, दूर संचार प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय इंजिनियरिंग में प्रगति के कारण संभव हुई है, घरेलू क्षेत्र की निधियों का नियोजन गैर जमा आस्तियों में करते समय उनकी लेनदेन लागतों को कम किया है।

बैंकों द्वारा संसाधन प्रबंधन में इन परिवर्तनों के कई निहितार्थ हैं। पहला, सस्ती बीमाकृत जमाराशियों में कमी बैंकों की लागत को बढ़ा देगी क्योंकि वे उधार के जरिए अधिक खर्चीले निधीयन पर निर्भर होंगे। अतः गैर जमा निधीयन के प्रति बदलाव के लिए बैंकों को अधिक सक्रिय, जटिल तथा खर्चीले निधीयन आधार प्रबंधन की ओर जाना पड़ेगा ताकि वे चुकौती संबंधी अपनी वचनबद्धताएं पूरी कर सकें। तदनुसार, बैंकों को राशि बनाए रखने के लिए जमाराशियों पर उच्चतर दर से ब्याज अदा करना पड़ सकता है, जो अन्यथा अन्य निवेशों की ओर जा सकती थी तथा जिसका प्रभाव बैंक की लाभप्रदता और निधि की स्थिरता पर पड़ता। दूसरा, कुछ परिस्थितियों में उधार अथवा थोक जमाराशियों जैसे गैर जमा स्रोतों के जरिए निधियां जुटाना बीमाकृत जमाराशियों की तुलना में मार्जिन पर सस्ता हो सकता है भले ही गैर जमा निधियों पर अदा की गयी दरें वस्तुतः उच्चतर हों। इसका कारण बीमाकृत जमाराशियां जुटाने के लिए अपेक्षित उच्चतर ब्याजेतर लागत यथा शाखाओं, स्टाक तथा प्रौद्योगिकी का व्यय हो सकता है। साथ ही, नई जमाराशियां आकृष्ट करने के लिए दरें बढ़ाते समय इसके मौजूदा जमा आधार की लागत भी बढ़ सकती है, जबकि उधार इसकी मौजूदा जमाराशियों की लागत बदले बिना बैंकों द्वारा जुटाया जा सकता है। अतः, गैर जमा लिखतों के प्रति बढ़ती हुई पसंद को देखते हुए बैंक शाखा संबंधी अपने ढांचे को कम करना अथवा राशि जुटाने के लिए नई तकनीक का सहारा लेना किफायती पा सकते हैं। तथापि, निधीयन के गैर जमा स्रोतों पर बढ़ती हुई निर्भरता के साथ, बैंकों को त्वरित और कम खर्चीली चुकौती अनुसूचियां तैयार करने, आपत्कालीन समर्थन निधियों के अतिरिक्त स्रोतों की स्थापना करने, तथा बिक्री योग्य और तरल प्रतिभूतियों का बफर स्टॉक निर्मित करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता हासिल करनी होगी।

इस प्रकार, इस नए माहौल में बैंकों के सामने मूल जमाराशियों में निहित भंडारित चलनिधि की तुलना में उधार ली गयी चलनिधि से जुड़ी जोखिमों के उचित मूल्यांकन की चुनौती है। उधार का आश्रय बढ़ने से उत्पन्न किसी प्रणालीगत जोखिम का उदय होने पर उससे निपटने के लिए विनियामकों को भी सक्रिय होने की जरूरत है।

वृद्धि के चरणों के दौरान बैंकों के तुलनपत्रों के संरक्षण हेतु एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में अग्रिमों की कतिपय श्रेणियों पर जोखिम भार का लगातार आकलन किया। इसने बैंकों को बाजार से संसाधन जुटाने तथा लाभ को पुनर्नियोजित करने के लिए भी प्रेरित किया (देखें अध्याय V)। तथापि, कुल देयताओं में पूंजी तथा आरक्षित निधियों का हिस्सा 1995 से मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा। बैंकों ने नाबार्ड, एक्ज़िम बैंक तथा भूतपूर्व आइडीबीआइ और रिज़र्व बैंक जैसी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से पुनर्वित्त एवं पुनर्भांजन सुविधा के रूप में प्राप्त उधारों के जरिए अपने संसाधनों की अनुपूर्ति की। रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को खाद्य ऋण पुनर्वित्त, निर्यात ऋण पुनर्वित्त, निधियों के स्रोतों तथा उपयोगों के बीच अंतर होने के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर सहायक (स्टैंडबाइ) पुनर्वित्त तथा अस्थायी वित्तीय संकटों से निपटने के लिए विवेकाधीन पुनर्वित्त के रूप में सुविधाएं प्रदान कीं। 1990 के दशक के दौरान, आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) 1991 के 15 प्रतिशत की ऊंचाई से कम कर नवंबर 1997 में 9.5 प्रतिशत किए जाने के साथ विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं को कुछ युक्तियुक्त बनाया गया जो 1990-91 तथा 1997-98 के बीच कुल देयताओं में उधार के हिस्से में गिरावट

में दिखाई दिया। बाद में, उधार का हिस्सा पुनः बढ़ गया, जो विदेशी मुद्रा उधार, विशेष रूप से निर्यातकर्ताओं को पोतलदानपूर्व विदेशी मुद्रा ऋण (पीसीएफसी) / निर्यात बिल पुनर्भांजन (ईबीआर) स्वीकृत करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बैंकों को दिए गए लचीलेपन को दर्शाता है। बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित सकल अंतराल सीमा के अधीन ऐसे ऋण स्वीकृत करने हेतु देशी विदेशी मुद्रा बाजारों में खरीद-बिक्री स्वैप के माध्यम से उत्पन्न निधियों का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई। बैंकों की समस्त जमाराशियों में समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार का हिस्सा क्रमिक रूप से मार्च 2001 के अंत में कुल जमाराशि के लगभग 0.1 प्रतिशत से बढ़कर नीतिगत लचीलेपन तथा विदेश में ब्याज दरों में आई नरमी के अनुरूप मार्च 2007 के अंत में लगभग 2.3 प्रतिशत हो गया। विदेशी उधार के अलावा, बैंकों ने वित्तीय संस्थाओं से मांग/मीयादी निधीयन के रूप में भी उधार लिया, जिनका कुल देयताओं में हिस्सा 1998-99 के प्रायः शून्य प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में लगभग 3.2 प्रतिशत हो गया। कुछ बैंकों ने गत टियर II पूंजी अपेक्षाओं के रूप में तथा मूलभूत सुविधा वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए पूंजी बाजार से ऋण लिखतों के जरिए भी निधियां जुटाईं। तथापि कुल मिलाकर बैंकों की कुल देयताओं में उधार का हिस्सा मोटे तौर पर 1992 जैसा बना रहा। दूसरी ओर, अन्य देयताओं और प्रावधानों के हिस्से में निरंतर गिरावट आई जो मुख्यतः बैंकों के कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में उनकी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में गिरावट (जो 1996-97 के 15.7 प्रतिशत से गिरकर 2006-07 में 2.5 प्रतिशत हो गया, और परिणामस्वरूप प्रावधानीकरण में गिरावट को दर्शाता है (सारणी 4.21)।

4.49 जमाराशियों की लागत, जो एक अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार और विभिन्न परिपक्वताओं की संविदाकृत जमाराशियों की औसत दर को दर्शाती है, 2003-04 तथा 2005-06 के बीच गिर गई तथा देशी ब्याज दरों में तेजी आने पर 2006-07 में थोड़ी बढ़ गई। उधार की लागत जमा की लागत की तुलना में न्यूनतर थी। तथापि, दोनों के बीच अंतर 2006-07 में उल्लेखनीय रूप से कम हो गया (सारणी 4.22)। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि जहां जमा दरें अंतर्निहित रूप से मंद हैं तथा चलनिधि की स्थितियों के साथ बाद में समायोजित होती हैं, प्रबंधित देयताओं (अर्थात उधारों) पर ब्याज दरें निधियों की विकसित हो रही बाजार लागत के प्रति त्वरित रूप से रेस्पांड करती हैं जैसाकि अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से स्पष्ट है। निधियों की लागत में वृद्धि के साथ 2006-07 में निधियों पर प्रतिलाभ में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप, बैंक अपने अंतराल को कमोबेश बनाए रख सके।

4.50 कुल मिलाकार, भारत स्थित बैंकों ने जनता से जमाराशियां जुटाकर तथा बचत दर को बढ़ाकर वित्तीय मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक जमाराशियों में वृद्धि अलग अलग समय पर

**सारणी 4.21: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताएं - प्रमुख घटकों का हिस्सा**
(आरआरबी को छोड़कर)

(प्रतिशत)

| मार्चांत | पूंजी तथा आरक्षित निधि | जमाराशि | उधार | अन्य देयताएं तथा प्रावधान | कुल देयताएं (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1991 | 1.9 | 70.7 | 8.3 | 19.0 | 3,20,345 |
| 1992 | 2.6 | 77.7 | 6.6 | 13.0 | 3,41,524 |
| 1993 | 3.0 | 78.4 | 7.7 | 11.0 | 3,85,778 |
| 1994 | 5.1 | 80.3 | 3.4 | 11.2 | 4,34,949 |
| 1995 | 6.2 | 78.9 | 4.9 | 10.0 | 5,14,990 |
| 1996 | 6.2 | 76.4 | 7.1 | 10.4 | 5,99,168 |
| 1997 | 6.5 | 79.9 | 3.5 | 10.1 | 6,72,736 |
| 1998 | 6.7 | 81.0 | 3.2 | 9.1 | 7,95,412 |
| 1999 | 5.8 | 81.1 | 4.2 | 8.9 | 9,50,718 |
| 2000 | 5.6 | 81.1 | 4.1 | 9.2 | 11,05,464 |
| 2001 | 5.2 | 81.5 | 4.3 | 9.0 | 12,95,405 |
| 2002 | 5.5 | 78.5 | 6.7 | 9.4 | 15,36,424 |
| 2003 | 5.8 | 79.8 | 5.1 | 9.3 | 16,99,197 |
| 2004 | 5.9 | 80.0 | 4.8 | 9.3 | 19,74,017 |
| 2005 | 6.4 | 78.0 | 7.1 | 8.5 | 23,55,509 |
| 2006 | 6.6 | 77.7 | 7.3 | 8.4 | 27,85,863 |
| 2007 | 6.4 | 77.9 | 7.0 | 8.8 | 34,63,406 |

**स्रोत :** हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07 एवं भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति व प्रगति पर रिपोर्ट, 2006-07

अलग अलग रही है तथा प्रत्येक चरण में उसके साथ कुछ विशिष्ट लक्षण रहे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के तुरंत बाद शुरू हुए चरण में, बैंकों की जमाराशि वृद्धि में काफी तीव्रता आई क्योंकि राष्ट्रीयकरण के बाद तेजी से शाखा विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों से बचत राशियां जुटाने में बैंकों को मदद मिली। दूसरे चरण (1984-1995) ने, बैंक जमाराशि वृद्धि में कमी आई क्योंकि बैंकों को वैकल्पिक बचत लिखतों, विशेषकर पूंजी बाजार लिखतों (शेयर/डिबेंचर/

**सारणी 4.22 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ**

(प्रतिशत)

| सूचकांक | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| जमाराशि लागत | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 4.5 |
| उधार की लागत | 2.5 | 1.7 | 3.0 | 3.6 |
| निधियों की लागत | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.4 |
| निधियों पर प्रतिलाभ | 8.2 | 7.1 | 7.4 | 7.7 |
| स्प्रेड | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |

**टिप्पणी** : 1. जमाराशि लागत = जमाराशि पर प्रदत्त ब्याज / जमाराशि
2. उधार की लागत = उधार पद प्रदत्त ब्याज / उधार
3. निधियों की लागत = (जमाराशि पर प्रदत्त ब्याज + उधार पर प्रदत्त ब्याज)/ (जमाराशि+उधार)
4. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेश पर अर्जित ब्याज)/(अग्रिम + निवेश)

**स्रोत** : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति व प्रगति पर रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक।

म्यूच्युअल फंडों के यूनिट) तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यह गैर मध्यस्थता का चरण था क्योंकि बचत राशियां बैंक जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने के बजाए वैकल्पिक बचत लिखतों में अधिकाधिक नियोजित की जा रही थीं। 1995 और 2004 के बीच बैंक जमा वृद्धि में और कमी आई। इस चरण में, बैंकों को डाक घर जमाराशियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिनमें बैंक जमाराशियों की तुलना में कर समायोजित प्रतिलाभ काफी अधिक था। तथापि इसके बावजूद, घरेलू क्षेत्र की बचतों में बैंक जमाराशियों ने अपना हिस्सा बनाए रखा। इस चरण के दौरान स्वामित्व के पैटर्न तथा परिपक्वता पैटर्न दोनों में उल्लेखनीय बदलाव आया। सरकारी तथा कंपनी क्षेत्रों द्वारा धारित बैंक जमाराशियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फलस्वरूप, घरेलू क्षेत्र द्वारा धारित जमाराशियों के हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई, हालांकि घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों में बैंक जमाराशियों का हिस्सा मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा। कुल जमाराशियों में मीयादी जमाराशियों का हिस्सा बढ़ गया। इसका मुख्य कारण सरकारी तथा कंपनी क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि था, क्योंकि मीयादी जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र की हिस्से में कमी आई थी। तथापि, मीयादी जमाराशियों के भीतर अल्पावधि जमाराशियों के पक्ष में परिपक्वता प्रोफाइल में उल्लेखनीय कमी आई।

4.51 चौथे चरण (2005-08) में, बैंकों द्वारा संसाधन संग्रहण के प्रबल प्रयासों के फलस्वरूप, बैंक जमा वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी आई। ऐसा डाकघर जमाराशियों को उपलब्ध लाभ बैंक जमाराशियों को भी प्रदान करने से संभव हुआ। डाकघर जमाराशियों तथा अल्प बचतों की वृद्धि में तेजी से कमी आई। इस चरण के दौरान, एनआरआइ जमाराशियों की वृद्धि में तेजी से कमी आई। तथापि, बैंक जमा प्रमाणपत्रों द्वारा भी बड़ी मात्रा में निधियां जुटाने में समर्थ हुए। इस चरण के दौरान नए पूंजी निर्गमों के जरिए म्यूच्युअल फंडों तथा कंपनियों द्वारा जुटाई गई निधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फलस्वरूप, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों में बैंक जमाराशियों तथा पूंजी बाजार लिखतों का हिस्सा तेजी से बढ़ गया तथा सरकार पर दावों के हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई।

4.52 बैंकों की समग्र देयताओं में जमाराशियों तथा उधार राशियों का हिस्सा सुधारोत्तर अवधि में मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा। 2003-04 तथा 2006-07 के बीच उधार की लागत जमा की लागत की तुलना में न्यूनतर थी। तथापि, उनके बीच अंतर 2006-07 में उल्लेखनीय रूप से कम हुआ।

4.53 कुल मिलाकर घरेलू क्षेत्र की बचत बढ़ाने में बैंकिंग क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, भौतिक बचतें घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों के अनुरूप बढ़ती रहीं तथा अनुत्पादक भौतिक बचतों को वित्तीय बचतों में परिवर्तित करना बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक चुनौती है। अगले खंड में दिए गए विभिन्न देशों के अनुभवों के आलोक में इस मुद्दे पर खंड V में चर्चा की गई है।

## IV. विभिन्न देशों के अनुभव

4.54 अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह दर्शाते हैं कि वित्तीय मध्यस्थता की भूमिका कुछ समय में विकसित हुई है तथा यह वित्तीय गतिविधि की अवस्था के अनुरूप विभिन्न देशों में अलग-अलग है। वित्तीय गतिविधि की विकासात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली एक विशिष्टता यह है कि लेनदेन एवं असममिति सूचना में क्रमिक रूप से कटौती हुई है। जिसके फलस्वरूप कुछ सीमा तक जमा लेने और ऋण देने संबंधी परंपरागत बैंकिंग व्यवसाय का महत्व कम हुआ है। दूसरा, इसके अनुरूप पेंशन निधि और म्यूच्युअल फंड जैसे अन्य वित्तीय मध्यस्थों का महत्व हाल की अवधि में बढ़ गया है। तीसरा, चूंकि वित्तीय गतिविधि ने वित्तीय फ्यूचर्स जैसे नए वित्तीय बाजार शुरू किए हैं, जो व्यक्तियों के बजाए मध्यस्थों के बाजार हैं, परंपरागत प्ररूपों की तुलना में वित्तीय मध्यस्थता के नए प्ररूपों की मांग बढ़ गई है। अतः हाल के वर्षों में मध्यस्थता के आधुनिक सिद्धांतों से यह प्रकट होता है कि तनाव जोखिम ट्रेडिंग, जोखिम प्रबंधन और सहभागिता लागत आधुनिक मध्यस्थता की मौजूदगी के प्रमुख कारण हैं । इस आधुनिक ढांचे के तहत, यद्यपि पेंशन निधियों और म्यूच्युअल फंडों जैसे बैंकेतर मध्यस्थों का महत्व काफी बढ़ गया है, बैंकों ने अपना कार्यकलाप वित्तीय मध्यस्थता के परंपरागत प्ररूप से विशाखीकृत करके एक उल्लेखनीय भूमिका निभाना जारी रखा है, जिसके द्वारा आय के स्रोत जमाराशि स्वीकारने एवं ऋण प्रदान करने के बजाए निधियों की मांग पूरी करने हेतु शुल्क आधारित कार्यकलापों से अधिक उत्पन्न होते हैं। इस वित्तीय मध्यस्थता प्रक्रिया के विकसित होने की प्रमुख विशिष्टताएं तथा बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसके सहयोजित प्रभाव यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी तथा जापान में वित्तीय प्रणालियों के विकास के अनुभव द्वारा उत्पन्न होते हैं (अलेन तथा सैंटोमेरो, 2001)।

4.55 यूनाइटेड स्टेट्स में, बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार के बावजूद बैंकिंग उद्योग में समेकन प्रक्रिया के फलस्वरूप वित्तीय बाजार अंश में अन्य प्रकार के वित्तीय मध्यस्थों के पक्ष में कमी आई है। कुल मध्यस्थ आस्तियों में बैंकिंग क्षेत्र के हिस्से में आई गिरावट 1970 के दशक के मध्य से, 1940-1970 की सापेक्ष्य स्थिरता की अवधि के बाद, दिखाई देती है। कुल वित्तीय मध्यस्थता आस्तियों में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 1970 के 42 प्रतिशत से गिरकर 2005 में 25 प्रतिशत के नीचे आ गया। मूल जमाराशियों के प्रति पहुंच खोने के साथ बैंक (क्योंकि बचतकर्ता वित्तीय प्रणाली के विकास के साथ बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं की ओर अग्रसर होते हैं), संबंधात्मक उधार के लाभ उधारकर्ताओं को प्रदान नहीं कर सके जिसके कारण वे बैंकों से हटकर न सिर्फ बैंक ऋण के निकट के स्थानापन्न का प्रस्ताव करनेवाली संस्थाओं की ओर अपितु प्रतिभूति जारी करनेवाली संस्थाओं की

ओर भी जाने के लिए प्रेरित हुए (मेस्टेर, 2007)। तदनुसार, यूएस में 1990 के दशक के दौरान कुल वित्तीय मध्यस्थता आस्तियों में वित्तीय कंपनियों तथा आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) के जारीकर्ताओं, तथा सरकार प्रायोजित उद्यमों (जीएसई), भूसंपदा निवेश न्यासों (आरईआइटी) और बंधक कंपनियों के हिस्से में तेज वृद्धि हुई (सारणी 4.23)। मध्यस्थों की आस्तियों की बाजार हिस्सेदारी में कमी के बावजूद, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय आस्तियों में उल्लेखनीय गिरावट नहीं आयी (शोल्टेन्स वैन वेन्सवीन, 1999)। यह वित्तीय आस्तियों के स्वामित्व के पैटर्न में परिवर्तन का सुझाव देता है, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आस्ति धारण करनेवालों से बैंकेतर मध्यस्थों द्वारा धारित आस्तियों के पक्ष में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार अन्य मध्यस्थकों की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र के आकार में कमी हुई है परंतु वह अर्थव्यवस्था की कुल वित्तीय आस्तियों की तुलना में नहीं है। यह यूएस में कंपनियों की इक्विटी के व्यक्तिगत स्वामित्व में गिरावट की दीर्घावधि प्रवृत्ति के अनुरूप है।

4.56 तथापि, यूएस में बैंक व्यवसाय तथा उपभोक्ता उधार में अपनी साझेदारी अन्य बैंकेतर मध्यस्थों के पक्ष में खो रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र की बाजार साझेदारी के कम होने का निहितार्थ यह है कि बैंक तुलनपत्र की देयता और आस्ति पक्ष के बीच सहक्रियाएं कम हो गयी हैं। बैंकों की बाजार साझेदारी में गिरावट तुलनपत्र के आस्ति पक्ष के बजाय देयताओं से शुरू हो सकती है, जो संबंधात्मक उधार की मांग में गिरावट के बजाय जमाराशियों की मांग में गिरावट को दर्शाता है। अध्ययन से यह पाया गया है कि बैंक की देयता संबंधी संरचना तथा इसके स्पष्ट उधार व्यवहार के बीच स्पष्ट संपर्क का आनुभविक साक्ष्य है (बेर्लिन तथा मेस्टेर, 1999)। अधिकांश बैंक संबंधात्मक उधार का कार्य करते हैं, जो प्रतिरूपी तौर पर न्यूनतर ऋण दरों, संपार्श्विक अपेक्षाओं में कम सख्ती, ऋण राशनिंग की कम संभावना, अधिक संविदात्मक लचीलेपन तथा उधारकर्ता फर्मों के लिए वित्तीय संकट की कम लागत से जुड़ा होता है। संबंधात्मक उधार की नींव जमाराशि जुटाने की बैंक की योग्यता पर निर्भर होती है। मूल जमाराशियां दर निरपेक्ष स्वरूप की होती है तथा बैंकों की निधियों की लागत को आर्थिक आघातों से सुरक्षित रखकर संबंध उधार प्रस्तावित करने में बैंकों को समर्थ बनाती हैं। अतः बैंक उधारकर्ताओं को बहु अवधिवाली संविदाएं देकर प्रतिकूल ऋण आघातों से उन्हें बीमाकृत करने में समर्थ होते हैं। तथापि, जब बैंक बचतकर्ताओं द्वारा उनकी वित्तीय बचतें म्यूच्युअल फंडों में अंतरित किए जाने पर मूल जमाराशियों तक पहुंच खो देते हैं, वे उधारकर्ताओं को कम बीमा (ऋण दर समकारी) प्रस्तावित करते हैं। इसके फलस्वरूप बैंक अपनी बाजार हिस्सेदारी उन मध्यस्थों के पक्ष में खो देते हैं जो ऋण के बजाय प्रतिभूतियां रखते हैं। यह प्रक्रिया इस बात को स्पष्ट करती है कि बैंकों ने किस प्रकार अपनी बाजार साझेदारी न सिर्फ उन संस्थाओं के पक्ष में खो दी है जो बैंक ऋणों के निकट स्थानापन्न का प्रस्ताव करती हैं अपितु प्रतिभूति जारी करने वाली संस्थाओं के पक्ष में भी हिस्सेदारी खो दी है। जमाराशियों घटती हुई मांग के कारण न सिर्फ बैंकों की निधियों की लागत बढ़ जाती है अपितु इससे बैंक ऋणों के लिए फर्मों की मांग को कम कर, क्योंकि वे कम प्रभेदी हो जाते हैं, बैंकों द्वारा संबंध उधार की साध्यता भी कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, बैंकिंग क्षेत्र का दायरा कम हो रहा है क्योंकि उनका ऋण कम 'विशिष्ट' हो

**सारणी 4.23 : यूनाइटेड स्टेट्स में कुल वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की आस्तियों का सापेक्ष्य हिस्सा**

(प्रतिशत)

| वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| बीमा कंपनियां | | | | | | | |
| जीवन बीमा | 20.6 | 15.0 | 10.9 | 11.5 | 9.4 | 9.6 | 9.4 |
| संपत्ति तथा दुर्घटना | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| पेन्शन निधि | | | | | | | |
| निजी | 3.9 | 3.2 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 |
| सार्वजनिक (फेडरल, राज्य तथा स्थानीय सरकार) | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 2.6 |
| वित्तीय कंपनियां तथा एबीएस निर्गमकर्ता | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 7.5 | 12.2 | 12.9 | 14.0 |
| म्यूच्युअल फंड | | | | | | | |
| स्टॉक व बांड | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 6.4 | 8.5 | 9.2 | 10.2 |
| मुद्रा बाजार | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | 6.3 | 5.4 | 4.6 |
| जीएसई, आरईआइटी, बंधक कंपनियां | 2.5 | 5.1 | 9.0 | 14.8 | 21.2 | 23.8 | 22.2 |
| डिपॉजिटरी संस्थाएं (बैंक) | | | | | | | |
| वाणिज्य बैंक | 39.1 | 42.1 | 39.1 | 30.2 | 25.4 | 23.7 | 24.6 |
| बचत और ऋण एवं म्यूच्युअल सेविंग्स बैंक | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 11.9 | 5.3 | 5.0 | 5.5 |
| क्रेडिट यूनियन | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| कुल | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

**टिप्पणी :** पूर्णांकन के कारण हो सकता है कुल 100 प्रतिशत न हो।

**स्रोत :** फेड़रल रिज़र्व सिस्टम निधि प्रवाह खाते।

गया है, जो सूचना की प्रोसेसिंग तथा संप्रेषण की लागत में गिरावट को दर्शाता है जिसके कारण बैंक सेवाओं की अनुलिपि की लागत कम हो गयी है।

4.57 बैंक अपने तुलनपत्र के देयता पक्ष में आधार खो रहे हैं। विशेष रूप में, जब यूएस तथा अन्य औद्योगिक देशों में निर्भरता का स्तर बढ़ा, उपभोक्ता की मांग ऋण उत्पादों से हटकर बचत उत्पादों की ओर अंतरित हो गयी। सेवानिवृत्ति की आशा में आस्ति का संचय अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है तथा घरेलू धन संचय के लिए बाजार की यह वृद्धि तीव्रतम रही है। तथापि, परंपरागत बैंक जमाराशियां - आवधिक तथा बचत खाते - म्यूच्युअल फंडों, जिनकी लागत संरचना काफी क्षीण है तथा जो उल्लेखनीय रूप से उच्चतर प्रतिलाभ का प्रस्ताव करते हैं, की तुलना में आकर्षण खोती जा रही हैं। तदनुसार, 1980 से स्थिर आय वाले म्यूच्युअल फंडों की तुलना में बैंकों की आवधिक तथा बचत जमाराशियों में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके अलावा बैंकेतर संस्थाओं द्वारा नयी प्रौद्योगिकी शुरू किए जाने के साथ बैंक भी भुगतान सुकर बनाने की अपनी मूलभूत भूमिका खोते जा रहे हैं। क्रेडिट कार्डों के व्यापक उपयोग ने भी बैंकों की मांग जमाराशियों द्वारा भुगतान प्रणाली में अदा की जानेवाली केंद्रीय भूमिका कम कर दी है। भुगतान वाहनों को अधिकाधिक प्राथमिक तौर पर मोनोलाइन संगठनों द्वारा जारी किया जा रहा है अथवा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक डाक द्वारा जारी किया जा रहा है जो बहु-प्रॉडक्ट वाले सामान्य बैंकिंग संबंध से अलग है तथा इसने बैंकों की पिछली अद्वितीय भूमिका तथा इसके जमा प्रॉडक्टों की मांग को और कम कर दिया है। परंपरागत मध्यस्थता व्यवसाय की भूमिका कम होने के साथ बैंकिंग क्षेत्र तथा पूरी अर्थव्यवस्था दोनों के लिए यूएस में निवल ब्याज आय का महत्व कम हो गया है। चूंकि मूल मध्यस्थता व्यवसाय में यह गिरावट आर्थिक रूप से प्रेरित है तथा प्रौद्योगिकीय रूप से चालित है, इसे संभवतः अनुत्क्रमणीय माना जाता है (एफ.अलेन आदि, उद्धरण देखें)।

4.58 यद्यपि मध्यस्थता का व्यवसाय कम हो गया है, यूएस में बैंकों ने परंपरागत मध्यस्थता कार्य से हटकर शुल्क-उत्पादक कार्यकलाप यथा न्यास, वार्षिकी, म्यूच्युअल फंड, बंधक बैंकिंग, बीमा, दलाली तथा लेनदेन सेवाएं शुरू कर दी हैं। अतः, जहां स्प्रेड संबंधी आय 1980 के दशक के उत्तरार्ध में कुल बैंक आय का 80 प्रतिशत होती थी, क्षेत्र तथा मुद्रा केंद्र बैंकों ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपनी आय के आधे से अधिक शुल्क तथा ट्रेडिंग आय से प्राप्त किया। फलस्वरूप, यूएस में बैंकों की संरचना कुछ वर्षों में बदल गयी है जिसके द्वारा वे वित्तीय प्रणाली के लिए तरल बचत के मुख्य आधान तथा व्यवसाय और उपभोक्ता वित्त के लिए प्राथमिक स्रोत अब नहीं हैं।

4.59 यूएस स्थित बैंकों से संबंधित प्रवृत्तियों की अधिकाधिक नकल अन्य अर्थव्यवस्थाओं यथा फ्रांस, जर्मनी तथा यूके में की जा रही है। बैंकों के कुल वित्तीय दावों के अनुपात के रूप में उन पर घरेलू दावों का अनुपात इन सभी देशों में गिर गया है, जो बैंकों पर सभी वित्तेतर क्षेत्रों में भी दिखायी दे रहा है। कुल वित्तीय देयताओं की तुलना में बैंकेतर वित्तीय मध्यस्थों के प्रति बैंकों की देयताओं का अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। साथ ही, कुल वित्तीय देयताओं के प्रति बैंकों की प्रतिभूति देयताओं का अनुपात 1981-1996 की अवधि के दौरान फ्रांस के लिए कुछ, जर्मनी के लिए थोड़ा बढ़ गया है परंतु यूके के लिए मोटे तौर पर उसी स्तर पर है (स्मिड्ट, आदि, 1998)।

4.60 सभी देशों के अनुभव से उभर रही विशेषता यह है कि घरेलू बचत आकृष्ट करने की बैंकों की योग्यता विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू क्षेत्रों द्वारा अंततः धारित कुल आस्तियों के अलग-अलग धारण पैटर्न को दर्शाती है। उदाहरण के लिए 1994 में यूएस में घरेलू क्षेत्र द्वारा उनकी आस्तियों का सिर्फ 19 प्रतिशत नकद समतुल्य राशियों में, जमाराशि सहित, रखा गया, जबकि यूके में यह हिस्सा 24 प्रतिशत पर थोड़ा अधिक था। यूएस में 31 प्रतिशत का उल्लेखनीय हिस्सा स्थिर आय वाली आस्तियों यथा देशी और विदेशी बांडों, ऋणों और बंधकों में रखा गया, जबकि 46 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा जोखिमपूर्ण आस्तियों, देशी एवं विदेशी इक्विटी तथा भूसंपदा सहित, में रखा गया। तथापि यूके में घरेलू क्षेत्र द्वारा स्थिर आय वाली आस्तियों में 13 प्रतिशत की उल्लेखनीय रूप से निम्नतर राशि रखी गयी तथा 52 प्रतिशत की उल्लेखनीय रूप से उच्चतर राशि जोखिमपूर्ण इक्विटी तथा भूसंपदा आस्तियों में रखी गयी। दूसरी ओर, जापान में घरेलू क्षेत्र जोखिम से अपेक्षाकृत बचा हुआ है। वे अपनी आस्तियों का 52 प्रतिशत नकदी एवं नकदी समतुल्य राशियों में रखते हैं, 19 प्रतिशत स्थिर आय वाली आस्तियों में तथा सिर्फ 13 प्रतिशत जोखिमपूर्ण इक्विटी तथा भूसंपदा संबंधी आस्तियों में रखते हैं। फ्रांस तथा जर्मनी में भी घरेलू क्षेत्र में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति देखी गयी जहां वे 33 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत आस्ति धारिताएं क्रमशः नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में रखते हैं। यह भी नोट किया जाए कि जर्मनी, फ्रांस तथा जापान की तुलना में यूएस तथा यूके में घरेलू क्षेत्र द्वारा न सिर्फ उनके आस्ति संविभाग का उच्चतर हिस्सा जोखिमपूर्ण आस्तियों में रखा जाता है, अपितु वे अधिक राशि वित्तीय आस्तियों में रखते हैं। इस प्रकार, वित्तीय आस्तियों की मात्रा बढ़ने के साथ घरेलू क्षेत्र द्वारा रखी जाने वाली जोखिमपूर्ण आस्तियों का हिस्सा भी बढ़ जाता है।

4.61 यूएस तथा यूके की तुलना में जापान, फ्रांस तथा जर्मनी में बैंक जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र की आस्तियों का अपेक्षाकृत उच्चतर हिस्सा रखने को स्पष्ट करने वाला एक और कारक यह है कि देशों के पिछले समूहों में वित्तीय बाजार अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। अपूर्ण वित्तीय बाजारों की मौजूदगी में, बैंकों जैसी दीर्घावधि वित्तीय संस्थाएं उन जोखिमों के प्रभावी अंतर-कालिक समकरण की अनुमति देती हैं

जिन्हें एक निश्चित समय पर विशाखीकृत नहीं किया जा सकता, उसके द्वारा घरेलू क्षेत्र को विकसित वित्तीय प्रणाली वाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बैंकों के पास अपनी वित्तीय बचतें रखने के लिए अधिक प्रेरित किया जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में, बैंक अच्छे समय पर अल्पावधि तरल आस्तियों का 'सुरक्षित भंडार' प्राप्त करते हैं तथा खराब समय आने पर इस सुरक्षित भंडार का उपयोग करते हैं। फलस्वरूप, बैंक खातों तथा अन्य स्थिर आय वाली आस्तियों में अपनी अधिकांश आस्तियां रखनेवाले परिवार जोखिम से सुरक्षित रहते हैं तथा वे उपभोग प्रवाह को आसान करने में समर्थ होते हैं। दूसरी ओर, विकसित वित्तीय बाजार वाली अर्थव्यवस्था में, वित्तीय बाजारों से बैंकों द्वारा सामना की जा रही प्रतिस्पर्धा दीर्घावधि में बैंकों द्वारा अंतर-कालिक समकरण को अर्थक्षम नहीं बना सकती। इसका कारण यह है कि अच्छे वर्षों में घरेलू क्षेत्र द्वारा बेहतर प्रतिलाभ पाने के लिए बैंकिंग प्रणाली से अपनी बचत राशियां हटाकर उनका निवेश बाजार में किया जाता है और इस प्रकार बैंक आरक्षित निधियों के संचय को टाला जाता है। अतः जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसी बैंक आधारित प्रणालियों में अंतर-कालिक समकरण के जरिए जोखिम का प्रबंधन किया जा सकता है क्योंकि बैंक अल्पावधिक तरल आस्तियों में निवेश कर जोखिम समाप्त कर लेते हैं। जोखिम प्रबंधन के अन्य प्रकार अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के बीच जोखिम विभाजन अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होता है। दूसरी ओर, बाजार आधारित वित्तीय प्रणाली में वित्तीय बाजारों से आने वाली प्रतिस्पर्धा द्वारा वित्तीय मध्यस्थों के अंतर-कालिक समकरण को नकार दिया जाता है। वित्तीय बाजार अच्छे समय में अच्छा प्रतिलाभ देते हैं तथा घरेलू क्षेत्र के पास बैंकों से अपनी जमाराशियां हटाकर बाजार में निधियों का निवेश करने के लिए प्रोत्साहन रहता है। ऐसी वित्तीय प्रणाली में विभिन्न क्षेत्रों के बीच जोखिम विभाजन की स्थापना करना अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना रहता है कि जोखिम का प्रबंधन और उसकी लेनदेन इस तरह से की जाए ताकि जोखिम सहने की अधिक क्षमता रखने वाले अंततः उसका सहन करें। ऐसे देशों में वित्तीय प्रणालियां अधिक बाजार उन्मुख हो जाती हैं तथा डेरिवेटिव एवं उसी प्रकार अन्य तकनीक के उपयोग के जरिए जोखिम प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अमरीका में वित्तीय प्रणाली के विकास की प्रक्रिया में भी दिखायी देता है। 1970 के दशक के मध्य तक, यूएस में बैंक वित्तीय संस्थाओं में प्रमुख स्थान रखते थें तथा उनकी संरचना अधिकांशतः जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसी थी, जिसके द्वारा बैंक अंतर-कालिक समकरण करते थे। तथापि, बाद में वित्तीय नवोन्मेष आने पर वित्तीय प्रणाली का प्ररूप बैंक आधारित से बदलकर यूएस में बाजार आधारित हो गया तथा बैंकों ने बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अधिकाधिक इच्छा दर्शायी। तदनुसार, उन्होंने नए बाजारों में प्रवेश किया है तथा नए प्रॉडक्ट विकसित किए हैं, जबकि जमाराशि स्वीकार करने तथा उधार देने की उनकी परंपरागत भूमिका निरंतर क्षीण होती जा रही है। इसके साथ अंतर-कालिक समकरण से विभिन्न क्षेत्रों के बीच जोखिम विभाजन की ओर बदलाव आया है। उत्तरजीवी मध्यस्थकों की भूमिका जोखिमों का अंतर-कालिक समकरण अपनाने के बजाय डेरिवेटिव आदि के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच जोखिमों का प्रबंधन सुकर बनाने की रही है।

4.62 आस्ट्रेलिया में, 1995 से बैंकिंग प्रणाली का कार्यनिष्पादन काफी सीमा तक घरेलू क्षेत्र की गतिविधियों द्वारा चालित है। घरेलू क्षेत्र ने अपनी वित्तीय आस्तियों के अधिकाधिक हिस्से का निवेश इक्विटी के प्रत्यक्ष धारण, यूनिट ट्रस्टों में निवेश तथा अधिवर्षिता एवं अन्य प्रबंधित निधियों में आस्तियों के धारण के जरिए बाजार-संबद्ध प्रॉडक्टों में किया है। कुछ हद तक यह आस्ट्रेलिया में सेवानिवृत्ति बचत व्यवस्थाओं में किए गए परिवर्तनों में भी दिखायी दिया, अनिवार्य नियोक्ता अधिवर्षिता अंशदान लागू करना उल्लेखनीय है जिसे 2002 में बढ़ाकर कर्मचारी की आय का 9 प्रतिशत कर दिया गया। जिस सीमा तक घरेलू क्षेत्र द्वारा बाजार संबद्ध आस्तियों में निवेश किया गया, उस सीमा तक बैंकों तथा जमा स्वीकार करने वाली अन्य संस्थाओं के पास जमाराशियों में रखी गयी घरेलू क्षेत्र की बचतों का हिस्सा कम हो गया। वित्तीय बाजारों की गतिविधियों ने बैंकिंग के माहौल को बदल दिया तथा बैंकों के परंपरागत व्यवसाय, उल्लेखनीय रूप से जमा स्वीकारने और घरेलू उधार देने, में प्रतिस्पर्धी दबाव पैदा हो गया। आरंभ में बैंकों को आशा थी कि वे सेवानिवृत्ति संबंधी बचतों का एक बड़ा भाग 1996 में इन उत्पादों के लिए प्राप्त सरकारी अनुमोदन के अनुसरण में विशेष रूप से नामोद्दिष्ट सेवानिवृत्ति बचत खातों (आरएसए) में आकृष्ट कर सकते हैं। आरएसए अनिवार्य रूप से मीयादी जमाराशियां हैं जो सेवानिवृत्ति की आयु तक रखे जाने पर रियायती कर दरें आकृष्ट करती हैं। तथापि, इन उत्पादों में घरेलू क्षेत्र द्वारा बचत संबंधी अधिक रुचि नहीं दिखायी जा सकी क्योंकि यद्यपि उनमें पूंजी की गारंटी थी तथापि 1990 के दशक में शेयर बाजार में चल रहे उछाल के दौरान इक्विटी आधारित निधियों में निवेश पर मिलने वाले अच्छे प्रतिलाभ की तुलना में ब्याज दर कम आकर्षक थी। इस संबंध में प्राप्त सीमित सफलता को दर्शाते हुए, कुछ बड़े बैंकों ने आस्ति/धन प्रबंधन निधियों के बड़े अधिग्रहण की श्रृंखला शुरू कर एक वैकल्पिक ऋण नीति अपनायी ताकि बढ़ रहे धन प्रबंधन क्षेत्र से संबद्ध शुल्क एवं आय प्राप्त किया जा सके। फलस्वरूप, आस्ट्रेलियाई स्वामित्ववाले लगभग सभी बैंक कुछ प्रकार के धन प्रबंधन उत्पाद का प्रस्ताव करते हैं। इस विस्तार के फलस्वरूप बैंकों ने 1990 के दशक के मध्य के 20 प्रतिशत से कम की तुलना में 2005 में आस्ट्रेलिया में प्रबंधनाधीन खुदरा निधियों के अनुमानित 40 प्रतिशत का नियंत्रण किया। यद्यपि, अधिग्रहण के बाद उनके शेयरों का रखरखाव करने में इन बैंकों को कठिनाइयां थीं, तथापि धन प्रबंधन बैंकिंग क्षेत्र के लिए राजस्व का अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ऋण के लिए घरेलू क्षेत्र की मांग सुदृढ़ है, घरेलू बचत दर में गिरावट आयी है तथा एक वृद्धिशील हिस्सा जमा से इतर उत्पादों के क्षेत्र में गया है। इस

प्रकार, बैंक के उधार में वृद्धि कम लागत वाली खुदरा जमाराशि की वृद्धि से अधिक है। साथ ही, इन जमाराशियों के लिए बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गयी है तथा उनमें से कुछ ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध से उच्च प्रतिलाभ वाले ऑनलाइन बचत खाते आरंभ किए जिनमें परंपरागत लेनदेन एवं मीयादी जमाराशि की तुलना में जमाकर्ताओं को उच्च ब्याज दरें प्रस्तावित की गयीं।

4.63 आस्ट्रेलिया स्थित बैंकों ने भी प्रतिभूतिकरण तथा ऋण प्रतिभूति निर्गम सहित अपनी देशी उधार वृद्धि का निधीयन करने के लिए कई वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाए। जहां कुछ छोटे बैंकों ने अपने ऋणों के प्रतिभूतिकरण की रणनीति का व्यापक उपयोग किया, वहीं बड़े बैंकों ने कमी का निधीयन देशी थोक बाजारों में पहुंचकर तथा अधिकाधिक मात्रा में विदेश से निधियां प्राप्त करके किया। फलस्वरूप, आस्ट्रेलिया के बैंकों की समस्त विदेशी देयताएं खुदरा जमाराशियों के मूल्य से अधिक हो गयीं तथा वे 1990 के दशक के मध्य के 15 प्रतिशत की तुलना में 2005 में उनकी कुल देयताओं का 27 प्रतिशत थीं। आस्ट्रेलिया के बैंकों की विदेशी देयताएं दिसम्बर 2005 में लगभग 370 बिलियन डालर थीं, तथा इनमें से लगभग दो तिहाई बेचानयोग्य ऋण प्रतिभूतियों के रूप में थीं। शेष विदेशी देयताओं में अनिवासी जमाराशियां तथा अंतःसमूह अंतरण शामिल थे। आस्ट्रेलिया में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाओं के लिए अंतःसमूह अंतरण निधियों का अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण स्रोत था। बैंकिंग प्रणाली की कुल देयताओं में खुदरा जमाराशियों तथा थोक जमाराशियों का हिस्सा क्रमशः 23 प्रतिशत और 50 प्रतिशत था। आस्ट्रेलिया के बैंकों ने अनेक बाजारों तथा मुद्राओं में प्रतिभूतियां जारी कीं, तथा बकाया अपतटीय ऋण प्रतिभूतियों का 80 प्रतिशत से अधिक यूएस एवं यूके के बाजारों में जारी किया गया और शेष 10 प्रतिशत हांगकांग और जापान में जारी किया गया। अपतटीय ऋण प्रधान तौर पर (80 प्रतिशत) विदेशी मुद्रा में होने के बावजूद आस्ट्रेलिया के बैंकों के सामने विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी जोखिम के प्रति एक्सपोज़र थोड़ा था जिसे क्रास-करेंसी स्वैप तथा विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं का उपयोग करके प्रतिरूपी तौर पर हेज किया (अर्थात बचाया) गया था। आस्ट्रेलिया के बैंकों के तुलनपत्रों में मार्च 2005 में 186 बिलियन डालर (चार वर्ष पहले 117 बिलियन डालर) का निवल विदेशी मुद्रा ऋण था, जिसमें से 168 बिलियन डालर का बचाव डेरिवेटिव बाजारों में किया गया था। तथापि, विदेशी निधीयन पर बैंकों की निर्भरता के बारे में कभी-कभी यह चिंता प्रकट की जाती है कि तनाव के समय में ऋण के रोल-ओवर की संभावना रहती है। इसके बावजूद कि उभरते बाजार के कुछ प्रभुतासंपन्न राष्ट्रों ने उनके विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋण का वित्तपोषण करने में कठिनाइयों का अनुभव किया था, इस बात का कम साक्ष्य था कि विकसित पूंजी बाजारों तथा फ्लोटिंग विनिमय दरों वाले देशों में देशी निवेशकों की तुलना में विदेशी निवेशकों द्वारा उनकी ऋण प्रतिभूतियों का रोल-ओवर करने की कम संभावना थी (हाल तथा वेरयार्ड, 2006)।

4.64 उन्नत देशों की तुलना में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में (ईएमई) बचत दरें सामान्यतः उच्चतर बनी रही हैं; बैंकिंग प्रणालियों ने बचत दरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कोरिया में, आधुनिक वित्तीय प्रणाली की स्थापना 1950 के दशक के आरंभ में उस समय की गयी थी जब केंद्रीय तथा वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणालियों को बैंक ऑफ कोरिया अधिनियम एवं बैंकिंग अधिनियम द्वारा प्रदत्त नए संस्थागत आधारों के तहत पुनः संरेखित किया गया। 1960 के दशक में पूंजी संग्रहण सुकर बनाने के लिए तथा कम विकसित अथवा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए वित्तीय समर्थन सुदृढ़ करने के लिए विशेषीकृत बैंकों की स्थापनी की गयी। 1970 के दशक में कई बैंकेतर वित्तीय संस्थाएं आरंभ की गयीं ताकि वित्तीयन स्रोतों का विशाखीकरण किया जा सके, मुद्रा बाजार के विकास का संवर्धन किया जा सके तथा संगठित बाजार में निधियां आकृष्ट की जा सकें। आर्थिक नीति में 1980 के दशक के आरंभ से सरकार उन्मुख रुख से बाजार उन्मुख रुख की ओर बदलाव के साथ, वित्तीय उदारीकरण तथा अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ाने हेतु व्यापक उपायों की श्रृंखला के अंग के रूप में वाणिज्य बैंकों तथा बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं की संख्या और बढ़ गयी। 1997 में आई मुद्रा संकट के उपरान्त, व्यापक वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागू करने के दौरान कोरियाई वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। विशेष रूप से, समेकन के फलस्वरूप बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की संख्या में कमी आयी। कोरिया की वित्तीय प्रणाली में संरचनागत परिवर्तन दर्शाते हुए, कुल आस्तियों में बैंकों का हिस्सा 1995 के लगभग 67 प्रतिशत से घटकर 2006 में लगभग 60 प्रतिशत रह गया। कुल आस्तियों में व्यापारी बैंकिंग निगमों का हिस्सा लगभग 5 प्रतिशत से घटकर उसी अवधि में लगभग 1 प्रतिशत रह गया। इसकी वजह से बीमा कंपनियों का हिस्सा लगभग 7 प्रतिशत बढ़कर 13 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया तथा निवेश न्यास प्रबंधन कंपनियों का हिस्सा उसी अवधि के दौरान लगभग 8 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया। जून 2007 के अंत में, कोरिया के वाणिज्य बैंकों में 7 राष्ट्रव्यापी वाणिज्य बैंक तथा 6 स्थानीय बैंक (कुल 4,900 शाखाओं सहित) और 36 विदेशी बैंक शाखाएं थीं। तथापि, व्यावसायिक वर्गीकरण सुस्पष्ट था तथा वाणिज्य बैंकों को बहुत सीमित प्रतिभूति व्यवसाय करने की अनुमति थी। अगस्त 2003 तक उन्हें बीमा व्यवसाय करने की भी अनुमति नहीं थी, जिसके बाद बैंक बीमा शुरू करके उन्हें बीमा उत्पादों की बिक्री करने की अनुमति दी गयी। बैंकों की निधियों का प्रमुख स्रोत जमाराशियों के रूप में बना रहा, जो जून 2007 के अंत में लगभग 60 प्रतिशत था, जबकि उधार राशियों का अंशदान निधियों के कुल स्रोतों में लगभग 25 प्रतिशत था। निधियों के उपयोग के संबंध में, बैंकों ने सबसे बड़े हिस्से का उपयोग ऋण प्रदान करने में किया जो जून 2007 के अंत में लगभग 71 प्रतिशत था।

4.65 थाईलैंड में बाजार प्रतिभागियों की संख्या तथा उनके बाजार कार्यकलापों की मात्रा दोनों रूपों में वित्तीय प्रणाली की संरचना में

उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। 1980 के दशक के मध्य तक, 30 वाणिज्य बैंकों के पास 1,526 शाखाएं थीं जो थाईलैंड में अधिकांश लेनदेनों का निपटान करती थीं। 16 सबसे बड़े बैंकों के पास वाणिज्य बैंकों की आस्तियों, जमाराशियों तथा ऋणों का 90 प्रतिशत से अधिक भाग था, जो उच्च संकेंद्रण तथा बैंकिंग उद्योग में कम प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है (बरबरा, 1987)। 1980 के दशक के मध्य में वैश्वीकरण बढ़ने के साथ, थाईलैंड में वित्तीय क्षेत्र का क्रमिक अविनियमन शुरू हो गया। ब्याज दर के क्षेत्र में, प्राधिकारियों ने क्रमिक रूप से ब्याज दर की अधिकतम सीमाएं समाप्त कर दीं ताकि जमा संग्रहण को प्रोत्साहित किया जा सके तथा वित्तीय प्रणाली को अधिक गतिशील बनाया जा सके। दीर्घावधि आवधिक जमाराशियों पर जून 1989 में, अल्पावधि आवधिक जमाराशियों पर मार्च 1990 में बचत जमाराशियों पर जनवरी 1992 में तथा ऋण दरों पर जून 1992 में ब्याज दर की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गयी। इसके अलावा, 1992-93 में नयी शाखाएं खोलने के लिए सरकारी बांड धारिता रखने की पूर्वापेक्षा को शिथिल बनाकर केंद्रीय बैंक ने वाणिज्य बैंकों को अधिक लचीलापन प्रदान किया। अधिक संबद्ध व्यवसायों तथा व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए ग्रामीण उधारकर्ताओं अथवा पास रहनेवालों को ऋण प्रदान करने संबंधी वाणिज्य बैंकों के दायित्व को भी शिथल किया गया। बैंकों की देयताओं के विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि कुल देयताओं में जमाराशियों का हिस्सा, जो 77 प्रतिशत से घटकर 1996 में 70 प्रतिशत रह गया था, बढ़कर 79 प्रतिशत हो गया जो संकटोत्तर सुधार को दर्शाता है। उसके बाद, 2007 में जमाराशियों का हिस्सा पुनः घटकर लगभग 72 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, कुल देयताओं में उधार का हिस्सा, जो 1991 के 9 प्रतिशत से बढ़कर 1996 में 9.3 प्रतिशत हो गया था, 2003 में गिरकर 3.4 प्रतिशत रह गया तथा पुनः बढ़कर 2007 में 8.5 प्रतिशत हो गया। स्वामित्व का पैटर्न यह दर्शाता है कि थाईलैंड में बैंक जमाराशियां प्रधान तौर पर घरेलू क्षेत्र द्वारा रखी गयी हैं। तथापि, कुल जमाराशियों में व्यक्तियों का हिस्सा 1999 के लगभग 69 प्रतिशत से घटकर मार्च 2008 में लगभग 61 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, कुल जमाराशियों में व्यवसाय क्षेत्र का हिस्सा 16 प्रतिशत से बढ़कर उसी अवधि में 20 प्रतिशत हो गया।

4.66 1990 के दशक के आरंभ से जमाराशियों में हुई सामान्य गिरावट थाईलैंड की सकल देशी बचत दर 1991 में जीडीपी के 36.3 प्रतिशत के शिखर से निरंतर गिरकर 1997 (संकट वर्ष) में 35.1 प्रतिशत हो जाने में दिखाई देती है। 1998 में सुधरकर संकटपूर्व की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद, बचत दर में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही तथा 2006 में 31.8 प्रतिशत रह गयी। बचत दर में यह गिरावट मुख्यतः घरेलू क्षेत्र के कारण आयी, जिसका कारण 3 प्रमुख कारक थे, यथा - सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में वृद्धि, उपभोग में उछाल तथा कंपनी एवं घरेलू बचतों के बीच बदलाव। 1990 के दशक के प्रारंभ से, बचत संग्रहण के प्रयास में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा जाल कार्यक्रम के प्रति बहुस्तंभीय दृष्टिकोण अपनाया ताकि वृद्ध एवं सेवानिवृत्त लोगों का उपयुक्त कल्याण सुनिश्चित किया जा सके और देशी बचत का संवर्धन किया जा सके। दूसरी ओर, सार्वजनिक और कंपनी क्षेत्र की बचत दरों ने प्रचक्रीय तौर पर व्यवहार किया। सकल बचत में निवल सार्वजनिक बचत का हिस्सा 1980 के दशक के आरंभ के एक अंकीय कम स्तर से बढ़कर आर्थिक उछाल की संकटपूर्व अवधि के दौरान मोटे तौर पर 25-28 प्रतिशत हो गया तथा संकट के ठीक बाद वह गिरकर 10 प्रतिशत रह गया। तथापि, 2002-03 में यह सुधरकर सकल राष्ट्रीय बचत का 18 प्रतिशत हो गया। निवल कंपनी बचत का हिस्सा निरंतर बढ़कर 1980 के दशक के आरंभ में सकल राष्ट्रीय बचत के 9 प्रतिशत से संकट से ठीक पहले 25 प्रतिशत हो गया, जो उस समयावधि के दौरान अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कंपनी क्षेत्र आय में उच्चतर वृद्धि को दर्शाता है। तथापि, इस संकट के बाद इसका हिस्सा अस्थायी तौर पर गिरकर 6 प्रतिशत रह गया परंतु बाद में 2002-03 में बढ़कर लगभग 26 प्रतिशत की ऊंचाई पर पहुंच गया जो संकट के बाद की अनुकूल आर्थिक स्थितियों तथा बढ़ते कंपनी लाभ का परिणाम था (पूत्राकूल आदि, 2005)।

4.67 चीन में, 1970 के दशक के उत्तरार्ध के पहले, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीसी) वस्तुतः एकमात्र ऐसी वित्तीय संस्था थी जिसने विनियामक होने के अलावा सभी प्रकार के वित्तीय सेवा कारोबार(यद्यपि उसकी किस्म तथा आकार बहुत सीमित था) किए। केंद्रीय बैंकिंग से वाणिज्यिक बैंकिंग को अलग किए जाने के साथ 1984 में द्वैध बैंकिंग प्रणाली का उदय हुआ (शियू आदि 2006)। इंडस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना को पीबीसी से अलग करने के अलावा, तीन अन्य विशेषीकृत बैंकों का उदय हुआ। तथापि, उनके व्यावसायिक परिचालन योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के ढांचे के भीतर सीमित थे। समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की ओर सुधार के अनुरूप इन विशेषीकृत बैंकों को 1993 में वास्तविक वाणिज्यिक बैंकों के रूप में रूपांतरित किया गया। ऐसा नीति वित्तपोषण तथा वाणिज्यिक वित्तपोषण को अलग करने के लिए 1994 में 3 बड़े नीतिगत बैंकों के उदय से संभव हुआ। वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कानून तैयार किया गया जिसके द्वारा विशेषीकृत बैंकों को राज्य द्वारा स्वाधिकृत वाणिज्यिक बैंकों के रूप में स्थापित किया गया परंतु उन्हें उनके व्यावसायिक परिचालनों के लिए जवाबदेह बनाया गया। 2004 के अंत तक चार राज्य-स्वाधिकृत वाणिज्यिक बैंकों तथा तीन नीतिगत बैंकों के अलावा, कुछ अन्य प्रकार के बैंकों का उदय हुआ, यथा 12 शेयरधारक वाणिज्य बैंक, 112 नगर वाणिज्य बैंक, 681

शहरी ऋण सहकारिताएं (यूसीसी), 32,854 ग्रामीण ऋण सहकारिताएं (आरसीसी), 8 ग्रामीण सहकारी बैंक, 7 ग्रामीण वाणिज्य बैंक, 211 विदेशी वित्तीय संस्थाएं, 220 विदेशी बैंक प्रतिनिधि कार्यालय, 4 आस्ति प्रबंधन कंपनियां, 59 न्यास और निवेश कंपनियां, 74 वित्त कंपनियां, 12 वित्तीय पट्टादायी कंपनियां, 3 ऑटो वित्त कंपनियां तथा बड़ी संख्या में डाकघर बचत संस्थाएं। वित्तीय प्रणाली के विस्तार को दर्शाते हुए, जमाराशि में निरंतर वृद्धि हुई तथा वह 1978 में जीडीपी के 31.1 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में जीडीपी का 176.2 प्रतिशत हो गयी। संस्थाओं एवं बाजारों के रूप में वित्तीय प्रणालियों के विशाखीकरण के बावजूद, बैंकों की प्रधानता जारी रही जो अन्य बाजार आधारित संस्थाओं की तुलना में बैंकों में अधिक सार्वजनिक विश्वास को दर्शाता है। ऐसा राज्य द्वारा प्रदान किए गए अव्यक्त बीमा कवर द्वारा सुसाध्य हुआ। यद्यपि सरकार ने पूंजी बाजार में इसी तरह का संरक्षण और हस्तक्षेप प्रदान करने का प्रयास किया है, पूंजी बाजार के स्वरूप ने उसमें जनता के विश्वास को कम किया है। अतः, चीन में बाजार आधारित वित्तीय कार्यकलाप की प्रक्रिया अभी स्थिर अथवा महत्वपूर्ण होनी है (लिपिंग हे, 2005)।

4.68 कुल मिलाकर, विभिन्न देशों के अनुभव यह सुझाते हैं कि वित्तीय क्षेत्र का विकास होने के साथ, बचतकर्ता परंपरागत बैंक जमाराशियों से दूर नई वित्तीय लिखतों के प्रति आकृष्ट हुए। ऐसा पूंजी बाजार में अनुकूल स्थिति आने पर और भी संभव हुआ। तथापि घरेलू क्षेत्र द्वारा रखी जमाराशियों में हुई गिरावट की क्षतिपूर्ति बैंकेतर मध्यस्थों की जमाराशियों द्वारा की गई। इस प्रकार, बैंकिंग क्षेत्र का आकार अन्य मध्यवर्तियों की तुलना में कम होता है, परंतु अर्थव्यवस्था की कुल वित्तीय आस्तियों की तुलना में नहीं। वस्तुतः, भारत में बैंकिंग क्षेत्र का वर्तमान चरण कमोबेश इस पैटर्न का अनुकरण कर रहा है। तथापि, बैंक अपनी संसाधन संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए आक्रामक जमा संग्रहण के साथ कम खर्चीले गैर जमा संसाधन जुटाने के नए तरीकों का उपयोग करते हैं। पर, यह बैंकों तथा विनियामकों दोनों के समक्ष कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है क्योंकि इसका असर बैंकों की तरलता और शोधनीयता पर तथा वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता पर पड़ता है। उभरते बाजारों में, बैंकों द्वारा संसाधन संग्रहण ने उच्च देशी बचत दरें बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि हाल के वर्षों में, बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियों में कुछ कमी आई जो गैर मध्यस्थता, उपभोग में उछाल तथा बदलती जनसांख्यिकी द्वारा आवश्यक हुए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि की जरूरत को दर्शाता है।

## V. उभरते मुद्दे तथा भावी दिशा

4.69 जैसा कि भारतीय अनुभव से प्रकट होता है, आर्थिक वृद्धि में तेजी मोटे तौर पर घरेलू बचतों के स्तर में निरंतर वृद्धि, जिसे जीडीपी के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, से संभव हुई है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल देशी बचतों में घरेलू बचतों का मुख्य स्थान है। तथापि हाल के वर्षों में, निजी कंपनी बचतों और सरकारी क्षेत्र की बचत दरों में तीव्र वृद्धि हुई है, जो राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन के कारण कंपनियों की लाभप्रदता और राजकोषीय विवेक में सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाता है। तथापि, यह नोट किया जाए कि उच्चतर लाभप्रदता के कारण कंपनी क्षेत्र की बचतों में सुधार मोटे तौर पर कई वर्षों से किए जा रहे सुधार का परिणाम है, जिसके द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा सहायक नीतिगत वातावरण की शक्तियों से उत्पादकता एवं दक्षता में सुधार हुआ। आनेवाले वर्षों में निजी कंपनी क्षेत्र की बचत दरों में वृद्धि उसी पैमाने पर जारी नहीं रह सकेगी क्योंकि कंपनी क्षेत्र की द्वारा उठाए गए सुधारों के आरंभिक लाभ, विशेष तौर पर तुलनपत्रों को डीलिवरेज करके प्राप्त लाभ, भविष्य में उसी पैमाने पर उपलब्ध नहीं हो सकेंगे (मोहन, 2008)। इसी तरह, केंद्र सरकार द्वारा बजट में 2008-09 के लिए एफआरबीएम अधिनियम के तहत यथानिर्धारित जीडीपी के शून्य प्रतिशत के बजाए जीडीपी का 1 प्रतिशत राजस्व घाटा अनुमानित किए जाने तथा छठे वेतन आयोग के निर्णय के कार्यान्वयन से प्रत्याशित दबावों सहित विभिन्न कारकों से वित्तीय समेकन को होनेवाले और अधिक जोखिमों को देखते हुए, अल्पावधि में सरकारी क्षेत्र की बचत दरों को और अधिक बढ़ाने की अपनी सीमाएं होंगी। अतः, भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र देशी बचत बनाए रखने के लिए घरेलू क्षेत्र की बचत दर में सुधार लाने को मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए।

4.70 इस संबंध में, यह नोट किया जाए कि कुल घरेलू बचतों में वित्तीय बचतों (वित्तीय देयताओं को घटाकर) का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत अंक कम होकर चालू दशक में लगभग 47 प्रतिशत रह गया है जो भौतिक आस्तियों में उच्चतर बचतों को दर्शाता है। तदनुसार, वित्तीय बचत दर को बढ़ाना एक प्रमुख चुनौती होगी जो ऐसी नई लिखतों, जिनमें जोखिम-प्रतिलाभ एवं परिपक्वता प्रोफाइल के अनुरूप घरेलू क्षेत्र की जरूरतें पूरी करने की विशिष्टताएं हों, को लागू कर तथा बीमा एवं पेंशन सुधार जारी रखकर वित्तीय क्षेत्र को और गहरा करने पर निर्भर होगी। इसके अलावा, एक चुनौती यह होगी कि विभिन्न वित्तीय आस्तियों में बचत की वास्तविक अपेक्षा के ऊपर भौतिक आस्तियों के रूप में रखे गए घरेलू क्षेत्र के संसाधनों को निर्मोचित किया जाए। यद्यपि घरेलू क्षेत्र द्वारा उनकी वित्तीय बचतें मुख्यतः बैंक जमाराशियों के रूप में रखी जा रही हैं, कुल वित्तीय बचतों में इसका हिस्सा उल्लेखनीय रूप से घटकर 1970-1984 के लगभग 45 प्रतिशत के औसत से 1995-2005 के दौरान लगभग 37 प्रतिशत रह गया तथा पिछले दो वर्षों में यह बढ़कर 51 प्रतिशत हो गया। यह सुधार आंशिक रूप से 2005-06 के बाद से उच्च ऋण की मांग पूरी करने के लिए बैंकों द्वारा आवधिक जमा संग्रहण के आक्रामक प्रयासों को तथा आंशिक रूप से विशेष बैंक जमा योजनाओं पर कर प्रोत्साहन लागू करने के सरकारी उपायों को दर्शाता है। अल्प बचत/डाकघर

जमा एवं बैंक जमा के बीच ब्याज दर अंतर, जो आरंभ में कम हो गया था, बाद में अल्प बचतों / डाकघर जमाराशियों पर ब्याज दरों में परिवर्तन न होने के कारण बैंक जमाराशियों के पक्ष में हो गया, जिससे बैंक जमाराशियां अधिक आकर्षक हो गईं। तदनुसार, आवधिक जमाराशियों की वृद्धि में हुई तीव्र उछाल ने एक सीमा तक अल्प बचतों से अलगाव को दर्शाया, जो संविभाग में सिर्फ बदलाव का संकेत देता है तथा विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान प्रवृत्ति को जारी रखा जा सकेगा। अतः,जमाराशियों की हाल की प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे विभिन्न जोखिम और प्रतिलाभ प्रोफाइल वाले जमाकर्ताओं के लिए उपयुक्त जमा योजनाएं शुरू कर अब तक अदोहित बचत राशियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, का दोहन करें।

4.71 उच्च वृद्धि का वर्तमान चरण सकल घरेलू वित्तीय बचत दर में वृद्धि द्वारा समर्थित है, जिसकी अगुवाई बदले में बैंकों द्वारा आक्रामक जमा संग्रहण द्वारा की गई है। यह देखा गया है कि वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 1992-93 से 2002-03 के 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 से 2006-07 में 8.8 प्रतिशत हो जाना सकल घरेलू वित्तीय बचत दर जीडीपी के 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 15.6 प्रतिशत हो जाने द्वारा समर्थित था। उसी अवधि के दौरान, सकल घरेलू वित्तीय बचतों के प्रति बैंक जमाराशियों का अनुपात 36.7 प्रतिशत से बढ़कर 44.0 प्रतिशत हो गया। इन प्रवृत्तियों पर आधारित संवेदनशीलता विश्लेषण यह दर्शाता है कि जीडीपी में 1 प्रतिशत अंक की वास्तविक वृद्धि करने के लिए आर्थिक वृद्धि के वर्तमान चरण में सकल घरेलू वित्तीय बचत दर (सकल वित्तीय बचत/सांकेतिक जीडीपी) में 1.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि करना अपेक्षित होगा। इसके लिए, बदले में, सकल वित्तीय बचतों के प्रति बैंक जमाराशियों का अनुपात 2.5 प्रतिशत अंक बढ़ाना अपेक्षित होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि की गति बनाये रखने के लिए संसाधन की बढ़ती हुई अपेक्षाओं के आलोक में, बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र सहित संसाधन संग्रहण की अपनी परंपरागत रणनीतियों का पुनराकलन करना होगा।

*बैंक जमाराशियों के बदलते पैटर्न का प्रभाव*

4.72 1990 के दशक के आरंभ से वित्तीय उदारीकरण के फलस्वरूप, बैंक जमाराशियों के स्वामित्व के स्वरूप में कुछ बदलाव हुआ है। सकल जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र का हिस्सा निरंतर गिरा है, जबकि सरकारी और कंपनी क्षेत्रों के हिस्सों में वृद्धि हुई है। घरेलू क्षेत्र के हिस्से में हुई गिरावट मुख्यतः मीयादी जमाराशियों में उनके हिस्से में हुई तेज गिरावट को दर्शाती है। कंपनी तथा सरकारी क्षेत्रों से बढ़ी हुई रूचि आवधिक जमाराशियों की निर्धारित न्यूनतम परिपक्वता में क्रमिक कमी तथा थोक मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरों का प्रस्ताव करने की अनुमति बैंकों को दिए जाने के अनुकूल प्रभाव को दर्शाती है। आवधिक जमाराशियों के बारे में एक और उल्लेखनीय विशेषतता यह है कि सभी क्षेत्रों में पांच वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली जमाराशियों के हिस्से में गिरावट आयी है, जो आकर्षक प्रतिलाभ वाली वैकल्पिक बचत लिखतों की उपलब्धता को दर्शाती है। यह प्रवृत्ति भारत तक ही सीमित नहीं है तथा कई अन्य देशों में भी ऐसा देखा गया है, जिसका संकेत पहले दिया जा चुका है।

4.73 वित्तीय क्षेत्र का विकास होने के साथ जमा से इतर बचत संबंधी लिखतों के हिस्से में बैंक जमाराशियों की क्षति पर वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है। आने वाले वर्षों में यह प्रवृत्ति बढ़ने की आशा है। अतः बैंकों के सामने इस बात की चुनौती है कि वे अब तक अदोहित बचत राशियां जुटाएं तथा न सिर्फ मौजूदा जमाकर्ताओं को बनाए रखने के लिए अपितु नए जमाकर्ताओं को आकृष्ट करने के लिए भी अपनी सेवाओं में सुधार करें। उन्हें समावेशक वृद्धि तथा वित्तीय समावेशन पर हाल में दिए गए बल द्वारा नए अवसरों की तलाश कर अपने जमा आधार को व्यापक बनाना होगा। वृद्धि की प्रक्रिया सुदृढ़ तथा अधिक समावेशक होने के साथ, ऐसी आशा की जा सकती है कि वित्तीय उत्पादों की मांग में तेजी से वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप बैंकिंग सेवाओं का अधिक विस्तार आवश्यक हो जाएगा।

*बदलती जनसांख्यिकी तथा वित्तीय सेवाएं*

4.74 बैंकों को बदलती जनसांख्यिकी रूपरेखाओं से जुड़े बचत के बदलते स्वरूप को भी स्वीकार करना होगा। 15-64 वर्ष की कार्यशील आयु समूह में आबादी का अनुपात निरंतर बढ़कर 2006 के 62.9 प्रतिशत से 2026 में 68.4 प्रतिशत होने की आशा है। तदनुसार, निर्भरता अनुपात (कार्यशील आयु वाली आबादी के प्रति निर्भर लोगों का अनुपात), जो 1991 के 0.80 से गिरकर 2001 में 0.73 हो गया था, और गिरकर 2011 तक 0.59 रह जाने की आशा है (भारत सरकार, 2008)। भौतिक आस्तियों के प्रति घरेलू बचत की संरचना में हुए बदलाव, जो विशेषतः आवास की मांग को दर्शाता है, में बदलती हुई जनसांख्यिकी की भूमिका प्रतीत होती है। तदनुसार, बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे बचतकर्ताओं के क्रमिक रूप से युवा आयु प्रोफाइल से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अभिनव रणनीतियां विकसित करें। भारत में उभर रही एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि सरकारी क्षेत्र के रोजगार में, जिसमें 1983-1994 के दौरान 1.53 प्रतिशत वार्षिक की औसत वृद्धि हुई थी, 1994-2005 के दौरान 0.70 प्रतिशत की गिरावट आयी। दूसरी ओर, संगठित क्षेत्र में निजी क्षेत्र का रोजगार उसी अवधि में 0.44 प्रतिशत से बढ़कर 0.58 प्रतिशत हो गया। संगठित रोजगार में हुई वृद्धि में निजी क्षेत्र की अग्रणी भूमिका को देखते हुए, अलग-अलग वित्तीय उत्पादों यथा बीमा और संविदात्मक बचत लिखतों की मांग में कार्यशील आयु वाली आबादी के जोखिम-प्रतिलाभ प्रोफाइल में बदलाव के साथ वृद्धि होगी। जनसांख्यिकी तथा रोजगार के बदलते हुए स्वरूप से कई प्रकार की वित्तीय सेवाओं की मांग उत्पन्न होगी यथा बीमा, आवास

तथा अभिनव विशिष्टताओं वाले अन्य वित्तीय उत्पाद। बदलती जनसांख्यिकी तथा रोजगार के स्वरूप का लाभ उठाने के लिए, बैंकों को ग्राहकों द्वारा मांगी गयी वित्तीय सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराकर निष्क्रिय जमासंग्रहण एवं उधार देने जैसी परंपरागत सीमाओं के बाहर जाकर वित्तीय मध्यस्थों के रूप में अपनी भूमिका का पुनर्निर्माण करना होगा। इसी बात से, ग्राहक बैंकों में अपनी जमाराशियां रखेंगे।

*ग्रामीण जमासंग्रहण - नवोन्मेष की जरूरत*

4.75 1990 के दशक से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में ग्रामीण जमाराशियों के हिस्से में आयी गिरावट की पृष्ठभूमि में, बैंकों के समग्र जमासंग्रहण में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण बचत तक पहुंच के प्रयास तेज करने की जरूरत है। यद्यपि अनेक चुनौतियां हैं, तथापि कम लागत वाले बड़े जमा आधार का लाभ उठाने के लिए, जो अन्य वित्तीय मध्यस्थों को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, ग्रामीण क्षेत्र द्वारा बैंकों को व्यापक अवसर उपलब्ध कराया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव इस संबंध में कुछ उपयोगी पाठ प्रस्तुत करता है।

4.76 ग्रामीण क्षेत्र घरेलू बचतों की छोटी राशि प्रदान कर सकता है जिसका संग्रहण करके बैंक उसे ग्रामीण एवं कृषि उद्यमों के उत्पादक उपयोगों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों के सामने प्रमुख चुनौती यह है कि जमा लेनदेनों में प्रायः छोटी राशियां शामिल होती हैं तथा उनका स्वरूप अनियमित होता है जो छोटे पैमाने के आय अर्जक कार्यकलापों के मौसमीपन तथा अनियमित स्वरूप को दर्शाता है। इस मांग को पूरा करने के लिए, फिलीपीन्स में कई बैंकों ने 'पिग्गी बैंकिंग' की संकल्पना को अपनाया है, जिसके द्वारा बचतकर्ताओं को छोटे तालाबंद बाक्स उपलब्ध कराये गये जिसे वे न्यूनतम जमाराशि के साथ बचत खाते खोलने के बाद अपने घरों में रख सकते थे। चाबियां बैंकों के पास रहती थीं। इसने ग्राहकों को अपने बाक्सों में दैनिक आधार पर छोटी राशियां बचाने तथा उनकी इच्छानुसार उनके बचत खातों में जमा करने के लिए बैंकों के पास लाने की अनुमति दी। इससे वसूली संबंधी बैंकों के समय में कमी आयी (यूएसएआइडी, 2005)। एक और प्रमुख चुनौती उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान की है, ताकि आबादी के कम घनत्व तथा खराब भौतिक मूलभूत संरचना वाले ग्रामीण व्यवसाय की लागत में उल्लेखनीय कमी की जा सके। जहां इस चुनौती को निभाने के लिए प्रौद्योगिकीय एवं प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) समाधान आवश्यक हैं, बैंकों की दक्षता, सेवा की गुणवत्ता, लाभ और पहुंच की संभाव्यता पर उनके प्रभाव का सतर्कतापूर्वक मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, फिलीपीन्स में स्थानीय प्रौद्योगिकी फर्मों ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर तैयार किया ताकि बहुल शाखाओं और इकाइयों एवं केंद्रीय बैंक की डेटा प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं संबंधी विशिष्ट जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस सॉफ्टवेअर ने ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी के कस्टमाइजेशन तथा उत्पादों में वृद्धि या परिवर्तन के अनुरूप उसके लचीले समायोजन की अनुमति प्रदान की। यह उच्च गुणवत्तावाली तथा कम खर्चीली प्रणाली साबित हुई, जिसने अनेक लेनदेनों तथा कई ग्राहकों की जरूरतें तुरंत और कारगर तरीके से पूरी करने की बैंकों की योग्यता में सुधार कर दिया। इस प्रकार यद्यपि ग्रामीण बचतों को जुटाने में चुनौतियां हैं, अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह दर्शाते हैं कि कुछ नवोन्मेषी पद्धति अपनाकर इन चुनौतियों से कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। उपयुक्त अनुकूलन के साथ अन्य देशों का अनुभव ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने तथा ग्रामीण बचतों में तेजी लाने का प्रयास करने वाले बैंकों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है।

*अन्य मध्यस्थों/बाजारों से प्रतिस्पर्धा*

4.77 निधियों के विनियोजन के गुरुतर क्षेत्रों तथा बाजारों के विकास की सहायता से उच्चतर प्रतिलाभ की संभावना सहित, निवेशक क्रमिक रूप से लिखतों तथा संस्थाओं के बीच अपने संविभागों को विशाखीकृत करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न खण्डों की जोखिमों के प्रबंधन के लिए वित्तीय सेवाओं की मांग करते हैं। इससे मध्यस्थता सेवाओं की मांग के स्वरूप में परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा निवेशक अपनी अतिरिक्त निधियों का निवेश करते समय बैंक जमा द्वारा प्रस्तावित स्थिर प्रतिलाभों से अधिक की अपेक्षा करते हैं। इससे, बदले में, अनेक विशेषीकृत मध्यस्थों/बाजारों का उदय होता है जो निवेशकों की विकसित हो रही जरूरतें पूरी करने में समर्थ होते हैं। 1990 के दशक के आरंभ में भारत में वित्तीय उदारीकरण अपनाने के अनुसरण में चल रहे वित्तीय नवोन्मेषों की पृष्ठभूमि में, इक्विटी शेयरों तथा म्युच्यूअल फंडों के यूनिटों जैसी इक्विटी बाजार संबद्ध लिखतों का महत्व, उनमें निहित उच्चतर जोखिम के बावजूद, उन पर मिलने वाले उच्चतर प्रतिलाभों के कारण बढ़ता जा रहा है। एक सीमा तक यह प्रवृत्ति वित्तीय बाजार के विकास की नैसर्गिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसके तहत लेनदेन लागत में गिरावट और असममित जानकारी के साथ नयी लिखतें लोकप्रिय होती हैं। जोखिम-प्रतिलाभ संबंधी अवधारणाओं के बेहतर मूल्यांकन में निवेशकों को समर्थ बनाकर, इसने निवेशों का चुनाव व्यापक बना दिया है। इन गतिविधियों सहित बैंकों का परंपरागत जमा आधार कम होने के साथ, अलग-अलग व्यक्तियों की जरूरतों के अनुकूल उत्पादों को रिपैकेज और रिडिज़ाइन करके उनके द्वारा प्रदान की जा रही विशिष्ट वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाकर भावी जमाकर्ताओं/निवेशकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की जरूरत है।

4.78 तथापि, अपने कार्यकलापों को विशाखीकृत करते समय बैंकेतर संस्थाओं की तुलना में बैंकों के सामने कई अवरोध हैं। पहला, बैंकेतर संस्थाएं निम्नतर लागत ढांचा रखकर तथा नयी प्रौद्योगिकी को तुरंत अपनाकर उच्चतर प्रतिलाभ का प्रस्ताव करके अपने संसाधनों का प्रबंधन अधिक कारगर तरीके से कर सकती हैं।

इसके अलावा बैंकेतर मध्यस्थ संस्थाएं यथा दलाल, आस्ति प्रबंधन फर्म और म्यूच्युअल फंड उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों सहित विभिन्न निवेशकों के लिए नकदी प्रबंधन तथा धन प्रबंधन जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं। दूसरा, बैंकेतर संस्थाओं से भिन्न, बैंकों पर प्रायः आरक्षित निधि अपेक्षाओं, निदेशित उधार, विवेकपूर्ण विनियमन चालित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं तथा पूंजी बाजार एक्सपोज़र पर सीमा संबंधी सांविधिक विनिर्देशों जैसी विभिन्न विनियामक अपेक्षाएं लागू होती हैं। जहां इन उपायों से वित्तीय स्थिरता का संवर्धन होता है, वे विकासशील वित्तीय प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए विशाखीकरण संबंधी अवसरों को अवरुद्ध करते हैं। तीसरा, सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित विशेष जमा योजनाएं, जो न सिर्फ उच्चतर प्रतिलाभ का प्रस्ताव करती हैं अपितु कर संबंधी प्रोत्साहन भी प्रदान करती हैं, परंपरागत बैंक जमाराशियों की तुलना में प्रभावी प्रतिलाभ को बढ़ावा देती हैं तथा इस प्रकार जमा संग्रहण संबंधी बैंकों के प्रयास को अवरुद्ध करती हैं। जहां प्रणाली में बैंकों द्वारा अदा की जाने वाली विशेष भूमिका से बैंकों पर लागू विभिन्न प्रतिबंध तथा विवेकपूर्ण अपेक्षाएं न्यायोचित हो सकती हैं, कर लाभों से उत्पन्न नीतिगत अनियमितता को दूर करने की जरूरत है ताकि बैंकों को एक 'लेवल प्लेइंग फील्ड' मिल सके।

*जमाराशियों पर निरंतर ध्यान देने की जरूरत*

4.79 बैंकों को कम लागत वाली जमाराशि के आधार का लाभ मिलता है जो एक सीमा तक उन्हें दिन प्रतिदिन की बाजार अस्थिरताओं से मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार, मूल जमा आधार 'भंडारित चलनिधि' के स्रोत का कार्य करता है जो बाजार से उत्पन्न 'उधार ली गयी चलनिधि' की तुलना में टिकाऊ होता है। एक अन्य भेदकारी विशिष्टता यह है कि जहां जमा दरें अपेक्षाकृत जटिल होती हैं, उधार राशि पर ब्याज दरें बाजार स्थिति के अनुरूप अधिक लचीलेपन के साथ बदलती रहती हैं। प्रचुर चलनिधि तथा कम सांकेतिक दरों की विशिष्टता से युक्त अनुकूल समष्टि आर्थिक स्थितियों के दौरान, वित्तीय जोखिम की कम अवधारणा प्रायः वित्तीय बाजार के प्रतिभागियों को क्रमिक रूप से उच्चतर जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी ओर, न देखी गयी घटना द्वारा कारित उथल-पुथल की अवधि में, निवेशकों द्वारा जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यन बाजार में अत्यधिक अनिश्चितता को उत्प्रेरित करते हैं तथा इस प्रकार अत्यधिक लीवरेजवाली संस्थाओं के सामने चूक संबंधी जोखिम पैदा हो जाती है। अतः, जहां उधार ली गयी चलनिधि के लिए बाजार में पहुंचना लाभप्रद हो सकता है, उधार के साथ जुड़ी अत्यधिक लीवरेजिंग की संभाव्यता अप्रत्याशित घटनाओं से निधि आधार के संरक्षण हेतु पर्याप्त सुरक्षोपायों की मांग करती है। ऐसा यूकेआधारित नार्दर्न रॉक नामक बैंक के संकट में देखा जा चुका है, जिसके पास भंडारित चलनिधि की तुलना में उधार ली गयी चलनिधि का हिस्सा उच्चतर था। ऋण स्थितियों की सख्ती के कारण बाजार से निधियां जुटाने की समस्या से ग्रस्त, बैंक का कार्यनिष्पादन प्रतिकूल तौर पर प्रभावित हुआ जिससे जमाकर्ता बड़ी संख्या में अपनी राशि का आहरण करने के लिए उत्प्रेरित हुए और अंततः बैंक में भगदड़ मच गयी।

4.80 भारत स्थित बैंक अपनी निधीयन संबंधी अपेक्षा के लिए परंपरागत रूप से जमाराशियों पर निर्भर रहे हैं। उधार राशि पर उनकी निर्भरता नगण्य है। अर्थव्यवस्था का विस्तार होने तथा निधियों की मांग बढ़ने के साथ, बैंक कभी-कभी बढ़ती मांग की जरूरतें पूरी करने के लिए अपने जमा संसाधनों को अपर्याप्त पा सकते हैं, इस प्रकार, वे उधार के जरिए निधियां जुटाने हेतु प्रोत्साहित होते हैं। नार्दर्न रॉक के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान भारी मात्रा में लिए गए उधार का बैंकों पर गंभीर असर पड़ सकता है, अतः उधार पर अत्यधिक निर्भरता को टाले जाने की जरूरत है। बैंकों द्वारा इस प्रकार के उधार का आश्रय लिए जाने की स्थिति में, उन्हें उपयुक्त आंतरिक जोखिम प्रबंधन रणनीतियां भी अपनानी चाहिए। विशेष रूप से, जहां हाल के वर्षों में भारत में बैंकों को दिया गया अधिक लचीलापन संसाधन जुटाने के नए अवसर प्रदान करता है, उससे जुड़ी जोखिमों में वृद्धि लागतों को न्यूनतम करके उनकी देयताओं के उपयुक्त प्रबंधन की मांग करती है तथा जोखिमों का शमन ब्याज दरों तथा विनिमय दरों में प्रतिकूल गतिविधियों से उत्पन्न होता है। उन्हें अपनी कारोबारी रणनीतियों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि वे दीर्घावधि अर्थक्षम वित्तपोषण को परिचालनों में लाभप्रदता के साथ संयुक्त कर सकें।

*बैंकों में कौशल के विकास की आवश्यकता*

4.81 देश तथा विदेश दोनों में बैंकेतर संस्थाओं तथा पूंजी बाजार लिखतों से मिलनेवाली प्रतिस्पर्धा, जो भविष्य में बढ़ सकती है, का सामना करने के लिए बैंकों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारण करना पड़ेगा तथा उसे सही तरीके से पैकेज करना पड़ेगा, जिसके लिए बैंकों के स्तर पर उपयुक्त कौशल विकास की आवश्यकता पड़ेगी। जहां बैंकों के पास संभाव्यता है, उन्हें अभिनव उत्पाद विकसित करने तथा बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को देखते हुए नयी सेवा पद्धतियां तैयार करने के लिए सभी स्तरों पर कौशल संवर्धन में बड़ी मात्रा में निवेश करना होगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सामने निजी और विदेशी बैंकों की तुलना में अनम्य मुआवजा संरचना के आलोक में नए कार्मिक आकृष्ट करने तथा बनाए रखने के लिए और अधिक चुनौतियां हैं।

*मौद्रिक नीति के निहितार्थ*

4.82 आगे चलकर उच्च वृद्धि क्षेत्र में संक्रमण के अनुरूप संसाधन संग्रहण के कारण बैंकों तथा बैंकेतर संस्थाओं दोनों के स्तर पर अधिक उत्पाद नवोन्मेष की संभावना है। बैंकों तथा बैंकेतर संस्थाओं

के बीच अंतर अस्पष्ट होते जाने तथा अन्य बचत लिखतों के साथ बैंक जमाराशियों की अधिक उपयुक्तता को देखते हुए, नीतिगत परिप्रेक्ष्य तैयार करते समय मौद्रिक समुच्चयों का मूल्यांकन सतर्कतापूर्वक करना होगा। साथ ही, वित्तीय लिखतों में नई विशिष्टताएं शामिल करने का प्रभाव मुद्रा की अभिज्ञेय विशिष्टताओं पर आधारित लेखांकन की परंपरागत पद्धति पर पड़ेगा। विकास की प्रक्रिया सुदृढ़ तथा अधिक समावेशक होने के साथ आवास, शहरी सेवाओं, खुदरा तथा उपयोगी वस्तुओं की मांग खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होने के साथ बढ़ने की संभावना है। ऐसे परिदृश्य में यह संभव है कि बैंक ऋण तथा मौद्रिक समुच्चय में वृद्धि चल रहे संरचनागत परिवर्तनों को देखते हुए, ऐतिहासिक संबंधों तथा लचीलेपन से आशा किए गए स्तर की तुलना में विसामान्य हो तथा ऐसी बनी रहे। इससे मुद्रा/ऋण विस्तार से मुद्रास्फीति, आस्ति मूल्यों तथा प्रणालीगत तरलता के संकेत पढ़ने में स्पष्टता के महत्वपूर्ण मुद्दे उभरकर आते हैं।

## VI. सारांश

4.83 ऐतिहासिक रूप से भारत स्थित बैंकों ने वृद्धि की प्रक्रिया के समर्थन के लिए संसाधन जुटाने और उनका आबंटन करने में केंद्रीय भूमिका निभायी है। 1969 में निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर था। उसके बाद बड़े पैमाने पर हुए शाखा विस्तार के कारण ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों का जमा आधार बढ़ गया। यद्यपि 1980 में हुए राष्ट्रीयकरण के एक और दौर ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पूंजी बाजार की उछाल की पृष्ठभूमि में म्यूच्युअल फंडों तथा एनबीएफसी की निधि संग्रहण संबंधी आक्रामक रणनीतियों ने घरेलू बचतों की कुछ विमध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की। अविनियमित बाजार माहौल के तहत बचत अधिमानों की परिपक्वता के अनुरूप 1995-2005 के दौरान बैंक जमा वृद्धि में पुनः कुछ कमी देखी गई। तथापि, ऋण में सुदृढ़ उठाव को देखते हुए बैंकों द्वारा किए जा रहे जमा संग्रहण संबंधी प्रबल प्रयासों के कारण 2005-08 के दौरान बैंक जमाराशियों की वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी आई। ऐसा शेयरों एवं म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों जैसी अन्य लिखतों में तेज वृद्धि के बावजूद हुआ।

4.84 भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक जमाराशियां हमेशा बचत प्रक्रिया का मुख्य अंग रही हैं। यद्यपि बैंकों ने वित्तीय बचत दर बढ़ाने में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि भौतिक बचतों में वित्तीय बचतों के अनुरूप बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। इस प्रकार, अनुत्पादक भौतिक बचतों को वित्तीय बचतों में परिवर्तित करना एक प्रमुख चुनौती है। बैंकों के लिए यह भी जरूरी है क्योंकि एक वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में जमा संग्रहण की पूरी संभाव्यता के दोहन में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार की वैकल्पिक बचत लिखतों की उपलब्धता, जिनके द्वारा बचतकर्ताओं को उच्चतर प्रतिलाभों का प्रस्ताव किया जाता है, के कारण घरेलू क्षेत्र के लिए बैंक जमाराशियां अपेक्षाकृत कम आकर्षक हो गयी हैं। इसके अलावा, बचतकर्ताओं को अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा प्रस्तावित विशेषीकृत सेवाओं के उपयोग के माध्यम से उनके संविभाग के जोखिम प्रबंधन की जानकारी भी बढ़ गई है। भविष्य में इस व्यवहार में तीव्रता आने की आशा है। कुल जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र की जमाराशियों के सिकुड़ते हुए हिस्से को देखते हुए, इस बात की जरूरत है कि बैंक जमाकर्ता आधार व्यापक करने तथा साथ ही अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए सेवाओं में सुधार लाने के उपायों की तलाश करें। अतः यह आवश्यक है कि बैंक जमाराशियों के नए स्रोतों की खोज करें। ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काफी संभावना है तथा बैंकों द्वारा इन स्रोतों का उपयोग किए जाने की जरूरत है। तथापि इसके लिए यह अपेक्षित होगा कि बैंक कस्टमाइज्ड उत्पाद लाएं जो अलग-अलग व्यक्ति की जोखिम-प्रतिलाभ अपेक्षाओं के अनुकूल हों तथा साथ ही वे अपने कार्यकलापों को विशाखीकृत करके परिचालन लागत को कम करें। इस संदर्भ में, वित्तीय समावेशन पर हाल में दिए गए नीति संबंधी बल में अपना जमा आधार बढ़ाने के लिए बैंकों के लिए काफी गुंजाइश है। इसके अलावा, बदलती हुई जनसांख्यिकी तथा रोजगार के स्वरूप ने भी बैंकों को अपने दायरे में युवा आयु वर्ग के जमाकर्ताओं को लाकर उनकी भूमिका व्यापक बनाने के अवसर खोल दिए हैं। निधियों का बैंकों से बैंकेतर लिखतों तथा इसके विपरीत प्रतिस्थापन हाल में देखा गया है तथा भविष्य में भी ऐसी प्रवृत्तियां जारी रह सकती हैं।इसके लिए मौद्रिक समुच्चयों के आकलन और इनकी व्याख्या में गुरुतर सावधानी की जरूरत होगी।

# V पूंजी और जोखिम प्रबंधन

5.1 बैंकिंग संस्थाओं के सामने कई प्रकार की बाजार और गैर-बाजार जोखिमें हैं। अपने स्वरूप में बैंकिंग बहुल एवं विरोधी प्रतीत होनेवाली जरूरतों के प्रबंधन का प्रयास है और यह प्रयास बैंकों को 'विशेष' बना देता है। बैंक चेक के जरिए जमाकर्ताओं को मांग पर चलनिधि प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं तथा ऋण व्यवस्था के जरिए अपने उधारकर्ताओं को ऋण एवं चलनिधि प्रदान करते हैं (कश्यप, राजन और स्टेन, 1999)। इस प्रक्रिया में बैंकों के सामने कई प्रकार की जोखिमें आती हैं जिनके लिए वे संरक्षणात्मक उपाय करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे शोधनीय और तरल बने रहें। इस प्रकार अच्छा जोखिम प्रबंधन तथा पूंजी की सुदृढ़ स्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं कि अलग-अलग बैंकिंग संगठन सुरक्षित और सुदृढ़ तरीके से कार्य करें, जो कि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने तथा आर्थिक वृद्धि के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है।

5.2 वित्तीय क्षेत्र की नीतियों का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाना है। ये दोनों उद्देश्य परस्पर एक दूसरे को प्रबलित करते हैं। वित्तीय स्थिरता के लक्ष्य के जरिए नीतिनिर्माता बचतकर्ताओं, निवेशकों तथा अन्य आर्थिक अभिकरणों का आर्थिक विघटनों से संरक्षण करना चाहते हैं जिससे समाज के गैर-सुविधाप्राप्त वर्गों सहित अन्य लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुँचाने में मदद मिलती है। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में गुरुतर सुदृढ़ता तथा अधिक कारगर जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की जरूरत पड़ती है। प्रणालीगत जोखिम को समझने एवं उनका प्रबंधन करने से तथा उनके लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करने से प्रणाली की स्थिरता बढ़ जाती है। अधिक सामान्य तौर पर कहें तो, सुदृढ़ पूंजी से बैंकों को अप्रत्याशित आघात सहने और जमा बीमा के साथ जुड़े नैतिक खतरों को कम करने में मदद मिलती है।

5.3 परंपरागत रूप में, बैंकों ने दिवालियेपन के प्रति प्रतिरोधक के तौर पर पूँजी रखा तथा जमाकर्ताओं द्वारा अप्रत्याशित आहरण या उधारकर्ताओं द्वारा राशि निकालने से बचाव के लिए तरल आस्तियां - नकदी एवं प्रतिभूतियां - रखीं (सैडेनबर्ग तथा स्त्राहन, 1999)। प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित दोनों घटनाओं में जोखिम की संभावना रहती है, जिनका बैंकों की पूँजी या आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूँजी पर्याप्तता अनुपात का आशय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक उनके सामने मौजूद जोखिमों की तुलना में न्यूनतम मात्रा में अपनी निधियां रखें ताकि वे अप्रत्याशित हानियों को बर्दाश्त कर सकें। इस प्रकार प्रत्याशित हानियों की रक्षा उत्पाद के मूल्यन, कारोबारी राजस्व एवं हानि के लिए प्रावधान द्वारा संयुक्त रूप में की जाती है; तथा अप्रत्याशित हानियों की रक्षा बैंक की पूँजी निधियों द्वारा की जाती है। पूँजी से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाजार की अप्रत्याशित स्थिति अथवा उधारकर्ता की ऋण गुणवत्ता में गिरावट से बैंक की शोधनीयता के लिए कोई गंभीर चुनौती उपस्थित न हो। तथापि, पूँजी से यह सुनिश्चित नहीं होता कि बैंक विफल[1] नहीं होंगे।

5.4 सिद्धांत यह सुझाते हैं कि संविभाग जोखिम तथा पूँजी संबंधी बैंकों के चुनाव परस्पर संबद्ध होते हैं। एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया बैंक की पूँजी की पर्याप्तता के कारगर आकलन का आधार होती है। अतः निक्षेपागार संस्थाओं के लिए यह जरूरी है कि जोखिम एक्सपोजर के आर्थिक तत्व की पूर्ण पहचान की जाए तथा उसे प्रणाली में समाविष्ट किया जाए। जोखिम के अनुमान सुदृढ़ पूंजी आकलन में रूपांतरित होने चाहिए।

5.5 पूंजी और जोखिम प्रबंधन में न सिर्फ पर्यवेक्षकों की, अपितु बैंकों के स्वामियों, कर्मचारियों तथा जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं सहित सभी पणधारियों की भी दिलचस्पी होती है। स्वामी अंतर्निहित तौर पर बैंक के बने रहने में इच्छुक होते हैं क्योंकि वे अपने निवेश पर उचित प्रतिलाभ की आशा करते हैं तथा पूंजीगत हानियों को टालना चाहते हैं। इसके अलावा, पुनर्जीवन में बैंक के कर्मचारियों, जमाकर्ताओं तथा उधारदाताओं की भी हिस्सेदारी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक के विफल होने पर बैंक अपने जमाकर्ताओं एवं उधारदाताओं को पूरी रकम समय पर चुकाने में असमर्थ होता है, तथा ऐसी संभावना होती है कि इन पक्षकारों को हानि उठानी पड़े। इसी तरह, बैंक के विफल होने पर बैंक कर्मचारियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है। इन समूहों के अलग-अलग हितों में संगति होना जरूरी नहीं है; तथापि सभी पक्षकारों की दिलचस्पी यह सुनिश्चित करने में होती है कि संस्था द्वारा ऐसी जोखिम न उठायी जाए, जिससे उसका अस्तित्व में रहना खतरे में पड़ जाए। पूंजी विनियमन का पंरपरागत उद्देश्य बैंक की विफलताओं को कम करना तथा बैंकिंग स्थिरता का संवर्धन करना रहा है। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य बैंक विफल होने पर जमाकर्ताओं एवं जमा बीमाकर्ताओं की हानियों को कम करना है। विनियामक जमा बीमा संबंधी हानियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं क्योंकि सरकार न सिर्फ औपचारिक कार्यक्रमों के जरिए बीमा प्रदान करती है, अपितु विधिक व्याप्ति के अभाव में अंतिम आश्रय वाले बीमाकर्ता के रूप में भी कार्य करती है।

[1] पूंजी पर्याप्तता पर कार्य दल, बीआइएस, 2002, पृ. 2

5.6 यद्यपि पूरे विश्व के विनियामक बैंक पूंजी के बारे में चिंतित हैं, तथापि ऐसा कोई औपचारिक विनियमन नहीं था, जिसने बासेल-पूर्व की स्थिति में अर्थात 1988 में बासेल पूँजी समझौते पर हस्ताक्षर करने के पूर्व न्यूनतम पूंजी अनुपात विनिर्दिष्ट किया हो। 1980 के दशक के आरंभ में, विनियामक कई बैंकों के, विशेष तौर पर बड़े बैंकिंग संगठनों तथा बैंक धारक कंपनियों के, पूँजी अनुपात से अधिकाधिक असंतुष्ट होने लगे। फलस्वरूप, यूएस में विनियामकों ने 1981 में अपने क्षेत्राधिकार में आनेवाले सभी बैंकों के लिए आस्ति के प्रति पूँजी का न्यूनतम अनुपात विनिर्दिष्ट किया गया; शेष बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे आस्ति के प्रति अपना पूँजी अनुपात बढ़ाएं तथा 1983 तक उन्हें सांख्यिकीय मानकों के तहत लाया गया (वाल, 1989)। 1981 के दिशानिर्देश अपना लिए जाने के बाद के वर्षों में यूएस में बैंकिंग उद्योग ने अपने पूँजी अनुपातों में अधिकाधिक वृद्धि की। तथापि, जोखिम मापने के लिए कुल आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात के सामान्य उपयोग पर सवाल उठाए गए क्योंकि बैंकों ने कम जोखिमपूर्ण से तथा अधिक जोखिमपूर्ण आस्तियों की ओर अपने संविभागों का समायोजन किया। तथापि, 1980 के दशक में, यूएस तथा पश्चिमी यूरोप में बैंकों ने उच्च तरलता, कम प्रतिलाभ वाली आस्तियों में अपने निवेश को कम किया तथा संभाव्य रूप से जोखिमपूर्ण तुलनपत्र - बाह्य लेनदेनों में अपना एक्सपोजर बढ़ा दिया। इस प्रकार कुल आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपातों, जो 1980 के दशक के आरंभ में पर्याप्त था, का महत्व दशक के उत्तरार्ध में समाप्त हो गया। फलस्वरूप, कई देशों ने जोखिम-आधारित पूँजी मानक अपनाया, जिन्हें बीआइएस के संरक्षण में इस अवधि के दौरान लोकप्रिय बनाया गया।

5.7 जुलाई 1988 में 12 देशों (जी-10 के सभी देशों तथा लक्जेमबर्ग और स्विटजरलैंड) द्वारा बासेल समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना पूँजी विनियमन के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय घटना थी। बासेल समझौता, 1988 में अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों के लिए पूँजी के न्यूनतम स्तर बनाए गए। यह इतना आसान था कि पूरे विश्व में 100 से अधिक देश न सिर्फ इस ढांचे को अपनाने के लिए अपितु अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों तक इसे सीमित न रखते हुए समूचे बैंकिंग खंड पर इसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित हुए। तथापि, 1990 के दशक की गतिविधियों ने 1988 के बासेल पूंजी समझौते की प्रभावशीलता को कम कर दिया। प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय उत्पाद नवोन्मेषों में हुई उल्लेखनीय प्रगति ने ऋण प्रक्रिया में बैंकों द्वारा निभायी जानेवाली भूमिका को नया रूप दिया। मूल संस्थाएं परंपरागत 'खरीदो-और-रखे रहो' रणनीति से हटकर 'उत्पन्न करो-और-वितरित करो' या बाजार आधारित मॉडल की ओर झुकने लगीं।

5.8 वित्तीय क्षेत्रों को अविनियमित करने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति ने कई देशों में बैंकिंग संबंधी व्यापक समस्याएं उत्पन्न कर दीं। इसके अलावा, वित्तीय प्रणाली के वैश्वीकरण में वृद्धि होने के साथ, बैंकों की सुदृढ़ता की चिंताओं का महत्व आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए तथा विशेष तौर पर बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के लिए बढ़ गया (बीआइएस, 2000)। अतःबैंकिंग संगठनों के पूँजी अनुपात विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक गतिविधियों के केन्द्र बन गए। हाल की बाजार की घटनाओं ने भी बैंकिंग प्रणाली के लिए उभरती नई जोखिमों पर प्रकाश डाला, जिसने जोखिम प्रबंधन की कुछ जटिल चुनौतियों को जन्म दिया है। चूंकि बैंकों ने अपने कार्यकलापों का दायरा मूल उधार देने से बढ़ाकर उसमें प्रतिभूतियां रखना, जटिल लिखतों की ट्रेडिंग, चलनिधि की सुविधाएं प्रदान करना, तुलनपत्र बाह्य लेनदेन तथा अन्य वित्तीय कार्यकलाप करना शामिल कर लिया है, तथा वे खुद नये बजारों से जुड़ गए हैं, अतः जोखिम प्रबंधन की चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। फलस्वरूप, बैंक पर्यवेक्षक भी बैंकिंग संगठनों के भीतर सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के संवर्धन में तीव्र रुचि ले रहे हैं। जोखिम के आकलन, उस पर निगरानी रखने तथा उसके प्रबंधन के लिए बैंकों की प्रक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन समसामायिक बैंकिंग पर्यवेक्षण का केन्द्रबिंदु है। पर्यवेक्षकों ने भी आर्थिक पूँजी के निर्धारण के लिए बैंकों के आंतरिक मॉडलों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है, जिससे बैंकिंग संगठनों की जोखिम को पूँजी से संबद्ध करने तथा विभिन्न व्यवसायों और स्थानों में जोखिम एवं प्रतिलाभ की तुलना करने में मदद मिलती है।

5.9 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप भारत भी पूँजी पर्याप्तता ढांचे तथा बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुदृढ़ बना रहा है। तथापि, विभिन्न बैंकिंग खंडों में उनके आकार तथा उनकी जटिलता के अनुसार ये अलग-अलग हैं। 1992 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए, जो बैंकिंग प्रणाली का सबसे बड़ा खंड है, बासेल I मानदंड लागू किए गए। बाद में इन मानदंडों को शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू किया गया। अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय देशी बैंक तथा विदेशी बैंक पहले ही देश-विशिष्ट की स्थितियों के अनुरूप बनाए गए बासेल II की ओर जा चुके हैं, जबकि अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक बासेल II को अपनाने की प्रक्रिया में हैं। भारत ने वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिए ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम का खयाल रखने हेतु व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरू की है।

5.10 इस अध्याय को सात खंडों में विभाजित किया गया है। परिचयात्मक खंड के बाद खंड II में जोखिम तथा पूँजी के बीच का संबंध बताया गया है। खंड III में पूँजी की माप तथा पूँजी मानकों की अंतरराष्ट्रीय अभिबिन्दुता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। खंड IV में बासेल II ढांचे के कार्यान्वयन संबंधी कई मसलों का वर्णन किया गया है, जिनमें इसके लाभ, सीमाएं, संभावित प्रभाव, कार्यान्वयन की चुनौतियां तथा प्रमुख देशों में इसके कार्यान्वयन की प्रगति शामिल हैं। भारतीय संदर्भ में पूँजी और जोखिम के प्रबंधन के क्षेत्र में नीतिगत गतिविधियों की चर्चा संक्षेप में खंड V में की गई है। इसके अलावा इस खंड में भारतीय संदर्भ में बासेल II जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, आस्ति देयता प्रबंधन तथा कारपोरेट अभिशासन

के कार्यान्वयन में हुई प्रगति भी शामिल है। इस खंड में सुधारोत्तर अवधि में बैंकों द्वारा किस प्रकार पूँजी का प्रबंधन किया गया तथा अगले पांच वर्षों (2007-08 से 2011-12) में से प्रत्येक में पूँजीगत अपेक्षाओं के आकलन का विश्लेषण, सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर विशेष ध्यान देते हुए, भी किया गया है। खंड VI में सुसंगत मुद्दे तथा भविष्य की चुनौतियां दी गई हैं। खंड VII में इस अध्याय को समाप्त किया गया है।

## II. जोखिम और पूँजी

5.11 बैंकिंग सेवा प्रदान करने से संबंधित जोखिम प्रदान की गई सेवा के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होती है। प्रत्याशित परिणाम से वास्तविक परिणाम में प्रतिकूल विचलन का खतरा ही जोखिम है। जोखिम की इस व्याख्या को संभाव्यता वितरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें भविष्य के परिणाम प्रत्याशित स्तर के आस-पास रहते हैं। इस प्रकार बैंक को वास्तविक जोखिम में इस बात की संभावना होती है कि यादृच्छिक घटबढ़ के कारण परिणाम प्रत्याशित मूल्य से ऋणात्मक रूप से विचलित होगा। बैंकिंग कारोबार में जोखिम अंतर्निहित होती है। जोखिम को टालने के सिद्धांत पर काम करनेवाले बैंक अर्थव्यवस्था की वैध ऋण अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। दूसरी ओर, अत्यधिक जोखिम उठाने वाले बैंकों को कठिनाई से गुजरना पड़ सकता है। ऋण जोखिम बैंकिंग की सर्वाधिक सामान्य जोखिम होती है और संभाव्य हानियों के रूप में यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रमुख ग्राहकों में से कुछ के द्वारा चूक किये जाने पर बहुत बड़ी हानि हो सकती है तथा आत्यंतिक मामले में इससे बैंक दिवालिया हो सकता है। यह जोखिम इस संभावना से जुड़ी होती है कि बैंक को परिणामी हानि होने के साथ ऋणों की चुकौती नहीं होगी अथवा निवेश की गुणवत्ता खराब हो जाएगी या उसमें चूक होगी। ऋण जोखिम सिर्फ इस जोखिम तक सीमित नहीं होती कि उधारकर्ता चुकाने में असमर्थ होते हैं; अपितु इसमें परिपक्वता अवधि से ज्यादा देरी से होने वाले बिलों की अदायगी की जोखिम भी शामिल होती है तथा इससे भी बैंक के लिए समस्याएं आ सकती हैं। बैंकिंग उद्योग तथा वित्तीय बाजारों में परिवर्तन से बैंकिंग संस्थाओं के सामने आनेवाली बैंकिंग जोखिमों की जटिलता बढ़ गई है। अतः, कुछ परंपरागत जोखिमों के अलावा, बैंकों को कई नई जोखिमों का सामना भी करना पड़ा है (सारणी 5.1)।

5.12 जोखिमों की पहचान करने पर, एक वित्तीय संस्था में जोखिमों के प्रबंधन के तीन तत्व पाए जाते हैं - (i) जोखिम की सही माप तथा निगरानी; (ii) नियंत्रक और मूल्यन एक्सपोजर; तथा (iii) अप्रत्याशित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूँजी और आरक्षित निधि रखना। हाल के वर्षों में पर्यवेक्षणात्मक प्रवृत्ति यह है कि इनमें से प्रत्येक पहलू पर कार्य किया जाए।

5.13 सुसंगत जोखिम सीमाएं निर्धारित करने के लिए जोखिम उठाने की उपयुक्त सीमा को परिभाषित करना बैंक के लिए मूल परिचालनात्मक पूर्वापेक्षा है। जोखिम उठाने की सीमा को उपयुक्त संकेतकों द्वारा मापी गई(यथा बैंक की जोखिम सहने की रुख की माप के रूप में) वित्तीय जोखिम उठाने की बैंक की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जोखिम उठाने की सीमा की परिभाषा के आधार पर, बैंक के वास्तविक जोखिम ढांचे के विहगावलोकन से इसके लक्ष्य जोखिम ढांचे की परिभाषा के लिए शुरुआती स्थल की जानकारी हो जाती है। बैंक के वास्तविक जोखिम ढांचे में समग्र बैंक के स्तर पर विभिन्न प्रकार की जोखिमों (ऋण जोखिम, ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, आदि) का वर्तमान सापेक्ष्य महत्व तथा अलग-अलग जोखिम प्रकार के बीच जोखिम सकेन्द्रण का वितरण शामिल होता है। बैंक की जोखिम स्थिति का आकलन करने के बाद, अगला महत्वपूर्ण कदम यह सुनिश्चित करना है कि जोखिम की स्थिति आने पर हानि को सहने के लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध हो।

5.14 पूँजी बैंक के संसाधनों में से सबसे दुर्लभ तथा सर्वाधिक खर्चीला साधन है तथा इससे हानियों को प्रत्यक्ष रूप में तथा तत्काल कवर किया जा सकता है। जहाँ तक बैंकिंग कंपनी का संबंध है, पूँजी से कई प्रयोजन पूरे होते हैं। यह (i) बैंक के परिचालनों के निधीयन का स्थायी स्रोत है; (ii) आस्ति मूल्यों की हानियों और परिवर्तनों को अवशोषित करती है तथा इस प्रकार शोधनीयता बनाए रखने में मदद करती है; (iii) जमाकर्ताओं के विश्वास को बढ़ाती है; (iv) बैंक के अभिशासन में शेयरधारकों के हित को प्रोत्साहित करती है; (v) परिसमापन की स्थिति में उधारदाताओं को संरक्षण प्रदान करती है; तथा (vi) अनिश्चितता के प्रति बैंक का संरक्षण करती है। बैंक के शेयरधारकों द्वारा प्रदान की गई पूँजी, एक ओर, बैंकों को जोखिम उठाने की अनुमति देती है तथा, दूसरी ओर, इसकी यह अपेक्षा होती है कि ऐसी जोखिम के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक हो। अतः यह जरूरी है कि पूँजी प्रबंधन को मूल्य के सृजन से जोड़ा जाए, जबकि साथ ही विभिन्न प्रकार की जोखिमों से उत्पन्न लागत (संभाव्य हानियों द्वारा अवशोषित पूँजी के रूप में) तथा लाभ (निवल लाभ के रूप में) पर सही रूप में और त्वरित निगरानी रखी जाए।

5.15 बैंक विनियमन के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण पूँजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाओं की सकारात्मक विशिष्टताओं पर बल देता है (देवात्रिपोंट तथा तिरोले, 1994)। पूँजी हानियों एवं इस प्रकार विफलता के प्रति प्रतिरोधक के रूप में कार्य करती है। पूँजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाएं जमाकर्ताओं और अन्य ऋणदाताओं के साथ बैंक के मालिकों के प्रोत्साहनों को संरेखित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं (बर्गर आदि, 1995 तथा कीले एवं फरलांग, 1990)। दूसरी ओर, यह तर्क दिया जाता है कि पूँजी की अपेक्षाएं जोखिम उठाने के व्यवहार को बढ़ा सकती हैं। यदि जमाराशियां जुटाने की तुलना में इक्विटी पूँजी अधिक खर्चीली हो, तो जोखिम-आधारित पूँजी संबंधी अपेक्षाओं में वृद्धि होने से उधार देने की बैंकों की इच्छा कम होने की प्रवृत्ति होती है (ठाकोर, 1996)। यह भी देखा गया है कि पूँजी संबंधी अपेक्षाएं बढ़ाने से बैंक कम जमाराशियां रखने के लिए मजबूर होते हैं, जो बैंकों की चलनिधि-प्रदान करने की भूमिका को कम करता है (गॉर्टन तथा विंटन, 2000)।

## सारणी 5.1: जोखिमों के प्रकार जिनका सामना बैंकों द्वारा किया जाता है

| जोखिमों के प्रकार | परिभाषा |
|---|---|
| **ऋण जोखिम** | यह काउंटरपार्टी की ऋण गुणवत्ता में ह्रास हो जाने के कारण ऋण देने संबंधी निर्णीत संविदाओं में चूक अथवा उन्हें पूरा न करने के नकारात्मक परिणाम को संदर्भित करता है। |
| • काउंटरपार्टी चूक जोखिम | इस संभावना को संदर्भित करता है कि करार करनेवाली अन्य पार्टी द्वारा चूक होगी। |
| • इक्विटी जोखिम (सहभाग) | कंपनी-विशिष्ट कारकों के कारण इक्विटी के प्रतिकूल मूल्य के कारण स्टाक मार्केट में बैंकों के निवेश में मूल्यह्रास की संभावना को संदर्भित करता है। |
| • प्रतिभूतिकरण जोखिम | प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऋण लिखतों को एक पूल में एकत्रित करके और तदनंतर पूल द्वारा समर्थित नई प्रतिभूतियों को जारी जोखिमों को बाँटा जाता है। प्रतिभूतिकरण के दो प्रकार हैं, जैसे कि 'परंपरागत' तथा 'संश्लिष्ट' (सिंथेटिक) प्रतिभूतियां। 'परंपरागत' प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रवर्तक बैंक आस्तियों के समूह को विशेष प्रयोजन संस्था को अंतरित कर देता है जो उनसे दूरी बनाए रखती है। इसके विपरीत, 'संश्लिष्ट' प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रवर्तक बैंक आस्तियों के समूहों का कानूनी स्वामित्व अपने पास रखता है और ऋण-संबद्ध नोटों अथवा क्रेडिट व्युत्पन्नियों के उपयोग के माध्यम से अंतर्निहित आस्तियों के पूल से संबद्ध केवल ऋण जोखिम को अंतरित करता है। |
| • संकेंद्रण जोखिम | संकेंद्रण जोखिम एक ऐसा एकल एक्सपोजर अथवा एक्सपोजरों का समूह है जो बैंक के स्वास्थ्य को अथवा उसके मुख्य परिचालनों को बनाए रखने की उसकी क्षमता को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त हानि (बैंक की पूंजी, कुल आस्तियों अथवा समग्र जोखिम स्तर के संबंध में) उत्पन्न करने में सक्षम है। |
| **बाजार जोखिम** | बाजार जोखिम सामान्यतः मुद्रा तथा पूंजी बाजारों के मूल्य में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न जोखिम को संदर्भित करता है। खुली विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों तथा (स्पष्ट अर्थों में) खुली मीयादी स्थितियों के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ की संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप भी बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। |
| • ब्याज दर जोखिम (आइआरआर) | ब्याज दर जोखिम (आइआरआर) की व्याख्या इस प्रकार है - ब्याज दर घट-बढ़ के कारण बैंक के पोर्टफोलियो मूल्य में परिवर्तन। आइआरआर प्रबंधन प्रणाली ट्रेडिंग बही (अर्थात जिन आस्तियों की नियमित रूप से ट्रेडिंग की जाती है और जो तरल स्वरूप की होती हैं) तथा बैंकिंग बही (अर्थात जो आस्तियां सामान्यतया परिपक्व होने तक रखी जाती हैं और जिनमें शायद ही कभी ट्रेडिंग की जाती हो) दोनों में मौजूद जोखिम एक्सपोजरों की माप तथा नियंत्रण से संबंधित है। आइआरआर को चार वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: पुनर्मूल्यनिर्धारण जोखिम (अर्थात ब्याज दर स्तरों में घट-बढ़ जिनका बैंक आस्तियों तथा देयताओं पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है), आय वक्र जोखिम (अर्थात आय वक्र के ढलान एवं आकार में अप्रत्याशित बदलाव द्वारा पोर्टफोलियो मूल्य में परिवर्तन), आधार जोखिम (अर्थात उसी तरह की परिपक्वताओं के लिए विभिन्न ब्याज दर बाजारों में सूचक दरों के बीच अपूर्ण सह संबंध) तथा विकल्पता (बैंक आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में दिए गए ब्याज दर विकल्पों से उत्पन्न जोखिम) |
| • इक्विटी मूल्य जोखिम | यह जोखिम सामान्य बाजार संबंधी कारकों के कारण इक्विटी के बाजार मूल्यों की घट-बढ़ के कारण उत्पन्न होती है। |
| • विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम | यह जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में घट-बढ़ के कारण उत्पन्न होती है। |
| **परिचालनात्मक जोखिम** | अपर्याप्त अथवा विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों तथा प्रणालियों अथवा बाह्य घटना के परिणास्वरूप हुई हानि की जोखिम परिचालनात्मक जोखिम कहलाती है। इस परिभाषा में कानूनी जोखिम शामिल है, किंतु रणनीतिक तथा प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं है। |
| • अनुपालन/कानूनी जोखिम | अनुपालन/कानूनी जोखिम में पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाई तथा निजी समझौते के परिणामस्वरूप जुर्माना, दंड अथवा दंडात्मक हानियों के प्रति एक्सपोजर शामिल है, किंतु यह इस तक सीमित नहीं है। कानूनी/अनुपालन जोखिम यथोचित नीति, प्रक्रिया अथवा विधि, विनियम, संविदात्मक व्यवस्थाओं तथा अन्य कानूनी तौर पर बाध्यकारी करारों और अपेक्षाओं के अनुरूप नियंत्रण बनाने में संस्था की विफलता से उत्पन्न होती है।। |
| • प्रलेखीकरण जोखिम | अनुचित अथवा अपर्याप्त प्रलेखीकरण से भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथा अनिश्चितता बनी रहती है, जो वित्तीय संविदा की विशिष्टताओं के संबंध में संदिग्धता उत्पन्न करती है, तथा इसे ही प्रलेखीकरण जोखिम कहते हैं। |
| **चलनिधि जोखिम** | चलनिधि जोखिम बैंक की दायित्व निभाने की असमर्थता से उत्पन्न होती है, और यह ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें पार्टी के इच्छुक होने के बावजूद आस्ति की ट्रेडिंग करने के लिए कोई काउंटरपार्टी नहीं मिलती है। |
| • सावधि चलनिधि जोखिम | यह जोखिम ऋण लेन-देन में पूंजी प्रतिबद्धता अवधि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी (चुकौती में अप्रत्याशित देरी) हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। |
| • आहरण/मांग जोखिम | अपेक्षा से अधिक ऋण का आहरण करने अथवा अधिक जमाराशि के आहरण से उत्पन्न जोखिम आहरण अथवा मांग जोखिम कहलाती है। इससे बैंक को यह जोखिम है कि कठिनाइयों के बिना वह अपने भुगतान दायित्व पूरे नहीं कर सकेगा। |
| • संरचानात्मक चलनिधि जोखिम | यह जोखिम आवश्यक निधि लेन-देन न कर पाने (अथवा केवल कम अनुकूल शर्तों पर कर पाने) की स्थिति में उत्पन्न होती है। यह जोखिम कभी-कभी निधीयन चलनिधि जोखिम भी कहलाती है। |
| • आकस्मिक चलनिधि जोखिम | आकस्मिक चलनिधि जोखिम एक ऐसी जोखिम है जो अतिरिक्त निधियों को जुटाने अथवा संभाव्य भविष्यकालीन दबावग्रस्त बाजार स्थितियों के अधीन परिपक्व हो रही देयताओं को पुनःस्थापित करने से संबंधित है। |
| • बाजार चलनिधि जोखिम | यह जोखिम तब उत्पन्न होती है जब विदेशी मुद्राओं को अपेक्षित समयावधि के दौरान नहीं बेचा जा सकता है अथवा केवल बट्टा दर पर बेचा जा सकता है (बाजार प्रभाव)। यह विशेष मामला अतरल बाजार में प्रतिभूतियों/व्युत्पन्नियों का होता है, अथवा जब बैंक ऐसी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अपने पास रखता है कि उसे आसानी से नहीं बेचा जा सकता। इन बाजार चलनिधि जोखिमों का हिसाब जोखिम की माप में धारण अवधि (उदा. जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के लिए धारण अवधि) को बढ़ाकर अथवा अनुभव के अधार पर प्राप्त प्रत्याशित मूल्य लागू कर किया जा सकता है। |
| **अन्य जोखिम** | |
| • रणनीतिगत जोखिम | रणनीतिगत जोखिम कारोबार नीति निर्णयों, आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, निर्णयों के अपूर्ण अथवा अपर्याप्त कार्यान्वयन अथवा आर्थिक वातावरण में हुए परिवर्तन को स्वीकार करने में विफलता के कारण पूंजी तथा अर्जन पर हुए ऋणात्मक प्रभाव से संबंधित है। |
| • प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम | प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित है, जो बैंक की प्रतिष्ठा में प्रत्याशित स्तर की तुलना में ऋणात्मक भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। बैंक की प्रतिष्ठा उसकी क्षमता ईमानदारी तथा विश्वसनीयता के प्रति जनता (निवेशक/ उधारकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक आदि) की नजरों में बनी छबि पर निर्भर होती है। |
| • पूंजीगत जोखिम | पूंजीगत जोखिम बैंक के स्वरूप एवं आकार के संबंध में असंतुलित आंतरिक पूंजीगत संरचना से, अथवा यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त जोखिम व्याप्तिवाली पूंजी तुरंत जुटाने से संबंधित कठिनाइयों से उत्पन्न होती है। |
| • अर्जन जोखिम | अर्जन जोखिम बैंक की अर्जन संरचना में अपर्याप्त विविधता अथवा लाभप्रदता के एक पर्याप्त एवं अंतिम स्तर तक पहुंचने में बैंक की असमर्थता के कारण उत्पन्न होती है। |
| • आउटसोर्सिंग जोखिम | आउटसोर्सिंग जोखिम को वर्गीकृत करने के कई उपाय हैं, जिनमें से चार अत्यधिक सुविधाजनक उपाय हैं - परिचालनात्मक विघटन जोखिम, डेटा जोखिम, गुणवत्ता जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम। |

5.16 बनायी रखी जाने वाली पूँजी उनके जोखिम प्रोफाइल तथा परिचालनात्मक वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। इस उद्देश्य के अनुसरण में, बैंकों को पूँजी के साथ जोखिम को संबद्ध करने की ऐसी सुदृढ़ पद्धति बनानी चाहिए ताकि पूँजी उसके जोखिम प्रोफाइल के लिए पर्याप्त हो। जोखिम प्रबंधन में उस जोखिम की मात्रा और प्रकार का तय किया जाना, जिसे उठाने के लिए बैंक इच्छुक हो, ऐसी जोखिम को कवर करने के लिए पर्याप्त पूँजी संसाधन जुटाना तथा वांछित लाभ कमाने की स्थिति में मौजूद कारोबारी इकाइयों के लिए पूँजी का आबंटन अपेक्षित होता है। यह प्रक्रिया सिर्फ एक बार नहीं होती अपितु इसके लिए निरंतर समायोजन अपेक्षित होता है। अधिक विशिष्ट तौर पर कहें तो, लाभप्रदता का लक्ष्य पूरा न करने वाले कारोबारी क्षेत्रों का विश्लेषण, पुनर्विन्यास और अंततः उन्हें छोड़ दिया जाना अपेक्षित होता है। बैंक की पूँजी की एक विशिष्ट मात्रा को विभिन्न कारोबारों में (या इसकी कारोबारी इकाइयों में) स्पष्ट तौर पर आबंटित किया जा सकता है, जो बैंक के रणनीतिक निर्णयों पर निर्भर होता है। इसके अलावा, ये आबंटन कुछ समय में उदाहरण के लिए एक कारोबारी चक्र के भीतर अलग-अलग हो सकते हैं। एक विशेष क्षेत्र में कारोबार की स्थिति में सुधार के साथ उन्हें बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

5.17 पूंजी प्रबंधन का संबंध मुख्यतः पूंजी की उस इष्टतम मात्रा को जो बैंक के पास होनी चाहिए (आर्थिक पूंजी) तथा इष्टतम विनियामक पूंजी संमिश्र को परिभाषित करने से है। इस प्रकार, अलग-अलग बैंक की पूंजी को विनियामक पूंजी और आर्थिक पूंजी के संमिश्र के रूप में देखा जा सकता है (बॉक्स V.I)। विनियामक और आर्थिक पूंजी दोनों से बैंकों के

## बॉक्स V.1
## आर्थिक पूंजी बनाम विनियामक पूंजी

विनियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों का असर बैंक की वित्तीय स्थिरता शक्ति पर पड़ता है; आर्थिक तथा विनियामक पूंजी का निर्धारण उन्हीं परिवर्तियों के आधार पर नहीं किया जाता है तथा साथ ही वे उन्हें प्रभावित करनेवाले सामान्य परिवर्तियों यथा ऋण की चूक संबंधी संभाव्यता तथा चूक में हानि में हुए परिवर्तनों के प्रति उसी रू प में रेस्पांड नहीं करते हैं। जहां तक आर्थिक और विनियामक पूंजी के निर्धारकों का संबंध है, जहां आर्थिक पूंजी (ईसी) मध्यस्थता मार्जिन और बैंक पूंजी की लागत पर निर्भर होती है, वहीं विनियामक पूंजी विनियामक द्वारा निर्धारित विश्वास के स्तर पर निर्भर होती है। अतः, इन दोनों पूंजी के स्तरों के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। आर्थिक और विनियामक पूंजी दोनों को प्रभावित करनेवाले परिवर्तियों यथा ऋण की चूक संबंधी संभाव्यता तथा चूक में हानि का इन परिवर्तियों के उचित मूल्यों के लिए दोनों पूंजी के स्तरों पर सकारात्मक असर पड़ता है, आर्थिक पूंजी पर उनका प्रभाव ऋणात्मक हो जाता है जिससे विनियामक पूंजी के साथ अंतर बढ़ जाता है (एलिझाल्डे तथा रेपुल्लो, 2007)।

ईसी निर्धारित करने की विभिन्न पद्धतियां हैं। एक सामान्य पद्धति ईसी को (सांविधिक) बर्बादी की संभाव्यता पर आधारित करना है, जो ऐसी संभाव्यता है कि दी गई भविष्य की मूल्यन तारीख को वर्तमान मूल्य के आधार पर देयताएं आस्तियों की तुलना में अधिक होंगी, जिसके फलस्वरूप तकनीकी दिवालियापन आ जाएगा। बर्बादी की संभाव्यता पर आधारित ईसी का निर्धारण प्रबंधन द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्य के प्रति बर्बादी की संभाव्यता कम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त आस्तियों की मात्रा की गणना करके किया जाता है। यह लक्ष्य निर्धारित करते समय प्रबंधन द्वारा उन कई कारकों पर विचार किया जाता है जो प्राथमिक तौर पर पॉलिसी धारकों की शोधनीयता संबंधी चिंताओं से संबंधित होते हैं।

सिर्फ आर्थिक पूंजी को प्रभावित करनेवाले परिवर्ती, यथा मध्यस्थता मार्जिन और पूंजी की लागत, विनियामक पूंजी से बड़े परिवर्तनों के कारण होते हैं। आर्थिक और विनियामक पूंजी की सापेक्ष्य स्थिति का निर्धारण मुख्यतः बैंक पूंजी की लागत द्वारा किया जाता है: पूंजी की लागत कम (अधिक) होने पर आर्थिक पूंजी विनियामक पूंजी की तुलना में उच्चतर (निम्नतर) होती है (एलिझाल्डे तथा रेपुल्लो, 2007)।

निष्कर्ष के तौर पर, दोनों संकल्पनाएं विभिन्न प्राथमिक पणधारियों की चिंताएं दर्शाती हैं। आर्थिक पूंजी के लिए, बैंक के शेयरधारक प्राथमिक पणधारी होते हैं तथा उसका उद्देश्य अपने धन को अधिकतम करना होता है (अलेन, 2006)। हाल के वर्षों में विनियामक प्रवृत्ति के क्रेडिट जोखिम मॉडेलिंग के नजदीक आने के साथ तथा धारित की जानेवाली विनियामक पूंजी की मात्रा निर्धारित करने के लिए बैंकों को अपना खुद का मॉडल विकसित करने की अनुमति बैंकों को देने के लिए, भविष्य के विनियामक निर्णयों के लिए वर्तमान विनियामक और आर्थिक पूंजी की तुलना करना अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रयोग बनता जा रहा है (झू,2007)।

**संदर्भ :**


अलेन,बी.2006 'इंटर्नल अफेयर्स,' रिस्क,19 जून, 45-49 ।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति, 2004. इंटरनेशनल कनवर्जेंस ऑफ कैपिटल मेजरमेंट एण्ड कैपिटल स्टैंडर्डः ए रिवाइज्ड फ्रेमवर्क, बासेल ।

कैरी,एम.2001 'ऋण जोखिम के आयाम तथा आर्थिक पूंजी संबंधी अपेक्षाओं के साथ उनका संबंध' देखें एम. एस. मिष्किन संपादित), विवेकपूर्ण पर्यवेक्षणः व्हाई इज इट इंपार्टेंट एण्ड व्हाट आर द इश्यूज, शिकागो : शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस तथा एनबीईआर।

करुणा, जे.2005. 'बासेल IIः बैक टू द फ्यूचर', http://www.bde.es/prensa/intervenpub/governador/040205e.pdf. पर उपलब्ध सातवां हांगकांग मौद्रिक प्राधिकारी विशिष्ट व्याख्यान।

एलिझाल्डे ए. तथा आर. रेपुल्लो, 2007 'बैंकिंग में आर्थिक और विनियामक पूंजीः क्या अंतर है?' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, 3(3), सितंबर ।

जोन्स,डी.,तथा जे.मिंगो. 1998. 'क्रेडिट रिस्क मॉडेलिंग तथा आंतरिक पूंजी आबंटनों में उद्योग प्रथाएं : मॉडेल आधारित विनियामक पूंजी मानक के लिए निहितार्थ '। एफआरबीएनवाइ इकोनॉमिक पालिसी रिव्यू, अक्तूबर।

झू,एच.2007. 'पूंजी विनियमन तथा बैंकों के वित्तीय निर्णय'. बीआइएस वर्किंग पेपर संख्या 232,जुलाई।

कारोबारी परिचालनों से होने वाली अप्रत्याशित हानियों को कवर किये जाने की आशा है। जहाँ विनियामक पूंजी को अनिवार्यतः राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के निदेशों के अनुसार विवेकपूर्ण विनियमनों के अनुपालन के अंग के रूप में रखा जाता है, वहीं आर्थिक पूंजी को बैंक की अपनी इच्छानुसार न्यूनतम अपेक्षित स्तर के आगे रखा जाता है। बैंक प्रबंधन द्वारा आर्थिक पूंजी को आंतरिक कारोबारी प्रयोजनों के लिए, बैंक के कार्यनिष्पादन द्वारा प्रस्तुत बाह्य जोखिम के संबंध के बिना, परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा धारित आर्थिक पूंजी की मात्रा, इसका प्ररूप तथा इसके द्वारा समर्थित बैंक के कारोबार के क्षेत्र हर बैंक में अलग-अलग हो सकते हैं। इसके विपरीत, विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को शोधनीयता के ऐसे मानक बनाने चाहिए, जो समग्र बैंकिंग प्रणाली या व्यापक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और सुदृढ़ता का समर्थन करे। यद्यपि, दोनों प्रकार की पूंजी की व्याप्ति और स्तर अलग-अलग हैं, वे परस्पर एक दूसरे को बहिष्कृत नहीं करते तथा गैर-योगात्मक हैं। विनियामक पूंजी मानकीकृत परिभाषाओं का अनुसरण करती है, जबकि आर्थिक पूंजी बैंक विशिष्ट पद्धतियों से प्राप्त होती है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि जोखिम का सामना करने के लिए कितनी पूंजी अपेक्षित है (आर्थिक पूंजी) तथा पर्यवेक्षकों की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए कितनी पूंजी अपेक्षित है (विनियामक पूंजी), मूल्य सृजन के लक्ष्य का अनुसरण बैंक द्वारा संगृहीत पूंजी को संरचना को इष्टतम करके भी किया जा सकता है ताकि इसकी औसत इकाई लागत को न्यूनतम किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, शेयरधारकों की 'मूल' पूंजी के अलावा, सभी प्रकार के उन अभिनव तथा संकर पूंजी लिखतों (उदाहरण के लिए अधिमान शेयर, शाश्वत गौण ऋण, आकस्मिक पूंजी) का उपयोग किया जा सकता है, जो वित्तीय बाजारों में उपलब्ध होते हैं।

### III. पूंजी पर्याप्तता संबंधी बासेल मानदंड

5.18 अंतरराष्ट्रीय रूप से, 1988 में बासेल I मानदंड लागू करने के पूर्व कोई व्यक्त पूंजी पर्याप्तता मानक नहीं थे। सर्वाधिक सामान्य दृष्टिकोण यह था कि बैंकिंग के संबंधित कानूनों में न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं निर्धारित की जाएं तथा बैंक की पूंजी स्थिति की सापेक्ष्य शक्ति का निर्धारण ऋण-इक्विटी अनुपात जैसे अनुपातों अथवा लीवरेज के स्तर को मापने के लिए उसके अन्य रूपों द्वारा किया जाए। यद्यपि 1988 के बासेल समझौते के पहले भी बैंकिंग में पूंजी विनियामक मौजूद था, विभिन्न देशों में इसे अपनाने की पद्धति और समय में व्यापक अंतर था। बासेल-पूर्व चरण में, न्यूनतम विनियामक अपेक्षाएं स्थापित करने के लिए पूँजी अनुपातों के उपयोग का परीक्षण एक सदी से अधिक समय से हो रहा था। अमरीका में 1864 तथा 1950 के दशक के बीच पर्यवेक्षकों ने (i) विभिन्न पूँजी पर्याप्तता उपायों के उपयोग का प्रयास किया, यथा प्रत्येक बैंक के सेवा क्षेत्र की आबादी पर आधारित स्थैतिक न्यूनतम पूँजी अपेक्षाएं, कुल जमाराशियों के प्रति पूँजी तथा कुल आस्तियों के प्रति पूँजी के अनुपात; (ii) जोखिम के लिए आस्तियों का समायोजन किया; तथा (iii) जोखिम आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात बनाया, परन्तु उस समय किसी को भी सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। बैंकिंग क्षेत्र भी अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रणाली के पक्ष में था, जहाँ विनियामक इस बात का निर्णय ले सकते थे कि बैंक विशेष के लिए उसके जोखिम प्रोफाइल के कार्य के रूप में कौन सी पूँजी अपेक्षाएं उपयुक्त थीं (लारेंट, 2006)।

5.19 नया वित्तीय ढांचा विकसित करने के आरंभिक उपायों के चिह्न 1973-74 के तेल आघातों के साथ ब्रेटन वुड्स प्रणाली ध्वस्त होने में खोजे जा सकते हैं। लचीली विनियम दरें लागू होने, ब्याज तथा मुद्रास्फीति दरों में भिन्नता नयी प्रौद्योगिकी उन्मुख कंपनियों के उदय के फलस्वरूप परंपरागत 'ईंट-पत्थर वाली कंपनियां' कुछ सीमा तक ध्वस्त हो गईं, जिससे कई संस्थागत विफलताएं हुईं। इससे, बदले में सरकारी हस्तक्षेप तथा नये वित्तीय ढाँचे की मांग हुई (कॅपस्टीन, 2006)। जी-10 के केन्द्रीय बैंकर जून 1974 को मिले परंतु वे किसी बात पर सहमत न हो सके। अमरीका ने अंतिम आश्रयदाता उधारदाता सुविधा के व्यक्त संकेत के लिए तर्क दिया, जबकि जर्मन दूसरी ओर अधिदेश की कमी तथा नैतिक खतरे की समस्या बता रहे थे। तथापि बातचीत विफल होने से कई छोटे बैंक अंतर-बैंक बाजार से बाहर हो गए, जिससे सितंबर 1974 में पुनः मिलने का सुदृढ़ राजनैतिक दबाव केन्द्रीय बैंकरों पर पड़ा। इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के अपर्याप्त पर्यवेक्षण के बारे में चिंता प्रकट की गई तथा इस बात का आश्वासन दिया गया कि अस्थायी तरलता प्रदान करने के साधन उपलब्ध कराए जाएं, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सके। 1974 के शरत्काल में, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बैंक पर्यवेक्षकों का जी-10 समूह बनाने की संकल्पना शुरू की, जिसके फलस्वरूप बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण प्रथाओं पर स्थायी समिति अथवा बासेल समिति का निर्माण दिसंबर 1974 में हुआ। समिति का आरंभिक अधिदेश विभिन्न देशों के पर्यवेक्षण में समन्वय लाने का व्यापक प्रयास करने के बजाय एक दूसरे के ज्ञान की साझेदारी तथा उसे लागू करने के लिए प्राप्त था। तथापि, इससे बाद में कल्पनातीत मात्रा में विनियामक समन्वय हुआ।

5.20 समिति द्वारा निर्धारित विनियमन के दृष्टिकोण में पर्यवेक्षणात्मक व्यवस्थाओं की बहुपक्षीय निगरानी के बजाय गृह देश के नियंत्रण पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसमें कोई भी संस्था पर्यवेक्षण से बच नहीं सकती थी। गृह देश नियंत्रण के प्रति पहले कदम के तौर पर बासेल समिति ने 1978 में यह संस्तुति की कि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए समेकित वित्तीय विवरण का उपयोग किया जाए। जहाँ समेकित बैंकिंग विवरण अमरीका एवं कुछ अन्य देशों में एक मानदंड था, यह यूरोप में इतना व्यापक नहीं था। उदाहरण के लिए, जर्मनी में, अपने बैंकों के विदेशी कार्यकलापों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए इसके पर्यवेक्षकों की योग्यता पर कड़ी सीमाएं लगाई गई थीं। समष्टि आर्थिक कमजोरी आने, अधिक बैंकों के विफल होने तथा बैंक पूँजी में ह्रासमान प्रवृत्ति ने 1981 में विनियामक प्रतिसाद को उत्प्रेरित किया जब, पहली बार, अमरीका में

फेडरल बैंकिंग एजेंसियों ने व्यक्त अंकीय विनियामक पूँजी अपेक्षाएं शुरू कीं। अपनाए गए मानकों में औसत कुल आस्तियों के प्रति प्राथमिक पूँजी का लीवरेज अनुपात (जिसमें मुख्यतः इक्विटी तथा ऋण हानि रिज़र्व शामिल थे) लागू किया गया। तथापि, प्रत्येक विनियामक का इस बारे में अलग दृष्टिकोण था कि वस्तुतः बैंक पूँजी में क्या शामिल है। अगस्त 1982 के ऋण संकट के कारण चलनिधि का अंतर्वेश किया गया तथा न्यूनतम पूँजी मानक शुरू करने की तदनुरूप मांग हुई। जापानी बैंकों के अपर्याप्त पूँजीकरण तथा अलग-अलग बैंकिंग संरचनाओं (जर्मनी के सार्वभौम बैंक बनाम अमरीका के संकीर्ण बैंक) तथा अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल ने पूँजी मानकों पर करार को कठिन बना दिया।

5.21 अगले कुछ वर्षों में, विनियामकों ने एकरूप उपाय की ओर अभिमुख होने पर कार्य किया। अमरीकी कांग्रेस ने 1983 में कानून बनाकर फेडरल बैंकिंग एजेंसियों को निदेश दिया कि वे पूँजी पर्याप्तता का समाधान देते हुए विनियमन जारी करें। कानून के तहत 1985 में विनियामक पूँजी की सामान्य परिभाषा तथा अंतिम एकरूप पूँजी अपेक्षाओं के लिए जोर दिया गया। 1986 तक, अमरीकी विनियामकों को इस बात की चिंता थी कि प्राथमिक पूँजी अनुपात जोखिमों के बीच अंतर करने में विफल रहा तथा उसने नवोन्मेष और व्यापक हो रहे बैंकिंग कार्यकलापों, विशेष रूप से गुरुतर संस्थाओं में तुलनपत्र-बाह्य कार्यकलापों, से जुड़े जोखिम एक्सपोजरों का सही माप प्रस्तुत नहीं किया।

5.22 अमरीकी विनियामकों ने अन्य देशों के जोखिम-आधारित पूँजी ढांचे का अध्ययन शुरू किया - फ्रांस, यूके और पश्चिम जर्मनी ने क्रमशः 1979, 1980 और 1985 में जोखिम आधारित पूँजी मानक लागू किया था। इन एजेंसियों ने जोखिम आधारित पूँजी अनुपातों के पिछले अध्ययनों का भी पुनरावलोकन किया। उदाहरण के लिए, न्यूयार्क के फेडरल रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम और चलनिधि जोखिम कारकों पर आधारित आस्ति वर्ग बनाए गए। विनियामक इस बात पर सहमत थे कि बैंकिंग उद्योग की दो प्रमुख प्रवृत्ति के समाधान के लिए पूँजी पर्याप्तता की परिभाषा को बैंक द्वारा जोखिम उठाए जाने के ज्यादा अनुकूल बनाना होगा। पहला, बैंक सुरक्षित परंतु कम प्रतिलाभ वाली तरल आस्तियों से दूर जा रहे थे। साथ ही, वे अपने उन तुलनपत्र बाह्य कार्यकलापों का विस्तार कर रहे थे, जिनकी जोखिमों को उस समय के पूँजी अनुपातों द्वारा हिसाब में नहीं लिया गया था। विनियामक कुल आस्तियों के प्रति पूँजी के वर्तमान अनुपातों के अनुरूप उपयोग किये जाने वाले अनुपूरक समायोजित पूँजी अनुपात के रूप में कार्य करने के लिए एक नया 'जोखिम आस्ति अनुपात' चाहते थे। इसके पीछे उनका यह विश्वास था कि इससे पूँजीगत ढाँचा अलग-अलग बैंकिंग संगठनों की जोखिम प्रोफाइल के प्रति व्यक्त तथा व्यवस्थित रूप से रेस्पांड कर सकेगा तथा वह व्यापक जोखिमपूर्ण प्रथाओं के लिए जवाबदेह होगा। तथापि, 1987 में पहल की अगुवाई करते हुए, पूँजी पर्याप्तता पर द्विपक्षीय करार की घोषणा करने में अमरीका ने यूके का साथ दिया तथा शीघ्र ही जापान (पूँजी जुटाने में उछल रहे पूँजी बाजार से उत्साहित होकर) भी उसमें शामिल हो गया। बाद में दिसंबर 1987 में, 'पूँजी उपायों और पूँजी मानकों का अंतरराष्ट्रीय अभिसरण' अर्थात बासेल समझौता (अब बासेल I) हो गया। जुलाई 1988 में बासेल I पूँजी समझौता हुआ।

5.23 इस प्रकार बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) अंतरराष्ट्रीय बैंकों की पूँजी पर्याप्तता को नियंत्रित करने वाले पर्यवेक्षणात्मक विनियमनों का अंतरराष्ट्रीय अभिसरण प्राप्त करने के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रही है। परामर्शी प्रक्रिया के बाद, जिसके तहत प्रस्ताव न सिर्फ जी-10 देशों के केन्द्रीय बैंक गवर्नरों को अपितु पूरे विश्व में पर्यवेक्षणात्मक प्रधिकारियों को भी भेजे गए थे, समिति ने 1988 में बासेल पूँजी समझौते (जो बासेल I के रूप में लोकप्रिय है) को अंतिम रूप दिया। विनियामक अभिसरण संबंधी समिति के कार्य के दो मूलभूत उद्देश्य थे। पहला, इस ढाँचे को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता तथा स्थिरता को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। दूसरा, ढाँचे को स्वच्छ होना चाहिए तथा विभिन्न देशों के बैंकों पर इसके प्रयोग में उच्च स्तर की संगति होनी चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धी असमानता के वर्तमान स्रोत को कम किया जा सके।

5.24 बासेल I ढांचे के तीन मुख्य घटक पूंजी, जोखिम भारांकन प्रणाली तथा लक्ष्य अनुपात थे। इस ढाँचे में मुख्यतः ऋण जोखिम पर तथा, ऋण जोखिम के अगले पहलू के रूप में, देश अंतरण जोखिम पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। पर्यवेक्षणात्मक प्रयोजनों के लिए पूँजी को दो सोपानों में परिभाषित किया गया था। बैंक के पूँजी आधार का कम-से-कम 50 प्रतिशत मूल तत्व होना चाहिए था, जिसमें इक्विटी पूँजी तथा करोत्तर प्रतिधारित आय से प्रकाशित रिज़र्व शामिल है (टियर 1)। मूल पूंजी के बराबर राशि तक पूँजी के दूसरे तत्वों (अनुपूरक पूँजी)(टियर 2) की अनुमति थी। इन अनुपूरक पूँजी तत्वों तथा पूँजी आधार में उन्हें शामिल करने से जुड़ी विशेष शर्तों को ब्योरेवार निर्धारित किया गया था। टियर 2 या अनुपूरक पूँजी में अप्रकाशित या प्रच्छन्न आरक्षित निधियां, पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां, सामान्य प्रावधान/सामान्य ऋण हानि आरक्षित निधियां, संकर ऋण पूँजी लिखतें तथा गौण मीयादी ऋण शामिल हैं।

5.25 समिति ने जोखिम भारित आस्ति अनुपात की सिफारिश की, जिसमें पूँजी विभिन्न श्रेणियों की आस्ति या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर से संबद्ध थी, जिसका भारांकन बैंकों की पूँजी पर्याप्तता के निर्धारण के लिए पसंदीदा पद्धति के अनुसार सापेक्ष्य जोखिमपूर्णता की व्यापक श्रेणियों के अनुसार किया गया था - पूँजी की माप की अन्य पद्धतियों को जोखिम - भार दृष्टिकोण का अनुपूरक माना गया। जोखिम भारित दृष्टिकोण को निम्नलिखित करारों से सामान्य गीयरिंग अनुपात दृष्टिकोण

की तुलना में तरजीह दिया गया (i) इसने उन बैंकिंग प्रणालियों के बीच तुलना करने के लिए अधिक आधार प्रदान किया, जिनकी संरचनाएं अलग-अलग थीं; (ii) इसमें तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों की अनुमति दी गई, जिन्हें उपाय में आसानी से समाविष्ट किया जा सकता था, तथा (iii) इसने बैंकों को कम जोखिम वाली तरल या अन्य आस्तियां रखने से नहीं रोका। विभिन्न प्रकार की आस्ति पर लागू होने वाले भार के बारे में निश्चय करने में अनिवार्यतः कुछ स्थूल निर्णय थे तथा भार का ढाँचा यथासंभव आसान रखते हुए तुलनपत्र की मदों पर सिर्फ पाँच भारों अर्थात् 0,10,20,50 और 100 प्रतिशत का उपयोग किया गया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्य देशों (जिनमें बासेल समिति के सभी सदस्य शामिल हैं) के सरकारी बांडों को शून्य जोखिम भार दिया गया, ओईसीडी देशों में मुख्यालय रखनेवाले बैंकों को दिए गए सभी अल्पावधि अंतरबैंक ऋणों तथा सभी दीर्घावधि अंतरबैंक ऋणों को 20 प्रतिशत जोखिम भार, घर बंधक को 50 प्रतिशत जोखिम भार, तथा अधिकांश अन्य ऋणों को 100 प्रतिशत जोखिम भार दिया गया। पूँजी पर्याप्तता अनुपात आठ प्रतिशत निर्धारित किया गया।

5.26 बासेल I में मूल रूप से ऋण जोखिम पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जो अधिकांश बैंकों के लिए जोखिम का मुख्य स्रोत था। तथापि, बैंकों ने नए प्रकार के वित्तीय लेनदेन शुरू किए, जो निर्धारित मानकों में जोखिम भारों तथा ऋण संपरिवर्तन कारकों में भलीभांति फिट नहीं हुए। उदाहरण के लिए प्रतिभूतिकरण संबंधी कार्यकलापों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें बैंक अंशतः विनियामक अंतरपणन अवसरों के रूप में शामिल हुए। उभरती हुई जोखिमों के प्रति रेस्पांड करने के लिए, बासेल समिति के सदस्यों ने 1996 में बाजार जोखिम संशोधन अपनाया, जिसके लिए बैंकों के ट्रेडिंग कार्यकलापों से उत्पन्न बाजार जोखिम एक्सपोजरों हेतु पूंजी अपेक्षित थी। इस प्रकार, इस संशोधन के जरिए उन मूल्य जोखिमों के लिए एक व्यक्त पूंजी कुशन प्रदान किया गया, जिनमें बैंकों का विशेष रूप से उनके ट्रेडिंग कार्यकलापों से उत्पन्न एक्सपोजर था। उक्त संशोधन में विदेशी मुद्रा, ट्रेडिंग वाली ऋण प्रतिभूतियों, ट्रेडिंग वाली इक्विटी, पण्य और ऑप्शन्स में बैंकों की खुली स्थितियों से उत्पन्न बाजार जोखिमों को कवर किया गया है। इस संशोधन की नवीनता इस तथ्य में है कि इसमें बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे, मूलतः अप्रैल 1993 में प्रस्तुत मानकीकृत माप ढाँचे के विकल्प के रूप में, अपने आंतरिक मॉडलों का उपयोग कर बाजार जोखिम के लिए अपेक्षित पूंजी प्रभार निर्धारित कर सकें। मानक दृष्टिकोण में प्रत्येक स्थिति के साथ जुड़े जोखिम प्रभारों को परिभाषित किया गया तथा यह विर्निदिष्ट किया गया कि इन प्रभारों को समग्र बाजार जोखिम पूंजी प्रभार में किए प्रकार समेकित किया जाए। न्यूनतम पूंजी अपेक्षा को दो अलग-अलग परिकलित प्रभारों के रूप में व्यक्त किया गया, एक में प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 'विशिष्ट जोखिम' को लागू किया गया, चाहे वह अल्पावधि या दीर्घावधि स्थिति हो तथा दूसरे में संविभाग में ब्याज दर जोखिम, (जिसे 'सामान्य बाजार जोखिम' कहा जाता है) लागू किया गया, जिसके तहत विभिन्न प्रतिभूतियों या लिखतों में दीर्घावधि और अल्पावधि स्थितियों को प्रतितुलित किया जा सकता था।

5.27 बासेल पूंजी समझौता 1988 की मुख्य उपलब्धि यह थी कि बैंकों की शक्ति की माप तथा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के तहत पर्यवेक्षकों के हस्तक्षेप के लिए प्रेरक उपाय दोनों के रूप में जोखिम-आधारित पूंजी मानक लागू करके अनुशासन लाया गया। तथापि, कुछ वर्षों में बासेल I ढांचे की अभिकल्पना में कई कमियां नजर आई हैं। बासेल I पूंजी पर्याप्तता मानदंडों की आलोचना एक ऐसे सरल 'सभी के लिए एक समान' दृष्टिकोण के रूप में की गई जिसने अलग-अलग जोखिम स्तर वाली आस्तियों के बीच पर्याप्त अंतर नहीं किया। इस मानक ने प्रतिभूतिकरण तथा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के जरिए पूंजी अंतरपणन को प्रोत्साहित किया। बासेल नियमावली ने कुछ बैंकों को उच्च गुणवत्तावाली आस्तियां उनके तुलनपत्र से बाहर रखने के लिए प्रोत्साहित किया, इस प्रकार बैंक ऋण संविभाग की औसत गुणवत्ता में कमी आई। साथ ही, बैंकों ने ऐसे न्यूनतम ऋण पात्रता वाले उधारकर्ताओं के मामले में बड़ी ऋण जोखिम उठाई, जिनसे जोखिम-धारित वर्ग में सर्वाधिक प्रतिलाभ की आशा की जा सकती थी (क्यूपिएक, 2001)। इस दृष्टिकोण में गलत तरीके से यह माना गया कि प्रत्येक खंड के भीतर जोखिमें एक समान थीं तथा यह कि बैंक के संविभाग की समग्र जोखिम विभिन्न खंडों के बीच मौजूद जोखिमों के योग के बराबर थी। परंतु अधिकांश समय जोखिम-भार वर्गों का मिलान वसूल की गई हानियों से नहीं हुआ (फ्लड,2001)।

5.28 औद्योगिक देशों में बैंकों के ऋण संविभागों का प्रतिभूतिकरण व्यापक प्रवृत्ति बन गई। पहले, बैंकों ने अपना बंधक ऋण बेचना शुरू किया क्योंकि इस प्रकार के ऋण सही तरीके से मूल्यांकित जोखिमों का प्रतिनिधित्व करते थे। परंतु ई-फाइनेंस शुरू होने के बाद, छोटे व्यवसायों को दिए गए ऋण सहित अन्य प्रकार के ऋणों तक इसका विस्तार करना संभव हुआ। इस प्रकार के कार्यकलाप ने बैंकों को अधिक तरल ऋण-जोखिम संविभाग रखने तथा, सिद्धांत रूप में, बासेल समिति द्वारा निर्धारित अनुपात से चिपकने के बजाए पूंजी अनुपात को इष्टतम आर्थिक स्तर तक समायोजित करने की भी अनुमति दी।

5.29 इसके अलावा, पूंजी अनुपातों की गणना करते हुए बैंक के ऋण-जोखिम संविभाग के विशाखीकरण को हिसाब में नहीं लिया गया। बैंक की समग्र जोखिम उसकी अलग-अलग जोखिमों के योग के बराबर नहीं थी - जोखिमों को एकत्र कर किया गया विशाखीकरण बैंक की समग्र संविभाग जोखिम को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकता था । वस्तुतः, वित्त का एक सुस्थापित सिद्धांत यह है कि विभिन्न जोखिम विशिष्टताओं वाली आस्तियों को एक संविभाग में मिलाने से अलग-अलग आस्तियों की जोखिमों को जोड़ने मात्र की तुलना में समग्र जोखिम कम हो सकती है। तथापि, उक्त समझौते में संविभाग विशाखीकरण के लाभ को हिसाब में नहीं लिया गया।

5.30 बासेल I में ऋण जोखिम कम करने की तकनीकों को सिर्फ सीमित मान्यता दी गई। इसके अलावा, बासेल I के बाद हुए उल्लेखनीय वित्तीय नवोन्मेषों ने यह सुझाया कि बैंक के विनियामक पूंजी अनुपात उसके अंतर्निहित जोखिम प्रोफाइल के हमेशा उपयोगी संकेतक नहीं हो सकते। 1990 के दशक के वित्तीय संकट, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बैंक शामिल थे, ने बासेल मानदंडों में कई और कमजोरियां बताईं, जिसने अत्यधिक जोखिम उठाने तथा बैंक ऋण के दुरावंटन की अनुमति दी तथा कुछ मामलों में उन्हें प्रोत्साहित भी किया (व्हाइट, 2000)। बासेल I ने बैंकों के सामने मौजूद सभी जोखिमों यथा तरलता जोखिम, तथा परिचालनात्मक जोखिम, जो बैंकों के लिए अशोधनीयता एक्सपोजरों के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं, का व्यक्त तौर पर समाधान प्रस्तुत नहीं किया।

5.31 1996 में मूल ढांचे में संशोधन के बावजूद, बासेल I का सरल जोखिमभार वाला दृष्टिकोण बड़े बैंकिंग संगठनों के अधिक उन्नत जोखिम माप दृष्टिकोणों के साथ नहीं चल सका। 1990 के दशक के उत्तरार्ध तक, विशेषतः उन्नत देशों के कुछ बड़े बैंकिंग संगठनों ने ऐसा आर्थिक पूंजी मॉडल विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसमें एक संगठन की जोखिमों के विभिन्न तत्वों का समर्थन करने के लिए अपेक्षित पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु परिमाणात्मक पद्धतियों का उपयोग किया गया था। बैंकों ने जोखिम-समायोजित कार्यनिष्पादन मापने सहित अपने प्रबंधनात्मक कार्यकलापों की जानकारी देने, ऋणों एवं अन्य उत्पादों पर मूल्य तथा सीमाएं निर्धारित करने, तथा विभिन्न व्यवसायों एवं जोखिमों के बीच पूंजी आबंटित करने के साधनों के रूप में आर्थिक पूंजी मॉडलों का उपयोग किया। आर्थिक पूंजी मॉडल के तहत एक विनिर्दिष्ट अवधि में संभाव्य हानियों की संभाव्यता का अनुमान लगाकर तथा ऐतिहासिक हानि आंकड़ों का उपयोग करते हुए एक परिभाषित विश्वास स्तर तक जोखिमों की माप की जाती है। इन मॉडलों में बासेल I संबंधी विनियामक ढांचे, जो अधिकांशतः आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम विशिष्टताओं के बजाए आस्ति प्रकार के आधार पर एक सीमित मात्रा तक जोखिम में अंतर करता है, की तुलना में जोखिम की अधिक सार्थक माप की जाती है।

5.32 स्वयं बासेल समिति ने बासेल I ढांचे की कमियों को स्वीकार किया। वित्तीय बाजारों ने नवोन्मेष की तीव्र दर तथा वित्तीय लेनदेनों में बढ़ रही जटिलता ने विशेष रूप से बड़े तथा जटिल बैंकिंग संगठनों के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे के रूप में बासेल I की प्रासंगिकता को कम कर दिया। विभिन्न कमियों ने भी बैंकों के व्यवहार को विकृत किया तथा उन पर निगरानी रखना अधिक जटिल बना दिया। बासेल I की कमियों को दूर करने की दृष्टि से, बीसीबीएस ने 2007 के वर्षांत तक 1988 के पूंजी समझौते को प्रतिस्थापित करने हेतु जून 2004 में पूंजी माप तथा पूंजी मानक के अंतरराष्ट्रीय अभिसरण के लिए एक नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (बासेल II) शुरू किया। बासेल II मानदंडों का उद्देश्य बैंकों के अंतर्निहित जोखिम प्रोफाइल के साथ न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं को संरेखित करना है। इस ढांचे की अभिकल्पना इस प्रकार की गई है ताकि बेहतर जोखिम माप और प्रबंधन के लिए भी प्रोत्साहन मिले। बासेल II ढांचे की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

### स्तंभ 1 : पूंजी पर्याप्तता

5.33 स्तंभ 1 के तहत, वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे मोटे तौर पर दो तरह के दृष्टिकोणों - मानकीकृत और उन्नत - के तहत तीन प्रकार की जोखिमों (अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम) के लिए अलग-अलग पूंजी पर्याप्तता की गणना करें।

*ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार*

5.34 बासेल II ऋण जोखिम के मामले में बासेल I से इस मायने में अलग है कि एक ही प्रकार के प्रतिपक्षकारों यथा निजी फर्मों, सरकारी संस्थाओं आदि को दिए गए ऋण के लिए कुछ बाह्य रेटिंग एजेंसी द्वारा अथवा स्वयं बैंक द्वारा मूल्यांकित उनकी जोखिमों के आधार पर अलग-अलग पूंजी रक्षा अपेक्षित होती है। बासेल II में ऋण जोखिम के लिए कई दृष्टिकोणों का प्रस्ताव है। सरलतम पद्धति मानकीकृत दृष्टिकोण है जो विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को अत्यधिक जटिलताएं टालते हुए जोखिम भारों में गुरुतर अंतर शुरू कर तथा ऋण जोखिम को कम करने संबंधी तकनीकों को गुरुतर मान्यता प्रदान कर बैंकिंग जोखिम के प्रमुख तत्वों के साथ अधिक घनिष्ट रूप में संरेखित करता है। इस पद्धति में, कुछ प्रकार के ऋण एक्सपोजर के लिए जोखिम भारों को प्राथमिक तौर पर रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए ऋण आकलनों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। उसके बाद ऋण रेटिंग में प्रतिबिंबित डिफाल्ट जोखिम को परिणामी पूंजी अपेक्षाओं में परिणत किया जाता है (चार्ट V.1)।

5.35 तथापि, मानकीकृत दृष्टिकोण में प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित हानियों के बीच अंतर नहीं किया जाता। ऋण अनुमोदन प्रक्रिया में प्रत्याशित हानियों की गणना मानक जोखिम लागतों के रूप में की जानी चाहिए। इस प्रकार 'संभाव्य आकस्मिक हानि' को संदर्भित करनेवाली वास्तविक ऋण जोखिम के तहत सिर्फ ऐसी अप्रत्याशित हानि शामिल होती है जो मानक जोखिम लागतों में परिकलित प्रत्याशित हानि के बाहर हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन आंकड़ों की तुलना की जा सकें और इन्हें अन्य जोखिमों (उदाहरण के लिए, बाजार जोखिमों) के साथ जोड़ा जा सके, अप्रत्याशित हानि का उपयोग जोखिम माप के एकसमान के आधार के रूप में किया जा सकता है। प्रत्याशित और अप्रत्याशित हानि के बीच अंतर किया जा सकता है या नहीं, पर जोखिम माप पद्धतियों के चयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानदंड उनका जोखिम अभिमुखीकरण है (अर्थात बढ़ी हुई जोखिम के लिए अधिक पूंजी अपेक्षित है)।

5.36 आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण के तहत, पर्यवेक्षणात्मक अनुमोदन प्राप्त करनेवाले बैंक एक दिए गए एक्सपोजर के लिए पूंजी की अपेक्षाएं निर्धारित करने में जोखिम घटकों का अपना आंतरिक अनुमान लगाते हैं। जोखिम के घटकों में चूक की संभाव्यता (पीडी) - ऐसी संभाव्यता कि प्रतिपक्षकार एक साल के अंदर चूक करेगा, चूक पर हानि (एलजीडी) - प्रतिपक्षकार द्वारा चूक किए जाने के समय बकाया राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई हानि की राशि,

## बॉक्स V.2
## बासेल II मानदंड: मुख्य तत्व

जहां बासेल I फ्रेमवर्क बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं तक सीमित था, वहीं बासेल II समझौता इस दृष्टिकोण का विस्तार कर उसमें 2 अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करता है, अर्थात पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया तथा बैंकों के लिए प्रकटीकरण संबंधी बढ़ी हुई अपेक्षाएं। बासेल II के अनुसार बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता निम्नलिखित तीन स्तंभों पर निर्भर है जिनकी अभिकल्पना एक दूसरे को प्रबलित करने के लिए की गई है: (i) स्तंभ 1 : न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं - पूंजी अपेक्षाओं की एक व्यापक रू प से नई, जोखिम-पर्याप्त गणना जो (पहली बार) व्यक्त रूप से बाजार और क्रेडिट जोखिम के अलावा परिचालनात्मक जोखिम को शामिल करती है; (ii) स्तंभ 2: पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) - बैंकों में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना तथा पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकरण द्वारा उनकी समीक्षा; तथा (iii) स्तंभ 3 : बाजार अनुशासन - बैंकों के लिए प्रकटीकरण संबंधी बढ़ी हुई अपेक्षाओं के कारण बढ़ी हुई पारदर्शिता।

बासेल I की तरह इस फ्रेमवर्क में भी मुख्य रू प से क्रेडिट जोखिम की तरह ध्यान केंद्रित किया गया है। संशोधित फ्रेमवर्क में, न्यूनतम विनियामक संबंधी अपेक्षाओं में न सिर्फ क्रेडिट जोखिम और बाजार जोखिम को अपितु परिचालनात्मक जोखिम को भी हिसाब में लिया जाता है। क्रेडिट जोखिम के उपाय अधिक जटिल होते हैं, बाजार जोखिम के लिए वे उसी तरह के होते हैं, जबकि परिचालनात्मक जोखिम के लिए नए उपाय करने पड़ते हैं। इसके अलावा, बासेल II में स्तंभ 2 की कुछ जोखिमों को शामिल किया जाता है यथा ऋण संकेंद्रण जोखिम और चलनिधि जोखिम।

जोखिमों की संख्या में हुई वृद्धि के अलावा, बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक व्यापक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का लक्ष्य प्राप्त करें। जहां बासेल I में प्रत्येक सीमित आस्ति वर्ग के लिए एकल जोखिम भार के आधार पर पूंजी के न्यूनतम स्तर की गणना करने की अपेक्षा की जाती है, वहीं बासेल II के तहत पूंजी संबंधी अपेक्षाएं जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। क्रेडिट जोखिम भार प्रतिपक्षकार श्रेणी के बजाय प्रत्येक प्रतिपक्षकार की क्रेडिट रेटिंग से प्रत्यक्ष रू प से संबद्ध होते हैं।

बासेल II पूंजी पर्याप्तता संबंधी नियम एक ऐसे 'मेनू' दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं जो बैंकों के स्वरू प तथा बाजारों के स्वरू प, जिनमें वे लेनदेन करते हैं, के संबंध में दृष्टिकोणों में अंतरों की अनुमति प्रदान करता है (सारणी 1)। उन्नत दृष्टिकोणों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं तकनीकी तौर पर अधिक मांग करती हैं तथा उनके लिए व्यापक डेटा बेस और अधिक परिष्कृत जोखिम प्रबंधन तकनीक अपेक्षित होते हैं। बासेल II के निर्धारण पूंजी पर्याप्तता से पूंजी दक्षता की ओर संक्रमित हुए हैं जिसका निहितार्थ यह है कि बैंक पूंजी का अधिक गतिशील उपयोग करते हैं जिसमें पूंजी का प्रवाह तेजी से इसके सर्वाधिक दक्ष उपयोग की ओर होगा। बासेल I से भिन्न, बासेल II काफी जटिल है क्योंकि इसमें चुनाव करने का प्रस्ताव है, जिनमें से कुछ में मात्रात्मक तकनीकों का अनुप्रयोग शामिल होता है।

**बासेल II - मुख्य विशेषताएं**

| मद | मुख्य विशेषताएं |
|---|---|
| **स्तंभ 1: पूंजी पर्याप्तता** | |
| **ऋण जोखिम 1**<br>सरलीकृत मानकीकृत दृष्टिकोण (एसएसए) | बाह्य क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) जोखिम स्कोर पर आधारित सरकारों और बैंकों के लिए अधिक जोखिम खंडों और जोखिम भारों के जरिए बासेल I की तुलना में गुरुतर जोखिम संवेदनशीलता। |
| **ऋण जोखिम 2**<br>मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) | एसएसए की तुलना में अधिक जोखिम खंड ।<br>आस्ति वर्गों के लिए जोखिम भार बाह्य क्रेडिट निर्धारण संस्थाओं (ईसीएआइ) अथवा ईसीए स्कोर की रेटिंग पर आधारित होते हैं।<br>बढ़ा हुआ क्रेडिट जोखिम प्रशमन उपलब्ध । |
| **ऋण जोखिम 3**<br>मूल आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (एफ-आइआरबी) | जोखिम घटकों पर आधारित: चूक की संभाव्यता (पीडी), चूक पर हानि (एलजीडी), चूक पर एक्सपोजर (ईएडी), तथा परिपक्वता (एम)।<br>बैंक अपने पीडी अनुमानों तथा अन्य घटकों के लिए पर्यवेक्षणात्मक अनुमानों का उपयोग कर सकते हैं।<br>तनाव परीक्षण अपेक्षित। |
| **ऋण जोखिम 4**<br>उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (ए-आइआरबी) | पूंजी संबंधी अपेक्षाएं एफ-आइआरबी की तरह निर्धारित होती हैं। बैंक पीडी, एलजीडी, ईएडी, तथा एम के लिए प्रणालियों के पर्यवेक्षणात्मक वैधीकरण के अधीन अपने अनुमानों का उपयोग कर सकते हैं।<br>तनाव परीक्षण अपेक्षित |
| **परिचालनात्मक जोखिम 1**<br>मूल संकेतक दृष्टिकोण | पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत सकल वार्षिक आय के 15 प्रतिशत की फ्लैट दर । |
| **परिचालनात्मक जोखिम 2**<br>मानकीकृत दृष्टिकोण | प्रत्येक व्यवसाय के लिए प्रति व्यवसाय वार्षिक आय के आधार पर प्रति व्यवसाय जोखिम कारक द्वारा गुणा करके प्राप्त परिचालनात्मक जोखिम प्रभार। |
| **परिचालनात्मक जोखिम 3**<br>उन्नत माप दृष्टिकोण | पर्यवेक्षणात्मक अनुमोदन के अधीन बैंकों की आंतरिक जोखिम माप प्रणालियों पर पूरी निर्भरता। |
| **स्तंभ 2 : पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा** | बैंकों से अपेक्षित है कि वे आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आइसीएएपी) के लिए एक प्रक्रिया तथा पूंजी स्तर बनाये रखने के लिए एक रणनीति तैयार रखें। पर्यवेक्षक बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता प्रणालियों और अनुपालन का मूल्यांकन करते हैं। अलग-अलग बैंकों के लिए उच्चतर पूंजी पर्याप्तता स्तर का निर्धारण किया जा सकता है, यदि जोखिम प्रोफाइल द्वारा ऐसा अपेक्षित हो। पर्यवेक्षकों द्वारा शीघ्र हस्तक्षेप । तनाव परीक्षण तथा ब्याज दर जोखिम और संकेंद्रण जोखिम का आकलन। |
| **स्तंभ 3 :बाजार अनुशासन** | प्रकट की जानेवाली जानकारी में अन्य बातों के साथ साथ इन्हें भी शामिल किया जाता है - समूह में उपलब्ध पूंजी, पूंजी संरचना, ऋण जोखिम के लिए ब्यौरेवार पूंजीगत अपेक्षाएं; आस्ति वर्गीकरण और प्रावधीकरण के ब्यौरे; जोखिम खंडों और जोखिम घटकों के अनुसार संविभाग के ब्यौरे; ऋण जोखिम शमन (सीआरएम) पद्धतियां तथा सीआरएम द्वारा कवर किए गए एक्सपोजर; और परिचालनात्मक जोखिम। |

**चार्ट V.1 : मानकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग कर ऋण जोखिम की गणना**

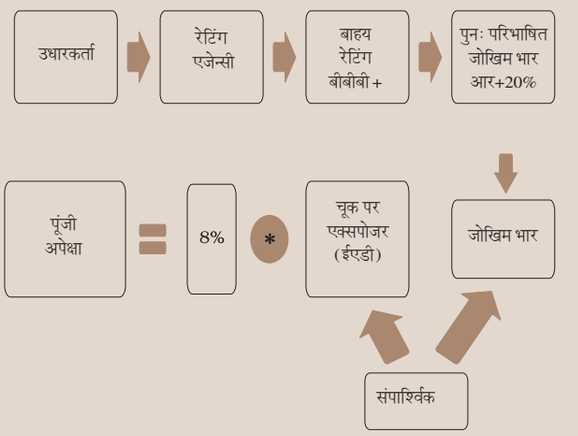


चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) - चूक के समय बकाया जमाराशि, तथा प्रभावी परिपक्वता (एम) की माप शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंकों से अपेक्षा की जा सकती है कि वे एक या अधिक जोखिम घटकों के लिए आंतरिक अनुमान के विरुद्ध पर्यवेक्षणात्मक मूल्य का उपयोग करें।

5.37 आइआरबी दृष्टिकोण के तहत, बैंकों को अलग-अलग अंतर्निहित जोखिम विशिष्टताओं वाले बैंकिंग बही एक्सपोजरों को आस्तियों के स्थूल वर्गों में वर्गीकृत करना चाहिए, अर्थात, (क) कंपनी, (ख) सरकारी, (ग) बैंक, (घ) खुदरा, तथा (ङ) इक्विटी। चूक की संभाव्यताओं (पीडी) की उपलब्धता प्रत्याशित हानि की गणना की एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है। चूंकि अन्य जोखिम मानकों (एलजीडी, ईएडी, एम) के लिए पूर्व परिभाषित पर्यवेक्षणात्मक मूल्यों पर निर्भर रहना ही संभव है, चूक की संभाव्यताओं के बारे में बैंक की आंतरिक गणना आइआरबी दृष्टिकोण के तहत जोखिम वाले सरल ऋण मूल्य की गणना का केंद्रीय संकेतक है। इस प्रकार, ऋण जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोण न्यूनतम विनियामक पूंजी की गणना के लिए बैंक की आंतरिक प्रणाली द्वारा निर्धारित जोखिम मानकों का उपयोग करता है। मानकीकृत दृष्टिकोण की तुलना में, आइआरबी दृष्टिकोण अधिक जोखिम संवेदनशील है। तथापि, इस प्रकार की पद्धतियां पूंजी की गणना की जटिलता को बढ़ा देती हैं।

*जोखिम उपशमन तकनीक*

5.38 ऐतिहासिक रूप से बैंक उधारकर्ताओं के दायित्वों के समर्थन के लिए गारंटी तथा प्रतिभूति जैसे विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। हाल के वर्षों में, ऋण की मध्यस्थता को काफी सीमा तक जटिल जोखिम अंतरण लिखतों को बढ़ाकर सुकर बनाया गया है, इन लिखतों में क्रेडिट डेरिवेटिव तथा विभिन्न प्रकार की आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां शामिल हैं। एक परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में बैंक 'उत्पन्न कर वितरित करें' कारोबारी मॉडल की ओर शिफ्ट हो गए तथा इस प्रकार जोखिम का अंतरण अन्य निवेशकों के प्रति कर दिया गया। बासेल II के तहत पूंजी अपेक्षाओं की गणना करते हुए, ऋण जोखिम को सीमित करने के लिए ऋण जोखिम कम करने संबंधी विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, इनमें वित्तीय संपार्श्विकी तथा गारंटी और ऋण डेरिवेटिव शामिल हैं। बासेल II ऋण जोखिम खरीदने और बेचने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतिभूतिकरण और ऋण डेरिवेटिव जैसी विकसित हो रही प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इन व्यवस्थाओं में निहित जोखिम का बेहतर आकलन करता है। बासेल II जोखिम अंतरण तथा प्रतिभूतिकरण एवं ऋण डेरिवेटिव ढांचे में उपशमन को स्वीकार करने के लिए बेंचमार्क भी तैयार करता है। यह फर्म द्वारा जोखिम का अंतरण किए जाने तथा जोखिम को वस्तुतः प्रतिधारित किए जाने के बीच सीमा-रेखा तैयार करता है। बासेल II ढांचा 'परिचालनात्मक अपेक्षाओं' का सुझाव देता है जिसे आस्तियों के अंतरण, अथवा उनसे संबद्ध जोखिम को स्वीकार करने के लिए, तथा जोखिम-आधारित पूंजी परिकलनों से आस्तियों को निकालने के लिए मूल बैंक द्वारा सक्षम होने के पहले अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए।

*परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार*

5.39 बीसीबीएस ने परिचालनात्मक जोखिम को 'अपर्याप्त अथवा चूक गई आंतरिक प्रक्रियाओं, जनता और प्रणालियों अथवा बाह्य घटनाओं के फलस्वरूप होनेवाली हानि संबंधी जोखिम के रूप में' परिभाषित किया है। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है परंतु रणनीतिक तथा प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचालनात्मक जोखिम में आंतरिक नियंत्रणों तथा कंपनी अभिशासन में हुए विकार शामिल हैं। इस प्रकार के विकारों से चूक, कपट,अथवा समय पर कार्रवाई करने में विफलता अथवा किसी अन्य रूप में बैंक के हितों के साथ समझौता किए जाने, उदाहरण के लिए, डीलर, उधारदाता अधिकारियों या अन्य स्टाफ द्वारा उनके अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने या अनैतिक अथवा जोखिमपूर्ण तरीके से कारोबार किए जाने के कारण वित्तीय हानियां हो सकती हैं। परिचालनात्मक जोखिम के अन्य पहलुओं में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में बड़ी विफलता अथवा बड़े पैमाने पर आग लगना या अन्य दुर्घटनाएं शामिल हैं।

5.40 बैंक का आकार और उसकी जटिलता परिचालनात्मक जोखिम के दो महत्वपूर्ण संकेतक हैं। जैसे-जैसे किसी बैंक में कर्मचारियों, कारोबारी भागीदारों, ग्राहकों, शाखाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की संख्या बढ़ती है, इसमें जोखिम की संभाव्यता में भी बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अन्य परिचालनात्मक जोखिम संकेतक है - प्रक्रिया की गहनता अर्थात, किसी बैंक के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की संख्या। जिन मामलों में कारोबारी परिचालनों को आउटसोर्स किया जाता है (उदाहरण के लिए ऊपर उल्लिखित

प्रोसेसिंग संबंधी कार्यकलाप), उन मामलों में बैंक स्वतः यह नहीं मान सकता कि परिचालनात्मक जोखिमें पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं। इसका कारण यह है कि आउटसोर्सिंग संबंधी सेवा प्रदान करनेवाले पर बैंक की निर्भरता का यह तात्पर्य है कि बादवाले द्वारा वहन की गई जोखिमों का बैंक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अतः सेवा स्तरीय करार की विषय-वस्तु और उसकी गुणवत्ता (उदाहरण के लिए, आइएसओ प्रमाणन) तथा आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करनेवाले की विश्वसनीयता भी इस संदर्भ में जोखिम संकेतकों के रूप में कार्य कर सकती है।

5.41 परिचालनात्मक जोखिमों के आकलन के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। बासेल II ढांचे में परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी की गणना की तीन बड़ी प्रणालियों के बारे में दिशानिर्देश दिया गया है - मूल संकेतक दृष्टिकोण (जो वित्तीय संस्था के वार्षिक राजस्व पर आधारित है), मानकीकृत दृष्टिकोण (जो वित्तीय संस्था के प्रत्येक व्यापक व्यावसायिक स्वरूप के वार्षिक राजस्व पर आधारित है) तथा उन्नत माप दृष्टिकोण (निर्धारित मानकों का अनुपालन करनेवाले बैंक के आंतरिक रूप से विकसित जोखिम माप ढांचे पर आधारित है तथा जिसमें आंतरिक माप दृष्टिकोण (आइएमए), हानि वितरण दृष्टिकोण (एलडीए), परिदृश्य आधारित, तथा स्कोरकार्ड जैसी प्रणालियां शामिल हैं) ।

5.42 मूल संकेतक दृष्टिकोण (न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं की गणना के लिए) परिचालनात्मक जोखिम को मापने की सबसे सरल प्रणाली है। इस दृष्टिकोण में, एक संकेतक, विशेष रूप से पिछले तीन सालों में औसत सकल आय (अर्थात, निवल ब्याज आय और निवल गैर ब्याज आय के जोड़), के प्रति 15 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाता है। मूल संकेतक दृष्टिकोण लागू करने का फायदा प्राथमिक तौर पर इसकी सरलता में निहित है। तथापि, बैंक की परिचालनात्मक जोखिमों और इसकी परिचालनात्मक आय के बीच कोई तात्कालिक हेतुक संबंध नहीं है। जोखिम प्रोफाइल का बेहतर आकलन करने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि जोखिमों की पकड़ के लिए अकेले मूल संकेतक दृष्टिकोण पर निर्भर न रहा जाए। उदाहरण के लिए, हानि संबंधी डेटाबेस का उपयोग करते हुए परिणत परिचालनात्मक जोखिमों के व्यवस्थित आंतरिक सर्वेक्षण द्वारा बैंक की जोखिम संबंधी स्थिति की अधिक विशिष्ट गणना की जा सकती है।

5.43 मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, परिचालनात्मक जोखिम की गणना ऊपर वर्णित जोखिम संकेतक के आधार पर भी अनन्य रूप से की जा सकती है। तथापि, इस मामले में संकेतक की गणना पूरे बैंक के लिए नहीं, अपितु पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकरण द्वारा यथापरिभाषित विशिष्ट व्यावसायिक स्वरूप (खुदरा, कंपनी, ट्रेडिंग आदि) के लिए अलग-अलग की जाती है। तदनुसार, मानकीकृत दृष्टिकोण में न सिर्फ 15 प्रतिशत का जोखिम भार, अपितु प्रत्येक व्यावसायिक स्वरूप के लिए परिभाषित विशिष्ट जोखिम भार भी शामिल होता है। इसका अभिप्राय यह है कि मानकीकृत दृष्टिकोण लागू करने में मूल रूप से मूल संकेतक दृष्टिकोण जैसी ही समस्याएं आती हैं। उन्नत माप दृष्टिकोण बैंकों को काफी लचीलापन प्रदान करता है तथा इसमें विशिष्ट प्रणालियां अथवा मान्यताएं निर्धारित नहीं की जातीं। तथापि, इसमें कई गुणात्मक तथा मात्रात्मक मानक विनिर्दिष्ट किए जाते हैं जिन्हें इन दृष्टिकोणों को अपनाने के पहले बैंकों द्वारा पूरा किया जाना होता है। ऐसी पद्धतियों का उपयोग बैंक की जोखिम प्रोफाइल को उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए किया जा सकता है परंतु उनकी अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन में उच्च स्तर का प्रयास शामिल होता है। आंतरिक पद्धतियों का उपयोग कर परिचालनात्मक जोखिम के लिए परिमाणात्मक मॉडल वर्तमान में विकसित किए जा रहे हैं।

5.44 जहां बासेल II सम्मिलित विनियामक उद्देश्यों पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा है, यह देश-विशिष्ट कार्यान्वयन के अधीन है। अतः बैंकिंग संगठन के आकार और उसकी जटिलता पर निर्भर रहते हुए किसी देश को बहुल जोखिम-आधारित विकल्पों का उपयोग करने का विवेकाधिकार है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय समझौता 2004 में जारी किया गया था, अलग-अलग देश इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों तथा ब्यौरेवार ढांचे पर आधारित राष्ट्रीय नियमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं, तथा प्रत्येक देश ने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर कुछ सीमा तक राष्ट्रीय विवेकाधिकार का उपयोग किया है। बासेल समिति ने नोट किया कि इसके फलस्वरूप विभिन्न देशों के विनियामकों को क्षेत्राधिकारों के बीच उक्त ढांचा लागू करने में पर्याप्त सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा, बासेल समिति ने इस बात पर बल दिया कि अंतरराष्ट्रीय समझौते में सिर्फ न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं, जिसके साथ अलग-अलग देश पूंजी नियम के जोखिम माप दृष्टिकोणों की शुद्धता के बारे में संभाव्य अनिश्चितताओं जैसी चिंताओं के समाधान के लिए अतिरिक्त उपाय करने का चुनाव कर सकते हैं।

**स्तंभ 2: पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा**

5.45 एक ओर, स्तंभ 2 (पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया) की यह अपेक्षा है कि बैंक अपने जोखिम प्रोफाइल के संबंध में तथा अपने पूंजी स्तरों को बनाए रखने की रणनीति के तौर पर अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया लागू करें यथा, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आइसीएएपी)। दूसरी ओर, स्तंभ 2 की यह भी अपेक्षा है कि पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकरण सभी बैंकों को मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन लाएं तथा मूल्यांकनों पर आधारित आवश्यक पर्यवेक्षणात्मक उपाय लागू करें (बॉक्स V.3)।

5.46 वित्तीय बाजारों की गतिशील वृद्धि तथा जटिल बैंक उत्पादों के उपयोग में वृद्धि ने ऋण संस्थाओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिन्होंने प्रत्येक संस्था की जोखिम स्थिति के परिरोधन तथा लक्षित नियंत्रण के उद्देश्य से प्रणालियों द्वारा कार्य किए जाने की जरूरत पर बल दिया है। बैंकों से अपेक्षित है कि वे उपयुक्त क्रियाविधियों तथा प्रणालियों का उपयोग

**बॉक्स V.3**
**पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया के सिद्धांत**

बासेल समिति ने पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित चार मूल सिद्धांतों को परिभाषित किया है।

*सिद्धांत 1* : बैंकों के पास उनके जोखिम प्रोफाइल के संबंध में समग्र पूंजी पर्याप्तता के आकलन की प्रक्रिया तथा पूंजी स्तरों को बनाए रखने की रणनीति होनी चाहिए।

*सिद्धांत 2* : पर्यवेक्षकों को चाहिए कि वे बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता संबंधी आकलनों और रणनीतियों तथा निगरानी रखने की उनकी योग्यता की समीक्षा और मूल्यांकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि विनियामक पूंजी अनुपातों के साथ उनका अनुपालन हो। इस प्रक्रिया के परिणाम से संतुष्ट न होने तक पर्यवेक्षकों को उपयुक्त पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

*सिद्धांत 3* : पर्यवेक्षकों को यह आशा करनी चाहिए कि बैंक न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपात के ऊपर कार्य करें तथा उनके पास बैंकों से यह अपेक्षा करने की योग्यता होनी चाहिए कि उनके पास न्यूनतम से अधिक पूंजी रखी जाए।

*सिद्धांत 4*: पर्यवेक्षकों को बैंक विशेष की जोखिम विशिष्टताओं को समर्थन देने के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्तरों के नीचे पूंजी को गिरने से रोकने के लिए आरंभिक चरण में हस्तक्षेप करना चाहिए तथा पूंजी का अनुरक्षण न किए जाने अथवा उसे बहाल न किए जाने पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करनी चाहिए।

अनिवार्य रूप से, इनमें बैंकों की आंतरिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों तथा उनके जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन और जरूरत पड़ने पर विवेकपूर्ण तथा अन्य पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाई करना शामिल होता है।

**संदर्भ** :

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक. 2006. *बासेल II: इंटरनेशनल कन्वर्जेंस ऑफ कैपिटल मेजरमेंट एण्ड कैपिटल स्टैंडर्ड्स : ए रिवाइज्ड फ्रेमवर्क - कंप्रीहेंसिव वर्सन*, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति, जून ।

करें ताकि सभी महत्वपूर्ण जोखिमों पर उचित ध्यान देने के लिए दीर्घावधि में पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित की जा सके। इन क्रियाविधियों को संयुक्त रूप में आइसीएएपी कहा जाता है। पद्धतियों का चयन और उनकी उपयुक्तता काफी मात्रा तक अलग-अलग संस्था के व्यावसायिक कार्यकलापों की जटिलता तथा उसके पैमाने पर निर्भर होती है।

5.47 आइसीएएपी लागू करने का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त तरीके से जोखिमों से निपटने के लिए अर्थक्षम जोखिम स्थिति सुनिश्चित करना है। विशेषतः, बैंक को उपयुक्त प्रति-उपाय करने के लिए समर्थ बनाने हेतु यथाशीघ्र संस्था को खतरे में डालनेवाली गतिविधियों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। आइसीएएपी के दो मूल उद्देश्य हैं। संस्था की जोखिम-आधारित क्षमता को संरक्षित करना आइसीएएपी का मुख्य उद्देश्य है। बैंक की जोखिम धारक क्षमता की गणना करते समय, बैंक कतिपय जोखिम किस सीमा तक ले सकता है इसे निश्चित करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उपलब्ध जोखिम व्याप्ति पूंजी ली गई जोखिमों को कवर करने के लिए हमेशा पर्याप्त हो। दूसरा, बैंक को इस बात की भी अवश्य समीक्षा करनी चाहिए कि किस सीमा तक जोखिम लेना ठीक होगा, अर्थात जोखिम लेने से उत्पन्न अवसरों का विश्लेषण (जोखिम और प्रतिलाभ का मूल्यांकन) आवश्यक है। इस प्रकार आइसीएएपी एक व्यापक पैकेज है जो कारोबारी परिप्रेक्ष्य से काफी लाभप्रद है।

5.48 जोखिम-धारक क्षमता का विश्लेषण करने के लिए बैंक की सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का आकलन करना तथा बैंक की समग्र जोखिम स्थिति ज्ञात करने के लिए उनको जोड़ना एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है (बॉक्स V.4)। बैंक पर ली गई जोखिमों के महत्व तथा प्रभाव को वर्णित करना जोखिमों के निर्धारण का प्रयोजन है। बैंकों को दक्ष तथा उपयुक्त तनाव परीक्षण ढांचा लागू करने तथा न सिर्फ विनिर्दिष्ट घटनाओं के, अपितु विभिन्न परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन करने की जरूरत है। पहले उपाय में, बैंक को जोखिम संकेतकों का उपयोग करने की जरूरत है ताकि इस बात का आकलन किया जा सके कि उसकी कौन सी जोखिम वस्तुतः महत्वपूर्ण है। दूसरे उपाय में, बैंक को जहां-कहीं संभव हो अपनी जोखिमों को मापने की जरूरत है। प्रभाव अध्ययन के इन परिणामों को पूंजी आयोजना तथा कारोबारी रणनीति में समन्वित किए जाने की जरूरत है। अंततः, बैंक द्वारा अपनी जोखिमों की रक्षा के लिए अपेक्षित आंतरिक पूंजी की गणना किए जाने की जरूरत है।

### स्तंभ 3: बाज़ार अनुशासन

5.49 सैद्धांतिक रूप से, ऐसा माना जाता है कि विनियमन, जिसका उद्देश्य बैंकों के बीच विशेष तौर पर पारदर्शिता बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा पैदा करना तथा उसे बनाये रखना है, बैंक शोधनीयता की समस्या को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंकिंग क्षेत्र में बाज़ार अनुशासन का वर्णन एक ऐसे निजी प्रतिपक्षकार पर्यवेक्षण के रूप में किया जा सकता है, जो बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता के संरक्षण में हमेशा पहला विनियामक बचाव रहा है (ग्रीनस्पैन, 2001)। कुछ लेखकों ने बासेल पूंजी पर्याप्तता मानकों की तीव्र स्वीकृति और प्रसार की व्याख्या के रूप में बाज़ार दबाव के प्रति ध्यान आकृष्ट किया है (गेनशेल तथा प्लंपर, 1997)। उनका तर्क यह है कि इन मानकों के कारण पारदर्शिता बढ़ गई है, और इस प्रकार वित्तीय बाज़ार पूंजी की खराब स्थिति वाले बैंकों को 'दंडित' तथा उच्चतर पूंजी स्तरों वाली बैंकिंग प्रणालियों को पुरस्कृत कर सकता है। उच्चतर पूंजी अनुपात वाले बैंक संसाधन जुटाने के लिए पूंजी बाज़ार में जा सकते हैं, जो बदले में बैंकों को उच्चतर पूंजी स्तर बनाए रखने की अनुमति देता है।

5.50 संशोधित ढांचे में बाज़ार अनुशासन का प्रयोजन (जिसके ब्यौरे स्तंभ 3 में दिए गए हैं) न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं (जिसके ब्यौरे स्तंभ 1

## बॉक्स V.4
## जोखिमों का निर्धारण

निकट भविष्य में वैधीकरण का क्षेत्र बैंकिंग संस्थाओं के लिए मुख्य चुनौती बनकर उभर सकता है। वर्तमान में, कुछ बैंकों के पास सूचीबद्ध वैधीकरण प्रयासों के विस्तार और दायरा दोनों की प्रक्रियाएं होती हैं तथा वे नमूना अनिश्चितता के सभी तत्वों का समाधान करते हैं। नमूना वैधीकरण के संघटकों को चार व्यापक वर्गों में समूहित किया जा सकता है:(क) बैक टेस्टिंग, अथवा इस बात का सत्यापन करना कि प्रत्याशित एवं अप्रत्याशित हानियों का पूर्वानुमान बाद के अनुभव के अनुरूप हो; (ख) तनाव परीक्षण, अथवा विभिन्न आर्थिक परिदृश्यों को देखते हुए नमूना उत्पाद के परिणामों का विश्लेषण करना; (ग) अंतर्निहित मानकों और कल्पनाओं के प्रति ऋण जोखिम अनुमानों की संवदेनशीलता का निर्धारण करना; तथा (घ) यह सुनिश्चित करना कि एक नमूने की स्वतंत्र समीक्षा और पर्यवेक्षण मौजूद हो।

*बैकटेस्टिंग*

बाजार जोखिम वीएआर मॉडल की बैकटेस्टिंग के लिए लागू की गई पद्धति आंकड़ों की सीमा के कारण ऋण जोखिम मॉडलों को आसानी से अंतरित नहीं की जा सकती है। बाजार जोखिम संशोधन के लिए पूर्वानुमानों तथा वस्तुतः हुई हानियों के न्यूनतम 250 ट्रेडिंग दिनों की अपेक्षा होती है। ऋण जोखिम मॉडल के लिए इसी प्रकार के मानक हेतु कई वर्षों के आंकड़ों की अव्यवहार्य संख्या अपेक्षित होगी जो मॉडलों के दीर्घतर समय खंडों पर निर्भर होगा।

नमूना-बाह्य परीक्षण हेतु आंकड़ों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, अप्रत्याशित ऋण हानि के बैकटेस्टिंग अनुमान निश्चय ही व्यवहार में समस्यापूर्ण होंगे। ऋण जोखिम - अथवा अप्रत्याशित हानि के अनुमानों के वैधीकरण के लिए औपचारिक बैकटेस्टिंग कार्यक्रम का पता लगाना कठिन कार्य है। जहां कहीं पूर्वानुमानों तथा बाद के अनुभव का विश्लेषण किया जाता है, बैंक प्रतिरूपी तौर पर अनुमानित ऋण जोखिम हानियों की तुलना कुछ वर्षों के संबंध में प्राप्त वास्तविक ऋण हानियों की ऐतिहासिक श्रृंखलाओं के साथ करते हैं। तथापि, प्रत्याशित और वास्तविक ऋण हानियों की तुलना अप्रत्याशित हानियों के उस मॉडल की भविष्यवाणी सही होने की समस्या का समाधान नहीं करती है, जिसके प्रति आर्थिक पूंजी आबंटित होती है। जहां बैकटेस्टिंग के बारे में इस प्रकार का स्वतंत्र कार्य सीमित होता है, कुछ साहित्य से यह पता चलता है कि यह सुनिश्चित करना कठिन है कि ऋण जोखिम मॉडलों का उपयोग कर उत्पन्न पूंजीगत अपेक्षाएं पर्याप्त रूप से बड़ा पूंजी बफर प्रदान करेंगी।

बैंक ऋण जोखिम मॉडलों के वैधीकरण के विभिन्न वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें तथाकथित 'बाजार आधारित वास्तविकता परीक्षण' यथा पीयर ग्रुप विश्लेषण, प्रतिलाभ दर विश्लेषण, तथा बैंक के अपने मूल्य मॉडलों द्वारा अभिप्रेत स्प्रेडों के साथ बाजार ऋण स्प्रेडों की तुलना करना शामिल हैं। तथापि, इन दृष्टिकोणों में अंतर्निहित मान्यता यह है कि उपयुक्त पूंजी स्तरों (पीयर विश्लेषण के लिए) अथवा ऋण स्प्रेडों (प्रतिलाभ दर विश्लेषण के लिए) की मौजूदा बाजार अवधारणाएं काफी सही होती हैं तथा आर्थिक दृष्टि से सुस्थापित होती हैं।ऐसा न होने पर, इस प्रकार तकनीकों पर निर्भरता से ऋण जोखिम मॉडलों की तुलनात्मकता और सुसंगति, ऐसा मुद्दा जो पर्यवेक्षकों के लिए विशेष महत्व का हो सकता है, के बारे में प्रश्न उठ सकते हैं।

*तनाव परीक्षण*

तनाव परीक्षणों का उद्देश्य विशिष्ट आर्थिक परिदृश्य विनिर्दिष्ट कर तथा इन परिदृश्यों के प्रति बैंक पूंजी की पर्याप्तता का निर्णय लेकर ऋण जोखिम मॉडलों में मौजूद कुछ प्रमुख अनिश्चितताओं को दूर करना होता है - यथा चूक दरों का अनुमान अथवा जोखिम कारकों का संयुक्त संभाव्यता वितरण - ऐसा करते समय इस संभाव्यता को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तनाव परीक्षणों में कई परिदृश्य शामिल हो सकते हैं, जिनमें संकट के समय कतिपय क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन अथवा ऋण चक्र की आत्यंतिक बिंदुओं पर हानियों की मात्रा शामिल होती हैं।

सिद्धांत रूप में, तनाव परीक्षण की सुदृढ़ प्रक्रिया वर्तमान बैक-टेस्टिंग पद्धतियों में निहित सीमाओं को देखते हुए बैक-टेस्टिंग के पूरक के रूप में कार्य कर सकती है। तथापि, तनाव परीक्षण के बारे में आदर्श ढांचा अथवा सर्वोत्तम प्रथा का एकल घटक नहीं है, और औद्योगिक व्यवहार में काफी अंतर है। 2004 में वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति ने 16 देशों से 64 बैंकों और प्रतिभूति फर्मों को कवर करते हुए एक व्यापक सर्वेक्षण किया (बीआइएस,2005)। सूचित किए गए तनाव परीक्षणों में से 80 प्रतिशत से अधिक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर आधारित थे। तनाव परीक्षणों के उपयोग ने आपवादिक परंतु सराहनीय घटनाओं की खोज से बढ़कर अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों को अपने दायरे में ले लिया है। प्रमुख चुनौतियों में वे चुनौतियां हैं जो तनाव परीक्षण क्रेडिट जोखिम, समन्वित तनाव परीक्षण तथा तनाव की स्थितियों में बाजार की चलनिधि के उपचार से संबंधित होती हैं।

तनावपूर्ण स्थितियों के संबंध में बासेल II में उन्नत व्यापक तनाव परीक्षण फ्रेमवर्क है। बासेल II फ्रेमवर्क के लिए यह अपेक्षित है कि तनाव संबंधी परिदृश्य में बाजार और ऋण जोखिम तथा चलनिधि पर गिरावट के प्रभाव को शामिल किया जाए। जोखिम के आकलन के प्रति इस प्रकार का सुधरा हुआ फर्म-व्यापी दृष्टिकोण अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी बफर है जिससे वे कठिन समय का सामना कर सकेंगे।

*संवेदनशीलता विश्लेषण*

मॉडेल आउटपुट की संवेदनशीलता का परीक्षण प्राचल (पैरामीटर) मूल्यों अथवा महत्वपूर्ण पूर्वधारणाओं से करने की प्रथा भी सामान्य नहीं है। कतिपय मालिकाना मॉडलों के मामले में, कुछ प्राचलों (तथा यहां तक कि संरचनागत) पूर्वधारणाओं की जानकारी उपयोगकर्ताओं को नहीं होती है और इस प्रकार संवेदनशीलता परीक्षण तथा प्राचल आशोधन कठिन हो जाता है।

बीसीबीएस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, थोड़े से बैंकों ने यह सूचित किया कि वे कई कारकों पर संवेदनशीलता विश्लेषण करते हैं, जिनमें ये शामिल हैं : (क) प्रत्याशित चूक बारंबारता (ईडीएफ) तथा ईडीएफ की अस्थिरता; (ख) एलजीडी, तथा (ग) आंतरिक रेटिंग श्रेणियों का समनुदेशन (बीआइएस,2000)। तथापि, उत्तर देनेवाले 54 बैंकों के बीच विश्लेषण की गंभीरता में अंतर था। इसके अलावा, उत्तर देनेवाले किसी भी बैंक ने ऋण हानियों के संभाव्यता वितरण के अनुमान में मौजूद संभाव्य चूक की मात्रा को मापने का प्रयास नहीं किया, यद्यपि कुछ ने आंतरिक मॉडल द्वारा उत्पन्न परिणामों की तुलना विक्रेता मॉडल से उत्पन्न परिणामों के साथ की थी।

*प्रबंधन निरीक्षण और रिपोर्टिंग*

वैधीकरण के गणितीय तथा तकनीकी पहलू महत्वपूर्ण हैं। तथापि, वह आंतरिक वातावरण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके तहत उक्त मॉडल कार्य करता है। वरिष्ठ प्रबंधक के निरीक्षण की मात्रा, ऋण अधिकारियों की प्रवीणता, आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता तथा ऋण संस्कृति की अन्य परंपरागत विशेषताएं जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।

**संदर्भ:**

रिस्कमेट्रिक्स ग्रुप. 1999. *रिस्क मैनेजमेंटः ए प्रैक्टिकल गाइड*।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक. 2000.*रेंज ऑफ प्रैक्टिसेज इन बैंक्स इंटर्नल रेटिंग सिस्टम्स,* जनवरी ।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक. 2005. *स्ट्रेस टेस्टिंग ऐट मेजर फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन्सः सर्वे रिजल्ट्स एण्ड प्रैक्टिस,* जनवरी ।

में दिए गए हैं) तथा पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया (जिसके ब्यौरे स्तंभ 2 में दिए गए हैं) की अनुपूर्ति करना है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का एक सेट विकसित किया जाए, जो बाजार प्रतिभागियों को आवेदन, पूंजी, जोखिम एक्सपोजर, जोखिम आकलन प्रक्रियाओं की व्याप्ति के बारे में, और इस प्रकार संस्था की पूंजी पर्याप्तता के बारे में प्रमुख जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा। सिद्धांत रूप में, बैंक के प्रकटीकरण इस बात से सुसंगत होने चाहिए कि वरिष्ठ प्रबंधन तथा निदेशक बोर्ड किस प्रकार बैंक की जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करते हैं।

5.51 निर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड सहित दंड लगेगा। तथापि, प्रत्यक्ष अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाएं कुछ आपवादिक मामलों को छोड़कर शायद ही अप्रकटीकरण के प्रति प्रतिसाद का काम करती हों। सामान्य हस्तक्षेप संबंधी उपायों के अलावा, संशोधित ढांचे में विनिर्दिष्ट उपायों के लिए भी भूमिका की कल्पना की गई है। जहां स्तंभ 1 के तहत न्यूनतर जोखिम भार पाने और/ अथवा विनिर्दिष्ट पद्धति लागू करने के लिए प्रकटीकरण एक अर्हक मानदंड है, वहां प्रत्यक्ष स्वीकृति की जाएगी (न्यूनतर जोखिम भार लगाने अथवा विनिर्दिष्ट पद्धति लागू करने की अनुमति नहीं होगी)।

## IV. बासेल II के लाभ, सीमाएं, मुद्दे और चुनौतियां

5.52 बासेल II अपनाने के लिए प्रमुख प्रोत्साहन इस प्रकार हैं (क) यह जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील है; (ख) यह बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम की माप और प्रयुक्त जोखिम प्रबंधन तकनीकों में हुए विकास को स्वीकार करता है तथा उन्हें ढांचे के भीतर शामिल करता है; तथा (ग) यह विनियामक पूंजी को आर्थिक पूंजी के निकटतर संरेखित करता है। बासेल II के ये तत्व विनियामक ढांचे को कई बड़े बैंकों में नियोजित कारोबारी मॉडलों के निकट ले जाते हैं। बासेल II ढांचे में, बैंकों की पूंजी अपेक्षाएं तुलनपत्र में अंतर्निहित जोखिमों के अधिक निकट संरेखित होती हैं। बासेल II का अनुपालन करनेवाले बैंक भी बेहतर पूंजी दक्षता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ऋण, बाजार परिचालनात्मक जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन का विनियामक पूंजी राहत पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है। परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के फलस्वरूप प्रणाली और नियंत्रण प्रक्रियाओं की सतत समीक्षा होगी। बेहतर प्रबंधित जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार न्यूनतर होगा तथा जोखिम आधारित मूल्यन अपनाने वाले बैंक बेहतर जोखिमों के लिए बेहतर मूल्य (ब्याज दर) का प्रस्ताव कर सकेंगे। इससे बैंकों को न सिर्फ बेहतर कारोबार आकृष्ट करने में अपितु दक्ष जोखिम-प्रतिलाभ मानक द्वारा चालित कारोबारी रणनीति तैयार करने में भी मदद मिलेगी। तथापि, जिस बाजार में मूल्यन बाजार द्वारा नियंत्रित होता है, वहां प्रतिस्पर्धा जोखिम-आधारित मूल्यन पर अभिभावी हो सकती है। जोखिम के स्तर से जोखिम सहन करने की भूख और पूंजी आबंटन का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। इस प्रकार उत्पादों का विपणन अधिक केंद्रित/लक्ष्यित रूप में होता है।

5.53 बासेल II के प्रति किए गए अभियान ने बैंकों को उनके जोखिम प्रबंधन तथा जोखिम माप प्रणालियों में आवश्यक सुधार के लिए प्रेरित किया है। बासेल II से आंकड़ों के संग्रहण और उपयोग में सुधार होगा ताकि उन्हें समेकित कर उनके जोखिम संविभाग के बारे में जानकारी की बेहतर समझ हो सके। उदाहरण के लिए, उक्त ढांचे में चूक की संभाव्यता (पीडी), चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) तथा चूक पर हानि (एलजीडी)[2] संबंधी अनुमानों के समर्थक आंकड़ों में मूलभूत सुधार की अपेक्षा की गई है, जो आर्थिक चक्र में आर्थिक और विनियामक पूंजी आकलनों को समर्थन देते हैं। इससे आंकड़ों के संग्रहण तथा प्रबंध सूचना प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सुधार को प्रेरणा मिली है। जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार लाने के प्रति प्रोत्साहन सहित इन प्रगतिशील कदमों से और नवोन्मेष लाने तथा जोखिम प्रबंधन तथा आर्थिक पूंजी मॉडेलिंग में सुधार में मदद मिलेगी। बासेल II में जोखिम के प्रबंधन तथा जोखिम कवर करने के लिए पूंजी के आबंटन के लिए वित्तीय क्षेत्र में काफी सीमा तक नवीनतम 'प्रौद्योगिकी' का समावेश किया गया है। इस प्रकार, बैंकों से अपेक्षा की जाएगी कि वे उच्च प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रणालियां अपनाएं जिससे बेहतर आंकड़ा संग्रहण, उच्च गुणवत्तावाले आंकड़ों को समर्थन देने में उन्हें मदद मिलेगी तथा ब्यौरेवार तकनीकी विश्लेषण की गुंजाइश होगी। हाल के वित्तीय उथल-पुथल से ऐसा दिखाई दिया कि ऐसे तकनीकी विश्लेषण की अपनी सीमाएं होती हैं, यथा अपूर्ण आंकड़ा या ऐसी मान्यताएं जिनका परीक्षण व्यावसायिक चक्रों में नहीं किया गया है। अतः जोखिम के मात्रात्मक आकलन के लिए गुणात्मक उपायों और स्वस्थ निर्णय जैसे अनुपूरकों की भी जरूरत होती है।

5.54 बासेल II नियमों को पूरा करने मात्र से आगे जाता है। स्तंभ 2 के तहत, जब पर्यवेक्षक आर्थिक पूंजी का आकलन करते हैं, उनसे आशा की जाती है कि वे बैंकों की प्रणालियों से आगे जाएं। ढांचे के स्तंभ 2 में बैंकरों तथा पर्यवेक्षकों को चर्चा करने की अधिक गुंजाइश होती है, जो अंततः बासेल II के कार्यान्वयन से मिलनेवाला एक महत्वपूर्ण लाभ होगा।

5.55 स्तंभ 3 में बढ़ी हुई पारदर्शिता से बैंकों के लिए बाजार अनुशासन में सुधार भी होना चाहिए, ताकि कुछ मामलों में वे बेहतर कारोबार करने

[2] पीडी, ईएडी तथा एलजीडी ऐसे मानक है जिनका उपयोग एक बैंकिंग संस्था के लिए बासेल II के तहत आर्थिक पूंजी या विनियामक पूंजी की गणना के लिए किया जाता है। चूक की संभाव्यता ऐसी संभावना को करते हैं जिसमें ऋण की चुकौती नहीं की जाएगी तथा उसमें चूक होगी। सामान्यतः ईएडी को अनुमान की उस मात्रा के रूप में देखा जाता है जहां तक प्रतिपक्षकार द्वारा चूक होने की स्थिति में, तथा ऐसे समय पर, प्रतिपक्षकार के प्रति बैंक का एक्सपोजर हो सकता है। एलजीडी ईएडी का वह अंश है जिसकी वसूली चूक होने पर नहीं होगी।

के लिए मजबूर हों। वस्तुतः, बाजार के प्रतिभागी न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षाओं द्वारा की गई अपेक्षा - अथवा कभी-कभी उनके अपने आर्थिक पूंजी मॉडलों - की तुलना में अधिक पूंजी रखने की अपेक्षा बैंकों से करके तथा जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन की विधि के बारे में अतिरिक्त प्रकटीकरण की मांग करके उपयोगी भूमिका निभाते हैं। स्तंभ 1 और 2 के बारे में बाजार में अच्छी समझ होने से स्तंभ 3 अधिक व्यापक होगा तथा बाजार अनुशासन पर्यवेक्षकों और बाजार के लिए अधिक विश्वसनीय साधन बनेगा।

5.56 पूंजी विनियमन के लिए अधिक जोखिम संवेदनशील ढांचा बनाना बासेल II का एक मुख्य उद्देश्य है तथा इससे पर्यवेक्षकों, बैंकों तथा बाजार के अन्य प्रतिभागियों को पूंजी पर्याप्तता का ऐसा उपाय प्राप्त होगा जो एक बड़े बैंक की सही वित्तीय स्थिति को बेहतर तरीके से दर्शाएगा। एक अधिक जोखिम संवदेनशील न्यूनतम पूंजी अनुपात से भी बड़े बैंकों को उधार, निवेश, तथा ऋण जोखिम बचाव संबंधी निर्णयों को लेनदेनों की अंतर्निहित आर्थिकी पर आधारित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं की जोखिम संवदेनशीलता बढ़ाने से बड़े बैंकों को अपनी जोखिम के प्रबंधन और उसकी माप के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलना अभिप्रेत है। अंततः,बासेल II न्यूनतम जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं को अलग-अलग ऋण एक्सपोजर के स्तर पर निर्धारित करता है तथा ऐसा करने से ऋण की गुणवत्ता में तीव्र अंतर आता है।

5.57 अर्न्स्ट एण्ड यंग द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण के अनुसार[3], जोखिमों का प्रबंधन करने के तरीके के साथ प्रक्रियाओं और प्रणालियों में उल्लेखनीय परिवर्तन होने की आशा है। प्रतिभागियों में से तीन-चौथाई से अधिक को यह यकीन था कि बासेल II से बैंकिंग का प्रतिस्पर्धात्मक आधार बदलेगा। बेहतर जोखिम प्रणाली वाले संगठनों से आशा है कि वे परिवर्तन को आत्मसात करने में मंद गति वालों की लागत पर लाभ उठाएंगे। पचासी प्रतिशत प्रतिभागियों को यकीन था कि आर्थिक पूंजी कुछ,यदि सभी नहीं तो, मूल्यन को निर्दिष्ट करेगी। जोखिम अंतरण लिखतों के अधिक उपयोग के कारण गुरुतर विशेषज्ञीकरण की भी आशा थी। अधिकांश प्रतिभागियों (70 प्रतिशत से अधिक) को यकीन था कि संविभाग जोखिम प्रबंधन अधिक सक्रिय हो जाएगा, जो बासेल II के फलस्वरूप बेहतर एवं अधिक सामयिक जोखिम सूचना की उपलब्धता तथा अलग-अलग पूंजी अपेक्षाओं द्वारा चालित होगा। इससे अन्यों की तुलना में कुछ बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हो सकता है तथा क्षेत्र में समेकन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल सकता है।

5.58 पूंजी की दी गई राशि के लिए, अधिक जोखिम-संवेदनशील पूंजी अपेक्षाओं से कई सरणियों के जरिए - जिनमें से प्रत्येक संबद्ध जोखिमों के साथ अपेक्षित पूंजी को अधिक घनिष्ठतापूर्वक संरेखित करता है - बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता में सुधार आ सकता है तथा अपेक्षित मात्रा में पूंजी का प्रावधान हो सकता है जिससे अप्रत्याशित हानियां अवशोषित हो सकती हैं। पहला, बासेल II के तहत अपेक्षित जोखिम से उच्चतर आस्तियां रखने के लिए बैंकों द्वारा न्यूनतर जोखिम आस्तियों की तुलना में अधिक पूंजी रखना अपेक्षित होगा। दूसरा, उच्चतर जोखिम ऋण संविदा अथवा परिचालनात्मक जोखिम के प्रति अधिक एक्सपोजर वाले बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे न्यूनतर जोखिम प्रोफाइल वाले बैंकों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी रखें। उदाहरण के लिए, धोखाधड़ी के प्रति अधिक संवेदनशील कारोबार वाले बैंक के सामने उन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्चतर पूंजी अपेक्षाओं का सामना कर पड़ सकता है। तीसरा, यद्यपि अधिक जोखिम संवेदनशील पूंजी अपेक्षाओं से सुरक्षा और सुदृढ़ता बढ़ाने में मदद मिलती है, विनियामक पूंजी का स्तर भी अर्थव्यवस्था के प्रति व्यापक जोखिम तथा बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जिसके लिए लगातार विनियामक संवीक्षा जरूरी है।

5.59 हाल में वित्तीय बाजार के उथल-पुथल को देखते हुए, बासेल II पूंजी ढांचा लागू करने तथा पर्यवेक्षण एवं जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुदृढ़ करने तथा जटिल एवं कम तरल उत्पादों के लिए मूल्यन प्रथा और बाजार पारदर्शिता की सुदृढ़ता में सुधार लाने का महत्व काफी बढ़ गया है। इसके अलावा, यह आवश्यक है कि सुरक्षित एवं स्वस्थ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के आधार पर परिचालित वित्तीय प्रणाली के बीच सुदृढ़ और लचीली मूल फर्मों का होना जरूरी है (बॉक्स V.5)। स्वस्थ वैश्विक पूंजी पर्याप्तता ढांचा तथा साथ ही गुरुतर परिचालनात्मक दक्षता, बेहतर पूंजी आबंटन और सुधरे हुए जोखिम मॉडल एवं रिपोर्टिंग क्षमताओं के उपयोग के माध्यम से शेयरधारक मूल्य में वृद्धि के जरिए इन फर्मों की सुदृढ़ता और लचीलापन सुनिश्चित कर बासेल II इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

*बासेल II की सीमाएं*

5.60 बासेल II ढांचे की कई सीमाएं भी हैं, विशेष रूप से उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से। बासेल I की तुलना में बासेल II को अधिक जटिल माना जाता है, जिससे इसको समझना और इसे लागू करना विनियामकों एवं विनियमित संस्थाओं दोनों के लिए एक चुनौती बन जाता है; विशेष रूप से उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में।

[3] इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा अर्न्स्ट एण्ड यंग के लिए 'बासेल II: दि बिज़नेस इंपैक्ट' नामक एक ऑनलाइन सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण में विश्व भर से बड़े बैंकों में 307 बैंकिंग कार्यपालकों की राय ली गई। प्रतिभागियों में से 40 प्रतिशत यूरोप में, 25 प्रतिशत उत्तरी अमरीका में तथा 24 प्रतिशत एशिया/प्रशांत क्षेत्र में रहते थे।

## बॉक्स V.5
## हाल की वित्तीय हलचल का बासेल II पर प्रभाव

2007 के मध्य में हुई वित्तीय हलचल ने- जिसे व्यापक तौर पर सब-प्राइम संकट के रूप में जाना जाता है - कुछ प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्रों को प्रभावित किया है तथा उसके फलस्वरूप बाजार में चलनिधि का संकट भी उत्पन्न हुआ है।यह हलचल अपवादात्मक ऋण उछाल तथा वित्तीय प्रणाली में लीवरेज का परिणाम था। लंबे समय तक निरंतर आर्थिक वृद्धि तथा स्थिर वित्तीय स्थितियों के फलस्वरूप उधारकर्ताओं एवं निवेशकों की जोखिम सहने की शक्ति बढ़ गई थी। वित्तीय संस्थाओं ने इसके प्रतिसाद में ऋण जोखिम के प्रतिभूतिकरण के लिए बाजार का विस्तार किया तथा वित्तीय मध्यस्थता के लिए 'उत्पन्न कर वितरित करें' नामक मॉडल आक्रामक रूप से विकसित किया। अमरीकी भूसंपदा बाजार में आई मंदी ने अनेक प्रकार की चूकों को उत्प्रेरित किया और इससे विशेष तौर पर जटिल संरचनावाली प्रतिभूतियों के मामले में संचित हानियां बढ़ गईं।

वित्तीय हलचल का निर्माण तथा उसका प्रकटीकरण बासेल I पूंजी फ्रेमवर्क के तहत हुआ क्योंकि अधिकांश देशों ने बासेल II फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन हाल ही में शुरू किया गया है। वस्तुतः, इस वित्तीय हलचल ने बासेल I फ्रेमवर्क की अनेक खामियों, जोखिम के प्रति इसकी संवेदनशीलता के अभाव तथा तेजी से हुए अभिनव परिवर्तनों के प्रति अनमनीयता सहित, को उजागर किया। बासेल I ने एक्सपोजरों को तुलनपत्र से हटाकर विकृत विनियामक प्रोत्साहनों को जन्म दिया तथा बैंक के जोखिम एक्सपोजर के महत्वपूर्ण तत्वों को पूंजी पर्याप्तता संबंधी गणना के भीतर पूरी तरह से शामिल नहीं किया।

इसके विपरीत, बासेल II फ्रेमवर्क ने न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं को बैंकों द्वारा सामना की जा रही जोखिमों के साथ घनिष्ठ रूप से संरेखित कर (स्तंभ 1), बैंक प्रथाओं की पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा को सुदृढ़ कर (स्तंभ 2) तथा बाजार प्रकटीकरण में सुधार को प्रोत्साहित कर (स्तंभ 3) बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के लिए प्रावधान किया।

बासेल I फ्रेमवर्क की तुलना में सुधार होने के बावजूद, वर्तमान बासेल II फ्रेमवर्क में वर्तमान वित्तीय हलचल के संदर्भ में मूल्यांकन किए जाने पर अभी भी कुछ खामियां हैं। पहले स्तंभ के तहत अत्यधिक दर वाले प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों, विशेष रूप से आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) के तथाकथित संपार्श्विकीकृत ऋण दायित्वों (सीडीओ) के उपचार पर पुनर्विचार जरूरी है। वर्तमान हलचल में इस प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया की भूमिका तथा इसके लीवरेज की क्षमता और उनके प्रणालीगत प्रभाव की हाल के समय में गहन संवीक्षा की गई है। बैंकों की ट्रेडिंग बहियों में कम तरल, ऋण संवेदनशील प्रोडक्टों में हुई तीव्र वृद्धि को देखते हुए ट्रेडिंग बही के लिए ऋणचूक जोखिम प्रभार शुरू करने की अत्यधिक जरूरत है। इन प्रोडक्टों में विन्यत ऋण आस्तियां तथा लीवरेजप्राप्त उधार शामिल हैं तथा वीएआर-आधारित दृष्टिकोण इस प्रकार के एक्सपोजरों के लिए अपर्याप्त है और उसकी अनुपूर्ति चूक जोखिम प्रभार से किए जाने की जरूरत है। यद्यपि बासेल फ्रेमवर्क के दूसरे स्तंभ के तहत उनके पूंजी कुशन की पर्याप्तता के वैधीकरण के लिए बैंकों के ऋण संविभाग के तनाव परीक्षण की अपेक्षा बैंकों से पहले ही की गई है, तथापि उनके आकस्मिक ऋण एक्सपोजरों, संविदागत और गैर संविदागत दोनों, के परिदृश्य विश्लेषण तथा तनाव परीक्षण के महत्व पर दुबारा बल देने की जरूरत है। स्तंभ 3 में, बासेल II के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण के प्रकार को उत्तोलित करने के और भी अवसर हैं।

इस पृष्ठभूमि में, प्रभाव को कम करने तथा वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए कई उपाय सुझाये गए। उनमें से उल्लेखनीय है वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ)[1] द्वारा किए गए और जी-7 द्वारा अप्रैल 2008 के आरंभ में अनुप्रमाणित प्रस्ताव, जिनका कार्यान्वयन अगले 100 दिनों में किया जाना है। 2008 के मध्य तक, ऐसी आशा है कि बासेल समिति चलनिधि जोखिम प्रबंधन के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी करेगी तथा आइओएससीओ से आशा है कि वह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए अपनी आचार-संहिता को संशोधित करेगा। 2008 के अंत तक अथवा अधिक से अधिक 2009 तक, ऐसी आशा है कि बैंकों के लिए चलनिधि जोखिम का प्रबंधन और पर्यवेक्षण सुदृढ़ करते हुए, स्तंभ 2 के तहत कारगर पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा सुनिश्चित करते हुए, पारदर्शिता तथा मूल्यन में वृद्धि करते हुए, विन्यस्त उत्पादों के लिए क्रेडिट रेटिंग की गुणवत्ता में सुधार करते हुए, जोखिम के प्रति प्राधिकरणों की जवाबदेही को सुदृढ़ करते हुए तथा वित्तीय प्रणाली में तनाव के साथ लेनदेन करने हेतु सुदृढ़ व्यवस्थाओं में वृद्धि करते हुए बीसीबीएस बासेल II के स्तंभ 1 के तहत पूंजीगत अपेक्षाओं (उदाहरण के लिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क की कतिपय पहलुओं) को संशोधित करेगा।

**संदर्भ:**


वित्तीय स्थिरता मंच. 2008. *रिपोर्ट ऑफ दि फाइनेंसियल स्टेबिलिटी फोरम ऑन एनहांसिंग मार्केट एंड इन्स्टिट्यूशनल रेजिलिएंस,* अप्रैल।

ब्यूटर, डब्ल्यू. 2007.'लेसन्स फ्राम द 2007 फाइनेंसियल क्राइसिस' *सीईपीआर डिस्कशन पेपर श्रृंखला* सं. 6596।

नोयेर, सी.2007. ''बासेल II - न्यू चैलेंजेज'', बैंक ऑफ अल्जीरिया तथा अल्जीरियाई वित्तीय समुदाय के समक्ष व्याख्यान, अल्जीयर्स, दिसंबर 16।

वेलिंक, एन.2008. 'बासेल II - मार्केट डेवलपमेंट एंड फाइनेंसियल इन्स्टिट्यूशन रेजिलिएंसी', रिस्क माइंड्स एशिया कांफरेंस - बासेल II इंप्लीमेंटेशन सम्मिट, सिंगापुर में उद्घाटन भाषण, मार्च 4।

ट्रिशे, जे. 2008. ''रिमार्क्स ऑन द रिसेंट टरब्यूलेंसेज इन ग्लोबल फाइनेंसियल मार्केट्स'', न्यूयार्क विश्वविद्यालय, न्यूयार्क में 'ग्लोबल इक्रॉनॉमिक पॉलिसी फोरम 2008' विषयक नीतिगत चर्चा पर प्रमुख संबोधन, अप्रैल 14 ।


[1] यह राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों, जिनमें केंद्रीय बैंक, पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकरण तथा राजकोष विभाग, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय विनियामक तथा पर्यवेक्षणात्मक समूह और केंद्रीय बैंकों के विशेषज्ञों की समितियां शामिल हैं, के चुने हुए वरिष्ठ प्रतिनिधियों का मंच है।

बासेल II की जटिलता कई उपलब्ध विकल्पों से उत्पन्न होती है। फलस्वरूप, ऐच्छिक रूप से बासेल I अपनाने वाले कई देशों ने भी इन मुद्दों पर काफी सतर्कतापूर्वक विचार किया है। चूंकि संशोधित ढांचे की अभिकल्पना में बैंकों तथा विश्व भर की बैंकिंग प्रणालियों के लिए विकल्प दिए गए हैं, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने यह स्वीकार किया कि सभी गैर-जी10 पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के लिए, उनके पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को देखते हुए, निकट भविष्य में इसे अपनाने की ओर अग्रसर होना पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। इसने यह पाया कि कार्यान्वयन के लिए समय सारणी एवं दृष्टिकोण विकसित करते हुए प्रत्येक राष्ट्रीय पर्यवेक्षक से यह प्रत्याशित है कि वह देशी बैंकिंग प्रणाली के संबंध में बासेल II ढांचे के लाभ पर सतर्कतापूर्वक विचार करे। जहां यह सत्य है कि बासेल II ढांचा अधिक जटिल है, साथ ही यह दलील दी जाती है कि यह जटिलता मुख्यतः हाल के समय में विकसित बैंकिंग प्रणाली और संबंधित वित्तों के स्वरूप में अंतर्निहित जटिलता को देखते हुए काफी सीमा तक अपरिहार्य है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपने आप में कुछ समय से अधिक परिष्कृत हो गई है तथा समान जोखिम भार लागू करना (जैसाकि बासेल I समझौते में हुआ था) अधिक यथार्थ नहीं होगा। इसके अलावा, सीधे कारोबारी मॉडल तथा गैर-जटिल ऋण संविभाग वाले बैंकों के लिए बासेल II ढांचे में मानकीकृत दृष्टिकोण के उपयोग का विकल्प खुला हुआ है, जो उनके पहले से मौजूद मॉडलों की जटिलता में बहुत थोड़ी वृद्धि करता है।

5.61 बासेल II ढांचे में, रेटिंग एजेंसियों को निर्णायक भूमिका दी गई है। तथापि कई उदीयमान देशों में रेटिंग एजेंसियों का विस्तार सीमित है। विभिन्न आस्तियों के लिए विश्वसनीय रेटिंग के अभाव में, बैंकिंग उद्योग बासेल II के लचीलेपन का पूरा दोहन नहीं कर सकेगा तथा अधिकांश ऋण जोखिम में अनरेटेड 100 प्रतिशत वर्ग में समाप्त होने की प्रवृत्ति होगी और फलस्वरूप बासेल I के प्रति पूंजी अपेक्षाओं में थोड़ा बदलाव आएगा। यह तर्क भी दिया जाता है कि मानकीकृत दृष्टिकोण के मामले में, न्यूनतम ग्रेडवाले उधारकर्ता (150 प्रतिशत) की तुलना में अनरेटेड उधारकर्ताओं का जोखिम भार (100 प्रतिशत) कम होगा तथा न्यूनतर ग्रेडवाले उधारकर्ताओं द्वारा अनरेटेड बने रहने को तरजीह दिए जाने के साथ इससे नैतिक खतरों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे प्रतिकूल चयन भी हो सकता है। रेटिंग एजेंसियों के निर्णय की गुणवत्ता के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी हाल के सब-प्राइम संकट ने रेटिंग एजेंसियों की भूमिका संबंधी समस्याओं को रेखांकित किया है।

5.62 मानकीकृत अथवा आइआरबी दृष्टिकोणों के तहत विभिन्न एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार/निहित सह-संबंध कतिपय मान्यताओं पर आधारित होते हैं जो, हो सकता है, उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में लागू न हों। उदाहरण के लिए बंधक उधार के लिए 35 प्रतिशत जोखिम भार पीडी अनुमानों तथा विकसित यूरोपीय/ अमरीकी बाजारों के एलजीडी पर आधारित होता है तथा हो सकता है कि यह पर्याप्त न हो क्योंकि ताइवान, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया जैसे देशों में जमानती भू-संपदा उधार की हानियां कई बार 35 प्रतिशत से अधिक थीं। इस प्रकार, विकासशील देशों में विनियामकों को स्वतंत्र रूप से इस बात का आकलन करना चाहिए कि क्या बासेल II ढांचे की सभी मान्यताएं उनके देशी बाजारों पर लागू होंगी तथा जरूरत पड़ने पर उनमें उपयुक्त आशोधन किया जाना चाहिए।

5.63 बासेल II ढांचे की एक मूल अपेक्षा उच्चतर ऋण जोखिम लेने के लिए उच्चतर पूंजी आबंटन है। ऐसी स्थिति में, ऐसी कुछ चिंताएं हैं कि समाज के गरीब वर्गों तथा छोटे व्यावसायिकों को या तो कोई ऋण नहीं मिलेगा अथवा उन्हें मिलनेवाला ऋण बहुत खर्चीला होगा। विशेष रूप से विकासशील देशों में यह समस्या गंभीर साबित हो सकती है। अतः विकासशील देशों में विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि वे इन क्षेत्रों को ऋण की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय करें।

5.64 उन्नत बासेल II जोखिम-मॉडेलिंग दृष्टिकोणों में जोखिम के साथ पूंजी के बेहतर संरेखण की संभाव्यता होती है। तथापि, उन्नत दृष्टिकोण अपने आप में सीमाओं से रहित नहीं होते तथा इन दृष्टिकोणों का लाभ प्राप्त करना निम्नलिखित पर निर्भर होता है (i) बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं तथा मॉडलों के विकास और अनुरक्षण संबंधी पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा की पर्याप्तता; (ii) विनियामक और बैंक मॉडलों के प्रति निविष्टियों के रूप में प्रयोग किए गए ऋण चूक तथा परिचालनात्मक हानि घटना संबंधी आंकड़ों की पर्याप्तता जिससे पूंजी संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित होती हैं; तथा (iii) जोखिम आधारित पूंजी के उपयुक्त स्तर के प्रति विनियामकों का ध्यान। जहां बासेल II के संभाव्य प्रभाव के आरंभिक अनुमानों में न्यूनतम अपेक्षित जोखिम-आधारित पूंजी में कुछ गिरावट दिखाई दी, वहीं विनियामक पूंजी अपेक्षाओं के स्तर तथा व्यवसाय चक्र में इन अपेक्षाओं में अस्थिरता की मात्रा पर बासेल II के संभाव्य प्रभाव के बारे में काफी अनिश्चितता बनी हुई है।

*बासेल II के प्रभावी कार्यान्वयन की चुनौतियां*

5.65 बासेल II में मौजूद कुछ कमियों के अलावा इसके कार्यान्वयन में, विशेष तौर पर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, कई चुनौतियां हैं। दीर्घावधि आंकड़ा श्रृंखला की उपलब्धता एक प्रमुख चुनौती है। अच्छे और विश्वसनीय आंकड़े तथा जानकारी और परिष्कृत आइटी संसाधन बासेल II ढांचे के तहत उचित जोखिम आकलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तथापि, उद्योग संबंधी विशेषज्ञता के स्तर, ऐतिहासिक आंकड़ों के अभाव तथा पर्याप्त प्रौद्योगिकी के अभाव को देखते हुए विकसित देशों में यह एक प्रमुख चुनौती साबित हो सकती है। इन अवरोधों के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों को मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए

मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा, अपेक्षित प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए तथा स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए मझौले से छोटे बैंकों को जिस लागत का वहन करना पड़ सकता है, वह उनके आकार को देखते हुए काफी अधिक होगा।

5.66 बैंकों को सुदृढ़ तथा दक्ष परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन ढांचा बनाने की जरूरत है क्योंकि स्तंभ 2 ढांचे के तहत इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्तंभ 2 की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती मानव तथा तकनीकी संसाधन खरीदने और उन्हें अपग्रेड करने से संबंधित है जो स्तंभ 1 के तहत बैंकों के उत्तरदायित्व की समीक्षा के लिए आवश्यक है। चिंता के एक और क्षेत्र में बासेल II के सीमापार कार्यान्वयन में गृह तथा मेजबान पर्यवेक्षकों का समन्वयन; आउटसोर्सिंग संबंधी मसले; आसान तुलनीयता के लिए सामान्य रिपोर्टिंग टेंपलेट; तथा विनियामक द्वारा उपलब्ध कराए जानेवाले और जोखिम घटकों/परिचालनात्मक हानियों के लिए तुलना/स्व-मूल्यांकन हेतु उपयोग किए जाने के लिए बाह्य बेंचमार्क शामिल हैं।

5.67 अंतरराष्ट्रीय तथा देशी लेखांकन मानकों के साथ स्तंभ 3 के तहत पर्यवेक्षणात्मक प्रकटीकरणों को संरेखित करना एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। ये निम्नलिखित से भी संबंधित हैं (i) कथित कारोबारी उद्देश्यों और स्थापित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के लिए जोखिम वहन करने के सामर्थ्य के संदर्भ में रिपोर्टिंग ढांचा/प्रकटीकरण; तथा (ii) सार्वजनिक डोमेन में मौजूद जोखिम तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के बारे में जानकारी देना, जिनका उपयोग बैंकों के बीच तुलना के लिए किया जा सकता है। बाजार अनुशासन संभव नहीं है, यदि प्रतिपक्षकारों तथा रेटिंग एजेंसियों के पास बैंकों की जोखिम स्थिति तथा उन स्थितियों के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त तकनीकों के बारे में अच्छी जानकारी न हो।

5.68 बासेल II के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकरणों तथा बैंकों दोनों के स्तर पर कौशल को अपग्रेड करना अपेक्षित होगा। बैंकों से पूरी तरह से विस्तारणीय आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने, बढ़ी हुई सूचना प्रणाली सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जोखिम प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग के लिए अपेक्षित कोई आंकड़ा तैयार करने के लिए केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करने हेतु क्षमता विकसित करने की अपेक्षा की जाएगी। संशोधित समझौते में सुधरे हुए आंकड़ा मानकों पर बल देना सिर्फ विनियामक पूंजी अपेक्षा मात्र नहीं है अपितु यह जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के लिए एक ऐसी नींव है जो बैंकिंग फ्रंचाइजी के मूल्य को सुदृढ़ करेगा।

5.69 ऋण जोखिम मॉडलों की अभिकल्पना और उनका कार्यान्वयन करने में आंकड़ों की सीमाएं मुख्य अवरोध हैं। अधिकतर ऋण लिखतों को बाजार भाव पर नहीं दर्शाया जाता; अतः, ऋण जोखिम मॉडल का विधेयात्मक (predicative) स्वरूप व्यापक ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित भविष्य की कीमतों के सांख्यिकीय प्रक्षेपण से प्राप्त नहीं होता। चूक की घटनाओं का कभी-कभी होना तथा ऋण जोखिम मापने में प्रयुक्त दीर्घावधि दीर्घतर कालखंडों के कारण ऋण जोखिम मॉडल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित आंकड़ों का अभाव रहता है। इस प्रकार, मॉडल मानदंड विनिर्दिष्ट करने में, ऋण जोखिम मॉडलों के लिए सरल मान्यताओं तथा परोक्षी आंकड़ों का उपयोग अपेक्षित होता है। बैंकिंग बही का सापेक्ष आकार - तथा मॉडलयुक्त ऋण जोखिम अनुमान सही न पाए जाने पर बैंक शोधनीयता संबंधी संभाव्य प्रभाव - संरचनागत मान्यताओं तथा मानदंड अनुमानों के प्रति मॉडलों की संवेदनशीलता की बेहतर समझ की आवश्यकता पर बल देते हैं।

5.70 ऋण जोखिम मॉडलों का वैधीकरण बाजार जोखिम मॉडलों के बैकटेस्टिंग की तुलना में भी मूलभूत दृष्टि से अधिक कठिन है। जहां बाजार जोखिम मॉडल प्रतिरूपी तौर पर कुछ दिनों की सीमा लेकर चलते हैं, ऋण जोखिम मॉडल सामान्यतः एक साल अथवा अधिक समय पर निर्भर होते हैं। धारण अवधि के लंबा होने तथा ऋण जोखिम मॉडलों में प्रयुक्त उच्चतर लक्ष्य हानि विभाजक (क्वैंटाइल)[4] मॉडल बिल्डरों को उनके मॉडलों की शुद्धता का आकलन करने में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। बाजार जोखिम संशोधन के अनुरूप मात्रात्मक वैधीकरण मानक के लिए अव्यवहार वर्षों के आंकड़े अपेक्षित होंगे जो बहुल ऋण चक्रों में फैले हों।

5.71 बैंकिंग बही का सापेक्ष आकार तथा अधिकांश संस्थाओं में सुसंगत आयोजना सीमा की लंबाई ट्रेडिंग खातों की तुलना में अधिक गुरुतर होती है। अतः, ऋण जोखिम मापने में भूलचूक से बैंक की समग्र सुदृढ़ता का आकलन प्रभावित होने की अधिक संभावना रहती है। इसके अलावा, इस बात की अधिक संभावना है कि उल्लेखनीय हानियां बैंकिंग बही में किसी की जानकारी में आए बिना संचित हो सकती हैं क्योंकि उन्हें बाजार भाव पर दर्शाया नहीं जाता।

5.72 बासेल II के कार्यान्वयन से जुड़ी लागतें, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन संबंधी लागतें, बैंकों और पर्यवेक्षकों दोनों के लिए काफी अधिक होने की संभावना है। बासेल II के अभाव में भी, सुप्रबंधित वित्तीय संस्थाओं तथा विनियामक प्राधिकरणों को उनकी आइटी प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को अद्यतन तथा संशोधित करना होगा ताकि वे बाजार में विकसित हो रही प्रथाओं के साथ चल सकें। तथापि, बासेल II ने मानव संसाधन कौशल के विकास तथा आइटी अपग्रेडेशन के लिए बैंकों तथा पर्यवेक्षकों पर जोर दिया है। इस संदर्भ में, बैंकों द्वारा जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उनके कई पहलू हैं यथा आकलन संबंधी अपेक्षाएं, अंतराल की पहचान तथा उन्हें भरना, प्रतिभाओं की पहचान, उपलब्ध प्रतिभाओं का इष्टतम उपयोग करना, नई प्रतिभाओं को आकृष्ट करना, प्रतिभाओं को प्रतिधारित करना तथा बदलाव प्रबंधन।

[4] ऐसा मूल्य जो आंकड़ों के सेट को समान अनुपात में विभाजित करता है।

5.73 यद्यपि बासेल II का उद्देश्य सामान्य मानक प्राप्त करना है, इसके कार्यान्वयन के लिए घनिष्ठ सहयोग, सूचना की साझेदारी तथा पर्यवेक्षकों के बीच नीतियों का समन्वय भी अपेक्षित है। एक अधिकार क्षेत्र के भीतर बाजारों के विभिन्न खंडों को विनियमित करने के लिए अलग पर्यवेक्षणात्मक निकाय की मौजूदगी से न सिर्फ क्षेत्राधिकार के भीतर अपितु क्षेत्राधिकारों के बीच भी बासेल II के कार्यान्वयन में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं । इसका कारण यह है कि जब बाजार के विभिन्न प्रतिभागियों को अलग पर्यवेक्षकों द्वारा विनियमित किया जाता है, तो नीतिनिर्माण और सतर्कता की तुलनीय गुणवत्ता बनाए रखना कठिन हो जाता है। कई विकासशील देशों में सिर्फ बैंक बासेल II की सीमा में आते हैं तथा अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता इसमें नहीं आते हैं, इस प्रकार विनियामक अंतरपणन की कुछ गुंजाइश रहती है।

5.74 बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बासेल मूल सिद्धांत (बीसीपी) पहली बार 1997 में तैयार किए गए तथा, विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन और प्रकटीकरण मानदंडों में, बदलते वित्तीय माहौल के अनुरूप कई सुदृढ़ पर्यवेक्षणात्मक प्रथाओं को समाविष्ट करने के लिए अक्तूबर 2006 में उन्हें संशोधित किया गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के कार्यपालक बोर्ड ने सूचित किया कि सीमित क्षमतावाले देशों में बासेल II को अवधिपूर्व अपनाने से संसाधनों को अधिक तात्कालिक प्राथमिकताओं से अनुचित रूप से हटाया जा सकता है तथा इस प्रकार पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के बजाए उनमें अंततः कमजोरी आएगी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी महसूस किया कि देशों को अपनी वित्तीय प्रणालियों, जिनमें संस्थाएं, बाजार तथा मूलभूत संरचना शामिल हैं, को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा बासेल मूल सिद्धांतों के गुरुतर स्तर के अनुपालन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। इसी के साथ, बीसीबीएस द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जहां विश्व भर में बैंकों तथा बैंकिंग प्रणालियों के लिए विकल्प प्रदान करने हेतु बासेल II की अभिकल्पना की गई है, इसे अपनाने के लिए अग्रसर होना सभी पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के लिए, उनके पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता के तौर पर, पहली प्राथमिकता नहीं होगी।

5.75 आइएमएफ ने (विश्व बैंक के साथ संयुक्त रूप से ) इसके वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम के अंग के रूप में देशों से बासेल मूल सिद्धांतों के अनुपालन की समीक्षा की है। 12 उन्नत, 15 संक्रमणशील तथा 44 उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं को समाविष्ट करनेवाले 71 गोपनीय मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया कि विचाराधीन सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बाजार जोखिम प्रबंधन संबंधी मूल सिद्धांतों का अनुपालन किया। इसके विपरीत, 66 प्रतिशत उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा 53 प्रतिशत संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं ने ऐसे सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया। इस स्तर के अनुपालन को देखते हुए, बासेल II ढांचेको लागू करने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने आनेवाली चुनौतियां भयानक हो सकती हैं।

5.76 भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल मूल सिद्धांतों के कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्ध है। 1997 के सिद्धांतों के संबंध में इसकी स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर कार्यदलों का गठन कतिपय क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए संस्तुति करने हेतु किया गया यथा, बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली, बैंकिंग कानून में संशोधन, गृह तथा मेजबान देश के संबंधों के लिए रूपरेखा का विकास, तथा अंतर-एजेंसी और अंतर-विभाग सहयोग में वृद्धि करना। 2006 में संशोधित नए बीसीपी में कई नए विनियामक मुद्दे शामिल हैं, जो पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन, समेकित पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षणात्मक स्वतंत्रता के अभाव से संबंधित हैं, जो बासेल II ढांचे के घटक हैं। जैसा पहले बताया गया है, भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक मार्च 2009 के अंत तक बासेल II मानदंडों का कार्यान्वयन करेंगे। उस समय तक कई नए मूल सिद्धांतों का अनुपालन किए जाने की आशा है। वर्तमान में रिज़र्व बैंक कार्यान्वयन हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण पर नए बीसीपी की जांच की प्रक्रिया मे हैं।

*बासेल II तथा प्रचक्रीयता*

5.77 बैंकों के लिए सुदृढ़ विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक युग वित्तीय स्थिरता तथा वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मौलिक रूप से ज़रूरी है। इसका कारण यह है कि बैंक अधिकांश व्यवसायों और उद्यमों के लिए ऋण के मुख्य स्रोत बने हुए हैं। जहां बासेल II से वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना अभिप्रेत है, यह तर्क दिया जाता है कि बैंक की आस्तियों की जोखिम के प्रति उसकी पूंजी अपेक्षा की गुरुतर संवदेनशीलता के जरिए नया बासेल पूंजी ढांचा बैंक उधार को अधिक प्रचक्रीय बना सकता है तथा इस प्रकार प्रतिकूल प्रणालीगत प्रभाव हो सकता है।

5.78 बैंक पूंजी विनियमन के प्रचक्रीय प्रभाव सैद्धांतिक तथा अनुभवजन्य दोनों स्तरों पर चर्चा के विषय बन गए हैं। यह बहस 1999 से अधिक जीवंत बन गया है जब पुराने समझौते में संशोधन ने आकार लेना शुरू किया (बीआइएस,2001)। बैंक पूंजी विनियमन के चक्रीय प्रभाव से उत्पन्न चिंताएं प्राथमिक तौर पर दुहरी हैं। एक ओर, ऐसा विश्वास है कि चूंकि मंदी के दौरान विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा बट्टे खाते की राशि में वृद्धि होती है, इससे बैंक की पूंजी कम होगी तथा नए ऋण देने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। दूसरा, विशेष रूप से नए समझौते के तहत अधिक सामान्यीकृत चिंता इस बात की है कि आर्थिक मंदी के दौरान उधारकर्ताओं की स्थिति खराब होने के कारण उन्हें बैंकों द्वारा डाउनग्रेड किया जाएगा तथा फलस्वरूप अतिरिक्त पूंजी अलग रखनी पड़ेगी जिससे संभाव्य रूप से पूंजी की कमी बढ़ जाएगी।

5.79 व्यवसाय चक्र के विस्तार प्रायः वित्तीय संस्थाओं की लाभप्रदता में वृद्धि तथा जोखिम लेने और नए कारोबार के लिए आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा करने संबंधी इन संस्थाओं की अधिक इच्छा द्वारा समर्थित होते हैं। चक्र में मंदी के चरण में, यह प्रक्रिया प्रतिकूल स्थिति में कार्य कर सकती है। लाभप्रदता में गिरावट आने तथा विश्वास कम होने के साथ वित्तीय संस्थाएं जोखिम लेने से पीछे हट सकती हैं तथा जोखिम लेने के

लिए अधिक क्षतिपूर्ति की मांग कर सकती हैं। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब संकुचन के चरण में वित्तीय संस्थाओं का तुलनपत्र उल्लेखनीय रूप से विकृत होता है (बीआइएस,2002)।

5.80 सैद्धांतिक स्तर पर, आर्थिक कार्यकलाप के स्तर पर पूंजीगत अपेक्षाओं के प्रभाव के व्यक्त उपचार के बारे में होल्मस्ट्रॉम तथा तिरोले (1997) ने ऐसे ढांचे के भीतर प्रावधान किया है जो मंदी के समय न्यूनतर शोधनीय अनुपात लागू करने के लिए तर्क प्रस्तावित करता है। उनके निष्कर्षों से यह प्रकट होता है कि ऐसे विश्व में जहां वास्तविक और वित्तीय दोनों क्षेत्र में एजेंटों के पास पूंजी की कमी है, बाजार चालित शोधनीय अनुपात प्रचक्रीय होते हैं, अर्थात वे विस्तार के समय उच्चतर तथा मंदी के समय निम्नतर होते हैं। अधिक सूक्ष्म तौर पर, वे यह दर्शाते हैं कि बैंकों की पूंजी के प्रति ऋणात्मक आघात आर्थिक कार्यकलाप के स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तथा पूंजी की कमी द्वारा उत्पन्न निवेश के न्यूनतर स्तर के लिए बाजार-निर्धारित शोधनीयता अनुपातों में कटौती अपेक्षित होती है। स्वभावगत तथा समष्टि आर्थिक आघातों के बीच भेदभाव की कमी बैंक प्रबंधकों के जोखिम लेने संबंधी प्रोत्साहनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर अवांछनीय प्रभाव डाल सकती है (देवात्रीपोंत और तिरोले, 1994)। वस्तुतः बैंक प्रबंधक उनके नियंत्रणाधीन स्वभावगत आघातों तथा उनके नियंत्रण के बाहर के समष्टि आर्थिक आघातों दोनों के लिए दंडित किए जाएंगे, तथा इस प्रकार बासेल मानदंड 'मंदी के समय बैंक प्रबंधकों के लिए अत्यधिक कठिन' हो सकते हैं।

5.81 पूंजी अपेक्षाओं की चक्रीयता को बढ़ाने संबंधी बासेल II की संभाव्यता भी अनुभवजन्य तौर पर भलीभांति स्वीकार की गई है (डनिएलसन, आदि, 2001; लोवे, 2002;आयुसो, आदि, 2004)। अनुभव्यजन्य साक्ष्य यह नहीं सुझाता कि अधिक कठिन पूंजी विनियमन लागू करने से कई उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के बीच बैंक ऋण की आपूर्ति में कमी आ सकती है (चूरी आदि, 2001)। बासेल II के तहत पूंजी अपेक्षाओं की चक्रीयता का अनुमान लगाने संबंधी साहित्य से यह प्रकट होता है कि बासेल II का प्रभाव बड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है (कश्यप तथा स्टेन, 2004)। चूक संबंधी जोखिमों के प्रति पूंजी अनुपात का प्रतिसाद मंदी के दौरान उधार देने संबंधी बैंक के प्रोत्साहनों को कम कर सकता है तथा आर्थिक गतिविधि को बदतर बना सकता है। भारतीय संदर्भ में, 1997-2002 की अवधि के लिए राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों के आंकड़ों पर आधारित ऋण हानि प्रावधानों की चक्रीयता संबंधी अनुभवजन्य साक्ष्य यह सुझाते हैं कि राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों में अनुकूल चक्रीय और आय स्थितियां आने पर, ऋणात्मक स्थितियां आने तक, प्रावधानीकरण को औसतन स्थगित करने की प्रवृत्ति होती है (घोष तथा नाचने, 2003)। इस प्रकार, बासेल II के तहत परिकल्पित पूंजी अपेक्षाएं समष्टि आर्थिक अस्थिरता बढ़ा सकती हैं। तथापि, यह दृढ़कथन विनियमन के एक घटक मात्र के विरुद्ध मोटे तौर पर अलग लिखत के तौर पर मानी गई जोखिम-आधारित पूंजी अपेक्षाओं पर आधारित होता है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या जोखिम-आधारित पूंजी मानकों के तहत प्रचक्रीयता अपरिहार्य है अथवा क्या विनियमन की कुछ अन्य ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे कम कर सकें(पेन्नाची, 2004)।

5.82 जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाएं प्रचक्रीय स्वरूप की हैं (मंदी में अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है क्योंकि बैंकों के संविभाग में ऋण जोखिम चक्रीय मंदी के दौरान बढ़ती है), इस बात को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने भी स्वीकार किया था। 1999 में बीसीबीएस द्वारा जारी परामर्श पत्र में, वित्तीय स्थिरता मंच द्वारा यह सवाल उठाया गया था कि क्या बीसीबीएस द्वारा चर्चित नई पूंजी के ढांचे की कई विशिष्टताएं अर्थव्यवस्था में चक्रीय घटबढ़ में वृद्धि कर सकती हैं। इसके प्रतिसाद में बीसीबीएस ने पुष्टि की कि जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाएं अनिवार्यतः प्रचक्रीय थीं परंतु इनका समाधान विभिन्न लिखतों द्वारा किया जा सकता था। परामर्श के दौरान, बासेल समिति कहती रही कि स्तंभ 1 के तहत आइआरबी दृष्टिकोण के जोखिम भार की विभिन्न विशिष्टताओं से इसका प्रचक्रीय प्रभाव कम होने की आशा है। उदाहरण के लिए, पीडी का अनुमान लगाने के लिए अधिदिष्ट प्रेषण अवधि कम से कम 5 साल की होती है तथा एलजीडी और ईएडी के लिए यह अवधि 7 साल की होती है तथा शर्त यह होती है कि यदि किसी स्रोत के लिए प्रेषण की अवधि बढ़ जाती है तो बाद वाले का उपयोग किया जाना चाहिए। बासेल II में बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे दीर्घावधि औसत पीडी तथा डाउनटर्न एलजीडी का अनुमान लगाएं जिससे काफी सीमा तक व्यवसाय चक्र के संबंध में पूंजी अपेक्षा का घटबढ़ कम हो गया। पात्र प्रावधानों के लिए ज्यादा छूट देने से इस बात की भी आशा है कि चक्रीय मंदी के दौरान, जब बैंकों के संविभाग के अनुपात में ऐसे ऋणों में वृद्धि होती है, चूक किए गए ऋणों की जोखिम भारित आस्तियों का महत्व घट जाएगा। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी आंतरिक मॉडलों का उपयोग बढ़ा सकते हैं जिससे प्रचक्रीयता कम हो जाएगी। चक्रों के जरिए रेटिंग प्रणाली जैसे उपायों से भी उधारकर्ता की रेटिंग पर व्यवसाय चक्र का असर 'फिल्टर आउट' हो सकता है। पर्यवेक्षक भी व्यवसाय चक्र के विस्तार के दौरान स्तंभ 2 के तहत अतिरिक्त पूंजी निर्धारित करते हैं।

*देशों के बीच बासेल II का कार्यान्वयन*

5.83 बासेल समिति के सदस्य तथा गैर सदस्य दोनों देशों में विश्व भर में बासेल II ढांचे के कार्यान्वयन में प्रगति जारी है। जुलाई 2004 में, बीआइएस ने गैर बासेल समिति सदस्यों के बीच, जिसमें अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन, लैटिन अमरीका, मध्य पूर्व तथा गैर बीसीबीएस यूरोप में 115 अधिकार-क्षेत्र शामिल हैं, एक सर्वेक्षण किया; जिसका उद्देश्य बासेल II

संबंधी कार्यान्वयन योजनाओं की पहचान करना तथा गैर बीसीबीएस पर्यवेक्षी समुदाय में तदनुरूप क्षमता-निर्माण की जरूरतों को निर्धारित करना था। प्राप्त हुए 107 प्रतिसादों में से, 88 गैर बीसीबीएस अधिकार-क्षेत्रों ने बासेल II अपनाने के बारे में अपना इरादा दर्शाया। अतः 13 बीसीबीएस देशों को हिसाब में लेते हुए, विश्व भर में 100 से अधिक देशों द्वारा बासेल II लागू किए जाने की आशा थी।

5.84 चुनिंदा देशों के एक सर्वेक्षण से यह प्रकट होता है कि अलग-अलग देशों ने बासेल II मानदंड लागू करने के लिए अलग-अलग समय अनुसूची का अनुसरण किया है। जापान ने 2007 में बासेल II मानदंड लागू किए। कई अन्य अधिकार-क्षेत्रों में, इस ढांचे को लागू करने के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना (कानून, विनियमन, पर्यवेक्षी दिशानिर्देश, आदि) या तो उपलब्ध है या उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। यह और अधिक देशों को 2008 तथा 2009 में बासेल II लागू करने की दिशा में अग्रसर होने की अनुमति देगा। इस अवधि के दौरान 73 गैर बीसीबीएस अधिकार-क्षेत्रों में बैंकिंग आस्तियों के लगभग 75 प्रतिशत को नियंत्रित करनेवाले 5,000 से थोड़े अधिक बैंकों द्वारा बासेल II में स्विच-ओवर किए जाने की आशा है। गैर बीसीबीएस अधिकार-क्षेत्रों में बासेल II की ओर अग्रसर होने के लिए एक प्रमुख वाहक विदेश नियंत्रित बैंकों अथवा विदेशी बैंकों की स्थानीय शाखाओं द्वारा स्थानीय तौर पर इस ढांचे को लागू करने का इरादा है। चीन, 2010 से बासेल II मानदंड अपनाएगा।

5.85 अलग-अलग देशों ने अलग-अलग दृष्टिकोणों के लिए अपनी संबंधित पसंद दर्शायी है। जहां सिंगापुर ने बैंक के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप कोई दृष्टिकोण चुनने की अनुमति बैंकों को दी है, अधिकांश देशों ने बैंकों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण निर्धारित किए हैं। स्तंभ 1 - न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं - के लिए मूल आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण की परिकल्पना ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं की गणना करने हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त पद्धति के रूप में (बासेल II की ओर अग्रसर बैंकिंग आस्तियों के अनुसार) की गई है। (सरलीकृत) मानकीकृत दृष्टिकोण मूल आइआरबी के ठीक पीछे चलता है। जहां तक परिचालनात्मक जोखिम का संबंध है, ऐसी आशा है कि मूल संकेतक दृष्टिकोण का व्यापक प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाएगा। ऋण तथा परिचालनात्मक जोखिमों के लिए सर्वाधिक उन्नत पद्धतियों को विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों के बीच कुछ मामलों में लागू किए जाने की आशा है (अनुबंध V.1 तथा सारणी 5.2)।

**सारणी 5.2 बासेल II के अनुपालन की समय-सूची और दृष्टिकोण - चुनिंदा देश**

| देश | अनुपालन की तारीख | दृष्टिकोण | |
|---|---|---|---|
| | | ऋण जोखिम | परिचालनात्मक जोखिम |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| चीन | 2010 | .. | .. |
| हांगकांग | 2007-2008 | एसए/एफ-आइआरबी/ ए-आइआरबी | बीआइए/एसए/एएमए |
| इंडोनेशिया | 2009 | एसए (2009)<br>एफ-आइआरबी (2010) | बीआइए (2008)<br>एसए/एएमए (2010) |
| जापान | मार्चांत 2007 | एफ-आइआरबी (मार्च 2007) /<br>ए-आइआरबी (मार्च 2008) | बीआइए/एसए(2007)/एएमए (2008) |
| रिपब्लिक ऑफ कोरिया | 2008 | एसए/एफ-आइआरबी/ए-आइआरबी | एसए |
| मलेशिया | 2008 | एसए (2008) / एफ-आइआरबी (2010) /<br>ए-आइआरबी (2010) | एसए |
| फिलीपीइन्स | जुलाई 2007 | एसए/एफ-आइआरबी (2010) /<br>ए-आइआरबी (2010) | बीआइए/एसए/एएमए |
| सिंगापुर | 1 जनवरी 2008 | बैंक की जोखिम प्रोफाइल के<br>अनुरूप कोई दृष्टिकोण | |
| थाईलैंड | 2008 का अंत | एसएसए/एफ-आइआरबी (2009)<br>/ ए-आइआरबी (2009) | बीआइए/एसए |
| यूएसए | 2008 | एसए / एफ-आइआरबी / ए-आइआरबी | एसए/एएमए |
| ब्राजील | 2006-2011 | .. | .. |
| यूरोपियन यूनियन | 2007-2008 | पूंजी अपेक्षा निदेश(सीआरडी)<br>जो बासेल II का मोटे तौर पर पालन करता है | |
| रूस | 2008 (स्तंभ 1)<br>2009 (स्तंभ 2 तथा 3) | एसएसए | बीआइए |
| ऑस्ट्रेलिया | 2007-2008 | एफ-आइआरबी/ए-आइआरबी | एएमए |
| न्यूजीलैंड | जनवरी 2008 | एसए/एफ-आइआरबी/ए-आइआरबी | एसए/एएमए |

.. : उपलब्ध नहीं
एसएसए : सरल मानकीकृत दृष्टिकोण
एसए : मानकीकृत दृष्टिकोण
एफ-आइआरबी : मूल आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण
बीआइए : मूल संकेतक दृष्टिकोण
एएमए : उन्नत माप दृष्टिकोण
ए-आइआरबी : उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण

5.86 जहां तक एशिया-पैसिफिक का संबंध है, बासेल II संबंधी कार्यान्वयन योजनाओं को मोटे तौर पर तीन दायरों में विभाजित किया जा सकता है - पहला, जहां पहले कार्यान्वयन के समय सरलतम दृष्टिकोण तथा सर्वाधिक उन्नत दृष्टिकोण उपलब्ध थे (ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, सिंगापुर तथा न्यूजीलैंड); दूसरा, जहां आरंभ में सरलतम दृष्टिकोण उपलब्ध थे तथा उसके बाद एक साल या दो साल के भीतर सर्वाधिक उन्नत दृष्टिकोणों में से कम से कम एक उपलब्ध हो (हांगकांग, जापान, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड); तथा तीसरा, जहां आरंभ में सरलतम दृष्टिकोणों की अनुमति होती है तथा सर्वाधिक उन्नत दृष्टिकोणों की उपलब्धता की तारीख की घोषणा अभी की जानी है अथवा वे दो साल से अधिक समय के बाद उपलब्ध होंगे (चीन, भारत, मलेशिया तथा फिलीपीन्स)। इसके अलावा, उक्त व्यापक दायरों के चुनाव को संबंधित बैंकिंग क्षेत्रों में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी की मात्रा के साथ जोड़ा जा सकता है। यह देखा गया है कि बैंकिंग आस्तियों में उल्लेखनीय हिस्सेदारी रखनेवाले विदेशी बैंकों वाली बैंकिंग प्रणालियां (सिंगापुर तथा हांगकांग) उन क्षेत्रों से पहले उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की इच्छा दर्शा रही हैं जिन क्षेत्रों में विदेशी बैंक की हिस्सेदारी अधिक नहीं है। बासेल II में अंतरित होने के पहले लंबे समय तक बासेल I में रहनेवाले देशों के मामले में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी जा सकती है (चीन)( अनुबंध V.1)।

## V. पूंजी और जोखिम प्रबंधन : भारतीय अनुभव

5.87 भारत में पूंजी पर्याप्तता को परंपरागत तौर पर वित्तीय प्रणाली की शक्ति के संकेत के रूप में माना गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार, भारत में निगमित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह आरक्षित निधि[5] तैयार करे। बासेल I अपनाने के पहले भारत में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करनेवाले संबंधित अधिनियमों में निर्धारित न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं बैंकों के बीच एक मात्र विनियामक पूंजी अपेक्षा थी।

5.88 भारतीय बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण-पूर्व चरण में, रिज़र्व बैंक ने पूंजी मानकों की ओर कुछ ध्यान दिया। भारतीय बैंकों के लिए 1950 के 9 प्रतिशत से 1960 में कुल जमाराशियों के प्रति पूंजी ( प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधि) अनुपात घटकर 4 प्रतिशत हो जाने से रिज़र्व बैंक ने प्रेरित होकर बैंकों को सूचित किया कि वे घोषित लाभ का 20 प्रतिशत अनिवार्य रूप से आरक्षित निधियों में अंतरित करके 6 प्रतिशत के उक्त अनुपात का लक्ष्य बनाएं (जागीरदार, 1997)। तथापि, राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में, पूंजीकरण के मुद्दे पर कम ध्यान दिया गया तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए जमाराशि के प्रति पूंजी अनुपात 1990 के दशक के आरंभ में घटकर काफी कम (2 प्रतिशत से कम) रह गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण के प्रति पूंजी अनुपात, जो 1979 में 0.9 प्रतिशत था, मार्च 1991 के अंत तक बढ़कर 2.0 प्रतिशत हो गया। उक्त अनुपात मार्च1993 के अंत में बढ़कर 3.0 प्रतिशत तथा उसके बाद तेजी से बढ़कर अगले साल 5.1 प्रतिशत हो गया तथा उसके बाद वह लगभग 6.0 प्रतिशत पर स्थिर हो गया (चार्ट V.2)। मार्च 1993 को समाप्त वर्ष और उसके बाद से अनुपात में हुई तीव्र वृद्धि का कारण मार्च1993 को समाप्त वर्ष से पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करना था।

5.89 यद्यपि बैंकों का सरकारी स्वामित्व जमाकर्ताओं और निवेशकों को काफी आराम देता है, तथापि विनियामक अंतरराष्ट्रीय तौर पर पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करने के प्रयोजन के लिए सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच अंतर नहीं करते ताकि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच एक समान आधार का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन को उचित प्रोत्साहन देने की जरूरत है ताकि वे एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम कर सकें। तथापि, सरकारी स्वामित्व से बैंकों की पूंजी स्थिति पर अप्रत्यक्ष अनुकूल असर पड़ता है क्योंकि वित्तीय संकेतकों के उसी स्तर पर रेटिंग एजेंसियां शायद सरकारी क्षेत्र के बैंक को बेहतर रेटिंग

**चार्ट V.2 : भारतीय बैंकों का पूंजी तथा लीवरेज अनुपात**

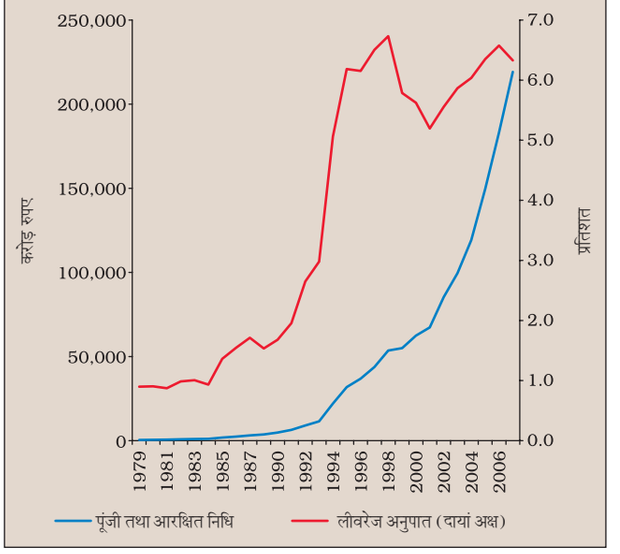


[5] हाल में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे हर साल प्रकट किए गए लाभ के कम-से-कम 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि आरक्षित निधि में अंतरित किया करें।

प्रदान करेंगी। साथ ही, कई क्षेत्र के ग्राहक अभी भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जमाराशियां रखने के लिए अधिक सुरक्षित मानते हैं तथा वे अन्य बैंकों द्वारा जमाराशियों पर प्रस्तावित कुछ उच्चतर ब्याज छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं।

5.90 सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को , जिसे अनिवार्य तौर पर विवेकपूर्ण सुरक्षोपाय के रूप में माना जाता है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 से कानूनी स्वीकृति प्राप्त होती है। तरल आस्तियों की परिभाषा में नकदी, सोना अथवा अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, जो आस्तियों के तत्काल संग्रहण अथवा नकदीकरण की संकल्पना को दर्शाता है। एसएलआर को इसलिए लागू किया गया ताकि बैंकों को उनकी सरकारी प्रतिभूति संबंधी धारिताओं, जो कुल मांग एवं मीयादी देयताओं का कम-से-कम 20 प्रतिशत होता है, का नकदीकरण कर परिवर्तनीय आरक्षित निधि अपेक्षाओं का असर प्रतितुलित करने से रोका जा सके। अतः 1962 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसकी धारा 24 में एक नई उपधारा (2क) शामिल कर सभी बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे भारत में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के कम-से-कम 25 प्रतिशत के बराबर तरल आस्तियों की न्यूनतम राशि बनाए रखें, जो अनुसूचित बैंकों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक की धारा 42 के तहत रखी जानेवाली शेषराशियों से अलग होगी तथा गैर अनुसूचित बैंकों के मामले में बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 18 के तहत रखी जानेवाली नकद शेषराशियों से अलग होगी । यद्यपि एसएलआर की शुरुआत एक विवेकपूर्ण अपेक्षा के रूप में की गई, यह 1970 तथा 1980 के दशकों में सरकारी घाटे के वित्तपोषण की एक लिखत तथा कुछ सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं की अपेक्षा बन गई। तथापि, 1992 में वित्तीय क्षेत्र सुधार शुरू किए जाने के बाद, एसएलआर को क्रमिक रूप से घटाकर अक्तूबर 1997 तक 25 प्रतिशत कर दिया गया तथा तबसे यह अपरिवर्तित बना हुआ है। यद्यपि एसएलआर लागू करने से किसी भी समय उधार देने के लिए बैंकों के पास उपलब्ध मुक्त चलनिधि कम हो जाती है, तथापि यह बैंकिंग प्रणाली को अतिरिक्त कुशन प्रदान करता है। जिस सीमा तक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, वहां तक पूंजी की उनकी जरूरत कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि वाणिज्यिक ऋणों से भिन्न ऐसे निवेशों पर नाममात्र का जोखिम भार (2.5 प्रतिशत) होता है। साथ ही एसएलआर में किए गए निवेशों से आघातों को आत्मसात करने के लिए बैंकों को कुशन मिल जाता है।

5.91 वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री एम.नरसिंहम) की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को मार्च 1993 तक जोखिम भारित आस्तियों के संबंध में न्यूनतम 4 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करना चाहिए, जिसमें से टियर 1 पूंजी दो प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। वैश्विक मानकों के साथ विनियमनों को क्रमिक रूप से अनुकूल बनाने का सामान्य दृष्टिकोण अपनाते हुए, भारत में अप्रैल 1992 में पूंजी पर्याप्तता संबंधी बासेल मानदंड लागू किए जो 3 साल की अवधि में फैला हुआ था - विदेश में शाखाएं रखनेवाले बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे मार्च 1994 के अंत तक जोखिम भारित आस्तियों के प्रति 8 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी अपेक्षा का अनुपालन करें, जबकि अन्य बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे इसका अनुपालन मार्च 1996 के अंत तक करें। अक्तूबर 1998 में यह निर्णय लिया गया कि निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर को 1 प्रतिशत अंक बढ़ाकर मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से 9 प्रतिशत कर दिया जाए। साथ ही, भारत ने बासेल I ढांचे में हुए 1996 के संशोधन के प्रति रेस्पांड किया, जिसमें बैंकों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे बाजार जोखिम एक्सपोजरों के लिए पूंजी का रखरखाव करें तथा आरंभ में 2000 तथा 2002 के बीच इन जोखिमों के लिए विभिन्न प्रतिनिधि पूंजी प्रभार निर्धारित करें जिनको जून 2004 में बासेल I ढांचे के तहत अपेक्षित पूंजी प्रभारों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो मार्च 2005 से लागू हुए। भारत कम से कम दो संदर्भों में बासेल I अपेक्षा से एक कदम आगे चला गया है। पहला, भारत स्थित बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे 8 प्रतिशत की बासेल की अपेक्षा की तुलना में 9 प्रतिशत सीआरएआर रखें। दूसरा, भारत स्थित बैंकों से अपेक्षित है कि वे 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणियों के अलावा मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से 'बिक्री के लिए उपलब्ध' संविभाग पर बाजार जोखिम के लिए भी पूंजी प्रभार रखें।

5.92 बासेल I के कार्यान्वयन में पायी गई मुख्य कठिनाई सामान्यतः भारत में तथा विशेषतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सभी बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति है। इसके अलावा, उस समय भारत में सुविकसित इक्विटी पूंजी बाजार की कमी तथा केन्द्र सरकार की खराब राजकोषीय स्थिति ने भी बैंकों के लिए बासेल I की अपेक्षा के अनुपालन हेतु पर्याप्त पूंजी जुटाना कठिन बना दिया। इस समस्या का समाधान मुख्यतः भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनःपूंजीकरण बांड जारी कर किया गया। पूंजी पर्याप्तता में सुधार सिर्फ पूंजी के अंतर्वेश के द्वारा नहीं लाया जाना था। लागतें कम करके, लाभप्रदता में सुधार लाकर, एनपीए में कमी करके तथा वसूली में सुधार लाकर आंतरिक उपचय बढ़ाने की ज़रूरत है। इस रणनीति के सफल कार्यान्वयन के लिए कंपनी अभिशासन, कार्य-प्रथाओं, ग्राहक सेवा के प्रति दृष्टिकोण तथा कौशल विकास में समग्र बदलाव की भी अपेक्षा है। ऋण वसूली कानूनों, वित्तीय बाजारों के विकास, मूलभूत सुविधाओं, लेखांकन मानकों तथा प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता में सुधार के रूप में बैंकों के परिचालनात्मक माहौल में सुधार लाने की भी ज़रूरत थी।

5.93 रिज़र्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति के रूप में रिज़र्व बैंक के भीतर नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता मानक और

प्रकटीकरण मानदंड स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभायी (ब्यौरे अध्याय III और X में)। बीएफएस का एक प्रारंभिक पहल कैमेल मॉडल; अर्थात कैमेल्स जिसमें बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि और प्रणाली तथा नियंत्रण का मूल्यांकन होता है; के आशोधित स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक निरीक्षणों की प्रणाली का पुनर्विन्यास करना था। विन्यस्त आरंभिक हस्तक्षेप प्रणाली के रूप में 2003 में शुरू की गई त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) को पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ जोड़ा गया। तीन मानकों अर्थात पूंजी पर्याप्तता (सीआरएआर), आस्ति गुणवत्ता (निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां) तथा लाभप्रदता (आस्तियों पर प्रतिलाभ) के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाइयों की अनुसूची तैयार की गई। प्रत्येक प्रेरक बिन्दु (ट्रिगर पॉइंट) के लिए, अधिदेशात्मक और विवेकात्मक पीसीए का एक सेट निर्धारित किया गया तथा ट्रिगर जोन के तहत आने वाले बैंकों को सूचित किया गया कि वे समय-समय पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें। बीएफएस दिशा-निर्देश के तहत, 2003-04 के निरीक्षण चक्र के दौरान कुछ चुनिंदा बैंकों में प्रायोगिक आधार पर जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) प्रक्रिया शुरू की गई, जो आरंभ में कैमेल्स/सीएएलसीएस के तहत निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली के समानांतर थी। आरबीएस प्रक्रिया के तहत, प्रत्येक संस्था के जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर रहते हुए पर्यवेक्षणात्मक संसाधन आबंटित कर तथा पर्यवेक्षणात्मक ध्यान देकर, तथा पर्यवेक्षित संस्था की कारोबारी रणनीति और एक्सपोजर के संबंध में उसमें जोखिम प्रबंधन प्रणाली के औचित्य पर सतत निगरानी रखकर और उसका मूल्यांकन कर बैंकों पर निगरानी रखने की परिकल्पना की गई।

## भारत में बासेल II कार्यान्वयन की बड़ी रूपरेखाएं

5.94 वित्तीय क्षेत्र में सभी परिवर्तनों संबंधी सामान्य प्रथा के अनुसार तथा बासेल II में कारगर अंतरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से, बासेल II ढांचे की अभिकल्पना और उसके कार्यान्वयन दोनों के लिए एक परामर्शी तथा प्रतिभागितात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया था। तदनुसार, एक स्थायी समिति गठित कर उसमें 14 बैंकों (सरकारी, निजी और विदेशी) के वरिष्ठ अधिकारियों तथा रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ (आइबीए) के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2005 को भारत में बासेल II के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया। दिशानिर्देशों के मसौदे का संशोधन कर उसे अभिमत/प्रतिपुष्टि के लिए 20 मार्च 2007 को जारी किया गया। प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर 27 अप्रैल 2007 को कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।

5.95 रिज़र्व बैंक द्वारा बासेल II के बारे में जारी अंतिम दिशानिर्देशों अर्थात 'पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एनसीएएफ) का कार्यान्वयन' में आरंभ में बीसीबीएस द्वारा जारी संशोधित ढांचे के तहत स्तंभ 1 और स्तंभ 3 की अपेक्षाओं को शामिल किया गया था। स्तंभ 2 संबंधी दिशानिर्देश 26 मार्च 2008 को हाल में जारी किए गए। तदनुसार, भारत में परिचालित विदेशी बैंकों तथा भारत के बाहर परिचालनात्मक उपस्थिति रखनेवाले भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से लागू संशोधित ढांचे के तहत ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) तथा पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया। अन्य सभी वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षित है कि वे उनके अनुरूप तथा किसी भी स्थिति में 31 मार्च 2009 तक संशोधित ढांचे के तहत इन दृष्टिकोणों को अपना लें। ये बैंक संशोधित ढांचे के तहत बाजार जोखिमों के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) लागू करना जारी रखेंगे। ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण बासेल I ढांचे की तुलना में जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील है तथा बासेल II ढांचे के तहत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों की तुलना में इसका कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण अधिक आसान है। मानकीकृत दृष्टिकोण को उन्नत दृष्टिकोण की साध्यता का और आकलन करने के लिए विनियामकों को समय देने संबंधी अंतरिम समाधान के रूप में भी देखा जा सकता है। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे विनियामक पूंजी संबंधी अपेक्षाओं की गणना हेतु ऋण जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत उपाय दृष्टिकोण (एएमए) की ओर अंतरित होने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। रिज़र्व बैंक ने कुछ मात्रा में मूलभूत संरचना अपनाने हेतु बैंकों को सूचित किया है जो समय-समय पर समझौते की मांग के बाहर चला जाता है। यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यूनतम अनुपालन पर्याप्त नहीं है।

5.96 बासेल II के कार्यान्वयन के लिए भारत ने त्रिमार्गीय दृष्टिकोण अपनाया है। भारत में, 79 वाणिज्य बैंकों के पास बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों का लगभग 78 प्रतिशत; 3,000 से अधिक सहकारी बैंकों के पास 9 प्रतिशत तथा 91 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास 3 प्रतिशत है। परिचालनों के आकार, जटिलता, वित्तीय क्षेत्र के प्रति सुसंगति, गुरुतर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता तथा दक्ष सुपुर्दगी प्रक्रिया रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, इन संस्थाओं पर लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को सख्ती के अलग-अलग स्तरों पर बनाये रखा गया है। पहली ओर, वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऋण और बाजार दोनों जोखिमों के लिए बासेल II ढांचे के अनुसार पूंजी बनाए रखें; दूसरी ओर सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऋण जोखिम के लिए बासेल I ढांचे के अनुसार तथा बाजार जोखिम के लिए प्रतिनिधि के जरिए

पूंजी बनाए रखें; तीसरी ओर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से न्यूनतम पूंजी अपेक्षा है जो बासेल I ढांचे के अनुरूप नहीं है। फलस्वरूप भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए पूर्ण बासेल II ढांचा, अंशतः बासेल I ढांचे पर लघु खंड का एक अंश, तथा गैर बासेल ढांचे का एक अल्पतर खंड प्रणालीगत महत्ववाला एक प्रमुख खंड है। इस प्रकार मार्च 2009 के बाद के परिदृश्य में, बासेल II, बासेल I तथा गैर बासेल संस्थाएं भारतीय बैंकिंग प्रणाली में साथ-साथ कार्य करेंगी। इसी तरह, बासेल II संस्थाओं के बीच भी यह संभव है कि बैंक तीन प्रमुख जोखिमों के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं की गणना करने हेतु उपलब्ध बहुल विकल्पों के विभिन्न समन्वयन को लागू करें। फलस्वरूप, बासेल II का कार्यान्वयन उन ढांचों के स्पेक्ट्रम का अंग होगा, जिनके तहत विभिन्न वर्गों के बीच गुणवत्ता में क्रमिक वृद्धि हो सकती है। बैंकों तथा उनकी कारोबारी दार्शनिकताओं के बीच अलग-अलग जोखिम उठाने की क्षमताओं को देखते हुए यह संभव है कि बैंक अपना दृष्टिकोण 'स्वयं चुनें' जो, बदले में, कुल मिलाकर प्रणाली पर स्थिरकारी प्रभाव डाल सकता है (रेड्डी, 2006)।

*स्तंभ 1*

5.97 बीसीबीएस ढांचे का अनुसरण करते हुए, स्तंभ 1 में तीन प्रकार की जोखिमों अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार निर्धारित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए अपनाए गए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, पात्र बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) अर्थात दिशानिर्देशों में प्रस्तुत नक्शे के अनुसार पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भार देने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग मोटे तौर पर ऋण जोखिम पूंजी की माप का समर्थन करेगी। इसके अलावा, तुलनपत्र में मौजूद मदों पर जोखिम भार देने के प्रयोजन के लिए, बैंकों के समस्त निधि आधारित और गैर निधि आधारित दावों को प्रतिपक्ष के अनुसार कतिपय आस्ति शीर्षों यथा देशी प्रभुतासंपन्न, विदेशी प्रभुतासंपन्न, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं तथा कंपनी में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है।

5.98 बाह्य ऋण रेटिंग मूल्यांकन के लिए चार देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (अर्थात, क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड, फिच इंडिया तथा इक्रा लिमिटेड) तथा तीन अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (फिच, मूडीज तथा स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स) को रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया है (बॉक्स V.6)।

5.99 कुछ अपवादों को छोड़कर तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के प्रति व्यवहार बासेल I ढांचे से मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा है। तुलनपत्र बाह्य मदों को बाजार संबद्ध तथा गैर बाजार संबद्ध वर्गों में विभाजित किया जाता है। जहां गैर बाजार संबद्ध तुलनपत्र बाह्य मदों के मामले में ऋण समतुल्य राशि का निर्धारण विनियमन में विनिर्दिष्ट सुसंगत ऋण परिवर्तनकारक से विशिष्ट लेनदेन की संविदाकृत राशि का गुणा करके किया जाता है, बाजार संबद्ध तुलनपत्र बाह्य मद के मामले में, चाहे उन्हें बैंकिंग बहियों में या ट्रेडिंग बहियों में रखा गया हो, ऋण समतुल्य राशि का निर्धारण वर्तमान एक्सपोजर पद्धति द्वारा किया जाना है।

5.100 तुलनपत्र पर मौजूद प्रतिभूतिकरण संबंधी एक्सपोजरों के लिए, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे एक्सपोजरों की मूल राशि (विशिष्ट प्रावधानों को घटाने के बाद) को दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रयोज्य जोखिम भार से गुणा करके जोखिम भारित एक्सपोजरों की राशि की गणना करें। श्रेणी-निर्धारित तुलनपत्र बाह्य प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के लिए, बैंकों से अपेक्षित है कि वे अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए जाने पर एक्सपोजरों की मूल राशि (विशिष्ट प्रावधानों को घटाने के बाद) को 100 प्रतिशत ऋण परिवर्तनकारक से गुणा करके ऋण समतुल्य राशि की गणना करें। यदि तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण नहीं किया जाता तो गैर श्रेणी-निर्धारित पात्र चलनिधि सुविधा को छोड़कर इसकी कटौती पूंजी से की जानी चाहिए।

5.101 संशोधित ढांचे के तहत बैंकिंग बही एक्सपोजरों के लिए ऋण जोखिम उपशामकों के व्यापक दायरे तथा ट्रेडिंग बही में ओटीसी व्युत्पन्नियों और रिपो के प्रकार के लेनदेनों के लिए प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम प्रभारों की अनुमति दी गई है बशर्ते इन तकनीकों से विधिक निश्चितता, प्रलेखीकरण और प्रकटीकरण सहित कुछ सिद्धांत और मानक पूरे हों। तथापि विभिन्न प्रकार की ऋण जोखिम उपशमन (सीआरएम) तकनीकों अर्थात संपार्श्विकीकृत लेनदेनों, तुलनपत्र पर निवल राशि निकालने और गारंटियों के लिए उपचार अलग-अलग होता है।

5.102 भारत में वर्तमान में ऋण आस्तियों की बिक्री के लिए बाजार में प्रतिभागियों की संख्या सीमित होती है। रिज़र्व बैंक ने एआरसी को दिशानिर्देश/निदेश जारी कर भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को एआरसी द्वारा जारी प्रलेखों की अनुमति प्रदान की। रिज़र्व बैंक अब तक छः प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों (एससी/आरसी) को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी कर चुका है, जिसमें से तीन ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है। जून 2007 के अंत में रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एससी/आरसी द्वारा अर्जित आस्तियों की कुल राशि का बही मूल्य 28,544 करोड़ रुपए था। इस प्रकार के बाजार की वृद्धि की व्यापक संभावना है, जिससे ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए बहुत कारगर साधन उपलब्ध होगा। बासेल II द्वारा चालित बैंकों के पास निकट भविष्य में अपने ऋण संविभागों का बेहतर जोखिम प्रोफाइल होगा। संविभाग में मौजूद असंतुलन से बचाव/मिलान लिखतों के लिए मांग का सृजन होगा, जो भारत में ऋण डेरिवेटिव बाजार का मूल होगा (बॉक्स V.7)।

## बॉक्स V.6
## भारत में रेटिंग प्रथाओं की स्थिति

विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में क्रेडिट रेटिंग अपेक्षाकृत नया है। क्रिसिल नामक पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना 1987 में की गई। 1991 से, जब इक्रा नामक भारत की दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना की गई, वाणिज्यिक पत्रों तथा डिबेंचरों के लिए क्रेडिट रेटिंग को अधिदेशात्मक बनाया गया। तब से, कंपनी तथा खुदरा (प्राथमिक तौर पर सावधि जमा राशियां)दोनों स्तरों पर रेटिंगयुक्त जारी किए गए तथा अभिदत्त ऋण के रूप में रेटिंग उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बासेल II फ्रेमवर्क अपनाने के साथ सूचना प्रदाताओं के रूप में, जिसमें वृद्धि हो रही थी, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के महत्व पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। भारत में रेटिंग एजेंसियों के सामने दो तरह के अवरोध हैं जिनकी वजह से चूक संबंधी उनके आंकड़े प्रभावित होते हैं। पहला, उनके पास रेटिंगयुक्त संस्थाओं का छोटा आधार होता है। दूसरा, उनके पास अंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थाओं जैसा भौगोलिक विशाखीकरण का लाभ प्राप्त नहीं होता है। भारत में रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के अनुरूप हैं। तथापि, उक्त दो अवरोधक कारकों के बावजूद उनके चूक संबंधी आंकड़े बासेल प्रेरक अनुपातों से मेल न खानेवाले नहीं हैं। देशी रेटिंग एजेंसियों के पास बासेल II के कार्यान्वयन के फलस्वरूप रेटिंग की उच्चतर मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षानुसार अपना संसाधन बढ़ाने की सुविधा है। वर्तमान में भारत में रेटिंग निर्गम विशिष्ट है, न कि निर्गमकर्ता विशिष्ट । अतः रेटिंग एजेंसियां भी निर्गमकर्ता की रेटिंग करने के लिए पद्धतियां तैयार कर रही हैं। अतः यह प्रत्याशित है कि भारत में बासेल II के कार्यान्वयन के साथ एक अवधि में रेटिंगयुक्त संस्थाओं का अनुपात बढ़ने की संभावना है - बशर्ते प्रणाली में जोखिम अलग-अलग करने के लिए उपयुक्त आधार मौजूद हो।

ऐसा अपेक्षित है कि रेटिंग की प्रणाली वैधीकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरे, जिसमें अपनाई गई आइआरबी प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण जोखिम घटकों तथा उसके नियमित परिचालन, भविष्यवाणी करने की शक्ति और समग्र कार्यनिष्पादन के अनुमानों की शुद्धता के आकलन के लिए कार्यकलापों, लिखतों और प्रक्रियाओं का एक औपचारिक सेट हो। वैधीकरण की प्रक्रिया में बैंक को सतत आधार पर रेटिंग प्रणाली द्वारा उत्पन्न परिणामों की विश्वसनीयता का तथा संदर्भ बाजार में विनियामक अपेक्षाओं, परिचालनात्मक जरूरतों और गतिविधियों के साथ उसकी निरंतर संगति का सत्यापन करना होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषणों का कार्यनिष्पादन अपेक्षित है, जिसकी व्याप्ति को जांच किए गए संविभागों के प्रकार तथा उसकी व्याप्ति, बैंक की समग्र जटिलता, तथा विश्लेषणाधीन वातावरण की विश्वसनीयता के अनुसार घटाना-बढ़ाना पड़ता है। वैधीकरण संबंधी साधनों और पद्धतियों की आवधिक समीक्षा करने और उन्हें समायोजित करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निरंतर विकसित हो रहे बाजार संबंधी परिवर्तियों तथा परिचालनात्मक स्थितियों के संदर्भ में वे उपयुक्त बने रहें। वैधीकरण की प्रक्रिया में संबद्ध पूर्व अनुमानों की तुलना में वास्तविक जोखिम उपायों की सांख्यिकीय तुलना मात्र शामिल नहीं होती है, अपितु इसमें परिचालनात्मक प्रक्रियाओं, नियंत्रणों, प्रलेखन, आइटी संबंधी मूलभूत संरचना तथा उनकी समग्र सुसंगति के आकलन सहित आइआरबी प्रणाली के सभी घटकों का विश्लेषण भी शामिल होता है। वैधीकरण की प्रक्रिया में रेटिंग प्रणालियों के लिए मात्रात्मक एवं संगठनात्मक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन का सत्यापन शामिल होता है। विनिर्दिष्ट तौर पर, इसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिएः (i) अंतर्निहित तार्किक संरचना और जोखिम प्राचल अनुमानों को समर्थन देनेवाले पद्धतीय मानदंडों के विशेष संदर्भ में मॉडल विकास प्रक्रिया का मूल्यांकन; (ii) रेटिंग प्रणाली का कार्यनिष्पादन विश्लेषण; (iii) पैरामीटर के बारे में सोचविचार, बेंचमार्किंग तथा इस बारे में तनाव परीक्षण सत्यापन कि रेटिंग प्रणाली का वास्तविक उपयोग परिचालनों के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। वैधीकरण के परिणामों को पर्याप्त रूप में प्रलेखित किया जाना चाहिए तथा उसे आंतरिक नियंत्रण कार्यों और नियंत्रक निकायों को आवधिक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा किसी भी समस्या वाले क्षेत्र का विशिष्ट समाधान ढूंढ़ा जाना चाहिए।

पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में बांड रेटिंग के लिए अलग विभागों की कमी तथा गुणात्मक कारकों का व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो भारत में रेटिंग एजेंसियों की कारगर कार्यप्रणाली में अवरोध उत्पन्न करती हैं। व्यक्तिनिष्ठ मानदंडों का वस्तुनिष्ठ परिचालन, उद्योग विशिष्ट जानकारी के लिए स्वतंत्र डेटाबेस विकसित करना, रेटिंग करनेवाले विश्लेषकों के कौशल को सुधारने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा आवधिक तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों का आयोजन तथा प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने के लिए निजी रेटिंग एजेंसियों की स्थापना से रेटिंग प्रणाली की कार्यप्रणाली को सुधारने में काफी मदद मिलेगी।

5.103 जहां तक बाजार जोखिमों का संबंध है, भारत स्थित बैंक अभी भी आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडल विकसित करने की शैशवावस्था में हैं, अतः बैंकों को शुरुआती तौर पर मानकीकृत पद्धति अपनाने की अनुमति दी गई थी। चूंकि ब्याज दर जोखिम मापने के लिए ड्यूरेशन पद्धति अधिक सही पद्धति है, अतः यह निर्णय लिया गया कि पूंजी प्रभार ज्ञात करने के लिए मानकीकृत ड्यूरेशन पद्धति अपनायी जाए।

5.104 बाजार जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं दो अलग-अलग परिगणित प्रभारों के रूप में व्यक्त की जाती हैंः (i) प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 'विशिष्ट जोखिम' प्रभार जिसकी अभिकल्पना एक अलग प्रतिभूति के मूल्य में प्रतिकूल घटबढ़ के प्रति संरक्षण के लिए की गई है; तथा (ii) संविभाग में ब्याज दर जोखिम के प्रति 'सामान्य बाजार जोखिम', जिसमें विभिन्न प्रतिभूतियों अथवा लिखतों में दीर्घ और अल्प स्थितियों (जिसकी अनुमति डेरिवेटिवों को छोड़कर भारत में नहीं दी जाती है) को प्रतितुलित किया जा सकता है। विशिष्ट जोखिम (ऋण जोखिम के समतुल्य) तथा सामान्य बाजार जोखिम के लिए 9 प्रतिशत पर पूंजी प्रभार निर्धारित किया गया है तथा

## बॉक्स V.7
## ऋण डेरिवेटिव तथा ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण डेरिवेटिव ऐसी लिखतें हैं, जो अंतर्निहित आस्ति(यों) का स्वामित्व अंतरित किये बिना किसी दायित्व (अथवा दायित्वों के समूह) की सभी ऋण जोखिम या उसके एक भाग का अंतरण करती हैं। यह लक्ष्य सामान्यतः ऋण संदर्भ आस्ति संबंधी जोखिम को अंतरित करके प्राप्त किया जाता है। ऋण डेरिवेटिव के तीन सामान्य प्ररूप हैं - ऋण चूक स्वैप (सीडीएस), कुल प्रतिलाभ स्वैप (टीआरएस) तथा ऋण संबद्ध नोट (सीएलएन)। ऋण डेरिवेटिव का अधिकांश ऋण चूक स्वैप के रूप में होता है, जो एक या अधिक संदर्भित संस्थाओं की डिफाल्ट जोखिम एक पार्टी से दूसरे को अंतरित करने का संविदात्मक करार है। एक पक्षकार, जो सरंक्षण खरीदार होता है, सीडीएस की अवधि के दौरान दूसरे पक्षकार, संरक्षण विक्रेता, को आवधिक शुल्क अदा करता है। यदि संदर्भित संस्था चूक करती है, दिवालिया घोषित करती है अथवा दूसरी ऋण घटना घटित होती है, तो संरक्षण विक्रेता पर विनिर्दिष्ट निपटान प्रक्रिया के जरिए हानि के लिए संरक्षण खरीदार की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व आता है। संदर्भित संस्था संविदा का पक्षकार नहीं होती है, तथा खरीदार या विक्रेता के लिए यह जरूरी नहीं होता की वह सीडीएस के लिए संदर्भित संस्था की सहमति प्राप्त करे।

ऋण डेरिवेटिव बाजार उन देशों में अधिक सक्रिय होते हैं, जहां ऋण गुणवत्ता की माप तथा रेटिंग प्रणाली पारदर्शी होती है तथा उसे व्यापक रूप में अपनाया जाता है, यथा उत्तरी अमरीका और यूरोप । इसके अलावा, एशिया तथा मध्य पूर्व में विन्यस्त ऋण उत्पादों की मांग बढ़ रही है। कई देशों में तीव्र गति से हुई वृद्धि तथा ऋण डेरिवेटिव बाजार में व्यापक भागीदारी ने वित्तीय परिदृश्य को पूरा बदल दिया है। ऋण डेरिवेटिवों के लिए बाजार की गतिविधि और वृद्धि ने बैंकों द्वारा ऋण जोखिम के प्रबंधन का तरीका बदल दिया है, उदाहरण के लिए उनमें से सबसे बड़े को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह ऋण बही एक्सपोजरों के संकेंद्रण की मात्रा कम करके उसे एक निगम अथवा उद्योग तक सीमित कर दे। ऋण डेरिवेटिवों का महत्व ऋण जोखिम कम करने में बैंकों तथा निवेशकों दोनों के लिए है। उदाहरण के लिए, वाणिज्य बैंक अपने ऋण संविभाग की जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण डेरिवेटिवों का उपयोग कर सकता है तथा एक निवेश बैंक ऋण डेरिवेटिवों का प्रयोग प्रतिभूतियों की हामीदारी करते समय आनेवाली जोखिमों के प्रबंधन के लिए कर सकता है। निवेशक, यथा बीमा कंपनी, आस्ति प्रबंधक, अथवा हेज फंड, ऋण डेरिवेटिवों का प्रयोग अपने ऋण जोखिम एक्सपोजर को वांछित ऋण जोखिम प्रोफाइल के साथ संरेखित करने में कर सकते हैं।

सकारात्मक बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऋण डेरिवेटिवों ने बैंक तथा बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं दोनों को जोखिम-प्रतिलाभ संमिश्र के व्यापक दायरे तक और अंतर्निहित जोखिमों के व्यापक समूह तक पहुंच प्रदान करके तथा कंपनी बांड बाजारों की चलनिधि में वृद्धि करके वित्तीय प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में कारगर तौर पर मदद की है। इसके अलावा, निवेशक गुरुतर तनाव की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों के बीच जोखिम में कारगर तौर पर अंतर करना जारी रखते हैं। ऋण डेरिवेटिव प्रक्रिया के जरिए दी गई जानकारी पर्यवेक्षण और बाजार पर निगरानी रखने के लिए बहुत उपयोगी होती है।

तथापि, ऋण डेरिवेटिव अपनी तरह की जोखिम प्रबंधन संबंधी चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। ऋण डेरिवेटिव ऋण जोखिम को ऐसे जटिल तरीके से रूपांतरित कर सकते हैं जिसे समझना आसान नहीं होगा। जटिल ऋण डेरिवेटिव जटिल मॉडल पर निर्भर होते हैं, जिससे मॉडल जोखिम उत्पन्न हो जाती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां निवेशकों के लिए इस जटिलता की व्याख्या करती हैं परंतु उनकी रेटिंग को गलत रूप में समझा जा सकता है जिससे रेटिंग एजेंसी संबंधी जोखिम उत्पन्न हो जाती है। चूक के अनुसरण में ऋण डेरिवेटिव संविदा के निपटान की अपनी जटिलताएं हो सकती हैं, जिससे निपटान जोखिम उत्पन्न हो जाती है। तथापि, उक्त जोखिम के अलावा ऋण डेरिवेटिव खंड में ऋण जोखिम प्रमुख जोखिम बनी रहती है। ऋण डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग से उधारकर्ता-उधारदाता के अंतर्निहित संबंध प्रतिरूपी तौर पर बदल गए हैं तथा इससे उधारदाताओं के बीच नए संबंध स्थापित हो जाते हैं तथा वे रिस्क शेडर तथा नए रिस्क टेकर बन जाते हैं। नए संबंध में,उदाहरण के लिए, असममित जानकारी के कारण बाजार की विफलता की संभावना होती है। हेज फंडों, विशेष तौर पर ऋण-अभिमुख हेज फंडों,की वृद्धि ने बाजार के विकास तथा ऋण जोखिम परिक्षेपण को तीव्र कर दिया है। जहां ऋण डेरिवेटिव बाजार ऋण जोखिम के प्राथमिक अंतरण को अधिकाधिक सुकर बनाते हैं, वहीं द्वितीयक बाजार की चलनिधि कुछ खंडों में अभी भी कम बनी हुई है जिससे बाजार के विघटन की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार, ये बाजार पर्यवेक्षकों तथा नीति निर्माताओं का अधिक ध्यान आकृष्ट करते हैं तथा कुछ पर्यवेक्षणात्मक चिंताएं उत्पन्न कर देते हैं।

2007 के सब-प्राइम संकट में ऋण डेरिवेटिवों की भूमिका उल्लेखनीय है। लंबे समय तक कम ब्याज दरों के साथ समष्टि आर्थिक वातावरण, अधिक चलनिधि तथा कम अस्थिरता के कारण वित्तीय संस्थाओं द्वारा जोखिमों का न्यून आकलन किया गया, कई वित्तीय संस्थाओं में ऋण तथा जोखिम प्रबंधन प्रथाएं टूट गईं तथा वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण की खामियां सामने आईं। बैंक, विशेष रूप से अमरीका में, अधिकाधिक मात्रा में 'उत्पन्न कर वितरित करें' मॉडल की ओर उन्मुख हुए जिसके तहत उन्होंने मानकीकृत बंधकों को समूहित कर प्रतिभूतियों के रूप में उनकी बिक्री की। यद्यपि मूल संविभाग की सर्विसिंग से नकदी प्रवाह पाने में उनकी प्राथमिकता की सतर्कतापूर्वक संरचना करके इन समूहित प्रतिभूतियों में से अधिकांश के लिए अनुकूल क्रेडिट रेटिंग प्राप्त किया गया, तथापि इनमें से कई रियलिटी सब-प्राइम प्रतिभूतियां थीं। अमरीका में मकान की कीमतें गिरने के साथ कई अग्रणी अंतरराष्ट्रीय बैंकों में चूक की घटनाएं शुरू हो गईं। अमरीकी सब-प्राइम बंधक बाजार में देखी गई समस्याएं अन्य प्रकार के उधार यथा लिवरेज्ड ऋण तथा उपभोक्ता ऋण में भी उत्पन्न हो सकती थीं। इसके अलावा, कुछ समस्याएं औद्योगिक देशों तक सीमित नहीं रहेंगी, अपितु वे ऐसी अन्य उभरती अर्थव्यवस्था में भी आ सकती हैं जहां वित्तीय संस्थाएं कमजोर ऋण प्रथाओं के कारण अत्यधिक जोखिम उठाती हैं तथा जहां विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचा अपर्याप्त पाया जाता है।

भारतीय संदर्भ में, यद्यपि डेरिवेटिव लिखतें मुद्रा/विदेशी मुद्रा बाजार में जुलाई 1999 में वायदा दर करार (एफआरए) तथा ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) के रूप में लागू की गईं, ऋण डेरिवेटिव अभी भी शुरू किया जाना है। 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में सुविचारित रूप में भारत में ऋण डेरिवेटिव शुरू करने की घोषणा की गई। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों, विशेष रूप से ऋण बाजारों, में हाल के वित्तीय उथल-पुथल से उत्पन्न कुछ प्रतिकूल गतिविधियों को देखते हुए, तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के स्तर एवं ऋण डेरिवेटिव जैसे जटिल उत्पादों पर विनियामक दिशानिर्देशों के संभावित गैर-अनुपालन पर विचार करते हुए, ऐसा व्यापक रूप से महसूस किया गया कि वर्तमान में भारत में ऋण डेरिवेटिव शुरू किए जाने के लिए उचित समय नहीं है। अतः रिजर्व बैंक ने भारत में ऋण डेरिवेटिव शुरू करने संबंधी अंतिम दिशानिर्देश जारी करना स्थगित किए जाने संबंधी अपने निर्णय की घोषणा 19 जून 2008 को कर दी।

**संदर्भ:**

फिच रेटिंग, 2005. 'ग्लोबल रेटिंग डेरिवेटिव्ज सर्वेः रिस्क डिस्पर्शन ऐक्सिलरेट्स'। *फिच रेटिंग्स स्पेशल रिपोर्ट*, नवंबर।

आइएमएफ, 2006. 'दि इंफ्लुएंस ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्ज एण्ड स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट मार्केट्स ऑन फिनांशियल स्टेबिलिटी'। *ग्लोबल फिनांशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट*।

लांग,डी. 2004. 'क्रेडिट डेरिवेटिव्जः अनलाइजिंग न्यू डेवलपमेंट एण्ड रिस्क्स'। http://www.ppllc.com/OurNews/Articles/2004_07_Garp_CDS.pdf पर उपलब्ध ।

आरबीआइ. 2007. भारत में ऋण डेरिवेटिव्ज लागू करने संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट। मई 16 । http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationsReport/Pdfs/35293.pdf पर उपलब्ध ।

इसकी गणना बैंकों की सकल इक्विटी स्थितियों के आधार पर की जानी है (बॉक्स V.8)।

5.105 शुरुआती तौर पर भारत स्थित बैंकों से अपेक्षित है कि वे मूल संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग कर परिचालनात्मक जोखिमों के लिए अपनी पूंजी अपेक्षाओं की गणना करें। इस दृष्टिकोण के तहत, बैंकों को परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अवश्य रखनी चाहिए जो पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय के निश्चित प्रतिशत (वर्तमान में 15 प्रतिशत) के औसत के समतुल्य होगी। यदि ऋणात्मक सकल आय परिचालनात्मक जोखिम के लिए बैंक के स्तंभ 1 पूंजी प्रभार को विकृत करती है, तो रिज़र्व बैंक स्तंभ 2 के तहत उपयुक्त पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाई पर विचार कर सकता है।

5.106 मूल संकेतक दृष्टिकोण को विनियामक पूंजी ज्ञात करने के लिए (मानकीकृत अथवा वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोणों की तुलना में, अथवा परिचालनात्मक जोखिम की गणना करने के लिए (उन्नत प्रबंधन दृष्टिकोण अर्थात एएमए) व्यापक परिकलन अपेक्षित नहीं होता। यद्यपि रिज़र्व बैंक ने शुरुआती तौर पर सिर्फ मूल संकेतक दृष्टिकोण का अधिदेश दिया, बैंकों ने महसूस किया कि परिचालनात्मक जोखिम के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षा कम करने का एकमात्र तरीका अंततः एएमए की ओर अंतरित होना है। जहां अलग-अलग बैंकों के लिए 'उच्च फ्रिक्वेन्सी तथा कम तीव्रता' वाली घटनाओं के लिए हानि संबंधी आंकड़े एकत्र करना संभव है जो सांख्यिकीय तकनीक लागू करने के लिए पर्याप्त है, ' कम फ्रिक्वेन्सी तथा उच्च तीव्रता' वाली घटनाओं के लिए ऐसा संभव नहीं हो सकता। अतः, बैंकों के बीच हानि संबंधी आंकड़ों की साझेदारी करने की तीव्र जरूरत महसूस की जाती है।

## बॉक्स V.8
## भारत में बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार अपनाना

अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में विवेकपूर्ण विनियमन के तहत परंपरागत तौर पर मुख्यतः ऋण जोखिम की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जहां बैंक और उनके पर्यवेक्षक कई दशकों से अनर्जक ऋणों का सामना कर रहे हैं, वहीं ब्याज दर जोखिम अपेक्षाकृत नई समस्या है। 1980 तथा 1990 के दशक में कई देशों में वित्तीय निरोध में नरमी आई, जिससे शून्य के आस-पास अस्थिरता वाले नियंत्रित ब्याज दर युग की तुलना में इन देशों में ब्याज दरों में कुछ अस्थिरता का अनुभव किया गया। भारत में 1993 के आरंभ से ब्याज दरों पर प्रशासनिक प्रतिबंधों को निरंतर कम किया गया, जिससे ब्याज दरों में अस्थिरता बढ़ गई। कम मुद्रास्फीति, वित्तीय बाज़ारों को खोले जाने तथा घटती हुई अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों के फलस्वरूप 2001-04 के दौरान भारत में ब्याज दरों में उल्लेखनीय गिरावट आई। ब्याज दरों में गिरावट आने से बड़ा निवेश संविभाग रखने वाले बैंकों को ट्रेडिंग संबंधी काफी फायदा हुआ। इस प्रवृत्ति के कारण तथा ऋण संविभाग निपटाने के लिए सुदृढ़ प्रक्रिया बनाने में आने वाली कठिनाइयों के कारण कुछ बैंक आरक्षित निधि अपेक्षाओं से अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियां रखने लगे। तथापि, अक्तूबर 2004 के आरंभ से, जब ब्याज दरें बढ़ने लगीं, इनमें से कुछ बैंकों के सामने अधिक ब्याज दर जोखिम का खतरा पैदा हो गया।

भारतीय बैंकों द्वारा धारित आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों के अपेक्षाकृत अधिक हिस्से से यह चिंता बढ़ गई। मार्च 2001 के अंत में, भारत में बैंकों की सरकारी बांड धारिताएं अमरीका के मात्र 4.6 प्रतिशत, यू.के. के मात्र 0.3 प्रतिशत तथा यूरो क्षेत्र के 6.9 प्रतिशत की तुलना में आस्तियों का 27.2 प्रतिशत थीं (स्थिर आय बाज़ारों पर अध्ययन दल, 2001)। आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अलावा, बैंकों को अपनी जमाराशियों का एक हिस्सा तरल आस्तियों के रूप में रखना पड़ता है, जिसमें अधिकांशतः सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अक्तूबर 1997 से 25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना हुआ है।

जहां आस्ति पक्ष में ऋण और अग्रिम तथा देयता पक्ष में जमाराशियों के बीच अवधि संबंधी बेमेल प्रतिरूपी तौर पर बहुत अधिक नहीं हैं, अधिकांश सरकारी बांड स्थिर ब्याज दर वाले हैं तथा उनकी अवधि प्रतिरूपी ऋण संविभाग की तुलना में अधिक है। इस प्रकार ब्याज दरों के घटबढ़ का बैंक के निवेश संविभाग पर सामान्यतः बड़ा प्रभाव पड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय तौर पर, बैंक नेमी तौर पर ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए ब्याज दर डेरिवेटिवों का उपयोग करते हैं। भारत में हालांकि रिज़र्व बैंक ब्याज दर जोखिमों से बचाव के लिए वायदा दर करारों तथा ब्याज दर स्वैपों के उपयोग की अनुमति बैंकों को देता है, पर ये बाजार बहुत तरल नहीं हैं।

इस प्रकार ब्याज दर जोखिम भारत स्थित बैंकों के लिए तथा रिज़र्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। भारत में बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार निर्धारित करने के प्रति आरंभिक उपाय के रूप में बैंकों को सूचित किया गया कि वे : (i) समग्र निवेश संविभाग को 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार दें; (ii) विदेशी मुद्रा तथा सोने पर खुली स्थिति की सीमाओं पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार दें; तथा (iii) निवेश संविभाग में एचएफटी तथा एएफएस श्रेणियों के तहत आनेवाले निवेशों के न्यूनतम 5 प्रतिशत तक निवेश घटबढ़ रिज़र्व रखें। मौद्रिक तथा ऋण नीति वक्तव्य में अप्रैल 2002 में यह घोषणा की गई कि बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार पर बीसीबीएस मानदंड अपनाना बैंकों के लिए उपयुक्त होगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने परामर्शी प्रक्रिया के जरिए जून 2004 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किया, जिसमें बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे दो साल की अवधि में चरणबद्ध रूप में बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार रखें। बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे एचएफटी श्रेणी में शामिल प्रतिभूतियों, खुली स्वर्ण स्थिति सीमा, खुली विदेशी मुद्रा स्थिति सीमा, डेरिवेटिवों में ट्रेडिंग की स्थितियों तथा 31 मार्च 2005 तक ट्रेडिंग बही एक्सपोजरों से बचाव के लिए निष्पादित डेरिवेटिवों पर बाजार जोखिमों के लिए पूंजी रखें। उक्त के अलावा, बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे 31 मार्च 2006 तक एएफएस श्रेणी में शामिल प्रतिभूतियों पर बाजार जोखिम के लिए पूंजी रखें।

सुझावों में ब्रिटिश बैंकर्स असोसिएशन द्वारा स्थापित ग्लोबल ऑपरेशनल लॉस डेटाबेस (जीओएलडी) की तरह भारतीय बैंक संघ (आइबीए) द्वारा आंकड़ा बाजार की स्थापना करना शामिल है।

5.107 बैंकिंग प्रणाली में प्रौद्योगिकी की लीवरेजिंग में हुई वृद्धि की पृष्ठभूमि में, कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। 15 अप्रैल 2005 को रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश दिया कि वे बीसीपी के बारे में नीति निर्धारित करें (बॉक्स V.9)। हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा प्रदान किए जानेवाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे बीसीपी की रणनीति के रूप में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उन्मुख क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए वैकल्पिक शाखाओं का पता लगाएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे सिर्फ दुर्घटना सुधार (डीआर) व्यवस्थाओं के बजाए संपूर्ण रूप से व्यापक बीसीपी तैयार करें।

*स्तंभ 2*

5.108 26 मार्च 2008 को रिज़र्व बैंक द्वारा स्तंभ 2 के बारे में जारी किए गए दिशानिर्देशों में आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आइसीएएपी) तथा पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) की पहचान स्तंभ 2 के दो महत्वपूर्ण घटकों के रूप में की गई। आइसीएएपी में बैंक की वे प्रक्रियाएं और उपाय शामिल हैं जिनसे निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाता है (क) जोखिमों की उपयुक्त पहचान और माप; (ख) बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी का उपयुक्त स्तर; तथा (ग) बैंक में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करना तथा उनका और विकास करना। रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई एसआरईपी में बैंक की आइसीएएपी की समीक्षा और मूल्यांकन, बैंक के जोखिम प्रोफाइल का स्वतंत्र मूल्यांकन करना और उपयुक्त विवेकपूर्ण तथा पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाई करना शामिल हैं।

5.109 एसआरईपी के तहत, रिज़र्व बैंक एक व्यापक मूल्यांकन के जरिए बैंक की समग्र पूंजी पर्याप्तता का आकलन करेगा जिसमें विनियामक न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं का अनुपालन, बैंक की आइसीएएपी की गुणवत्ता और परिणाम तथा बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रणालियों के पर्यवेक्षणात्मक मूल्यांकन जैसी सभी सुसंगत जानकारी को हिसाब में लिया जाएगा। रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा हर साल प्रस्तुत आइसीएएपी दस्तावेज के साथ रिज़र्व बैंक को बैंकों से प्राप्त परोक्ष विवरणियों और बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण

**बॉक्स V.9**
**परिचालनात्मक जोखिम तथा कारोबार निरंतरता योजना**

कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) परिचालनात्मक जोखिम - कारोबारी विघटन तथा व्यवस्थागत विफलता - के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने की एक प्रमुख पूर्वापेक्षा है। यह आवश्यक है कि सभी बैंकों के पास बीसीपी हो ताकि वे गंभीर कारोबारी विघटनों से निपटने के लिए तैयार हों। बीसीपी एक पूर्ण प्रबंधन तथा शासन प्रक्रिया है जो वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समर्थित होता है तथा संभावित हानियों के प्रभाव की पहचान करने, अर्थक्षमता सुधार रणनीति तथा योजनाएं तैयार रखने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित करने और अभ्यास, रिहर्सल, परीक्षण, प्रशिक्षण, रखरखाव और आश्वासन के जरिए उत्पादों / सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनपूर्ण होता है।

'डिजास्टर रिकवरी' शब्द का सामान्यत: प्रयोग प्रौद्योगिकी सुधार के प्रयास के लिए किया जाता है। डिजास्टर रिकवरी कारोबार निरंतरता प्रबंधन कार्यक्रम का एक घटक है। प्रौद्योगिकी बहाल करने के अलावा, कारोबार निरंतरता महत्वपूर्ण कार्य करनेवाले लोगों की उपस्थिति तथा महत्वपूर्ण मूलभूत संरचना और प्रक्रियों की बहाली की अपेक्षा भी करती है, ताकि सेवा का न्यूनतम आश्वासित स्तर सुनिश्चित किया जा सके।

एक कारगर बीसीपी को उन व्यापक डिजास्टरों की संभावना को हिसाब में लेना चाहिए जिनसे पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है तथा फलस्वरूप होनेवाली हानि अथवा स्टाफ अनभिगम्यता को भी हिसाब में लेना चाहिए । बीसीपी प्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ महत्वपूर्ण कारोबार, समर्थक कार्यों के साथ स्वयं के तथा साझेदारी वाले संसाधन (बीसीपी टेम्पलेट में आइटी निरंतरता योजना टेम्पलेट शामिल होगा) की पहचान; व्यापक कारोबार प्रभाव विश्लेषण पर आधारित संरचनागत जोखिम आकलन; कारोबार प्रभाव विश्लेषण पर आधारित सुधार समय उद्देश्य (आरटीओ) शामिल होते हैं। इसे समय-समय पर उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति बेंचमार्क करके; डिजास्टर के रूप में महत्वपूर्ण एवं सख्त मान्यताओं द्वारा ताकि सर्वाधिक तनावपूर्ण स्थितियों का समाधान करने के लिए उक्त ढांचा परिपूर्ण हो; और आंकड़ा संबंधी हानि से निपटने के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रणाली तथा रणनीति हेतु आंकड़ा हानि के लिए सुधार बिंदु उद्देश्य (आरपीओ) की पहचान द्वारा फाइन-ट्यून भी किया जाए। बीसीपी में वित्तीय प्रणाली के प्रतिभागियों तथा मूलभूत संरचना सेवा प्रदान करनेवालों के बीच बाजार आधारित और भौगोलिक दोनों अंतर-निर्भरताओं पर विचार तथा उनका समाधान भी किया जाना चाहिए। अधिकांश मामलों में, सुधार समय उद्देश्य अब कुछ साल पहले की तुलना में काफी कम हो गया है।

बीसीपी के बारे में जिम्मेदारी निदेशक बोर्ड तथा सर्वोच्च प्रबंधन की है। बोर्ड बीसीपी के बारे में नीति का अनुमोदन कर, महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों में प्राथमिकता निर्धारित कर, पर्याप्त संसाधन आबंटित कर, बीसीपी परीक्षण परिणामों की समीक्षा कर तथा बीसीपी का रखरखाव और आवधिक अद्यतनीकरण सुनिश्चित कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। महत्वपूर्ण परिचालनों को आउटसोर्स किये जाने पर सर्वोच्च प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संस्था के कारोबार सुधार, आकस्मिकता योजनाओं और परीक्षण परिणामों की पर्याप्तता की वार्षिक समीक्षा करे तथा उसे बोर्ड के समक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा किये गये आवधिक परीक्षण सहित प्रस्तुत करे।

(एएफआइ) सहित रिज़र्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से बैंकों के लिए एसआरईपी किया जाना अपेक्षित है। एसआरईपी के जरिए, रिज़र्व बैंक बैंकों के आइसीएएपी की पर्याप्तता और दक्षता तथा उनसे प्राप्त पूरी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करेगा। आवधिक समीक्षा के अलावा तदर्थ समीक्षाएं करने तथा किसी बैंक की आइसीएएपी की प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं पर अभिमत देने के लिए जरूरत पड़ने पर रिज़र्व बैंक स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ भी नियुक्त कर सकता है। जरूरत समझे जाने पर, एसआरईपी में समय-समय पर बैंक के सर्वोच्च प्रबंधन तथा रिज़र्व बैंक के बीच वार्ता भी शामिल हो सकती है जिसमें बैंकों से यह आशा की जाएगी कि वे उनके द्वारा अपनायी गई आइसीएएपी का बचाव उनके आकार, जटिलता के स्तर, परिचालनों की व्याप्ति और मात्रा तथा परिणामी जोखिम प्रोफाइल/एक्सपोजर के प्रति पूर्णतः जवाबदेह प्रक्रिया के रूप में करें। आम तौर पर बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों को हिसाब में लेते हुए अपने न्यूनतम विनियामक पूंजी स्तरों से अधिक पूंजी रखें। एसआरईपी के तहत, रिज़र्व बैंक इस बात का भी निर्णय करेगा कि क्या बैंक की समग्र पूंजी अंतर्निहित स्थितियां बदलने पर पर्याप्त बनी रहती है।

5.110 रिज़र्व बैंक द्वारा आइसीएएपी की कारगरता का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से पूंजी प्रबंधन प्रक्रिया तथा बैंकों द्वारा अपनायी गयी रणनीतियों की समझ पर आधारित होगा। आम तौर पर, अन्यथा उपशमित न की जानेवाली जोखिमों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ पूंजी में तदनुरूप वृद्धि होनी चाहिए। विलोमतः समग्र पूंजी में कमी (विनियामक न्यूनतम स्तर के ऊपर के स्तर तक) उपयुक्त होगी, यदि जोखिमों में महत्वपूर्ण कमी आई हो अथवा उपयुक्त तौर पर उनका उपशमन किया गया हो। ऐसे आकलन के आधार पर, रिज़र्व बैंक उपयुक्त पर्यवेक्षणात्मक उपाय शुरू करने पर विचार कर सकता है यथा किसी बैंक के जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में आशोधन अथवा वृद्धि की अपेक्षा करना, जोखिमपूर्ण एक्सपोजरों में कमी करना अथवा पहचान की गई पर्यवेक्षणात्मक चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक समझी गई अन्य कोई कार्रवाई। इन उपायों में बैंक-विशिष्ट न्यूनतम सीआरएआर का निर्धारण शामिल है जो स्तंभ 1 के तहत विनिर्दिष्ट विनियामक न्यूनतम स्तर की तुलना में संभाव्य रूप से उच्चतर भी हो सकता है यदि तथ्य और परिस्थितियां ऐसी मांग करें। जिन मामलों में रिज़र्व बैंक विनियामक न्यूनतम स्तर की तुलना में उच्चतर सीआरएआर विनिर्दिष्ट करने का निर्णय लेता है, यह संबंधित बैंकों को ऐसा करने के पीछे मौजूद तर्क की जानकारी देगा। जिस प्रकार और जब भारत में बासेल II प्रलेख में परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी जाएगी, एसआरईपी में उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंकों द्वारा पात्रता मानदंडों के निरंतर अनुपालन का मूल्यांकन भी किया जाएगा।

5.111 बासेल II फ्रेमवर्क सभी वाणिज्य बैंकों पर (स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) एकल स्तर (सार्वभौमिक स्थिति) तथा समेकित स्तर दोनों पर लागू है। तदनुसार, बैंकिंग समूह के भीतर प्रत्येक बैंकिंग संस्था के लिए हर स्तर पर एकल आधार पर तथा समेकित बैंक (अर्थात संस्थाओं का एक ऐसा समूह जहां लाइसेंस प्राप्त बैंक नियंत्रक संस्था होता है) के स्तर पर आइसीएएपी तैयार करना अपेक्षित है। यह अपेक्षा भारत स्थित विदेशी बैंकों पर भी लागू होगी तथा उनके आइसीएएपी में उनके भारतीय परिचालनों को ही शामिल करना अपेक्षित होगा। आइसीएएपी की अभिकल्पना और कार्यान्वयन की अंतिम जिम्मेदारी बैंक के निदेशक मंडल की होती है, तथा भारत में शाखा रखने वाले विदेशी बैंकों के मामले में यह जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी की होती है। चूंकि आइसीएएपी एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है, यह एक लिखित रिकार्ड है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पहचान की गई जोखिमें, उन जोखिमों पर निगरानी रखने तथा उनके प्रबंधन का तरीका, बैंक के बदलते हुए जोखिम प्रोफाइल का बैंक की पूंजी की स्थिति पर असर, किए गए तनाव परीक्षणों/परिदृश्य विश्लेषण के ब्यौरे तथा आइसीएएपी के परिणाम पर परिणामी पूंजी अपेक्षाएं बैंकों द्वारा आवधिक रूप से अपने निदेशक मंडल को प्रस्तुत करना शामिल होता है, जो इस बात का आकलन और प्रलेखन करेगा कि क्या बैंक द्वारा लागू की गई आइसीएएपी संबंधी प्रक्रिया से बोर्ड द्वारा परिकल्पित उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त होंगे।

5.112 स्तंभ 2 के दिशानिर्देशानुसार, आइसीएएपी को प्रबंधन का तथा बैंक के निर्णय लेने की संस्कृति का अभिन्न अंग होना चाहिए। यह समन्वयन आइसीएएपी का उपयोग विभिन्न कारोबारी इकाइयों में पूंजी के आंतरिक आबंटन से लेकर अलग-अलग ऋण निर्णय प्रक्रिया तथा उत्पादों के मूल्य अथवा विस्तार योजनाओं और बजट जैसे अधिक सामान्य कारोबारी निर्णयों में भूमिका निभाने तक हो सकता है। आइसीएएपी का कार्यान्वयन आनुपातिकता के सिद्धांत द्वारा दिशानिर्दिष्ट होना अपेक्षित है, जिसका निहितार्थ यह है कि यद्यपि बैंकों को उनकी आइसीएएपी की अभिकल्पना करने में परिष्कृत दृष्टिकोणों की ओर अंतरित होने और क्रमिक रूप से उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, रिज़र्व बैंक की ऐसी अपेक्षा है कि जोखिम की माप और प्रबंधन के संबंध में आइसीएएपी में अपनाए गए परिष्करण की मात्रा बैंक के व्यावसायिक परिचालनों के स्वरूप, व्याप्ति, पैमाने और उसकी जटिलता की मात्रा के अनुरूप होनी चाहिए।

*स्तंभ 3*

5.113 बाजार अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने कुछ वर्षों में प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का एक सेट विकसित किया है जो बाजार के प्रतिभागियों को पूंजी पर्याप्तता, जोखिम

एक्सपोजर, जोखिम निर्धारण प्रक्रिया तथा प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों के बारे में जानकारी के प्रमुख क्षेत्रों का आकलन करने की अनुमति देता है, जो सुसंगत और समझने योग्य प्रकटीकरण ढांचा प्रदान करता है जिससे तुलनीयता में वृद्धि होती है। बैंकों से यह भी अपेक्षा है कि वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) द्वारा जारी लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण संबंधी लेखांकन मानक (एएस I) का अनुपालन करें। बीसीबीएस के स्तंभ 3 प्रकटीकरण ढांचे को ध्यान में रखते हुए, बढ़े हुए प्रकटीकरण का लक्ष्य 'लेखाओं पर टिप्पणी' में किए गए प्रकटीकरण की व्याप्ति को बढ़ाकर प्राप्त कर लिया गया है।

5.114 समेकित बैंकों सहित भारतीय बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे वार्षिक वित्तीय विवरणियों के साथ हर साल मार्च के अंत में स्तंभ 3 संबंधी सभी प्रकटीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, उपलब्ध कराएं। स्तंभ 3 प्रकटीकरण के प्रति पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से, बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्टों तथा संबंधित वेबसाइटों दोनों में अपना वार्षिक प्रकटीकरण कर सकते हैं। 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक पूंजी निधि वाले बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे हर साल सितंबर के अंत में अपने संबंधित वेबसाइटों में एकल आधार पर मात्रात्मक पहलुओं के बारे में अंतरिम प्रकटीकरण करें। गुणात्मक प्रकटीकरण, जिसमें बैंक के जोखिम प्रबंधन संबंधी उद्देशों और नीतियों,रिपोर्टिंग प्रणाली तथा परिभाषाओं का सामान्य सारांश दिया जाता है,वार्षिक आधार पर ही प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। संशोधित घाटे की बढ़ी हुई जोखिम संवेदनशीलता तथा पूंजी बाजारों में बार-बार रिपोर्टिंग संबंधी सामान्य प्रवृत्ति को स्वीकार करते हुए, 500 करोड़ रुपए अथवा अधिक की पूंजी निधियों वाले सभी बैंकों और उनकी उल्लेखनीय सहायक संस्थाओं को उनके संबंधित वेबसाइटों में तिमाही आधार पर अपनी टियर 1 पूंजी, कुल पूंजी, कुल अपेक्षित पूंजी तथा टियर 1 अनुपात और कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात अवश्य दर्शाना चाहिए। स्तंभ 3 के तहत प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षा 31 मार्च 2008 को समाप्त रिपोर्टिंग अवधि से उन बैंकों के लिए लागू की गई जो उस तारीख को बासेल II में अंतरित हो चुके थे।

*भारत में बासेल II के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपाय*

5.115 संशोधित ढांचे के प्रति कारगर अंतरण सुनिश्चित करने तथा उनकी प्रणालियों और रणनीतियों को कारगर बनाने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने बासेल II के सुविचारित और चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए परामर्श की प्रक्रिया अपनायी। इस संबंध में बीसीबीएस के साथ रिज़र्व बैंक के संबंध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। रिज़र्व बैंक 1998 में बीसीबीएस के मूल सिद्धांत संपर्क दल का एक सदस्य बना तथा बाद में पूंजी संबंधी मूल सिद्धांत कार्यकारी दल का सदस्य बना। कार्यकारी दल के भीतर, रिज़र्व बैंक बासेल II संबंधी ढांचे के बारे में होनेवाले विचारविमर्शों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। बीसीबीएस में हुई गतिविधियों के अनुसार,रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग परिचालनों के कई क्षेत्रों को कवर करते हुए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए ताकि बासेल II के कार्यान्वयन के लिए बैंकिंग प्रणाली को तैयार किया जा सके।

5.116 बासेल II के कार्यान्वयन ने यदि अधिक नहीं तो कम से कम बैंकों की तरह बैंकिंग क्षेत्र के विनियामकों/पर्यवेक्षकों के संसाधनों की मांग बढ़ा दी। अधिक विशिष्ट तौर पर, विनियामकों/पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनी है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बासेल II के कार्यान्वयन की दृष्टि से कई उपाय शुरू किए। रिज़र्व बैंक ने बासेल II में स्विचओवर करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के संसाधनों, पूंजी की स्थिति, कंप्यूटरीकरण की स्थिति, प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) की स्थिति तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली के रूप में उनकी तैयारी का आकलन किया। इस प्रकार के आकलन के आधार पर, एक समयबद्ध रूप में विनिर्दिष्ट दृष्टिकोणों (मानकीकृत या उन्नत) में स्विचओवर करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने की योजना बनाई गई। बैंकों को बेहतर कारपोरेट अभिशासन तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाने और उनके जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर रहते हुए न्यूनतम विनियामक पूंजी स्तर से अधिक पूंजी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रिज़र्व बैंक ने भी बैंकिंग उद्योग के साथ निरंतर चर्चा की तथा जोखिम प्रबंधन और पूंजी प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार पर निरंतर आधार पर निगरानी रखी, साथ ही उसने बैंकों को स्टाफ के गुणात्मक और जोखिम प्रबंधन कौशल को सुधारने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक विभागों में तैनात अपने स्टाफ का कौशल भी बढ़ाया ताकि वे बासेल II के तहत अपनी भूमिकाएं कारगर तौर पर निभा सकें। ऐसा उन्नत दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन के संदर्भ में कौशल के विकास संबंधी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया क्योंकि पर्यवेक्षक को पूंजी संबंधी अपेक्षाओं की गणना करने के लिए बैंकों द्वारा प्रयुक्त जोखिम माप मॉडलों का अनुमोदन करना होगा। मानव संसाधन विकास की प्रगति के लिए, रिज़र्व बैंक के स्टाफ को उसकी अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं में तथा विदेश में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन के क्षेत्रों में विदेशी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था भारत में भी की गई है। स्टाफ सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भी नियमित रूप से भेजा जाता है ताकि उन्हें नवीनतम गतिविधियों और मुद्दों की जानकारी हो सके। रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक विभागों से आहरित 20 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है जिसे 'बासेल II- परियोजना टीम' के नाम से जाना जाता है तथा यह टीम बासेल II के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बार-बार बैठकें करती रहती है। टीम का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए बैंकों की तैयारी का मूल्यांकन करने की अपेक्षित क्षमता यथासमय आंतरिक रूप से निर्मित की जाए।

5.117 रिज़र्व बैंक बासेल II के मानदंडों के कार्यान्वयन के संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों की निरंतर समीक्षा करता है। निर्धारित अनुसूची के संदर्भ में, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों तथा भारत के बाहर उपस्थिति वाले भारतीय बैंकों ने मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के दौरान बासेल II मानदंडों का पहले ही कार्यान्वयन कर लिया है। भारत स्थित अन्य सभी बैंक बासेल II के कार्यान्वयन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर, परिचालनात्मक समर्थक प्रणालियों तथा अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं के संदर्भ में संबंधित बैंक मार्च 2009 को समाप्त वर्ष से बासेल II का कार्यान्वयन करने की स्थिति में हैं। कुछ बैंकों ने यथासमय उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है।

5.118 संशोधित ढांचे की ओर कारगर अंतरण सुनिश्चित करने तथा अपनी प्रणालियों और रणनीतियों को कारगर बनाने का अवसर बैंकों को प्रदान करने की दृष्टि से, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 1 अप्रैल 2006 से संशोधित ढांचे को समानान्तर तौर पर चलाएं। समानान्तर तौर पर चलाने के दौरान बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे सतत आधार पर पूंजी पर्याप्तता - बासेल I ढांचे और बासेल II ढांचे दोनों के तहत - संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश लागू करें तथा दोनों परिदृश्यों के तहत सीआरएआर की स्थिति की गणना करें। बैंकों को सूचित किया गया कि वे समानान्तर चलन के विश्लेषण की एक प्रति अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखें तथा उसकी एक प्रतिलिपि रिज़र्व बैंक को प्रेषित करें। साथ ही, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि स्तंभ 1 के तहत उनके द्वारा रखी गई न्यूनतम पूंजी विवेकपूर्ण निचले स्तर के अधीन होगी, जिसका बासेल II ढांचे में न्यूनतम पूंजी अथवा संबंधित बैंकों द्वारा संशोधित बासेल II ढांचा लागू करने के पहले तीन वर्षों के दौरान बासेल I ढांचे में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात में से उच्चतर होना अपेक्षित है (बॉक्स V.10)।

5.119 बासेल II ढांचे में राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के सामने कई क्षेत्रों में विवेक का प्रस्ताव है ताकि वे अपनी बैंकिंग प्रणालियों के अनुकूल ढांचा अपना सकें। भारत में, राष्ट्रीय विवेक की मदों के बारे में निर्णय लेते समय एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया गया है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाया गया राष्ट्रीय विवेक अधिक रूढ़िवादी स्वरूप का है। पहला, राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त एक्सपोजरों पर 20 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार लगता है, यद्यपि बासेल ढांचे में शून्य प्रतिशत जोखिम भार की अनुमति दी गई है। दूसरा, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रति एक्सपोजरों को कारपोरेट एक्सपोजरों के समतुल्य माना जाता है, यद्यपि ढांचे में उन्हें बैंक अथवा सरकारी एक्सपोजरों के समतुल्य माने जाने की अनुमति है। तीसरा, रिज़र्व बैंक को 9 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर वाले सभी बैंकों के एक्सपोजरों के लिए 20 प्रतिशत का जोखिम भार लगाने का विवेकाधिकार है। तथापि, यह रियायती जोखिम भार सिर्फ अनुसूचित बैंकों के प्रति एक्सपोजरों पर लागू किया जाता है; गैर अनुसूचित बैंकों के प्रति एक्सपोजरों पर अलग से विचार किया जाता है तथा सीआरएआर 9 प्रतिशत या अधिक होने पर उन पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाता है। चौथा, यद्यपि बासेल II ढांचे में रिहाइशी बंधकों के लिए 35 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत ऋणों के लिए 75 प्रतिशत (खुदरा के अंग के रूप में) के न्यूनतर जोखिम भार की अनुमति है, तथापि भारतीय मामले में रिहाइशी बंधकों के लिए 75 प्रतिशत तथा

**बॉक्स V.10**
**नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे की ओर अंतरण: समानांतर चलने वाली प्रक्रिया**

समानांतर प्रक्रिया में कई उपाय शामिल हैं। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे निरंतर आधार पर पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - चालू दिशानिर्देश तथा संशोधित ढांचे पर दिशानिर्देश दोनों - लागू करें तथा दोनों दिशानिर्देशों के तहत अपने सीआरएआर की गणना करें। दोनों दिशानिर्देशों के तहत बैंक के सीआरएआर का विश्लेषण तिमाही अंतराल पर बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए। उक्त विश्लेषण बोर्ड को सूचित करते समय, बैंकों को संशोधित ढांचे के तहत सुसंगत अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में व्यापक आकलन भी प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें न्यूनतम निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ऋण जोखिम उपशमन तकनीकों के उपयोग के बारे में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तथा संपार्श्विक प्रबंधन; (ii) प्रकटीकरण पर व्यापक अनुमोदित नीति; (iii) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आइसीएएपी) के अनुसार पूंजी अपेक्षा सहित आइसीएएपी के बारे में व्यापक अनुमोदित नीति; (iv) नई पूंजी पर्याप्तता ढांचा, अंतर, यदि कोई हो, को पाटने के लिए किए गए पहल तथा इस संबंध में हुई प्रगति के तहत अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बैंक की प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) की पर्याप्तता; (v) संशोधित ढांचे के तहत बैंक के सीआरएआर पर विभिन्न तत्वों/संविभागों का प्रभाव; (vi) नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार परिगणित सीआरएआर की स्थिति के वैधीकरण के लिए तैयार की गई प्रक्रिया तथा इन वैधीकरण अभ्यासों के आकलन/निष्कर्ष/उसकी सिफारिशें; तथा (vii) उक्त पहलुओं पर अतीत में बोर्ड द्वारा दी गई सलाह/दिशानिर्देश/निदेश के संबंध में की गई कार्रवाई। बोर्ड को प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट की एक प्रति रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समानान्तर प्रक्रिया से वर्तमान एमआइएस तथा पूरा किए जानेवाले अन्य सुसंगत क्षेत्रों के बीच अंतर की पहचान करने में बैंकों को मदद मिली है ताकि 31 मार्च 2008 से बासेल II ढांचे में कारगर संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके। समानान्तर प्रक्रिया में मुख्यत: परिचालनात्मक जोखिम के कारण लगाए जानेवाले अतिरिक्त पूंजी प्रभार की वजह से अधिकांश बैंकों के सीआरएआर में गिरावट आई है। कुछ बैंकों ने ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार में गिरावट भी दर्शायी। तथापि, कुल मिलाकर यह गिरावट प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर थी तथा संबंधित बैंकों द्वारा बासेल II में कारगर अंतरण में कोई समस्या आने की संभावना नहीं है।

व्यक्तिगत ऋणों के लिए 125 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार दिया जाता है। यह रिज़र्व बैंक के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है क्योंकि अंतर्निहित जोखिम के वास्तविक स्तर की पूरी जानकारी नहीं होती है।

5.120 बासेल II ढांचे के तहत, ऋण जोखिम के लिए आइआरबी दृष्टिकोण अथवा परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए) अपनानेवाले बैंकों के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में बैंकों के लिए पूंजी के निचले स्तरों की संकल्पना का प्रावधान किया गया है। पूंजी का निचला स्तर 1988 के समझौते को लागू करने पर आधारित है, तथा इसे समायोजन कारक लागू करके ज्ञात किया जाता है। 2006 के वर्षांत से आरंभ होनेवाले वर्ष के लिए बुनियादी आइआरबी दृष्टिकोण का उपयोग कर बैंकों के लिए समायोजनकारक 95 प्रतिशत था। 2007 के वर्षांत से शुरू होनेवाले वर्ष के लिए (i) बुनियादी और/अथवा उन्नत आरआरबी दृष्टिकोण, और / अथवा (ii) एएमए का उपयोग करनेवाले बैंकों के लिए समायोजन कारक 90 प्रतिशत था, तथा 2008 के वर्षांत से आरंभ होनेवाले वर्ष के लिए यह 80 प्रतिशत था। बासेल I से बासेल II में अंतरित होनेवाले बैंकों द्वारा उक्त संकल्पना को आशोधित कर उसका उपयोग संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में किया गया है। बासेल II मानदंड लागू करनेवाले बैंकों द्वारा बनाई रखी गई न्यूनतम पूंजी विवेकपूर्ण निचले स्तर के अधीन है इसकी गणना ऋण और बाजार जोखिमों के लिए बासेल I ढांचे के अनुसार की गई अपेक्षा के संदर्भ में की जाती है। भारत में संशोधित ढांचे को लागू करने के पहले तीन वर्षों के लिए मार्च के अंत की स्थिति के लिए निचला स्तर 100 प्रतिशत, 90 प्रतिशत और 80 प्रतिशत पर निश्चित किया गया है। बैंकों में बासेल II के कार्यान्वयन की गुणवत्ता और निष्ठा के आधार पर पूंजीगत निचले स्तरों की पर्याप्तता और आवश्यकता की आवधिक समीक्षा की जाएगी। यदि पर्यवेक्षणात्मक आकलन में बैंकों द्वारा अनुपालन का संतोषजनक स्तर और गुणवत्ता दिखाई दे, तो पूंजीगत निचले स्तर से उक्त अवधि के पहले भी छूट दी जा सकती है।

5.121 भारतीय संदर्भ में 31 मार्च 2010 तक निर्धारित टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 6 प्रतिशत है, जिसकी सिफारिश पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता समिति द्वारा भी की गई थी। 2007 के मार्चांत में टियर I की पूंजी की वास्तविक धारिता भी 6 प्रतिशत से अधिक थी, सिर्फ तीन बैंकों को छोड़कर जिनमें से एक सरकारी क्षेत्र का बैंक तथा दो निजी क्षेत्र के पुराने छोटे बैंक थे।

5.122 भारतीय बैंकों के लिए टियर 1 पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं- (i) प्रदत्त इक्विटी पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधि तथा अन्य प्रकटीकृत मुक्त आरक्षित निधि, यदि कोई हो; (ii) आस्तियों के बिक्री आगम से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करनेवाली पूंजी आरक्षित निधियां; (iii) टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखतें जो यथाविनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं; तथा (iv) टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा सामान्य रूप से अधिसूचित किसी अन्य प्रकार की लिखत। टियर 2 पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं (i) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां; (ii) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियां ; (iii) संकर ऋण पूंजी लिखतें; तथा (iv) गौण ऋण। टियर 2 पूंजी के अन्य घटकों के साथ ऊपरी टियर 2 लिखतें टियर 1 पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। न्यूनतर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण लिखतें सभी कटौतियों के बाद टियर1 पूंजी के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होती हैं। रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2006 को बैंकों को इस बात की अनुमति प्रदान की कि वे नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखतें (नवोन्मेषी लिखतें), ऋण पूंजी लिखतें, शाश्वत असंचयी अधिमान शेयर तथा मोचनीय संचयी अधिमान शेयर जारी करके पूंजी निधियां जुटा सकते हैं (बॉक्स V.11)। तथापि, बाजार जोखिमों के प्रति बैंकों के एक्सपोजर के एक अंश को पूरा करने के लिए टियर 3 पूंजी की अनुमति भारत में विनियामक पूंजी के एक तत्व के रूप में नहीं दी गई है।

5.123 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों द्वारा उनकी सांविधिक आरक्षित निधियों का आहरण विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए तथा उससे विनियामक निर्धारणों का उल्लंघन न हो, सितंबर 2006 में बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया कि वे सांविधिक आरक्षित निधि अथवा किसी अन्य आरक्षित निधि से किसी राशि का विनियोग करने के पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें; तथा यह सुनिश्चित करें कि आरक्षित निधियों के इस प्रकार के आहरण को तुलनपत्र की 'लेखा टिप्पणी' में उपयुक्त रूप से प्रकट किया जाए। 18 अप्रैल 2007 को जारी अंतिम दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंकों से अपेक्षित है कि वे 31 मार्च 2007 से सार्वजनिक रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कारोबारी खंडों को अपनाएं; (क) राजकोष, (ख) कारपोरेट/थोक बैंकिंग, (ग) खुदरा बैंकिंग, तथा (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन।

### भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रथाएं

5.124 बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए जोखिम प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे 'जोखिम इंजन' हैं; वे जोखिम लेते हैं, उन्हें रूपांतरित करते हैं तथा उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं में अंतःस्थापित करते हैं। जोखिम आधारित प्रथाएं लागू करने, प्रबंधन के दृष्टिकोण से जोखिम और प्रतिलाभ के बारे में संतुलित राय प्रदान करने, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विकसित करने और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए बैंकों के सामने सशक्त हेतुक हैं। जोखिम प्रबंधन को नियंत्रित करनेवाले व्यापक सिद्धांत वास्तविक और वित्तीय क्षेत्र दोनों में मौजूद संस्थाओं के लिए एक ही प्रकार के हैं। तथापि बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यवर्तियों में जोखिम प्रबंधन का महत्व तीन विशिष्ट कारणों से बढ़ जाता है : (i) वे अधिक लिवरेज प्राप्त होते हैं; (ii) उनके पास सार्वजनिक राशि होती है; तथा (iii) भुगतान प्रणालियां बैंकों के माध्यम से परिचालित होती हैं (मोहन, 2007)।

## बॉक्स V.11
## पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के पूंजी जुटाने के विकल्पों में वृद्धि

बासेल II ढांचे के तहत, भारतीय बैंकों से अपेक्षित है कि वे अधिक पूंजी अपेक्षाएं रखें क्योंकि उन्हें ऋण तथा बाजार जोखिमों के अलावा परिचालनार्थ जोखिम के लिए भी पूंजी रखने की जरूरत होगी। बासेल II में सहज संक्रमण तथा पूंजी निधियां जुटाने के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान किये जाने की दृष्टि से, बैंकों को जनवरी 2006 में इस बात की अनुमति प्रदान की गई कि वे टियर I पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखतें (आइपीडीआइ) तथा ऊपरी टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें (ऊपरी टियर II लिखतें) जारी करके अपनी पूंजी निधियों में वृद्धि करें। आइपीडीआइ के जरिए बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना हेतु देयता नहीं माना जाएगा और इस प्रकार इन पर सीआरआर/एसएलआर की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।

आइपीडीआइ के जरिए बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि कुल टियर I पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तथा पात्र राशि की गणना गुडविल एवं अन्य अगोचर आस्तियों को घटाने के बाद परंतु निवेशों को घटाने के पहले पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को टियर I पूंजी की राशि के संदर्भ में की जानी अपेक्षित है। बैंक कुछ अपेक्षाओं का पालन करने के अधीन रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विदेशी मुद्रा में आइपीडीआइ/ऊपरी टियर II लिखतें जारी करके अपनी पूंजी निधियां बढ़ा सकते हैं। पहला, विदेशी मुद्रा में जारी आइपीडीआइ /ऊपरी टियर II लिखतों को 25 जनवरी 2006 को जारी लिखतों के अनुसार सभी शर्तें पूरी करनी चाहिए। दूसरा, आइपीडीआइ के मामले में पात्र राशि के 49 प्रतिशत से अधिक राशि विदेशी मुद्रा में जारी नहीं की जा सकती। ऊपरी टियर II लिखतों के मामले में, विदेशी मुद्रा में जारी कुल राशि अक्षत टियर I पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इसकी गणना गुडविल एवं अन्य अगोचर आस्तियों को घटाने के बाद परंतु निवेशों को घटाने के पहले पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को टियर I पूंजी की राशि के संदर्भ में की जानी है। विदेशी मुद्रा में इन लिखतों को जारी करके जुटाई गई राशि प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा उधार की वर्तमान सीमा के अतिरिक्त है। तीसरा, भारतीय रुपयों में ऊपरी टियर II लिखतों में एफआइआइ द्वारा किया गया निवेश कंपनी ऋण लिखतों में निवेश की सीमा, अर्थात 3 बिलियन अमरीकी डालर, के बाहर है। तथापि, यह सीमा प्रति पंजीकृत संस्था 200 मिलियन अमरीकी डालर की अधिकतम सीमा के अधीन है।

टियर I तथा ऊपरी टियर II पूंजी जुटाने के लिए भारतीय बैंकों को लिखतों का व्यापक चुनाव प्रदान करने की दृष्टि से, अक्तूबर 2007 में बैंकों को भारतीय रुपयों में अधिमान शेयर जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जो टियर I पूंजी के रूप में शाश्वत असंचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) के निर्गम के वर्तमान विधिक प्रावधानों के अधीन है। शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों (पीसीपीएस) मोचनीय असंचयी अधिमान शेयरों (आरएनसीपीएस) तथा मोचनीय संचयी अधिमान शेयरों (आरसीपीएस) की अनुमति ऊपरी टियर II पूंजी के रूप में दी गई। शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों को इक्विटी के समतुल्य माना जाता है, अतः इन लिखतों पर देय कूपन को लाभांश (लाभ और हानि खाते का विनियोग) माना जाता है। ऊपरी टियर II अधिमान शेयरों को देयता माना जाता है तथा उन पर देय कूपन को ब्याज (लाभ और हानि खाते में प्रभारित) माना जाता है। पीएनसीपीएस के निर्गम द्वारा बैंकों द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना हेतु देयता माना जाता है तथा इस प्रकार इन पर सीआरआर/एसएलआर की अपेक्षाएं लागू नहीं होतीं। ऊपरी टियर II लिखतों के निर्गम के जरिए बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना हेतु देयता माना जाता है तथा इस प्रकार इन पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू होती हैं।

5.125 वैश्विक मामलों की तरह भारत स्थित बैंकों को बेहतर जोखिम प्रबंधन मानकों और प्रथाओं के संवर्धन में बहुत विशेष भूमिका निभानी होती है। ऋण जोखिम का मुख्य आधान होने के कारण, उनकी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता इस बात पर काफी निर्भर होती है कि उनके ऋणकर्ताओं की जोखिम प्रबंधन नीतियां, प्रक्रियाएं तथा क्रियाविधियां कितनी कारगर हैं। उनके ऋणकर्ता ग्राहकों के बीच भी जोखिम वहन करने की अलग-अलग विशेषज्ञता होगी तथा इस प्रकार बैंकों से अपेक्षित है कि वे जोखिम प्रबंधन के बारे में अपने ग्राहकों को व्यावसायिक सलाह दें। इस प्रकार, जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए बैंकों के सामने अच्छे व्यावसायिक कारण हैं। तथापि यह तभी संभव होगा जब बैंक स्वयं अपनी जोखिमों के अच्छे प्रबंधक हों (मोहन, 2007)। इस संदर्भ में तीव्रतर ऋण सुपुर्दगी को सुकर बनाने के अलावा ऋण संबंधी निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने में दक्ष ऋण सूचना प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ता ऋणकर्ताओं के संबंध में जानकारी के प्रकटीकरण की योजना लागू की गई तथा ऋण मामलों संबंधी जानकारी की साझेदारी को सुकर बनाने के लिए ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (सिबिल) की स्थापना 2000 में की गई। 2005 के ऋण सूचना अधिनियम के बाद भारत में कुछ और ऋण सूचना कंपनियों की स्थापना की प्रक्रिया को सुकर बनाया गया है।

5.126 1992 में वित्तीय क्षेत्र सुधार लागू करने के बाद जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1999 में रिज़र्व बैंक द्वारा आस्ति-देयता प्रबंधन के बारे में तथा ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के बारे में विनियामक दिशानिर्देश और दिशानिर्देश टिप्पण जारी करने के बाद उक्त प्रक्रिया में गति आई। संशोधित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देश लागू करने की घोषणा से जोखिम प्रबंधन संबंधी मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया गया। तथापि, अधिकांश

भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन अभी भी कारोबारी मुद्दे के बजाए अनुपालन संबंधी मुद्दा है।

5.127 जोखिम प्रबंधन प्रणाली में, जहां विनियामक का प्रमुख उद्देश्य प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करना है, वहीं बैंक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को अपना जोखिम-प्रतिफल समीकरण सुधारने के साधन के रूप में देखते हैं। भारतीय बैंक परिस्कृत सांख्यिकीय जोखिम मूल्यांकन प्रणाली पर निर्भर रहने के बजाय समष्टि स्तर पर जोखिम का प्रबंधन कर अपनी लाभप्रदता को बनाए रख सके हैं। कुछ निजी क्षेत्र के तथा विदेशी बैंकों को छोड़कर, जोखिम प्रबंधन को जोखिम-प्रतिफल के बीच ट्रेड-ऑफ के रूप में उपलब्ध व्यावसायिक अवसर के रूप में नहीं देखा गया। अधिकांश भारतीय बैंकों ने बासेल II मानकों के अनुपालन संबंधी विनियामक दबाव लागू किए जाने के बाद ही जोखिम प्रबंधन के प्रति विन्यस्त दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया। बैंकों ने क्रमिक रूप से जोखिम प्रबंधन के प्रति ऐसी मात्रात्मक तकनीकों और दृष्टिकोणों का उपयोग शुरू किया है, जो आंकड़ा-केंद्रित हैं जिनके लिए पीडी, एलजीडी तथा ईएडी का पूर्वानुमान लगाने हेतु विभिन्न मॉडलों के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक आंकड़ों की ज़रूरत होती है तथा ऐसे विश्लेषणात्मक साफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है जो इन मॉडलों को स्ट्रेस-टेस्ट और बैक-टेस्ट कर सके। मात्रात्मक तकनीकों और दृष्टिकोणों का उपयोग शुरू करने वाले बैंकों के लिए यह प्रासंगिक होगा कि उनके जोखिम प्रबंधकों को नियोजित किए जाने वाले जोखिम माप तकनीकों और मॉडलों की क्षमताओं और सीमाओं की स्पष्ट समझ हो।

5.128 अपेक्षित आंकड़ों की अनुपलब्धता जोखिम प्रबंधन[6] के मात्रात्मक दृष्टिकोण लागू करने में एक प्रमुख मसला है। अधिकांश भारतीय बैंकों को जिन तीन प्रमुख मसलों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वे इस प्रकार हैं: (i) सभी कार्यकलाप स्वचालित नहीं हैं; (ii) साफ्टवेयर संबंधी समाधान भारतीय बाजार के अनुरूप नहीं हैं; तथा (iii) बचाव/ अंतरण प्रक्रियाओं की कमी। इन अवरोधों के बावजूद, देशी बैंक पृथक साइलो प्रणाली से उद्यमव्यापी समन्वित जोखिम प्रबंधन ढांचे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां संगठनात्मक ढांचा लगभग सभी बैंकों पर लागू है, वहीं अधिकांश बैंकों में जोखिम प्रबंधन को बैंक के बीच व्यवसाय एवं रणनीतिक प्रक्रियाओं के साथ समन्वित करने की प्रक्रिया अभी भी शैशवावस्था में है। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंक परामर्शी मार्ग अपना रहे हैं।

5.129 जहां संस्थाओं के बीच जोखिम समन्वय पहली प्रमुख उपलब्धि होगी, वहीं दूसरे कदम के लिए विशिष्ट जोखिम क्षेत्र तथा जोखिमों के बीच दोनों स्तरों पर समूह के बीच जोखिम समन्वयन अपेक्षित होगा। अतः बैंकों को इस प्रयास के प्रति काफी संसाधनों का आवंटन करना होगा। भारत में, पर्यवेक्षण के प्रति जोखिम-आधारित दृष्टिकोण भी समन्वित जोखिम-प्रबंधन प्रणालियों के प्रति बैंकों के अंतरण के प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। अनुपालन जोखिम तथा प्रतिष्ठात्मक जोखिम के प्रबंधन की काफी आवश्यकता भी समन्वित जोखिम-प्रबंधन अथवा उद्यमव्यापी जोखिम-प्रबंधन ढांचे के प्रमुख पहलू हैं (बॉक्स V.12)।

**बॉक्स V.12**
**उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन**

वित्तीय संस्थाओं के लिए उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) के पांच प्रमुख तत्व हैं - जोखिम अभिशासन की प्रक्रिया और प्रथा निर्धारण, परिचालनात्मक जोखिम, बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और चलनिधि तथा निधीयन। इसके अलावा, आर्थिक पूंजी निर्धारण भी ईआरएम निर्धारण प्रक्रिया का मुख्य घटक है। बाज़ार जोखिम में ट्रेडिंग जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) अथवा ब्याज दर जोखिम दोनों के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का निर्धारण किया जाता है। ऋण जोखिम में किसी फर्म की हामीदारी प्रक्रिया, ऋण जोखिम विश्लेषण तथा संविभाग प्रबंधन प्रथाओं का मूल्यांकन किया जाता है। निधीयन और चलनिधि जोखिम के लिए, निधीयन की संरचना, चलनिधि प्रबंधन तथा तनाव परीक्षण प्रथाओं का निर्धारण किया जाता है। ईआरएम का निर्धारण और उसकी रेटिंग करने संबंधी पद्धति ट्रेडिंग जोखिम प्रबंधन (टीआरएम) निर्धारण पद्धति से सुसंगत होती है। ईआरएम मानदंडों में ये शामिल हैं - एक संस्था की जोखिम संस्कृति, उसकी जोखिम सहने की शक्ति, उद्यम स्तर पर जोखिम का समेकन करने की विधि, व्यावसायिक, विधिक और प्रतिष्ठात्मक जोखिम के बचाव के लिए जोखिम प्रकटीकरण संबंधी उसकी गुणवत्ता और प्रथाएं।

जहां आर्थिक पूंजी मूल्यांकन वर्तमान में ईआरएम निर्धारण प्रक्रिया की व्याप्ति के बाहर है, वहीं कुछ बैंकों ने इन विभिन्न प्रकार की जोखिमों को अधिक सुसंगत रूप में मापने के लिए आर्थिक पूंजी मॉडल विकसित किया है।

किसी फर्म की जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की गुणवत्ता के बारे में कोई राय बनाने में ईआरएम के प्रत्येक पहलू का सापेक्ष्य महत्व प्रत्येक अलग-अलग फर्म के लिए जोखिम की जटिलता, उसके आकार और दायरे पर निर्भर होगा। कारकों के सेट किसी भी तरह परिपूर्ण अथवा स्थिर नहीं होते। संगठनों की ईआरएम प्रथाएं विकसित होने पर, अधिक संभावना इस बात की है कि ईआरएम निर्धारण कारक भी विकसित होंगे।

**संदर्भ:**

स्टैंडर्ड एण्ड पूअर. 2006। ''वित्तीय संस्थाओं की उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का निर्धारण''। http://www2.standardandpoors.com में व्यक्त अभिमत।

[6] 'जोखिम प्रबंधन के वर्तमान परिदृश्य : भारतीय बैंकिंग उद्योग', आइबीए-आइबीएस रिपोर्ट, अप्रैल 2006।

5.130 वैश्विक रूप से, तनाव परीक्षण बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का अंग बनता जा रहा है तथा इसका उपयोग वित्तीय परिवर्तियों में कतिपय असंभव परंतु सत्याभासी घटनाओं या गतिविधियों के प्रति संभाव्य सुभेद्यता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। भारत में जोखिम प्रबंधन के साधन के रूप में 'तनाव परीक्षण' अपनाने की जरूरत पर अप्रैल 2006 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बल दिया गया था तथा उसके बाद सुसंगत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। अधिकांश बैंकों ने अपना तनाव परीक्षण ढांचा पहले ही तैयार कर लिया है। बैंकों की कारोबारी रणनीतियों में भविष्यदर्शी तत्व समाविष्ट करने के लिए एक दक्ष तनाव परीक्षण ढांचा जरूरी है। बैंक न सिर्फ विनियामक अपेक्षा के रूप में तनाव परीक्षण के लिए संपर्क करेंगे अपितु वे इसका उपयोग अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा बासेल II के कार्यान्वयन के अभिन्न अंग के रूप में करेंगे। तनाव परीक्षण के परिणामों को जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कारोबारी रणनीतियों तथा पूंजी आयोजना में उपयुक्त रूप से समन्वित करने की जरूरत है।

5.131 कई भारतीय बैंकों ने अपने शाखा नेटवर्क का पूर्ण कंप्यूटरीकरण किया है तथा उन्होंने अपने राजकोष, विदेशी मुद्रा तथा उधार खंडों को भी समन्वित किया है। इन संस्थाओं के सूचना प्रौद्योगिकी पहल से जोखिम प्रबंधन में उन्हें काफी लाभ मिलता है क्योंकि इससे सही और विश्वसनीय जानकारी का तीव्रतर प्रवाह सुकर होता है। यह प्रधान कार्यालय से शीघ्र निर्णय लेने में भी मदद करता है क्योंकि शाखाएं नेटवर्क का अंग होती हैं तथा लेखों को शाखा के बजाए बैंक से संबंधित माना जाता है।

5.132 भारत के सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने हाल ही में मूल बैंकिंग के जरिए केंद्रीकृत आंकड़ों की ओर अग्रसर होना शुरू किया है। इसकी अनुपूर्ति ऐतिहासिक आंकड़ों तथा विश्लेषणों के निर्माण के लिए डेटा वेयरहाउसिंग/डेटा मार्ट की स्थापना द्वारा की जानी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए रिक्थ (लिगैसी) के ही मसले हैं जो पूरी संस्था में सुसंगति और समन्वय के लिए आइटी प्रणालियों के साथ आंकड़ों को संरेखित और अपग्रेड करने से संबंधित होते हैं। डेटा वेयरहाउसिंग/डेटा मार्ट की स्थापना में काफी खर्च आता है तथा इसका उपयोग कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि करने तथा लागत घटाने के लिए कारगर तौर पर करना होगा। इस प्रकार लागत को कर्मचारियों के प्रशिक्षण के अलावा आइटी संबंधी खर्च - हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर - पर काफी केंद्रित किए जाने की आशा है। विकसित देशों में कई बैंकों द्वारा अपनी कुल लागत का 40 से 80 प्रतिशत तक बासेल II की अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी आइटी प्रणालियों तथा इंटरफेस को अपग्रेड करने पर खर्च किए जाने की आशा है।

5.133 भारतीय बैंकों की शाखाएं प्रौद्योगिकी की विफलता की सूचना तुरंत करती हैं परंतु वे व्यक्ति या प्रक्रियाओं से संबंधित विफलताओं की समान रूप से सूचना नहीं देती हैं। अधिकांश बैंकों ने प्रौद्योगिकी प्रणाली की विफलताओं के संबंध में 'कारोबार निरंतरता योजना' और 'डिजास्टर रिकवरी योजना' को पहले ही शुरू कर दिया है अथवा कम से कम उन्हें अंतिम रूप दे दिया है। कुछ बैंकों ने आइटी प्रणाली के लिए सुरक्षा नीति तैयार की है तथा अन्य बैंक उन्हें तैयार करने के लिए प्रक्रियारत हैं। अधिकांश बैंकों द्वारा सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा भी की जा रही है। अधिकांश बैंकों ने अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के अंग के रूप में इन योजनाओं तथा डिजास्टर रिकवरी साइटों की स्थापना की है। बहुत कम बैंकों ने इन योजनाओं की उपयोगिता तथा हर समय उनकी उपलब्धता का परीक्षण करने के लिए उनका दिखावटी (मॉक) परीक्षण किया हैं (बॉक्स V.13)। सभी बैंक यह सूचित करने में एकमत हैं कि वे प्रौद्योगिकी में निवेश पर किसी मीट्रिक माप वाले प्रतिलाभ का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

*आस्ति-देयता प्रबंधन*

5.134 आस्ति देयता प्रबंधन जोखिम प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। आस्ति देयता प्रबंधन उस प्रक्रिया को अनिवार्यतः संदर्भित करता है जिससे कोई संस्था अपने तुलनपत्र का प्रबंधन करती है ताकि वैकल्पिक ब्याज दर और तरलता परिदृश्य के लिए अनुमति दी जा सके। आस्ति देयता प्रबंधन मॉडल से संस्थाएं जोखिम को माप सकती हैं और उस पर निगरानी रख सकती हैं तथा उनके प्रबंधन के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार कर सकती हैं।

5.135 रिज़र्व बैंक ने तुलनपत्र संबंधी तथा तुलनपत्र बाह्य दोनों मदों को हिसाब में लेते हुए समग्र आस्ति देयता बेमेल से निपटने के लिए 1999 में आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश जारी किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों से परिपक्वता कालखंडों में विभाजित कर उनकी आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता पुनर्मूल्यन बेमेलों की गणना कर उनकी चलनिधि और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन की अपेक्षा की गई। 24 अक्तूबर 2007 को चलनिधि जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया ।

5.136 संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप , संरचनागत चलनिधि के लिए चौदह दिनों के अल्पावधि कालखंड को तीन में विभाजित किया गया है तथा रिपोर्टिंग की बारंबारता मासिक से पाक्षिक कर दी गई है। बैंकों से अब यह अपेक्षित है कि वे 'परंपरागत अंतराल विश्लेषण' के बदले आस्तियों के समूह के 'आशोधित ड्यूरेशन' की ओर अंतरित हों। ड्यूरेशन अंतराल न सिर्फ ट्रेडिंग बही के लिए अपितु बैंकिंग बही के लिए लागू करना भी अपेक्षित है। इक्विटी के आशोधित ड्यूरेशन का परिकलन भी किया जाना है ताकि ब्याज दर आघातों के प्रभाव का आकलन किया जा सके। जहां इन एएलएम समाधानों में से कुछ परिपक्व न होनेवाली आस्तियों और देयताओं के लिए 'ड्यूरेशन अंतराल विश्लेषण' तथा ' व्यवहार विश्लेषण' का समर्थन करते हैं, वहीं कई बैंक तुलनपत्र अनुरूपण, अंतरण मूल्यन, तथा अंतःस्थापित विकल्पों के लिए बेहतर समर्थन हेतु ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज अप्लिकेशन (ओएफएसए) की ओर जा रहे हैं। रिज़र्व बैंक के लिए जारी हाल के दिशानिर्देशों से बैंकों के पुराने एएलएम समाधानों को प्रतिस्थापित करने में गति मिलने की आशा है।

## बॉक्स V.13
## बैंकों की जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में आइटी अनुप्रयोग

आज के बैंकिंग परिचालन में, विशेष रूप से संचार तथा कारोबार प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के बिना, परिष्कृत बाजार उत्पादों के विकास, कारगर समर्थक इंफ्रास्ट्रक्चर, जोखिमों के नियंत्रण के लिए विश्वसनीय तकनीकों के कार्यान्वयन तथा दूरस्थ और विशाखीकृत बाजारों तक पहुंच की बात नहीं सोची जा सकती थी।

बासेल II दिशानिर्देशों में बैंकिंग परिचालनों में प्रौद्योगिकी के लिए इससे भी बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई है। बासेल II दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कई मानकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अपेक्षित है। इस प्रकार के मानदंडों के समेकित आंकड़े परिचालनात्मक हानि की घटनाओं, वित्तीय लिखतों, ऋण हानियों तथा सामान्य लेजर संबंधी आंकड़े हो सकते हैं। जो बैंक एक आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लेते हैं, उनसे अपेक्षित है कि वे अपने आंतरिक मॉडलों में प्रतिगमन परीक्षण करने के लिए डेटाबेस तैयार करें। बासेल II का अनुपालन करनेवाली प्रणाली से यह आशा है कि उससे न सिर्फ सभी सुसंगत गणनाएं पूरी की जा सकेंगी तथा गणनाओं को श्रेणीकृत किया जा सकेगा अपितु इससे स्तंभ 1 की विभिन्न पद्धतियों के बीच परिवर्तन भी संभव होगा ताकि लेखा-परीक्षक, विनियामक तथा आंतरिक उपयोगकर्ता आवश्यकतानुसार इन आंकड़ों की लेखा-परीक्षा, पुनरीक्षा कर सकें तथा उसमें संशोधन कर सकें। इस प्रकार बासेल II दिशानिर्देशों के तहत वैकल्पिक परिदृश्यों के बारे में समय श्रृंखला संबंधी आंकड़ों के दक्षतापूर्वक भंडारण और मूल्यांकन का महत्व बढ़ गया है। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को या तो अपनी आवश्यकता के अनुरूप सॉफ्टवेयर डिजाइन और विकसित करना होगा अथवा उन्हें सॉफ्टवेयर फर्मों द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर उत्पादों में उनकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप कुछ उपयुक्त परिवर्तन करके निवेश करना होगा।

भारत के मामले में, बैंकों में आइटी क्रांति 1980 के दशक के मध्य में शुरू हुई, जब बैंकों ने उनकी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण आरंभ किया। 1990 के दशक के आरंभ तक, अधिकांश बैंकों ने संपूर्ण शाखा स्वचालन (पीबीए) पैकेज आरंभ किया, जो मुख्यतः हार्डवेयर की कीमतों में कटौती तथा उचित कीमतवाले पी.सी.तथा सर्वर की उपलब्धता द्वारा चालित था। जहां तक भारतीय वित्तीय प्रणाली का संबंध है,जून 1999 में वीएसएटी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफीनेट) नामक एक व्यापक क्षेत्र आधारित उपग्रह संचार और स्थलीय लाइन नेटवर्क की स्थापना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की एक उल्लेखनीय घटना थी। इस प्रकार बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के लिए इंफीनेट एक दक्ष दूरसंचार ढांचे का अग्रदूत था। यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क है। हब तथा नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी), हैदराबाद में स्थित हैं, जिसका पूर्ण निधीयन रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया है। उक्त इंफीनेट, जिसमें आरंभ में सिर्फ सरकारी क्षेत्र के बैंक शामिल थे, बाद में अन्य श्रेणी के सदस्यों की भागीदारी के लिए खोल दिया गया।

इसी तरह, तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस), केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली (सीएफएमएस) तथा संरचनागत वित्तीय संदेश समाधान (एसएफएमएस) जैसी परियोजनाएं शुरू किए जाने से भुगतान और निपटान प्रणाली को एक तेज गति मिली। सीएफएमएस के दो घटक हैं - केंद्रीकृत निधि जांच प्रणाली (सीएफईएस) तथा केंद्रीकृत निधि अंतरण प्रणाली (सीएफटीएस)। सीएफटीएस, जो 2005-06 से परिचालनरत सीएफएमएस की निधि अंतरण सुविधा है, निधियों का अंतरण रिज़र्व बैंक के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में अर्थात अधिशेष केंद्र से घाटे वाले केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर करके रिज़र्व बैंक के पास उनके चालू खाता शेष के बेहतर प्रबंधन में बैंकों की मदद करता है। वर्तमान में रिज़र्व बैंक के 9 कार्यालयों (मुंबई, दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, बंगलूर, हैदराबाद तथा चंडीगढ़) को उक्त प्रणाली के तहत लाया गया है।

2004-05 से कार्यरत तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली से कुछ मूल्य के लेनदेनों का त्वरित अंतरण सुकर होता है । व्याप्ति तथा लेनदेनों के मूल्य दोनों रूपों में आरटीजीएस प्रणाली का महत्व बढ़ गया है। मार्च 2008 के अंत में, 43,512 बैंक शाखाओं को आरटीजीएस से जोड़ दिया गया था, तथा आरटीजी लेनदेनों का कुल मूल्य 2007-08 के दौरान 48 प्रतिशत बढ़ गया।

इसके अलावा, लगभग सभी भारतीय बैंकों ने बड़े पैमाने पर कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) अपनाया है। सीबीएस से बैंकों के ग्राहक विशेष शाखा से जुड़े रहने के बजाए बैंक की किसी भी शाखा से अपने लेनदेन कर सकेंगे, तथा इस प्रकार बैंकों द्वारा विभिन्न ग्राहक सेवाओं की बेहतर सुपुर्दगी की जा सकेगी। मार्च 2007 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 45 प्रतिशत शाखाओं को सीबीएस के प्रयोग द्वारा परस्पर संबद्ध किया गया। इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें हाल की अवधि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, एक ऐसा अन्य क्षेत्र है जिसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

2007 में मैक्किंसे एण्ड कंपनी द्वारा कराए गए 'आइटी बेंचमार्किंग सर्वेक्षण' कराया गया, जिसमें देखा गया कि सर्वोच्च भारतीय बैंकों की आइटी प्रभावशीलता अंतरराष्ट्रीय तौर पर सर्वोत्तम बैंकों से तुलना किए जाने लायक थी। वर्तमान में भारतीय बैंक प्रौद्योगिकी के तौर पर कुछ सर्वाधिक उन्नत बैंक हैं जिनकी शाखाओं का व्यापक नेटवर्क सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली द्वारा शक्तिसंपन्न है। भारत में अधिकांश बैंकों ने आइटी का प्रयोग उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्य-निष्पादन की प्राप्ति के लिए किया है, जो भारत में मुख्यतः लागत संबंधी लाभ, पारंपरिक प्रणालियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने, उत्कृष्ट आइटी अभिशासन द्वारा चालित है जिसके लिए प्रायः सक्षम आउटसोर्सिंग की जरूरत होती है। तथापि, एक ओर निजी क्षेत्र के नए तथा विदेशी बैंकों के बीच, तो दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के पुराने और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच व्यापक अंतर है। तथापि, विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने परिचालनगत रूप से दक्ष बने रहते हुए वृद्धि के संवर्धन की दृष्टि से प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिक कारगर तरीके से किया। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, जहां विदेशी और निजी क्षेत्र के नए बैंकों ने दैनिक परिचालनों के बजाए नवोन्मेषों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अनुप्रयोग विकास पर ध्यान केंद्रित किया जो उनकी वर्तमान प्रणालियों के संवर्धन के प्रति अधिक निदेशित था। निजी क्षेत्र के पुराने तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नीति के फलस्वरूप उनके कारोबार में कम मूल्यवर्धन हुआ। निजी क्षेत्र के नए बैंकों तथा विदेशी बैंकों ने मूल्ययोजित कार्यकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया यथा, एटीएम नेटवर्क के लिए नये इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कोर बैंकिंग समाधान, काल सेंटर, इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग सहित ग्राहक सेवा सरणियों का निर्माण। उक्त सर्वेक्षण का यह निष्कर्ष है कि यद्यपि आइटी एवं कारोबार शीर्षों के बीच संरेखण, प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक ओवरहेड को कारगर बनाने की योग्यता तथा निवेश प्राप्त करने सहित कई आयामों में भारतीय बैंकों को सुदृढ़ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है, तथापि सुधार के कई अवसर मौजूद हैं।

**संदर्भ:**

मैक्किंसे एण्ड कंपनी, 2007. *इंडियन बैंकिंग :टुवर्ड्स ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज -इनसाइट्स फ्रॉम इंडस्ट्री बेंचमार्क सर्वेज*।

5.137 ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए समर्थन रयूटर्स, म्यूरेक्स तथा सनगार्ड के लिए समाधान में उपलब्ध है। समाधान में स्थित बैंक ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए क्रिडेन्स एनालिटिक्स से क्वैड्रिक्स का उपयोग करते हैं। कुछ राजकोष समाधानों में बाजार जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल नहीं होता तथा इन डेरिवेटिवों का मूल्यन करने के लिए बहुल थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर समाधानों का उपयोग किया जा रहा है।

*कारपोरेट अभिशासन*

5.138 अभिशासन और नियंत्रण बैंकिंग संरचनों में जोखिम प्रबंधन का एक सर्वाधिक मूलभूत पहलू है तथा, इस प्रकार, यह सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की नींव है। काफी सीमा तक जोखिम प्रबंधन की कई विफलताएं कारपोरेट अभिशासन के ध्वंस को दर्शाती हैं, जो हितों के टकराव के खराब प्रबंधन, प्रमुख बैंकिंग जोखिमों की अपर्याप्त समझ, तथा जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए प्रक्रिया की खराब निगरानी से उत्पन्न होता है। बैंकों को अपने परिचालनों में उपयुक्त निगरानी और संतुलन का निर्माण करते हुए अच्छी अभिशासन संस्कृति तैयार करनी चाहिए। निगरानी के ऐसे चार महत्वपूर्ण प्ररूप हैं जिन्हें किसी बैंक की संगठनात्मक संरचना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित किया जा सके: (i) निदेशक बोर्ड अथवा पर्यवेक्षी बोर्ड द्वारा निगरानी; (ii) विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के दैनंदिन संचालन में शामिल न होनेवाले व्यक्तियों द्वारा निगरानी; (iii) विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण; तथा (iv) स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन, अनुपालन तथा लेखा-परीक्षा कार्य। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख कर्मचारी अपने कार्य के लिए उपयुक्त और उचित हों।

5.139 वरिष्ठ प्रबंधन को जोखिम प्रबंधन में बहुत सक्रिय और सम्मिलित भूमिका निभानी चाहिए। तथापि, यदि जानकारी को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूपों में पर्याप्त रूप में वितरित न किया जाए, तो इससे वरिष्ठ प्रबंधन पूरी संस्था के प्रति मौजूद जोखिमों पर संस्थाव्यापी परिप्रेक्ष्य विकसित करने से निवारित होगा। इसके अलावा फर्म द्वारा किए जानेवाले विभिन्न कार्यकलापों की जोखिम पहले, तनाव के समय सहसंबद्ध हो सकती है तथा, दूसरे, इससे जोखिम एक्सपोजरों का अधिक संकेंद्रण हो सकता है। विशिष्ट तौर पर, कुछ मामलों में वरिष्ठ प्रबंधन को अमरीकी सब-प्राइम बंधकों के प्रति फर्म के प्रच्छन्न संकेंद्रणों की पूरी जानकारी नहीं थी क्योंकि उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि उनकी बहियों में सब-प्राइम बंधकों के अलावा बंधक धारक तुलनपत्र - बाह्य वाहनों के जरिए, सब-प्राइम के प्रति एक्सपोजर रखनेवाले प्रतिपक्षकारों पर दावों के जरिए, तथा कुछ जटिल प्रतिभूतियों के जरिए भी एक्सपोजर था। जानकारी वरिष्ठ प्रबंधन तक अवश्य पहुँचनी चाहिए। सर्वोच्च कार्यपालकों को अपनी राय का प्रचार करना चाहिए तथा व्यावसायिक पद्धति का विश्लेषण करना चाहिए। वरिष्ठ प्रबंधकों को जोखिम प्रबंधकों को इस बात के लिए उत्साहित करना चाहिए कि वे न सिर्फ प्रत्येक व्यावसायिक इकाई के भीतर मौजूद जोखिमों को प्रकट करने के लिए गहन कार्रवाई करें अपितु उन जोखिम संकेंद्रणों को भी प्रकट करें जो पूरे फर्म द्वारा किए गए कार्यकलापों से उत्पन्न हो सकते हैं और साथ ही प्रच्छन्न जोखिम - यथा तनाव के समय जोखिम के सहसंबंध से उत्पन्न हो सकनेवाले प्रच्छन्न जोखिम संकेंद्रण - भी प्रकट करें।

5.140 उपयुक्त प्रोत्साहन अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार तथा अनुपयुक्त व्यवहार के लिए दंड के रूप में होते हैं। नैसर्गिक रूप में, बहुत बड़े संगठन में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर निगरानी रखना कठिन हो जाता है, अतः प्रोत्साहनों को सुसंगत, और संगठन के निम्नतम स्तर तक में व्याप्त करने की जरूरत है। सीमाएं और नियंत्रण सही प्रोत्साहन पैदा करने तथा उपयुक्त संकेत भेजने के उपयोगी साधन हो सकते हैं, परंतु उन्हें निश्चय ही प्रत्येक फर्म की जरूरत के अनुसार अलग-अलग तैयार करने की आवश्यकता है। समस्याएं तब उत्पन्न हो सकती हैं जब प्रोत्साहनों को उचित रूप से विन्यस्त न किया गया हो और उपयुक्त 'जोखिम अनुशासन' का प्रयोग न किया गया हो।

5.141 भारत में हाल के वर्षों में कारपोरेट अभिशासन प्रथाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें बैंकों तथा विशाखीकृत स्वामित्व के मालिकों और निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड शामिल हैं।

## पूंजी का प्रबंधन तथा पूंजी की भविष्य की अपेक्षाएं

5.142 पूंजी के स्तर बनाए रखने के लिए बैंकों पर विनियामक दबाव बैंकों के पूंजी स्तर को बढ़ाने में कमोबेश कारगर रहा है तथा हाल के वर्षों में बैंक विनियामक पूंजी अपेक्षाओं से काफी ऊपर पूंजी का रखरखाव कर रहे हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा में सुधार हुआ है (बॉक्स V.14)।

5.143 1992 में, जब भारत ने बासेल पूंजी पर्याप्तता मानदंड अपनाने का निर्णय लिया, भारतीय बैंकों, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पूंजी स्तर बहुत कम था। आठ प्रतिशत सीआरएआर पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समर्थ बनाने हेतु सरकार ने 1993-94 के आरंभ से कमजोर पीएसबी का पुनःपूंजीकरण किया। पुनःपूंजीकरण 1998-99 तक जारी रहा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा कुल 22,092 करोड़ रुपए का अंतर्वेश किया गया। चूंकि सरकार द्वारा पूंजी का अंतर्वेश अपर्याप्त था, सरकार ने अध्याय III में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 51 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सीधे पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान की। तथापि, पूंजी बाजार के दोहन के मार्ग में आनेवाली अनुमानित

## बॉक्स V.14
## पूंजी अपेक्षाओं के प्रति बैंकों का प्रतिसाद : भारतीय अनुभव

यद्यपि पूंजी विनियमन तथा बैंक व्यवहार संबंधी साहित्य दो दशकों से ज्यादा पुराना है, तथापि भारतीय संदर्भ में पर्याप्त प्रणालीगत तथा संरचनागत कार्य नहीं किया गया है। बैंकों द्वारा पूंजी विनियमन के प्रति प्रतिसाद व्यक्त करने का प्रश्न दो मुद्दों पर निर्भर है। पहला, क्या विनियामक पूंजी संबंधी अपेक्षाएं उस स्तर से अधिक है जिसकी जरूरत कम से कम कुछ बैंकों के लिए है। दूसरा, क्या विनियामक दिशानिर्देशों के नीचे आने के लिए दिए जानेवाले दंड इतने बड़े हैं कि बैंक पूंजी अनुपात बढ़ाने के लिए प्रेरित हों। कई अध्ययनों में 1981 में अपनाए गए सांख्यिकीय मानकों के पूर्व की अवधि में अमरीका में पूंजी विनियमनों की प्रभावशालिता की जांच की गई (पेल्ट्जमैन, 1970; मिंगो, 1975; तथा किमबाल और जेम्स, 1983)। ये परिणाम मिश्रित होने पर भी यह संकेत देते हैं कि विनियामक बैंकों के पूंजी अनुपातों को प्रभावित करने में कारगर नहीं रहे। इन अध्ययनों के परिणामों की व्याख्या करने में एक समस्या यह थी कि किसी बैंक संगठन के लिए विनियामक अपेक्षाएं मामलावार आधार पर की गईं, तथा पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किए गए कारकों के बाजार द्वारा प्रयुक्त कारकों के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध होने की संभावना थी।

एक सुविदित तथ्य यह है कि अधिकांश बैंकों में या तो दक्षता के कारणों से या पूंजी कुशन के प्रतिकूल घटनाओं या विनियामक दंडों जैसी आकस्मिकताओं के प्रति पूर्वसावधानी साबित होने के कारणों से व्यवहार में विनियामक अपेक्षाओं से काफी अधिक मात्रा में पूंजी रखने की प्रवृत्ति होती है (बैरिओस तथा ब्लैंको, 2003)। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का सुझाव है कि अधिक पूंजी होने से कुल पूंजी की अस्थिरता संभाव्य रूप से कम हो सकती है (कूपमैन आदि,2005)। इसके विपरीत, जर्मनी (सोल्ज तथा वेडो, 2005) तथा स्पेन (आयुषो आदि, 2004) में अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि पूंजी बफर भी प्रति-चक्रीय होते हैं।

'पूंजी संकट' नामक अभिव्यक्ति को 1990 के दशक के आरंभ में बनाया गया था ताकि पूंजी की कमी के साथ-साथ नए ऋणों की आपूर्ति में संकुचन, जिससे यू.एस. में 1990 के दशक के आरंभ की मंदी के दौरान न्यू इंग्लैंड में बैंक प्रभावित हुए, का वर्णन किया जा सके (बेनकि आदि, 1991; पीक तथा रोजनग्रेन 1995)। पूंजी संकट के फलस्वरूप, कुल बैंक आस्तियों में कमी हो सकती है अथवा वैकल्पिक तौर पर सरकारी बांडों जैसी कम जोखिमपूर्ण आस्तियों के प्रति बदलाव आ सकता है।बासेल समिति द्वारा किए गए आनुभविक अध्ययनों के एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि यू.एस. तथा जापान में चक्रीय गिरावट के दौरान बैंक पूंजी में आए दबावों से इन अवधियों के दौरान सीमित उधार दिए गए तथा इसका कुछ समष्टि आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक कमजोरी में योगदान हुआ (बीआइएस,1999)।

भारतीय बैंकों के संबंध में नाचणे आदि(2000) ने कई अन्य परिवर्तियों के साथ विनियामक दबावों के पूंजी परिवर्तनों पर प्रभाव का अध्ययन किया जिनसे बैंकों की पूंजी धारिता प्रभावित होने की आशा है। 1997 की पहली तिमाही से 1999 की चौथी तिमाही तक भारत के सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के आंकड़ों के आनुभविक विश्लेषण के आधार पर, उनका यह निष्कर्ष था कि विनियामक निर्धारणों ने भारतीय बैंकों के पूंजी अनुपात संबंधी चुनावों को अवश्य प्रभावित किया। तथापि, उन्हें अधिक जोखिम से बैंकों द्वारा कम जोखिमपूर्ण आस्ति वर्ग के प्रति कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं दिखाई दिया। जहां तक पीएसबी पर्याप्त रूप से विजातीय नमूना पेश करते हैं तथा भारत में बैंकिंग प्रणाली का एक बड़ा भाग हैं, पीएसबी पर आधारित विश्लेषण ऊपर बताए गए मुद्दों के बारे में मोटे निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं। विशेष रूप से, प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकारियों से मिलनेवाले दबाव उस समय बैंक की पूंजी संबंधी गतिशीलताओं को प्रभावित करते हैं जब पूंजी अनुपात विनियामक न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाते हैं। उक्त अध्ययन यह सुझाता है कि पूंजी अपेक्षाएं बैंक के व्यवहार को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती हैं, तथा अन्य कारकों में, लाभ संबंधी परिवर्ती पूंजी अनुपातों को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ प्रतीत होता है। भारतीय संदर्भ में, निष्कर्ष से इस बात का आश्वासन मिलता है कि बैंक के अपने आंतरिक रूप से बनाए गए पूंजी लक्ष्यों से ऊपर की पूंजी अपेक्षाएं बैंकों के रुख को प्रभावित करती प्रतीत होती हैं। बैंकिंग की स्थिरता के बारे में बढ़ रही चिंताओं को देखते हुए इस तथ्य का महत्व और बढ़ जाता है। सरल शब्दों में, व्यवस्थागत संकट को रोकने में पूंजी का उच्चतर स्तर उपयोगी हो सकता है, जो कि नीति निर्माताओं के पास मौजूद एक महत्वपूर्ण साधन है। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि बैंक विभिन्न तरीकों से पूंजी विनियमन के प्रति रेस्पांड कर सकते हैं, ऐसे विनियमन तैयार करते समय विनियामकों को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि वे किस तरह का रेस्पांस चाहते हैं। इसके अलावा, यदि पूंजी अपेक्षा में वृद्धि करने से अर्थव्यवस्था में ऋण में कमी आती है और/अथवा उत्पादन में कमी आती है, तो विनियामकों को भी सुधारात्मक उपाय करने की जरूरत पड़ेगी।

**संदर्भ**:


आयुषो, जे.,डी.पेरेज तथा जे.सौरिना.2004. ''आर कैपिटल बफर्स प्रो-साइक्लिकल? एविडेंस फ्राम स्पैनिश पैनल डेटा''। जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, 13(2):249-264.

बैरिओस,वी.तथा जे.ब्लैंको. 2003. ''दि इफेक्टिवनेस ऑफ बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेग्युलेशनः ए थियरेटिकल एण्ड इंपायरिकल अॅप्रोच''। जर्नल ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनांस, 27:1935-1958.

बेनकि,बी.,सी.लाउन तथा बी.फ्रीडमैन. 1991. ''दि क्रेडिट क्रंच''। आर्थिक कार्यकलाप पर ब्रूकिंग्स पेपर, 1991 (2): 205-247.

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक. 1999. ''कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एण्ड बैंक बिहेवियर:दि इंपॅक्ट ऑफ दि बासेल एकार्ड'' वर्किंग पेपर, 1.

किम्बाल, डी.तथा सी.जेम्स.1983. ''रेग्युलेशन एण्ड डीटरमिनेशन ऑफ बैंक कैपिटल चैंजेज'', जर्नल ऑफ फाइनांस 38:1651-58.

कूपमैन, एस.,ए. लुकास तथा पी.क्लासेन.2005. ''एंपिरिकल क्रेडिट साइकल्स एण्ड कैपिटल बफर फॉर्मेशन''. जर्नल ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनांस, 29 (12):3159-3179.

मिंगो,जे.1975. ''रेग्युलेटरी इंफ्लुएंस ऑन बैंक कैपिटल इनवेस्टमेंट''. दि जर्नल ऑफ फाइनांस, 30(4):1111-1121.

नाचणे, डी.,ए.नारायण, एस.घोष तथा एस.साहू. 2001. ''बैंक रेस्पांस टू कैपिटल रिक्वायरमेंट्स - थियरी एण्ड इंडियन एविडेंस''. इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, जनवरी.

पीक,जे.तथा ई.रोसनग्रेन. 1995. ''बैंक रेग्युलेशन एण्ड दि क्रेडिट क्रंच''. जर्नल ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनांस, एल्सवियर, 19 (3-4): 679-692, जून.

पेल्ट्जमैन, एस. 1970. ''कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल बैंकिंग एण्ड इट्स रिलेशनशिप टू पोर्टफोलियो रेग्युलेशन.'' *दि जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी,* 78(1):1-26.

स्टोल्ज, एस. तथा एम.वेडो, 2005.''बैंक्स रेग्युलेटरी कैपिटल बफर एण्ड दि बिजनेस साइकलः एविडेंस फॉर जर्मन सेविंग्स एण्ड को-ऑपरेटिव बैंक्स'' *डिस्कशन पेपर सिरीज 2:बैंकिंग एण्ड फाइनेंसियल स्टडीज,* सं.7, ड्यूश बुंडसबैंक, रिसर्च सेंटर.

**सारणी 5.3 : सरकारी क्षेत्र के बैंक - पुन:पूंजीकरण**

(राशि करोड़ रुपए)

| अवधि / वर्ष | सरकार द्वारा अंशदान की गई पूंजी | वापस की गई पूंजी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1985-86 से 1992-93 | 4,000 | – |
| 1993-94 | 5,700 | – |
| 1994-95 | 4,363* | – |
| 1995-96 | 850 | – |
| 1996-97 | 1,509 | 842 |
| 1997-98 | 2,700 | 138 |
| 1998-99 | 400 | – |
| 1999-2000 | – | – |
| 2000-01 | – | 48 |
| 2001-02 | 1,300 | 176 |
| 2002-03 | 770 | 386 |
| 2003-04 | – | 110 |
| 2004-05 | – | 88 |
| 2005-06 | 500 | – |

– : शून्य
* : टियर II पूंजी के एक भाग के रूप में 925 करोड़ रुपए की राशि को छोड़कर।
**स्रोत :** केंद्रीय बजट एवं रिज़र्व बैंक

आय के प्रति अत्यधिक इक्विटी आधार को देखते हुए, कुछ बैंकों ने सरकार को पूंजी वापस कर दी। वापस की गई कुल राशि 1,789 करोड़ रुपए थी (सारणी 5.3)।

5.144 सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 1993-94 से पूंजी बाजार से बड़े संसाधन जुटाए हैं। कुल मिलाकर, सरकारी क्षेत्र के 16 बैंकों ने 37 इक्विटी निर्गमों से 34,679 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाई, तथा कई पीएसबी ने एक से अधिक बार बाजार से पूंजी जुटाई (सारणी 5.4)।

5.145 निजी क्षेत्र के बैंकों ने भी पूंजी बाजार से पूंजी जुटाई है (सारणी 5.5)। 1995-96 से, निजी क्षेत्र के बैंकों ने 34 इक्विटी निर्गमों के जरिए पूंजी बाजार से 23,330 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाई। सरकारी और निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में एडीआर/जीडीआर के जरिए भी निधियां जुटाई हैं।

5.146 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी बाजार से निधियां जुटाए जाने के कारण सरकार द्वारा धारित इक्विटी कम हो गई। सितंबर 2007 के अंत में आम जनता की नौ बैंकों में शेयरधारिता 40 और 49 प्रतिशत के बीच थी (सारणी 5.6)। सिर्फ दो बैंकों में सरकारी धारिता 90 प्रतिशत से अधिक थी। सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों में, सरकारी धारिता 51 प्रतिशत के नजदीक थी। इन बैंकों में ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (51.1 प्रतिशत), देना बैंक (51.2 प्रतिशत),तथा आंध्रा बैंक (51.6 प्रतिशत) शामिल हैं।

**सारणी 5.4 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सार्वजनिक निर्गम**

(राशि करोड़ रुपए)

| वर्ष | इक्विटी | |
|---|---|---|
| | निर्गमों की संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 3 |
| 1993-94 | 2 | 2,218 |
| 1994-95 | 1 | 374 |
| 1995-96 | 4 | 281 |
| 1996-97 | 3 | 1,705 |
| 1997-98 | 3 | 491 |
| 1998-99 | – | – |
| 1999-2000 | 1 | 125 |
| 2000-01 | 3 | 361 |
| 2001-02 | 1 | 164 |
| 2002-03 | 3 | 773 |
| 2003-04 | 5 | 1,104 |
| 2004-05 | 2 | 3,336 |
| 2005-06 | 6 | 5,413 |
| 2006-07 | 1 | 782 |
| 2007-08 | 2 | 17,552 |

5.147 इक्विटी निर्गमों के अलावा, बैंकों ने भुनाए गए गौण ऋण के जरिए भी संसाधन जुटाए (टियर II), जो मार्च 2003 के अंत के 18,482 करोड़ रुपए से तेजी से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 63,814 करोड़ रुपए हो गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी की स्थिति को सुदृढ़ करने का एक और स्रोत लाभ का पुनर्नियोजन तथा संसाधन सृजन है। एक

**सारणी 5.5 : निजी क्षेत्र के बैंकों के सार्वजनिक निर्गम**

(राशि करोड़ रुपए)

| वर्ष | इक्विटी | |
|---|---|---|
| | निर्गमों की संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 3 |
| 1995-96 | 8 | 404 |
| 1996-97 | – | – |
| 1997-98 | 2 | 206 |
| 1998-99 | 6 | 262 |
| 1999-2000 | 3 | 136 |
| 2000-01 | – | – |
| 2001-02 | – | – |
| 2002-03 | 1 | 36 |
| 2003-04 | – | – |
| 2004-05 | 4 | 3,946 |
| 2005-06 | 5 | 5,653 |
| 2006-07 | 2 | 284 |
| 2007-08 | 3 | 12,403 |

**सारणी 5.6 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्वामित्व संरचना**
(सितंबर 2007 के अंत में)

(प्रतिशत)

| बैंक | सरकार / भारिबैंक का हिस्सा | अन्यों का हिस्सा | सीआरए आर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **राष्ट्रीयकृत बैंक** | | | |
| ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 51.1 | 48.9 | 13.4 |
| देना बैंक | 51.2 | 48.8 | 11.3 |
| आंध्रा बैंक | 51.6 | 48.4 | 11.1 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 53.8 | 46.2 | 12.9 |
| विजया बैंक | 53.9 | 46.1 | 11.3 |
| इलाहाबाद बैंक | 55.2 | 44.8 | 13.0 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 55.4 | 44.6 | 11.6 |
| कारपोरेशन बैंक | 57.2 | 42.8 | 13.8 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 57.8 | 42.2 | 13.1 |
| इंडियन ओवरसीज़ बैंक | 61.2 | 38.8 | 13.4 |
| सिंडिकेट बैंक | 66.5 | 33.5 | 12.2 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 69.5 | 30.5 | 12.6 |
| केनरा बैंक | 73.2 | 26.8 | 13.9 |
| यूको बैंक | 75.0 | 25.0 | 11.5 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 76.8 | 23.2 | 13.6 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 80.2 | 19.8 | 12.4 |
| इंडियन बैंक | 80.0 | 20.0 | 13.9 |
| पंजाब एंण्ड सिंध बैंक | 100.0 | 0.0 | 13.3 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 100.0 | 0.0 | 13.8 |
| **भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी** | | | |
| भारतीय स्टेट बैंक* | 59.7 | 40.3 | 12.9 |
| स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंण्ड जयपुर | 100.0# | – | 13.3 |
| स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर | 100.0# | – | 12.9 |
| स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 100.0# | – | 11.1 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंदौर | 100.0# | – | 12.8 |
| स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 100.0# | – | 12.2 |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 100.0# | – | 12.5 |
| स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र | 100.0# | – | 12.1 |

* : रिज़र्व बैंक द्वारा एसबीआइ में धारित इक्विटी को अब सरकार को अंतरित कर दिया गया है।
# : एसबीआइ द्वारा सर्वाधिकधारित।
– : शून्य / नगण्य

समूह के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, जिन्होंने 1992-93 तथा 1995-96 के बीच के चार वर्षों में से तीन में निवल हानि उठाई थी, उसके बाद लगातार काफी लाभ कमाया (चार्ट V.3)।

5.148 सुधारोत्तर अवधि में बैंकों की आरक्षित निधियों में तीव्र वृद्धि हुई (चार्ट V.4)।

**चार्ट V.3 : बैंकों का निवल लाभ**

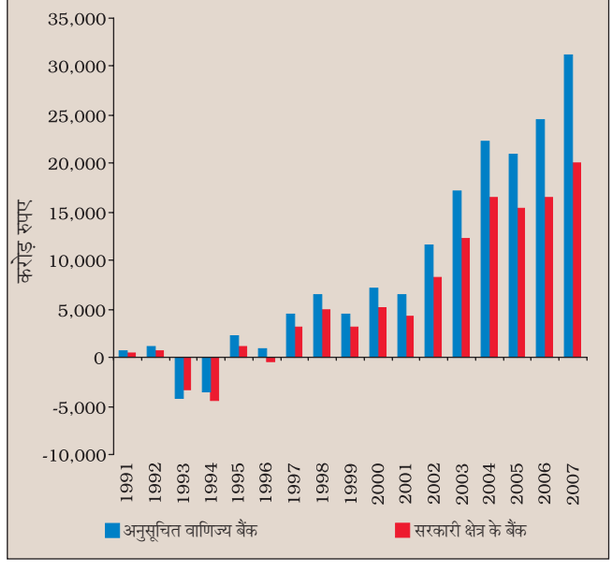


5.149 मार्च 1997 के अंत तथा मार्च 2007 के अंत के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों में 22.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई (चार्ट V.5)।

5.150 विशेष रूप से जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि हुई तथा मार्च 2003 के अंत और मार्च 2007 के अंत के बीच वे लगभग तिगुनी हो गईं (सारणी 5.7)। काफी सीमा तक, ऋण वृद्धि तथा बाजार जोखिम मानदंड लागू करने के कारण यह वृद्धि हुई। जोखिम भारित आस्तियों में हुई वृद्धि तीव्र ऋण वृद्धि के चरण में बैंकों के तुलनपत्रों

**चार्ट V.4 : आरक्षित निधि तथा अधिशेष**

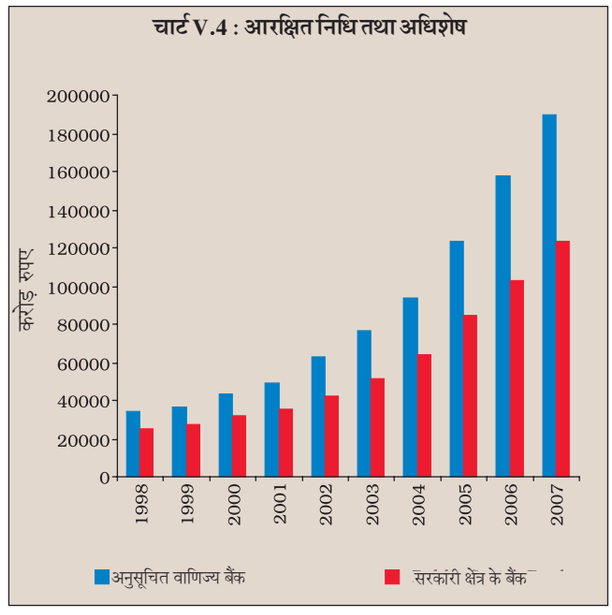

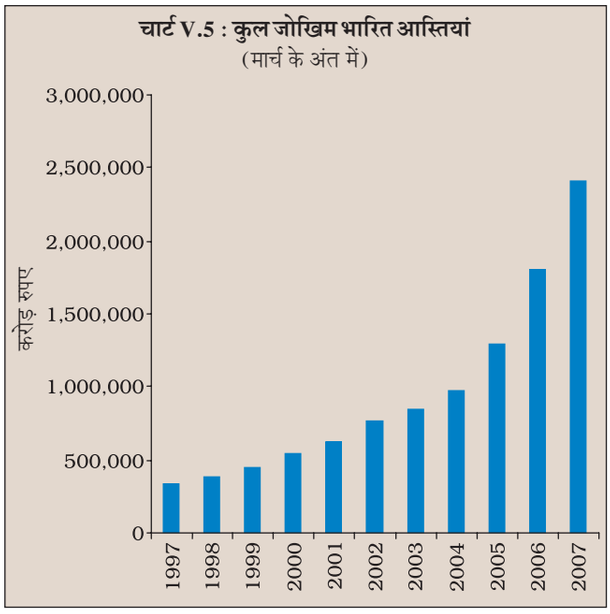


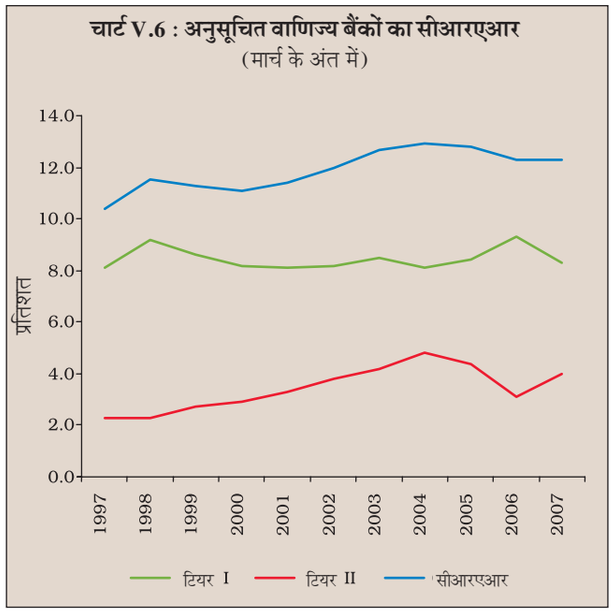


का संरक्षण करने के लिए विवेकपूर्ण उपाय के रूप में अग्रिमों की कतिपय श्रेणियों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम भार में की गई वृद्धि का परिणाम थी।

5.151 जोखिम-भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि के बावजूद, बैंक सीआरएआर बनाए रखने में समर्थ रहे। वस्तुतः, उद्योग का सीआरएआर मार्च 1997 के अंत से 10 प्रतिशत से अधिक तथा मार्च 2002 के अंत से 12 प्रतिशत से अधिक बना रहा (चार्ट V.6)। टियर I पूंजी अनुपात एक वर्ष पहले के 9.3 प्रतिशत से कुछ कम होकर मार्च 2007 के अंत में 8.3 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण आरक्षित निधियों और अधिशेष की अपेक्षाकृत कम वृद्धि था, जबकि प्रदत्त पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तथापि, पिछले वर्ष हुई गिरावट के विपरीत टियर II पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फलस्वरूप, टियर II सीआरएआर पिछले साल के 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 4.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.6)। वर्ष के दौरान हुई गिरावट के बावजूद, 8.3 प्रतिशत पर टियर I सीआरएआर 4.5 प्रतिशत की वर्तमान अपेक्षा से अधिक था तथा 27 अप्रैल 2007 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बासेल II के कार्यान्वयन संबंधी अंतिम दिशानिर्देशों में निर्धारित 6.0 प्रतिशत मानदंड से भी अधिक था।

**सारणी 5.7 : अनुसूचित वाणिज्य बैंक - पूंजी निधि तथा जोखिम-भारित आस्तियां**
(मार्चांत)

(राशि करोड़ रुपए)

| मद /वर्ष | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| क.पूंजी निधि (i+ii) | 1,07,058 | 1,25,249 | 1,65,928 | 2,21,363 | 2,96,191 |
| i) टियर 1 पूंजी | 71,416 | 78,550 | 1,08,949 | 1,66,538 | 2,00,397 |
| *जिसमें से:* | | | | | |
| प्रदत्त पूंजी | 21,594 | 22,022 | 25,724 | 25,142 | 29,489 |
| आरक्षित निधि | 57,648 | 65,948 | 91,320 | 1,41,592 | 1,63,988 |
| अनाबंटित / प्रेषण योग्य अधिशेष | 4,194 | 4,983 | 6,937 | 11,075 | 20,387 |
| टियर I पूंजी के लिए कटौतियां | 11,646 | 14,403 | 15,031 | 11,271 | 13,573 |
| ii) टियर II पूंजी | 35,643 | 46,699 | 56,979 | 54,825 | 95,794 |
| *जिसमें से:* | | | | | |
| बट्टागत गौण ऋण | 18,482 | 20,011 | 26,291 | 43,214 | 63,814 |
| ख. जोखिम-भारित आस्तियां | 8,44,402 | 9,69,886 | 12,96,223 | 17,97,207 | 24,12,320 |
| *जिसमें से:* | | | | | |
| जोखिम-भारित ऋण तथा अग्रिम | 5,65,799 | 6,59,921 | 9,19,544 | 12,38,163 | 17,16,945 |

**स्रोत :** बैंकों द्वारा प्रस्तुत परोक्ष विवरणियों पर आधारित।

**सारणी 5.8 : पूंजी पर्याप्तता अनुपात : बैंक समूह-वार**

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

| बैंक समूह | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 11.1 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.3 | 12.3 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | 12.9 | 12.2 | 12.4 |
| राष्ट्रीयकृत बैंक | 10.1 | 10.2 | 10.9 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | 12.3 | 12.4 |
| भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी | 11.6 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 12.4 | 12.0 | 12.3 |
| निजी क्षेत्र के पुराने बैंक | 12.4 | 11.9 | 12.5 | 12.8 | 13.7 | 12.5 | 11.7 | 12.1 |
| निजी क्षेत्र के नए बैंक | 13.4 | 11.5 | 12.3 | 11.3 | 10.2 | 12.1 | 12.6 | 12.0 |
| विदेशी बैंक | 11.9 | 12.6 | 12.9 | 15.2 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.4 |

**स्रोत :** भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट, विभिन्न अंक।

5.152 सभी बैंक समूहों का सीआरएआर आम तौर पर न्यूनतम निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है। विदेशी बैंकों का सीआरएआर, जो सामान्यतः अन्य बैंक समूहों से काफी ऊपर बना रहा, मार्च 2006 के अंत के 13.0 प्रतिशत से घटकर उद्योग औसत के अनुरूप मार्च 2007 के अंत में 12.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 5.8)।

5.153 अलग-अलग बैंकों के स्तर पर सिर्फ एक बैंक ने मार्च 2007 के अंत में निर्धारित सीआरएआर की अपेक्षा पूरी की, जिसका समामेलन बाद में निजी क्षेत्र के एक बड़े बैंक के साथ कर दिया गया। 2 बैंकों को छोड़कर, जिनका सीआरएआर 9 से 10 प्रतिशत के दायरे में था, सभी बैंकों का सीआरएआर 10 प्रतिशत से ऊपर था (सारणी 5.9)।

5.154 भारत में स्थित बैंकों ने पूंजी संबंधी अपनी अपेक्षाओं का दक्षतापूर्वक प्रबंधन किया। बासेल II का कार्यान्वयन होने पर भारत स्थित बैंकों की पूंजी संबंधी जरूरतें बढ़ने की आशा है। विदेशी बैंकों तथा अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति वाले भारतीय बैंकों ने मार्च 2008 को समाप्त वर्ष से बासेल II संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन शुरू कर दिया तथा अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक 31 मार्च 2009 तक इन मानदंडों को अपनाएंगे। जबसे रिज़र्व बैंक ने 2005 में संशोधित फ्रेमवर्क अपनाने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा पब्लिक डोमेन में रखा, कई एजेंसियों तथा अनुसंधानकर्ताओं ने बासेल I से बासेल II फ्रेमवर्क में संक्रमण के संदर्भ में भारतीय बैंकों की पूंजी अपेक्षाओं का अनुमान लगाया (बॉक्स V.15)। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि भारत में अपनाए गए सरलतर दृष्टिकोणों के तहत, यदि परिचालनात्मक जोखिम के तहत अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी को ऋण जोखिम के तहत पूंजी राहत द्वारा प्रतितुलित नहीं किया गया, तो संभवतः बैंकों की समग्र विनियामक अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। जहां तक ऋण जोखिम का संबंध है, एक राय में इस बात पर बल दिया जाता है कि बासेल II के स्तंभ 1 के तहत ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण का अपनाया जाना बासेल I संबंधी मानदंडों से बहुत अलग होने की संभावना नहीं है क्योंकि बैंकों के अधिकांश ग्राहकों के पास बाह्य रेटिंग अभी भी नहीं होती, जिसके मामले

**सारणी 5.9 : सीआरएआर के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वितरण**

(बैंकों की संख्या)

| बैंक समूह | मार्च 2007 के अंत में | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 प्रतिशत से कम | 4-9 प्रतिशत के बीच | 9-10 प्रतिशत के बीच | 10 प्रतिशत से अधिक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| राष्ट्रीयकृत बैंक* | – | – | – | 20 |
| भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी | – | – | – | 8 |
| निजी क्षेत्र के पुराने बैंक | – | – | 2 | 14 |
| निजी क्षेत्र के नए बैंक | – | – | – | 8 |
| विदेशी बैंक | – | – | – | 29 |
| **कुल** | **–** | **–** | **2** | **79** |

– : शून्य / नगण्य

* : सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के आंकड़ों सहित।

**स्रोत :** बैंकों द्वारा प्रस्तुत परोक्ष विवरणियों पर आधारित।

## बॉक्स V.15
## विभिन्न एजेंसियों द्वारा बासेल II के तहत भारतीय बैंकों की पूंजी अपेक्षाओं के अनुमान

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) ने नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा अपनाने के प्रभाव का आकलन करने के लिए पांचवां परिमाणात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआइएस-5) शुरू किया है। लगभग 50 प्रतिशत बाज़ार हिस्सेदारी (आस्तियों के रूप में) वाले 11 भारतीय बैंकों ने क्यूआइएस-5 में भाग लिया। आरंभिक विश्लेषण से यह संकेत मिला कि इन बैंकों द्वारा ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण हेतु बासेल II मानदंड लागू किए जाने पर इन बैंकों का संयुक्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात कम होने की आशा थी। यद्यपि नये ढांचे के तहत इनमें से कोई भी बैंक न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को भंग नहीं करेगा, तथापि निवल प्रभाव काफी व्यापक होगा।

अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि को देखते हुए, स्वयं बैंकिंग प्रणाली को नयी पूंजी की काफी ज़रूरत होगी। एक अनुमान से यह पता चलता है कि 2010 तक बैंक ऋण अनुपात जीडीपी के 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने के लिए, बैंकिंग प्रणाली को जीडीपी के 1 1/4 प्रतिशत तक अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी (लाहिरी, 2006)। इतनी बड़ी पूंजी जुटाने के लिए इस क्षेत्र की लाभप्रदता तथा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि जरूरी होगी।

क्रिसिल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, बासेल II के समग्र प्रभाव से सीआरएआर में 1.6 प्रतिशत अंकों की कमी आएगी। यह ऋण जोखिम के लिए 0.7 प्रतिशत अंक के लाभ, बाजार जोखिम के लिए 1.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए 1.1 प्रतिशत अंकों की गिरावट का संयुक्त प्रभाव होगा। क्रिसिल की यह राय है कि प्रस्तावित ढांचे का बैंकिंग क्षेत्र पर सकारात्मक असर पड़ेगा तथा इससे बैंकिंग क्षेत्र के लिए पूंजी की मांग में सामान्य वृद्धि होगी।

इक्रा के अनुमानों के अनुसार, भारतीय बैंकों को बासेल II के तहत परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार संबंधी जरूरत पूरी करने हेतु 120 बिलियन (12,000 करोड़) रुपए की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी। इस पूंजी का अधिकांश (90 बिलियन रुपए अथवा 9,000 करोड़ रुपए) पीएसबी द्वारा अपेक्षित होगा, इसके बाद नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों (11 बिलियन रुपए अथवा 1,100 करोड़ रुपए) तथा पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों (7.5 बिलियन रुपए अथवा 750 करोड़ रुपए) का स्थान होगा। इक्रा की राय में, अतीत में आस्ति में हुई वृद्धि तथा वृद्धि की प्रत्याशित प्रवृत्तियों को देखते हुए परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की जरूरत में अगले तीन सालों तक 15-20 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि होगी, जिसका अभिप्राय यह है कि बैंकों को मध्यावधि में 180-200 बिलियन रुपए (18,000-20,000 करोड़ रुपए) जुटाने की जरूरत पड़ेगी।

**संदर्भ:**

लाहिरी, ए. 2006. ''भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार के उपाय तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में उसका प्रभाव''। *एशिया इन द वर्ल्ड* नामक संगोष्ठी कार्यक्रम में किया गया प्रस्तुतीकरण, आइएमएफ/विश्व बैंक की वार्षिक बैठक, सिंगापुर, सितंबर।

में 100 प्रतिशत का जोखिम भार लागू किया जाएगा। तीन प्रकार की जोखिमों से अलग, वास्तविक अर्थव्यवस्था की वृद्धि से जोखिम-भारित आस्तियों की वृद्धि के और इस प्रकार बैंकों की विनियामक पूंजी अपेक्षाओं के प्रभावित होने की आशा है। बासेल II के तहत विनियामक पूंजी अपेक्षा संबंधी एक और व्यापक रूप से चर्चित मुद्दा बढ़ रही पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की योग्यता है। इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती।

5.155 2007-08 से 2011-12 तक की पांच वर्ष की अवधि में पूंजी संबंधी अपेक्षाएं जानने का प्रयास निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किया गया है (i) बासेल II का कार्यान्वयन जिसमें ऋण जोखिम के परिशोधित माप और अतिरिक्त परिचालनात्मक जोखिम का प्रावधान है; तथा (ii) बैंकों के तुलनपत्रों में संभावित वृद्धि। सीआरएआर अनुमान दो परिदृश्यों के तहत लगाए गए हैं। आधारभूत परिदृश्य में, यह कल्पना की गई है कि बैंक 9 प्रतिशत का समग्र न्यूनतम पूंजी अनुपात तथा 4.5 प्रतिशत का टियर-I पूंजी बनाए रखेंगे। दूसरे परिदृश्य में यह कल्पना की गई है कि बैंक 12 प्रतिशत सीआरएआर तथा 6 प्रतिशत टियर-I पूंजी बनाए रखेंगे।

5.156 पूंजीगत अपेक्षाओं के अनुमान के लिए जोखिम भारित आस्तियों का अनुमान अनिवार्यतः अपेक्षित है (बॉक्स V.16)।

5.157 यह मानते हुए कि बैंक 12 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखेंगे, बैंकिंग क्षेत्र के लिए कुल पूंजीगत अपेक्षाएं मार्च 2007 के अंत के 2,96,191 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 4,07,686 करोड़ रुपए तथा मार्च 2012 के अंत में 8,64,935 करोड़ रुपए होने का अनुमान है (सारणी 5.11)। इस प्रकार, अगले 5 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र को 5,68,744 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी। प्रत्येक साल के लिए अनुमानित पूंजी अपेक्षाओं को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए पर उचित रूप में वितरित किया गया है, वर्ष 2011-12 इसका अपवाद है जब पूंजी की अपेक्षा में 1,39,802 करोड़ रुपए की तीव्र वृद्धि होने का अनुमान है। यदि सीआरएआर को 9 प्रतिशत पर बनाए रखा जाना है, तो पूंजी संबंधी अपेक्षाओं में उल्लेखनीय गिरावट होगी (सारणी 5.10)। सभी बैंक समूहों से यह अपेक्षा होगी कि वे मुख्यतः बासेल II के तहत परिचालनात्मक जोखिम शामिल किए जाने के कारण पहले साल (अर्थात 2007-08) से ही अपने पूंजी स्तर को बढ़ाएं।

5.158 12 प्रतिशत सीआरएआर पर कुल पूंजीगत अपेक्षाओं में से, 3,69,115 करोड़ रुपए (कुल बैंकिंग क्षेत्र का 64.9 प्रतिशत) सरकारी

## बॉक्स V.16
## भारत में बैंकों के लिए पूंजी अपेक्षाओं का अनुमान - प्रणाली

बासेल II के तहत की गई अपेक्षा के अनुसार, ऋण, बाजार तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी संबंधी अपेक्षाएं (समग्र तथा टियर I दोनों) तैयार की गई हैं। इसके लिए, बदले में, ऋण के विस्तार का अनुमान लगाना जरूरी था, जिसके लिए निम्नलिखित प्रणाली अपनायी गई है। यह माना गया कि वास्तविक जीडीपी में 9 प्रतिशत की वृद्धि होगी (जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा लक्ष्यित वृद्धि थी)। अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि के आधार पर, मुद्रा की मांग के आय संबंधी लचीलेपन तथा मुद्रास्फीति का उपयोग करके एम3 में वृद्धि ज्ञात की गई। मुद्रा में स्थिर वृद्धि का अनुमान लगाते हुए (अरिमा मॉडल के आधार पर परिकलित) अवशेष के रूप में जमाराशियां ज्ञात की गईं। जमाराशियों से, निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का पता लगाया गया। सीआरआर तथा एसएलआर के रूप में होनेवाले पूर्वक्रयों को एनडीटीएल से घटाने के बाद ऋण ज्ञात किया गया। ऋण से जोखिम भारित आस्तियों का अनुमान उनके बीच स्थिर संबंध की कल्पना करते हुए लगाया गया।

### प्रक्षेपणों के लिए पूर्वानुमान

**1) एम3 का प्रक्षेपण**

9 प्रतिशत वास्तविक जीडीपी वृद्धि के आधार पर एम3 में 18.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया। मुद्रा के लिए मांग का आय लचीलापन 1.5 अनुमानित था और मुद्रास्फीति की दर 5 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान लगाया गया।

**2) जनता के पास मौजूद मुद्रा का पूर्वानुमान**

बॉक्स-जेनकिन्स के अरिमा मॉडल के ढांचे के भीतर, जनता के पास मौजूद मुद्रा के बारे में मासिक श्रृंखलाओं के लिए स्व-सहसंबंध (एसीएफ) तथा आंशिक स्व-सहसंबंध (पीएसीएफ) कार्यों की जांच ( नैसर्गिक लघुगणक रूपांतरित) चार विभिन्न रूपों में की गईः (i) पहला अंतर मौसमी समायोजन के बिना ; (ii) पहला अंतर मौसमी समायोजन के साथ; (iii) वार्षिकीकृत वृद्धि दर मौसमी समायोजन के बिना; तथा (iv) वार्षिकीकृत वृद्धि दर मौसमी समायोजन के साथ। यह निश्चित किया गया कि जनता के पास मौजूद मुद्रा की मासिक श्रृंखलाओं को उसकी मौसमी दृष्टि से समायोजित वार्षिकीकृत वृद्धि दर के रूप में उपयुक्त रूप से मॉडल किया जा सकता है। इस रूप में, एसीएफ में कम होकर शून्य होने की प्रवृत्ति दिखाई दी, जबकि पीएसीएफ पहले चरण के बाद तेजी से कट-ऑफ हो जाता था। इसमें यह सुझाया कि एक मौसमी चल औसत मीयाद (एसएमए) के साथ पहली स्व-प्रतिगामी (एआर) प्रक्रिया सर्वोत्तम अरिमा मॉडल थी। मुद्रा परिवर्ती के लिए अनुमानित अरिमा मॉडल ने यह दर्शाया कि पांच वर्ष की अवधि में मासिक वृद्धि दर का गतिशील पूर्वानुमान 12.7 प्रतिशत की इसकी वार्षिक वृद्धि दर के संरचनात्मक घटक के आसपास रहेगा।

**3) ऋण का प्रक्षेपण**

अवशिष्ट कुल जमाराशि ज्ञात करने के लिए समग्र मुद्रा आपूर्ति से जनता के पास मुद्रा में अनुमानित वृद्धि को कम किया गया। जमाराशियों से, निवल मांग और मीयादी देयताएं दोनों के बीच स्थिर संबंध के आधार पर ज्ञात की गईं । एनडीटीएल से, सीआरआर तथा एसएलआर अपेक्षाओं के कारण किए गए पूर्वक्रयों को घटाया गया तथा शेष राशि को ऋण के रूप में लिया गया।

**4) बढ़ी हुई जोखिम-भारित आस्तियों का प्रक्षेपण**

i) परिचालनात्मक जोखिम के लिए जोखिम-भारित आस्तियों को शामिल करके ऋण जोखिम तथा बाजार जोखिम के लिए जोखिम-भारित आस्तियों (मार्च 2007 के अंत के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर) को बढ़ा दिया गया है। मार्च 2007 के अंत में, जोखिम-भारित आस्तियां बकाया ऋण का 1.4 गुना थीं।

ii) 2006-07 के लिए ऋण के प्रति जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात प्रक्षेपित ऋण पर बाद के वर्षों के लिए लगाया गया ताकि जोखिम-भारित आस्तियों का अनुमान लगाया जा सके।

**5) अलग-अलग बैंकों के लिए प्रक्षेपण**

2006-07 के लिए बैंकिंग क्षेत्र की कुल जोखिम-भारित आस्तियों में अलग-अलग बैंकों के लिए आरडब्ल्यूए के बाजार अंश को कुल आस्तियों में उनके अंश के आधार पर ज्ञात किया गया तथा अगले पांच वर्षों में वही अंश लागू किया गया।

क्षेत्र के बैंकों द्वारा, 23,319 करोड़ रुपए (कुल का 4.1 प्रतिशत) निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों द्वारा, 1,13,180 करोड़ रुपए (कुल का 19.9 प्रतिशत) निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा तथा 63,131 करोड़ रुपए (कुल का 11.1 प्रतिशत) विदेशी बैंकों द्वारा अपेक्षित होगा। चूंकि बैंक अपेक्षित स्तर से काफी ऊपर टियर I पूंजी रख रहे हैं, अतः 2007-12 की अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के लिए टियर I पूंजी अपेक्षाएं बढ़कर 2,33,564 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, तथा इस स्थिति में शेष राशि टियर II पूंजी से प्राप्त होगी। अगले 5 वर्षों के लिए टियर I पूंजी की अपेक्षाएं सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1,55,569 करोड़ रुपए, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों द्वारा 8,178 करोड़ रुपए, निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा 49,278 करोड़ रुपए तथा विदेशी बैंकों द्वारा 20,540 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों को 9 प्रतिशत सीआरएआर प्राप्त करने के लिए मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी मौजूदा पूंजी निधियां टियर I संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त होंगी। तथापि, उन्हें टियर II पूंजी निधियां जुटाना पड़ सकता है।

5.159 2007-08 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की टियर I पूंजी अपेक्षाएं 12 प्रतिशत सीआरएआर पर कम होने का अनुमान है। तथापि, अगले 5 वर्षों में हर अगले साल उनमें वृद्धि होगी (सारणी 5.11)।

5.160 जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी अपेक्षाओं का वित्तपोषण करने का संबंध है, यह देखा गया कि विगत 5 वर्षों में टियर I पूंजी अपेक्षा में हुई वृद्धि अधिकतर लाभ के विनियोजन द्वारा पूरी की गई, जबकि टियर II पूंजी में हुई वृद्धि प्रमुखतया बट्टाकृत गौण ऋण के जरिए पूरी की गई।

**सारणी 5.10 : जोखिम-भारित आस्तियां तथा पूंजी अपेक्षाएं - परिदृश्य I के अंतर्गत अनुमान (9 प्रतिशत सीआरएआर)**

(करोड़ रुपए)

| मार्चांत / बैंक समूह | अनुमानित जोखिम-भारित आस्तियां | परिदृश्य II (पूंजी अपेक्षा - 9 प्रतिशत समग्र तथा 4.5 प्रतिशत टियर I) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमानित पूंजी अपेक्षा | अनुमानित टियर I पूंजी अपेक्षा | कुल पूंजी में अपेक्षित वृद्धि | टियर I पूंजी में अपेक्षित वृद्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **अनुसूचित वाणिज्य बैंक** | | | | | |
| 2008 | 33,97,383 | 3,05,764 | 1,52,882 | 20,024 | 799 |
| 2009 | 42,39,008 | 3,81,511 | 1,90,755 | 69,541 | 8,821 |
| 2010 | 50,61,643 | 4,55,548 | 2,27,774 | 93,070 | 25,829 |
| 2011 | 60,41,344 | 5,43,721 | 2,71,860 | 1,09,604 | 40,031 |
| 2012 | 72,07,788 | 6,48,701 | 3,24,350 | 1,22,830 | 50,964 |
| **सरकारी क्षेत्र के बैंक** | | | | | |
| 2008 | 22,12,938 | 1,99,164 | 99,582 | 7,786 | 430 |
| 2009 | 27,61,143 | 2,48,503 | 1,24,251 | 46,582 | 5,866 |
| 2010 | 32,96,979 | 2,96,728 | 1,48,364 | 48,225 | 17,832 |
| 2011 | 39,35,122 | 3,54,161 | 1,77,080 | 57,433 | 27,124 |
| 2012 | 46,94,903 | 4,22,541 | 2,11,271 | 68,380 | 33,893 |
| **निजी क्षेत्र के पुराने बैंक** | | | | | |
| 2008 | 1,38,005 | 12,420 | 6,210 | 1,254 | 370 |
| 2009 | 1,72,192 | 15,497 | 7,749 | 2,582 | 388 |
| 2010 | 2,05,609 | 18,505 | 9,252 | 2,931 | 522 |
| 2011 | 2,45,405 | 22,086 | 11,043 | 3,550 | 1,065 |
| 2012 | 2,92,787 | 26,351 | 13,175 | 4,239 | 1,655 |
| **निजी क्षेत्र के नए बैंक** | | | | | |
| 2008 | 6,69,855 | 60,287 | 30,143 | 3,771 | 0 |
| 2009 | 8,35,796 | 75,222 | 37,611 | 14,430 | 2,353 |
| 2010 | 9,97,993 | 89,819 | 44,910 | 14,598 | 6,626 |
| 2011 | 11,91,159 | 1,07,204 | 53,602 | 17,385 | 8,632 |
| 2012 | 14,21,144 | 1,27,903 | 63,951 | 20,699 | 10,349 |
| **विदेशी बैंक** | | | | | |
| 2008 | 3,76,586 | 33,893 | 16,946 | 3,827 | 0 |
| 2009 | 4,69,876 | 42,289 | 21,144 | 7,428 | 214 |
| 2010 | 5,61,062 | 50,496 | 25,248 | 7,786 | 849 |
| 2011 | 6,69,658 | 60,269 | 30,135 | 9,301 | 3,209 |
| 2012 | 7,98,953 | 71,906 | 35,953 | 11,177 | 5,067 |

2006-07 में कुल टियर I पूंजी का 86.0 प्रतिशत आरक्षित निधियों से प्राप्त हुआ (सारणी 5.12)। अतः यह संभव है कि अगले 5 वर्षों में बैंक अपनी टियर I पूंजी अपेक्षाएं अधिकतर आरक्षित निधियों के जरिए पूरी कर सकें।

5.161 कुछ बैंकों के लिए गुंजाइश भी उपलब्ध है क्योंकि इन बैंकों में सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा से काफी अधिक थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को उपलब्ध कुल गुंजाइश 2,637 करोड़ रुपए की थी, जिसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रीयकृत बैंक 5,171 करोड़ रुपए तक बाजार से जुटा सकते थे तथा फिर भी उनकी सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत रहती (सारणी 5.13)। तथापि, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों (आइडीबीआइ सहित) में से, यह गुंजाइश काफी मात्रा तक (100 करोड़ रुपए से ऊपर) सिर्फ छः बैंकों को उपलब्ध थी।

5.162 चूंकि अगले 5 वर्षों में बैंकों की पूंजी अपेक्षाओं का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक संसाधनों अर्थात, आरक्षित निधियों तथा अधिशेष में वृद्धि, से पूरा होने का अनुमान है, अतः बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे पूंजी के अवशिष्ट छोटे हिस्से के लिए ही पूंजी बाजार का दोहन करें।

## सारणी 5.11 : जोखिम-भारित आस्तियों में वृद्धि तथा पूंजी अपेक्षाएं - परिदृश्य II के अंतर्गत अनुमान (12 प्रतिशत सीआरएआर)

(करोड़ रुपए)

| मार्चांत / बैंक समूह | अनुमानित जोखिम-भारित आस्तियां | परिदृश्य II (पूंजी अपेक्षा - 12 प्रतिशत समग्र तथा 6 प्रतिशत टियर I) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमानित पूंजी अपेक्षा | अनुमानित टियर I पूंजी अपेक्षा | कुल पूंजी में अपेक्षित वृद्धि | टियर I पूंजी में अपेक्षित वृद्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **अनुसूचित वाणिज्य बैंक** | | | | | |
| 2008 | 33,97,383 | 4,07,686 | 2,03,843 | 1,13,617 | 17,273 |
| 2009 | 42,39,008 | 5,08,681 | 2,54,341 | 1,00,407 | 41,697 |
| 2010 | 50,61,643 | 6,07,397 | 3,03,699 | 98,220 | 47,189 |
| 2011 | 60,41,344 | 7,24,961 | 3,62,481 | 1,17,083 | 57,943 |
| 2012 | 72,07,788 | 8,64,935 | 4,32,467 | 1,39,802 | 69,462 |
| **सरकारी क्षेत्र के बैंक** | | | | | |
| 2008 | 22,12,938 | 2,65,553 | 1,32,776 | 71,418 | 11,510 |
| 2009 | 27,61,143 | 3,31,337 | 1,65,669 | 65,785 | 28,740 |
| 2010 | 32,96,979 | 3,95,637 | 1,97,819 | 64,300 | 31,443 |
| 2011 | 39,35,122 | 4,72,215 | 2,36,107 | 76,577 | 38,289 |
| 2012 | 46,94,903 | 5,63,388 | 2,81,694 | 91,174 | 45,587 |
| **निजी क्षेत्र के पुराने बैंक** | | | | | |
| 2008 | 1,38,005 | 16,561 | 8,280 | 4,845 | 900 |
| 2009 | 1,72,192 | 20,663 | 10,332 | 4,058 | 956 |
| 2010 | 2,05,609 | 24,673 | 12,337 | 3,986 | 1,417 |
| 2011 | 2,45,405 | 29,449 | 14,724 | 4,747 | 2,142 |
| 2012 | 2,92,787 | 35,134 | 17,567 | 5,661 | 2,763 |
| **निजी क्षेत्र के नए बैंक** | | | | | |
| 2008 | 6,69,855 | 80,383 | 40,191 | 23,362 | 4,444 |
| 2009 | 8,35,796 | 1,00,296 | 50,148 | 19,913 | 9,713 |
| 2010 | 9,97,993 | 1,19,759 | 59,880 | 19,464 | 9,732 |
| 2011 | 11,91,159 | 1,42,939 | 71,470 | 23,180 | 11,590 |
| 2012 | 14,21,144 | 1,70,537 | 85,269 | 27,598 | 13,799 |
| **विदेशी बैंक** | | | | | |
| 2008 | 3,76,586 | 45,190 | 22,595 | 13,993 | 419 |
| 2009 | 4,69,876 | 56,385 | 28,193 | 10,651 | 2,288 |
| 2010 | 5,61,062 | 67,327 | 33,664 | 10,470 | 4,597 |
| 2011 | 6,69,658 | 80,359 | 40,179 | 12,579 | 5,923 |
| 2012 | 7,98,953 | 95,874 | 47,937 | 15,369 | 7,313 |

परिदृश्य I के तहत लगाए गए अनुमानों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को टियर I पूंजी अपेक्षाओं के लगभग 30 प्रतिशत की जरूरत होगी जिसे अगले 5 वर्षों में आरक्षित निधियों एवं अधिशेष में हुई वृद्धि से इतर संसाधनों से जुटाना होगा ताकि 4.5 प्रतिशत की न्यूनतम टियर I पूंजी अपेक्षा पूरी की जा सके। यह अपेक्षा परिदृश्य II के तहत बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूरी की जानेवाली टियर I पूंजी अपेक्षा 6.0 प्रतिशत होना अनुमानित है। इस अपेक्षा को नवोन्मेष शाश्वत ऋण लिखतों (आइपीडीआइ) तथा शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) के तहत उपलब्ध गुंजाइश का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ बैंक, जहां सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से अधिक है, बाजार से पूंजी जुटाने के लिए उपलब्ध गुंजाइश का उपयोग कर सकते हैं।

5.163 बैंकों को टियर I पूंजी के 40 प्रतिशत तक नवोन्मेष शाश्वत ऋण लिखतों तथा शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों (15 प्रतिशत आइपीडीआइ तथा 25 प्रतिशत पीएनसीपीएस; बैंक 40 प्रतिशत की पूरी सीमा का उपयोग पीएनसीपीएस के लिए कर सकते हैं तथा इस मामले में वे आइपीडीआइ से पूंजी नहीं जुटा सकेंगे) से पूंजी जुटाने की भी अनुमति है। मार्च 2007 के

## सारणी 5.12 : पूंजी का संयोजन - राष्ट्रीयकृत बैंक

| मद / वर्ष | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि करोड़ रु. में | | | | | संबंधित जोड़ में हिस्सा (प्रतिशत) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **क. पूंजी निधि (I+II)** | 44,676 | 55,483 | 75,422 | 97,749 | 129,089 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| i) टियर 1 पूंजी | 28,066 | 32,827 | 46,050 | 72,172 | 84,190 | 62.8 | 59.2 | 61.1 | 73.8 | 65.2 |
| *जिसमें से:* | | | | | | | | | | |
| क)प्रदत्त पूंजी | 13,140 | 13,640 | 14,423 | 11,444 | 11,381 | 46.8 | 41.6 | 31.3 | 15.9 | 13.5 |
| ख)आरक्षित निधि | 21,172 | 25,291 | 37,984 | 61,233 | 72,400 | 75.4 | 77.0 | 82.5 | 84.8 | 86.0 |
| ग)अनाबंटित / प्रेषणयोग्य अधिशेष | 741 | 763 | 1,748 | 2,729 | 3,417 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
| घ)टियर I पूंजी के लिए कटौतियां | 6,986 | 6,866 | 8,105 | 3,234 | 3,006 | 24.9 | 20.9 | 17.6 | 4.5 | 3.6 |
| ङ)शेयर प्रीमियम (वर्ष के दौरान) | 383 | 940 | 3,040 | 5,004 | 696 | 1.4 | 2.9 | 6.6 | 6.9 | 0.8 |
| ii) टियर II पूंजी | 16,610 | 22,656 | 29,372 | 25,577 | 44,899 | 37.2 | 40.8 | 38.9 | 26.2 | 34.8 |
| *जिसमें से:* | | | | | | | | | | |
| क) बट्टागत गौण ऋण | 9,452 | 10,764 | 14,444 | 20,157 | 27,936 | 56.9 | 47.5 | 49.2 | 78.8 | 62.2 |
| ख)निवेश घर-बढ़ आरिक्षित निधि | 4,121 | 8,827 | 10,751 | 72 | – | 24.8 | 39.0 | 36.6 | 0.3 | 0.0 |

अंत में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए इन लिखतों के तहत 33,676 करोड़ रुपए की कुल गुंजाइश थी (सारणी 5.14)। तथापि, कुछ बैंकों द्वारा इन लिखतों के तहत पहले से जुटाई गई पूंजी की मात्रा तक उक्त गुंजाइश कम हो जाएगी। इस प्रकार, 12 प्रतिशत सीआरएआर पर अगले 5 वर्षों के दौरान

## सारणी 5.13 : सरकारी इक्विटी तथा उपलब्ध गुंजाइश - राष्ट्रीयकृत बैंक

(मार्च 2007 के अंत में)

(करोड़ रुपए में)

| बैंक | सरकारी / भारिबैं की शेयरधारिता (प्रतिशत) | कुल प्रदत्त पूंजी | सरकार द्वारा धारित कुल प्रदत्त पूंजी | 51 प्रतिशत से अधिक सरकार की धारिता | सरकारी इक्विटी को 51प्रतिशत तक घटाकर पूंजी जुटाने का विकल्प |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **राष्ट्रीयकृत बैंक** | | **11,381** | **8,441** | **2,637** | **5,171** |
| इलाहाबाद बैंक | 55.2 | 447 | 247 | 19 | 37 |
| आंध्रा बैंक | 51.6 | 485 | 250 | 3 | 6 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 53.8 | 366 | 197 | 10 | 20 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 69.5 | 488 | 339 | 90 | 177 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 76.8 | 431 | 331 | 111 | 218 |
| केनरा बैंक | 73.2 | 410 | 300 | 91 | 178 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 100.0 | 1,124 | 1,124 | 551 | 1,080 |
| कारपोरेशन बैंक | 57.2 | 143 | 82 | 9 | 17 |
| देना बैंक | 51.2 | 287 | 147 | 1 | 1 |
| आइडीबीआइ लि. | 52.7 | 724 | 382 | 12 | 24 |
| इंडियन बैंक | 80.0 | 830 | 664 | 241 | 472 |
| इंडियन ओवरसीज़ बैंक | 61.2 | 545 | 333 | 56 | 109 |
| ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 51.1 | 251 | 128 | 0 | 0 |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 100.0 | 743 | 743 | 364 | 714 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 57.8 | 315 | 182 | 21 | 42 |
| सिंडिकेट बैंक | 66.5 | 522 | 347 | 81 | 159 |
| यूको बैंक | 75.0 | 799 | 600 | 192 | 376 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 55.4 | 505 | 280 | 22 | 44 |
| युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 100.0 | 1,532 | 1,532 | 751 | 1,472 |
| विजया बैंक | 53.9 | 434 | 234 | 13 | 25 |

**सारणी 5.14 : अपेक्षित पूंजी (2007-08 से 2011-12) तथा उपलब्ध गुंजाइश - राष्ट्रीयकृत बैंक**

(करोड़ रुपए में)

| बैंक | 9 प्रतिशत पर अपेक्षित पूंजी में कुल वृद्धि | 12 प्रतिशता पर अपेक्षित पूंजी में कुल वृद्धि | 4.5 प्रतिशत पर अपेक्षित टियर - I पूंजी में कुल वृद्धि | 6 प्रतिशत पर अपेक्षित टियर I पूंजी में कुल वृद्धि | सरकारी इक्विटी को घटाकर उपलब्ध गुंजाइश | आइपीडीआइ तथा अधिमान शेयरों के अंतर्गत उपलब्ध गुंजाइश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मार्च 2007 के अंत से मार्च 2012 के अंत तक | | | | मार्च 2007 के अंत में | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **राष्ट्रीयकृत बैंक** | **1,51,509** | **2,45,041** | **56,109** | **1,02,875** | **5,171** | **33,676** |
| इलाहाबाद बैंक | 6,302 | 10,233 | 2,344 | 4,310 | 37 | 1,421 |
| आंध्रा बैंक | 4,899 | 7,721 | 1,091 | 2,502 | 6 | 1,257 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 13,142 | 20,945 | 4,097 | 7,998 | 20 | 3,043 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 13,647 | 21,633 | 6,155 | 10,148 | 177 | 2,330 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 3,687 | 5,915 | 1,844 | 2,958 | 218 | 600 |
| केनरा बैंक | 14,670 | 24,485 | 6,873 | 11,780 | 178 | 3,140 |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 8,579 | 13,242 | 3,705 | 6,037 | 1,080 | 1,316 |
| कारपोरेशन बैंक | 4,706 | 7,654 | 759 | 2,233 | 17 | 1,465 |
| देना बैंक | 2,759 | 4,367 | 1,326 | 2,130 | 1 | 435 |
| आइडीबीआइ लि. | 11,600 | 19,498 | 3,819 | 7,768 | 24 | 3,211 |
| इंडियन बैंक | 3,763 | 6,407 | 344 | 1,666 | 472 | 1,449 |
| इंडियन ओवरसीज़ बैंक | 7,226 | 11,982 | 2,781 | 5,159 | 109 | 1,741 |
| ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 7,308 | 11,864 | 1,725 | 4,002 | 0 | 2,043 |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 1,738 | 2,850 | 480 | 1,036 | 714 | 475 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 16,211 | 26,159 | 5,015 | 9,989 | 42 | 3,963 |
| सिंडिकेट बैंक | 7,735 | 12,311 | 3,679 | 5,966 | 159 | 1,274 |
| यूको बैंक | 6,746 | 10,689 | 3,372 | 5,344 | 376 | 1,017 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 9,093 | 14,877 | 3,648 | 6,540 | 44 | 2,011 |
| युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 3,629 | 5,817 | 1,397 | 2,491 | 1,472 | 754 |
| विजया बैंक | 4,068 | 6,394 | 1,655 | 2,818 | 25 | 733 |

राष्ट्रीयकृत बैंकों की 1,02,875 करोड़ रुपए की अनुमानित टियर I पूंजी अपेक्षाओं की तुलना में बैंकों के पास पहले से ही 38,847 करोड़ रुपए तक की गुंजाइश है तथा उनकी टियर I पूंजी बढ़ने पर आइपीडीआइ तथा पीएनसीपीएस के तहत अधिक गुंजाइश उपलब्ध होगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि अतीत में बैंक बड़ी मात्रा तक लाभ के विनियोजन पर निर्भर रहे( मार्च 2007 के अंत में टियर I पूंजी अपेक्षाओं का लगभग 86 प्रतिशत आरक्षित निधियों द्वारा पूरा किया गया जैसा कि पहले बताया गया है, तथा यह संभव है कि भविष्य में बैंक ऐसा करना जारी रखें।

## VI. भावी दिशा

5.164 बासेल II में एक नए जोखिम के प्रति संवेदनशील ढांचे को परिभाषित किया गया है, जिसमें तीन परस्पर प्रबलित करनेवाले ऐसे स्तंभ हैं जो वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता में अंशदान कर सकते हैं। यद्यपि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को समर्थक संस्थागत एवं विनियामक वातावरण से लाभ मिला है जैसाकि उनके स्वस्थ और स्थिर वित्तीय प्रोफाइल में प्रतिबिंबित होता है, कुछ कमजोरियों का समाधान, विशेष रूप से बासेल II मानकों को लागू करने की चल रही प्रक्रिया को देखते हुए, अभी भी करने की जरूरत है।

5.165 भारत ने वर्तमान में ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा स्तंभ 1 के तहत मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है। बैंकों तथा रिज़र्व बैंक दोनों के द्वारा पर्याप्त कौशल विकसित किए जाने के बाद, कुछ बैंकों को बासेल II ढांचे के तहत उपलब्ध उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरित होने की अनुमति दी जा सकती है। बैंकों तथा रिज़र्व बैंक दोनों में क्षमता निर्माण, विशेष रूप से उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के संबंध में, एक गंभीर चुनौती है। इसके अलावा, कई अन्य मुद्दों का समाधान करने की भी जरूरत है ताकि बासेल II के लाभ को अधिकतम करना सुनिश्चित किया जा सके।

*बैंकों में बासेल II का कार्यान्वयन*

5.166 जहां तक पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का संबंध है, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलग-अलग स्तरों पर रखे गए हैं। वित्तीय प्रणाली में गैर बासेल संस्थाओं [आरआरबी तथा सहकारी संस्थाएं यथा राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)] का एक छोटा हिस्सा है, अतः प्रणालीगत परिप्रेक्ष्य से वह महत्वपूर्ण नहीं है। तथापि, बासेल II के कार्यान्वयन के

प्रति त्रिपक्षीय दृष्टिकोण, जिसे भारत में अपनाया गया है, बैंकिंग प्रणाली के भीतर विनियामक अंतरपणन के लिए गुंजाइश छोड़ सकता है। गैर बासेल संस्थाएं जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हैं, जमा बीमा का लाभ उठाती हैं तथा भुगतान प्रणाली का अंग हैं। अतः आगे चलकर नीतिगत उद्देश्य यह होना चाहिए कि विनियामक अंतरपणन की गुंजाइश कम की जाए तथा साथ ही एक नाजुक संतुलन बनाए रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संबंधित विनिर्दिष्ट भूमिकाएं निभाने अर्थात, गुरुतर वित्तीय समावेशन की प्राप्ति, विकासात्मक भूमिका निभाने, तथा उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण सुपुर्दगी की वाहिकाओं के रूप में कार्य करने से गैर बासेल संस्थाओं को अवरुद्ध न किया जाए। विनियामक अंतरपणन कम करने के पहले उपाय के रूप में, यह महसूस किया जाता है कि गैर बासेल संस्थाओं को बासेल I मानदंड के अधीन लाया जाए। शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) ऋण जोखिम के लिए पहले से ही बासेल I के तहत हैं। आरआरबी तथा ग्रामीण सहकारिताओं जैसे अन्य बैंकों को उस समय नए प्रोडक्ट और कारोबार शुरू करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किया जाए जब वे बासेल I के अनुपालन का निर्णय करें। ग्रामीण सहकारिताओं के लिए पुनःपूंजीकरण और सुधार के पैकेज का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त बजट समर्थन के जरिए पुनःपूंजीकरण किए जाने के अलावा बासेल I की पूंजी अपेक्षाएं चरणबद्ध तौर पर पूरी करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, ग्रामीण सहकारी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए, कि इन बैंकों द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाए और शीघ्र चेतावनी प्रक्रिया लागू की जाए ताकि कम हो रही पूंजी की समस्याओं का समाधान काफी पहले किया जा सके, भी पहल किए जा रहे हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए बासेल II मानदंडों को लागू करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, अन्य बैंकों के लिए बासेल II मानदंड लागू करने के बारे में दृष्टिकोण बनाने की जरूरत होगी। इन बैंकों द्वारा बासेल II मानदंडों का अनुपालन किए जाने पर उनके साथ वाणिज्य बैंकों जैसा व्यवहार किए जाने की जरूरत होगी।

5.167 बासेल II के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न होनेवाला एक और संभावित परिदृश्य वित्तीय क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी घटकों अर्थात बैंकिंग, प्रतिभूति और बीमा क्षेत्रों के बीच विनियामक युग में असममिति है। बासेल II वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र के साथ, तीन व्यापक खंडों विशेष रूप से बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के बीच विनियामक अंतरपणन की कुछ गुंजाइश मौजूद रहेगी। संयुक्त मंच[7] ने इस दिशा में कुछ पहल किए हैं,जिनका अनुसरण आगे किया जाना है ताकि वित्तीय मध्यस्थता के कारोबार के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करनेवाले तीनों क्षेत्रों के बीच विनियामक भार के स्तर में कुछ समता प्राप्त की जा सके।

*प्रचक्रीयता का शमन*

5.168 बासेल II के कार्यान्वयन का प्रतिकूल परिणाम बैंकों का प्रचक्रीय व्यवहार हो सकता है। अतः भारत की समष्टि अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल प्रभाव से रक्षा करने की जरूरत है। इस प्रकार का एक उपाय अधिक तनावपूर्ण आर्थिक स्थितियों के आधार पर पूंजी रखना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक गिरावट की अवधि में बैंक पर्याप्त पूंजी रखें। बासेल II में तनाव परीक्षण की अपेक्षा निहित होती है जिसमें बैंकों को अपने संविभागों का अनुसरण करना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि आर्थिक चक्र, विशेष रूप से गिरावट की स्थितियों में, किस प्रकार जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं को प्रभावित करते हैं। साथ ही, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत जो पर्यवेक्षणात्मक कार्रवाइयों को घनिष्ठ तौर पर, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक के पूंजी अनुपात के साथ जोड़ता है, रिज़र्व बैंक से यह अपेक्षा है कि वह बैंकों के विरुद्ध उनके जोखिम आधारित पूंजी अनुपात में गिरावट होने पर अधिकाधिक कड़ी सुधारात्मक कार्रवाई करे। इसका प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय रूप से संकटग्रस्त बैंकों की समस्याओं को दूर करने के लिए समय पर विनियामक कार्रवाई की जाती है। अतः निर्धारित अनुपात के काफी ऊपर न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं बनाए रखने के लिए बैंकों के पास सुदृढ़ प्रोत्साहन है जैसाकि कई बैंकों ने अतीत में किया है। यह आशा है कि भविष्य में बैंक अपनी विनियामक पूंजी की स्थिति का प्रबंधन इस रूप में करेंगी ताकि आर्थिक गिरावट के दौरान वे पर्याप्त रूप में पूंजीकृत बने रहें ताकि उन्हें पूंजी चुकाने की जरूरत न पड़े। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बैंकों की पूंजी अपेक्षाकृत स्थिर रहेगी जबकि अपेक्षित पूंजी और वास्तविक पूंजी के बीच कुशन में आर्थिक चक्र के दौरान बदलाव आएगा।

*उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के पूर्व के रक्षोपाय*

5.169 रिज़र्व बैंक ने पहले ही संकेत दिया है कि उचित समय पर उन्नत दृष्टिकोणों की अनुमति दी जाएगी। पर्याप्त लागत तथा उन्नत दृष्टिकोणों की जटिलता तथा उनसे जुड़ी अनिश्चितताओं और जोखिमों को देखते हुए, इस प्रकार के दृष्टिकोणों की अनुमति देने के पहले पर्याप्त रक्षोपाय करने की जरूरत है। पहला, बासेल II मॉडल द्वारा उत्पन्न पूंजी अपेक्षाओं की उपयुक्तता अंशतः बैंकों द्वारा प्रयोग की गई आंकड़ा निविष्टियों की पर्याप्तता पर निर्भर होती है। बैंकों को अपने मॉडलों पर विचार करने के लिए तनावपूर्ण आर्थिक अवधि संबंधी आंकड़ों की भी जरूरत होगी। तथापि, इन आंकड़ा पर्याप्तता संबंधी चुनौतियों का तथा सभी संविभागों के लिए उन्नत दृष्टिकोणों का उपयोग करने संबंधी बैंक की योग्यता पर उनके प्रभाव का समाधान करने के लिए, रिज़र्व बैंक को यह

[7] बैंकिंग,प्रतिभूति और बीमा क्षेत्रों के लिए सामान्य मुद्दों, वित्तीय संगुटों के विनियमन सहित, से निपटने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस), प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आइओएसओ) तथा बीमा पर्यवेक्षकों के अंतरराष्ट्रीय संघ (आइएआइएस) के पर्यवेक्षण में 1996 में संयुक्त मंच की स्थापना की गई।

निर्णय लेना होगा कि जब कतिपय संविभागों की जोखिमों का आकलन करने के लिए पर्याप्त आंकड़ा सीमित हो तो उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति जाने की अनुमति देने के लिए क्या बैंकों की पहचान की जाए और कैसी की जाए। सीमित आंकड़ों की उपलब्धता तथा उन्नत दृष्टिकोणों का अनुसरण करने के लिए बैंकों को अनुमति देने के पूर्व आर्थिक गिरावट की स्थितियों को एलजीडी अनुमानों में समाविष्ट करने के उद्योग के अनुभव के अभाव का समाधान करने की जरूरत होगी। दूसरा, जहां उन्नत दृष्टिकोण अधिक दक्ष रूप में पूंजी के उपयोग की अनुमति देते हैं, यह संभव है कि 9 प्रतिशत का निर्धारित अनुपात बैंकों द्वारा जारी रखने के बावजूद पूंजी की अपेक्षाओं में उल्लेखनीय गिरावट आए। इस प्रकार यदि बैंक जोखिम भारित आस्तियों के संबंध में 9 प्रतिशत का न्यूनतम निर्धारित अनुपात बनाए भी रखें, तो भी बैंकों द्वारा रखी जानेवाली पूंजी की कुल मात्रा उन्नत दृष्टिकोणों के तहत उल्लेखनीय रूप से कम हो सकती है। अतः शायद यह वांछनीय होगा कि न्यूनतम लीवरेज अनुपात (कुल आस्तियों की तुलना में पूंजी) निर्धारित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंकों द्वारा धारित पूंजी माप संबंधी दृष्टिकोणों से निरपेक्ष उसके परिचालनों के कुल आकार के किसी अनुपात में है। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि इससे जोखिम के प्रति संवेदनशील पूंजी अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। तथापि, लीवरेज अनुपात तथा जोखिम-संवदेनशील अनुपात को पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। जिस तरह से जोखिम संवेदनशील अनुपात सामान्य लीवरेज अनुपात की कमजोरी को प्रतितुलित करता है, उसी तरह लीवरेज अनुपात में जोखिम आधारित अनुपात की कमजोरियों को प्रतितुलित करने की संभाव्यता है। उदाहरण के लिए, बासेल II ढांचे के तहत आनेवाले कुछ बैंक कृषि तथा एसएमई क्षेत्रों को उधार नहीं देंगे क्योंकि उन्हें जोखिमपूर्ण माना जाता है तथा बैंक सिर्फ कम जोखिमवाला संविभाग पसंद करेंगे। ऐसे मामलों में जोखिम संवदेनशीलता को कुछ कम करके लीवरेज अनुपात जोखिमपूर्ण माने गए क्षेत्रों को उधार देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित कर सकता है। कम जोखिम प्रोफाइल वाले बैंकों के लिए लीवरेज अनुपात जोखिम संवदेनशील बासेल II अपेक्षाओं की तुलना में उच्चतर हो सकता है। यहां यह भी नोट किया जाए कि अमरीका में ऐतिहासिक रूप से लीवरेज अनुपात (तुलनपत्र वाली आस्तियों के प्रति सामान्य पूंजी अनुपात) अपनाया गया है तथा इसने बासेल I के बाद भी लीवरेज अनुपात लागू करना जारी रखा और उसका कहना है कि बासेल II के तहत भी बैंक लीवरेज अनुपात के अधीन बने रहेंगे। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि उनके द्वारा रखी जानेवाली न्यूनतम पूंजी विवेकपूर्ण निचले स्तर के अधीन होनी चाहिए। तथापि, ऐसी अपेक्षा संशोधित बासेल II ढांचे के पहले तीन साल के दौरान ही की जाएगी। बैंकों को एक बार कुछ लीवरेज अनुपात के भी अधीन लाए जाने पर, यह सुनिश्चित होगा कि उनके द्वारा रखी गई पूंजी कतिपय स्तर के नीचे न जाए। तीसरा, उन्नत दृष्टिकोण लागू करने में रिज़र्व बैंक को मुद्दों की बढ़ी हुई जटिलता से निपटना होगा। रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा अपनाए गए मॉडलों के वैधीकरण सहित अधिकाधिक जटिल मुद्दों पर निर्णय लेना होगा। लचीलेपन की अनुमति दिए जाने के कारण सभी बैंकों में सुसंगत तौर पर बासेल II संबंधी अपेक्षाओं को लागू करना भी एक चुनौती होगी। इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए, मात्रात्मक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपयुक्त मानव संसाधन कौशल विकसित करना जरूरी होगा। इस प्रकार, उन्नत दृष्टिकोणों के साथ आगे बढ़ने पर संभाव्य रूप से कुछ जोखिमें आ सकती हैं, प्रस्तावित रक्षोपाय तथा लीवरेज अनुपात विनिर्दिष्ट करने से संभाव्य ऋणात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलनी चाहिए।

*रेटिंग एजेंसियों की भूमिका*

5.170 भारत में अपनायी गयी ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, संविभाग के बाह्य रेटिंग मूल्यांकन द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जानी होगी। रेटिंग के सीमित प्रवेश तथा विभिन्न आस्तियों के लिए विश्वसनीय रेटिंग के अभाव को देखते हुए, भारतीय बैंकिंग उद्योग बासेल II के लचीलेपन का पूर्ण दोहन करने में समर्थ नहीं होगा। हाल के सब-प्राइम बंधक ऋण संकट में रेटिंग एजेंसियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। रेटिंग की वास्तविक व्याप्ति के बारे में भी कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। जहां रेटिंग एजेंसियां ऋण जोखिम के आकलन के लिए भी स्वयं को जिम्मेदार मानती हैं, कई निधि प्रबंधक, विशेष रूप से अल्पावधि निवेश निधि, यह आशा कर सकते हैं कि रेटिंग द्वारा उनके निवेशों से संबंधित सभी जोखिमों (उल्लेखनीय रूप से तरलता जोखिम) को शामिल किया जाएगा। दूसरी गलतफहमी रेटिंग संरचनागत उत्पादों के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए गए माप से उत्पन होती है, जो प्रस्तुतीकरण में परंपरागत बांड उत्पादों से मिलता-जुलता है। एक सीडीओ को तथा एक कंपनी बांड को एएए रेटिंग देने के परिणाम एक समान नहीं होते हैं। एक संरचनागत उत्पाद के लिए एएए रेटिंग की संभाव्य अस्थिरता, विशेष रूप में, परंपरागत उत्पाद की तुलना में अधिक गुरुतर होती है (उसी परिमाण के आघात के लिए, अन्य सभी बातें समान होने पर)। संरचनागत उत्पादों का निर्माण सह-संबंधों और लीवरेज के आधार पर होता है। यदि एक अधिक जोखिमपूर्ण श्रृंखला चूक द्वारा प्रभावित होती है, तो दूसरी श्रृंखलाओं का मूल्य (तथा रेटिंग ) भी उनके गौण स्तर में कमी के जरिए संसर्ग द्वारा प्रभावित होगा। इन्हें ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ तीन क्षेत्रों में संभावित सुधारों के बारे में भविष्य में विचार किया जा सकता है। पहला, रेटिंग की पद्धतियों में तथा प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में रेटिंग एजेंसियों की समग्र भूमिका में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरा, बांड तथा संरचनागत उत्पादों की रेटिंग के लिए उपयोग किए गए माप में उल्लेखनीय अंतर किया जाना चाहिए ताकि या तो संरचनागत उत्पादों के लिए अन्य रेटिंग पैमाना अपनाकर (उदाहरण के लिए अन्य चिह्न के साथ) अथवा विशेष रूप से बाजार या चलनिधि तनाव के समय में इसकी अस्थिरता पर क्रेडिट रेटिंग में अतिरिक्त माप शामिल कर रेटिंग के महत्व में अंतर किया जा सके। इसके अलावा, तरलता जोखिम के लिए भी विशिष्ट रेटिंग की खोज की जरूरत है, हालांकि इस प्रकार के अभ्यास में कठिनाइयां हैं। रेटिंग एजेंसियों के कार्यकलापों में

हितों के संभाव्य टकराव संबंधी मुद्दे भी उठाए गए हैं क्योंकि उन्हें उन्हीं संस्थाओं द्वारा भुगतान किया जाता है जिनकी वे रेटिंग करते हैं। अतः रेटिंग एजेंसियों की प्रोत्साहन संरचना को बदलने की जरूरत है।

*जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का निरंतर अपग्रेडेशन*

5.171 यद्यपि भारत स्थित बैंक रिज़र्व बैंक के विनियामक पहलुओं के निदेश के अनुसार बासेल II ढांचे के तहत अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को अपग्रेड कर रहे हैं, सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रस्तावों के कार्यान्वयन को अपने आप में उद्देश्य नहीं माना जाना चाहिए अपितु इसे ऐसे साधन के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके द्वारा बैंकों में बदलते हुए वातावरण के अनुरूप जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को निरंतर अपग्रेड किया जा सके। हाल के उथल-पुथल से इसका महत्व स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, जिसने ऋण, बाजार चलनिधि तथा निधीयन चलनिधि जोखिमों के बीच ऐसी अंतःक्रियाओं को सामने लाया जिसकी आशा कई विनियमित वित्तीय संस्थाओं ने नहीं की थी। मूल्यन, जोखिम प्रकटीकरण और लेखांकन होने पर, हाल के उथल-पुथल ने जटिल उत्पादों की पारदर्शिता और उनके मूल्यन की कमियों को उजागर कर दिया है। इसने संबंधित तुलनपत्र बाह्य संस्थाओं के समेकन के लिए सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में चिंताएं भी उत्पन्न कर दी हैं। बैंकिंग में कई जोखिम प्रबंधन संबंधी चुनौतियां अंतर्निहित हैं जिनके लिए सतर्कतापूर्वक पहचान और ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। सर्वाधिक मूल जोखिम प्रबंधन चुनौतियों में से एक जोखिमों के संकेंद्रण से संबंधित है। शताब्दियों से जोखिम प्रबंधन तकनीक विकसित होने के साथ बैंकर जोखिम संकेंद्रणों की पहचान, उनकी माप तथा उनके प्रबंधन में अधिक दक्ष हो गए, परंतु संकेंद्रणों द्वारा प्रस्तुत मूल समस्या - कि हानियां एक ही समय में हो सकती हैं - अभी भी मौजूद है, सामान्य तौर पर उसके गैर अनुकूल परिणाम हैं। सामान्य समय में जोखिम संकेंद्रण छुपे हुए हो सकते हैं तथा तनाव के समय ही वे स्वयं प्रकट होंगे जब सामान्य समय में कम अथवा ऋणात्मक सहसंबंध रखनेवाले कार्यकलाप या लिखतें चलनिधि के लिए मांग में बाजारव्यापी वृद्धि के साथ अचानक सहसंबद्ध बन जाती हैं, जैसाकि हाल के वित्तीय बाजार संकट में देखा गया।

*चलनिधि जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना*

5.172 कारगर चलनिधि जोखिम प्रबंधन सामान्यतः वित्तीय तनाव की अवधि के दौरान एक चुनौती के रूप में उस समय उभरता है, जब कई बाजार कम तरल होकर कुछ संस्थाओं के लिए उनका निधीयन कठिन बना देते हैं। हाल के महीनों में, चलनिधि जोखिम प्रबंधन से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियां अमरीकी सब-प्राइम संकट तथा यू.के. में नॉर्दन रॉक बैंक के संदर्भ में प्रकट हो गईं। सुदृढ़ पूंजी आधारवाले बैंकों को भी चलनिधि की समस्या का अनुभव हुआ क्योंकि उनके पास सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणाली नहीं थी।

5.173 बासेल II के तहत यद्यपि चलनिधि जोखिम स्तंभ 1 जोखिम जैसी व्यक्त नहीं मानी जाती, यह कहा जाता है कि बैंक के स्तंभ 2 आकलन में चलनिधि जोखिम सहित संस्था के सामने मौजूद जोखिमों के सभी रेंज को कवर किया जाना चाहिए। चलनिधि आघातों से उत्पन्न संभाव्य आस्ति विस्तार के लिए पर्याप्त तनाव और परिदृश्य परीक्षण बाजार के प्रतिभागियों को उनके जोखिम प्रोफाइल के बारे में बताने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीसीबीएस ने हाल के संकट द्वारा पहचानी गई कमजोरियों के आकलन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है ताकि चलनिधि जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए वैश्विक मानक तैयार किए जा सके तथा उसे अन्य जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों के साथ अधिक घनिष्ठतापूर्वक समन्वित किया जा सके।

*प्रौद्योगिकी की भूमिका*

5.174 बासेल II ढांचे का वित्तीय संस्थाओं के आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उल्लेखनीय असर है क्योंकि बैंक प्रबंधनों से यह अपेक्षा है कि वे अपने उद्यमों की कारोबारी जरूरतों को उन्हें समर्थित करनेवाली प्रौद्योगिकियों के साथ संरेखित करें। बासेल II अपेक्षा पूरी करने संबंधी आरोह्यता अथवा अनुकूलनीयता का आकलन किए बिना कुछ बैंकों द्वारा मूल बैंकिंग समाधान का कार्यान्वयन चिंता का क्षेत्र हो सकता है। बैंकों के लिए इस संबंध में यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि वे प्रौद्योगिकी में अपने निवेश से अधिकतम लाभ उठा सकें तथा प्रौद्योगिकी को असमन्वित रूप से तथा टुकड़ों में अपनाने; अनुपयुक्त /असंगत प्रौद्योगिकी अपनाने; तथा पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण होनेवाले व्यर्थ के खर्च को बचा सकें। प्रौद्योगिकी के अलावा, मानव संसाधन के कौशल के वर्तमान स्तरों को भी बैंक स्तर पर अनुपूर्त/ अपग्रेड करना अपेक्षित होगा।

*पर्यवेक्षणात्मक कौशल बनाना*

5.175 बासेल II के कार्यान्वयन में रिज़र्व बैंक के सामने मानव पूंजी संबंधी कई चुनौतियां हैं। यद्यपि बासेल II के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए उसी प्रकार के कौशल की जरूरत पड़ती है जैसी हर प्रकार के जोखिम प्रबंधन पर्यवेक्षण के लिए जरूरी होता है, तथापि अतिरिक्त मात्रात्मक कौशल आवश्यक होगा। पर्यवेक्षणात्मक स्टाफ को आंतरिक नियंत्रण समीक्षा, आर्थिक पूंजी, परिचालनात्मक जोखिम तथा क्रेडिट रेटिंग के वैधीकरण सहित कई क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना जरूरी होगा। रिज़र्व बैंक ने बासेल II मानदंडों की अपेक्षा के अनुरूप मानव संसाधन कौशल विकसित करने के लिए पहले ही कई उपाय शुरू कर दिए हैं। आगे चलकर, मानव संसाधन कौशल संबंधी अपेक्षाओं की निरंतर समीक्षा करने तथा समय पर उपाय करने की जरूरत पड़ेगी।

*सामान्य रिपोर्टिंग टेम्पलेट*

5.176 स्तंभ 2 के तहत, बैंक उन आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को विकसित करने में अगुवाई करते हैं जो विनियामक तथा आर्थिक पूंजी के सुदृढ़ अनुमानों का समर्थन करती हैं। स्तंभ 2 के तहत, रिज़र्व बैंक

द्वारा आइसीएएपी प्रलेख में निर्धारित सामान्य रिपोर्टिंग टेंपलेट बैंकों के बीच आसान तुलनीयता सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में जोखिम घटकों/परिचालनात्मक हानियों की तुलना/स्व-मूल्यांकन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा बाह्य बेंचमार्क भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

*गुरुतर पारदर्शिता*

5.177 जैसे-जैसे बैंक पूंजी बाजारों से अधिकाधिक पूंजी जुटाएंगे, बढ़ी हुई पारदर्शिता तथा बाजार अनुशासन के जरिए स्तंभ 3 अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। बैंक वैधीकरण और बारंबारता सहित अपने प्रकटीकरण की उपयुक्तता के आकलन के लिए एक प्रणाली बनाने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, उल्लिखित कारोबारी उद्देश्यों के संदर्भ में बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे रिपोर्टिंग ढांचा/प्रकटीकरण की अभिकल्पना करें तथा जोखिम एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के बारे में पब्लिक डोमेन पर जानकारी प्रस्तुत करें। रिज़र्व बैंक द्वारा इस जानकारी का उपयोग बैंकों के बीच तुलना के लिए किया जा सकता है।

*गृह मेजबान मुद्दों का समन्वय*

5.178 कई देशी बैंक अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय हैं। भारत में कई विदेशी बैंक भी कार्यरत हैं। विभिन्न देशों में पर्यवेक्षकों की चिंताओं एवं उनके उद्देश्य में अंतर के कारण बासेल II के कार्यान्वयन से गृह-मेजबान समन्वयन की चुनौती उपस्थित हो सकती है। जहां मेजबान देश के पर्यवेक्षकों को उन अंतरों को समायोजित करने की लागत का सामना करना पड़ता है जिसमें विदेशी बैंक बासेल II का कार्यान्वयन करेंगे, वहीं बैंक तथा गृह देश के पर्यवेक्षकों को मेजबान पर्यवेक्षकों की घुसपैठ, उनके सवालों तथा विशेष नियम की चिंता होती है (बेरनांके, 2004)। इस स्वरूप के जटिल कार्य के प्रबंधन का आदर्श समाधान पर्यवेक्षकों के बीच पारस्परिक सहयोग के जरिए प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः उन्होंने अलग-अलग बैंकों के स्तर पर विशेष रूप से स्तंभ 1 (न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं) संबंधी गृह-मेजबान कार्यान्वयन मुद्दों का समन्वय करने में काफी प्रगति की है। बीसीबीएस में समझौता कार्यान्वयन दल (एआइजी) अब स्तंभ 2 (पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया) पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा यह स्तंभ 3 (बाजार अनुशासन) पर भी कार्य शुरू करेगा। 'पर्यवेक्षणात्मक परिषद' जैसी चल रही पर्यवेक्षणात्मक व्यवस्थाओं के साथ बासेल II के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप में विभिन्न देशों के बीच कार्यान्वयन से पर्यवेक्षकों के बीच अधिक प्रभावी सहयोग तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव है। तथापि, आगे चलकर गृह मेजबान समन्वयन मसलों से समय-समय पर तनाव उत्पन्न हो सकते हैं तथा उनसे उपयुक्त रूप में निपटना एक चुनौती होगी (अध्याय X भी देखें)।

## VII. सारांश

5.179 बासेल I ने कई सालों से विनियामकों तथा बैंकों की भलीभांति आवश्यकता पूरी की है तथा कई छोटी संस्थाओं की जरूरत इससे पूरी हो रही है। तथापि, बड़े और जटिल बैंकिंग संगठनों के लिए, यह अंतर्निहित जोखिमों के साथ अपेक्षित विनियामक पूंजी को पर्याप्त रूप में संरेखित करने में अधिकाधिक विफल रहा है। बासेल II उन्नत जोखिम प्रबंधन तकनीकों के जरिए अंतर्निहित जोखिमों के साथ पूंजी अपेक्षाओं को संरेखित कर तथा जोखिम प्रबंधन के प्रति अधिक अनुशासित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित कर विनियामक पूंजी ढांचे में मूलभूत बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। अतः बासेल II से बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता के संवर्धन में मदद मिलेगी। तथापि, हाल में हुए वित्तीय बाजार के उथल-पुथल को देखते हुए, बासेल II के ढांचे में कई आशोधनों का सुझाव दिया गया है। इन उपायों का मूल्यांकन भविष्य में संकट को रोकने की उनकी योग्यता के रूप में किए जाने की जरूरत है। प्रत्यक्ष विनियामक हस्तक्षेपों यथा अधिक पूंजी का अधिदेश देने की आर्थिक लागत हो सकती है, तथा इस संदर्भ में पूंजी बीमा का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें अधिक पूंजी का अंतरण संकटग्रस्त बैंकिंग फर्मों के तुलनपत्रों में करना संभव होगा (कश्यप,रंजन तथा स्टेन, 2008)।

5.180 रिज़र्व बैंक ने भारत में परिचालित विदेशी बैंकों तथा विदेशी उपस्थिति वाले भारतीय बैंकों के मामले में मार्च 2008 को समाप्त वर्ष से ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण के उपयोग की घोषणा की है। ऐसी आशा है कि अन्य बैंक मार्च 2009 तक बासेल II को अपना लेंगे। बासेल II मानदंडों में कारगर अंतरण सुनिश्चित करने के लिए उपाय शुरू किए गए। वस्तुतः जिन बैंकों को मार्च 2008 को समाप्त वर्ष से इस प्रकार के मानदंड लागू करने थे, उन्होंने सफलतापूर्वक पहले ही ऐसा कर लिया है। अन्य बैंकों के लिए समानांतर उपाय किए जा रहे हैं। चूंकि बैंकों को परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखना होगा, पूंजी की समग्र अपेक्षाएं बढ़ने की आशा है, भले ही ऋण जोखिम के लिए अपेक्षित पूंजी में गिरावट हों। वर्तमान में भारत के अधिकांश बैंक निर्धारित स्तर की तुलना में उच्चतर पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर कार्य कर रहे हैं। अतः, निकट भविष्य के लिए बासेल II की अपेक्षाएं पूरी करना कोई मुद्दा नहीं होगा। तथापि, आगे चलकर पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करना, विशेषतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए, एक प्रमुख चुनौती होगी।

5.181 अगले पांच वर्षों में (मार्च 2008 के अंत से मार्च 2012 के अंत तक) बैंकों द्वारा 12 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखे जाने की कल्पना करते हुए कुल पूंजी अपेक्षाओं में 5,69,129 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल पूंजी अपेक्षाओं में 3,69,254 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। तथापि, अतीत में पूंजी अपेक्षाओं के 85 प्रतिशत से अधिक को आरक्षित निधियों से पूरा किया गया था तथा यह संभव है कि भविष्य में बैंक ऐसा करना जारी रखें। इसके अलावा, सरकारी इक्विटी को कम करने तथा नवोन्मेष लिखतों (आइपीडीआइ) तथा अधिमान शेयरों के तहत निधियां जुटाने के लिए भी बैंकों के पास कुछ गुंजाइश है।

5.182 बासेल II के कार्यान्वयन से कार्यान्वयन संबंधी कई चुनौतियां सामने आएंगी। इसके अलावा, आगे चलकर कई अन्य मसलों का समाधान करना पड़ेगा। भारत ने त्रिस्तरीय विधि का अनुसरण किया है, जिसके द्वारा वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के मामले में विभिन्न स्तरों पर रखा जाता है। यद्यपि प्रणालीगत दृष्टिकोण से इससे कोई चिंता उत्पन्न नहीं होती, फिर भी यह विनियामक अंतरपणन को जन्म देता है। अतः गैर बासेल संस्थाओं को बासेल I मानदंडों के अधीन लाने की जरूरत है। बाद में, वाणिज्यक बैंकों के मामले में बासेल II ढांचे के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर अन्य बैंकों के लिए बासेल II मानदंड लागू करने के बारे में राय बनायी जा सकती है। बैंकों का प्रचक्रीय व्यवहार बासेल II मानदंडों की एक गंभीर घटना है, इस प्रकार के व्यवहार को कम करने के लिए, बैंकों के लिए वांछनीय है कि वे निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक पूंजी रखें ताकि गिरावट के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को उनके उधार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा बाजार से पूंजी जुटाना उनके लिए कठिन न हो। रिज़र्व बैंक ने पहले ही संकेत दिया है कि बैंकों को उचित समय पर उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। उन्नत दृष्टिकोण जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, अतः उनसे वित्तीय स्थिरता के संवर्धन में मदद मिलेगी। तथापि, ऐसे दृष्टिकोणों के साथ अनिश्चितताएं तथा जोखिम भी जुड़ी हुई हैं। अतः यह जरूरी है कि उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने के पहले पर्याप्त रक्षोपाय किए जाएं। इनमें मानव संसाधन कौशल विकसित करना तथा लीवरेज अनुपात निर्धारित करना शामिल हैं ताकि रखी गई पूंजी में उल्लेखनीय गिरावट न आए। रेटिंग एजेंसियों से संबंधित कुछ मुद्दों का समाधान करने की भी जरूरत है। रेटिंग एजेंसियों के कार्यकलापों में हितों के संभावित टकराव के मुद्दे भी उठाए गए हैं। यद्यपि बैंकों ने जोखिम प्रबंधन प्रथाएं अपनायी हैं, आगे चलकर ऐसी प्रणाली को बदलती मांग के अनुरूप निरंतर अपग्रेड करना होगा। बैंकों के परिचालन में प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका बनी रहेगी। इस संबंध में बैंकों के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि वे प्रौद्योगिकी में अपने निवेश का अधिकतम लाभ उठाएं तथा ऐसे फालतू खर्च को टालें जो प्रौद्योगिकी के असमन्वित और टुकड़ों में अपनाए जाने, अनुपयुक्त/असंगत प्रौद्योगिकी अपनाने तथा पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण उत्पन्न हो सकता है। अतः बैंकों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके द्वारा अपनायी गयी प्रौद्योगिकी उनकी अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त है तथा कम खर्चीली है। बासेल II मानदंड के कार्यान्वयन से गृह मेजबान समन्वय मुद्दों पर तनाव उत्पन्न हो सकता है तथा ऐसे तनावों को कम करना एक चुनौती होगी।बासेल II में बासेल I की तुलना में, जो समय बीतने के साथ अधिकाधिक अपर्याप्त होता गया, उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूंजी को अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाकर बासेल II मानदंडों से बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता के संवर्धन की आशा है। तथापि, इसकी कुछ खामियों के प्रति उपयुक्त सुरक्षोपाय करके ही इसका पूरा लाभ उठाया जा सकेगा।

## अनुबंध V.1: बासेल II का कार्यान्वयन: विभिन्न देशों की स्थिति

| देश | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|
| आस्ट्रेलिया | आस्ट्रेलियन प्रूडेन्शियल रेगुलेशन अथॉरिटी (एपीआरए)ने व्यापक औद्योगिक समेकन के पश्चात वर्ष 2005 में बासेल II विवकपूर्ण मानकों को अंतिम रूप दिया। वर्तमान में आस्ट्रेलिया में जमा लेनेवाली ज्यादातर प्राधिकृत संस्थाएं (एडीआइ) बासेल II ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध मानकीकृत दृष्टिकोणों का इस्तेमाल कर रही हैं। इन एडीआइ के लिए रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं मोटे तौर पर पिछली पूंजीगत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं ही हैं, जिनके साथ परिचालनात्मक जोखिम एवं प्रतिभूतिकरण जैसे क्षेत्रों में अपेक्षाओं में कुछ वृद्धि की गई है। दिसंबर 2007 में, एपीआरए ने उन एडीआइ की सूची की घोषणा की, जिन्हें बासेल II फ्रेमवर्क के अंतर्गत उपलब्ध उन्नत दृष्टिकोण 1 जनवरी 2008 से अपनाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्पश्चात फरवरी 2008 में एपीआरए ने नए बासेल II पूंजी पर्याप्तता युग के अंतर्गत एडीआइ के लिए अपनी रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को जारी किया। इन दिशानिर्देशों में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम के लिए एवं बासेल II के उन्नत दृष्टिकोणों, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, का उपयोग करने के लिए एपीआरए द्वारा अनुमोदित एडीआइ के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी की गणना के ब्यौरे दिए गए हैं। |
| ब्राजील | दिसंबर 2004 में बांको सेंट्रल डो ब्रासिल ने ब्राजील में बासेल II के कार्यान्वयन के लिए एक अनुसूची जारी की। यह पांच चरणीय प्रक्रिया 2011 में अपने चरम पर होगी। |
| चीन | व्यापक समुद्रपारीय परिचालनों के साथ बड़े चीनी बैंकों जैसे कि इंडस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना को वर्ष 2010 तक नए मानकों का कार्यान्वयन करना होगा। बैंक अंतिम तिथि तीन वर्षों तक बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सूचित किया गया था कि चीनी विनियामक बड़े स्थानीय उधारदाताओं को उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित प्रणाली (ए-आइआरबी) शुरू करने पर भी दबाव डाल रहे हैं। |
| यूरोपियन यूनियन | यूरोपियन यूनियन ने ईयू पूंजी अपेक्षा निदेश (सीआरडी) के माध्यम से बासेल II फ्रेमवर्क पहले ही लागू कर दिया है। कई यूरोपियन बैंकों ने नई प्रणाली के अनुसार अपना पूंजी पर्याप्तता अनुपात बताना पहले से ही आरंभ कर दिया है। सभी ऋण संस्थाएं वर्ष 2008 तक इस फ्रेमवर्क को अपना लेंगी। |
| हांग कांग | हांग कांग स्थित बैंकों ने बासेल II नियमों को द्विचरणीय कार्यक्रम के अंतर्गत लागू करना आरंभ कर दिया है जो वर्ष 2007 के आरंभ से जनवरी 2008 तक चला। पूंजी एवं प्रकटीकरण नियम 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हुए। वर्ष 2007 में, हांग कांग मॉनीटरी अथॉरिटी (एचकेएमए) ने चार प्राधिकृत संस्थाओं (एआइ) को अनुमोदन दिया ताकि वे और उन्नत दृष्टिकोण अपना सकें। एचकेएमए ने परिचालनात्मक जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अथवा वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए आवेदनों की समीक्षा के लिए एक संरचनात्मक प्रक्रिया भी स्थापित की थी। स्तंभ 2 के तहत स्थानीय एआइ के बारे में पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया का पहला दौर 2007 में पूरा हुआ। एचकेएमए वर्ष 2008 में बासेल II आवेदनों पर कार्रवाई करना जारी रखने की योजना बना रहा है। बासेल II को स्वीकृत करने के पश्चात जोखिम प्रबंधन प्रथाएं बढ़ाने के लिए एक समीक्षा भी विचाराधीन है। |
| इंडोनेशिया | बैंक ऑफ इंडोनेशिया वर्ष 2009 से मानकीकृत, आंतरिक रेटिंग आधारित एवं उन्नत दृष्टिकोण को लागू करेगा। इन दृष्टिकोणों को कालान्तर में चरणबद्ध ढंग से लाया जाएगा। प्रयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों पर निर्णय पर्यवेक्षक के अनुमोदन से अलग-अलग बैंकों द्वारा लिया जाएगा। यदि बैंक ने पहले से ही आंतरिक रेटिंग आधारित अथवा उन्नत दृष्टिकोण का प्रयोग कर लिया है तो प्रयुक्त दृष्टिकोण की जगह मानकीकृत दृष्टिकोण लाए जाने की अनुमति बैंक पर्यवेक्षक के अनुमोदन के बिना नहीं होगी। |
| जापान | मार्च 2007 के अंत से बासेल II को वित्तीय सेवा एजेंसी (एफएसए) द्वारा कार्यान्वित किया गया था। मार्च 2007 के अंत में एफएसए ने कुल 23 समूहों एवं 19 वित्तीय संस्थाओं द्वारा एफआइआरबी दृष्टिकोण अपनाने को अनुमोदित किया था। परिचालनात्मक जोखिम को मापने के लिए वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित तीन विकल्पों में से उनके लिए सबसे बेहतर दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है : मूल संकेतक दृष्टिकोण, मानकीकृत दृष्टिकोण तथा उन्नत माप दृष्टिकोण। जो वित्तीय संस्थाएं मानकीकृत दृष्टिकोण अथवा उन्नत माप दृष्टिकोण को अपनाना चाहती हैं, उनसे अपेक्षा है कि वे विनियामक प्राधिकारियों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लें। मानकीकृत दृष्टिकोण के संबंध में एफएसए ने मार्च 2007 में 22 समूहों तथा 45 वित्तीय संस्थाओं को उसके प्रयोग हेतु अनुमोदन दिया है। परिचालनात्मक जोखिम के संबंध में उन्नत माप दृष्टिकोण मार्च 2008 के अंत में कार्यान्वित करना तय है। |
| मलेशिया | अप्रैल 2007 में बैंक नेगारा मलेशिया ने बैंकिंग संस्थाओं तथा बीमाकर्ताओं के लिए संशोधित पूंजी रूपरेखा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संशोधित पूंजी रूपरेखा को प्रायोगिक आधार पर अप्रैल 2007 के प्रारंभ में कार्यान्वित किया गया था। बैंकिंग संस्थाओं के लिए संशोधित पूंजी फ्रेमवर्क बासेल II के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है, जो 1 जनवरी 2008 से प्रभावी है। जिन बैंकिंग संस्थाओं ने मजबूत आंतरिक रेटिंग मानकों को विकसित करने में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया है, उन्हें मानकीकृत फ्रेमवर्क के अनुपालन के बिना 2010 में आइआरबी दृष्टिकोण अपनाने का लचीलापन प्रदान किया जाएगा। बीमाकर्ताओं के लिए संशोधित पूंजी फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2009 से लागू होगा । जिन बीमाकर्ताओं के पास उक्त फ्रेमवर्क पहले अपनाने की क्षमता है, उन्हें 2008 में उक्त फ्रेमवर्क में माइग्रेट करने का लचीलापन प्रदान किया जाएगा। |
| न्यूजीलैंड | स्थानीय रूप से निगमित न्यूजीलैंड के बैंकों से अपेक्षित है कि वे 2008 की पहली तिमाही से बासेल II अपेक्षाओं के आधार पर पूंजी रखें। बैंक, मान्यताप्राप्त होने पर, बासेल II के तहत अपनी पूंजी अपेक्षाओं की गणना के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। न्यूजीलैंड में शाखाओं के रूप में पंजीकृत बैंकों के लिए, बासेल II गतिविधियों का निहितार्थ केवल प्रकटीकरण के लिए होगा। |
| फिलीपीन्स | जून 2006 में बैंगको सेन्ट्रल एनजी फिलीपिनास (बीएसपी) के मॉनिटरी बोर्ड ने जोखिम -आधारित पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क में प्रमुख संशोधनों के लिए अनुमोदन प्रदान किया, ताकि वर्तमान बासेल I - अनुपालित फ्रेमवर्क को 1 जुलाई 2007 से नए बासेल II मानकों के साथ संरेखित किया जा सके। तदनुसार वैश्विक/ वाणिज्यिक बैंकों |

## अनुबंध V.1: बासेल II का कार्यान्वयन: विभिन्न देशों की स्थिति *(समाप्त)*

| देश | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|
| | (यूबी/केबी) ने 2007 से ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक अथवा मानकीकृत दृष्टिकोण का अनुपालन शुरू किया है। 2010 तक, ये बैंक ऋण जोखिम के लिए एफ-आइआरबी अथवा ए-आइआरबी तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण की ओर मुड़ सकते हैं। थ्रिफ्ट बैंकों (टीबी) तथा ग्रामीण /सहकारी बैंकों के लिए बासेल II के कार्यान्वयन की स्थिति कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। |
| रिपब्लिक ऑफ कोरिया | अनुसूचित किए गए अनुसार देशी बैंकों के लिए बासेल II का कार्यान्वयन 2008 में शुरू हुआ। 18 देशी बैंकों में से एक बैंक (कूकमिन) ने आइआरबी दृष्टिकोण के प्रयोग के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त किया है, अन्य 17 बैंकों को मानकीकृत दृष्टिकोण शुरू करना है। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया तथा कोरिया डेवलपमेंट बैंक, दोनों भी , 2009 में आइआरबी दृष्टिकोण के प्रयोग के लिए विनियामक अनुमोदन के लिए कार्यरत हैं। |
| रूस | रू स में 2008-09 में बासेल II का कार्यान्वयन किए जाने की आशा है, 2008 में स्तंभ I का तथा 2009 में स्तंभ II, तथा III का कार्यान्वयन परिकल्पित था। इस निर्धारित समय के भीतर, ऋण जोखिम के लिए विनियामक पूंजी की गणना के प्रयोजन के लिए स्तंभ I के ढांचे के भीतर सरलीकृत मानकीकृत दृष्टिकोण का तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण का कार्यान्वयन किए जाने की आशा है। ऋण जोखिम के लिए अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग पर आधारित मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की संभावना तथा उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा रहा है। |
| सिंगापुर | मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) द्वारा सिंगापुर के लिए दिसंबर 2007 में बासेल II के दिशा निर्देश जारी हुए। एमएएस द्वारा 1 जनवरी 2008 से सिंगापुर में निगमित सभी बैंकों के लिए बासेल II फ्रेमवर्क लागू कर दिया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, जो बैंक स्तंभ I के अंतर्गत आते हैं, उन्हें विशिष्ट दृष्टिकोण को स्वीकार करना अपेक्षित नहीं है, किंतु प्रत्येक बैंक से प्रत्याशित है कि वह जोखिम प्रोफाइल के साथ मेल खानेवाले दृष्टिकोण को स्वीकार करे। बासेल II नियमों की शुरुआत के बाद सिंगापुर में 6 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के क्रमशः न्यूनतम टियर I तथा कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात को नहीं बदला गया। |
| थाईलैंड | थाईलैंड में एआइआरबी दृष्टिकोण को छोड़कर सभी दृष्टिकोणों के लिए 2008 के अंत में बासेल II पूंजी प्रभार का प्रारंभ प्रत्याशित है। अपनी जोखिम प्रोफाइल, आकार तथा जटिलताओं के अनुसार बैंक उचित ऋण जोखिम पूंजी परिकलन दृष्टिकोण चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। जो बैंक उन्नत दृष्टिकोण अपनाएंगे जैसे कि एफ-आइआरबी दृष्टिकोण तथा ए-आइआरबी दृष्टिकोण, वे पूर्वापेक्षाओं तथा बैंक ऑफ थाईलैंड (बीओटी) के अनुमोदन के अधीन होंगे। बीओटी केवल रिटेल बैंकों को सरलीकृत मानकीकृत दृष्टिकोण (एसएसए) के प्रयोग की अनुमति देता है। बीओटी वर्तमान में परिचालनात्मक जोखिम पूंजी परिकलन के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए) अपनाने की अनुमति नहीं देता क्योंकि इस क्षेत्र के जोखिम माप तकनीक को आगे स्थानीय डेटा के साथ वैध किया जाना होता है। इसके साथ ही बीओटी इस बात पर भी विश्वास करता है कि ऋण जोखिम के लिए आइआरबी दृष्टिकोण अपनानेवाले बैंकों के पास कम से कम परिचालनात्मक जोखिम के लिए एसए स्वीकार करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। अतः आइआरबी बैंकों को परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है। |
| यूएसए | यूएस में प्रारंभ में बासेल I फ्रेमवर्क तथा बासेल II फ्रेमवर्क के बीच मध्यस्थ के रू प में बासेल IA प्रस्तावित किया गया था। बासेल I की तुलना में बासेल IA अधिक जोखिम संवदेनशील हो सकता था, किंतु बासेल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की तरह जटिल नहीं। तथापि 20 जुलाई 2007 को विभिन्न यूएस बैंकिंग विनियामकों (दि फेडरल रिज़र्व, दि ऑफिस ऑफ दि कंट्रोलर ऑफ दि करेन्सी और दि ऑफिस ऑफ थिफ्ट सुपरविजन तथा दि फेडरल डिपॉजिट इन्शुरेन्स कारपोरेशन) के बीच हुए समझौते से प्रस्तावित बासेल IA को हटाने तथा उसके स्थान पर बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण को अनुमति देने का निर्णय किया गया। छोटे बैंक, जो बासेल II उन्नत अथवा बासेल IA को अपनाना नहीं चाहते, बासेल I के अधीन परिचालन जारी रख सकते हैं।<br>दि फेडरल रिज़र्व बोर्ड ने यूनाइटेड स्टेट्स के बड़े, अंतरराष्ट्रीय रू प में सक्रिय बैंकिंग संगठनों (न्यूनतम 250 बिलियन डॉलर कुल आस्ति अथवा न्यूनतम 10 बिलियन डॉलर विदेशी एक्सपोजर वाले तथाकथित ''कोर'' बैंकिंग संगठन) जिनके लिए बासेल II अधिदेशात्मक होगा, के लिए नए जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु अंतिम नियम भी अनुमोदित किए हैं। इन नियमों के अनुसार, कोर बैंकिंग संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सकल जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए कठोर प्रक्रियाएं अपनाएं तथा अपनी जोखिम प्रोफाइल तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करें।<br>सुरक्षा के रूप में, नियमों में यह सुझाव दिया गया है कि बैंकिंग संगठन बासेल II फ्रेमवर्क के अंतर्गत परिचालन शुरू करने से पहले समातंर रूप से कार्य करते हुए संतोषजनक रूप से चार तिमाहियों की अवधि पूरी कर लें। सफल समांतर कार्य करने के बाद, बैंकिंग संगठन को तीन संक्रमण अवधियों (प्रत्येक न्यूनतम एक वर्ष रहने वाली), जिसके दौरान जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं में संभाव्य कमियां न्यूनतम हों, से गुजरते हुए प्रगति करनी होगी। ये संक्रमण आधार बैंकिंग संगठनों की जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं में अधिकतम संचयी कटौतियों को प्रथम संक्रमण आधार अवधि के दौरान 5 प्रतिशत तक, द्वितीय संक्रमण आधार अवधि के दौरान 10 प्रतिशत तक तथा तृतीय संक्रमण आधार अवधि के दौरान 15 प्रतिशत तक सीमित रखेंगे। बैंकिंग संगठन को चाहिए कि वे प्रत्येक संक्रमण आधार अवधि में जाने तथा तृतीय संक्रमण आधार अवधि की समाप्ति पर पूर्णतया बासेल II में जाने के लिए प्राथमिक फेडरल रेग्युलेटर का अनुमोदन प्राप्त कर लें। फेडरल बैंकिंग एजेंसियां द्वितीय संक्रमण वर्ष की समाप्ति के बाद एक अध्ययन को प्रकाशित करेंगी, जो किसी ठोस कमी के लिए नए फ्रेमवर्क की जांच करेंगी।<br>एजेन्सियां एक प्रस्तावित नियम जारी करना चाहती हैं जो नॉन कोर बैंकिंग संगठनों को, जिनके लिए बासेल II उन्नत दृष्टिकोण को अपनाना अपेक्षित नहीं है, बासेल II के अंतर्गत एक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का विकल्प प्रदान करेंगी। प्रस्तावित नियम को, कोर बैंकिंग संगठनों के बासेल II के अंतर्गत प्रथम संक्रमण अवधि वर्ष में जाने से पहले, अंतिम रूप दिए जाने की आशा है। |

**स्रोत :** संबंधित विनियामकों की वेबसाइटें तथा फरवरी 2008 के अंत तक उपलब्ध न्यूज रिपोर्टें।

# चुने हुए संदर्भ

## I. मूल विषय


बेक, टी.,ए.डेमिरगुक-कुंट तथा आर.लेविन.2001. ''दि फिनान्शियल स्ट्रक्चर डेटाबेस'', ए. डेमिरगुक-कुंट तथा आर.लेविन. संस्करण. *फिनान्शियल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ : ए क्रास-कंट्री कंपेरिज़न ऑफ बैंक्स, मार्केट्स, एंड डेवलपमेंट*, कैंब्रिज, एमए : एमआइटी प्रेस.

बेनसिवेंगा, वी. तथा बी. स्मिथ.1991.''फिनान्शियल इंटरमीडिएशन एंड एंडोजिनस ग्रोथ.'' *रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज*, 58(2): 195-209, अप्रैल.

बीआइएस.1995. दि सुपरविज़न ऑफ फिनान्शियल कोंग्लोमरेट्स, बैंक, प्रतिभूति तथा बीमा विनियामकों के त्रिपक्षीय समूह की एक रिपोर्ट, जुलाई; www.bis.org.

बोरियो, क्लाडिओ. 2008 ''दि फिनान्शियल टरमॉइल ऑफ 2007-?: ए प्रेलिमिनरी असेसमेंट एण्ड सम पॉलिसी कनसिडरेशन्स.'' *बीआइएस वर्किंग पेपर्स* सं.251.

बोसोन, बिआगिओ.2000 'व्हॉट मेक्स बैंक्स स्पेशल ? ए स्टडी ऑन बैंकिंग, फाइनान्स, एंड इकॉनॉमिक डेवलपमेंट' विश्व बैंक.

कार्लिन, डब्ल्यू. तथा सी. मेयर. 2003.''फाइनान्स, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ.'' *जर्नल ऑफ फिनान्शियल इकॉनॉमिक्स*, 69(1) : 199-226.

कालोमेरिस, सी.तथा सी. काहन. 1991. ''दि रोल ऑफ डिमांडेबल डेट इन स्ट्रक्चरिंग ऑप्टिमल बैंकिंग अरेंजमेंट्स.'' *अमरिकन इकॉनॉमिक रिव्यू*, 81(3):497-513.

कोरिगन, इ. गेराल्ड. 1982 'आर बैंक्स स्पेशल ?' *वार्षिक रिपोर्ट*. फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ मिन्नपोलिस.

डे ग्रेगोरियो, जे. तथा पी. गुइडोट्टी. 1995. ''फिनान्शियल डेवलपमेंट एंड इकॉनॉमिक ग्रोथ'' *वर्ल्ड डिपार्टमेंट*, 23 (3): 433-448, मार्च

डेमिरगुक-कुंट, ए. तथा वी. मकसीमोविक.2002 ''फंडिंग ग्रोथ इन बैंक-बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड फिनान्शियल सिस्टम्स : एविडेंस फ्रॉम फर्म लेवल डेटा.'' *जर्नल ऑफ फिनान्शियल इकॉनॉमिक्स*, 65(3):337-363 सितंबर.

डेटरागियाचे, ई.तथा पी. गुप्ता. 2004.''फॉरेन बैंक्स इन इमर्जिंग मार्केट क्राइसेस : एविडेंस फ्रॉम मलेशिया.'' *आइएमएफ वर्किंग पेपर*.

डायमंड, डी.डब्ल्यू. 1984. ''फिनान्शियल इंटरमीडिएशन एंड डेलिगेटेड मॉनिटरिंग.'' *रिव्यू ऑफ इकॉनॉमिक स्टडीज़*, 51: 393-414.

डायमंड, डी.डब्ल्यू. तथा पी.एच.डिबविग. 1983. ''बैंक रन्स, डिपॉज़िट इन्शूरेन्स, एंड लिक्विडिटी.'' *जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी*, 91(3): 401-14.

डायमंड, डी. तथा आर. राजन. 2001. ''लिक्विडिटी रिस्क एंड लिक्विडिटी क्रिएशन एंड फिनान्शियल फ्रेजिलिटि : ए थिअरी ऑफ बैंकिंग.'' *जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी*, 109 (2).

फ्लैनरी, एम.1994. ''कारपोरेट फाइनान्स, मार्केट डिसिप्लिन एंड बैंक सुपरविज़न.'' बैंक संरचना तथा प्रतिस्पर्धा पर आयोजित 1994 के सम्मेलन की कार्यवाही, फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ शिकागो 313-330.

फामा, ई. 1985.'व्हाट्ज डिफरेन्ट अबाउट बैंक्स ?' *जर्नल ऑफ मॉनिटरी इकॉनॉमिक्स*, 15:29-39.

गेल्ब, 1989.'' फिनान्शियल पॉलिसीज, ग्रोथ एंड एफिशिएंसी'' विश्व बैंक *पीपीआर वर्किंग पेपर*, 202.

गर्टलर, एम. तथा ए. रोज. 1991.''फाइनान्स, ग्रोथ एंड पब्लिक पॉलिसी'' *पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर सिरीज़*, 814. दि वर्ल्ड बैंक.

गोल्डबर्ग, एल.,जी. डागेस तथा डि. किन्ने. 2000. ''फॉरिन एंड डोमेस्टिक बैंक पार्टिसिपेशन इन इमर्जिंग मार्केट्स : लेसन्स फ्रॉम मेक्सिको एंड अर्जेंटिना.'' *इकॉनॉमिक पॉलिसी रिव्यू*, 6(3). फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क.

गोपीनाथ, श्यामला 2007 ''भारतीय व्युत्पन्नी बाजार - एक विनियामक एवं प्रसंगाश्रित परिप्रेक्ष्य.'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन*, नवंबर.

गोपीनाथ, श्यामला. 2007 ''भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की खास विशेषताएं'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन,* मई.

ग्रीन, जे. तथा डी. विलानुएवा. 1991.''प्राइवेट इनवेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज.'' *आइएमएफ स्टाफ पेपर्स*, 38 : 33-58, मार्च.

ग्रीनवुड, जे.तथा बी. जोवानोविक. 1990.'' फिनान्शियल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड दि डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ इनकम.'' *दि जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी*, 98 (5, भाग 1): 1076-1107.

आइसीआरआइईआर.2007. ''लिबरलाइज़ेशन ऑफ फिनान्शियल सर्विसेज़ अंडर जीएटीएस : दि इंडियन एक्स्पीरिएंस.'' *डब्ल्यूटीओ न्यूज एंड व्यूज.* अप्रैल-जून 3 (2).

काटो, टाकाटोशी. 2008 ''दि नेचर एंड मैग्निटयूड ऑफ फिनान्शियल इन्नोवेशन, की नोट एड्रेस; कॉनफरेन्स ऑन चैलेंजेज फॉर मॉनिटरी पॉलिसी, फ्रॉम फिनान्शियल इन्नोवेशन एंड ग्लोबलाइजेशन.'' पेरिस, जनवरी.

किंग, आर. तथा आर. लेविन. 1993. ''फिनान्शियल इंटरमीडिएशन एंड इकॉनॉमिक डेवलपमेंट'' *फिनान्शियल इंटरमीडिएशन इन दि कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप*, संस्करण. कोलिन मेयर तथा झेवियर वाइब्ज. लंदनः सेंटर फॉर इकॉनॉमिक पॉलिसी रिसर्च, 156-89.

क्रोज़नेर, रनडाल एस. 2007. ''इन्नोवेशन, इन्फॉरमेशन, एंड रेग्युलेशन इन फिनान्शियल मार्केट्स'' पर 30 नवंबर को फिलाडेल्फिया फेड पॉलिसी फोरम, फिलाडेल्फिया, पेनसिल्वानिया में दिया गया भाषण, फेड़ रिज़र्व.

लेवाइन, आर. तथा एस. जेरवोस. 1998. ''स्टॉक मार्केट्स, बैंक्स, एंड इकॉनॉमिक ग्रोथ'' *अमरिकन इकॉनॉमिक रिव्यू*, 88 (3): 537-58.

लेवाइन, आर.1996.''फॉरेन बैंक्स, फिनान्शियल डेवलपमेंट्स, एंड इकॉनॉमिक ग्रोथ'' क्ल्याड ई. वारफिल्ड (सं.), *इंटरनेशनल फिनान्शियल मार्केट्स : हारमोनाइज़ेशन वर्सस कॉम्पिटिशन,* वॉशिंगटन डीसी : एईआइ प्रेस.

लेवाइन, आर. 1997.'' फिनान्शियल डेवलपमेंट एंड इकॉनॉमिक ग्रोथ : व्यूज़ एंड अजेंडा'' *जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक लिटरेचर*, 35.

लेवाइन. आर,एन. लोयज़ा, तथा टी.बेक. 2000 '' फिनान्शियल इंटरमीडिएशन एंड ग्रोथ : काजलिटी एंड कॉज़ेज़'' *जर्नल ऑफ मॉनिटरी इकॉनॉमिक्स*, 46 : 31-77.

लुकास, आर. 1988. ''ऑन दि मेकनिक्स ऑफ इकॉनॉमिक डेवलपमेंट.'' *जर्नल ऑफ मॉनिटरी इकॉनॉमिक्स*, 22 : 3-42.

मार्टिनेज, पेरिया, एम.एस.ए. पॉवेल, तथा आइ.वी.होल्लर. 2002. ''बैंकिंग ऑन फॉरेनर्स : दि बिहेवियर ऑफ इंटरनेशनल बैंक लेंडिंग टू लेटिन अमरीका, 1985-2000.''

मैक्किन्नन, आर., 1973. *मनी एंड कैपिटल इन इकॉनॉमिक डेवलपमेंट*, वॉशिंगटन : दि ब्रूकिंग्ज इन्स्टिटयूशन.

मोहन, राकेश. 2004ए ''औद्योगिक वृद्धि के लिए वित्त'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन*, मार्च.

———. 2004 बी. ''भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व और शासन'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन*, अक्तूबर.

———. 2006. '' वित्तीय क्षेत्र सुधार और मौद्रिक नीति : एक भारतीय अनुभव'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन*, जुलाई.

———. 2007. '' भारत के वित्तीय क्षेत्र सुधार : जोखिम नियंत्रण के साथ वृद्धि को बढ़ावा देना'' येल यूनिवर्सिटी. www.rbi.org.in

———. 2008. ''नवोन्मेष और वृद्धि : वित्तीय क्षेत्र की भूमिका.'' *भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन,* अप्रैल.

मोर्क, आर., डेविड, ए., वाइ. बेर्नार्ड. 2000. ''इनहेरिटेड वेल्थ, कारपोरेट कंट्रोल, एंड इकॉनॉमिक ग्रोथ : दि कनाडियन डिजीज़'' *कंसेंट्रेटेड कारपोरेट ओनरशिप* मॉर्क, आर. (सं.) शिकागो : यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 319-372.

नरसिंहम, एम. 1991. *वित्तीय प्रणाली पर समिति की रिपोर्ट.* भारतीय रिज़र्व बैंक, नवंबर.

राज, जनक. 2005. ''इज देअर ए केस फॉर ए सुपर रेग्युलेटर इन इंडिया? इश्यूज एंड ऑप्शंस.'' *इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* अगस्त 27.

राजन, आर. तथा एल. जिंगेल्स. 1998. ''फिनान्शियल डिपेंडेंस एंड ग्रोथ'' *अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्यू,* 88(3): 559-86.

भारतीय रिज़र्व बैंक. 2007. *बैंकिंग समूहों में धारक कंपनियों पर चर्चा पत्र ;* www.rbi.org.in पर उपलब्ध.

रेड्डी, वाइ.वी. 2005. ''भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार : एक विहगावलोकन.'' *भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन,* जून.

——. 2008. ''फिनान्शियल ग्लोबलाइजेशन, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी: एन इंडियन परस्पेक्टिव; ऐट दि इंटरनेशनल सिम्पोज़ियम ऑफ दि बैंक डे फ्रान्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, इनफ्लेशन एंड मॉनिटरी पॉलिसी.'' पॅरिस. 7 मार्च.

रॉबिन्सन, जे. 1952. ''दि जनरलाइज़ेशन ऑफ दि जनरल थिअरी.'' *दि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर एसेज़.* लंडन : मैकमिलन में.

शुंपीटर, जे., 1911. *दि थिअरी ऑफ इकॉनॉमिक डेवलपमेंट* कैंब्रिज, एम ए : हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

शा.ई. 1973. *फिनान्शियल डीपनिंग इन इकॉनॉमिक डेवलपमेंट.* न्यूयॉर्क : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

वार्गलर, जे. 2000. ''फिनान्शियल मार्केट्स एंड ॲलोकेशन ऑफ कैपिटल.'' *जर्नल ऑफ फिनान्शियल इकॉनॉमिक्स,* 58(1-2): 187-214.

**III. भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विकास**

अहलूवालिया एम.एस., वाइ.वी.रेड्डी, एस.एस. तारापोर (सं).2002. *मैक्रोइकॉनॉमिक्स एंड मॉनीटरी पालिसी: इश्यूज फार ए रिफॉर्मिंग इकॉनॉमी.* नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

भादुरी, ए. 1977. ''ऑन दि फॉर्मेशन ऑफ यूजूरिअस इंटरेस्ट रेट्स इन बैकवर्ड एग्रिकल्चर.'' *कैंब्रिज जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स,* 1 : 341-352.

भिडे, एम.जी., ए. प्रसाद तथा सैबल घोष. 2001. ''भारतीय बैंकिंग में उभरती चुनौतियां.'' आर्थिक विकास पर अनुसंधान केंद्र, *वर्किंग पेपर* सं.103.

ब्रेवरमैन, ए., तथा टी.एन. श्रीनिवासन. 1981. ''क्रेडिट एंड शेयरक्रॉपिंग इन एग्रेरियन सोसाइटीज.'' *जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकॉनॉमिक्स,* 9: 289-312.

बागची, ए.के. 1987. *दि इवोल्यूशन ऑफ दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया : दि रूट्स 1806-1876.* बॉम्बे : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

बसू, के. 1983. ''दि इमर्जेंस ऑफ आइसोलेशन एंड इंटरलिंकेज इन रूरल मार्केट.'' *ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक पेपर्स,* 35(2) : 262-80.

चंदावरकर, ए. 2005. ''*मनी एंड क्रेडिट* - 1858-1947.'' दि कैंब्रिज इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, खंड II 1757-2003. नई दिल्ली : ओरिएंट लांगमैन प्राइवेट लिमि.

——. 1996. *सेंट्रल बैंकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज.* लंदन : मैकमिलन.

डी. अजित तथा आर.डी.बांगर. 1997. ''बैंक्स इन फिनान्शियल इंटरमीडिएशन : परफार्मन्स एंड इश्यूज.'' *भारतीय रिजर्व बैंक ऑकेजनल पेपर्स, स्पेशल अंक खंड 18. जून तथा सितंबर.*

देशमुख, सी.डी. 1948 ''सेंट्रल बैंकिंग इन इंडिया: ए रेट्रोस्पेक्ट.'' गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकॉनॉमिक्स. आर.आर. काले स्मारक व्याख्यान 1948, पुणे.

इनोच, सी.,जे.एच. ग्रीन (सं.). 1997. *बैंकिंग साउंडनेस एंड मॉनिटरी पॉलिसी : इश्यूज एंड एक्सपीरिएंसेज इन दि ग्लोबल इकॉनॉमी.* आइएमएफ, वॉशिंगटन.

फ्राइ, मैक्सवेल जे. 1995. *मनी, इंटरेस्ट एंड बैंकिंग इन इकॉनॉमिक डेवलपमेंट,* लंदन : दि जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड.

फ्राइ. मैक्सवेल जे., चार्ल्स, ए.ई. गुडहार्ट तथा अलमीडा अलवारो. 1996. *सेन्ट्रल बैंकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज : ऑब्जेक्टिव्ज, ऐक्टिविटीज एंड इंडिपेंडेन्स.* लंदन : रूटलेज.

भारत सरकार. 1926. *भारतीय मुद्रा तथा वित्त पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : मि.ई. हिल्टन यंग).

———. 1931. *भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति* (अध्यक्ष : सर भूपेन्द्रनाथ मित्रा, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास), कलकत्ता.

———. 1969. *सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वियन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर गाडगिल अध्ययन दल* (अध्यक्ष : प्रो.डी.आर. गाडगिल).

———. 1972. *बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : आर.जी. सरैय्या).

———. 1980-81. *वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट,* नई दिल्ली.

———. 1998. *बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर गठित समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री. एम. नरसिंहम) अप्रैल.

लीलाधर, वी.2007. ''भारत में बैंकिंग विनियमन का विकास - कुछ पहलुओं का सिंहावलोकन.'' बैंकर सम्मेलन, मुंबई में 26 नवंबर को दिया गया भाषण.

माथुर, बी.एल. 1995. *भारतीय बैंकिंग के उभरते परिप्रेक्ष्य.* जयपुरः अरिहन्त

मोहन, राकेश. 2003. ''भारतीय बैंकिंग का कायापलट : बेहतर कल की तलाश में'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन,* जनवरी.

———. 2004ए. ''भारत में कृषि ऋण : स्थिति संबंधी मुद्दे तथा भावी कार्य-सूची.'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन,* नवंबर.

———. 2004बी. ''भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व एवं अभिशासन,'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन,* अक्तूबर.

———. 2005. ''भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार : नीतियां तथा कार्य-निष्पादन विश्लेषण.'' *इकॉनॉमिक तथा पॉलिटिकल वीकली,* 19 मार्च.

———. 2008. ''भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का रिकॉर्ड, 1950-2008. निरंतर बचत और निवेश की कहानी.'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन,* मार्च.

*राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक.* 2002. 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा.

पटेल, आइ.जी. 2002. *भारतीय आर्थिक नीति की झलकियां : अंतरंग दृश्य,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.नई दिल्ली.

राउ, बी. रामा. 1960. ''वाणिज्यिक बैंकिंग पर नियंत्रण एवं बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार'' ए. किश्नास्वामी अय्यर का भाषण, अप्रैल 1960 *गवर्नर्स स्पीक* में पुनः प्रस्तुत ,भारतीय रिज़र्व बैंक 1997.

रंगराजन, सी. 1988. ''मौद्रिक प्रबंधन की समस्याएं.'' भारतीय आर्थिक सम्मेलन, कलकत्ता में दिया गया अध्यक्षीय भाषण, दिसंबर.

———. 1998. ''*दि इंडियन फिनान्शियल सिस्टम : दि इमर्जिंग हॅराइजन,* फिरोज जीजीभोय स्मारक व्याख्यान. मुंबई.

———. 2002. *भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य.* नई दिल्ली : यूबीएस पब्लिशर्स.

रंगराजन, सी.,ए. बसू तथा नरेंद्र जाधव. 1989. ''डाइनामिक्स ऑफ इंटरैक्शन बिट्वीन गवर्नमेंट डेफिशिट एंड डोमेस्टिक डेट इन इंडिया.'' *आरबीआइ ऑकेजनल पेपर्स,* 10 (3); सितंबर.

रेड्डी, वाइ. वी. 1997 ए. ''मौद्रिक तथा ऋण नीति : मुद्दे तथा परिप्रेक्ष्य.'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन.*

———. 1997 बी. ''भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग क्षेत्र सुधार'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन.*

———. 1997 सी, ''एशियाई संकट : सही प्रश्न पूछना.'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन.*

———. 1999 ''वित्तीय क्षेत्र सुधार : समीक्षा एवं संभावनाएं.'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन,* जनवरी.

———. 2000. *भारत के मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र सुधार, केन्द्रीय बैंकर का परिप्रेक्ष्य.* नई दिल्ली : यूबीएस पब्लिशर्स.

भारतीय रिज़र्व बैंक, 1937. *वार्षिक रिपोर्ट,* मुंबई.

——. 1950. ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति (अध्यक्ष : सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास).

——. *वार्षिक रिपोर्ट* (विभिन्न अंक), मुंबई.

——. *ऋण नीति संबंधी परिपत्र* खंड I से IV.

——. 1954. *अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट.*

——. 1998. ''बैंकिंग सांख्यिकी 1972-1995.'' *मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां.*

——. 1975. *बैंक ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए दिशानिर्देश बनाने हेतु गठित अध्ययन दल की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री. पी.टी. टंडन).

——. 1978. *क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर गठित समीक्षा समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री एम.एल. दांतवाला ), बंबई.

——. 1979. *नकदी ऋण प्रणाली की समीक्षा पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : के. बी. चोरे). बंबई.

——. 1982. *अग्रणी बैंक योजना के कार्य की समीक्षा हेतु गठित कार्यदल की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री. यू. के. शर्मा), बंबई.

——. 1984. *रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों के पुनर्वास में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामना की जानेवाली कानूनी एवं अन्य कठिनाइयों की जांच के लिए और कानून में बदलाव सहित उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री टी. तिवारी).

——. 1985. *मौद्रिक प्रणाली के कार्य की समीक्षा हेतु गठित समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : सुखमय चक्रवर्ती).

——. 1987. *मुद्रा बाजार पर गठित कार्यदल* (अध्यक्ष : श्री एन. वागुल).

——. 1991. *वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री एम नरसिंहम).

——. 1997. *पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर गठित समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री एस.एस. तारापोर).

——. 1998. *बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर गठित समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री एम. नरसिंहम).

——. 1999. *शहरी सहकारी बैंक पर गठित उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री के. माधव राव). मुंबई.

——. 1999. *सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री एम.एस. वर्मा). मुंबई.

——. 1999. *भारत में जमा बीमा में सुधार पर रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री जे. कपूर). मुंबई.

——. 2000. *बैंकिंग पर्यवेक्षण पर परामर्शी दल की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री एम. एस. वर्मा). मुंबई.

——. 2001. *दीवालियापन संबंधी कानूनों पर गठित परामर्शी दल की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : डॉ. एन.एल. मित्रा). मुंबई.

——. 2001. *भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य एवं कार्यपद्धति,* चौथा संस्करण, मुंबई.

——. 2001. *कारपोरेट गवर्नेन्स पर परामर्शी दल की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : श्री आर.एच. पाटील). मुंबई.

——. *मौद्रिक और ऋण नीति वक्तव्य* (विभिन्न वर्ष) मुंबई.

——. *मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट* (विभिन्न अंक) मुंबई.

——. 1990-91. *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट.*

——. 1991-92. *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट.*

——. *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट.* विभिन्न अंक

——. 2006-07. *भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी संबंधी पुस्तिका.*

——. 2005. *भारतीय रिज़र्व बैंक, (इतिहास)* खंड I से III.

रोज, पीटर एस. 1999. ''कमर्शियल बैंक मैनेजमेंट'' टेक्सास : ए एंड एम यूनिवर्सिटी.

सेलगिन, जी. 1996 ''कमर्शियल बैंक्स ऐज प्योर इंटरमीडिअरीज.'' सेलगिन में, जी. 1996. *बैंक डिरेग्युलेशन एंड मॉनिटरी आर्डर* 119-28 लंदन : राउटलेज.

सिंह, अनूप, एस.एल. शेट्टी., तथा टी. आर. वेंकटाचलम. 1982 ''भारत में मौद्रिक नीति : मुद्दे एवं साक्ष्य.'' *भारतीय रिज़र्व बैंक ऑकेजनल पेपर्स का अनुपूरक, भारतीय रिज़र्व बैंक,* मुंबई.

भारत के बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां.1935. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी विभाग, भारत.

भारत के बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां.1938. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी विभाग, भारत.

भारत एवं वर्मा के बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां. 1939. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत.

भारत एवं पाकिस्तान के बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां. 1947. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत.

भारत के बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां. 1950 से 2006-07, विभिन्न अंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत.

टंडन, प्रकाश. 1988. *बैंकिंग सेंचुरी : ए शॉर्ट हिस्टरी ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एंड दि पायोनियर - पंजाब नैशनल बैंक,* नई दिल्ली : वाइकिंग.

थोरात, उषा. 2006. ''शहरी सहकारी बैंक - बैंकों का विकास, कारपोरेट गवर्नेन्स की वर्तमान समस्याएं तथा उनके विनियमन एवं पर्यवेक्षण की चुनौतियां.'' स्व.श्री आर.एन. गोडबोले स्मारक व्याख्यान, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापूर.

**IV. संसाधन संग्रहण का प्रबंधन**

अलेन, एफ. तथा ए.एम. सांतोमेरो. 2001.''व्हाट डू फिनान्शियल इंटरमीडिअरीज डू?'' *जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस* (25).

बार्बरा, लीच लेपोर (सं.). 1987. *थाईलैंडः ए कंट्री स्टडी* वॉशिंगटनः जीपीओ फॉर दि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस.

बर्गर, अलेन एन., टी.एच. हन्नन. 1989. ''दि प्राइस कनसेन्ट्रेशन रिलेशनशिप इन बैंकिंग'' *रिव्यू ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स.* 71(2). 291-299.

बर्गर, ए., आर.जे. रोसेन तथा उडेल, एफ.ग्रेगोरी. 2007. ''डज मार्केट साइज स्ट्रक्चर अफेक्ट कॉम्पिटिशन? दि केस ऑफ स्मॉल बिज़नेस लेंडिंग.'' *जर्नल आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस,* 31.

बर्लिन एम., तथा एल.जे.मेस्टेर.1999. ''डिपॉजिट्स एंड रिलेशनशिप लेंडिंग.'' *रिव्यू ऑफ फिनान्शियल स्टडीज,* 12(3).

डेविज़, जे.,बी.एस. सैंडस्टॉर्म, ए.शारॉक्स तथा ई.एन.वोल्फ. 2007. ''एस्टिमेटिंग दि लेवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल हाउसहोल्ड वेल्थ.'' *रिसर्च पेपर नं.2007/77, यूएनयू-वाइडर,* युनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, नवंबर.

इनारसन, टोर तथा मिल्टन एच.मार्क्विस. 2003. ''बैंक इंटरमीडिएशन एंड परसिस्टेंट लिक्विडिटी इफेक्ट्स इन दि प्रेजेन्स ऑफ ए फ्रिक्शनलेस बांड मार्केट.'' *सेन्ट्रल बैंक ऑफ आइसलैंड वर्किंग पेपर्स* सं.21, नवंबर.

फेल्डमैन, आर., तथा डी.फेट्टिग. 1998. ''डिक्लाइनिंग डिपॉजिट्सः इज इट ऑल बैड न्यूज? फेडगॅजेट, फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ मिनेपॉलिज, जुलाई.

भारत सरकार. 2008. *आर्थिक सर्वेक्षण* 2007-08.

हाल, के. तथा डी.वेरयार्ड. 2006. ''रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑस्ट्रेलियन बैंकिंग.'' *इकॉनॉमिक पेपर्स.* इकॉनॉमिक सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिसंबर.

लेवाइन, आर.2000. ''बैंक-बेस्ड ऑर मार्केट-बेस्ड फिनान्शियल सिस्टम्सः व्हिच इज बेटर?'' फाइनेंस डिपार्टमेंट, कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्नेसोटा, फरवरी.

लिपिंग, ही.2005. ''इवोल्यूशन ऑफ फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स इन पोस्ट-1978 चाइनाः इंटरएक्शन बिट्विन दि स्टेट एंड मार्केट.'' *चीन तथा विश्व अर्थव्यवस्था.* 13(6): 10-26.

मेस्टेर, एल.जे. 2007. ''सम थॉट्स ऑन दि इवोल्यूशन ऑफ दि बैंकिंग सिस्टम एंड दि प्रोसेस ऑफ फिनान्शियल इंटरमीडिएशन'' *इकॉनॉमिक रिव्यू,* पहली तथा दूसरी तिमाही.

मोहन, राकेश. 2008. ''दि ग्रोथ रिकार्ड ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 1950-2008: ए स्टोरी ऑफ सस्टेन्ड सेविंग्ज एंड इनवेस्टमेंट.'' इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ के 'ग्रोथ एंड मैक्रोइकॉनॉमिक इश्यूज एंड चैलेंजेज इन इंडिया' नामक सम्मेलन में मुख्य भाषण. नई दिल्ली. फरवरी.

पूट्रकूल, के.,टी. सोडस्रीचइ तथा के. अरियाप्रुचैया. 2005. ''लांग टर्म सेविंग इन थाईलैण्डः आर वी सेविंग एनफ एंड व्हाट आर दि रिस्क्स?'' *बैंक ऑफ थाईलैण्ड डिस्कशन पेपर,* 12. नवंबर.

राज, जनक. 1999. ''ए स्टडी ऑफ ऑपरेशन्स ऑफ नॉन बैंकिंग फिनान्शियल इंटरमीडिअरीज इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेन्स टू देयर इम्प्लीकेशन्स फॉर मॉनीटरी पॉलिसी.'' अप्रकाशित पीएचडी शोध-प्रबंध, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मुंबई.

भारतीय रिज़र्व बैंक, *मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट,* 2001-02, 2002-03 तथा 2005-06.

——. 1985. *मौद्रिक प्रणाली के कार्य की समीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : सुखमय चक्रवर्ती).

रोजेन, जे. रिचर्ड. 2007 ''बैंकिंग मार्केट कंडीशन्स एंड डिपोजिट इन्टरेस्ट रेट्स.'' *जर्नल ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस,* 31.

रीबकजबस्की, टी.एम. 1985. ''दि इंटरनेशलनाइजेशन ऑफ दि फिनान्शियल सिस्टम एंड दि डेवलपिंग कंट्रीज - दि इवॉल्विंग रिलेशनशिप.'' रिपोर्ट के लिए पृष्ठभूमि पत्र.

श्मिड्ट, आर.एच., ए.हैकथाल तथा एम. टाइरेल. 1998. ''डिसइंटरमीडिएशन एंड दि रोल ऑफ बैंक्स इन यूरोपः एन इंटरनेशनल कंपेरिजन.'' *जर्नल ऑफ फिनान्शियल इंटरमीडिएशन* नं.10, जनवरी.

स्कॉलटेन्स, बी.,वैन वेन्सवीन. डी.1999 ''ए क्रिटिक ऑन दि थिअरी ऑफ फिनान्शियल इंटरमीडिएशन.'' *जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस,* 24(8):1243-1251.

शियू, लियू, वूयि तथा लियू झेंगमिंग. 2006. ''दि लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम दि डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म ऑफ चाइनाज बैंकिंग सेक्टर.'' *बीआइएस पेपर,* 28. अगस्त.

तुलाधार, अनिता. 2007. ''*कान्फरेन्स ऑन इंटरनेशनल फोरम ऑन पेन्शन रिफॉर्मः एक्सप्लोरिंग* दि लिंक टू लेबर एंड फिनान्शियल मार्केट रिफॉर्म्स.'' अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष. जून.

यूएसएआइडी. 2005. ''इन्नोवेशन्स इन रूरल डिपॉजिट मॉबिलाइजेशन.'' आरएएफआइ नोट #9, *मिमेओ,* अगस्त.

विच्यानोंद, पाकोर्न. 1995. ''दि इवोल्यूशन ऑफ थाईलैंड्स फिनान्शियल सिस्टमः फ्यूचर ट्रेंड्स.'' *थाईलैण्ड डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूट टीडीआरआइ तिमाही समीक्षा,* 10(3). सितंबर.

## V. पूंजी और जोखिम प्रबंधन

अलेन, बी. 2006. ''इंटरनल अफेअर्स.'' *रिस्क.* 19:45-49, जून.

अयुसो, जे., डी. पेरेज़ तथा जे. सौरिना. 2004. ''आर कैपिटल बफर्स प्रो- साइक्लिकल ? एविडेन्स फ्रॉम स्पैनिश पैनल डेटा.'' *जर्नल ऑफ फिनान्शियल इंटरमीडिएशन,* 13 (2) : 249-264.

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स. 1999ए. *क्रेडिट रिस्क मॉडेलिंग : करेन्ट प्रैक्टिसेज़ एंड अप्लिकेशन्स,* बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति. बासेल. अप्रैल.

——. 1999बी. *साउंड पॉलिसीज फॉर लोन अकाउंटिंग, क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर एंड रिलेटेड मैटर्स.* बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति. बासेल.

——. 2001. *दि न्यू बासेल कैपिटल एकॉर्ड : सेकंड कन्सल्टेटिव डॉक्यूमेंट.* बासेल. जनवरी.

——. 2002. ''दि इंटरैक्शन बिट्विन दि फिनान्शियल सेक्टर एंड दि रियल इकॉनॉमी.'' *बीआइएस 72वीं वार्षिक रिपोर्ट* : 122 -140.

——. 2004ए. *इंटरनेशनल कन्वर्जेन्स ऑफ कैपिटल मेजरमेन्ट एंड कैपिटल स्टैंडर्ड्स : ए रिवाइज्ड फ्रेमवर्क.* बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति. बासेल.

——. 2004बी. ''इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दि न्यू कैपिटल अडेक्वैसी फ्रेमवर्क इन नॉन-बासेल कमिटी मेंबर कंट्रीज.'' *एफएसआइ ऑकेजनल पेपर* 04, अप्रैल.

——. 2006ए. *बासेल II : इंटरनेशनल कन्वर्जेन्स ऑफ कैपिटल मेजरमेन्ट एंड कैपिटल स्टैंडर्ड्स : ए रिवाइज्ड फ्रेमवर्क - कॉम्प्रेहेन्सिव वर्शन.* बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति. जून.

——. 2006बी. *एनहान्सिंग कारपोरेट गवर्नेन्स फॉर बैंकिंग ऑर्गनाइजेशन्स.* बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति. बासेल. फरवरी.

——. *वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न अंक.* बासेल.

बर्गर, ए., आर. हेरिंग तथा जी. स्जेगो. 1995. ''दि रोल ऑफ कैपिटल इन फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स.'' *जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस,* 19 : 393-430.

बर्नान्के, बी. तथा सी. लाउन. 1991.''क्रेडिट क्रंच'' *ब्रूकिंग्ज पेपर ऑन इकॉनॉमिक एक्टिविटी,* 2 : 205-47.

बोरियो, सी.,सी.फरफाइन तथा पी.लोवे. 2001.''टू प्रोविजन ऑर नॉट टू प्रोविजन.'' *बीआइएस तिमाही समीक्षा.* सितंबर.

कैरे,एम. 2001. ''डाइमेन्शन्स ऑफ क्रेडिट रिस्क एंड देअर रिलेशनशिप टू इकॉनॉमिक कैपिटल रिक्वायरमेन्ट्स.'' एफ.एस. मिश्कीन (सं.) *प्रुडेन्शियल सुपरविजन : व्हाइ इट इज इम्पॉर्टेन्ट एंड व्हॉट आर दि इश्यूज* . शिकागो : यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस तथा एनबीईआर.

करुआना, जे. 2005. *बासेल II : बैंक टू दि फ्यूचर.* 7वां हांग कांग मॉनिटरी ऑथोरिटी डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर, http:www.bde.es/prensa/intervenpub/gobernador /040205e.pdf पर उपलब्ध.

चंद्रशेखर, सी. तथा जे.घोष. 2007. ''बासेल II एंड इंडियाज बैंकिंग स्ट्रक्चर.'' *दि हिंदू बिज़िनेस लाइन.* फरवरी 20.

चिउरी, एम., जी. फेरी तथा जी. मजनोनी. 2001 ''दि मैक्रोइकॉनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेन्ट्स इन इमर्जिंग इकॉनॉमीज : पास्ट एविडेन्स टू ऐक्सेस दि फ्यूचर.'' *वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर* सं. 2605.

कॉर्नफोर्ड, ए.2006 ''दि ग्लोबल इम्प्लीमेन्टेशन ऑफ बासेल II : प्रॉस्पेक्ट्स एंड आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लेम्स.'' *इश्यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमोडिटीज स्टडी सिरीज सं.34.* व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन.

डेनिल्सन, जे.एच.शिन, तथा जे. जिग्रैंड, 2001. ''एसेट प्राइस डाइनामिक्स विथ वैल्यू-ऐट-रिस्क कन्स्ट्रेन्ड ट्रेडर्स.'' *एफएमजी वर्किंग पेपर.* डीपी.0394. लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स.

देवत्रिपोंत, एम. तथा जे. तिरोले. 1994. *दि प्रुडेन्शियल रेग्युलेशन ऑफ बैंक्स.* कैंब्रिज : एमए एमआइटी प्रेस,

एलिजाल्दे, ए. तथा आर. रेपुल्लो. 2006. ''इकॉनॉमिक एंड रेग्युलेटरी कैपिटल इन बैंकिंग : व्हॉट इज दि डिफरेन्स ?'' *सी.ई.पी.आर. डिस्कशन पेपर्स.* 4770.

फिच रेटिंग्ज. 2005. ''ग्लोबल क्रेडिट डेरिवेटिव्ज सर्वे : रिस्क डिस्पर्सन एक्सिलरेट्स.'' *फिच रेटिंग्ज स्पेशल रिपोर्ट.* नवंबर.

फ्लड, एम. 2001. *बासेल बकेट्स एंड लोन लॉसेज:ऐब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लोन अंडरपरफॉर्मेन्स ऐट बैंक्स एंड थ्रिफ्ट्स.* http:www.ots.treas.gov/docs/ 5/51001.pdf पर उपलब्ध.

गेनश्चेल, पी. तथा टी. प्लंपर. 1997. ''रेग्युलेटरी कम्पीटिशन एंड इंटरनेशनल को-आपरेशन.'' *जर्नल ऑफ यूरोपियन पब्लिक पॉलिसी,* 4 : 626-642.

घोष, एस. तथा डी. नाचणे. 2003. ''आर बासेल कैपिटल स्टैंडर्ड्स प्रो-साइक्लिकल? सम इंपीरिकल एविडेन्स फ्रॉम इंडिया.'' *इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* फरवरी 22.

गोपीनाथ, एस. 2006. ''एप्रोच टू बासेल II.'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन,* जून.

गॉर्टन, जी.तथा ए. विंटन. 2000.''लिक्विडिटि प्रोविजन, बैंक कैपिटल एंड दि मैक्रोइकॉनॉमी.'' *यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा वर्किंग पेपर.* अक्तूबर.

ग्रीनस्पैन, ए. 2001 ''दि फिनान्शियल सेफ्टीनेट.'' बैंक पर 37वें वार्षिक सम्मेलन में की गई टिप्पणी. *स्ट्रक्चर एंड कम्पीटीशन फेडरल* रिज़र्व बैंक ऑफ शिकागो, शिकागो, इलिनोइस, मई.

हॉल्मस्ट्रॉम, बी.तथा जे. तिरोले, 1997. ''फिनान्शियल इंटरमीडिएशन, लोनेबल फंड्स एंड दि रियल सेक्टर.'' *क्वार्टर्ली जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स,* 112 : 655-91.

आइबीए-आइबीएस रिपोर्ट. 2006, *करेन्ट परस्पेक्टिव्ज़ ऑन रिस्क मैनेजमेंट : इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री.* अप्रैल.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, 2006, *ग्लोबल फिनान्शियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट,* वर्ल्ड इकॉनॉमिक एंड फिनान्शियल सर्वेज. वॉशिंगटन, अप्रैल.

जागीरदार, बी.1997. *फिनान्शियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया : ए स्टडी ऑफ सिलेक्टेड इश्यूज विथ स्पेशल रेफरेन्स टू पब्लिक कमर्शियल बैंकिंग,* अप्रकाशित पीच.डी.शोध-प्रबंध. मुंबई : मुंबई विश्वविद्यालय.

जोन्स, डी. तथा जे. मिंगो. 1998. ''इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस इन क्रेडिट रिस्क मॉडेलिंग एंड इंटर्नल कैपिटल अलोकेशन्स : इम्पलीकेशन्स फॉर ए मॉडेल्स-बेस्ड रेग्युलेटरी कैपिटल स्टैंडर्ड.'' *एफआरबीएनवाइ इकॉनॉमिक पॉलिसी रिव्यू,* अक्तूबर.

कश्यप, ए., आर. राजन, तथा जे स्टेन. 1999. ''बैंक ऐज लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स: ऐन एक्सप्लेनेशन फॉर दि को-एक्ज़िस्टेन्स ऑफ लेंडिंग एंड डिपॉजिट-टेकिंग.'' *एनबीईआर वर्किंग पेपर श्रृखंला* सं. 6962.

कश्यप, ए., तथा जे. स्टेन, 2004. ''साइक्लिकल इम्प्लीकेशन्स ऑफ बासेल II कैपिटल स्टैंडर्ड्स.'' *इकॉनॉमिक परस्पेक्टिव्ज़,* 28(1):18-31. फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ शिकागो.

कश्यप, ए.,आर. राजन तथा जे.स्टेन. 2008. ''रिथिंकिंग कैपिटल रेग्युलेशन.'' बदलती हुई वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ केन्सास सिटी सिम्पोजियम के लिए तैयार पेपर, जैक्सन होले, व्योमिंग, अगस्त 21-23.

कीली, एम. तथा एफ. फरलांग. 1990. ''ए रि-एक्ज़ामिनेशन ऑफ दि मीन वैरिऐन्स एनालिसिस ऑफ बैंक कैपिटल रेग्युलेशन.'' *जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैंस,* 14:69-84.

किम्बाल, डी. तथा सी. जेम्स. 1983, ''रेग्युलेशन एंड दि डिटरमिनेशन ऑफ बैंक कैपिटल चेंजेज.'' *जर्नल ऑफ फाइनैंस,* 38 : 1651-58.

क्रोजनेर, आर. 2008. ''इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट इन लाइट ऑफ रिसेंट मार्केट इवेंट्स.'' ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स एन्यूअल रिस्क कन्वेन्शन में दिया गया भाषण, न्यू यॉर्क, फरवरी 25.

——. 2008 ''लिक्विडिटी - रिस्क मैनेजमेंट इन दि बिज़नेस ऑफ बैंकिंग.'' इन्स्टिटयूट ऑफ इंटरनेशलन बैंकर्स में दिया गया भाषण, वॉशिंगटन, डी.सी. मार्च.

——. 2008 ''दि इम्पॉर्टेन्स ऑफ फंडामेंटल्स इन रिस्क मैनेजमेंट'' अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन की वसंतकालीन शिखर बैठक में दिया गया भाषण. वॉशिंगटन डी.सी. मार्च 11.

कुपिएक, पी. 2001.''दि न्यू बासेल कैपिटल एकॉर्ड : दि डेविल इज इन दि (कैलिब्रेशन) डिटेल्स.'' *आइएमएफ वार्किंग पेपर* 01/113.

लीलाधर, वी. 2006.''बासेल II के रहस्य से पर्दा हटाना'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन.* अक्तूबर.

——. 2007. ''बासेल II एवं ऋण जोखिम प्रबंधन'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन.* अक्तूबर.

लांग, डी. 2004. *क्रेडिट डेरिवेटिव्ज़ : एनालाइजिंग न्यू डेवलपमेंट्स एंड रिस्क्स.* http://www.ppllc.com/OurNews/Articles/2004_07_Garp_CDS.pdf पर उपलब्ध.

लोवे, पी.2002. ''क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड प्रो-साइक्लिकलिटी.'' *बीआइएस वर्किंग पेपर्स* 116, सितंबर.

मैक्किन्से एंड कं.2007. *इंडियन बैंकिंग : टूवर्ड्स ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज - इनसाइट्स फ्रॉम इंडस्ट्री बेंचमार्क सर्वेज.* फिनान्शियल सर्विसेज प्रैक्टिस. नवंबर.

मिंगो, जे. 1975. ''रेग्युलेटरी इनफ्लूएन्स ऑन बैंक कैपिटल इनवेस्टमेंट.'' *जर्नल ऑफ फिनान्स,* 30 :1111-1121.

मोहन, आर. 2006. ''केंद्रीय बैंक और जोखिम प्रबंधन : वित्तीय स्थिरता को आगे बढ़ाना'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन,* दिसंबर.

——. 2007. ''खुली बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में जोखिम प्रबंधन.'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन,* जुलाई.

मुनिअप्पन, जी. 2002. ''भारतीय बैंकिंग : पैराडिग्म शिफ्ट - ए रेग्युलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन,* जनवरी.

नाचणे, डी.,ए. नरेन, एस. घोष तथा एस.साहू. 2000. ''कैपिटल ऐडिक्वैसी रिक्वायरमेंट्स एंड दि बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया : ऐन ऐनलिटिकल एंड एंपीरिकल स्टडी.'' डीआरजी स्टडी नं.22. भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई.

पटनायक, आइ. तथा ए. शाह. 2004. ''इंटरेस्ट रेट वोलैटिलिटी एंड रिस्क इन इंडियन बैंकिंग.'' *आइएमएफ वर्किंग पेपर* डब्ल्यूपी/04/17, जनवरी.

पीक, जे.तथा ई. रोसेनग्रेन. 1995. ''कैपिटल क्रंच : नाइदर ए बॉरोअर नॉट ए लेंडर बी.'' *जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट एंड बैंकिंग,* 27 : 625-38.

पेल्ट्ज़मैन, एस.1970. ''कैपिटल रेग्युलेशन इन कमर्शियल बैंकिंग एंड इट्स रिलेशन टू पोर्टफोलियो रेग्युलेशन.'' *जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी,* 78:1-26.

पेन्नाच्ची, जी.2004. ''रिस्क-बेस्ड कैपिटल स्टैंडर्ड्स, डिपॉजिट इन्शूरेन्स, एंड प्रोसाइक्लिकलिटी.'' *एफडीआइसी सेन्टर फॉर फिनान्शियल रिसर्च वर्किंग पेपर* सं.2004-05 नवंबर के लिए.

प्रोक्टर, सी.2006. *बासेल II : क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन.* अक्तूबर, http://www.twobirds.com/english/publications/articles/Basel-II Credit Risk Mitigation.cfm पर उपलब्ध.

रंगराजन, सी. 2007. *भारतीय बैंकिंग प्रणाली - भावी चुनौतियां.* पहला आर.के.तलवार स्मारक भाषण. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैंस.

भारतीय रिज़र्व बैंक. *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति तथा प्रगति संबंधी रिपोर्ट,* विभिन्न अंक.

भारतीय रिज़र्व बैंक, 2008. *नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अंतर्गत पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया - स्तंभ 2 के लिए दिशा-निर्देश,* मार्च 26.

——. 2007. *पूंजी पर्याप्तता तथा बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश - नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन.* अप्रैल.

——. 2007 *भारत में बाजार व्युत्पन्नियों को लागू करने के बारे में गठित कार्यदल की रिपोर्ट.* मई 16. http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/publication Report/Pdfs/35293.pdf पर उपलब्ध.

रेड्डी, वाइ.वी. 2006. ''एशिया के लिए बासेल-II की चुनौतियां और निहितार्थ.'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन*, 637-640, जून.

——. 2007 ''भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके वित्तीय क्षेत्र की झाँकी'' *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन*, अगस्त.

सेडनबर्ग, एम. तथा पी स्ट्राहन. 1999. ''आर बैंक्स इम्पॉर्टेंट फॉर फिनान्सिंग लार्ज बिज़नेसेज?'' *करेंट इश्यूज इन इकॉनॉमिक्स एंड फाइनैंस* 5 (12).

संगनी, एस. 2005. *लेवरेजिंग बासेल-II ''कम्प्लाइन्स टू बिल्ड ए प्लैटफार्म फॉर एन्टरप्राइज रिस्क.* जून 15. http://www.oracle.com/industries/campaigns/finsrv/oracle_leveragingbaseliicompliance_whitepaper.pdf पर उपलब्ध.

सर्मा, एम.तथा वाइ निकेडो. 2007. ''कैपिटल ऐडेक्वेसी रेजिम इन इंडिया: ऐन ओवरव्यू.'' आइसीआरआइइआर वर्किंग पेपर 196. जुलाई.

साइ, ए.2005. ''मैनेजिंग दि इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ इंडियन बैंक्स गवर्नमेंट सेक्युरिटीज होल्डिंग्ज.'' *आइएमएफ वर्किंग पेपर*, डब्ल्यूपी/05/78, अप्रैल.

ठाकोर, ए. 1996. ''कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मॉनिटरी पॉलिसी एंड एग्रीगेट बैंक लेंडिंग : थिअरी एंड एविडेन्स.'' *जर्नल ऑफ फाइनैंस*, 51: 279-324.

वेलिंक, एन. 2007. 'रिस्क कैपिटल 2007' *सम्मेलन ,पेरिस में बासेल-II एंड फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन रेजिलिएन्सी*, जून.

व्हाइट, डब्ल्यू. 2000. ''व्हॉट हॅव वी लर्न्ड फ्रॉम रिसेन्ट फिनान्शियल क्राइसिस एंड पॉलिसी रिस्पॉन्सेज?'' *बीआइएस वर्किंग पेपर* सं.84, जनवरी.

वुड्स, एम., पी. कजुटेर तथा पी. लिन्सले (सं.).2007. *इंटरनेशनल रिस्क मैनेजमेंट : सिस्टम्स, इंटर्नल कंट्रोल एंड कारपोरेट गवर्नेन्स.* एल्सवियर.

वॉल,एल.1989. ''कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक्स : ए लुक ऐट दि 1981 एंड 1988 स्टैंडर्ड्स'' *फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ अटलांटा इकॉनॉमिक रिव्यू,* 74 मार्च/अप्रैल : 14-29.

बाल्थज़ार, एल. 2006. *बासेल 1 से बासेल 3: दि इंटिग्रेशन ऑफ स्टेट-ऑफ-दि-आर्ट रिक्स मॉडेलिंग इन बैंकिंग रेग्युलेशन.* पालग्रेव मैकमिलन.

कैपस्टेइन, ई.2006. ''आर्किटेक्ट्स ऑफ स्टेबिलिटी? इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग फिनान्शियल सुपरवाइज़र्स.'' *बीआइएस वर्किंग पेपर* 199.

बैंकर्स. एस.सी.डब्ल्यू.ईजफिंगर, के. कोएडिज्क तथा एस. येवो (सं.), *सेन्टर फॉर इकॉनॉमिक पॉलिसी रिसर्च।* यूरोपियन समर इन्स्टिट्यूट, लंदन.

वोल्कर, पॉल. 2008 ''दि सुप्रीम क्राइसिस एंड इट्स इंटरनेशनल कॉनसिक्वेन्सेज : व्हाट हैपेन्ड एंड हाउ टू अवॉइड ए सिमिलर क्राइसिस'' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया प्रमुख भाषण. ब्रूकिंग्ज, इन्स्टिट्यूट मोंटग्ने एंड इन्स्टिट्यूट डि एलट एन्टरप्राइज, अप्रैल.

इंटरनेशलन एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इन्शूअरर्स (आइएडीआइ) की वेबसाइट, जमा बीमा प्रणाली वाले देशों की सूची, www.iadi.org.

व्हालेन, गेरी. 2000. ''इंटर-स्टेट बैंकिंग, ब्रांचिंग, ऑर्गनाइज़ेशन एंड मार्केट राइवल्री.'' *इकॉनॉमिक एंड पालिसी अनालिसिस,* वर्किंग पेपर 7, जुलाई.